बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

BCC:ISD:116:16:201 10.06.2024

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda – Annual Report 2023-24.

We refer to our letter no. BCC:ISD:116:16:194 dated 05.06.2024 and annex Annual Report 2023-24 of our Bank.

We request you to take note of the above under Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the same on your website.

Yours faithfully,

P K AGARWAL Digitally signed by P K AGARWAL Date: 2024.06.10 17:47:48 +05'30'

P K Agarwal
Company Secretary

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई - 400 051,भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733 • ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

विश्वास की बुनियाद पर भविष्य की बैंकिंग का निर्माण

Shaping the future of banking with trust

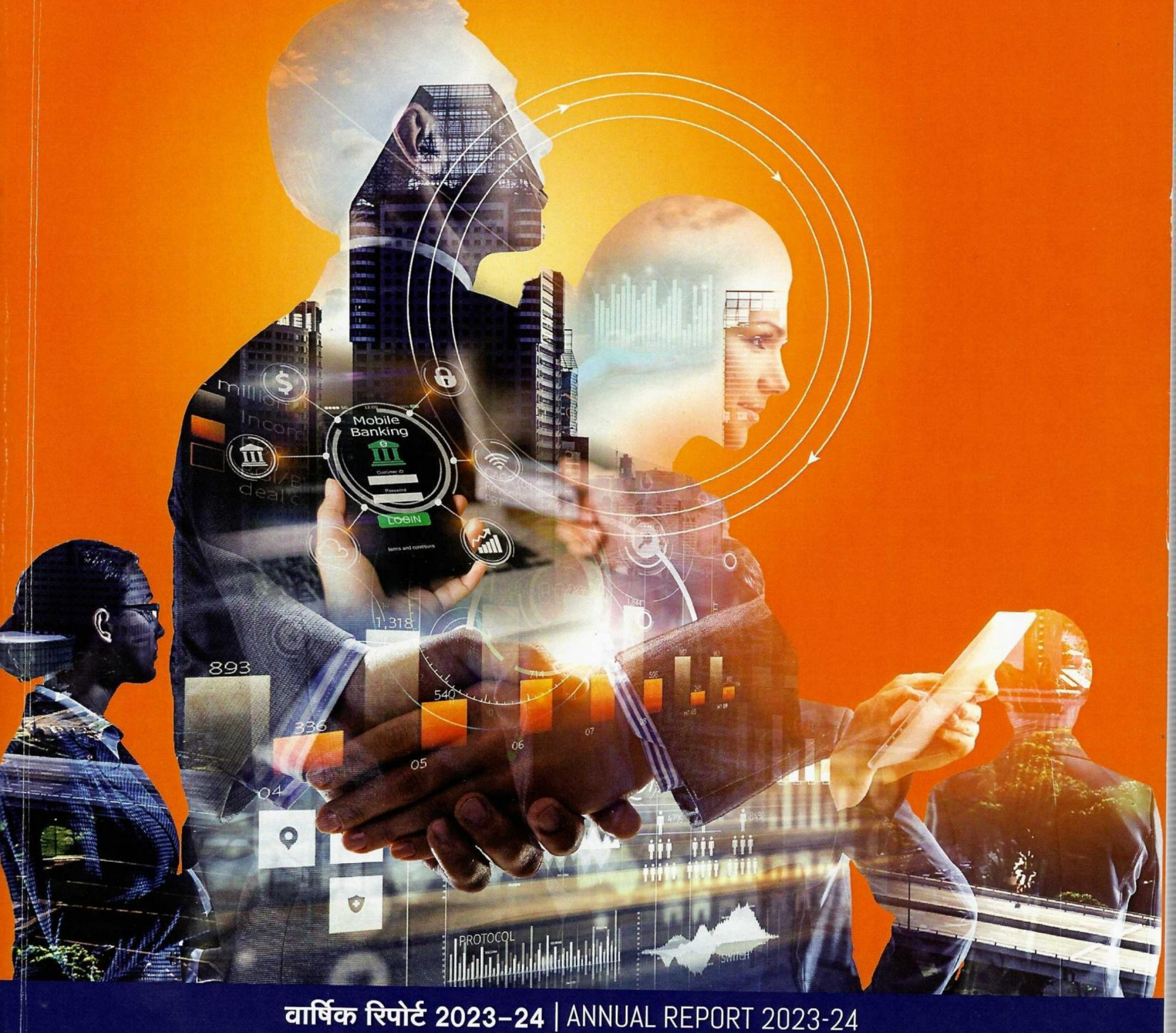

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 | ANNUAL REPORT 2023-24

कर्मचारी जुड़ाव | Employee Engagement

Great Place To Work®
Certified
MAR 2023 - MAR 2024
INDIA ™

बैंक को लगातार दूसरे वर्ष "ग्रेट प्लेस टू वर्क" की पहचान मिलना बैंक की सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं का प्रमाण है। बैंक को कामिकेज़ बी2बी मीडिया द्वारा कर्मचारी प्रसन्नता पुरस्कार के तहत 'सर्वोत्तम सामुदायिक प्रभाव पहल' के लिए भी सम्मानित किया गया है और बैंक ने ईटी नाउ द्वारा "प्रगतिशील कार्य स्थल 2023" भी जीता है। इन सम्मानों के साथ, बैंक ने प्रगतिशील मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं वाले संगठन के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

मानव संसाधन में अग्रणी होने की गति को जारी रखने के लिए, बैंक ने अपनी प्रतिभा पूल को प्रेरित करने और निखारने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और विकास, स्वास्थ्य और कल्याण आदि पर केंद्रित विभिन्न पहलें शुरू की है, जो बैंक की महत्वाकांक्षा और विकास यात्रा के अनुरूप है।

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारी सबसे मूल्यवान आस्ति हैं और बैंक के पास 74000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिभाशाली कार्यबल है। कर्मचारी प्रमुख व्यवसाय प्रवर्तक और बैंक की सभी गतिविधियों के आधार हैं। बैंक "वॉयस ऑफ बडौदियन्स" कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षणों के माध्यम से, सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर बैंक विभिन्न कर्मचारी केन्द्रित पहलों के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता है।

समग्र कर्मचारी कल्याण, विकास और प्रगति की दिशा में पहलों को प्राथमिकता देकर, बैंक अनवरत रूप से एक ऐसा परिवेश विकसित कर रहा है जो अपने व्यापक कार्यबल को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। यह समर्पण न केवल कर्मचारी जुड़ाव को समृद्ध करता है बल्कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक के कर्मचारी बैंक की सफलता और विकास के केंद्र में रहें, मानव संसाधन के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है।

The Bank getting the recognition for "Great Place to Work" in second consecutive year, is a testimonial to the Bank's best HR practices. Bank has also been awarded for 'Best Community Impact Initiative' under Employee Happiness Award by Kamikaze B2B Media and has also won "Progressive Places to Work 2023" by ET NOW. With these recognitions, the Bank has made a distinctive mark as an organization with progressive HR policies and processes.

To continue the momentum of being a pioneer in HR, the Bank has initiated various initiatives focused on Capacity Building, Training & Development, Health & Wellness, etc. to motivate and groom its talent pool which is aligned with the aspiration and growth story of the Bank.

The Bank strongly believes that employees are most valuable asset and has a talented workforce of over 74000 employees. Employees are the key business enablers and the core of all activities of the Bank. Through the "Voice of Barodians" employee engagement surveys, the Bank continuously strives to enhance employee engagement through various pro-employee initiatives, based on the inputs received during the survey.

By prioritizing initiatives towards overall employee wellness, growth and development, the Bank continues to foster an environment that motivates and nurtures its extensive workforce. This dedication not only enhances employee engagement but also strengthens the Bank's reputation as a leader in HR, ensuring that its employees remain at the heart of its success and growth.

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने हेतु एक अवसर के रूप में माना है। बैंक अपनी शाखाओं और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। देश भर में ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक अपने बीसी नेटवर्क को बढ़ाकर 54,345 कर लिया है। बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को काफी व्यापक बनाया गया है और इसमें ऑनलाइन लोन लीड पोर्टल, बीसी केंद्र पर गैर-बीएसबीडी खाता खोलना, बीसी के व्यवसाय के समय का मानकीकरण और व्यवसाय प्रतिनिधि को नियत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। बैंक ने मौजूदा 114 सीएफएल के अलावा 82 अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) खोले हैं।

इसके अलावा, बैंक में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते मार्च 2023 के 585 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 616 लाख हो गए हैं, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष में 5.29% की वृद्धि हुई है। पीएमजेडीवाई जमा राशियां मार्च 2023 के ₹27,531 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹32,337 करोड़ हो गई हैं, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष में 17.46% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच पीएमजेडीवाई खातों में बैंक की हिस्सेदारी 15.20% और पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशियां 17.69% रहीं। बैंक के शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते 31 मार्च 2023 तक 5.22% से घटकर 31 मार्च 2024 को 4.98% रह गए। 31 मार्च 2024 तक, पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत सूक्ष्म बीमा के तहत 70.44 लाख और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 253.84 लाख नामांकन हुए हैं।

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also as an opportunity to tap business through Business Correspondent (BC) model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. Bank expanded its BC network to 54,345 as on March 31, 2024 to cater to rural, semi urban, urban & metro areas across the country. The services provided by the BCs has been widened considerably to include online loan lead portal, opening of Non-BSBD Account at BC Point, standardization of BC Working Hours and Fixed Incentive to Business Correspondents. The Bank has opened 82 additional Center for Financial Literacy (CFL) over and above the existing 114 CFLs.

Further, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts in the Bank has increased from 585 lakhs in March 2023 to 616 lakhs in March 2024 with YoY growth of 5.29%. PMJDY deposits increased from Rs. 27,531 crore as on March 2023 to Rs 32,337 crore as on March 2024 with YoY growth of 17.46%. The Bank's share among PSBs stood at 15.20% in PMJDY accounts and 17.69% for deposits in PMJDY accounts. Zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 4.98% as on 31st March 2024 as against 5.22% as on 31st March 2023. As on 31st March 2024, Micro Insurance enrolment under PMJJBY scheme is 70.44 lakhs and under PMSBY scheme is 253.84 lakhs.

डिजिटलीकरण | Digitisation

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और लेनदेनों को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि ग्राहक अनुभव में बेहतरी आ सके। डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख लक्ष्य डिजिटल और वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), इत्यादि जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं।

बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) रूपी का डिजिटल वेरियंट पेश किया है। इसके अलावा, बैंक के पास 31 मार्च 2024 तक 9,426 एटीएम और 1,607 कैश री-साइकलर्स का विस्तृत नेटवर्क है। बैंक ने अपने टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म – बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से तत्काल कासा खाते खोलने के साथ-साथ विविध सेवाओं (पर्सनलाइज्ड चेक बुक, पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड, एमपिन के साथ मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग) और पीओएस, यूपीआई क्यूआर, आईपीजी लीड जनरेशन के लिए टैबलेट के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 37.7 लाख से अधिक बचत खाते और 2.1 लाख चालू खाते खोले हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 23-24 के दौरान बढ़कर 108.46 लाख हो गई, जो कि वित्त वर्ष 22-23 के दौरान 99.71 लाख थी। बचत खाता खोलने के दो नए मोड 'आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण' और 'सीकेवाईसी रजिस्ट्री से सीकेवाईसी सर्च और डाउनलोड' शुरू किए गए हैं । टैब के माध्यम से व्यक्तिगत और एकल स्वामित्व हेतु चालू खाता खोलने की मौजूदा जर्नी में परिवर्तन क्रियान्वित किए गए हैं। इन वैलिडेशन से सीकेवाईसी रजिस्ट्री पोर्टल पर एलईआई रिकॉर्ड के सफल अपलोड के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिली है।

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, बैंक को मौजूदा ग्राहकों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए विभिन्न सेगमेंट के नए ग्राहकों को जोड़ने, नए एवं अब तक अप्रयुक्त बाजारों तक पहुंच बढ़ाने तथा बैंक की ब्रांड इमेज़ में एक प्रमुख डिजिटल आयाम जोड़ने में मदद कर रहा है।

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World mobile banking app, bob World UPI, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

The Bank has introduced the Central Bank Digital Currency (CBDC) the rupees digital variant to facilitate customer digital payments. Further, the Bank has a wide network of 9,426 ATMs and 1,607 Cash re-cyclers as on 31st March 2024. The Bank embarked upon digitizing its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with bundle of services (Personalized Cheque Book, Personalized Debit Card, Mobile Banking with MPIN, SMS Alert, Internet Banking) and POS, UPI QR, IPG lead generation through its TAB banking platform – bob World Tab. Bank opened more than 37.7 lakh savings account and 2.1 Lakh Current accounts through this platform during the FY'23-24. The total number of Internet Banking users of the bank increased to 108.46 lakh during FY'23-24 from 99.71 Lakh during FY'22-23. Two new modes of Savings Account opening have been introduced: Aadhaar Biometric authentication and CKYC Search & Download from CKYC Registry. Changes in existing journey of Current account has been implemented for Individual and Sole Proprietorship through TAB. These validations have helped in increasing the successful upload percentage of Legal Entity Identifier (LEI) records on CKYC Registry portal.

The Digital Lending Platform is helping Bank to cater to existing customer borrowing needs and acquire new customers from diverse segments using digital means, enter new and hitherto untapped markets, and add a prominent digital dimension to Bank's brand identity.

"बॉब के संग त्यौहार की उमंग" उत्सव अभियान की शुरुआत के माध्यम से बैंक ने कई लाभों और रियायतों के साथ नए बचत खाते शुरू किए हैं। इनमें बॉब लाइट बचत खाता - आजीवन बिना न्यूनतम शेष राशि का खाता; बॉब ब्रो बचत खाता - विद्यार्थियों (16 से 25 वर्ष तक के) हेतु शून्य शेष राशि का बचत खाता, माई फैमिली माई बैंक/बॉब परिवार खाता - एक पारिवारिक बचत खाता जिसे पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है तथा बड़ौदा एनआरआई पावरपैक खाता शामिल हैं। बैंक ने बॉब एसडीपी (सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान) की भी शुरुआत की है, जो कि एक आवर्ती जमा स्कीम है।

बचत खातों के नए वेरिएंट के साथ बैंक ने व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप चालू खातों के सात वेरिएंट भी शुरू किए हैं। बैंक ने मौजूदा चालू खाते और वेतन बचत खातों को भी नया रूप दिया है और नए खाते प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दिया है।

प्रमुख कासा एनेबलर्स, जिसमें पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड, आईपी और बीसीएमएस शामिल हैं, के लिए पहुंच बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीईएएफ एक्टिवेशन शुरू करने और शून्य शेष खातों के निधियन के प्रयास किए गए। साथ ही, बैंक ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक विशेष ऑफर और छूट की भी शुरुआत की है। बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य, फैशन, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी और स्वास्थ्य जैसी श्रेणियों में अग्रणी ब्रांडों के साथ करार किया है।

Through the launch of "BOB Ke Sang Tyohaar Ki Umang" festive campaign, the Bank has introduced new savings accounts with a host of benefits & concessions. These include the bob LITE Savings Account - a Lifetime No Minimum Balance Account; the BOB BRO Savings Account - a Zero Balance Savings Account for Students (16 to 25 years), the My Family My Bank/BOB Parivar Account - a Family Savings Account designed to meet the needs of the entire family and the Baroda NRI PowerPack Account. The Bank has also launched the BOB SDP (Systematic Deposit Plan), which is a recurring deposit scheme.

Along with new variants of SB accounts, the Bank has also introduced seven variants of current accounts to suit different customer needs depending on the nature of their business. Bank also revamped existing CA & Salary SB accounts and given extensive focus in acquiring new accounts.

Special emphasis was placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR codes with sound boxes, IP and BCMS. Additionally, efforts were made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts. Further the Bank has also introduced attractive exclusive offers and discounts on Bank of Baroda Debit and Credit Cards. The Bank has tied up with leading brands across categories such as Electronics, Consumer Durables, Travel, Food, Fashion, Entertainment, Lifestyle, Grocery and Health.

संवहनीयता | Sustainability

बैंक संवहनीय व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों के समाधान की आवश्यकता को समझता है और इससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। संवहनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने बोर्ड स्तर पर सीएसआर और संवहनीयता समिति का गठन किया है।

ग्रीन फायनेंस जैसी पहल के माध्यम से, बैंक अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ मोबिलिटी और अन्य पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करने के लिए हरित और संवहनीय उत्पादों की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य बदलते पर्यावरण के साथ-साथ बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने और ग्रीन अर्थ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने के क्रम में बैंक द्वारा एक प्रमुख पहल के रूप में नए जमा उत्पाद "बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट" की शुरुआत की गई है। बैंक की ग्रीन डिपॉजिट योजना जमाकर्ताओं को संतुलित एवं सुरक्षित वित्तीय प्रतिफल और ग्रीन प्लैनेट बनाने में योगदान करने के अवसर का दोहरा लाभ प्रदान करती है।

संवहनीयता को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पेपरलेस बैंकिंग एक प्रमुख हरित पहल है जिसमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए डिजिटल रिपॉजिट्री और डिजिटल प्रारूप में अनुमोदन प्रक्रिया निर्मित किया जाना शामिल है। ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में -177- शाखाएं सौर ऊर्जा से चलाई जा रही हैं, जिससे लगभग 3500 टन कार्बन-डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, सभी घरेलू शाखाओं में एलईडी लाइटों की स्थापना ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया है।

हमारे बैंक की ईएसजी जोखिम रेटिंग की समीक्षा सस्टेनेलिटिक्स द्वारा की गई है, 27 फरवरी, 2024 की अद्यतन स्थिति के अनुसार यह उच्च जोखिम से सुधरकर मध्यम जोखिम में सुधार हो गया है और 1060 बैंकों में बैंक 329वीं रैंकिंग पर रहा है।

The Bank recognizes the need for addressing climate risk to foster sustainable business growth and is committed to minimizing the impacts arising out of it. To strengthen our commitment to sustainability, the Bank has established the CSR and Sustainability Committee at the Board level.

Through initiatives like green finance, the Bank is focusing on offering green and sustainable products to support renewable energy generation, energy efficiency, clean mobility, and other environmentally friendly practices. These efforts aim to strengthen the bank's financial resilience in the face of a changing climate. A major initiative of the Bank has been introduction of new deposit product "bob earth Green Term Deposit" to mobilize resources for activities addressing global warming & climate change related issues and promoting greener earth. The Banks Green deposit scheme offers depositors dual benefits of stable & secure financial returns and the opportunity to contribute to a greener planet.

As a part of its efforts to promote sustainability, the paperless banking is a major green initiative involving creation of digital repository of all critical documents and approval process in a digital format. -177- Branches in rural/semi urban areas are being run on Solar Energy reducing approx. 3500 Tons of Carbon Dioxide Emission. Additionally, the installation of LED lights in all domestic branches has contributed to enhanced energy efficiency.

Also, ESG Risk rating of our Bank has been reviewed by Sustainalytics, and has improved from High Risk to Medium Risk, ranking at 329 amongst 1060 Banks, as updated on February 27, 2024

विषय	पृष्ठ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	7
निदेशकों की रिपोर्ट	13
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	99
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स रिपोर्ट	101
एमडी व सीईओ द्वारा घोषणा	161
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	162
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक	170
तुलन-पत्र	173
लाभ व हानि खाता	174
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां	185
नकदी-प्रवाह विवरण	282
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	284
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	302
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	303
समेकित वित्तीय विवरणियां	304
अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा- समेकित	385
सीईओ / सीएफओ प्रमाणीकरण	386
लाभांश संवितरण नीति	387
नोटिस	395

Contents	Page
MD & CEO's Statement	10
Directors' Report	59
Auditors' Certificate on Corporate Governance	99
Corporate Governance Report	132
Declaration by MD & CEO	161
Secretarial Audit Report	166
Key Financial Indicators	170
Balance Sheet	173
Profit & Loss Account	174
Significant Accounting Policies	192
Cash Flow Statement	282
Auditors' Report	293
Declaration of Unmodified Opinion	302
CEO / CFO Certification	303
Consolidated Financial Statement	304
Declaration of Unmodified Opinion Consolidated	385
CEO/CFO Certification	386
Dividend Distribution Policy	391
Notice	423

नोट : शेयरधारक ''व्यावसायिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट'' और ''बासेल-III प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर देख सकते हैं / डाउनलोड कर सकते हैं।

Note : The Shareholders can view / download "Business Responsibility and Sustainability Report" and "Basel-III disclosures" from Bank's Website www.bankofbaroda.in

सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
Shah Gupta & Co
Chartered Accountants

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants

एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants

बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
Batliboi & Purohit
Chartered Accountants

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड,
अलकापुरी, वडोदरा - 390 007

कॉर्पोरेट कार्यालय
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26,
जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

निवेशक सेवाएं विभाग
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बान्द्रा पूर्व, मुंबई 400051

रजिस्ट्रार एंड शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)
केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लाट नं. 31
व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी,
तेलंगाना, इंडिया - 500 032

डिबेंचर न्यासी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल, सर पीएम रोड
फोर्ट, मुंबई- 400001
केनरा बैंक
ईटी एवं टी सेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विंग
केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड,
बेंगलुरु - 560002
कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.
यूनिट नं.- 901, 9वीं मंजिल, टॉवर-बी
पेनिनसुला, बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग
लॉवर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400001
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड
द रूबी, द्वितीय तल (एसडब्ल्यू) 29,
सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400028

Head Office
Bank of Baroda, Baroda Bhavan, RC
Dutt Road, Alkapuri, Vadodara-390 007

Corporate Office
Bank of Baroda, Baroda Corporate
Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla
Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Investor Services Department
Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda
Corporate Centre, C-26, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Registrar and Share Transfer Agent (RTA)

KFin Technologies Limited
Unit: Bank of Baroda
Selenium Building, Tower-B, Plot
No 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad, Rangareddy,
Telangana, India - 500 032

Debenture Trustees
IDBI Trusteeship Services Ltd.
Universal Insurance Building,
Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort,
Mumbai – 400001.
Canara Bank
ET & T Section, Financial Management
Wing, Canara Bank - Head Office,
112, J C Road, Bengaluru-560002,
Catalyst Trusteeship Ltd.
Unit No- 901, 9th Floor, Tower B,
Peninsula Business Park, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400013.
Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India – MMO Building,
3rd Floor (East Wing), No.55,
M.G .Road, Fort, Mumbai 400 001.
Axis Trustee Services Ltd.
The Ruby, 2nd Floor (SW) 29,
Senapati Bapat Marg , Dadar West,
Mumbai - 400 028

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Debadatta Chand
Managing Director & CEO

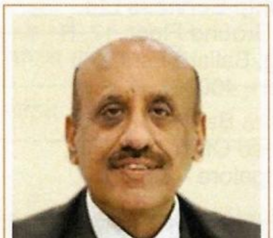

श्री अजय के. खुराना
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajay K. Khurana
Executive Director

श्री ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक
Shri Lalit Tyagi
Executive Director

श्री संजय विनायक मुदलियार
कार्यपालक निदेशक
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar
Executive Director

श्री लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक
Shri Lal Singh
Executive Director

निदेशक मंडल | BOARD OF DIRECTORS

श्री मुकेश कुमार बंसल
भारत सरकार के नामित निदेशक
Shri Mukesh Kumar Bansal
GOI Nominee Director

श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक
Smt. Parvathy V. Sundaram
RBI Nominee Director

श्री अजय सिंघल
गैर – कार्यकारी निदेशक
Shri Ajay Singhal
Non-Executive Director

श्री आलोक वाजपेयी
शेयरधारक निदेशक
Shri Alok Vajpeyi
Shareholder Director

श्रीमती नीना नागपाल
शेयरधारक निदेशक
Smt. Nina Nagpal
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)	CHIEF VIGILANCE OFFICER (CVO)
श्री दीक्षित सुरेंद्र कुमार	MR. DIXIT SURENDRA KUMAR
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी - पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा)	KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP – OTHER THAN WHOLE TIME DIRECTORS)
श्री डिसूजा इयान गेरार्ड मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)	MR. DESOUZA IAN GERARD CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
श्री एल श्रीधर इनुमेल्ला वी महाप्रबंधक - निदेशक मंडल के सचिव	MR. L SRIDHAR INUMELLA V GENERAL MANAGER - SECRETARY TO BOARD
श्री पी के अग्रवाल कंपनी सचिव (सीएस)	MR. P K AGARWAL COMPANY SECRETARY (CS)
मुख्य समूह अनुपालन अधिकारी (सीजीसीओ)	CHIEF GROUP COMPLIANCE OFFICER (CGCO)
श्री एलंगो बालासुब्रमण्यम	MR. ELANGO BALASUBRAMANIAM
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)	CHIEF RISK OFFICER (CRO)
श्री एस अनंतरामन	MR. S ANANTHARAMAN
मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / वर्टिकल प्रमुख	CGMs / GMs / VERTICAL HEADS
श्री मल्होत्रा राजेश	Mr MALHOTRA RAJESH
श्री एम जगन मोहन	Mr M JAGAN MOHAN
श्री डोभाल संजीव	Mr DOBHAL SANJEEV
श्री ग्रोवर संजय कुमार	Mr GROVER SANJAY KUMAR
श्री खोसला अजय के	Mr KHOSLA AJAY K
श्री सिंह शैलेन्द्र एच	Mr SINGH SHAILENDRA H
श्री दिनेश पंत	Mr DINESH PANT
श्री गुप्ता मन मोहन	Mr GUPTA MAN MOHAN
श्रीमती पाण्डेय अर्चना	Mrs PANDEY ARCHANA
श्री शुक्ल सौरभ रविशंकर	Mr SHUKLA SAURABH RAVISHANKAR
श्री नेगी रवींद्र सिंह	Mr NEGI RAVINDRA SINGH
श्रीमती कडगटूर शीतल वेंकटेशमूर्त	Mrs KADGATOOR SHEETAL VENKATESMURT
श्री चयानी मनोज सुंदर	Mr CHAYANI MANOJ SUNDAR
श्री रंजन निशांत	Mr RANJAN NISHANT
श्री नामदेव दिनेश कुमार	Mr NAMDEO DINESH KUMAR
श्री एस ए सुदर्शन	Mr S A SUDARSAN
श्री देवरकोंडा आनंद कुमार	Mr DEVARAKONDA ANANDA KUMAR
श्री वेणुगोपाल एन	Mr VENUGOPAL N
श्री गुप्ता अमर नाथ	Mr GUPTA AMAR NATH
श्री बेहरा नित्यानंद	Mr BEHERA NITYANANDA
श्री ग्रोवर देविंदर पाल	Mr GROVER DEVINDER PAL
श्री शर्मा प्रभात के	Mr SHARMA PRABHAT K
श्री चौधरी कमलेश कुमार	Mr CHOUDHARY KAMLESH KUMAR

श्री धीरेंद्र सेट्टीपल्ली	Mr DHEERENDRA SETTIPALLI
श्री श्रीजित कोट्टारत्तिल	Mr SREEJITH KOTTARATHIL
श्री कुमार मधुर	Mr KUMAR MADHUR
श्री कुमार अश्विनी	Mr KUMAR ASHWINI
श्रीमती गायत्री आर	Mrs GHAYATHRI R
श्री सिंह सुधांशु कुमार	Mr SINGH SUDHANSHU KUMAR
श्री सीताराम बुलुसु सूर्या	Mr SITARAM BULUSU SURYA
श्री डी दास	Mr D DAS
श्री सुशांत कुमार मोहंती	Mr SUSHANTA KUMAR MOHANTY
श्री सिंह इंदर मोहन	Mr SINGH INDER MOHAN
श्री सोलंकी हर्षदकुमार टी	Mr SOLANKI HARSHADKUMAR T
श्री शर्मा सुनील कुमार	Mr SHARMA SUNIL KUMAR
श्री भगोलीवाल संजय	Mr BHAGOLIWAL SANJAY
सुश्री शेट्टी सुजाया यू	Ms SHETTY SUJAYA U
श्री राव सिद्देला प्रसाद	Mr RAO SIDDELA PRASAD
श्री कौरा मनीष	Mr KAURA MANISH
श्री मित्तल पंकज	Mr MITTAL PANKAJ
सुश्री एम मिनी टी	Ms M MINI T
श्री तुली अमित	Mr TULI AMIT
श्री शंकर आनंद	Mr SHANKER ANAND
श्री तुंगारिया जगदीश कुमार	Mr TUNGARIA JAGDISH KUMAR
श्री नेगी विमल कुमार	Mr NEGI VIMAL KUMAR
श्री मुखर्जी अमिताभ	Mr MUKHERJEE AMITAVA
श्री जक्कैया लालम	Mr JAKKAIAH LALAM
श्री कुमार राजीव	Mr KUMAR RAJEEV
श्री सरवनकुमार ए	Mr SARAVANAKUMAR A
श्री बसेठा विजय कुमार	Mr BASETHA VIJAY KUMAR
श्री एस रंगराजन	Mr S RENGARAJAN
श्री अग्रवाल रविंदर	Mr AGGARWAL RAVINDER
श्री पाई सुरेश	Mr PAI SURESH
श्रीमती बंदोपाध्याय स्वप्ना	Mrs BANDOPADHAYA SWAPNA
श्री सिंह राजेश कुमार	Mr SINGH RAJESH KUMAR
श्री संजीव	Mr SANJEEV
श्री अनुज भार्गव	Mr ANUJ BHARGAVA
श्री पांडा समीर रंजन	Mr PANDA SAMIRA RANJAN
श्री अग्रवाल योगेश कुमार	Mr AGRAWAL YOGESH KUMAR
श्री टी एन सुरेश	Mr T N SURESH

श्री राठी विनयकुमार सत्यनारायण	Mr RATHI VINAYKUMAR SATYNARAYAN
श्री नेमा राकेश	Mr NEMA RAKESH
श्रीमती सिंह कविता	Mrs SINGH KAVITA
श्री ठाकुर यादव श्रवण	Mr THAKUR YADAV SHRAWAN
श्री लाल सुशील कुमार	Mr LAL SUSHIL KUMAR
श्री एम रवींद्र राय	Mr M RAVINDRA RAI
श्री भुटिया सोनाम शेरिंग	Mr BHUTIA SONAM TSHERING
श्री सिन्हा शैलेंद्र कुमार	Mr SINHA SHAILENDRA KUMAR
श्री ललाई धीरेन महेंद्र	Mr LALAI DHIREN MAHENDRA
श्री तिवारी संजय कुमार	Mr TIWARY SANJAY KUMAR
श्री खन्ना राजेश	Mr KHANNA RAJESH
श्री एम अनिल	Mr M ANIL
श्री धर शशि जयकिशोर	Mr DHAR SHASHI JAIKISHORE
श्री शर्मा राकेश कुमार	Mr SHARMA RAKESH KUMAR
श्री रितेश कुमार	Mr RITESH KUMAR
श्री लंका बालसुब्रमण्यम	Mr LANKA BALASUBRAMANYAM
श्री अग्निहोत्री प्रतीक	Mr AGNIHOTRI PRATEEK
श्री कुमार अमूल्य	Mr KUMAR AMULYA
श्री स्वाई सुब्रत कुमार	Mr SWAIN SUBRAT KUMAR
श्री कुमार राजेश	Mr KUMAR RAJESH
श्री शाजन बाबू वी बी	Mr SHAJAN BABU V B
श्री सिंह हरदीप	Mr SINGH HARDEEP
श्री भैरवरसु मेहर कुमार	MR BHAIRAVARASU MEHER KUMAR
श्री आर अजयकुमार के	Mr R AJAYAKUMAR K
श्री सेंथिलकुमार वी जी	Mr SENTHILKUMAR V G
श्री सोमवंशी वीरेंद्र सूर्यभान	Mr SOMWANSHI VIRENDRA SURYABHAN
श्री सचदेवा सुमित	Mr SACHDEVA SUMIT
श्री गोयल महेश	Mr GOEL MAHESH
लेफ्टिनेंट जनरल सलारिया रणबीर सिंह	LT GEN SALARIA RANBIR SINGH
श्री भट्टाचार्य ध्रुबाशीष	Mr BHATTACHARYA DHRUBASHISH
श्री पटनायक गिरीश	Mr PATNAIK GIRISH
श्री सबनवीस मदन	Mr SABNAVIS MADAN
श्री कैरूपाला सौरप्पा	Mr KAIRUPPALA SOWRAPPA

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय हितधारको,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, एक ऐसा संस्थान जो एक समृद्ध विरासत के साथ 116 वर्षों से हितधारकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है, के नेतृत्व का अवसर मिलना मेरे लिए गौरव का विषय है। बतौर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मेरा यह प्रयास रहेगा कि विश्वास और सेवा की इस समृद्ध परंपरा को और आगे बढ़ाया जाए।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। बैंक द्वारा की गई पहलों और उपलब्धियों के विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

वित्त वर्ष 24 के दौरान, अधिकांश वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में विकास की धीमी और न्यून संभावनाओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रही है। व्यापक आर्थिक मानदंडों की सुदृढ़ता, कॉर्पोरेट्स की बेहतर लाभप्रदता, मुद्रास्फीति में कमी, बाह्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार और निरंतर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ने विकास की गति को बरकरार रखा है। इसके कारण, मध्य पूर्व में संकट के कारण उपजी भौगोलिक-राजनीतिक अनिश्चितताओं, उच्च ब्याज दरों और सप्लाई चेन में व्यवधानों जैसी कठिनाइयों से पार पाने में मदद मिली है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बेहतर आस्ति गुणवत्ता, उच्च पूंजी पर्याप्तता और मजबूत लाभप्रदता के साथ बेहतर स्थिति में है। हालांकि, तरलता की कमी के कारण बैंकिंग उद्योग के लिए जमाएं जुटाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन चुनौतियों के बावजूद भी, बैंक ने अपने कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए नए उत्पादों और उपायों के रूप में संरचनात्मक पहलें की हैं और वर्ष के दौरान नए मील स्तंभ स्थापित किए हैं।

वर्ष के दौरान, व्यवसायिक विस्तार, आय, मार्जिन, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के प्रमुख मानदंडों में समग्र रूप से लगातार सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 24 में, बैंक के वैश्विक व्यवसाय ने 24 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और ऑर्गेनिक रिटेल अग्रिमों ने भी 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में 4000 करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर के तिमाही शुद्ध लाभ और लगातार 7 तिमाहियों के दौरान आस्तियों पर रिटर्न (आरओए) को 1% से ऊपर रखते हुए बैंक ने अपने कार्य-निष्पादन में निरंतरता दर्शायी है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'बॉब वर्ल्ड' के माध्यम से ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए हैं और बैंक अब इस चैनल के माध्यम से ग्राहकों को ऑन-बोर्ड कर सकता है। उक्त कार्य-निष्पादन न केवल हमारी वित्तीय मजबूती का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्रति हमारे हितधारकों के भरोसे एवं विश्वास का प्रमाण भी है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

देयताओं का विवेकपूर्ण प्रबंधन

उद्योग स्तर पर, सिस्टम में तरलता की कमी, निवेश और बचत के आकर्षक विकल्पों तथा ऋण क्षेत्र में जमा क्षेत्र से अधिक वृद्धि जैसे कारकों के कारण जमाएं जुटाना चुनौतीपूर्ण रहा। इसमें विशेष रूप से, कासा वृद्धि चुनौतीपूर्ण रही है क्योंकि मई 2022 - फरवरी 2023 के दौरान नीतिगत दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सावधि जमा दरों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण सावधि जमाओं के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ग्राहक केंद्रित और विविधतापूर्ण बचत उत्पादों की श्रृंखला और अलग-अलग वर्ग के ग्राहकों की बचत आवश्यकताओं के अनुरूप आकर्षक अवधि वाले जमा उत्पाद पेश करने की बहुआयामी कार्यनीति के बल पर बैंक जमाओं में वृद्धि अर्जित करने में कामयाब रहा है। वित्त वर्ष 24 में, बैंक की वैश्विक जमाराशियों में 10.2% वृद्धि हुई है, जिसमें घरेलू जमाराशियों में 7.7% और अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियों में 27.0% की वृद्धि हुई है। चुनौतियों के बावजूद भी, कासा जमाएं 5.4% की वृद्धि के साथ 4,66,401 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि घरेलू कासा जमाएँ 40% के स्तर से ऊपर 41.33% पर बनी हुई हैं। इसके अलावा, बैंक ने बढ़ती पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बांड और पूंजी निर्गम के माध्यम से भी फंड जुटाया है।

रिटेल ऋण केंद्रित अग्रिम वृद्धि

बैंक ने अधिक प्रतिफल वाले रिटेल ऋणों को लक्ष्य करते हुए जमाराशियों के अनुरूप अपने अग्रिमों में वृद्धि को दर्ज करने की नीति अपनाई है। वित्त वर्ष 2024 में, रिटेल पोर्टफोलियो रु. 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रु. 2,14,942 करोड़ हो गया है, इस प्रकार इसमें 20.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिटेल क्षेत्र में, ऑटो ऋण में 23.8%, गृह ऋण में 14.1% और शिक्षा ऋण में 19.6% की वृद्धि हुई है। कृषि और एमएसएमई ऋणों में क्रमशः 11.6% और 10.4% की वृद्धि हुई है। ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु रिलेशनशिप मैनेजमेंट और वर्गीकृत दृष्टिकोण पर बल देने संबंधी कार्यनीति को अपनाने से कॉर्पोरेट ऋणों में 11.6% की वृद्धि हुई है।

बेहतर आस्ति गुणवत्ता

वर्ष के दौरान, बैंक की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे जीएनपीए अनुपात 3.79% से घटकर 2.92% हो गया है - जो कई वर्षों की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है। निवल एनपीए अनुपात भी 0.89% से घटकर 0.68% हो गया है। राइट ऑफ़, अपग्रेडेशन और वसूली के फलस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई है। प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित) वित्त वर्ष 23 में 92.43% के सापेक्ष वित्त वर्ष 24 में 93.30% के स्तर पर पहुंच गया है। एनपीए में

नई वृद्धि का एक मापांक, स्लिपेज अनुपात, वित्त वर्ष 23 में 1.07% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 0.99% हो गया है। मार्च 2024 तक वसूली दक्षता (कृषि को छोड़कर) 98% रही है। साथ ही, मानक अग्रिमों (सीआरआईएलसी डेटा) के प्रतिशत के रूप में एसएमए 1 और एसएमए 2 खातों की हिस्सेदारी मार्च 2023 तक 0.32% से घटकर मार्च 2024 तक 0.15% हो गई है।

व्यय प्रबंधन

वेतन समझौता और पेंशन देयता के कारण अधिक व्यय के बावजूद, वर्ष के दौरान बैंक के परिचालन व्यय में 15.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें कर्मचारी लागत में 18.4% और अन्य परिचालन व्यय में 11.4% की वृद्धि हुई है। परिचालन दक्षता का एक संकेतक, आय- लागत अनुपात, वित्त वर्ष 24 में 47.71% के स्तर पर स्थिर रहा है।

सुदृढ़ आय

वित्त वर्ष 2024 में उच्च आय वृद्धि और कम प्रावधान, आय की सुदृढ़ वृद्धि में सहायक रहे हैं। ब्याज आय 25.7% बढ़कर रु. 1,12,606 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। जमाराशियों के उच्च दर पर पुनर्मूल्यांकन के कारण ब्याज व्यय 40.7% की उच्च दर से बढ़कर रु. 67,884 करोड़ हो गया है। विवेकपूर्ण आस्ति देयता प्रबंधन के परिणामस्वरूप, बैंकों की निवल ब्याज आय 8.1% की वृद्धि के साथ रु. 44,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। गैर-ब्याज आय में 44.6% की वृद्धि हुई है, जो रु. 14,495 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें विशेष रूप से कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज घटक में 19.9% की वृद्धि दर्ज की है और टीडब्लूओ खातों में शानदार वसूली हुई है। वेतन संशोधन और पेंशन संबंधी व्यय के बावजूद, बैंक अपनी लागतों को नियंत्रित करने में सफल रहा है। परिणामस्वरूप, बैंक का परिचालनगत लाभ ₹30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, इस प्रकार 15.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ, कुल प्रावधानों में कमी आई है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 24 में निवल लाभ 26.1% बढ़कर ₹17,789 करोड़ हो गया है।

सुदृढ़ पूंजी अनुपात

वर्ष के दौरान कुछ ऋण उत्पादों पर बढ़े हुए जोखिम भार के साथ उच्च पूंजी आवश्यकताओं के बावजूद बैंक की पूंजी स्थिति और मजबूत हुई है। मार्च 24 तक बैंक का सीआरएआर 16.31% रहा है, जिसमें उच्च प्रतिधारित आय के कारण सीईटी-1 अनुपात 12.54% रहा है। एलसीआर 120.6% के सुदृढ़ स्तर पर रहा है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलें

रिटेल जमा उन्मुख विकास

सीमित नकदी स्थिति और भारतीय परिवारों की बदलती बचत आदतों के चलते जमा राशियों का संग्रहण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके कारण जमा वृद्धि को समर्थन देने के लिए नवोन्मेषी कार्यनीतियों की आवश्यकता पड़ी। बैंक ने "बॉब के संग त्योहार की उमंग" नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया, जो न केवल आस्ति पक्ष पर, बल्कि देयता पक्ष पर भी केंद्रित था। कार्यनीति के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने कासा (CASA) जमाओं को बढ़ाने पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया है। उत्पाद पेशकश और जमा जुटाने की प्रक्रिया में बचत खाता एवं चालू खाता जमा उत्पादों में अभिनव एवं समयानुकूल परिवर्तन किए गए। इसके अंतर्गत 3 नए बचत खाते; बॉब लाइट, बॉब ब्रो, बॉब एनआरआई पावर पैक, 7 नए चालू खाते; बॉब लाइट चालू खाता, बॉब वीमेन पावर चालू खाता, बॉब स्मार्ट चालू खाता, बॉब गोल्ड चालू खाता, बॉब प्लेटिनम चालू खाता, बॉब रोडियम चालू खाता, बॉब डायमंड चालू खाता की पेशकश शामिल हैं। बैंक ने मौजूदा चालू खाता और वेतन बचत बैंक खातों को भी नया रूप दिया है और नए खाते लाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की विविध बचत आवश्यकताओं जैसे कि परिवार की जरूरतें, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं आदि को पूरा करने वाले विशेष सुविधायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराना हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ने बॉब परिवार संकल्पना के अंतर्गत, "मेरा परिवार, मेरा बैंक" उपलब्ध कराया है, जो परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस पहल में प्रीमियम ग्राहकों के लिए विशिष्ट पेशकशें शामिल हैं। उनकी कासा (CASA) शेषराशि के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों: राइज़ (Rise), शाइन (Shine) और स्पार्कल (Sparkle) में विभाजित किया गया है। स्पार्कल ग्राहकों से गहन जुड़ाव स्थापित करने और बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्हें निर्धारित व्यक्तिगत रिलेशनशिप मैनेजरों के माध्यम से व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, प्रमुख कासा सहायकों की पैठ बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया, जिसमें पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड और नकदी प्रबंधन सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीफ (डीईएएफ) सक्रियण शुरू करने और शून्य शेष खातों में निधीयन के प्रयास किए गए हैं। डिजिटल मोर्चे पर, बैंक ने विभिन्न डिजिटल चैनलों जैसे वीसीआईपी और टैब मोड के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने में विशेष वृद्धि की है। नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप कुल 5,186 चालू खाते खोले गए हैं। साथ ही, बैंक ने एक रक्षा बैंकिंग वर्टिकल की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व एक मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं। इस वर्टिकल को उप रक्षा बैंकिंग सलाहकारों द्वारा सहयोग किया जाता है जिन्हें रक्षा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है।

फी एंड फ्लो

बैंक ने लार्ज एवं मिड-कॉर्पोरेट सेगमेंट के लिए रिलेशनशिप मैनेजर की संकल्पना को लागू करने के साथ कई और पहलों को शुरू किया है जिसमें "फी एंड फ्लो" पहल पर जोर दिया है। रिलेशनशिप मैनेजर का विचार इन सभी खातों के वॉलेट के शेयर (एसओडब्ल्यू) का मूल्यांकन करने और अन्य व्यावसायिक जुड़ावों के लिए मुख्य रिलेशनशिप का लाभ उठाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही, नकदी प्रबंधन सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है जिससे निधि के प्रवाह को बनाए रखने में सहयोग मिला है। बैंक के नकदी प्रबंधन सेवा व्यवसाय ने कॉर्पोरेट और सरकारी ग्राहकों के लिए उनके नकदी प्रवाह और चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए ओमनी-चैनल डिजिटल समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है। यह ग्राहकों के लिए सभी शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, चेक और नकद जमा सहित सभी प्राप्तियों पर वास्तविक समय की जानकारी के साथ एकीकृत और कागज रहित भुगतान समाधान भी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज़ ने 2,600 से अधिक नए ग्राहक को जोड़ते हुए अपनी पहुंच का तेजी से विस्तार करना जारी रखा है। 9,000 से अधिक ग्राहक बैंक की नकदी प्रबंधन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और वर्ष के दौरान इन्होंने 8 करोड़ से अधिक लेनदेन निष्पादित किए हैं।

संवहनीयता संबंधी पहलें

हरित जमा और जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क

जलवायु परिवर्तन की घटनाओं की बढ़ती संख्या एवं तीव्रता के कारण इसके व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बैंक अपनी ओर से हरित पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता के प्रति जागरूक है और एक संवहनीय भविष्य के लिए सक्रिय रूप से योगदान देता है। बैंक ने प्रकृति प्रदत्त उपहारों की

रक्षा और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को पुनःरेखांकित करने के लिए "बॉब अर्थ" के नाम के अंतर्गत कई हरित पहलें शुरू की हैं।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने और हरित पृथ्वी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने हेतु नए जमा उत्पाद "बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉज़िट" की शुरुआत करना बैंक की एक प्रमुख पहल है। हरित जमा का उद्देश्य जमाकर्ताओं को हरित परियोजनाओं और गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके संवहनीय विकास में योगदान देने वाली पर्यावरण के अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना है। हरित जमा के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग वैश्विक तापमान को कम करने के साथ-साथ पृथ्वी को और अधिक हरा-भरा बनाने वाली पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाएगा।

बैंक ने हरित जमा एकत्रित करने और हरित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह को सक्षम करने के लिए हरित फाइनेंस फ्रेमवर्क को लागू किया है। -9- हरित गतिविधियों के लिए ऋण के चैनलाइजेशन हेतु मानदंड परिभाषित किए गए हैं। -9- पात्र क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट का संवहनीय प्रबंधन आदि शामिल हैं। मार्च 2024 तक, बैंक के पास कॉर्पोरेट ऋण सेगमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के अंतर्गत 15,268 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

बैंक ने रूफटॉप सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग स्कीम जैसी विशेष योजनाएं शुरू की हैं। वाहन खरीददारों को इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक इलेक्ट्रिक वाहन ऋण के लिए 25 आधार अंकों की रियायती ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।

बैंक के अपने परिचालन के अंतर्गत, बैंक की -177- शाखाएँ सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 3500 टन की कमी होती है। बैंक के स्वामित्व वाली 10 इमारतों में 123 किलोवाट की कुल क्षमता के सौर पैनल लगाए गए हैं। सभी घरेलू शाखाओं में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

जल और अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, बैंक ने कुछ प्रशासनिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है। कई प्रशासनिक भवनों में जल रहित मूत्रालय स्थापित किए गए हैं, जिससे वर्ष के दौरान 30 लाख लीटर पानी की बचत होती है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, बैंक ने बैंक के बीकेसी परिसर में एक बायो-गैस प्लांट (500 किलोग्राम गीले कचरे की क्षमता वाले) स्थापित किया है जो खाना पकाने की गैस और जैविक खाद का उत्पादन करता है। बैंक ने पेपरलेस ऑफिस पहल के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है।

सस्टेनेलिटिक्स द्वारा बैंक की ईएसजी रेटिंग बेहतर होकर उच्च जोखिम से मध्यम जोखिम हो गई है और बैंक को 1060 समकक्ष बैंकों में से 329 वें स्थान पर रखा गया है।

विनियामक कार्रवाई

अक्तूबर 2023 में बैंक के मोबाइल ऐप्लिकेशन पर ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं को एक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से दूर किया गया है। परिचालन स्तर पर, अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ग्राहकों की भागीदारी के साथ संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का पुनर्गठन किया गया है। कैडर की परवाह किए बिना शामिल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। संपूर्ण संगठन में अनुपालन संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है और बैंक के समस्त परिचालन में इसे सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मई 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने "बॉब वर्ल्ड" के माध्यम से ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने संबंधी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और बैंक अब इस चैनल के माध्यम से ग्राहकों को ऑनबोर्ड कर सकता है।

भविष्य की राह

बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की आकांक्षाओं को सहयोग प्रदान करने और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और परिचालन एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन दोनों ही दृष्टि से सुदृढ़ स्थिति में है। व्यापक भौगोलिक उपस्थिति और ग्राहकों तक पहुँच, नए उत्पादों की शुरुआत, टर्न-अराउंड टाइम में कमी और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बैंक बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने और इसमें वृद्धि के लिए सभी प्रकार से तैयार है। हमारा प्रयास भविष्य के लिए तैयार, विश्व स्तरीय बैंकिंग संस्थान का निर्माण करना है जो अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन करता हो और जिसे अपने बुनियादी मूल्यों और अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक बेहतरीन संगठन के रूप में जाना जाए।

मैं निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री हसमुख अढ़िया और सभी सदस्यों को उनके बहुमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन और हमारे सभी प्रयासों में प्रबंधन को दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक को भी समय-समय पर उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा, उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ते हुए आपसे निरंतर संरक्षण, समर्थन और सद्भाव की अपेक्षा करता है।

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MD & CEO's Statement

Debadatta Chand
Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

It is indeed a privilege to have the opportunity to lead Bank of Baroda, an institution which has a rich history and stellar record of serving all stakeholders over a period of 116 years. It will be my endeavor, as MD and CEO, to build on this tradition of trust and service.

It gives me pleasure to present the highlights of the Bank's performance during the financial year 2023-24. Details of the achievements and initiatives taken are provided in the Annual Report.

During FY24, Indian economy remained resilient amidst slowing and divergent growth prospects in most economies. The strong macroeconomic fundamentals, improved profitability of corporates, moderating inflation, improving external sector position, and continuing fiscal consolidation have sustained the growth momentum. This helped to overcome headwinds of geopolitical uncertainty, high interest rates and disruptions in supply chains due to crisis in Middle East. The Indian banking system has been well positioned with better asset quality, high capital adequacy and robust profitability. However, the increased liquidity tightness has posed a challenge to the banking industry in terms of deposit mobilization. Amidst these challenges, the Bank has introduced structural initiatives in the form of new products and measures to improve its performance and has set new milestones during the year.

During the year, there has been an overall consistent improvement across the major parameters of business size, earnings, margins, profitability, and asset quality. The Banks Global Business has crossed the INR 24 lakh crore mark and the organic Retail advances have gone past INR 2 Lakh crore mark in FY24. It is noteworthy that the Banks performance has been consistent; with the quarterly net profit being above INR 4000 crore level in each of the quarters during the year while Return on Asset (ROA) has been upwards of 1% for 7 quarters in a row. Further, the RBI has also lifted the restrictions of onboarding customers through the 'bob World' route and the Bank can now onboard customers through this channel. This performance is not just an indication of our financial strength, but a testament to the trust and confidence that our stakeholders have in us.

Financial Performance

Prudent Liability Management

At an industry level, mobilising deposits has been a challenge due to factors such as moderation in system liquidity, alternative attractive investment and saving options and credit growth outpacing deposit growth. The CASA growth, in particular, has been an area of challenge as the growth in term deposits has benefitted from higher term deposit rates spurred by pass through effect of policy rate hikes during May 2022 – February 2023. The Bank has managed to grow the deposits following a multi-pronged strategy of offering a diverse and customer centric savings product suite and introducing attractive tenor deposit products to suit the saving needs of diverse customers. In FY24, the Global Deposits of the Bank have grown by 10.2% with domestic deposit growing by 7.7% and international deposits by 27.0%. Despite the challenges, the CASA deposits have grown by 5.4% to reach a level of INR 4,66,401 crore with domestic CASA remaining above the 40% level mark at 41.33%. Further, the Bank has also raised funds through infrastructure bonds and capital issuances to complement its growing funds base.

Advances growth with a focus on Retail loans

The Bank has pursued a strategy of calibrating its advances growth with deposits while focusing on high yielding retail loans. In FY2024, the Retail portfolio has crossed INR 2 lakh crore mark to reach INR 2,14,942 crore, registering thus a growth of 20.7%. Within retail basket, the auto loans have grown by 23.8%, home loans by 14.1% and education loans by 19.6%. The Agriculture and MSME loans have grown by 11.6% and 10.4% respectively. Corporate loans have increased by 11.6% following a strategy of focusing on relationship management and segmentation approach to offer focused services to the customers.

Much better Asset Quality

During the year, there has been significant improvement in the asset quality of the Bank with GNPA ratio declining from 3.79% to 2.92% - a multiyear low level. The Net NPA ratio too has declined from 0.89% to 0.68%. A mix of write-offs, upgradations and recoveries have contributed to reduction

in NPAs. The provision coverage ratio (including TWO) has reached a level of 93.30% in FY24 as against 92.43% in FY23. The slippage ratio, a measure of new accretion to NPAs, has declined from 1.07% in FY23 to 0.99% in FY24. The collection efficiency (excluding agriculture) has been at 98% as of March 2024. Also, the share of SMA 1 and SMA2 accounts as a per cent of standard advances (CRILC data) has fallen from 0.32% as March 2023 to 0.15% as of March 2024.

Expense management

Despite the higher expenses on account of wage settlement and pension liability, the operating expenses of the Bank have grown by 15.2% during the year with employee cost rising by 18.4% and other operating expenses by 11.4%. The Cost to income ratio, an indicator of operational efficiency, has remained stable at a level of 47.71% in FY24.

Robust earnings

In FY2024, the robust growth in earnings has been aided by higher income growth and lower provisions. The interest income has grown by 25.7% to a level of INR 1,12,606 crore. Interest expenses have grown at a higher rate of 40.7% due to repricing of deposits at higher rate to INR 67,884 crore. As a result of prudent asset liability management, the Banks' net interest income has crossed the INR 44,000 crore mark, with growth at 8.1%. The non-interest income has shown buoyant traction growing at 44.6% to INR 14,495 crore with particularly the commission exchange and brokerage component surging by 19.9% and robust recovery from TWO accounts. Despite the wage revision and pension related expenses, the Bank has managed to contain its costs. As result, the Banks operating profit crossed the INR 30,000 crore mark, thus registering a growth of 15.3%. With improving asset quality, the total provisions have declined. As a result, the net profit has increased by 26.1% to INR 17,789 crore in FY24.

Healthy Capital Ratios

The Banks capital position has strengthened further during the year despite higher capital requirements with increased risk weights on some loan products. The CRAR of the Bank as of March 24 has been at 16.31% with CET-1 ratio at 12.54% due to higher retained earnings. The LCR has been healthy at 120.6%.

Key Initiatives undertaken during the year

Retail Deposit Oriented Growth

Deposit mobilisation has been the most significant challenge amidst tight liquidity situation as well as changing Indian households saving habits. This has meant requiring innovative strategies to support deposits growth. The Bank launched a unique campaign titled 'BOB Ke Sang Tyohaar Ki Umang' that focused not only on the asset side, but also on the liability side. As a part of the strategy, the Bank has pushed aggressively for increasing CASA deposits. The product offering and process of deposit mobilisation has witnessed transformation with innovative & cutting-edge SB & CA Products. The basket includes 3 new SB Accounts; bob LITE, bob BRO, bob NRI Power Pack, 7 New Current Accounts; bob Lite Current Account, bob Women Power Current Account, bob Smart Current Account, bob Gold Current account, bob Platinum Current Account, bob Rhodium Current Account, bob Diamond Current Account. The Bank also revamped existing CA & Salary SB accounts and has given extensive focus for acquiring new accounts. The purpose is to offer products catering to the diverse savings requirements of customers with special features to address the same such as family needs, student requirements and so on. For instance, the Bank introduced the bob Parivar Concept, "My Family, My Bank," which extends a range of benefits to family members. This initiative includes tiered offerings for Premium Customers, segmenting them based on their CASA balances into three categories: Rise, Shine, and Sparkle. The Sparkle customers receive personalized services through assigned personal Relationship Managers to build strong connect and improve the banking services.

Moreover, special emphasis was placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR codes with sound boxes and cash management services. Additionally, efforts have been made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts. On the digital front, the Bank has significantly increased client acquisition through various digital channels such as VCIP and TAB mode. Bank's integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed companies has resulted in the opening of a total of 5,186 current accounts. Further, Bank has established a dedicated Defence Banking Vertical, which is headed by a Chief Defence Banking Advisor, a retired Lieutenant General. This vertical is further supported by Deputy Defence Banking Advisors who are posted at key locations to effectively penetrate the Defence segment.

Fees and Flows

The Bank has emphasised the initiative called 'fees and flows' by introducing several initiatives such as implementation the concept of relationship manager for large and mid-corporate segment. The idea of relationship manager has been to measure the Share of Wallet (SOW), of all these accounts and leverage the main relationship for multiple other engagements. Further, there has been a significant emphasis on the cash management services that has supported capturing flow of funds. The Bank's Cash Management Services business has provided a wide range of omni-channel digital solutions for Corporate and Government customers to manage their cash flows and liquidity. It also offers integrated and paperless payment solutions to the customers on real-time information on all receipts, including electronic payments, cheques, and cash deposits at all branches. In FY 2023-24, Baroda Cash Management Services continued to rapidly expand its footprint, acquiring over 2,600 new relationships. More than 9,000 large customers are utilizing the Bank's Cash Management Services, executing over 8 crore transactions during the year.

Sustainability Initiatives

Green deposits and climate change framework

With climate change assuming significant importance given increased instances and intensity of events, the Bank on

its part is committed to drive positive changes through its green initiatives. The Bank recognizes the urgent need to address environmental challenges and actively contributes to a sustainable future. The Bank has launched several green initiatives under the name of "bob Earth" to reaffirm its commitment and responsibility towards protecting & preserving the gifts of nature for our future generations.

A major initiative of the Bank has been introduction of new deposit product "bob earth Green Term Deposit" to mobilize resources for activities addressing global warming & climate change related issues and promoting a greener earth. The objective of the Green Deposit is to promote environment friendly initiatives by encouraging depositors to invest in green projects and activities that contribute to sustainable development. The funds acquired through the Green Deposits will be used to fund environment friendly projects to reduce the global temperature as well as to make the earth greener.

The Bank has implemented Green Finance Framework for raising of the Green deposits and enabling flow of credit for the Green Activities. The criteria has been defined for channelisation of credit to 9 green activities. The -9- eligible areas include Renewable energy, energy efficiency, clean transportation, sustainable water and waste management among others. As of March 24, the Bank has an outstanding of INR 15,268 crore for financing renewable energy projects under Corporate credit segment.

The Bank has introduced special schemes such as Rooftop Solar System financing scheme. To encourage the auto buyers to prefer an electric vehicle, the Bank is offering concessional ROI @25bps for electric auto loans.

With respect to the Bank's own operations, the Bank has -177- branches being run on Solar energy thus saving an approx. 3500 Tons of Carbon Dioxide emission. The Bank's 10 owned buildings have solar panels installed in their premises of 123 KW total capacity. All the domestic branches have LED lights installed.

Regarding water and waste management, the Bank has set up a rain water harvesting system in some of the administrative buildings. Waterless urinals have been installed in several administrative buildings saving approx. 30 lakh liters of water during the year. For waste management, the Bank has a Bio-Gas plant (capacity of 500 kg wet waste) installed at Bank's BKC premises which produces cooking gas and organic manure. The Bank has digitised approval process through the paperless office initiative.

The Banks ESG rating by Sustainalytics has improved from High Risk to Medium Risk and the Bank is Ranked at 329 out of 1060 peer Banks.

Regulatory action

The RBI's material supervisory concerns in Oct 2023 regarding the onboarding of the customers onto the Bank's mobile application have been addressed through a multi-dimensional strategy. At the operational level, there has been a revamp of the entire onboarding process with added security features as well as participation of customers in the onboarding process. Disciplinary actions have been taken against employees involved irrespective of the cadre. The culture of compliance has been reinforced across the organisation and it has been given paramount importance in all operations of the Bank. In May 2024, the RBI has lifted the restrictions of onboarding customers through the 'bob World' route and the Bank can now onboard customers through this channel.

The Way Forward

The Bank is now on a firm footing in terms of both operational and financial performance and is well positioned to support the growth aspirations of the Indian economy and fulfil the expectations of all stakeholders. With a wider geographical and customer reach, introduction of new products, reduction in turn-around time and focus on digitisation, the Bank is uniquely positioned to grow and gain market share. Our endeavour is to build a future-ready, world-class banking institution that creates value for all its stakeholders and becomes an even better organization known for its core values and commitment to compliance.

I would like to acknowledge and thank the outgoing Chairman of the Board Shri Hasmukh Adhia and all the members of the Board for their valuable support, guidance, and inputs to the management in all our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. At Bank of Baroda, we look forward to your continued patronage, support and goodwill as we march ahead on our quest for excellence.

Debadatta Chand
MD & CEO

निदेशकों की रिपोर्ट

''आपके निदेशकगण बैंक की एक सौ सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024) के लिए लेखा-परीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं.''

वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
वैश्विक जमाराशियां	**1203687.79**	**1326957.84**
जिसमें से - अंतर्राष्ट्रीय जमाराशियां	156312.58	**198444.04**
घरेलू जमा राशियां	**1047375.21**	**1128513.80**
जिसमें से - चालू खाता जमा राशियां	75110.67	76386.30
बचत बैंक जमाराशियां	367399.83	390014.49
घरेलू कासा जमाराशियां	**442510.5**	**466400.80**
घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा (%)	**42.25**	**41.33**
निवल अग्रिम	**940998.27**	**1065781.72**
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	776589.63	880816.61
अंतर्राष्ट्रीय निवल अग्रिम	164408.64	184965.11
वैश्विक सकल अग्रिम	**969548.31**	**1090505.80**
कुल कारोबार (वैश्विक जमाराशि + वैश्विक सकल अग्रिम)	**2173236.1**	**2417463.65**
कुल आस्तियां	**1458561.55**	**1585797.09**
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**41356.01**	**44721.53**
अन्य आय	10025.84	14495.37
जिसमें से - ट्रेडिंग अभिलाभ	1062.50	1491.93
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	**51381.58**	**59216.90**
परिचालनगत व्यय	24518.31	28251.68
परिचालनगत लाभ	**26863.54**	**30965.23**
प्रावधान (कर को छोड़कर)	7136.90	6075.61
जिसमें से - एनपीए व बट्टाकृत अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	4,350.52	6470.86
कर पूर्व लाभ	**19726.64**	**24889.61**
कर हेतु प्रावधान	5617.02	7100.83
निवल लाभ	**14109.62**	**17788.78**
विनियोजन / अंतरण		
सांविधिक प्रारक्षित निधि	3,527.40	4,447.20
पूंजी प्रारक्षित निधि	92.57	104.17
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	7274.12	8,079.23
II) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (I) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि	300.00	615.92
III) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	0.00	563.86
IV) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	30.00	0.00
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	41.28	48.17
प्रस्तावित लाभांश	2,844.25	3,930.24

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹13,26,958 करोड़ हो गई जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹12,03,688 करोड़ थी, इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक का घरेलू कासा वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.40% की वृद्धि के साथ ₹4,66,401 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू जमा राशियाँ भी वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.7% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 के दौरान बढ़कर ₹11,28,514 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक का निवल अग्रिम बढ़कर ₹10,65,782 करोड़ हो गया जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹9,40,998 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि के दौरान 13.3% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2023 के ₹9,69,548 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में ₹10,90,506 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। बैंक का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2023 के ₹21,73,236 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर ₹24,17,464 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.2% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2023 के ₹41,356 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर में ₹44,722 करोड़ हो गई, इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2024 में ₹14,495 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹10,026 करोड़ थी, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 44.6% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2024 में ₹28,252 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹24,518 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2023 के ₹51,382 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹59,217 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 15.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में ₹17,789 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹14,110 करोड़ था, इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.1% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2023 के ₹26,864 करोड़ की तुलना में 15.3% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹30,965 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक (%)	3.31	3.18
लागत-आय अनुपात (%)	47.72	47.71
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	1.03	1.17
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	18.34	18.95
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	148.80	181.48
मूल ईपीएस (₹)	27.28	34.40

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वैश्विक वित्त वर्ष 2023 में 3.31 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 3.18% रहा। आय-लागत अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 47.72% की तुलना में 1 बीपीएस घटकर वित्त वर्ष 2024 में 47.71% हो गया। वित्त वर्ष 2024 के लिए आस्तियों पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2023 के 1.03% से 14 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1.17% हो गया, जो लाभप्रदता में असाधारण कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में इक्विटी पर प्रतिफल 61 बीपीएस बढ़कर 18.95% हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 18.34% था। प्रति शेयर बुक वैल्यू वित्त वर्ष 2023 के ₹148.80 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹181.48 हो गया। प्रति शेयर अर्जन वित्त वर्ष 2023 के ₹27.28 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹34.40 हो गया।

निधियों की औसत लागत और आय तथा औसत ब्याज अर्जक आस्तियां

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
निधियों पर औसत लागत (%)	4.08	5.12
निधियों पर औसत आय (%)	7.17	8.01
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	12,49,846	14,05,271
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹ करोड़ में)	11,81,750	13,26,655

वित्त वर्ष 2024 में निधि की औसत लागत और निधि पर लाभ क्रमशः 5.12% और 8.01% रहा। औसत ब्याज वाली आस्तियां वित्त वर्ष 2023 के ₹12,49,846 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹14,05,271 करोड़ हो गई। औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं भी वित्त वर्ष 2023 के ₹11,81,750 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹13,26,655 करोड़ हो गईं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

(अनुपात % में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	16.24	16.31
सीईटी I	12.24	12.54
टीयर I	13.99	14.07
टीयर II	2.25	2.24

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) दिनांक 31 मार्च, 2023 के 16.24% से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 16.31% हो गया। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सीईटी-1 अनुपात वित्त वर्ष 2023 के 12.24% से बढ़कर 12.54% हो गया। समेकित समूह पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2023 के 16.73% की तुलना में बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2024 को 16.68% हो गया।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹5000 करोड़ के अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी बॉन्ड जारी किए।

निवल मालियत

वित्त वर्ष 2024 में बैंक की निवल मालियत बढ़कर ₹93,850.76 करोड़ हो गई जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ और प्रारक्षित निधि ₹1,11,188.05 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) शामिल है। पिछले वित्त वर्ष 2023

को बैंक की निवल मालियत ₹76,951.07 करोड़ रही जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,035.53 करोड़ और प्रारक्षित निधि ₹97,187.36 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित निधियों और अन्य अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) शामिल है.

शेयर (अंकित मूल्य 2) का बही मूल्य वित्त वर्ष 2023 के ₹148.80 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹181.48 हो गया।

सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने ग्रेच्युटी (₹1240.75 करोड़), पेंशन फंड (₹2425.47 करोड़), छुट्टी नकदीकरण, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभों (₹403.19 करोड़) में अंशदान हेतु प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान इन श्रेणियों के तहत कुल प्रावधान ₹4069.41 करोड़ रहा।

लाभांश संवितरण नीति

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹7.60 के लाभांश का प्रस्ताव किया है। लाभांश के रूप में ₹ 3,930.24 करोड़ का कुल भार आएगा। लाभांश का भुगतान अपेक्षित मंजूरी के अधीन है।

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अक्तूबर, 2023 में इजरायल-हमास युद्ध के एक और बड़े झटके के बावजूद, विश्व अर्थव्यवस्था 2023-24 की अवधि में पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ साबित हुई। मध्य-पूर्व भी ऐसे तनावों से ग्रस्त है। बाहरी कारकों के अलावा, घरेलू परिस्थितियों ने भी प्रत्येक देश में विकास को प्रभावित किया है। उदाहरण स्वरूप अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2022 में 1.9% वृद्धि के बाद वर्ष 2023 में 2.5% की वृद्धि के साथ पहले की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, यूरोजोन और कनाडा ने खराब प्रदर्शन किया। आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में वृद्धि वर्ष 2022 के 2.6% से घटकर वर्ष 2023 में 1.6% हो गई। इस समूह के भीतर, यूरो क्षेत्र में वृद्धि वर्ष 2022 के 3.3% की तुलना में वर्ष 2023 में 0.1% तक गिर गई। यह वर्ष 2022 में 1.8% की वृद्धि के बाद में इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (जर्मनी) वर्ष 2023 (-0.2%) में संकुचन के कारण हुआ।

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वर्ष 2022 में 4.1% की वृद्धि के बाद वर्ष 2023 में 4.5% की बेहतर वृद्धि रही। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में अधिकांश योगदान चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार (2022 में 3% से 2023 में 5.4%) है। कोविड़-19 प्रोटोकॉल को हटाने के बाद मांग में पुनरुत्थान और विस्तारवादी राजकोषीय नीति तथा कुछ संरचनात्मक सुधारों की घोषणा के साथ आर्थिक वृध्दि को गति मिली। हालांकि, प्रोप्र्टी क्षेत्र का संकट और स्थानीय सरकार के वित्तीय संकट का खतरा अभी भी बना हुआ है।

महंगाई के मोर्चे पर, वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में घटकर 6.8% हो गई, जो वर्ष 2022 में 8.7% थी। तेल और गैर-ईंधन दोनों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। वर्ष 2022 में 39.2% की वृद्धि के बाद वर्ष 2023 में तेल की कीमतों में (-)16.4% की गिरावट आई। गैर-ईंधन की कीमतों में (-)5.7% की गिरावट आई, जबकि वर्ष 2022 में 7.9% की वृद्धि हुई थी। यूक्रेन-रूस क्षेत्र में चल रहे तनाव और अक्तूबर, 2023 में इजरायल-हमास युद्ध की शुरुआत के बावजूद, देशों में बढ़ी हुई ब्याज दरों और कमजोर मांग की स्थिति के कारण कीमतें कम स्तर पर बनी रहीं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति ने ईएमडीई (8.3% के सापेक्ष 9.8%) की तुलना में वर्ष 2023 (2022 में 7.3% की तुलना में 4.6%) में महत्वपूर्ण नरमी दिखाई।

मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने हेतु विश्व भर के वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2024 में दर में कटौती की संभावना के साथ 2023 में ब्याज दरों को ऊंचा रखा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बीच, यूएस फेड नीतिगत दर वर्तमान में 23 वर्षों के उच्च स्तर 5.25-5.5% पर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने अपनी नीतिगत दर को 15 वर्षों के उच्च स्तर 5.25% पर बनाए रखा है और ईसीबी ने इसे 22 वर्षों के उच्च स्तर 4.5% पर रखा है। उभरते बाजारों (ईएम) के बीच भारत एवं इंडोनेशिया में केंद्रीय बैंकों ने भी नीतिगत दरों में आक्रामक तरीके से वृद्धि की है।

वैश्विक वृद्धि और मांग में कमी के बीच वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में गिरावट आई। वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार की मात्रा वर्ष 2022 के 5.1% से घटकर वर्ष 2023 में 0.3% हो गई। यह वर्ष 2022 में 4.1% की तुलना में वर्ष 2023 में ईएमडीई के वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात की मात्रा में (-)0.1% की तेज गिरावट के कारण हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वस्तु एवं सेवाओं के आयात की मात्रा में भी वर्ष 2023 में (-) 1% की गिरावट आई, जो वर्ष 2022 में 6.7% थी।

वर्ष 2024 की शुरुआत में वैश्विक विकास का रूख अधिक स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो गया है। वित्तीय स्थितियां अभी भी दबावग्रस्त स्थिति में हैं क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंक अभी भी अपनी ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहे हैं। हालांकि, जैसे-जैसे विकास की गति धीमी होगी और मुद्रास्फीति घटेगी, आने वाले महीनों में उदारीकृत मौद्रिक नीति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही, चीन में लचीली राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति और प्रोपर्टी क्षेत्र में चल रहे संकट से निपटने के लिए घोषित सुधार उपायों से वैश्विक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

इस आधार पर, आईएमएफ ने जोखिम के विविध पक्षों को संज्ञान में रखते हुए वर्ष 2024 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्वारा आश्चर्यजनक दृढ़ता प्रदर्शित करने के कारण विश्व मंदी की संभावनाओं से उबर गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की आर्थिक वृद्धि में 1.7% तक सुधार होने की उम्मीद है। यह अमेरिका में आर्थिक वृद्धि (वर्ष 2023 में 2.5% की तुलना में 2.7%) और यूरो क्षेत्र में 0.8% (वर्ष 2023 में 0.4%) की आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप संभव होगा। उल्लेखनीय है कि जर्मनी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, के वर्ष 2024 में मंदी से बाहर आने की उम्मीद है क्योंकि इसमें 0.2% (वर्ष 2023 में -0.3%) की वृद्धि का अनुमान है, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था में भी इस वर्ष 0.5% की वृद्धि (वर्ष 2023 में 0.1%) के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। यूएस फेड ने भी वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अपने अनुमानों को संशोधित कर 2.1% कर दिया है, जो कि दिसंबर 2023 की नीति में 1.4% अपेक्षित था।

दूसरी ओर, ईएमडीई में वृद्धि 4.2% रहने की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में 4.3% से थोड़ा कम है। इसका मुख्य कारण चीन, लैटिन अमेरिका और रूस में अपेक्षित मंदी है। दूसरी ओर, भारत, मध्य-पूर्व और मध्य-एशियाई देशों के इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से थोड़ा कम है।

वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति में और नरमी आने की संभावना है, जो मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में हुई प्रगति (वर्ष 2023 में 4.6% की तुलना में 2.6%) के परिणामस्वरूप है। जबकि ईएमडीई के लिए मुद्रास्फीति 8.3% पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। वर्ष 2024 में तेल की कीमतों में 2.5% (वर्ष 2023 में -16.4%) की और गिरावट का अनुमान है, लेकिन गैर-ईंधन वस्तुओं पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि वर्ष 2024 में 0.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें वर्ष 2023 में (-)5.7% की गिरावट रही। यह वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में कटौती में देरी कर सकता है, जो वैश्विक विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का आधार सुदृढ़ है क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ बुनियादी आधारों के साथ अपनी मजबूती बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2023 में 7% की वृद्धि की तुलना में इसने वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद अर्थव्यवस्था ने 7% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। उद्योग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में 2.1% के तुलना में 9.5% की वृद्धि दर्ज की है, जो विनिर्माण (-2.2% से बढ़कर 9.9%) और खनन गतिविधि (1.9% से बढ़कर 7.1%) दोनों में उच्च वृद्धि द्वारा समर्थित है। आवास क्षेत्र के बेहतर कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप निर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष के 9.4% के मुकाबले 9.9% की लगभग दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की।

सेवा क्षेत्र ने कुछ नरमी दर्ज की, लेकिन वर्ष के लिए मजबूत पीएमआई गणना (वित्त वर्ष 2023 में 57.3 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 60.3) में परिलक्षित 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान घरेलू यात्रियों की वृद्धि, रेल माल ढुलाई और जीएसटी संग्रह सहित अन्य संकेतकों में मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

महंगाई के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति औसत 5.4% रही, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 6.9% थी। यह भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा से कम है। पहली तिमाही में 4.6% तक कम होने के बाद, खरीफ फसलों की कम बुआई को देखते हुए अनाज, मसालों और दालों की कीमतों में निरंतर दबाव के साथ-साथ सब्जियों की मुद्रास्फीति से प्रेरित दूसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.4% तक बढ़ गई। हालांकि, तीसरी तिमाही में खाद्य कीमतों में तेज गिरावट (5.4%) आई, जो कि ईंधन मुद्रास्फीति के अवस्फीति में खिसक जाने के कारण हुआ। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में नरमी और सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप ने किसी भी मूल्य दबाव को प्रतिबंधित कर दिया। कोर मुद्रास्फीति में कमी तीसरी तिमाही एवं चौथी तिमाही में क्रमशः 4.1% और 3.4% के साथ स्पष्ट है। वित्त वर्ष 2025 के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार हेडलाइन सीपीआई, जोखिम के सभी पक्षों को संज्ञान में रखते हुए एवं सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के साथ कम होकर 4.5% हो जाएगी।

अप्रैल-मार्च 2024 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा ₹16.5 लाख करोड़ रहा जो वर्ष के लिए संशोधित वार्षिक लक्ष्य का लगभग 95.3% है। वित्त वर्ष 2024 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% रहा और यह संपूर्ण वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य 5.8% अर्थात् ₹17.35 लाख करोड़ से कम रहा। वित्त वर्ष 2024 में केंद्र के निवल कर राजस्व में 14.5% की वृद्धि हुई, जबकि गैर-कर राजस्व में 40.8% तक की वृद्धि हुई। यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% से बहुत कम स्तर पर रहेगा।

वित्त वर्ष 2024 में भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति मजबूत रही और व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह आयात वृद्धि में संकुचन जो कि निर्यात की तुलना में तीव्र गति से हुआ, से समर्थित रहा। वित्त वर्ष 2023 में 16.8% की वृद्धि के बाद आयात वृद्धि में 5.4% की गिरावट आई और इसमें मुख्य योगदान तेल का कम आयात है जिसमें 14.1% की गिरावट आई। दूसरी ओर, पिछले वर्ष 6.9% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में निर्यात वृद्धि में 3.1% की कमी आई है। मुद्रा के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2023 में 7.8% के मूल्यह्रास की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारतीय रुपया 1.5% कमजोर हो गया। इस अवधि के दौरान डॉलर सूचकांक 1.9% से मजबूत हुआ।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए पहली मौद्रिक नीति में नीतिगत दर और रुख को अपरिवर्तित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति अनुमानों को क्रमशः 7% और 4.5% पर बनाए रखा है। हम आशा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस अवधि के दौरान 7.5-7.8% की वृद्धि दर से विकास करेगी।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विकास

वित्त वर्ष 2024 में, भारत की 10 वर्षीय प्रतिफल 17 बीपीएस घटकर 7.16% हो गया और वर्ष के दौरान संपूर्ण प्रतिफल वक्र में काफी स्थिर स्थिति देखी गई। भारी मांग की स्थिति, विशेष रूप से ऋण खंड में एफपीआई के उच्च प्रवाह के कारण वक्र के लंबे हिस्से के दौरान महत्वपूर्ण सुधार के साथ संपूर्ण प्रतिफल वक्र का झुकाव नीचे की तरफ हो गया। चलनिधि के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वीआरआर और वीआरआरआर के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन कार्य किया। एससीबी के लिए ऋण वृद्धि दहाई अंकों में जारी रही, जो पिछले वर्ष के 15% से बढ़कर मार्च 2024 (विलय को छोड़कर) को 16.3% हो गई। यह वृद्धि जमाराशियों (पिछले वर्ष में 9.6% के सापेक्ष 12.9%) की तुलना में अधिक तेज रही। वर्ष के दौरान नई जमाराशियों पर एससीबी की भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों में 14 बीपीएस (मार्च 2023 को 6.48% से बढ़कर मार्च 2024 तक 6.62%) की वृद्धि हुई। नए रुपये ऋणों पर एससीबी की भारित औसत ऋण दर भी मार्च 2023 की 9.32% की तुलना में मार्च 2024 को बढ़कर 9.37% हो गई।

विकास की उच्च दर के कारण वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही (H2FY24) में चलनिधि में संकुचन हुआ और यह अधिशेष से घाटे की स्थिति में आ गया।

आर्थिक प्रणाली में औसतन चलनिधि घाटा वित्त वर्ष 2023 में ₹1.6 लाख करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में औसतन ₹11,012 करोड़ रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2023 में वृद्धिशील सीआरआर को 10% बढ़ा दिया, इसे मई 2019 के दौरान वृद्धिशील जमाओं को देखते हुए लागू किया गया जब ₹2000 के नोट की अमान्यता/ विनिमय की घोषणा की गई थी। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को कम करना था।

नवंबर 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से वैयक्तिक ऋण और एनबीएफसी हेतु बैंक ऋणों के लिए पूंजी मानदंड में बढ़ौत्तरी की। असुरक्षित ऋण के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड ऋण में वृद्धि पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जोखिम भार मानदंडों में 25 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई।

दिसंबर 2023 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दर्शाया है कि बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि, पर्याप्त पूंजी, चलनिधि बफर, सुदृढ़ आय और कम एनपीए से वित्तीय क्षेत्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है। कॉर्पोरेट और बैंकिंग दोनों क्षेत्रों का तुलन-पत्र भी मजबूत हुआ है तथा इससे एक नए निवेश और क्रेडिट चक्र को गति मिल रही है। इसके अलावा, स्ट्रेस टेस्ट के परिणाम इंगित करते हैं कि गंभीर स्ट्रेस परिदृश्य के तहत, एससीबी के पूंजी भंडार के पर्याप्त रहने की संभावना है और जीएनपीए अनुपात भी मामूली रूप से बढ़ने की संभावना है। एफएसआर लेखा में मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट किया गया जिसमें सितंबर 2024 में सिस्टम-लेवल सीआरएआर 14.8 प्रतिशत (बेसलाइन) होने की संभावना व्यक्त की और यह 12.2 (गंभीर स्ट्रेस) तक कम हो सकता है। बेसलाइन परिदृश्य के तहत एससीबी का जीएनपीए अनुपात 3.1% होने की संभावना है और गंभीर स्ट्रेस परिदृश्य के तहत 4.4% तक बढ़ने की संभावना है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट के परिणामों से पता चला है कि भारतीय बैंक अतिरिक्त पूंजी प्रवाह की आवश्यकता के बिना किसी भी व्यापक आर्थिक झटके को संभालने के लिए अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं।

ईज

पीएसबी सुधार एजेंडा को जनवरी 2018 में एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (ईएएसई) के रूप में शुरू किया गया था। ईज सुधारों, ईज 1.0, ईज 2.0 और ईज 3.0 के प्रारंभिक सेट ने बैंकिंग के कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण जैसे डिजिटल-फर्स्ट सुधारों जैसे कि "डायल-ए-लोन", "क्रेडिट@क्लिक", प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स, आस्ति गुणवत्ता सुधार, परिणाम केंद्रित एचआर और समग्र गवर्नेंस का समर्थन किया। इन सुधारों का बैंकिंग परिदृश्य में प्रदर्शन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान था।

ईज का चौथा संस्करण ईज 4.0 मुख्य रूप से एनालिटिक्स द्वारा समर्थित स्मार्ट लेंडिंग, लचीली प्रौद्योगिकी और क्लाउड-आधारित आईटी प्रणालियों के साथ 24x7 बैंकिंग, डेटा-सक्षम कृषि वित्तपोषण और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग करने पर केंद्रित था।

ईज 5.0 एजेंडा मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों और कृषि के सहयोग पर बल के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव, डेटा-आधारित एकीकृत और समावेशी बैंकिंग को बेहतर करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, ईज़ 5.0 सह-उधार साझेदारी, मोबाइल बैंकिंग संवर्द्धन, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान, क्लाउड प्रक्रिया को अपनाने, सर्च इंजन अनुकूलन के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग में बेहतरी और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने जैसे एजेंडे पर कार्रवाई को गति दे रहा है।

ईज 5.0 सूचकांक में बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2023 में तीसरा स्थान अर्जित किया है।

ईज कार्यक्रम के प्रत्येक चरण के तहत कार्रवाई बिंदुओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दृष्टिकोण में गहन परिवर्तन और नई क्षमताओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

ईज सुधार एजेंडा ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और परिचालन में सहजता प्राप्त करने संबंधी बैंक के प्रयासों में बहुत योगदान दिया है, जिससे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करने में मदद मिली है।

ईज 6.0

ईज 6.0 मुख्य रूप से डिजिटल सक्रियता, डिजिटल एवं एनालिटिक्स संचालित व्यावसायिक सुधार, प्रौद्योगिकी एवं डेटा-सक्षम क्षमता निर्माण और लोगों को विकसित करने तथा मानव संसाधन परिचालन को समृद्ध करने के साथ ही ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता लाने पर केंद्रित है। ईज 6.0 को मुख्यत: -4- थीम में विभाजित किया गया है जिसमें कुल 22 कार्रवाई बिंदु शामिल हैं।

ईज 6.0 के अंतर्गत बैंक ने निम्नलिखित उपायों को अपनाया है:-

- रिटेल गोल्ड लोन हेतु डिजिटल लेंडिंग जर्नी और जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से केसीसी जर्नी की शुरूआत।
- क्यूएमएस में नए फंक्शन की शुरुआत की गई और क्यूएमएस के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफार्मों में एमएसएमई और एनआरआई ग्राहकों के लिए नई सेवाएं शुरू की गईं।
- ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायतों के समाधान में शीघ्रता लाने के लिए बैंक के सीआरएम मॉड्यूल को समृद्ध किया गया।
- कॉल सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वृद्धि की गई जैसे आईवीआर के माध्यम से ग्राहकों की सामान्य पूछताछ के लिए जवाब देना।
- ग्राहक सुविधा और टर्न अराउंड टाईम (TAT) में सुधार के लिए डिजिटल मोड के माध्यम से मृतक दावों का निपटान करने हेतु मृतक दावा पोर्टल विकसित किया।
- बचत और चालू खातों के दोनों सेगमेंट में अतिरिक्त सुविधाओं के साथ विभिन्न प्रकार के उत्पादों की शुरुआत की गई।
- उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास के संबंध में बैंक द्वारा विभिन्न पहलें की गई।
- कर्मचारियों के लिए एचआर कनेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की गई।

पिछले छह वर्षों में ईज सुधार एजेंडा ने परिचालन के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्षता और परिचालन में सहजता प्राप्त करने संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

के प्रयासों को बल प्रदान किया है, जिससे बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में मदद मिली है।

ईज नेक्स्ट (पिलर- II)

बैंक-सापेक्ष 3-वर्षीय रोडमैप कार्यक्रम: बैंक-सापेक्ष तीन-वर्षीय कार्यनीति रोडमैप का निर्माण, जो बैंक की स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की परिकल्पना के अनुकूल हो ताकि सामान्य सुधार एजेंडा से ऊपर की स्थिति प्राप्त की जा सके।

नीतिपरक 3-वर्षीय रोडमैप: ईज नेक्स्ट के दूसरे पिलर के भाग के रूप में, 3-वर्षीय नीतिपरक रोडमैप की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम बैंकों को रूपांतरण संबंधी पहलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है जो सामान्य सुधार एजेंडे से परे है।

इस प्रयोजन के लिए, 46 व्यापक वित्तीय और गैर-वित्तीय मैट्रिक्स की पहचान की गई है। हर बैंक प्रत्येक मैट्रिक के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पहचान करेगा और इन मैट्रिक्स में सुधार लाने के लिए पहल करेगा।

परिचालनगत कार्यनिष्पादन एवं प्रमुख अनुपात:

बैंक के परिचालनगत कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
अर्जित ब्याज	89,588.54	1,12,605.94
ब्याज व्यय	48,232.53	67,884.41
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**41,356.01**	**44,721.53**
अन्य आय	10,025.84	14,495.37
ट्रेडिंग लाभ	1,062.50	1,491.93
परिचालनगत आय (एनआईआई + अन्य आय)	51,381.58	59,216.90
परिचालनगत व्यय	**24,518.31**	**28,251.68**
कर्मचारी व्यय	13,357.33	15,816.00
अन्य परिचालनगत व्यय	11,160.98	12,435.68
परिचालनगत लाभ	**26,863.54**	**30,965.22**
प्रावधान (कर को छोड़कर)	7,136.90	6,075.61
जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान	4,350.52	6,470.86
मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान	527.50	-688.51
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	1,704.03	-31.26
अन्य प्रावधान	554.85	324.52
कर पूर्व लाभ	**19,726.64**	**24,889.61**
कर हेतु प्रावधान	**5,617.02**	**7,100.83**
निवल लाभ	**14,109.62**	**17,788.78**

बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्त वर्ष 2023 के ₹41,356 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹44,722 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024 में ब्याज आय 25.7 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1,12,606 करोड़ हो गई। ब्याज व्यय वित्त वर्ष 2024 में ₹67,884 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹48,233 करोड़ था।

बैंक की अन्य आय वित्त वर्ष 2024 में ₹14,495 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹10,026 करोड़ थी, इस प्रकार इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 44.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन खर्च वित्त वर्ष 2024 में ₹28,252 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹24,518 करोड़ था। बैंक की परिचालन आय वित्त वर्ष 2023 के ₹51,382 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹59,217 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 15.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कुल प्रावधान (कर को छोड़कर) और आकस्मिक व्यय वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹7,137 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹6,076 करोड़ रह गए। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए वित्त वर्ष 2024 में ₹6,471 करोड़ का प्रावधान किया गया जो कि वित्त वर्ष 2023 में ₹4351 करोड़ था।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के ₹14,110 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2024 में ₹17,789 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2023 के ₹26,864 करोड़ की तुलना में 15.3 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹30,965 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

महत्त्वपूर्ण अनुपात

महत्त्वपूर्ण अनुपात	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
जमाराशियों की लागत -वैश्विक- (%)	3.89	4.92
जमाराशियों की लागत - घरेलू - (%)	4.09	4.97
जमाराशियों की लागत - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	2.37	4.57
अग्रिम पर प्रतिफल -वैश्विक- (%)	7.54	8.53
अग्रिम पर प्रतिफल - घरेलू - (%)	8.25	9.01
अग्रिम पर प्रतिफल - अंतर्राष्ट्रीय - (%)	4.21	6.34
निवल ब्याज मार्जिन - वैश्विक - (%)	3.31	3.18
निवल ब्याज मार्जिन -घरेलू - (%)	3.42	3.32
निवल ब्याज मार्जिन -अंतर्राष्ट्रीय - (%)	1.94	1.97
लागत-आय अनुपात (%)	47.72	47.71

महत्वपूर्ण अनुपात	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओएए) (%)	1.03	1.17
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	18.34	18.95

जमा (वैश्विक) की लागत 4.92 प्रतिशत रही और अग्रिम (वैश्विक) पर प्रतिलाभ वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 8.53 प्रतिशत हो गया। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्त वर्ष 2024 वैश्विक 3.18 प्रतिशत और घरेलू एनआईएम 3.32 प्रतिशत रहा। आय-लागत अनुपात वित्त वर्ष 2024 में 47.71 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 1 बीपीएस कम है। वित्त वर्ष 2024 के लिए आस्तियों पर आय वित्त वर्ष 2023 में 1.03 प्रतिशत से 14 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 1.17 प्रतिशत हो गया, जो लाभप्रदता की दृष्टि से असाधारण कार्यनिष्पादन को दर्शाता है। इक्विटी पर रिटर्न वित्त वर्ष 2023 में 18.34% से 61 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18.95% हो गया।

संसाधन संग्रहण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
I	**कुल जमा राशियां**	**12,03,688**	**13,26,958**
II	अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियां	1,56,313	1,98,444
III	**कुल कासा**	**4,75,097**	**5,14,366**
IV	कुल चालू खाता जमा राशियां	1,04,001	1,20,411
V	कुल बचत बैंक जमा राशियां	3,71,096	3,93,956
VI	**वैश्विक कासा %**	**39.47**	**38.76**
VII	**घरेलू जमा राशियां**	**10,47,375**	**11,28,515**
VIII	**घरेलू कासा जमा राशियां**	**4,42,511**	**4,66,401**
IX	घरेलू चालू खाता जमा राशियां	75,111	76,386
X	घरेलू बचत खाता जमा राशियां	3,67,400	3,90,014
XI	**घरेलू जमाराशियां में घरेलू कासा (%)**	**42.25**	**41.33**

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक की कुल जमा राशि बढ़कर ₹13,26,958 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹12,03,688 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 10.20% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय जमा भी 31.03.2024 को वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.95% की दर से एक बड़ी वृद्धि के साथ ₹1,98,444 करोड़ हो गई, जो 31.03.2023 को ₹1,56,313 करोड़ थी।

31 मार्च 2023 को ₹4,75,097 करोड़ के स्तर की तुलना में बैंक का वैश्विक कासा 31 मार्च 2024 को बढ़कर ₹5,14,366 करोड़ हो गया और इस तरह इस अवधि के दौरान 8.27% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की वैश्विक चालू जमा राशि 31 मार्च 2024 को बढ़कर ₹1,20,411 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2023 को ₹1,04,001 करोड़ थी, इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर इसमें 17% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक की वैश्विक बचत जमा 31 मार्च, 2024 को बढ़कर ₹3,93,956 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2023 को ₹3,71,096 करोड़ थी और इस प्रकार इस अवधि के दौरान 6.16% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान वैश्विक जमा की तुलना में वैश्विक कासा 38.76% रहा।

घरेलू जमा और घरेलू कासा

बैंक की घरेलू जमाराशि 31.03.2023 के ₹10,47,375 करोड़ से बढ़कर 31.03.2024 को ₹11,28,514 करोड़ हो गई, इस अवधि के दौरान 7.75% की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च, 2024 को बैंक की घरेलू कासा जमा में 5.40% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹4,66,401 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ने घरेलू जमाराशियों के सापेक्ष 41.33% के घरेलू कासा अनुपात रहा। 31.03.2024 को चालू खाता जमा में 1.70% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹76,386 करोड़ हो गया, जबकि बचत बैंक जमा 6.15% की वृद्धि के साथ ₹3,90,014 करोड़ रहा।

कम लागत वाली जमा जुटाने की पहल

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ने 91.85 लाख नए कासा खाते खोले। इसके अंतर्गत वीसीआईपी और टैब मोड का उपयोग करके पेपरलेस मोड में खाता खोलने पर जोर दिया गया। बैंक ने नवोन्मेषी और अत्याधुनिक बचत और चालू खाता उत्पाद शुभारंभ किए, जैसे 3 नए बचत खाते बॉब लाइट, बॉब ब्रो, बॉब एनआरआई पावर पैक, 7 नए चालू खाते बॉब लाइट चालू खाता, बॉब वुमेन पावर चालू खाता, बॉब स्मार्ट चालू खाता, बॉब गोल्ड चालू खाता, बॉब प्लैटिनम चालू खाता, बॉब रोडियम चालू खाता, बॉब डायमंड चालू खाता। बैंक ने मौजूदा चालू खाता और वेतन बचत बैंक खातों को भी नया स्वरूप दिया और नए खाते प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया।

पीओएस सिस्टम, साउंड बॉक्स के साथ क्यूआर कोड, आईपी और बीसीएमएस जैसे प्रमुख कासा साधकों तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, डीईएएफ सक्रियण शुरू करने और शून्य शेष खातों की फंडिंग के प्रयास किए गए।

डिजिटल क्षेत्र में बैंक ने विभिन्न डिजिटल चैनलों जैसे वीसीआईपी और टैब मोड के माध्यम से ग्राहक अधिग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की । वित्त वर्ष-2024 के दौरान, बैंक ने 1,02,299 वीसीआईपी बचत बैंक खाते और 33,799 बी3-डिजिटल खाते खोले है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 2,44,582 चालू खाते खोले है; जिनमें से 82.11% (2,00,844) खाते टैब के माध्यम से खोले गए। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024 में 55,93,991 गैर-एफआई बचत बैंक खाते खोले गए; जिनमें से 66.92% (37,43,914) खाते टैब के माध्यम से खोले गए।

बैंक ने बॉब परिवार अवधारणा, "मेरा परिवार, मेरा बैंक" पेश किया, जो परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस पहल में प्रीमियम ग्राहकों के लिए स्तरीय पेशकशें शामिल हैं, जो उन्हें उनके कासा शेषराशि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करती हैं: राइज़, शाइन और स्पार्कल। सुदृढ़ संपर्क बनाने और बैंकिंग सेवाओं में सुधार करने के लिए स्पार्कल ग्राहकों को निर्दिष्ट पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से वैयक्तिकृत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नवगठित कंपनियों के चालू खाते खोलने के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के साथ बैंक के एकीकरण के परिणामस्वरूप कुल 5,186 चालू खाते खोले गए हैं।

बैंक ने एक समर्पित रक्षा बैंकिंग वर्टिकल की स्थापना की है, जिसके प्रमुख एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संवर्ग के मुख्य रक्षा बैंकिंग सलाहकार हैं। इस वर्टिकल को उप रक्षा बैंकिंग सलाहकारों द्वारा भी समर्थन किया जाता है जिन्हें रक्षा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने के लिए प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाता है।

पीएसबी एलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में अग्रणी है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान 35,494 डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया।

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

बैंक का नकदी प्रबंधन सेवाएं व्यवसाय बड़ौदा डिजीनेक्स्ट, कॉर्पोरेट और सरकारी ग्राहकों को उनके नकदी प्रवाह और लिक्विडिटी का प्रबंधन करने हेतु ओमनी-चैनल डिजिटल सोल्यूशनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराता है, पिछले तीन वर्षों में तेजी से विकास देखा गया है। इस सॉल्यूशन का उपयोग प्रमुख सरकारी विभागों के साथ-साथ कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अपने संग्रह के प्रबंधन के लिए किया जाता है। बड़ौदा डिजीनेक्स्ट सरकारी और कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों को एकीकृत और कागज रहित भुगतान सॉल्यूशन भी प्रदान करता है। सॉल्यूशन सभी प्राप्तियों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, चेक और सभी नकद जमा शामिल है, के संबंध में वास्तविक समय के आधार पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं ने 2,600 से अधिक नए जुड़ाव हासिल करते हुए तेजी से अपना विस्तार करना जारी रखा। बैंक के 9,000 से अधिक बड़े ग्राहक इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं और वर्ष के दौरान इन्होंने इस पर 8 करोड़ से अधिक लेनदेन किए हैं।

ऋण विस्तार

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹9,69,548 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹10,90,506 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च, 2024 को सकल घरेलू अग्रिम राशि बढ़कर ₹8,98,116 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च, 2023 को ₹7,95,560 करोड़ था, इस प्रकार इस अवधि में 12.9% की वृद्धि हुई। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम वित्त वर्ष 2024 के दौरान बढ़कर ₹1,92,390 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹1,73,988 करोड़ था, इस प्रकार इसमें वर्ष दर वर्ष आधार पर 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक का ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024	वर्ष दर वर्ष (%)
रिटेल *	**1,78,037**	**2,14,942**	**20.7**
कृषि	**1,24,247**	**1,38,640**	**11.6**
एमएसएमई *	**1,08,196**	**1,19,415**	**10.4**
कॉर्पोरेट	**3,40,408**	**3,79,747**	**11.6**
अन्य	44,672	45,372	1.6
सकल घरेलू अग्रिम	**7,95,560**	**8,98,116**	**12.9**
अंतर्राष्ट्रीय सकल अग्रिम	1,73,988	1,92,390	10.6
वैश्विक सकल अग्रिम	**9,69,548**	**10,90,506**	**12.5**

*इतर-पूल खरीद (ऑर्गेनिक)

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो में वृद्धि, रिटेल ऋण (ऑर्गेनिक) द्वारा समर्थित रही जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.7% बढ़कर ₹2,14,942 करोड़ रहा, कृषि अग्रिम बढ़कर ₹1,38,640 करोड़ रहा और इसमें 11.6% की वृद्धि हुई, एमएसएमई खंड (ऑर्गेनिक) बढ़कर ₹1,19,415 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.4% की वृद्धि हुई। 31.03.2024 तक पूल खरीद सहित रिटेल अग्रिम ₹2,23,911 करोड़ और पूल खरीद सहित एमएसएमई ₹1,25,899 करोड़ रहा।

बैंक का कॉर्पोरेट ऋण वित्त वर्ष 2023 के ₹3,40,408 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹3,79,747 करोड़ हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 11.6% की वृद्धि हुई।

बैंक ने रिटेल, कॉर्पोरेट, प्राथमिकता, एमएसएमई, कृषि सेगमेंट आदि में डिजिटल बैंकिंग की मदद से अपने अग्रिम पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए कई पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है। बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से भारत में प्रमुख संस्थानों के कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए डिजिटल शिक्षा ऋण का शुभारंभ किया है। बैंक ने एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी संचालित करने के लिए डिजिटल पर्सनल लोन के लिए पूर्ण शाखा अधिकारी सपोर्ट संबंधित जर्नी शुरू की है, जो शाखाओं को ग्राहक सेल्फ सर्विस जर्नी के विभिन्न चरणों में सहायता करने की सुविधा भी प्रदान करती है। एमएसएमई क्षेत्र में, बैंक ने ₹10 लाख तक के एंड-टू-एंड डिजिटल मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए जनसमर्थ पोर्टल को आंतरिक ऋण प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया है। कृषि पोर्टफोलियो में बैंक ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए स्वर्ण ऋण के लिए डिजिटल जर्नी शुरू की है। बैंक ने बीकेसीसी ऋणों के नवीनीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है। बैंक ने नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्र और शाखा स्तर पर कई अभियान और विपणन गतिविधियां भी संचालित की हैं। ब्रांच बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग पर लगातार फोकस ने बैंक को वित्त वर्ष 2024 के दौरान सभी क्षेत्रों में अपने अग्रिम पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद की है।

कॉर्पोरेट ऋण

बैंक में कॉर्पोरेट ऋण 33 विशेष कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाओं (सीएफएस) और मिड कॉर्पोरेट शाखाओं (एमसीबी) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं जो बैंक के कुल मानक कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो के लगभग 90% का प्रबंधन करते हैं। बैंक का कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2024 को बढ़कर ₹3,79,747 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹3,40,408 करोड़ था और वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 11.6% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

क्रेडिट रेटिंग निर्धारण*	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
ए और उससे अधिक	86%	90%
बीबीबी	7%	5%
बीबीबी से कम	3%	3%
अनरेटेड	4%	2%

*50 करोड़ रुपये से अधिक के घरेलू अग्रिम का बाह्य रेटिंग निर्धारण

वित्त वर्ष 2024 में ए और उससे अधिक का कुल पोर्टफोलियो 90 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 86 प्रतिशत था।

कॉर्पोरेट बैंकिंग-नवीनीकृत ढांचा

वर्ष के दौरान बैंक मिड कॉर्पोरेट अग्रिम पर अधिक बल देने की कार्यनीति के तहत महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात् नई दिल्ली (उत्तर), चेन्नै (दक्षिण), मुंबई (पश्चिम) और कोलकाता (पूर्व) में स्थित -4- मिड कॉर्पोरेट कलस्टर खोले है और उनसे मिड कॉर्पोरेट शाखाओं को जोड़ा गया है।

लक्षित बाजार दृष्टिकोण

बैंक लक्ष्य आधारित बाजार दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- उद्योग की संभावनाओं अर्थात् बाजार के आकार, वृद्धि, मांग-आपूर्ति दृष्टिकोण, लागत संरचना, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय प्रदर्शन, सरकारी नीतियों और निवेश परिव्यय सहित विभिन्न उद्योग मानदंडों पर संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर विकास के लिए उद्योगों/ क्षेत्रों का निर्धारण
- एक्सपोजर सीमा, मौजूदा एक्सपोजर और नए अधिग्रहण हेतु भविष्य की आवश्यकता के आधार पर लक्षित बाजार ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्र-वार कारोबार योजना।
- बैठकों के लिए संरचित कॉलिंग योजनाओं के साथ विस्तृत खाता योजना, व्यावसायिक अवसरों की पहचान, अनुमोदन और निपटान।
- लक्षित बाजार दृष्टिकोण के तहत पूरे बैंक में समर्पित रिलेशनशिप मैनेजरों के माध्यम से कारोबार योजना का निष्पादन।
- बैंक सप्लाइ चेन फाइनेंस, वैल्यू चेन फाइनेंस, सीएमएस सुविधा और अन्य रिटेल उत्पादों जैसी सहायक सेवाओं की पेशकश करके ब्याज आय के बजाय ग्राहक से प्राप्त समग्र प्रतिफल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

एमएसएमई ऋण

बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2023 में ₹1,14,918 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹1,25,899 करोड़ (पूल खरीद के सहित) हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.56% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. विशिष्ट टीम के साथ 330 विशेष एमएसएमई शाखाओं का गठन।
2. अत्याधुनिक **"तेजस"** प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई ऋण जर्नी का डिजिटलीकरण।
3. उभरते उत्पाद सेगमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से लक्ष्य की अधिक प्राप्ति हुई।
   - सीवी/सीएमई सेगमेंट ने वर्ष-दर-वर्ष 67% की वृद्धि के साथ लक्ष्य का 116% हासिल किया।
   - TreDs ने वर्ष-दर-वर्ष 173% की वृद्धि के साथ लक्ष्य का 194% हासिल किया है।
   - सप्लाई चेन वित्त ने वर्ष-दर-वर्ष 53% की वृद्धि के साथ लक्ष्य का 149% हासिल किया है।
4. सीएमआर 1 से 3 खातों का वृद्धिशील अधिग्रहण, जिससे आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इनकी संख्या वित्त वर्ष 2023 की स्थिति से 52% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 585 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं-

1. पीएमएमवाई योजना के तहत 100%
2. स्टैंडअप इंडिया के तहत 99.82%
3. पीएम स्वनिधि योजना के तहत 95.58% (प्राप्त आवेदनों के एवज में संवितरण)।

रिटेल ऋण

बैंक रिटेल आस्तियां वित्त वर्ष 2023 में ₹1,87,688 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹2,23,911 करोड़ (पूल खरीद के सहित) हो गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 19.30% की वृद्धि दर्ज की गई। ऑर्गेनिक रिटेल ऋण वित्त वर्ष 2023 में ₹1,78,037 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹2,14,942 करोड़ हो गई, इस तरह इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20.73% की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2024 को घरेलू अग्रिमों में रिटेल एसेट्स ऑर्गेनिक पोर्टफोलियो 23.95% (लाबोड़ और स्टाफ ऋण को छोड़कर) है।

बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो (ऑर्गेनिक)

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो			
सेगमेंट	**वित्त वर्ष 2023**	**वित्त वर्ष 2024**	**वर्ष-दर-वर्ष (%)**
गृह ऋण *	98,014	1,11,791	14.1
ऑटो ऋण *	31,261	38,697	23.8
मॉर्गेज ऋण *	16,801	18,715	11.4
शिक्षा ऋण	8,196	9,800	19.6
वैयक्तिक ऋण	19,645	29,784	51.6
स्वर्ण ऋण	2,420	4,546	87.9
अन्य	1,700	1,608	(5.4)
कुल रिटेल ऋण	1,78,037	2,14,942	20.7

*इतर-पूल खरीद (ऑर्गेनिक और टीडब्ल्यूओ को छोड़कर)

वित्त वर्ष 2024 में रिटेल कारोबार की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- कुल घरेलू ऋण बही के प्रतिशत के रूप में रिटेल ऋण अग्रिम अंश वित्त वर्ष 2023 में 22.37% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 23.93% हो गया।
- ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करने और भौतिक दस्तावेजीकरण एवं शाखा जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए वित्त वर्ष 24 के दौरान ₹8728 करोड़ का वैयक्तिक ऋण, ₹386 करोड़ का ऑटो ऋण, ₹38 करोड़ का टॉप अप ऋण, ₹21 करोड़ का शिक्षा ऋण और ₹8.00 करोड़ का पेंशन ऋण एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी के माध्यम से संवितरित किया गया।
- वित्त वर्ष 2024 के दौरान नए 1427119 रिटेल ऋण खातों में ₹ 86,829 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
- ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो ने क्रमशः 23.79%, 51.61% और 20.73% की उत्कृष्ट वृद्धि हुई है और यह उद्योग की विकास दर से अधिक है।
- बैंक ने ₹2844 करोड़ की राशि का शिक्षा ऋण संवितरित करके विद्यार्थियों को उनके सपनों को साकार करने में मदद की है, इसमें से राशि का 41% छात्राओं को संवितरित किया गया है।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर ऋणों की तेजी से मंजूरी के लिए बैंक की ऋण ओरिजनेशन सिस्टम को भारत सरकार के जन समर्थ पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया था।
- रिटेल ऋण पोर्टफोलियो (पूल और लाबोड को छोड़कर) में जीएनपीए मार्च 2023 के 1.50% से काफी घटकर मार्च 2024 में 1.20% हो गया।
- बैंक ने ऑटो ऋण, वैयक्तिक ऋण और कुल रिटेल अग्रिमों में उद्योग से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
- सक्रिय निगरानी एवं श्रेष्ठ अंडरराइटिंग के माध्यम से गृह ऋण में जीएनपीए वित्त वर्ष 2023 में 1.56% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 0.98% हो गया।
- वित्त वर्ष 2024 में बैंक ने गृह ऋण और ऑटो ऋण में क्रमशः ₹29463 करोड़ और ₹17733 करोड़ संवितरित किए हैं।
- वित्त वर्ष 2024 में गृह ऋण के 101141, ऑटो ऋण के 173592, शिक्षा ऋण के 25791 और वैयक्तिक ऋण के 811426 नए ग्राहक जुड़े।
- वैयक्तिक ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, पेंशन ऋण, गृह ऋण टॉप-अप में एंड-टू-एंड प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।
- लीड के लिए कॉर्पोरेट डीएसए, डीएसटी चैनल, बीसी के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना।
- नया रेफरल डीएसए चैनल (आरडीएसए) शुरू किया गया और आरडीएसए द्वारा लीड दर्ज करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- अन्य बैंक से संपर्क करने वाले गृह, मॉर्गेज ऋण और ऑटो ऋण ग्राहकों के लिए प्रतिधारण कार्यनीति और क्रॉस-सेलिंग को जारी रखना।
- बड़ौदा कार ऋण की सभी योजनाओं में नियत ब्याज दर विकल्प पेश किया गया।
- बाजार के रुझान और जरूरतों के अनुसार हमारे उत्पादों में परिवर्तन किया गया।
- आरएपीसी में मॉर्गेज-आधारित रिटेल ऋणों की प्रोसेसिंग और मंजूरी के लिए संशोधित संरचना का कार्यान्वयन।
- विदेशी अध्ययन के लिए 98 चिन्हित संस्थानों में शिक्षा ऋण ब्याज दर निश्चित किया गया।
- एलएलपीएस में प्रोजेक्ट अनुमोदन मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया।
- संशोधित ईएलएससी संरचना पूरे भारत में कार्यान्वित की गई।
- ओडिशा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी आवास सहायता योजना के तहत "मो घरा" योजना लागू की गई।
- प्रीमियर एवं स्कॉलर योजना के लिए शिक्षा ऋण ब्याज दर बाजार के अनुरूप किया गया।
- वैयक्तिगत ऋण के तहत नियत ब्याज दर विकल्प का शुभारंभ किया गया।
- मॉर्गेज ऋण और भविष्य के किराया प्राप्य में नए और मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए निश्चित दर विकल्प की शुरूआत की गई।
- बड़ौदा प्री ओन्ड कार और -2- पहिया ऋण के लिए नियत दर की शुरूआत।
- मौजूदा और नए शिक्षा ऋण खातों के लिए निश्चित दर विकल्प पेश किया गया है।
- गृह ऋण में नियत ब्याज दर विकल्प की शुरूआत।
- पीएम सूर्य घर योजना- स्टैंडअलोन और कम्पोजिट रूफटॉप सौर योजनाएं शुरू की गईं।
- CERSAI फिनेकल एपीआई एकीकरण पूरा हुआ।
- बैंक की ऋण प्रोसेसिंग सिस्टम में लीड को त्वरित रूप से दर्ज करने के लिए बिजनेस पार्टनर्स आर्थात् डीएसए और डीएसटी को लीड फोर्स ऐप नामक एक मोबाइल ऐप्लिकेशन उपलब्ध करवाया गया।
- शाखाओं की परिचालन दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए ऑटो ऋण और वैयक्तिक ऋण के लिए ऑटो समीक्षा सुविधा लागू की गई।

ग्रामीण और कृषि ऋण

कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र, भारत में विशेष रूप से व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में, सबसे बड़ा आजीविका प्रदाता है और यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी उल्लेखनीय योगदान देता है।

बैंक में 8,243 घरेलू शाखाओं का नेटवर्क है जिसमें से 4,966 ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से संबद्ध ऋण के लिए किया जा रहा है। 31 मार्च, 2024 को बैंक का कृषि अग्रिम बढ़कर ₹1,38,640 करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू ऋण का 15% है।

बैंक 3 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) का संयोजक है। बैंक पूरे देश के 75 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहा है।

बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने में लगातार अग्रणी बना हुआ है, जिसे सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के साथ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। किसानों को पूंजी और कृषि और पशुपालन में एक मजबूत सुदृढ़ ढांचे का निर्माण करने के लिए बैंक कृषि आधारित सामान्य बैंक ऋण उपलब्ध कराने से आगे बढ़ते हुए अधिक विविधिकृत ग्रामीण ऋण नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष योजना (एएचआईडीएफ), पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज़ (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कंप्रेसड बायो गैस जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बैंक ने अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, स्वयं सहायता समूहों को (एसएचजी) वित्तपोषण, कृषि स्वर्ण ऋण, कृषि मशीनीकरण (ट्रैक्टर ऋण), बागवानी ऋण, किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ)/ किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) को वित्तपोषण, उच्च तकनीक कृषि और खाद्य एवं कृषि- प्रोसेसिंग हेतु ऋण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। बैंक ने वर्ष के दौरान 4.59 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं जिनमें से 1.18 लाख पशुपालन और डेयरी (एएचडी केसीसी), पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में लगे किसानों को जारी किए गए हैं। बैंक ने अपनी माइक्रोफाइनांस पहल के भाग के रूप में वित्त वर्ष 2024 के दौरान ₹4,105 करोड़ की राशि के ऋण प्रदान कर 1,13,726 स्वयं सहायता समूह को ऋण से जोड़ा है।

एसएचजी के ऋण लिंकेज को बढ़ाने हेतु बैंक विभिन्न निजी भागीदारों के साथ टाई-अप को प्रोत्साहित कर रहा है। टर्नअराउंड समय में सुधार करने और एसएचजी के लिए बाधा रहित तत्काल बचत बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए पिछले वर्ष टैब बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। ट्रैक्टर ऋणों में किसानों की सुविधा के लिए ब्याज दर को ट्रैक्टर के एलटीवी से जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने बड़े किसानों के लिए अधिक उपज वाली फसलों की वैज्ञानिक और प्रगतिशील तरीकों से खेती के लिए नया उत्पाद "बड़ौदा किसान प्राइड" पेश किया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जन समर्थ पोर्टल पर डिजिटल केसीसी जर्नी के विकास में हमारा बैंक भागीदार है।

बैंक ने कृषि विपणन और प्रसंस्करण केंद्र (सीएएमपी) की शुरुआत की है, जो गैर-पारंपरिक और उच्च मूल्य वाले कृषि अग्रिमों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि ऋणों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित केंद्रीकृत केंद्र है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएएमपी ने 34,678 किसानों को ₹3,601 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं।

बड़ौदा किसान पखवाड़ा" हमारे बैंक का वार्षिक किसान आउटरीच कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" के दौरान हमारे बैंक की शाखाएं अधिकतम संख्या में किसानों से संपर्क करने के लिए एसएचजी के विभिन्न आयोजन/ कार्यक्रम/ पशुधन के स्वास्थ्य जांच/ मिट्टी परीक्षण और अन्य गतिविधियों/ बैठकों का आयोजन करती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 16.11.2023 से 30.11.2023 तक "बड़ौदा किसान पखवाड़ा" का आयोजन किया गया और हमने 12165 किसान आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें 4,68,207 किसानों ने भाग लिया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वित्त वर्ष 2023 के ₹2,73,583 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के ₹3,01,917 करोड़ हो गया इसमें 10.36% की वृद्धि दर्ज की गई।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को ऋण

31 मार्च, 2024 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) समुदायों को बकाया ऋण ₹21,106 करोड़ हो गया। बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए अग्रिम का 17.57% हिस्सा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किया गया।

इसके अलावा, अंतराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को वित्त पोषण के लिए बैंक द्वारा विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

स्वर्ण ऋण

बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2023 के ₹38,518 से बढ़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23.65% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2024 को ₹47,629 करोड़ हो गया। स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत, कृषि स्वर्ण ऋण 19.79% बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के ₹35,829 करोड़ से वित्त वर्ष 2024 में ₹42,921 करोड़ (टीडब्ल्यूओ को छोड़कर) हो गया। वित्त वर्ष 2024 में रिटेल स्वर्ण ऋण बढ़कर ₹4,552 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹2,419 करोड़ था, इस खंड में 88.16% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 86 नई स्वर्ण ऋण संवितरण शाखाएं जोड़ी, जिसके साथ स्वर्ण ऋण हेतु चयनित शाखाओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2023 में 5,904 शाखाओं से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 5990 शाखाएं हो गई। दक्षिणी भागों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी के साथ देश भर में चयनित स्वर्ण ऋण शाखाओं के विस्तार में वित्त वर्ष 2023 के 27.11% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 28.53% की बढ़ौत्तरी हुई। वित्त वर्ष 2024 में स्वर्ण ऋण का औसत टिकट आकार बढ़कर ₹1.74 लाख हो गया जो वित्त वर्ष 2023 में ₹1.58 लाख था। वित्त वर्ष 2024 में प्रति शाखा स्वर्ण ऋण की औसत राशि बढ़कर ₹7.95 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹6.52 करोड़ थी। 31 मार्च, 2024 को जीएनपीए अनुपात 0.20% के साथ स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता अच्छी रही।

वित्तीय समावेशन (एफआई)

किफायती लागत पर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी गरीबों को यूनिवर्सल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन को सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में माना है। बैंक अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तकनीक के आगमन के साथ बैंकिंग रहित क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2024 को अपने बीसी नेटवर्क में 54,345 तक विस्तार किया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की है:

- बीसी के लिए ऑनलाइन ऋण लीड पोर्टल की शुरुआत की गई।
- बीसी प्वाइंट पर गैर-बीएसबीडी खाता खोलने का शुभारंभ किया गया।
- बैंक के अधिकारियों और बीसी पर्यवेक्षकों द्वारा बीसी केंद्रों के मासिक निरीक्षण के लिए एंड्रॉइड आधारित बीसी निरीक्षण ऐप का शुभारंभ किया गया।
- जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में बीसी केंद्रों पर प्रत्येक लेनदेन के लिए द्विभाषी में वॉयस ओवर की शुरुआत की गई।
- मौजूदा 114 सीएफएल के अलावा 82 अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) खोले गए।
- व्यवसाय प्रतिनिधि के लिए नियत प्रोत्साहन की शुरुआत।
- बीसी कार्य घंटों का मानकीकरण - सुबह 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक किया गया।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के महत्त्वपूर्ण कार्य निष्पादन

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते मार्च 2023 के 585 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 616 लाख हो गए, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 5.29% की वृद्धि हुई।
- पीएमजेडीवाई जमाराशि मार्च 2023 के ₹27,531 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹32,337 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.46% की वृद्धि हुई।
- पीएसबी के मध्य में बैंक की हिस्सेदारी पीएमजेडीवाई खातों में 15.20% और पीएमजेडीवाई खातों में जमाराशि के लिए 17.69% रही, जो एसबीआई के बाद दूसरे स्थान पर है।
- बैंक के शून्य शेष राशि वाले पीएमजेडीवाई खाते, 31 मार्च 2023 को 5.22% से घटकर 31 मार्च 2024 को 4.98% रह गए।
- 31 मार्च 2024 तक, पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत सूक्ष्म बीमा के तहत संचयी नामांकन 70.44 लाख है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत ₹253.84 लाख है।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक नामक तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रायोजक है। इन तीनों आरआरबी का समग्र व्यवसाय 31 मार्च, 2023 के ₹1,48,737 करोड़ अर्थात् वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.39% से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹1,67,173 करोड़ हो गया। तीनों आरआरबी ने समेकित रूप से वित्त वर्ष 2023 के दौरान ₹718.54 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में 56.06% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 में ₹1121.36 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। इन आरआरबी की निवल मालियत 31 मार्च 2023 के ₹5,704 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च 2024 को कुल ₹6,887 करोड़ दर्ज की गई।

आरआरबी द्वारा प्राप्त पुरस्कार

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित तीन आरआरबी ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित अटल पेंशन योजना के नामांकन के लिए विभिन्न अभियानों के तहत 43 शीर्ष कार्यनिष्पादनकर्ता पुरस्कार (बीजीजीबी-12, बीयूपीबी-19 और बीआरकेजीबी 12) अर्जित किए।

बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक (बीयूपीबी) को भारत के सभी आरआरबी के बीच पीएमएफएमई श्रेणी के तहत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए 05.11.2023 को नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हुआ और 24.11.2023 को एसएचजी श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बीआरकेजीबी) ने 09 फरवरी, 2024 को आईबीए द्वारा आयोजित वार्षिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं;

1. टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर (लगातार नौ वर्षों से)
2. बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंकल्यूशन (लगातार पांचवें वर्ष)
3. बेस्ट फिनटेक और डीपीआईयू एडॉप्शन
4. बेस्ट डिजिटल इंगेजमेंट
5. टेक्नोलॉजी टैलेंट (रनर)
6. बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट (विशेष उल्लेख श्रेणी)
7. बेस्ट एआई/एमएल बैंक (विशेष उल्लेख श्रेणी)

- आईबीईएक्स इंडिया बीएफएसआई टेक पुरस्कारों में 2 पुरस्कार प्राप्त किए।

1. बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक
2. फाइनेंशियल इंकल्यूशन एक्सीलेन्स (आरआरबी / लघु वित्त बैंक / कॉप बैंक श्रेणी के लिए)।

- उत्तरी क्षेत्र में एसएचजी बैंक लिंकेज 2022-23 में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
- एआईएफ योजना के लिए भारत अभियान (15.07.2023 से 31.08.2023) के तहत आरआरबी श्रेणी में अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष कार्यनिष्पानकर्ता।

बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (बीजीजीबी) ने 09 फरवरी, 2024 को आईबीए द्वारा आयोजित वार्षिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित श्रेणियों में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

1. बेस्ट टेक्नोलॉजी टेलेंट (विशेष उल्लेख श्रेणी)
2. बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक (विशेष उल्लेख श्रेणी)

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

बैंक यह मानता है कि निरंतर दैनिक निगरानी अनर्जक ऋणों में कमी और अच्छी वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। इसके लिए बैंक ने अनेक कार्रवाई की है तथा वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए रणनीति बनाई है।

बैंक के पास प्रत्येक एनपीए खाते को विधिवत रूप से परखने हेतु कार्यनीति है। इसलिए बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक शीर्ष वर्टिकल 'दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल' के रूप में विशेष कौशल युक्त व्यवस्था स्थापित की है। इस वर्टिकल के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के अंतर्गत सभी खातों के लिए आवश्यक विशेष दक्षता व्यवस्था के साथ -5 दबावग्रस्त आस्ति शाखाओं को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त एनसीएलटी से इतर ₹5 करोड़ से अधिक बकाया राशि वाले अन्य एनपीए खातों की देखरेख के लिए अंचल स्तर पर 12 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाओं (एसएआरबी शाखा) की स्थापना की गई है। टीएटी को कम करने के लिए ये शाखाएं कॉर्पोरेट कार्यालय की सीधी निगरानी में हैं। इसके अलावा ₹20 लाख से अधिक और ₹5 करोड़ तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों की देखरेख के लिए क्षेत्रीय स्तर पर -69- दबाबग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी शाखा) स्थापित की गई हैं।

भारत सरकार की डिजिटल पहल के अंतर्गत बैंक ने बिना कागजी कार्रवाई के और वास्तविक समय के आधार पर वसूली और निगरानी की पूरी प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण हेतु कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में,

1. क्यूलिक यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना वास्तविक समय के आधार पर फिनेकल से कई डेटा बिंदुओं को प्राप्त करता है और दैनिक डीग्रेडेशन के पूर्वानुमान के लिए डेट पास्ट ड्यू (डीपीडी) रिपोर्ट, एनपीए मूवमेंट चार्ट और मॉक रन की गणना करता है।
2. "आईएलएमएस" मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप आधारित पोर्टल संपूर्ण एनपीए खातों, सभी राशि वाले, की ऑनलाइन रेपोजिटरी है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खातों की ऑनलाइन संपूर्ण लाइव निगरानी जैसे सरफेसी स्थिति, डीआरटी/ एनसीएलटी स्थिति, प्रावधान, दैनिक वसूली, वकीलों के निष्पादन का विश्लेषण और ओटीएस की ऑनलाइन प्रस्तुति/ स्वीकृति की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे टीएटी में सुधार होता है।
3. बैंक, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) के तहत संपत्तियों की नीलामी के लिए उपयोग किए जा रहे ई-बिक्रय पोर्टल का सदस्य है।
4. ईज़ 4.0 दिशानिर्देशों के तहत, बैंक ने छोटे टिकट आकार के एनपीए खातों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर अलग लिंक प्रदान करके स्वचालित "वन टाइम सेटलमेंट" प्रक्रिया विकसित और परिनियोजित की है।

बैंक ने वसूली को प्रभावी बनाने और स्लिपेज को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां भी अपनायी हैं।

1. कृषि, एमएसएमई और रिटेल ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने समर्पित वसूली अधिकारियों के साथ क्लस्टर/ एरिया संबंधी कार्यपद्धति को अपनाया है।
2. अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा वसूली एजेन्टों/ फ़ीट-ऑन-स्ट्रीट कर्मियों को कम ऋण राशि वाले एनपीए खातों का उचित आबंटन तथा उनकी समुचित निगरानी।
3. लोक अदालत के दौरान अधिकतम उधारकर्ताओं की सहभागिता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था करना और लोक अदालत से पूर्व बैठकें आयोजित करना।
4. बैंक ने सभी पात्र एनपीए खातों में सरफेसी कार्रवाई की शुरुआत की है और खाते में आस्ति के निपटान और वसूली की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। हम नीलाम की जाने वाली संपत्ति के विवरणों को बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया वेब पोर्टलों और अग्रणी संपत्ति वेब साइटों पर सूचीबद्ध/ प्रकाशित कर रहे हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान एनपीए की स्थिति निम्नानुसार है:

(**₹ करोड़ में**)

विवरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
सकल एनपीए	36764	31834
सकल एनपीए (%)	3.79%	2.92%
निवल एनपीए	8384	7213
निवल एनपीए (%)	0.89%	0.68%
एनपीए में बढ़ोतरी	11150	10397
वसूली/ अपग्रेडेशन	10100	4729
टीडबल्यूओ सहित बट्टे खाते	17998	10518
बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली	4781	5098
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ सहित) (%)	92.43%	93.30%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडबल्यूओ को छोड़कर) (%)	77.19%	77.34%

आस्ति वर्गीकरण के अनुसार, ऋण बही का विभाजन निम्नानुसार है:

(**₹ करोड़ में**)

आस्ति वर्गीकरण	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
मानक अग्रिम	932784	1058672
सकल एनपीए	36764	31834
कुल सकल अग्रिम	969548	1090506
सकल एनपीए जिसमें		
अवमानक	5439	7816
संदिग्ध	19182	13118
हानि	12143	10900
कुल सकल एनपीए	36764	31834

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के पुनर्गठन के माध्यम से दबावग्रस्त उद्यमियों का सहयोग कर राष्ट्र निर्माण करने में विश्वास रखता है।

बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों से निपटने के लिए, बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में एमएसएमई के तहत ₹5.00 करोड़, रिटेल के तहत ₹1.00 करोड़ और कृषि श्रेणी के तहत ₹0.25 करोड़ तक के बकाया शेष वाले गैर-प्रतिभूत एनपीए (डीबीII/डीबीIII/हानि)/टीडब्ल्यूओ/पीडब्लूओ खातों के निपटान के लिए अपनी विशेष एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत की। बैंक ने वसूली संकल्प योजना के तहत एनपीए खातों में ₹866 करोड़ की वसूली की।

समाधान सुनिश्चित करने और वसूली, अपग्रेड करने की सभी संभावनाएं तलाशने के लिए ऋण निगरानी वर्टिकल के साथ समन्वय करते हुए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल द्वारा बड़े कॉर्पोरेट के एसएमए-I एवं एसएमए-II खातों की बेहतर और लक्षित निगरानी व्यवस्था और खातों की संख्या में कमी लाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

हमारे बैंक की 17 देशों में 91 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय हैं, जिनमें 39 विदेशी शाखाएं/ कार्यालय (गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात, भारत में 1 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट और यूएई में 9 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा यूनिट सहित) और बैंक की 7 विदेशी अनुषंगियों की 52 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा, बैंक का एक संयुक्त उद्यम अर्थात् मलेशिया में इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी है और जांबिया में एक सहयोगी बैंक अर्थात् इंडो जांबिया बैंक लि. है जिसकी 32 शाखाएं हैं।

बैंक की विश्व के प्रमुख वित्तीय केंद्रों न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में उपस्थिति है। इसके अलावा, गिफ्ट सिटी (एसईजेड), गुजरात, भारत में बैंक की एक होलसेल शाखा है, जिसे एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई के रूप में माना जाता है और अपार व्यावसायिक संभावनाओं, कर लाभ, सरकारी पहलों आदि को ध्यान में रखते हुए शाखा को व्यवसाय विकास केंद्र के रूप में चुना गया है। बैंक ने आईएफएससी में शाखा के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजरी हेतु वैश्विक मानक का अत्याधुनिक डीलिंग रूम शामिल है।

बैंक, भारतीय कार्पोरेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करके, भारतीय और स्थानीय रूप से निगमित कंपनियों/ फर्मो के लिए इंडिया लिंकड क्रॉस बार्डर व्यापार प्रवाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए पसंदीदा बैंक बनकर विकास को गति देने और मूल्य संवर्धन की नीति पर चल रहा है।

उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों को देखते हुए, बैंक द्वारा प्राथमिक और गौण बाजार में भारत इतर सिंडिकेशन ऋणों पर एक्सपोजर लेते हुए अग्रिम पोर्टफोलियो में भी विविधता लाई गई है। साथ ही, उत्पाद समूह को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न नए उत्पादों का शुभारंभ किया गया है।

इसके अलावा, विदेशी केंद्रों में उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संपूर्ण बिजनेस सोल्यूशन के लिए आईटी उन्नयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सहक्रिया जनरेट करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी के कई प्लेटफार्मों को लगातार एकीकृत कर रहा है।

बैंक ने व्यापक मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर अपनी विदेशी उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाने का कार्य सुविचारित तरीके से किया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, हाल के वर्षों में, बैंक ने हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका में अपना परिचालन तथा यूएई, ओमान और मॉरीशस, प्रत्येक देश में एक-एक शाखा/कार्यालय बंद कर दिया है। बैंक नए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को लगातार समेकित और पुनर्गठित कर रहा है और जोखिमों का प्रबंधन करने, कम-प्रतिफल वाली आस्तियों को कम करने और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

31 मार्च, 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार (शुद्ध) ₹3,83,409 करोड़ रुपये रहा जो वैश्विक कारोबार का 16.02% है। कुल जमाराशियां ₹1,98,444 करोड़ रही जबकि निवल अग्रिम ₹1,84,965 करोड़ रहा।

विदेशी मुद्रा कारोबार

बेहतर परिचालन दक्षता, सेवाएं प्रदान करने एवं गुणवत्ता सहित मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन के उच्च मानकों को लागू करने के उद्देश्य से, हमारे बैंक ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर (भारत का पहला स्मार्ट शहर) में ट्रेड फाइनेंस बैक ऑफिस के साथ अपने अखिल भारतीय ग्राहकों की व्यापार वित्त सेवाओं को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में बीसीपी की स्थापना की है। चालू वित्त वर्ष में समग्र विदेशी मुद्रा कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रगति निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने कुछ उद्देश्यों से 10000 अमेरिकी डॉलर से कम के सीमापार आवक विप्रेषण को स्वचालित कर दिया है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान हमने स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक 59,368 लेनदेन किए हैं, जिससे टीएटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- बैंक ने बॉब-वर्ल्ड के माध्यम से उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) सुविधा शुरू की है, जिससे व्यक्तिगत ग्राहक अपने मोबाइल से उपहार/ परिवार के भरण-पोषण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एलआरएस के तहत लेनदेन शुरू कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लगभग 3700 लेनदेन किए गए हैं।
- बैंक ने अपने ग्राहकों हेतु 24/7 उपलब्ध **स्मार्ट ट्रेड पोर्टल** विकसित किया है, जिससे वे अपने कार्यालय से अंतर्देशीय और साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार लेनदेन शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार शाखा में जाने की जरूरत कम हो जाती है। इस चैनल के कारण वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई है और कुल लेनदेन का 10% इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है।

- बैंक ने डिजिटल मोड के माध्यम से बैंक गारंटी को एंड टू एंड जारी करने हेतु एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) के साथ भागीदारी की है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी और टीएटी कम होगा। इस पहल में, हमारा बैंक दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) प्लेटफॉर्म पर 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने वाला इस उद्योग का सबसे अग्रणी बैंक बन गया है। मार्च 2024 तक, हमारे द्वारा जारी संचयी ई-बीजी दोगुना होकर 2010 हो गया है।
- 31 मार्च 2024 तक, बैंक ने विशेष रुपी वोस्ट्रो एकाउंट (एसआरवीए) प्रणाली के माध्यम से भारतीय रुपए के मूल्यवर्गित व्यापार लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के अभियान का नेतृत्व करने के लिए विश्व भर के बैंकों के लिए 13 विशेष रुपी वोस्ट्रो एकाउंट बनाए हैं।
- बैंक ने अगस्त 2023 से अंतर्देशीय व्यापार लेनदेन की प्रोसेसिंग को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया है, जिससे ट्रेड फाइनेंस बैक ऑफिस के माध्यम से अंतर्देशीय और विदेशी मुद्रा व्यापार वित्त लेनदेन दोनों की प्रोसेसिंग को सफलतापूर्वक समेकित किया जा सके।

घरेलू ट्रेजरी परिचालन

हमारा बैंक मुंबई में स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित अत्याधुनिक डीलिंग रूम से ट्रेजरी परिचालनों का संचालन करता है। ट्रेजरी विभिन्न बाजारों जैसे विदेशी विनिमय, ब्याज दर, स्थायी आय, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, मुद्रा एवं ब्याज दर फ्यूचर्स एवं अन्य वैकल्पिक आस्ति श्रेणियों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बैंक पूरे देश में विदेशी मुद्रा में डीलिंग करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा विकल्प और वायदा संविदा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ट्रेजरी बैंक की सीआरआर और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) संबंधी विनियामक आवश्यकताओं की देखरेख करती है और निधि की स्थिति का प्रबंधन करता है। ट्रेजरी, निधि प्रबंधन कार्यों के एक भाग के रूप में मनी मार्केट और कॉर्पोरेट मार्केट लिखतों में ऋण लेता/ निवेश करता है।

31 मार्च, 2024 को बैंक की कुल घरेलू निवेश बही ₹ 3,56,820 करोड़ रही। कुल निवेश में एसएलआर प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 84.30% रही। 31 मार्च, 2024 को शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के सापेक्ष एसएलआर प्रतिभूतियां (भारमुक्त) 23.81% रही। बैंक, यील्ड मूवमेंट से मिले अवसरों को भुनाने में सक्षम रहा है। बैंक ने अपने पोर्टफोलियो को कुशलता से प्रबंधित किया है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल निवेश पर 7.21% (बिक्री पर लाभ सहित) लाभ बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक द्वारा निवेश की बिक्री पर लाभ और विदेशी मुद्रा आय क्रमशः ₹ 1,498 करोड़ और ₹ 630 करोड़ रहे।

सरकारी कारोबार

सरकारी संपर्क वर्टिकल बैंक के नीतिपरक फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ पूरे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। हमारी व्यापक प्रकृति की सेवाओं में सरकारी निकायों के कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेनों हेतु सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पेंशन, डाक लेनदेन और ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी लेनदेन से संबंधित भुगतानों की निर्बाध प्रक्रिया हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। इसके अतिरिक्त, हम विभिन्न सरकारी बचत और निवेश योजनाओं जैसे लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ई-किसान विकास पत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, महिला सम्मान बचत योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्रबंधन करते हैं। ये सेवाएं न केवल बैंक की शुल्क आय, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय ₹124.32 करोड़ है, में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा और साख को भी बढ़ाती हैं।

इसके अलावा, हमारी भूमिका लेनदेन संबंधी सेवाओं से कहीं आगे तक है। हम विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों के लिए खाते खोलने में सक्रिय रूप से सहायता करते हैं, जो बैंक के लिए चालू खाता बचत खाता (कासा) जमाराशियां जुटाकर एक परस्पर लाभप्रद संबंध को बढ़ावा देते हैं। समग्र समाधान प्रदान करने संबंधी हमारी प्रतिबद्धता, सरकारी पोर्टल जैसे सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में ग्राहकों को ऑन-बोर्ड करने की सुविधा प्रदान करने के हमारे प्रयासों से स्पष्ट होती है। ये पहलें न केवल हमारे मौजूदा संबंधों को सशक्त बनाती हैं बल्कि नई साझेदारियां स्थापित करने और हमारे कासा आधार का विस्तार करने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। 31 मार्च, 2024 तक बैंक का कुल सरकारी कासा ₹ 55,435 करोड़ रहा, जो बैंक के कुल कासा का 11.88% है।

इसके अलावा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रति हमारा समर्पण सर्वोपरि है। हम देश भर के सरकारी विभागों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अनुकूलित आईटी समाधान प्रदान करते हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, हम दक्षता बढ़ाते हैं, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं और निर्बाध रूप से सरकारी कासा जुटाना सुनिश्चित करते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में हमारा ध्यान लेन-देन संबंधी दक्षता से परे है; हम अपने सरकारी भागीदारों के लिए मूल्यवर्धन करने वाली संबद्ध सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। इसमें पीएफएमएस पोर्टल पर सरकारी विभागों को ऑन-बोर्ड करने, सक्रिय रूप से सरकारी कासा खाते जुटाने और सरकारी व्यवसाय से जुड़ी शाखाओं को व्यापक रूप से सहायता प्रदान करने जैसी पहलें शामिल हैं।

संक्षेप में, हमारा सरकारी संपर्क वर्टिकल, सरकारी संस्थाओं के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य करता है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक प्रकृति की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। उत्कृष्टता, नवोन्मेषिता और ग्राहक-केन्द्रीयता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हम देश के आर्थिक विकास और गवर्नेंश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

धन संपदा प्रबंधन

पिछले कुछ वर्षों में, धन संपदा प्रबंधन वर्टिकल आपके बैंक में एक नीतिपरक व्यवसाय इकाई बना हुआ है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का विस्तार करना है, साथ ही 8200 से अधिक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से 14 मिलियन से अधिक के विशाल ग्राहक आधार को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बीमा एवं निवेश उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उद्योग जगत ने आपके बैंक की धन संपदा प्रबंधन सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु कैफे म्यूचुअल द्वारा बैंकों हेतु "इक्विटी चैंपियंस" श्रेणी के तहत शीर्ष कार्यनिष्पादन का पुरस्कार प्रदान किया है।

रिटेल और समृद्ध, दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका बैंक, बाजार से कुशल पेशेवरों की सक्रिय रूप से भर्ती और नियोजन कर रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि मौजूदा कर्मचारियों के पास नॉन-रेडिएंस लोगों सहित सभी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए आवश्यक प्रमाणन और ज्ञान उपलब्ध हो।

डिजिटाइजेशन को अपनाना, वितरण प्रक्रियाओं को बढ़ाने की दिशा में आपके बैंक की कार्यनीति का एक प्रमुख पहलू है, जिसका उद्देश्य ग्राहक सेवा में दक्षता और सहजता लाना है। इसे प्राप्त करने के लिए आपके बैंक ने आवश्यकता अनुकूल डिजिटल बीमा और निवेश समाधान अर्थात् स्मार्टइंश्योर और स्मार्टइन्वेस्ट की पेशकश हेतु दो नई तकनीकी कंपनियों, ज़ोपर और ऑप्टिमम सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की है। आपके बैंक का लक्ष्य डिजिटल अपनाने को प्रोत्साहित करना और लेनदेन को डिजिटल चैनलों पर माइग्रेट करना है, जिससे समग्र ग्राहक अनुभव और बेहतर हो सके।

आपका बैंक हमेशा कुशल कार्यबल तैयार पर जोर देता है और एक नैतिक और पारदर्शी बिक्री प्रक्रिया को बनाए रखने में विश्वास रखता है। इसमें सहयोग प्रदान करने हेतु आपके बैंक ने कर्मचारियों के अनुकूल प्रशिक्षण मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए तीन प्रतिष्ठित प्रशिक्षण और विकास प्रदाताओं को नियोजित किया है, ताकि अनुपालन के साथ व्यवसाय सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 23-24 में, आपके बैंक ने जीवन बीमा क्षेत्र में ₹ 959 करोड़ और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में ₹ 599 करोड़ का प्रीमियम जुटाकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, शुद्ध बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के कारण आपके बैंक का म्यूचुअल फंड एयूएम ₹13,860 करोड़ के प्रभावशाली स्तर पर है।

आपका बैंक पिछले कई वर्षों से कई अनूठी पहलों के माध्यम से बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है:

- *"वेल्थ इनसाइट"* - रेडिएंस ग्राहकों हेतु मासिक ई-पत्रिका जो मार्केट का आउटलूक प्रदान करती है।
- "थर्सडे थौट्स" - वेल्थ बिजनेस संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए साप्ताहिक ई-मेलर।
- "वेल्थ बुलेटिन" - डब्लूएमएस वर्टिकल की द्विमासिक ई-गृह पत्रिका।
- "लीडरशिप क्रॉनिकल" - बैंकिंग और वित्त क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ एक ज्ञानवर्धक टॉक शो।
- "ट्रांसेंड" - वेल्थ मैनेजमेंट टाई-अप पार्टनर्स कॉन्क्लेव - धन संपदा व्यवसाय में साझेदारी को बढ़ावा देने और सशक्त करने के उद्देश्य से अपनी तरह का पहला कॉन्क्लेव, जो अगले 3-5 वर्षों के लिए धन संपदा व्यवसाय कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करता है।
- "एक्सपर्ट इनसाइट" - वार्षिक बजट को डिकोड करना, मार्केट साइकल को डिकोड करना, मार्केट आउटलूक आदि सहित मार्केट के विशेषज्ञों के साथ विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर वेबिनार/सत्र।
- "इन्वेस्टोग्राम" - एक सरल, समझने में आसान, एनिमेटेड गाइड जो आठ महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्रों को बारीकी से कवर करता है, जिससे अनुभव रहित और अनुभवी निवेशक लंबी अवधि में धन संपदा बनाने में सक्षम होते हैं।

डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

बैंक डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और नियमित रूप से लेनदेन को डिजिटल चैनलों में माइग्रेट करने का प्रयास करता है जिससे बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त होता है। डिजिटल बैंकिंग का प्रमुख ध्यान डिजिटल और वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को बैंक के उत्पाद उपलब्ध कराना है। डिजिटल बैंकिंग में प्रमुख सुविधाएं बॉब वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड यूपीआई, बड़ौदा कनेक्ट, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, भीम आधार, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन, सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर (एसएसपीबीपी), टैब बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी), भारत बिल भुगतान सेवाएं (बीबीपीएस), बड़ौदा फास्टैग, भारत क्यूआर, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), आदि शामिल हैं।

बॉब वर्ल्ड

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ने 28.48 लाख बॉब वर्ल्ड एक्टिवेशन कराने में सफल रहा है। 31 मार्च, 2024 तक कुल 306 लाख बॉब वर्ल्ड एक्टिवेशन कराए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक, बॉब वर्ल्ड के माध्यम से कुल 17.09 करोड़ वित्तीय लेनदेन और 228.64 करोड़ गैर-वित्तीय लेनदेन हासिल करने में भी सफल रहा है।

डेबिट कार्ड

31 मार्च, 2024 तक बैंक का सक्रिय कार्ड आधार वर्ष दर वर्ष आधार पर 15% की वृद्धि के साथ 9.54 करोड़ है। ई-कॉमर्स/ पीओएस लेन-देन को बढ़ाने एवं बैंक के डेबिट कार्ड को ग्राहक का पसंदीदा कार्ड बनाने हेतु बैंक ने डेबिट कार्ड ग्राहकों को आकर्षक ऑफर प्रदान करने के लिए विभिन्न मर्चेंटों के साथ टाई अप किया है और जून, 2023 से मार्च, 2024 तक की अवधि में शाओमी, जोमेटो, मिशो, मिंतरा, क्लीयर ट्रिप, ईज माइ ट्रिप, जियोमार्ट, टाटा क्लिक , स्वीगी, रिलायंस डिजिटल और बुकमाईशो जैसे विभिन्न लोकप्रिय मर्चेन्ट के साथ मिलकर कुल 35 अभियान शुरू किए गए।

वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने तमिलनाडु राज्य में महिलाओं के लिए "मैगलिर उरीमई एनसीएमसी" डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक का प्लैटिनम डेबिट कार्ड आधार 31 मार्च, 2024 को बढ़कर 1.62 करोड़ हो गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है।

बड़ौदा फास्टैग (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण - एनईटीसी)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 1.84 लाख फास्टैग जारी किए हैं। हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में ₹ 512.39 करोड़ की राशि के 4.45 करोड़ फास्टैग टोल लेनदेन प्रोसेस किए हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) पुनरावृत्ति बिल भुगतान हेतु एक अन्तः प्रचलनीय प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को वास्तविक समय आधारित बिल भुगतान और रिचार्ज संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। बीबीपीएस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक उत्पाद है और इसका प्रबंधन एनबीबीएल (एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा किया जाता है। हमारा बैंक बीबीपीएस सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राहक ऑपरेटिंग यूनिट (सीओयू) और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (बीओयू) के रूप में अधिकृत है।

वित्त वर्ष 2024 में बैंक ने लगभग ₹ 5820 करोड़ की राशि के 2.39 करोड़ बिल भुगतान लेनदेन संसाधित किए हैं। बैंक ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋण चुकौती के संग्रहण को बैंक के बीबीपीएस सिस्टम के माध्यम से सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण चुकौती श्रेणी के तहत बैंक के बीबीपीएस सिस्टम पर बिलर के रूप में राजस्थान महिला निधि को भी ऑन-बोर्ड किया है।

एटीएम

31 मार्च, 2024 तक बैंक में 9,426 एटीएम एवं 1,607 कैश री-साइक्लर का व्यापक नेटवर्क है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं नियोजन की स्थानीय भाषा में नेविगेट करने हेतु यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है,जो हमारे ग्राहकों को दैनिक बैंकिंग परिचालन संबंधी सहज अनुभव प्रदान करती है। हमारे एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कैश ऑन मोबाइल सेवाओं जहां ग्राहक डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किए बिना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जैसी सुविधाओं से युक्त हैं। हमारे बैंक ने 7145 स्थानों पर इंटरऑपरेबल कार्ड लेस कैश आहरण (यूपीआई एटीएम) की सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक बैंक की यूपीआई क्यूआर सेवाओं (आईसीसीडबलू) का उपयोग करके राशि निकाल सकते हैं। 31 मार्च, 2024 तक 6517 एटीएम ओपीईएक्स मॉडल के तहत लाइव हैं ताकि ग्राहकों को निर्बाध एटीएम सेवाएं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान किया जा सके।

इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी)

बैंक का आईपीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे एक ऑनलाइन सेवा है जो ग्राहकों को भुगतान को सुरक्षित रूप से तत्काल स्वीकार करते हुए ऑनलाइन व्यवसाय करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरनेट पेमेंट गेटवे ऑनलाइन मोड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान प्रोसेसिंग के लिए मर्चेन्ट और उनके ग्राहकों के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है।

बॉब वर्ल्ड मर्चेन्ट गेटवे डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एईपीएस, आधार पे, क्यूआर कोड आदि द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने और ऑफ़लाइन मोड अर्थात् एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से आसान और सुरक्षित तरीके से ई-कॉमर्स/ ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करता है।

निर्बाध और ग्राहकोन्मुख सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने 12 एग्रीगेटर्स और मास्टर मर्चेन्ट के साथ टाई-अप किया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में 1,911 मर्चेंट को ऑन-बोर्ड किया है, जिससे 5000 से अधिक आईपीजी मर्चेंट आधार प्राप्त हुआ है, और मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग में 1.5 गुना वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर ₹2,091 करोड़ से ₹2,928 करोड़ की 1.4 गुना औसत कासा वृद्धि को दर्शाता है।

बॉब वर्ल्ड यूपीआई:

यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो विभिन्न बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भागीदार बैंक का) पर संग्रहित करता है, विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं, बाधारहित निधि राउटिंग एवं मर्चेंट भुगतान को एक प्लेटफॉर्म पर समेकित करता है। यह "पीयर-टू-पीयर" संग्रहण अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा अनुसार शेड्यूल कर भुगतान किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान यूपीआई क्यूआर के लिए मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में 36% की वृद्धि हुई। यूपीआई क्यूआर लेनदेन में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई जो 6.63 करोड़ से बढ़कर 10.01 करोड़ रहे।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 18 लाख नए उपयोगकर्ताओं को ऑन-बोर्ड किया है।

बॉब वर्ल्ड (इंटरनेट बैंकिंग)

बैंक के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या वित्त वर्ष 2023 के 99.71 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के दौरान 108.46 लाख हो गई।

बड़ौदा टैबिट:

बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनबोर्ड करने की पहल के तहत टैब बैंकिंग प्लेटफॉर्म-बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से टैबलेट द्वारा तत्काल कासा खाता खोलने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं (व्यक्तिगत चेक बुक, व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, एमपिन के साथ मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग) और पीओएस, यूपीआई क्यूआर, आईपीजी लीड जनरेट करने की शुरुआत की है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से **37.7** लाख से अधिक बचत खाते और **2.1** लाख चालू खाते खोले।

बचत खाता खोलने के दो नए मोड शुरू किए गए हैं: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सीकेवाईसी रजिस्ट्री से सीकेवाईसी सर्च और डाउनलोड करना । टैब के माध्यम से व्यक्तिगत और एकल स्वामित्व हेतु चालू खाते की मौजूदा जर्नी में परिवर्तन लागू किए गए हैं। इन सत्यापनों से सीकेवाईसी रजिस्ट्री पोर्टल पर एलईआई रिकॉर्ड के सफल अपलोड के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिली है।

खाता खोलने संबंधी जर्नी में अतिरिक्त सुविधाएं शुरू की गई हैं जैसे बचत और चालू खाते में 12 भाषाओं में एसएमएस अलर्ट, ईज 6.0 मानदंडों के अनुसार चालू खाते में ग्राहक फीडबैक तथा बचत खाते में डीमैट एवं ट्रेडिंग खातों के लिए लीड जनरेट करना।

डिजिटल रुपी (ई रुपी): केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) मर्चेंट क्यूआर, डीमैट एवं ट्रेडिंग खाता खोलना और शिक्षा ऋण की डिजिटल जर्नी बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से शुरू की गई है।

टैब बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म - बॉब वर्ल्ड टैब के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना और ई-किसान विकास पत्र योजना (ई-केवीपी) जारी करने जैसी सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

सुविधाएं	वित्त वर्ष 2024
बचत बैंक खाता	37,72,786
चालू खाता	2,13,149
एसएचजी खाता	40,938
फास्टैग	3,514
कंपनी खाता	1,638
यूपीआई मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग	6,56,629
भीम आधार लीड जनरेट करना	36,825
पीओएस लीड	30,782
टैब के माध्यम से आईपीजी लीड जनरेट करना	2,912

व्हाट्सऐप बैंकिंग

व्हाट्सऐप बैंकिंग उपयोगकर्ता पंजीकरण -

वर्ष	व्हाट्सऐप बैंकिंग शाखावार पंजीकरण (ग्राहक) लाख में (ए)	व्हाट्सऐप बैंकिंग गैर-ग्राहकों का कुल पंजीकरण (लाख में) (बी)	व्हाट्सएप बैंकिंग मौजूदा ग्राहकों का कुल पंजीकरण (लाख में) (सी)	व्हाट्सएप बैंकिंग पंजीकरण की कुल संख्या (लाख में) (डी)=(बी)+(सी)
वि.व. 2021	5.02	2.06	4.04	6.11
वि.व. 2022	9.64	5.49	8.29	13.78
वि.व. 2023	40.35	5.87	38.14	44.01
वि.व. 2024	30.1	8.24	28.34	36.59
कुल	85.11	21.66	78.81	100.49

*गैर-ग्राहक उपयोगकर्ता पंजीकरण में उन उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण जो इस बैंक के ग्राहक नहीं हैं + इस बैंक के उन ग्राहकों का पंजीकरण जो व्हाट्सऐप बैंकिंग के लिए पात्र नहीं हैं, शामिल है।

व्हाट्सऐप बैंकिंग लेन-देन -

व्हाट्सऐप बैंकिंग लेन-देन (लाख में)		
वर्ष	एंड टू एंड सफल लेनदेन	इंटरमीडियरी एपीआई हिट्स
वित्त वर्ष 2021	14.65	47.8
वित्त वर्ष 2022	59.29	207.5
वित्त वर्ष 2023	189.68	343.4
वित्त वर्ष 2024	368.08	701.72

डिजिटल बैंकिंग यूनिट

आरंभिक चरण में हमारे बैंक को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना के लिए 8 जिले आबंटित किए गए थे, बाद में हमारे बैंक ने 9 और डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की हैं। अब हमारे बैंक के पास बैंकिंग उद्योग में किसी भी बैंक की तुलना में सबसे अधिक डीबीयू (17) हैं। दिनांक 31.03.2024 तक इन डीबीयू द्वारा कुल ₹66.78 करोड़ का कारोबार किया गया है।

डिजिटल ऋण

वर्तमान दौर में तकनीकी प्रगति में हो रहे आमूल-चूल परिवर्तन ने डिजिटलीकरण के वैश्विक युग को एक नया रूप दिया है। लगभग हर उद्योग डिजिटलीकरण के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है और बैंकिंग उद्योग इस बदलाव एवं नवोन्मेषिता में सबसे अग्रणी हैं।

वित्तीय सेवा उद्योग तेजी से और दूरगामी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसे उभरती तकनीक और सामाजिक-आर्थिक विकास से गति मिल रही है। यह बदलाव बुनियादी रूप से बाजार स्ट्रक्चर को बदल रहा है तथा नवोन्मेषी, गेम-चेंजिंग वैकल्पिक उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करने हेतु उद्यमियों और जोखिम लेने वालों दोनों को अवसर प्रदान कर रहा है।

जैसे-जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे-वैसे ग्राहक ऐसी सेवाओं विशेषकर अपनी नियमित बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए, की माँग करने लगे हैं जिसके लिए उन्हें कहीं जाना ही न पड़े। ग्राहक वरीयताओं के इस नए परिदृश्य ने हमें डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

डिजिटल प्लेटफॉम, बैंक को मौजूदा ग्राहक की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए विविध क्षेत्रों से नए ग्राहकों को जोड़ने, नवीन एवं अब तक अप्रयुक्त बाजारों में प्रवेश करने तथा बैंक की ब्रांड पहचान में एक प्रमुख डिजिटल आयाम जोड़ने में मदद कर रहा है।

यह प्लेटफॉर्म भौतिक रूप से बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करते हुए उधारकर्ता को अपने घरों/ कार्यालयों से सुविधानुसार संपर्क रहित एवं कागज रहित प्रक्रिया का उपयोग कर न्यूनतम अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण सहित कुछ ही क्लिक में लीड से लेकर मंजूरी एवं संवितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में सशक्त बना रहा है।

इस डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के केंद्र में फिनटेक वैकल्पिक ऋण चैनल निर्मित करते हुए क्रेडिट इकोसिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जो बैंक एवं उधारकर्ता दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं।

बैंक के व्यावसायिक पोर्टफोलियो में सुधार के लिए डिजिटल ऋण की पहल;

रिटेल संबंधी पहलें :

- बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में प्रमुख संस्थानों के कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए डिजिटल शिक्षा ऋण शुरू किया है।
- बैंक ने डिजिटल वैयक्तिक ऋण के लिए संपूर्ण रूप से शाखा अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त जर्नी की शुरूआत की है ताकि एंड-टू-एंड डिजिटल जर्नी को संचालित किया जा सके और शाखाओं को ग्राहक सेल्फ-सर्विस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सहयोग करने की सुविधा भी मिल सके।
- बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल वैयक्तिक ऋण और डिजिटल वाहन ऋण की डिजिटल प्रक्रिया में विभिन्न सुधार किए हैं।

एमएसएमई पहलें:

- बैंक ने ₹10 लाख तक के एंड-टू-एंड डिजिटल मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए आंतरिक ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के साथ जनसमर्थ पोर्टल को एकीकृत किया है।

कृषि संबंधी पहलें:

- बैंक ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए स्वर्ण ऋण हेतु डिजिटल प्रक्रिया की शुरुआत की है।
- बैंक ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से ₹1.6 लाख तक के बीकेसीसी के लिए एसटीपी जर्नी की शुरूआत की है।
- बैंक ने बीकेसीसी ऋणों के नवीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया की शुरूआत की है।

एनालिटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एसीओई)

बैंक ने अधिक शक्ति और क्षमता के साथ डेटा संचालित बैंकिंग की गति को बनाए रखा है। बैंक ने मशीन लर्निंग (एमएल)/ सांख्यिकीय मॉडल और विभिन्न व्यावसायिक माध्यमों जैसे कि डिजिटल ऋण, रिटेल/ एमएसएमई आस्तियों, रिटेल देयताएं, धन प्रबंधन, ऋण निगरानी, संग्रहण, ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन में यूज केसेज के अधिक उपयोग के माध्यम से सुदृढ़ प्रगति की है और व्यवसाय वृद्धि मे योगदान किया है। इसके अलावा, बैंक ने क्रॉस-सेल, अप-सेल, प्रारंभिक चेतावनी संकेत, ग्राहकों के वर्गीकरण, धोखाधड़ी विश्लेषण, आस्ति देयता प्रबंधन आदि में अपनी उन्नत एमएल क्षमताओं का लाभ उठाया है। बैंक विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे ग्राहक ऑनबोर्डिंग, संपर्क केंद्र संचालन, वर्चुअल एजेंट सेवाओं आदि के स्वचालन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग कर रहा है। बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ एआई/ एमएल बैंक- 2023 से भी सम्मानित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने आरबीआई की "वन नेशन वन ग्रिड-सीटीएस" परियोजना के तहत चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू किया है, अर्थात् तीन क्षेत्रीय ग्रिडों का एक राष्ट्रीय ग्रिड में विलय और दक्षिणी ग्रिड को हमारे बैंक के राष्ट्रीय ग्रिड के रूप में नामित करना।
- बैंक ने डिजिटल माध्यमों से लॉकर आबंटन के लिए लॉकर पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ग्राहक लॉकर कैबिनेट की वास्तविक समय में चित्रात्मक स्थिति को देख सकते हैं और लॉकर की उपलब्धता के अध्यधीन अपनी पसंद का लॉकर बुक कर सकते हैं।
- बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लगातार नई सेवाएं पेश कर रहा है, जैसे कि यूपीआई लाइट, न्यूमेरिक मैपर, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए प्रीपेड/ ईरुपी वाउचर, मॉरीशस टेरिट्री में यूपीआई लेनदेन का विस्तार, स्वयं और दूसरों के लिए बिल प्राप्ति और भुगतान और बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड (बीएफएसएल) द्वारा जारी रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए ईएमआई सुविधा शुरू करना।
- बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) जिसे e₹ (डिजिटल रुपी) कहा जाता है, में अतिरिक्त कार्यक्षमताओं की शुरुआत की है - टैब बैंकिंग के माध्यम से मौजूदा ग्राहक के लिए मर्चेंट ऑन बोर्डिंग, यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी कार्यान्वयन।
- बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन में नई सेवाओं को शामिल करने के साथ ही, अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी हैं, सिस्टम नियंत्रण और सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि की है। जिसमें क्रेडिट कार्ड को एकीकृत करना, एनपीएस सब्सक्रिप्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को शामिल करना, करेंसी कन्वर्टर प्रदान करना, म्यूचुअल फंड जर्नी को बेहतर बनाना, आवास ऋण के लिए अनंतिम ब्याज प्रमाणपत्र जनरेट करना, कैलेंडर के रूप में एफडी/आरडी की परिपक्वता तिथियों/ ऋण ईएमआई की देय तिथियों को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल कैलेंडर/ प्लानर की पेशकश करना और उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के कार्यक्रम/ रिमाइंडर तैयार करने की अनुमति देना शामिल है।
- बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में नई सेवाएं/ सुविधाएं जोड़ी हैं जैसे कि ई-केवीपी खाता खोलना, आइसगेट पेमेंट इंटीग्रेशन, व्हाट्सऐप बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी को जोड़े बिना त्वरित निधि अंतरण सुविधा (एनईएफटी/ आईएमपीएस), ग्राहक जागरूकता के लिए विभिन्न अलर्ट का कार्यान्वयन, राज्य कोषागारों के साथ विभिन्न एकीकरण, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का एकीकरण और ग्राहक द्वारा अपने लॉकर विवरण को एक्सेस कर पाना।
- बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन (एलएलपीएस) को उन्नत/ नया रूप दिया है।

- बैंक ने जन सुरक्षा पोर्टल के साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बीसी पॉइंट, कोर बैंकिंग और टैब बैंकिंग सहित कई चैनलों को एकीकृत किया है। यह इस पोर्टल के तहत विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए आवेदन करते समय ग्राहकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- बैंक ने बैंडविद्थ उपयोग को अनुकूलित करने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए शाखाओं को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 7,100 से अधिक शाखाओं में एसडीडब्ल्यूएएन तकनीक लागू की है। इन निरंतर प्रयासों के साथ, बैंक व्यवहार्यता के अध्यधीन बेहतर नेटवर्क प्रदर्शन के लिए वीएसएटी शाखाओं (सेकेंडरी) को लगातार एमपीएलएस में परिवर्तित कर रहा है।
- बैंक ग्राहकों को नई सुविधाओं और सेवाओं की पेशकश अर्थात् 7 नई चालू खाता योजनाएं शुरू करना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम करना आदि के लिए टैबलेट बैंकिंग और व्हाट्सऐप बैंकिंग को लगातार समृद्ध कर रहा है।
- बैंक ने रिटेल ऋण ग्राहकों से उनकी ईएमआई और ऋण अवधि को रीसेट करने के संबंध में सहमति एकत्रित करने के लिए एक ऋण ईएमआई रीसेट सहमति पोर्टल लॉन्च किया है।
- बैंक, उच्च अपटाइम और कार्यनिष्पादन हेतु बैंकिंग सेवाओं और लेनदेन का समर्थन करने के लिए अपनी बुनियादी ढांचे की दक्षता और आघात-सहनीयता को लगातार उन्नत कर रहा है।

साइबर सुरक्षा

बैंक के पास सुनिर्धारित साइबर सुरक्षा गवर्नेंस फ्रेमवर्क सुदृढ़ता है जो प्रबंधन संरचना, नीतिगत ढांचे और परिचालनगत नियंत्रणों के संयोजन से संचालित होता है और जिसे व्यापक आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की व्यावसायिक रणनीतियों के साथ एकीकृत किया गया है। साइबर सुदृढ़ता प्रदान करने और उद्यम जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बैंक, जोखिमों को कम करने हेतु अनुकूल सुरक्षा नियंत्रणों को लगातार लागू करता रहता है, जिससे साइबर हमले का जोखिम कम हो जाता है। बैंक एनआईएसटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएसए) साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और भारतीय रिज़र्व बैंक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दोनों का पालन करता है।

बैंक के परिवेश में सक्रिय खतरों की निगरानी के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) द्वारा 24X7X365 आधार पर साइबर सुरक्षा की निगरानी और प्रबंधन किया जा रहा है। ग्लोबल सीएसओसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बैंक के सभी वर्टिकल के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। यह साइबर खतरों की मॉडलिंग, पता लगाने, विश्लेषण और इसे कम करने के लिए अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा समाधानों से युक्त है। बैंक के डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी केंद्र आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित हैं।

मौजूदा जांच बिंदु और नियंत्रण के अलावा बैंक ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- पहले से स्थापित सुरक्षा एवं जोखिम को कम करने संबंधी नियंत्रण और प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण और निष्पक्ष इनसाइट प्रदान करने के लिए रेगुलर रैंडम अर्ली डिटेक्शन (RED) टीम एक्सर्साइज की गयी।
- इंटरनेट आधारित जोखिमों और धोखाधड़ी से व्यवसाय और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित बीमा प्रदाता से साइबर बीमा पॉलिसी ली गई है।
- ग्राहक जागरूकता में एसएमएस और ई-मेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, एटीएम के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता संदेश द्वारा ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना शामिल हैं।
- डेटा लीक रोकथाम (डीएलपी) यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी गोपनीय जानकारी बैंक नेटवर्क से बाहर नहीं जा रही है। डेटा लीक रोकथाम ऐप्लिकेशन की निगरानी, ई-मेल की निगरानी, मालवेयर सुरक्षा और उपयोगकर्ता एक्सेस नियंत्रण में मदद कर रही है।
- नेटवर्क एक्सेस नियंत्रण (एनएसी) संगणक संसाधनों तक प्रतिबंधित एक्सेस प्रदान करने में बैंक की सहायता कर रहा है। इससे दृश्यता, एक्सेस नियंत्रण और अनुपालन सुनिश्चित होता है, जो नेटवर्क सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।
- एंटी-फ़िशिंग, एक्सटर्नल अटैक सरफेस मैनेजमेंट (**ईएएसएम**) और डिजिटल जोखिम निगरानी (**डीआरएम**) सेवाएं।

विपणन

बैंक इलेक्ट्रॉनिक (टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि), प्रिंट, ओओएच, डिजिटल और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सभी मीडिया स्पेक्ट्रम पर अपनी प्रभावी उपस्थिति बनाए हुए है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने उत्पाद संबंधी अभियानों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, एमएसएमई ऋण, बॉब ब्रो बचत खाता, चालू खाता आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर इसे लगातार लोकप्रिय बनाया है। बैंक ने एसएलबीसी राज्यों (गुजरात, यूपी और राजस्थान) पर विशेष ध्यान देते हुए अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित महीने (जुलाई, 2023) के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया।

बैंक सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और खिलाड़ियों के साथ हमेशा जुड़ता रहा है और उन्हें ब्रांड एंडोर्सर बनाता है एवं उनके खेल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोर्सर्स का बेहतर उपयोग करने और प्रभावी रूप से हमारे लक्षित सेगमेंट मिलेनियल्स और खेल प्रेमी युवाओं तक पहुंच स्थापित करने हेतु बैंक ने विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फोटोशूट आयोजित किए। बैंक ने संबंधित उत्पादों पर टेलीविज़न वीडियो कमर्शियल संग्रहित और तैयार किए हैं जिसके माध्यम से ब्रांड की दृश्यता और प्रतिष्ठा में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा इन एंडोर्सर्स ने 2024 के दौरान बीडबल्यूएफ टूर्नामेंट के दौरान बैंक की ब्रांडेड जर्सी का भी इस्तेमाल किया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से हमेशा महिला सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक रहा है। इसके अलावा, बैंक हमेशा खेलों में महिलाओं के लिए एक सुदृढ़ आधारभूमि उपलब्ध कराता रहा है,जैसे कि जानी-मानी खिलाड़ी सुश्री पी वी सिंधु के मामले में, जो बैंक के ब्रांड एंडोर्सर के रूप में हमसे जुड़ी हुई हैं। अपनी ब्रांड एंडोर्सर सुश्री शैफाली वर्मा और सुश्री पी वी सिंधु के साथ अपने जुड़ाव को और अधिक गहन करने के

लिए बैंक ने त्यौहार के दौरान ब्रांड जागरूकता और व्यवसाय को बढ़ाने और अंचलों और क्षेत्रों को व्यवसाय जुटाने के लिए विभिन्न उत्पादों और पेशकशों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न टीवी मीडिया अभियान बॉब के संग, त्यौहार की उमंग, 'बॉब ब्रो' एवं चौथी तिमाही में 'भरोसा मतलब बैंक ऑफ़ बड़ौदा' चलाए हैं।

बैंक ने स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर "बॉब अर्थ" की शुरुआत के माध्यम से संवहनीयता की अवधारणा के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें बैंक की सभी हरित पहलों को "बॉब अर्थ" पहल के तहत शामिल किया गया है। बैंक ने हंगामा चैनल के सहयोग से बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट में बैंकिंग पार्टनर के रूप में भागीदारी की जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑन-ग्राउंड इवेंट में उपस्थिति के साथ बॉलीवुड हस्तियों की भी अधिक संख्या में सहभागिता रही और दुनिया भर के युवा दर्शकों ने इसे फॉलो किया। बैंक ने व्यवसाय और दृश्यता बढ़ाने के लिए बड़ौदा रेडिएंस और धन संपदा प्रबंधन उत्पादों को बढ़ावा दिया।

बैंक ने आईआईटी-बॉम्बे के सांस्कृतिक उत्सव- मूड इंडिगो में भाग लिया। यह एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें लगभग 146000 से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी रही। इस अनूठी भागीदारी ने डिजिटल और ऑन-ग्राउंड दोनों चैनलों पर बैंक का प्रचार किया है जिसके परिणामस्वरूप ब्रांड दृश्यता बढ़ाने के साथ ही व्यवसाय सृजन हुआ तथा 3000 से अधिक लीड जेनरेट हुए।

बीएफएसआई सेक्टर के तहत सरकारी और निजी मंचों में तथा सीआईआई, एफआईबीएसी, ग्लोपैक आदि के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यक्रमों में बैंक की भागीदारी।

मुंबई में बॉलीवुड म्यूज़िक प्रोजेक्ट, जयपुर में रामबाग गोल्फ क्लब, पुणे में लिटरेचर फेस्ट आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी संगीत, खेल और साहित्य के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले विशिष्ट दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई। बैंक अपनी विभिन्न बैंकिंग और गैर-बैंकिंग पहलों के माध्यम से देश के युवाओं का निरंतर समर्थन करता है। इन मिलेनियल्स और खेल प्रेमी युवाओं तक पहुंचने के लिए बैंक ने पुरुषों की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 और भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 क्रिकेट श्रृंखला के दौरान टेलीविजन अभियान शुरू किए।

इसके अलावा, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर और छोटे स्वरूप में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे गणेशोत्सोव, दुर्गा पूजा और मिर्ची रॉक एवं ढोल गरबा के प्रायोजक के रूप में बैंक विविध दर्शकों के साथ जुड़ने और व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करता है। विभिन्न बीटीएल गतिविधियों जैसे कि लालबागचा राजा के प्रमुख स्थानों पर बैंक के विभिन्न उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से त्यौहारी अभियान का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया।

रेडियो स्टेशन (बिग एफएम-मैसर्स रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा प्रतिष्ठित शो 'अंताक्षरी' के दौरान बैंक के गृह एवं कार ऋण उत्पादों, रेडियंस, आस्क एडीआई (Ask Adi) आदि का अभिनव तरीके से प्रचार-प्रसार किया गया। दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता एवं प्रस्तुतकर्ता करता अन्नू कपूर एक महत्वपूर्ण शख्शियत हैं जिन्होंने अंताक्षरी के गेम शो को सबसे यादगार और प्रतिष्ठित बना दिया है। बैंक इस लोकप्रिय रेडियो शो को पसंद करने वाले परिवारिक श्रोताओं से जुड़ने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए इस शो के साथ जुड़ा है।

डिजिटल मोर्चे पर, बैंक ने गृह ऋण, कार ऋण, वैयक्तिक ऋण, एमएसएमई, मुद्रा ऋण आदि के लिए शुरू की गई डिजिटल यात्रा का लाभ उठाकर इससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को मजबूत किया। गृह, कार, वैयक्तिक और एमएसएमई ऋण जैसे विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और व्यवसाय संवर्धन के लिए 35 से भी अधिक अभियान चलाए गए। डिजिटल पेड मार्केटिंग गतिविधियों के माध्यम से लगभग 5.85 लाख से अधिक लीड जनरेट की गईं जिनमें ₹1083 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

इसके अलावा बैंक ने अपनी प्रभावी सोशल मीडिया कार्यनीति को जारी रखा, पूरे वर्ष अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देते हुए अपनी डिजिटल उपस्थिति को मजबूत किया। बैंक ने मार्च, 2024 तक सभी प्लेटफार्मों पर 7.2 मिलियन फॉलोअर्स की उपलब्धि हासिल की।

महिलाओं को जागरूक एवं सक्रिय और सशक्त बनाने तथा लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिए बैंक कई सोशल मीडिया अभियान चलाता रहा है। अपने प्रयासों को जारी रखते हुए डिजिटल आईपी #SaluteHerShakti का चौथा संस्करण, जिसमें बैंक ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को आगे लाने और पीवी सिंधु और शैफाली वर्मा से मिलने के लिए एक मंच प्रदान किया।

पूरे वर्ष भर बैंक की सोशल मीडिया रणनीति ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की विभिन्न सुविधाओं और पेशकशों को प्रभावी ढंग से प्रचारित किया। खासकर त्योहारी मौसम में खूब प्रचार-प्रसार किया गया।

बैंक की सोशल मीडिया उपस्थिति का विविरण नीचे दिया गया है:

सोशल मीडिया चैनल	31 मार्च 2024 तक के आंकड़े (लाइक्स/फॉलोअर्स की संख्या)
फ़ेसबुक फॉलोअर्स	40.26 लाख +
ट्विटर फॉलोअर्स	10.76 लाख +
यू ट्यूब सब्सक्राइबर	6.2 लाख +
लिंक्डइन फॉलोअर्स	3.3 लाख +
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स	10.42 लाख +
क्वोरा व्यू (1 जनवरी 2022 को शुरूआत हुई)	4.87 लाख+

जहां तक वेबसाइट की बात है बैंक ने केंद्रीयकरण परियोजना के तहत घरेलू कॉर्पोरेट वेबसाइट, अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी/सहायक अनुषंगियों की वेबसाइटों और बॉब वर्ल्ड वेबसाइट सहित अपनी सभी 19 वेबसाइटों को नया स्वरूप दिया और केंद्रीकृत किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में वेबसाइट में कुल 86.50 मिलियन सेशन रहे और कुल 37.95 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट को देखा, कुल सेशनों में से 70% ट्रैफिक आर्गेनिक स्रोतों से आ रहा है।

वेबसाइट की उन्नत सुविधाओं और कार्यात्मकताओं में अब निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

- बेहतर वाइस सर्च के साथ मजबूत सर्च सुविधा
- आधिकारिक ब्लॉग, लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और परिष्कृत कैलकुलेटर
- बहुभाषी क्षमताएं उन्नत फ़िल्टर
- डब्लूसीएजी 2.0, जीडीपीआर अनुपालन, कुक्स प्रबंधन क्षमताएं
- एक्सलेरेटिंग डिजिटल ग्रोथ
- रेगुलराइज्ड सर्च इंजन
- डेटा एकत्र करने, विश्लेषण और ट्रैकिंग एवं कनवर्जन के साथ कार्रवाई में सहायक डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम हेतु सभी वेबसाइट विश्लेषण सेटअप के लिए इष्टत्तम उपयोग (एसईओ)
- सर्वोत्तम एसईओ प्रक्रियाओं को लागू करके पेज के लोड होने के समय में सुधार करना

वेबसाइट कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

वित्तीय वर्ष 2024 में समग्र ट्रैफ़िक 17% की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2024 में ऑर्गेनिक ट्रैफिक 19% सुधार

मार्च, 2024 के महीने में ऑर्गेनिक ट्रैफिक का उच्चतम स्तर प्राप्त किया गया, जो कुल 6.1 मिलियन था।

1733 कीवर्ड के साथ पहले पेज पर स्थिति सुरक्षित

ब्लॉग ऑर्गेनिक सेशन में 83% का सुधार

50 से अधिक ब्लॉग जीरो पोजिशन स्थिति में दिखाई दे रहे हैं (फ़ीचर स्निपेट)

15 से अधिक ब्लॉग गूगल सर्च जनरेटिव अनुभव (एसजीई) में प्रदर्शित हैं।

हाइपरलोकल प्रोजेक्ट (लोकेशन प्रबंधन):

नवंबर 2023 में, लोकेशन प्रबंधन (हाइपरलोकल) के हिस्से के रूप में शाखाओं और कार्यालयों के लिए 8,500 से अधिक वेबपेज बनाए गए और साथ ही साथ लॉन्च किए गए।

हाइपरलोकल ब्रांच पेज की शुरुआत के बाद, ट्रैफ़िक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अक्तूबर, 2023 में 19,868 विजिटर से बढ़कर मार्च, 2024 में 380,000 विजिटर हो गई है।

लोकेटर पेजों में माह-दर-माह ट्रैफ़िक वृद्धि:

माह	नवंबर-23	दिसंबर-23	जनवरी-24	फरवरी-24	मार्च-24
सेशन	43,299	1,42,736	2,33,679	2,98,466	3,86,626

जनसंपर्क की बात करें तो इसका उद्देश्य बैंक ऑफ़ बड़ौदा ब्रांड को बढ़ावा देना, इसकी ब्रांड प्रतिष्ठा का संरक्षण करना और इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भारत के शीर्ष 5 बैंकों में शामिल करना, बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन को रेखांकित करना, बैंक में ट्रासफॉमैशन के साथ-साथ अन्य प्रमुख घोषणाओं और पहलों को संप्रेषित करना था। वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बीच मीडिया शेयर ऑफ वॉयस में #2 रैंक के साथ शीर्ष बैंकों में अपने स्थान को मजबूत किया।

बैंक ने नए युग की डिजिटल मार्केटिंग का लाभ उठाना एवं भौतिक तथा डिजिटल मार्केटिंग के बीच संतुलन बनाए रखना जारी रखा है, इसका उद्देश्य एक ऐसे महत्वाकांक्षी ब्रांड के रूप में स्वयं को स्थापित करना है जो उपयुक्त सामग्री प्रदान करते हुए डिजिटल दर्शकों को जोड़ता है, सशक्त बनाता है एवं शिक्षित करता है तथा सतत विश्लेषण, आकलन और अनुभव, प्रतिक्रिया और क्षमताओं में सुधार कर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है।

कॉर्पोरेट नैतिकता

नैतिक आचरण संहिता देश में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। हमें नैतिक आचरण संहिता को अपनाने तथा संगठन में नैतिक समस्याओं और मुद्दों को संभालने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करने में अग्रणी होने पर गर्व है। नैतिक आचरण संहिता को दुनिया भर के समकक्ष संगठनों के साथ बेंचमार्क किया गया है और इस संस्कृति के अंतिम वाहक और संचालक के रूप में कर्मचारियों को इसके केंद्र में रखते हुए इसे हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है। नैतिक आचरण संहिता का हमारे बुनियादी मूल्यों के साथ गहरा संबंध है और यह संहिता हमारे सहकर्मियों और हितधारकों के साथ हमारे व्यवहार तथा हमारे साथ काम करने वालों से हमारी अपेक्षाओं के लिए एक मार्गदर्शी फ्रेमवर्क स्थापित करती है। यह संहिता बैंक और इसके कर्मचारियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करती है और साइबर सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में उभरते महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करते समय उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

बदलते समय के साथ बैंकिंग उद्योग ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता और विश्वास हमेशा बैंकिंग उद्योग के केंद्र में रहा है। यह संहिता हमें सही करने के लिए शक्ति प्रदान करती है और यह हमारे बैंक के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी सहायक होगी। बैंक के शीर्ष कार्यपालक विभिन्न कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रमों के माध्यम से संहिता को लागू करने में समर्थन कर रहे हैं।

पूरे वर्ष शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और नैतिकता के मूल्यांकन के लिए मैट्रिक्स तैयार करने के अलावा, हमारी नैतिकता संबंधी योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक संप्रेषण के प्रभावी चैनल विकसित करना है और इस प्रयास की दिशा में नैतिक आचरण संहिता के अनुरूप "स्पीक अप" पहल की शुरूआत की गई जो अनैतिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध शिकायतों और मामलों को दर्ज करने के लिए बैंक में उपलब्ध चैनलों पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, कर्मचारियों के रचनात्मक योगदान को संकलित कर एक त्रैमासिक इन-हाउस पत्रिका-बड़ौदा संस्कृति की शुरुआत की गयी। नैतिक आचरण संहिता से नियमित स्निपेट, प्रश्नोत्तरी, प्रतियोगिताओं, सीओई पर द्विभाषी ऑडियो बुक और अन्य डिजिटल संप्रेषणों जैसे नैतिक दुविधाओं पर आधारित वीडियो-नैतिक सीरिज भी नैतिकता के संबंध में बेहतर जागरूकता सुनिश्चित करती हैं। वर्ष के दौरान उच्च जोखिम वाली शाखाओं में डाउनग्रेड की गई शाखाओं के लिए कॉर्पोरेट आचरण पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया था। बैंक के नैतिकता एजेंडा -05- के भाग के रूप में - प्रत्येक अंचल

क्लस्टर - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य के लिए जून, 2023 में फील्ड स्तर के एथिक्स काउंसलर नियुक्त किए गए थे, जो फील्ड स्तर पर कॉर्पोरेट नैतिकता संदेश को प्रसारित करने में मदद करेंगे और नैतिक दुविधाओं/मुद्दों के मामले में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करेंगे। बैंक ने बैंक के स्थापना दिवस 2023 के अवसर पर "लिविंग द वैल्यूज" - वॉल्यूम 1 ई-बुकलेट लॉन्च की है। यह ज्लिविंग द वैल्यूजट श्रृंखला के तहत अपनी तरह की अनूठी पहल है, जिसमें हमारे बड़ोदियन साथियों की प्रेरक लघु कथाएं शामिल हैं जो कार्य व्यवहार में हमारे बुनियादी मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों को हमारे प्रत्येक बुनियादी मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, ग्राहक केंद्रियता, साहस, उत्साहपूर्ण स्वामित्व, नवोन्मेषिता और उत्कृष्टता के तहत वर्गीकृत किया गया है।

सभी कर्मचारियों के लिए नैतिकता से संबंधित वेबिनार, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनिवार्य ई-लर्निंग पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि नैतिकता संहिता सभी कर्मचारियों तक प्रसारित हो और हमारे बैंक में नैतिकता एवं पारदर्शिता की संस्कृति सुदृढ़ हो।

एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति, जो कर्मचारियों को नैतिक रूप से व्यवहार करने और अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है, विकसित कर हम आशा करते हैं कि हमारा संगठन एक ऐसा सशक्त माहौल प्रदान करने, सोशल एंड गवर्नेंस (ईएसजी) अपनाने में सक्षम होगा जिसमें अपने सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जा सकेगा।

ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उद्योग बेंचमार्क निर्धारित करने और उत्पाद, प्रक्रिया तथा सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी नवोन्मेषी प्रयासों में अग्रणी रहता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। सभी चैनलों पर 15 भाषाओं और सभी संभावित मोड जैसे वॉयस (आईवीआर / वॉयस बॉट / एजेंट), वीडियो कॉल, वेब चैट, ईमेल के माध्यम से ग्राहकों से संवाद की लगातार निगरानी की जाती है और घर बैठे बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए चैनल की क्षमताओं (सुविधाओं और उपयोगकर्ता अनुभव) को संवर्द्धित किया गया है। बैंक ने दक्षता के साथ ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए समय-समय पर एआई और जनरेटिव एआई आधारित सुविधाओं को शामिल करना सुनिश्चित किया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, भाषा की उपलब्धता को बढ़ाकर नौ क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिया गया है।

संपर्क केंद्र की विशेषताएं :

1. संपर्क केंद्र में वर्ष के दौरान प्रति दिन 1.43 लाख से अधिक औसत इनबाउंड ग्राहक कॉल प्राप्त हुए और आईवीआर के माध्यम से प्रतिदिन 1.13 लाख से अधिक कॉल का जवाब दिया गया।
2. बिक्री और सर्वेक्षण के लिए प्रति दिन औसतन 1.16 लाख से अधिक आउटबाउंड कॉल।
3. बैंक आईवीआर पर लगभग 78% कॉल का जवाब दे रहा है जो बैंकिंग उद्योग में सबसे अधिक है।
4. संपर्क केंद्र ने 6 विदेशी क्षेत्रों अर्थात् बोत्सवाना, मॉरीशस, युगांडा, ओमान, फिजी और सेशेल्स को आपातकालीन सेवाएं प्रदान कीं।
5. संपर्क केंद्र द्वारा 24*7 एफआरएमएस अलर्ट की समीक्षा की गई और चैनलों को तत्काल ब्लॉक करके ग्राहकों की 2000 करोड़ से अधिक की धनराशि धोखाधड़ी से बचाई गई।
6. आईएन14सी के अंतर्गत बैंक ने 1.56 लाख अलर्ट का जवाब दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक ग्राहकों की धनराशि को बचाया है।
7. संपर्क केंद्र ने कई नई सुविधाओं की शुरुआत की है जैसे- कॉल बैक, जन्मदिन की शुभकामनाएं।
8. एनआरआई/एचएनआई, बॉब वर्ल्ड इंटरनेट और बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग से संबंधित समस्याओं, शिकायतों, पीएमजेडीवाई को विशेष रूप से सहयोग देने के लिए संपर्क केंद्र में विभिन्न विशेष सहायता केंद्रों की स्थापना।
9. संपर्क केंद्र, एजेंटों के माध्यम से 24*7 आधार पर 24 आईवीआर सेवाएं और 26 अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
10. बैंकिंग उद्योग में ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो कॉल और लाइव वेब चैट की सुविधा शुरू करने वाला यह पहला संपर्क केंद्र है।
11. अब संपर्क केंद्र में एआई-आधारित कई तकनीक जैसे स्पीच एनालिटिक्स, सोशल मीडिया टूल्स, स्वचालित ई-मेल टूल, जीनी प्रशिक्षण टूल, ऑरा कॉल क्वालिटी टूल, पॉवर बीआई स्मार्ट डैशबोर्ड और कई अन्य तकनीक उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, बैंक ने शिकायतों को प्रबंधित करने के लिए दूरस्थ चैनलों के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लगभग 94.7% शिकायतों का निपटान पूर्व-निर्धारित टर्न अराउंड टाइम के भीतर किया गया। बैंक ने न केवल शिकायत समाधान के मात्रात्मक कार्यनिष्पादन संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समाधान की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शाखाओं के नेटवर्क में सेवा स्तर की निगरानी मिस्ट्री शॉपिंग/ सेवा लेखापरीक्षा और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के लिए महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं को प्रधान नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सभी अंचल प्रमुखों और क्षेत्रीय प्रमुखों को उनके संबंधित अंचलों एवं क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क नंबर बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु एक आंतरिक लोकपाल फोरम उपलब्ध कराया है, जहां वे भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल से पहले संपर्क कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतें जो बैंक द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, उन्हें समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल के पास अग्रेषित की जाती है। इससे बैंक की प्रणालियों के प्रति ग्राहकों का विश्वास और सुदृढ़ होता है तथा शिकायत समाधान की प्रक्रिया में तेजी आती है जिससे यह और भी अधिक पारदर्शी हो जाता है।

विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राहकों और एमएसएमई

के लिए बैंक की प्रतिबद्धता संहिता, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और भारतीय रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। निदेशक मंडल स्तर पर, ग्राहक सेवा बोर्ड की उप समिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और इसके अनुपालन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देती है।

बैंक का चैटबॉट "ADI" पहले से ही बैंक की वेबसाइट पर सेवा दे रहा है। ADI ग्राहकों को वेबसाइट के विभिन्न पृष्ठों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है और ग्राहकों को एक संवादात्मक अनुभव प्रदान करता है । हमारे ग्राहकों के प्रश्नों का त्वरित जवाब देना, चैट करने की सुविधा, 24x7 उपलब्धता, डिजिटल सहायता और एक निर्बाध चैटिंग अनुभव आदि "ADI" की कुछ विशेषताएं हैं । बैंक ने आउटबाउंड सेल्स कॉल हेतु ट्रू कॉलर सर्विसेज के साथ भी करार किया है । इसका मतलब है कि जब भी कोई कॉल बैंक के प्राधिकृत फोन नंबर से किया जाता है तो बैंक का लोगो और एक ब्लू टिक ग्राहकों को उनके फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा, इस प्रकार ग्राहकों को आश्वासन दिया जाता है कि यह कॉल वास्तविक है। इससे ग्राहकों को धोखाधड़ी का शिकार होने से भी बचाया जा सकेगा।

बैंक ने अपना टोल फ्री नंबर भी बदल दिया है। अब यह पहले की 11 अंकों की संख्या के बजाय 8 अंकों की संख्या है। यह तब किया गया जब यह पता चला कि जालसाज बैंक के टोल-फ्री नंबर के समान नंबर प्राप्त करते हैं और बैंक अधिकारी होने का ढोंग करके ग्राहकों को ठगने की कोशिश करते हैं। यह हमारे ग्राहकों को विशिंग से बचाने के लिए किया गया है।

ग्राहक शिकायत पर कार्रवाई

ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर जाकर और उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से सीधे बैंक में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं । वैकल्पिक रूप से, ग्राहक टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और बैंक के सीआरएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं । ग्राहकों के लिए शाखाओं और अन्य कार्यालयों में किसी भी माध्यम से अपनी शिकायतें भेजने का विकल्प भी उपलब्ध है । सभी शिकायतें सीआरएम पोर्टल में दर्ज की जाती हैं । शिकायतें, शिकायत दर्ज करते समय चुनी गई शिकायत की श्रेणी के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित समाधानकर्ता को भेज दी जाती हैं ।

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहकों में उनकी शिकायतों के समाधान के संबंध में विश्वास जगाने के लिए बैंक में एक आंतरिक लोकपाल तंत्र भी उपलब्ध है ।

ऑनलाइन लेन-देन संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बैंक ने एक ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर) तंत्र भी लागू किया है । साथ ही, संपर्क केंद्र में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर) के माध्यम से बड़ौदा कनेक्ट सुविधा की ब्लॉकिंग प्रदान की जाती है।

बैंक, ग्राहकों को दिए जा रहे समाधान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 100% गैर-एडीसी शिकायतों और 5-10% एडीसी शिकायतों की गुणवत्ता की जांच करता है । गुणवत्ता जांच के परिणाम संबंधित समाधानकर्त्ता समूह के साथ साझा किए जाते हैं । गुणवत्ता जॉच की प्रक्रिया को और अधिक कुशल तथा कम श्रमसाध्य बनाने के लिए बैंक ने आईआईटी- बॉम्बे के सहयोग से एक AI टूल विकसित किया है जो समाधान की गुणवत्ता का आकलन करेगा, इस प्रकार अपेक्षित समय और मानव बल में भी कमी आएगी ।

शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2024 को बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

घरेलू शाखाएं	वित्त वर्ष 2023		वित्त वर्ष 2024	
	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा	शाखाओं की संख्या	कुल में % हिस्सा
मेट्रो	1,787	21.79	1,789	21.70
शहरी	1,471	17.94	1,488	18.05
अर्द्ध-शहरी	2,075	25.31	2,094	25.41
ग्रामीण	2,867	34.96	2,872	34.84
कुल	8,200	100.00	8,243	100.00
विदेशी शाखाएं / कार्यालय (विदेशी अनुषंगियों की शाखाओं सहित)	93		91	

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बैंक ने 61 नई घरेलू शाखाएं खोली और 18 शाखाओं को मौजूदा शाखाओं के साथ विलय किया।

करेंसी चेस्ट

दिनांक 31 मार्च, 2024 को करेंसी चेस्ट की संख्या 138 रही। ये चेस्ट बैंक में प्रभावी नकदी प्रबंधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नकदी को तिजोरी में रखने में सहयोग प्रदान करते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी करेंसी चेस्टों के साथ-साथ शाखाओं को भी नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) उपलब्ध करवाई गई है ।

जोखिम गवर्नेंस एवं आंतरिक नियंत्रण

जोखिम पर अधिक ध्यान केंद्रित और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का समर्थन के तहत जोखिम की पहचान करने, इसकी निगरानी करने एवं जोखिम से निपटने और उसका प्रबंध करने हेतु बैंक के स्तर पर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण करना शामिल है, प्राय: जिसका उल्लेख "बचाव के तीन स्तर" के रूप में किया जाता है, इन तीनों स्तरों में से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि निम्नानुसार है :

i. बचाव का प्रथम स्तर - इसमें बैंक के व्यवसाय वर्टिकल और परिचालन इकाइयों का समावेश है क्योंकि उन्हें जोखिम का प्रभावी प्रबंधन एवं विनियमों, बैंक की पॉलिसियों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है ।

ii. बचाव का दूसरा स्तर - इसमें जोखिम नियंत्रण के स्वामियों, जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं अनुपालन कार्यों का समावेश है । यह बचाव के प्रथम स्तर से स्वतंत्र रूप से इंटरप्राइज़ आधार पर जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है ।

iii. बचाव का तीसरा स्तर - यह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक जोखिम आधारित और अन्य लेखापरीक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया स्वतंत्र आश्वासन है। इसकी समीक्षा निदेशक मंडल को यह

आश्वासन देती है कि जोखिम गवर्नेन्स फ्रेमवर्क सहित समग्र गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रभावी है और पॉलिसियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं तथा उन्हें निरंतर लागू किया जाता है। लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका सुपरिभाषित है और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जाता है ।

जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन

जोखिम, बैंकिंग व्यवसाय का एक अविभाज्य अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और प्रतिलाभ के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करना है । सतत एवं निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित किया है ताकि बैंक द्वारा धारित जोखिमों का सही मूल्यांकन और निगरानी की जा सके । बैंक, निर्धारित जोखिम क्षमता सीमा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अंदर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करता है । विभिन्न जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है । निदेशक मंडल ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया है । इस निदेशक मंडल में उपलब्ध विशेषज्ञ जोखिम सलाहकार का सहयोग मिलता है। निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल की समिति द्वारा समय - समय पर अनुमोदित नीति प्रत्येक प्रकार के जोखिम के लिए गवर्निंग फ्रेमवर्क तैयार करती है।

बासेल III फ्रेमवर्क

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा तीन बेसल स्तंभों, यानी स्तंभ I- पूंजी पर्याप्तता, स्तंभ II- पर्यवेक्षी समीक्षा और स्तंभ III-बाजार अनुशासन पर मजबूती से टिका हुआ है । बैंक सुदृढ़ पूंजी स्तर बने रहने से मजबूत हुआ है । बैंक ने अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफर सहित सामान्य इक्विटी टीयर I, अतिरिक्त टीयर I और टीयर II पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा है । फ्यूचरिस्टिक कैपिटल प्रोजेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए हमेशा तैयार है । ऋण जोखिम और पूंजी पर्याप्तता टीम द्वारा जोखिम भारित आस्तियों की स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है । पर्याप्त पूंजी और औचित्यपूर्ण जोखिम भारित आस्तियां बैंक के लिए सुदृढ़ पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) सुनिश्चित करती हैं ।

बैंक के पास व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है । पूंजी पर्याप्तता का आकलन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम आदि और दबाव वाली स्थितियों (सामान्य और प्रतिकूल दोनों स्थितियों के तहत) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए उपलब्ध प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है ।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

बैंक के व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के लिए सशक्त जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने, सभी जोखिमों की जल्द पहचान, मूल्यांकन, मापन, एकत्रीकरण और प्रबंधन में मदद करने और पूंजी आबंटन की सुविधा के लिए एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जोखिम वहन करने संबंधी विस्तृत फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी संभावित जोखिमों को वहन करने की सीमाएं अनुमोदित की गई हैं और इनका समुचित रूप से पालन किया जाता है। इसके अलावा, व्यावसायिक अनुमानों के अनुरूप जोखिम वहन करने की सीमाएं भी नियत की गई हैं।

बैंक ने अपने संगठन में एक मजबूत जोखिम संस्कृति स्थापित की है, जहां यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बचाव के सभी तीनों स्तर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में पूर्णत: सक्षम हैं। जोखिम संस्कृति को बनाए रखने में विभिन्न हितधारकों के मध्य जोखिम संस्कृति से संबंधित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। निरंतर प्रशिक्षण प्रयासों के माध्यम से, बैंक के कर्मचारी सभी स्तरों पर बैंक की जोखिम वहनीय सीमाओं के अनुरूप कार्य करने और उनका पालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हैं। यह दूरगामी दृष्टिकोण न केवल जोखिम संबंधी जागरूकता को बढ़ाता है बल्कि समग्र रूप से जोखिम संस्कृति को भी मजबूत करते हुए एक सतर्क और जानकार कार्यबल को प्रोत्साहन देता है।

अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को गति प्रदान करने की अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, बैंक ने उभरते जोखिमों की पहचान करने और उनके वास्तविक स्वरूप का आकलन करने के लिए एक समर्पित फ्रेमवर्क की स्थापना की है। यह फ्रेमवर्क विशेष रूप से उन सभी जोखिमों की व्यापक पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बैंक से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन प्रमुख जोखिमों को इंगित करते हुए उनके वास्तविक प्रभावों का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो संभावित रूप से बैंक के उद्देश्यों और कार्यनीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

जलवायु जोखिम

बैंक संवहनीय व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों के समाधान की आवश्यकता को समझता है और इससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, बैंक ने अपनी ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय कारकों को शामिल करके जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) क्षेत्र में उभर रही चुनौतियों को देखते हुए इन्हें और मजबूत किया जा रहा है।

ग्रीन फायनेंस जैसी पहल के माध्यम से, बैंक अक्षय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ मोबिलिटी और अन्य पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करने के लिए हरित और संवहनीय उत्पादों की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य बदलते पर्यावरण के साथ-साथ बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। जलवायु जोखिम को दूर करने के लिए बैंक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को जलवायु जोखिम के अनुकूल बनाने / अपने मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में जलवायु जोखिम को शामिल करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य के हिस्से के रूप में एक जलवायु जोखिम एवं संवहनीयता कक्ष की स्थापना कर रहा है।

हमारे बैंक की ईएसजी जोखिम रेटिंग की समीक्षा सस्टेनेलिटिक्स द्वारा की गई है, 27 फरवरी, 2024 की अद्यतन स्थिति के अनुसार इसमें उच्च जोखिम से

मध्यम जोखिम में सुधार हुआ है और 1060 समकक्ष बैंकों में बैंक 329वीं रैंकिंग पर रहा है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरुप नीतियां, प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग पद्धति को निर्धारित करता है। बैंक के पास क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिम की पहचान, आकलन और नियंत्रण हेतु मजबूत ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधक फ्रेमवर्क है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडलों एवं स्कोरकार्डों का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के लिए विभिन्न क्रेडिट जोखिम मॉडल आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं। उनकी समीक्षा बाहरी सत्यापन सहित व्यापक सत्यापन के माध्यम से की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। तीन एमएसएमई स्कोर कार्ड मॉडेल को शामिल करते हुए, दक्षतापूर्ण और मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए बैंक ने हाल ही में अपनी आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को अपग्रेड किया है। आंतरिक रेटिंग को स्वतंत्र रेटिंग मानक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

संवहनीय पोर्टफोलियो का निर्माण और पोर्टफोलियो संकेन्द्रण के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने उद्योगों, क्षेत्रों और ऋणकर्ताओं के लिए विवेकसम्मत उच्चतम ऋण सीमाएं तय कर रखी हैं। बैंक ने विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि के जोखिम मूल्यांकन के लिए इन-हाउस मॉडल विकसित किए हैं और जोखिम की सीमा तय की है। बेहतर जोखिम निगरानी के एक भाग के रूप में बैंक के प्रमुख एक्सपोजर, सेगमेंट, उद्योगों और सेक्टरों के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। एक समर्पित टीम, पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी कारकों को ट्रैक करती है और अपेक्षित कार्रवाइयों की सिफारिश करती है। बैंक, व्यापक विषयगत समीक्षा भी करता है जिसमें सेक्टर आउटलुक और अन्य घटना-विशेष के प्रभाव का अध्ययन शामिल होता हैं। बैंक ने सीआरएआर और एक्सपोजर गणना के ऑटोमेशन की पहल की है।

बेहतर ऋण संस्कृति और एक सुगठित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम का अर्थ बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मूल्यों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अर्जन या आर्थिक मूल्य के नुकसान का जोखिम है। विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव के मुख्य कारकों में ब्याज की दरें, विनिमय दरें, आर्थिक विकास तथा कारोबार विश्वास में परिवर्तन शामिल हैं। बैंक ने अपने ट्रेजरी-कार्यो जिसके तहत विभिन्न बाजार जोखिम पोजिशन लिए जाते हैं, को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी करने के लिए व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं।

जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में मिड ऑफिस दैनिक आधार पर संशोधित अवधि, पीवी 01 और जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम का आकलन करता है और निगरानी करता है। दैनिक आधार पर नेट ओवरनाईट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल), वीएआर सीमा, इंडिविजुअल गैप लिमिट (आईजीएल), एग्रीगेट गैप लिमिट्स (एजीएल) तथा टोटल एग्रीगेट गैप लिमिट (टीएजीएल) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोखिम का आकलन किया जाता है और निगरानी की जाती है। इक्विटी मूल्य जोखिम का वीएआर सीमाओं और पोर्टफोलियो आकार सीमाओं के माध्यम से आकलन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। लेनदेन स्तर पर, स्टॉप हानि-सीमा और डीलर-वार सीमा निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। मिड ऑफिस दैनिक आधार पर वीएआर नंबरों की बैक टेस्टिंग भी करता है। अपने दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क के तहत, बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी व्यापारिक बही-पोर्टफोलियो और ट्रेजरी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न का व्यापक दबाव विश्लेषण करता है. बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना मिड ऑफिस द्वारा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन

तरलता जोखिम से आशय उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में एक असमर्थता से है। बैंक में प्रवाह दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य विवेकपूर्ण माध्यमों से तरलता जोखिम निर्धारण किया जाता है एवं इसकी निगरानी की जाती है। बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क, तरलता कवरेज अनुपात, तरलता जोखिम मॉनीटरिंग टूल्स और एलसीआर घोषणा मानकों को कार्यान्वित कर दिया है। एलसीआर मानकों का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त भार रहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके, जो महत्वपूर्ण गंभीर लिक्विडीटी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा कर सके। बैंक हमेशा एकल के साथ-साथ समेकित आधार पर भी एलसीआर के निर्धारित स्तर से ऊपर की स्थिति पर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 01 अक्तूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर निधियां अनुपात) भी लागू किया है जो लंबी अवधि में फैल्किसबिलिटी को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से ऊपर रहा है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील आस्तियों और देनदारियों के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होता है, जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/ आर्थिक मूल्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के आकलन और निगरानी के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन माध्यमों का उपयोग करता है जैसे कि पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की परिवर्तित अवधि 'निवल ब्याज आय (एनआईआई)' पर ब्याज दर संचलन के अल्पकालिक प्रभाव का आकलन जोखिम पर अर्जन दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और निहित ऑप्शन्स जोखिम में समानांतर परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। ब्याज दर

संचलन के दीर्घकालीन प्रभाव का आकलन एवं निगरानी इक्विटी के बाज़ार मूल्य का (एमवीई) में परिवर्तन के माध्यम से की जाती है।

परिचालन जोखिम

संगठन में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) है। ओआरएमएफ में परिचालन जोखिम, शासकीय संरचना, नीतियां, प्रक्रिया और प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना शामिल है। ओआरएमएस में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, आकलन, निगरानी, नियंत्रण और इसे कम करने संबंधी प्रणालियां शामिल हैं। बैंक के पास डाटा कैप्चर करने एवं परिचालनगत जोखिम के एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम है। बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के हमारे प्रयासों के तहत परिचालनगत जोखिम अनुपालन एवं गवर्नेंस को लागू करने के लिए हमारे बैंक ने वेब आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन सिस्टम को प्राप्त किया है। मुख्य जोखिम संकेतक प्रोग्राम (केआरआई), रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (आरसीएसए) की निगरानी और मूल कारण विश्लेषण ने नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया है। बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक डेटा क्षति का भंडार बनाया है। बदलते व्यवसायी माहौल में उत्पादों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा जोखिम संस्कृति को और मजबूत बनाती है। कर्मचारियों के बीच जोखिम संस्कृति, मूल्यों, विश्वासों, ज्ञान, दृष्टिकोण और जोखिम के बारे में समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए ईमेल, वर्कशॉप, वेबिनार, मीटिंग, फ़्लायर, मैगज़ीन, ई-लर्निंग मॉड्यूल आदि के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के समुचित उपयोग के माध्यम से, धोखाधड़ी की प्रचलित घटनाओं के बारे में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए पहलें की गई हैं। साथ ही, ऐसी धोखाधड़ी वाली संदेहास्पद गतिविधियों की रोकथाम के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम

व्यवधानों के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में परिचालन की निरंतरता और ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के पास एक विस्तृत और प्रभावी व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) है। ये फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं। बैंक व्यवसाय निरंतरता तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य करता है। व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के माध्यम से, बैंक ग्राहकों को यह आश्वासन प्रदान करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें विश्वस्त और सुरक्षित सेवाएं मिलती रहेंगी। बैंक व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों का श्रेष्ठ आबंटन सुनिश्चित करता है। जोखिमों की पहचान के आधार पर, व्यवसाय पर प्रभाव का विश्लेषण (बीआईए) किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए एनबलर आधारित मैपिंग बैंकों को संसाधनों को अधिक कुशलता से आबंटित करने, सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने और गैर-महत्वपूर्ण खर्च में कटौती करने में मदद करती है। बैंक के पास आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट है। डेटा सेंटर में किसी भी प्रकार की बाधा की स्थिति में बैंक की डिजास्टर रिकवरी साइट सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है।

अनुपालन

अनुपालन कार्यकलाप बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है। बैंक में अनुपालन कार्य पर्याप्त रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र है। अनुपालन प्रणाली बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक अधिनियमों जैसे विभिन्न कानूनों में निहित सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करती है। यह बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है। बैंक के पास सुव्यवस्थित अनुपालन नीति जो बैंक के अनुपालन के दर्शन, भूमिका और अनुपालन विभाग के गठन, उसके स्टाफ की संरचना और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।

अनुपालन प्रणाली बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और वैश्विक मानकों पर सलाह देती है और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति से उनको अवगत कराती है। यह बैंक के व्यवसाय स्टाफ और नामित अनुपालन अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के द्वारा अनुपालन के मामलों पर उन्हें शिक्षित करती है। इस उद्देश्य के लिए बैंक की वेबसाइट पर नॉलेज मैनेजमेंट टूल को भी अपलोड किया गया है। बैंक ने अनुपालन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में प्रत्येक स्तर पर प्रमाणीकरण और विभिन्न नियामक, सांविधिक और आंतरिक दिशानिर्देशों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित अनुपालन प्रबंधन समाधान को कार्यान्वित किया है। बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण कोड में परिभाषित ठह्विह्रिद्ध से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को स्वचालित किया जाता है।

अन्य गतिविधियों के तहत क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों (आरसीओ) के माध्यम से केवाईसी-एएमएल से संबंधित 101 से अधिक मानदंडों एवं अनुपालन के अन्य मानदंडों पर ऑन-साइट अनुपालन जांच संबंधी घरेलू अनुपालन कार्य पूरा किया गया। तिमाही आधार पर लगभग 25% शाखाओं का रैंडम रूप से चयन किया जाता है। बैंक छमाही आधार पर विभिन्न कार्यों की ऑन-साइट अनुपालन लेखा परीक्षा भी करता है। केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों और अनुपालन के अन्य मानदंडों से संबंधित लगभग 52 मानदंडों पर वेब आधारित टूल-ऑफ साइट कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीआरएमएस) के माध्यम से मासिक आधार पर ऑफ-साइट अनुपालन जांच कार्य पूरा किया गया।

एक वार्षिक समूह व्यापी अनुपालन योजना तैयार की जाती है और योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाती है। बैंक आरबीआई के ट्रेंच-III डेटा टेम्प्लेट, ऑनसाइट/ऑफसाइट/वर्टिकल टेस्ट चेक रिपोर्ट आदि से मापदंडों को सोर्स करके सालाना आधार पर बैंक का अनुपालन जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) भी करता है और सीआरए स्कोर प्राप्त करता है। गैर-अनुपालित विनियामक मापदंडों के समय पर अनुपालन के लिए जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना तैयार करने के लिए बैंक सीआरए मैट्रिक्स का भी उपयोग करता है।

बैंक ने सिस्टम और प्रक्रियाओं में गैप को चिन्हित करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए डेटा डंप विश्लेषण के लिए डेटा एनालिटिक्स सेल (DAC) के निर्माण जैसी कई नई पहलें की हैं। उत्पाद विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नया/ मौजूदा उत्पाद उम्मीद के मुताबिक कार्य कर रहा है और सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा कर रहा है। इसी तरह, परिपत्र की वेटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वर्टिकल द्वारा जारी दिशानिर्देश आरबीआई/सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विनियामक और/या वैधानिक दिशा-निर्देशों की पहचान की गई है, जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में कोई भी उल्लंघन नियामक के प्रतिकूल अवलोकन को आमंत्रित कर सकता है। इन दिशानिर्देशों को प्रमुख अनुपालन संकेतक (केसीआई) कहा जाता है और उल्लंघन/ विचलन के मामले में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है। ये गतिविधियां बैंक की अनुपालन स्थिति को और मजबूत करने में बैंक की मदद करेंगी।

बैंक ने वास्तविक समय के आधार पर फील्ड अधिकारियों से दंड, अप्रसन्नता पत्र, चेतावनी पत्र आदि पर डेटा एकत्र करने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है। यह बैंक को केंद्रीय रूप से डेटा की निगरानी करने और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में, बैंक ने सभी अनुपालन अधिकारियों और नामित अधिकारियों को अनुपालन के क्षेत्रों में नवीनतम बदलावों पर प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया। व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए, बैंक स्टाफ सदस्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ), एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट (एसीएएमएस) आदि से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 सितंबर, 2013 को बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन के साथ पठित दिनांक 13 फरवरी, 2014 के 'बड़े समूह ऋण के लिए केंद्रीय रिपॉज़िटरी के निर्माण - रिपोर्टिंग में संशोधन', भारतीय रिजर्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के लिए अधिसूचना सं 2014, अर्थात् ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ₹4.34 करोड़ (चार करोड़ और चौंतीस लाख रुपये केवल) के मौद्रिक दंड के अलावा अनुपालन विफलता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा, मोबाइल एप्लिकेशन पर ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग के तरीके से संबंधित पर्यवेक्षी चिंताओं के आधार पर 10 अक्तूबर 2023 से 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग को निलंबित कर दिया गया है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति है। इस नीति के आधार पर, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक के केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों एवं सीएफटी उपायों तथा बैंक के दायित्वों को कार्यान्वित किया जाता है। बैंक इलेक्ट्रानिक रूप से नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर), गैर लाभकारी संगठनों की लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर (ईएफटी) रिपोर्ट को एफआईयू - आईएनडी, नई दिल्ली के पोर्टल पर प्रत्येक माह निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करता है।

बैंक ने केन्द्रीय लेन-देन निगरानी इकाई (सीटीएमयू) की स्थापना की है और ग्राहकों के खातों में संदिग्ध लेन-देन पैटर्न की निगरानी और पहचान तथा सिस्टम में पूर्व निर्धारित अलर्ट मानदंडों के आधार पर सिस्टम आधारित लेन- देन अलर्ट जनरेट करने के लिए एक एएमएल सॉल्यूशन स्थापित किया है। ग्राहकों के खातों का अर्धवार्षिक आधार पर सिस्टम आधारित जोखिम वर्गीकरण (धन शोधन निवारण जोखिम वर्गीकरण) किया जाता है। केवाईसी (रिकेवाईसी) के आवधिक अपडेशन के लिए, बैंक ने री-केवाईसी प्रक्रिया हेतु शेष ग्राहकों की पहचान के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है जिसके माध्यम से उन्हें अपना रिकेवाईसी पूरा करने हेतु सूचित करने के लिए एसएमएस/ई-मेल/भौतिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। बैंक वैयक्तिक ग्राहकों को उनकी बैंक शाखा में आए बिना अपना रि-केवाईसी पूरा करने के लिए डिजिटल/नॉन-फेस-टू-फेस चैनल की सुविधा भी प्रदान करता है।

बैंक ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर नए ऑन-बोर्डेड वैयक्तिक ग्राहकों की केवायसी जानकारी के पंजीकरण के लिए सेंट्रल केवायसी (सीकेवायसी) प्रक्रिया को क्रियान्वित किया है। 31 मार्च, 2024 तक 736.08 लाख ग्राहकों को सीकेवायसी नंबर आबंटित किया गया।

बैंक ने नए कर निवासी भारतीय वैयक्तिक ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग हेतु ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू किया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

महाप्रबंधक / मुख्य महाप्रबंधक के नेतृत्व में बैंक का केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग (सीआईएडी) आंतरिक लेखापरीक्षा, आईएस लेखापरीक्षा, क्रेडिट लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा कार्यों की देख रेख करता है। बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक स्वतंत्र गतिविधि है और बैंक में इसे पर्याप्त प्रतिष्ठा एवं प्राधिकार प्राप्त है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अन्य एश्योरेंस फंक्शन अर्थात जोखिम प्रबंधन विभाग और अनुपालन विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करता है।

सीआईएडी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति द्वारा लिए गए निर्णय की आवधिकता के अनुसार -22- अंचल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभागों के माध्यम से शाखाओं/ कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य करता है। सभी शाखाएं, केंद्रीकृत इकाइयां, प्रशासनिक कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 को सभी 8242 शाखाओं और स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा की समग्र जोखिम स्थिति निम्नानुसार है -

- अल्प जोखिम शाखाएं - 6933 शाखाएं (84.11%)
- मध्यम जोखिम शाखाएं - 1006 शाखाएं (12.20%)

- उच्च जोखिम शाखाएं - 262 शाखाएं (3.18%)
- -41- शाखाओं की कोई रेटिंग नहीं हुई (नई शाखाएं)
- स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा अल्प जोखिम में रही।

समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कुल -1216- बैंक शाखाएं और अन्य इकाइयां शामिल हैं, जिनमें 51.02% जमा, 70.20% अग्रिम और 59.51% समग्र व्यवसाय कवरेज शामिल है। सभी श्रेणी बी शाखाएं, करेंसी चेस्ट और केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

₹10.00 करोड़ और उससे अधिक (FB + NFB) के कुल जोखिम वाले खुदरा ऋण और पुनर्गठित खातों सहित सभी नई स्वीकृतियों/ मौजूदा खातों का क्रेडिट ऑडिट किया जाता है और 5% उधारकर्ता खातों को नए खातों और ₹1.00 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10.00 करोड़ से कम (एफबी + एनएफबी) के कुल जोखिम वाले समीक्षा सह वृद्धि वाले खातों से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है।

शाखाओं के आरबीआईए के हिस्से के रूप में आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए बैंक की सभी शाखाएं सूचना प्रणाली ऑडिट ("आईएस ऑडिट") के अधीन हैं। डेटा सेंटर और आईटी एप्लिकेशन का आईएस ऑडिट भी समय-समय पर सीआईएसए / डीआईएसए योग्य आईएस ऑडिटर्स और बाहरी सीईआरटी फर्मों की एक टीम द्वारा किया जाता है।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समवर्ती लेखापरीक्षा का संशोधित ढांचा लागू किया गया है और मौजूदा मासिक रिपोर्टिंग के अलावा दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट आरंभ की गई है।
- ऑडिट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट, अनुपालन और डैशबोर्ड की ट्रैकिंग के लिए सक्षम किया गया है।
- -70- मापदंडों के तहत पूर्व-निर्धारित तर्क के आधार पर सिस्टम डेटा के अनुसार अपवादों की निरंतर निगरानी के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सेप्शनल मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है।
- विभिन्न परिदृश्यों के अनुसार ऑफसाइट निगरानी और डेटा विश्लेषण के लिए ऑफसाइट निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क की आवश्यकतानुसार बाहरी फर्म द्वारा स्वतंत्र समीक्षा की जाती है। पिछली बार ये आकलन मैसर्स ई एंड वाई एलएलपी द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया था और उनके आकलन के अनुसार बैंक का आंतरिक ऑडिट फ्रेमवर्क मजबूत है और समकक्ष बैंकों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

ऋण निगरानी

बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी आवश्यक है। ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य आस्ति गुणवत्ता को बनाएं रखना, मंजूरी की शर्तों का अनुपालन और निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इसे यह भी सुनिश्चित करना है कि ऋण आस्तियां मानक श्रेणी में बनी रहें, पहचान किए गए दबावग्रस्त खातों / निगरानी सूची खातों को अपग्रेड करने के प्रयास किए जाएं और खातों को मानक से अनर्जक श्रेणी में जाने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। विभाग संभावित स्लिपेज को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ अच्छी आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कमियों संभावित चूक/कमी के संकेतों वाले दबावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के लिए विभिन्न टूल्स और प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है।

दक्षतापूर्ण निगरानी और नियंत्रण प्रक्रिया हेतु टूल्स:-

पूर्व चेतावनी संकेत: अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्लूएस समाधान लागू किया गया है। हमारा ईडब्लूएस पूरी तरह से स्वचालित समाधान है जिसमें सुपरिभाषित वर्क फ्लो है। अलर्ट, आंतरिक (सीबीएस और क्रेमन) और बाह्य डेटा (एमसीए, न्यूजफीड) स्त्रोतों दोनों के आधार पर जनरेट होते हैं। किसी खाते में जनरेट हुए अलर्ट, बैंक को आरंभिक कमियों की पहचान करने और उचित समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करते हैं। यह समाधान बैंक को खातों में आरएफए/धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को उपयुक्त समाधान/कार्रवाई सहित खातों की सघन निगरानी करने में सक्षम बनाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने खातों में दबाव और प्रारंभिक चूक की पहचान करने के लिए अपनी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए और अधिक सुविधाएँ जोड़कर ईडब्ल्यूएस पोर्टल को नया रूप दिया है। इसके साथ ही, उधारकर्ता के लिए एक स्वास्थ्य पैरामीटर (एचपी) भी पेश किया गया है जो उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग (बॉबीकॉन) और ईडब्ल्यूएस रेटिंग का एक संयोजन है। इसके अलावा, हमारी विदेशी शाखाओं के अग्रिमों/ ऋण की बेहतर निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेरीटरी के लिए ईडब्ल्यूएस पोर्टल की भी शुरुआत की गई है।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग: एसएमए श्रेणी में खातों की पहचान, सुधारात्मक पहलों जैसे मानकीकरण, पुनर्रसंरचना आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सक्रिय करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, रु.5 करोड़ और उससे अधिक के क्रेडिट एक्सपोजर वाले दबावग्रस्त खातों की रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाती है।

विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड: बैंक ने केंद्रित निगरानी हेतु दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए विभिन्न विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड (जैसे एसएमए डैशबोर्ड, फ्यूचर डिमांड डैशबोर्ड, कलेक्शन इफिशिएंसी डैशबोर्ड, टेक्निकल स्ट्रेस डैशबोर्ड) विकसित किए हैं।

आस्ति वर्गीकरण का प्रणाली आधारित आकलन : बैंक के पास वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो महीने से अधिक का अतिदेय दर्शाने वाले, साथ ही, स्टॉक / कर्ज बही विवरणी की गैर प्रस्तुति, लंबित समीक्षा, कैश क्रेडिट खातों में अपर्याप्त/कोई जमा नहीं, लाबोड/ ओडीबीओडी आदि में अपर्याप्त मार्जिन जैसी तकनीकी अनियमितताओं वाले खातों में संभावित स्लिपेज की पहचान करने हेतु एक संकेतक प्रोग्राम है। यह ऐसे खातों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए केंद्रीकृत रूप से समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्रिय करता है। मानक आस्तियों की स्लिपेज को कम करने के लिए इन खातों की विशिष्ट निगरानी विभिन्न परिचालन इकाइयों द्वारा की जाती है।

ऋण लेखापरीक्षा: ऋण लेखापरीक्षा (सीपीए), मंजूरी की शर्तों/अनुबंधों के संवितरण पूर्व और पश्चात की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जिसमें इस आशय से लेखापरीक्षा की जाती है कि क्या संवितरण अधिकारी ने मंजूरी की शर्तों के अनुसार बैंक की निधियां प्रदान करने से पूर्व, उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रतिभूतियों का सृजन/ पूर्णता हेतु सभी आवश्यक उपाय किए हैं। यह नियमित लेखापरीक्षा/निरीक्षण, जो आमतौर पर एक समय के अंतराल पर होता है, की प्रतीक्षा किए बिना, जहां भी आवश्यक हो, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। वास्तविक समय के आधार पर इसकी निगरानी के लिए ऋण लेखापरीक्षा को कोर बैंकिंग सिस्टम/ फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

स्टॉक लेखापरीक्षा: हम पात्र खातों में स्टॉक और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का समय पर किया जाना सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सक्रिय / निवारक कदम उठाते हैं। स्टॉक लेखापरीक्षा उन मानक ऋण खातों के लिए लागू है जिनमें ₹1 करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी का एक्सपोजर होता है। यह ₹5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए वार्षिक आधार पर करनी होती है, जबकि ₹5 करोड़ और उससे अधिक के खातों के लिए, यह अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। अंतर्निहित कमियों जैसे आउट ऑफ ऑर्डर स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी लागू करना, समीक्षा की अतिदेयता आदि जो बैंक की आस्ति गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, का संकेत देनेवाली आस्तियों पर विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

एसएमए या एनपीए की दैनिक मार्किंग: भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों की गुणवत्ता की पहचान में बेहतर पारदर्शिता बरतने के लिए बैंक के पास संबंधित तारीख के लिए दिवस समाप्ति (डे एंड) की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एसएमए या एनपीए के रूप में उधारकर्ता खातों की पहचान करने के लिए स्वचालित प्रणाली है।

निगरानी हेतु अन्य टूल :

- बैंक ने लेनदेन की निगरानी, निरीक्षण आदि के सत्यापन के लिए रु. 250 करोड़ और उससे अधिक के खातों में विशेष निगरानी के लिए एजेंसी फॉर स्पेशल मॉनिटरिंग (एएसएम) की नियुक्ति की है।
- बैंक ने स्टॉक और बही ऋण विवरणी की प्रस्तुति को भी डिजिटल कर दिया है, जो वास्तविक समय आधारित और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है।
- व्यवसाय की मजबूती का विश्लेषण करने के लिए बैंक ने सशक्त निगरानी के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग में कई टूल जैसे समय-समय पर उधारकर्ता के खातों पर नज़र रखने और निगरानी आदि के लिए जीएसटी, आईटीआर और स्टेटमेंट एनालाइजर आदि की शुरुआत की है।
- पूर्व-निर्धारित अवधि में डिजिटल निगरानी रिपोर्ट की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और ₹1 करोड़ और उससे अधिक के बड़े खातों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- बैंक ने क्रेडिट अनुशासन में सुधार लाने के लिए डीएलपी उल्लंघन के मामलों की निगरानी हेतु एक डैशबोर्ड को आरंभ किया है।

सतर्कता

बैंक में सतर्कता प्रशासन पेशेवर रूप से प्रबंधित है और प्रबंधन के कार्यों का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा पारदर्शी व्यवसायिक लेन-देनों, पेशेवर दृष्टिकोण, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। बैंक के पास एक बहुत मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है जिसके प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सभी सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। सहभागी/ सक्रिय और निवारक सतर्कता बैंक के सतर्कता प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को अवर मुख्य सतर्कता अधिकारी का सहयोग प्राप्त होता है।

बैंक में सतर्कता तंत्र, सतर्कता कार्यों के बारे में सभी स्तरों पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है, विभिन्न अनुशासनात्मक अधिकारियों और नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को धोखाधड़ी, शिकायतों और शाखाओं/ कार्यालयों की विभिन्न निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न होने वाले मामलों की जांच में त्वरित और सही कार्रवाई करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

अंचल स्तर पर सतर्कता विभाग नियमित अंतराल पर सभी शाखाओं में निवारक लेखा परीक्षा की कार्रवाई करता है और प्राप्त सूचना पर पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए क्षति को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है।

बैंक में सतर्कता कार्यों के अंतर्गत तीन खंड होते हैं:

1. **निवारक सतर्कता:** भ्रष्ट और अन्य कदाचारों का पता लगाने और दंड की तुलना में क्षति को रोकने में निवारक उपायों का अधिक महत्व है। निवारक उपाय जैसे व्यवसाय के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण, संवेदनशील पदों की पहचान और उन पर पदस्थ कर्मचारियों की जांच, आचरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शाखा विशिष्ट अतिसंवेदनशील विषयों पर चर्चा करने के लिए शाखा स्तर पर मासिक बैठकें, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता मामलों की संख्या को कम करने के लिए निरीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच और विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों द्वारा नियमित रूप से निवारक सतर्कता परिपत्र जारी और परिचालित करना, सतर्कता मामलों में कमी लाने के लिए किए जाते हैं।

2. **खोजी सतर्कता:** खोजी सतर्कता में संवेदनशील क्षेत्र का नियमित और औचक निरीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कर्मचारियों द्वारा कोई भ्रष्ट या अनुचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की त्वरित जांच करना और यदि आवश्यक हो तो आगे की कार्रवाई करना, अपने स्रोत से गलत आचरण/कदाचार के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करना, उचित प्रक्रिया के बाद समुचित कार्रवाई के माध्यम से तर्कपूर्ण समाधान के लिए उसकी जांच करना शामिल है।

3. **दंडात्मक सतर्कता**: यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी स्तरों पर नियमों और प्रावधानों के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन में शामिल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दंडित किया जाए, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लिए गए वास्तविक निर्णयों का मूल्यांकन निष्पक्ष और आवश्यक विवेक के साथ किया जा रहा है।

बैंक में सतर्कता कार्य, निवारक सतर्कता प्रशासन के माध्यम से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर बल देकर सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा धोखाधड़ी के निवारण के लिए नीतियों को तैयार करने में शीर्ष प्रबंधन को सुझाव प्रदान करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सक्रिय संप्रेषण के कारण अनुशासनात्मक मामलों के टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है जिससे त्वरित समाधान करते हुए कर्मचारियों को प्रेरित करने में मदद मिली है।

विधिक सेवाएं

बैंक में एक सक्रिय विधि विभाग है जिसमें योग्य और अनुभवी विधि अधिकारी हैं। विधि विभाग की मुख्य भूमिका बैंक के कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भित या उनसे संबंधित विभिन्न मामलों में राय, दस्तावेजीकरण, मुकदमा आदि के लिए सहयोग और सहायता प्रदान करना है। यह विभाग विधिक पहलुओं के संबंध में बैंक के विभिन्न अंचलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, घरेलू और विदेशी शाखाओं और अनुषंगियां कंपनियों द्वारा संदर्भित मामलों में भी सहयोग प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को पूरा करने के लिए, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूल रिटेल और एसएमई सुविधाओं के लिए दस्तावेजों का एक सेट तैयार किया गया है, जो बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा। ऋण दस्तावेज़ नियमावली का पुनः अवलोकन किया गया है और दस्तावेज़ों को सरल बनाया गया है।

डिजिटलीकरण प्रक्रिया को गति देने के लिए, आईटी विभाग की मदद से "ऋण दस्तावेजों की जांच के लिए पोर्टल" विकसित किया गया है, ताकि विधि अधिकारियों को शाखाओं में जाए बिना अपने कार्यालय से ही इसकी जांच करने में सक्षम बनाकर प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। पोर्टल दिनांक 28.04.2023 को शुरू किया गया और बैंक की वैश्विक ऋण नीति के अनुसार दस्तावेजों की जांच को केवल पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया। पोर्टल का चरण II प्रक्रियाधीन है, जिसमें ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी के साथ समीक्षा, अन्य बैंक/ एफआई से खाते का अधिग्रहण, कंसोर्शियम और संवितरण के बाद प्रतिभूति का सृजन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान शामिल होगा।

साथ ही, मौजूदा एडवोकेट पोर्टल के दूसरे चरण में अधिवक्ताओं को सौंपे गए कार्य एवं कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने की प्रक्रिया को उपलब्ध कराया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कानूनों के निरंतर बदलते स्वरूप, नवीनतम संशोधन और न्यायालयों द्वारा कानूनों की व्याख्या के बारे में विभाग परिपत्र, विधिक समाचार फ्लैश आदि जारी करके ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। एपेक्स अकादमी और एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म के सहयोग से, विधिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि उन्हें विशिष्ट कानूनी क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके और साथ ही उन्हें निरंतर बदलते अधिनियमों, नियमों और विनियमों से अवगत कराया जा सके।

31.03.2024 तक, विभिन्न न्यायालयों/फोरम/ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल लंबित मामले (बैंक के खिलाफ मुकदमे) 3608 हैं। हम वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 873 मामलों का निपटान करने में सफल रहे। कुल निपटाए गए मामलों में से 618 मामले (अर्थात् 70.8%) बैंक के पक्ष में निर्णीत किए गए, 62 मामले (अर्थात् 7.10%) परस्पर निपटाए गए और 193 मामले (अर्थात् 22.10%) बैंक के विरुद्ध निर्णीत किए गए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान कुल निर्णीत मामलों में से 10 मामलों (जिनका मौद्रिक मूल्य एक करोड़ और उससे अधिक है) का भी निपटान किया गया।

मानव संसाधन

बैंक अपने कर्मचारियों को सबसे मूल्यवान आस्ति मानता है। बैंक के पास 74,000 से अधिक कर्मचारियों का प्रतिभाशाली कार्यबल है। बैंक ने अपने प्रतिभा पूल को बनाए रखने और निखारने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं जो बैंक की आकांक्षा और विकास यात्रा के अनुरूप हैं। नए लोगों और नई प्रतिभाओं को शामिल करने के क्रम में, बैंक यह सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक योजना का पालन कर रहा है कि भर्ती प्रक्रिया रणनीतिक और प्रभावी हो, जो संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। बैंक मौजूदा मानव पूंजी की पूर्ति के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में बाहरी प्रतिभाओं को भी शामिल कर रहा है।

बैंक ने सकारात्मक कर्मचारी संबंध बनाए रखने, कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान करने, विवादों को हल करने और सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मजबूत और सक्षम कार्यबल बनाने के लिए परिलब्धियों और लाभों का समय पर संशोधन, बेहतर कर्मचारी केंद्रित प्रावधानों के साथ कर्मचारी नीतियों में संशोधन और कर्मचारी कल्याण और फिटनेस को बनाए रखने, कार्यस्थल परामर्श, जुड़ाव गतिविधियों, जीवन चक्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की दिशा में पहलें शुरू की गई हैं जो कि बैंकिंग उद्योग की गतिशील चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

बैंक ने प्रतिभा के साथ समुचित जुड़ाव स्थापित करने हेतु विभिन्न उपायों की सहायता ली है और इसके परिणामस्वरूप बेहतर वित्तीय कार्यनिष्पादन हुआ है। इस दिशा में बैंक की पहल को उद्योग जगत ने मान्यता दी है और बैंक को कामिकेज़ बी2बी मीडिया द्वारा कर्मचारी प्रसन्नता पुरस्कार के तहत "बेस्ट कम्यूनिटी इम्पैक्ट इनिसिएटिव" के लिए सम्मानित किया गया है। बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा लगातार दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर्मचारी केंद्रित पहल भी शुरू की गई हैं, जिनका बैंक के प्रदर्शन पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

ज्ञानार्जन और विकास

बैंक ऑफ़ बड़ौदा मानता है कि कर्मचारी विकास संगठन की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न अंग है। बैंक एक शिक्षण संगठन बनाने और कार्यनिष्पादन मानकों को स्थापित करने के लिए संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करता है। बैंक कैरियर बनाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध मिश्रित चैनलों का उपयोग करने में विश्वास करता है।

इस वित्तीय वर्ष में 58,326 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने एपेक्स अकादमी, 18 अंचल अकादमियों और 4 बड़ौदा सैटेलाइट लर्निंग यूनिट्स के साथ-साथ बड़ौदा गुरुकुल के माध्यम से ई-लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने में मदद की।

वित्त वर्ष 2024 में, बैंक ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (बड़ौदा गुरुकुल) के सहयोग से पूरे बैंक में ज्ञानार्जन और विकास को सुनिश्चित किया, जिससे बैंक को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अनुकूल करने और सभी क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिली है। डिजिटल प्रक्रिया और एलएमएस प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण उपयोग ने बैंक को कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से ज्ञानार्जन और शेयरधारकों को लागत अनुकूलन का लाभ प्रदान करने में मदद की।

बैंक ने व्यवसाय प्रमुखों जैसे क्षेत्रीय प्रमुखों/ उप क्षेत्रीय प्रमुखों/ शाखा प्रमुखों आदि के लिए भूमिका आधारित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। बैंक अपनी मानव पूंजी को समृद्ध करने के लिए नए युग के कौशल और आईडीपी आधारित प्रशिक्षण के अधिग्रहण पर जोर दे रहा है। इसके अनुरूप, बैंक ने अपने कर्मचारियों को बेहतर ढंग से शिक्षित करने के लिए सिमुलेशन गेम पेश किए हैं जो वास्तविक जीवन के व्यावसायिक परिदृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। ज्ञानार्जन के अनुभव को और बढ़ाने के लिए, बैंक ने एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण अपनाया है जो 365x24 उपलब्धता के साथ पारंपरिक और डिजिटल तरीकों को जोड़ता है।

बाहरी संसाधनों के तालमेल और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक सहक्रियात्मक प्रयास में, बैंक ने अपने संपदा प्रबंधन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए AAFM, CRISIL और NIIT जैसे प्रमुख संगठनों के साथ भागीदारी की है। यह पायलट फेज़ बैंक को अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और अपने कर्मचारियों की सीखने और विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सक्षम करेगा।

समग्रत: बैंक अपने कर्मचारियों को उनके कार्यनिष्पादन में सफल होने और उनके कैरियर की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोचिंग और परामर्श कार्यक्रम

विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए भविष्य में सशक्त नेतृत्व क्षमता वाली पीढ़ी तैयार करने के लिए, एक वैज्ञानिक उत्तराधिकार योजना अपनाई गई है जिसके तहत प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए अधिकारियों का पर्याप्त उत्तराधिकार पूल बनाया गया है। बैंक ने अपने अधिकारियों के योग्यता मूल्यांकन की भी सहायता ली है और उन्हें उच्च कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाई गई हैं। बैंक ने इस उद्देश्य के लिए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षकों को शामिल करके अपने अधिकारियों के लिए कोचिंग और परामर्श कार्यक्रम भी शुरू किया है।

कॅरियर विकास

बैंक ने कर्मचारियों को उनके कॅरियर विकास के लिए प्रोत्साहित करने, उनके कार्य-निष्पादन को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। कर्मचारियों को व्यापक एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा अधिकारियों को अलग-अलग कार्यों के दायित्व सौंपे जाते हैं और उन्हें विदेशों में भी नियुक्ति का अवसर दिया जाता है।

वॉयस ऑफ बड़ौदियन- कर्मचारी जुड़ाव संबंधी सर्वेक्षण

एक कर्मचारी केंद्रित संगठन के रूप में, बैंक विचारों और अनुभवों को साझा करने और हमारे संगठनात्मक लक्ष्यों को पूर्ण करने के बेहतर तरीके तैयार करने के लिए कर्मचारियों के साथ दो-तरफा संचार में भाग लेने में दृढ़ता से विश्वास करता है। बैंक पिछले कुछ वर्षों से इसी तर्ज पर वॉयस ऑफ बड़ौदियंस कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है और सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर, मौजूदा नीतियों और प्रथाओं में सुधार किया है एवं हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए नई पहल शुरू की है। मार्च 2024 में किए गए नवीनतम वॉयस ऑफ बड़ौदियंस कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, बैंक के लिए कुल कर्मचारी जुड़ाव स्कोर 71% था।

बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम

सभी स्तरों पर कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाने के लिए, बैंक ने बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया है जिसे विभिन्न जुड़ाव संबंधी गतिविधियों" के माध्यम से "कर्मचारी अनुभव" समृद्ध करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ये गतिविधियां बैंक के हर स्तर पर टीम भावना और अपनेपन को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी जुड़ाव में सुधार होता है और बेहतर वित्तीय कार्यनिष्पादन होता है।

कार्य करने के लिए उत्कृष्ट स्थान के रूप में प्रमाणित होने के अलावा, बैंक समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रति वर्ष 20 जुलाई को बैंक के स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर, विभिन्न सामुदायिक सेवा गतिविधियां आयोजित की गई थीं और सभी कर्मचारियों ने पूरे दिल से इन गतिविधियों में भाग लिया। वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियां की हैं:

- रक्तदान- 18000 यूनिट से अधिक रक्त
- पौधों का वितरण/ पौधारोपण- लगभग 49,500 पौधे रोपे गए
- स्वच्छता अभियान- विभिन्न इलाकों में 4000 से अधिक अभियान
- गरीबों और जरूरतमंदों को सामग्री और विविध वस्तुओं का वितरण- 1,00,000 से अधिक वस्तुएं
- वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, दिव्यांग केंद्रों आदि के लिए सामग्री और विविध वस्तुओं का वितरण- 77,000 से अधिक सामग्री
- स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन- 8,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया

- भारतीय नौसेना- एर्णाकुलम के सहयोग से कदमाकुडी द्वीप गांव तक लौह पुल का नवीनीकरण

कर्मचारी आरोग्य संबंधी पहलें

प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं वाले एक संगठन के रूप में, बैंक ने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई पर बल दिया है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में लगातार पहल की है। कर्मचारी कल्याण के प्रति यह प्रतिबद्धता हमारे विश्वास में निहित है कि हमारे स्टाफ सदस्यों का स्वास्थ्य और प्रसन्नता हमारी सामूहिक सफलता के लिए आधारभूत है। हमारा मानना है कि कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम न केवल अपने कर्मचारियों के जीवन को समृद्ध बना रहे हैं बल्कि हमारे संगठन की समग्र जीवन शक्ति और आघातसहनीयता को भी मजबूत कर रहे हैं।

प्रति वर्ष बैंक नवंबर महीने को अपने कर्मचारियों के लिए 'वेलनेस माह' के रूप में मनाता है, जिसके दौरान विभिन्न वेलनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से योग कक्षाएं, ऑनलाइन वेबिनार और स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

बैंक ने प्रमुख अस्पतालों के साथ टाई-अप किया है जहां कर्मचारी अपने पति/पत्नी के साथ व्यापक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लागत बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति/वहन की जा रही है।

कर्मचारी सहायता कार्यक्रम

बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) के तहत कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल परामर्श शुरू किया है, जिससे कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और सहन शक्ति प्रक्रिया संबंधी परामर्श लेने में मदद मिलेगी।

कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, ईएपी इंडिया (सेवा प्रदाता) के सहयोग से 'तनाव से शक्ति की ओर दबाव से उभरने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग' विषय पर कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके एक केंद्रित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश भर में 4,600 से अधिक कर्मचारियों को शामिल करते हुए 100 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

कर्मचारियों ने अपने मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को दूर करने के लिए ईएपी इंडिया की परामर्श सेवाओं का उपयोग किया है। इन परामर्श सेवाओं को प्रत्यक्ष (आमने-सामने) परामर्श, फोन-कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और चैट जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया था। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण, अभिवावक सहायता और व्यसन सहायता पर ऑनलाइन सहायता समूह बनाए गए थे जिसमें समूहों के भीतर स्व-प्रेरित समाधान निकाले गए।

इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, मुंबई और वडोदरा में मानसिक स्वास्थ्य रोड शो "रोड ट्रिप टू हैप्पीनेस" का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक खेल, मनोरंजक गतिविधियां, मूवी टाइम और पोषण विशेषज्ञ से परामर्श शामिल था।

कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए स्कूल टाई-अप

पसंदीदा नियोक्ता बनने के निरंतर प्रयास में और कर्मचारी केंद्रित पहल के एक भाग के रूप में, चालू वर्ष में बैंक ने अखिल भारतीय उपस्थिति वाले स्कूलों की दो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित श्रृंखला "रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस" और "विबग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल्स" के साथ टाई-अप किया है, जो स्थानांतरण पर नए स्थान पर जाने के समय कर्मचारियों के बच्चों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करता है।

विविधता और समावेश पर जोर

बैंक विविध कार्यबल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी कर्मचारियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसर नीति का पालन करता है तथा पदोन्नति, कॅरियर-पाथ, स्थानांतरण नीति और कर्मचारी लाभ/कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों में पारदर्शी है। बैंक ने विविधता, एसएएम, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक डीईआई नीति भी बनाई है। इसके अलावा, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए, बैंक ने अन्य पहलों के अलावा महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसे सबेटिकल अवकाश, महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, क्रेच सुविधा की स्थापना की है।

बैंक ने महिलाओं के नियोजन के लिए विशेष प्रावधान रखा है। बैंक ने महिलाओं के लिए अनुभव साझा करने, ज्ञान का आदान-प्रदान करने और जीवन के व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों पहलुओं में एक-दूसरे का उत्थान करने, स्वयं की देखभाल, बर्नआउट, कार्यस्थल और व्यक्तिगत चुनौतियाँ आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक साथ सम्मिलित रूप से आगे आने हेतु एक वृद्धिशील वातावरण बनाने और करियर ब्रेक (मातृत्व/विश्राम अवकाश के बाद) के बाद सेवा में पुनः जुड़ने वाली महिला कर्मचारियों को परामर्श देने, ताकि हमारी महिला कर्मचारियों को काम पर लौटने से जुड़ी भावनात्मक और तार्किक चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके, के लिए बैंक के एम्पलॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत महिला केंद्रित पहल भी की है। बैंक मातृत्व अवकाश की समाप्ति के बाद महिला कर्मचारियों के लिए कहीं से भी काम करने के विकल्प पर विचार कर रहा है।

बैंक अपनी महिला कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिप्रेरणा पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और पीओएसएच (POSH) दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूकता भी लाता है।

पूर्व कर्मचारी

पूर्व कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवाओं को सम्मान देने और उनके योगदान को महत्ता देने के लिए, बैंक उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करता है जैसे हॉलिडे होम सुविधाएं, बैंक के अंशकालिक चिकित्सा सलाहकारों के साथ परामर्श, विशेष चिकित्सा सहायता और उनके द्वारा भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति।

बैंक अपने सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के प्रति हमेशा जागरूक रहता है। इसलिए, उनके लिए एचआर सेवाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु, पेंशन वेतन पर्ची, पीपीओ, कर गणना, हॉलिडे होम बुकिंग और टीई/ डीए दावों को जमा करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को एचआर कनेक्ट एप्लिकेशन में एकीकृत किया गया है जिसे मोबाइल पर 24x7 एक्सेस किया जा सकता है।

आरक्षण प्रकोष्ठ:

अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी)/ भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए आरक्षण की निगरानी करने व अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक को अनु.जाति/ अनु.जनजाति/ दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उनसे संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

1 फरवरी, 2019 से बैंक में सभी सीधी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अधिकारी (निर्धारित पद), लिपिक और सब-स्टाफ संवर्ग में वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के 4% के अनुपात में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आरक्षण प्रदान करता है।

31.03.2024 तक जाति वर्गवार संख्या						
संवर्ग	**कुल**	**सामान्य**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.**	**ईडब्लयूएस**
अधिकारी	42067	18916	7422	3317	12386	26
लिपिक	25996	10907	4273	2695	8053	68
सब -स्टाफ	6164	1814	2009	610	1731	0
कुल	**74227**	**31637**	**13704**	**6622**	**22170**	**94**
कुल कर्मचारियों का %	42.62	18.46	8.92	29.87	0.13	

संवर्ग	पीडबल्यूडी	पूर्व - कर्मचारी
अधिकारी	1090	605
लिपिक	1037	3040
सब -स्टाफ	114	506
कुल	2241	4151
कुल कर्मचारियों का %	3.02	5.59

आवधिक बैठकें: बैंक, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा एससी/ एसटी (एआईबीओबीएससीएसटी) एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें और ऑल इंडिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा ओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन (एआईबीओबीओबीसी) के प्रतिनिधियों के साथ छमाही बैठकें आयोजित करता है।

कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम: बैंक एआईबीओबीएससीएसटी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन और एआईबीओबीओबीसी एम्पलॉयी वेल्फेअर एसोसिएशन के सदस्यों तथा एससी/ एसटी एवं ओबीसी संपर्क अधिकारियों के लिए हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

- एससी/ एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण।
- आरक्षण नीति के संबध में कार्यशाला।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

अपनी शाखाओं को एक ऐसा स्वच्छ परिवेश उपलब्ध करवाने, जो अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, के उद्देश्य से बैंक रिकॉर्ड का प्रबंधन करने के लिए पेशेवर कंपनियों को नियुक्त कर दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) (रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन को लागू करने वाले पीएसबी में पहला) की पहल का क्रियान्वयन करने वाला अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अंतर्गत भौतिक रिकॉर्ड को बारकोड किया जाता है, अनुक्रमित किया जाता है और उन्हें स्टोरेज के लिए वेंडर के वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। जिस स्थान को खाली किया गया है, उसका उपयोग ग्राहक सेवा दक्षता, बेहतर शाखा परिवेश आदि के लिए किया जा रहा है।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस), हरित पहल के तहत पेपरलैस बैंकिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें निर्धारित दस्तावेजों (ऋण फाइलें/ मानव संसाधन संबंधी दस्तावेज/ विधिक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज) की स्कैनिंग और "बड़ौदा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (बीडीएमएस)" सर्वर, एक डिजिटल रिपाज़िटटॉरी, पर स्कैन किए गए डेटा को अपलोड करना शामिल है।

यह हमारे बैंक की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत -7042- से अधिक शाखाओं / कार्यालयों को कवर करते हुए लगभग 56.60 करोड़ इमेजेस को स्कैन किया जा चुका है। साथ ही, बैंक ऑफ बड़ौदा के चिन्हित शाखाओं में लगभग -3.19- लाख वर्ग फुट जगह को खाली किया गया है।

बैंक की मेट्रो और शहरी शाखाओं और अर्ध-शहरी क्षेत्र की निर्धारित शाखाओं में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)/ दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के सफल कार्यान्वयन के बाद, अब इसे बैंक की अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शेष 1530 शाखाओं/ कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

परिसर पुनर्संरचना

- गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में आईएफएससीबी (IFSCB) यूनिट के लिए अत्याधुनिक कार्यालय बनाया गया है।
- एमएमओ, हॉर्निमन सर्कल, मुंबई में बैंक की हेरिटेज बिल्डिंग का नवीनीकरण, लगभग 160 कर्मचारियों के आवास के लिए जगह बनाना।
- कोयंबटूर के रामनगर में बैंक के वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।
- 5 आर-सेटी भवनों का निर्माण पूरा हुआ।
- 95% से अधिक पात्र खरीदारियां (1263 करोड़) GeM पोर्टल के माध्यम से की गई थी।

हरित /अन्य पहलें

- 177- ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं सौर ऊर्जा पर चलाई जा रही हैं, जिससे लगभग 3500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है।
- बैंक के कई पट्टे और स्वामित्व वाले परिसरों में सौर पैनल स्थापित

किए गए। संस्थापित क्षमता स्वामित्व वाली इमारतों में 293 किलोवाट और बैंक के पट्टे वाले परिसर में 1.3 मेगावाट है।

- मैंगलोर में बैंक के अंचल कार्यालय में 35 Kwp क्षमता के सौर पैनल लगाए गए हैं।
- बैंक ने 18 प्रशासनिक भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली इंस्टाल की गई है।
- कई प्रशासनिक भवनों में जलरहित मूत्रालय (276 नग) इंस्टाल किए गए हैं जिनसे प्रति वर्ष लगभग 30 लाख लीटर पानी की बचत होती है।
- वृक्षारोपण- दिनांक 15.11.2023 से 15.12.2023 की अवधि के दौरान संपूर्ण भारत में स्कूलों, पार्कों, आवासीय सोसाइटियों आदि में 43499 पेड़/ पौधे लगाए गए हैं।
- बैंक की आईटी टीम के माध्यम से सुरक्षा रिपोर्ट और रिटर्न का डिजिटलीकरण
- संपूर्ण भारत में बैंक की सभी ऊंची इमारतों में अग्नि अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- विभिन्न चिकित्सा केंद्रों/अस्पतालों के साथ संबद्ध करके स्टाफ सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए।
- बीसीसी में 24*7 एम्बुलेंस सुविधा।
- वार्षिक खेल दिवस का आयोजन नवंबर 2023 में किया गया, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों के साथ उनके परिवार भी शामिल हुए।
- बीसीसी, मुंबई में हवाई टिकट बुकिंग हेतु सेल्फ बुकिंग टूल (एसबीटी) का कार्यान्वयन।

राजभाषा (रा.भा.) नीति का कार्यान्वयन

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के साथ-साथ ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद प्रदान करना बैंक की राजभाषा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत सरकार और नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर इस दृष्टिकोण की सराहना की गई है। आपके बैंक ने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2023-24 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और बैंक के विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के निरीक्षण के दौरान राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में एक सुव्यवस्थित वार्षिक कार्य योजना को अपनाया है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की गईं और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कई नई पहलें प्रारम्भ की गईं। आपके बैंक ने हिंदी और 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग तथा लेनदेन संबंधी एसएमएस सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे ग्राहकों के लिए व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवा और इंटरनेट बैंकिंग सेवा हिंदी में भी उपलब्ध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक नई पहल के रूप में बैंक की चैटबोट सुविधा, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म, बीसीएमएस पोर्टल और बीसी नॉलेज पोर्टल, कर्मचारियों के उपयोग हेतु एचआर कनेक्ट पोर्टल, ऑडिट ऑटोमेशन पैकेज से ऑटो जेनरेटेड ईमेल को हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया गया है। बैंक के विभिन्न ऐप और डिजिटल चैनलों/पोर्टलों के माध्यम से ऑटो जनरेट होने वाले सभी ईमेल तथा बैंक के एलएलपीएस पैकेज के माध्यम से जनरेट होने वाले नियम एवं शर्तों से युक्त ऋण मंजूरी पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्ष के दौरान उठाए गए विभिन्न पहलों के तहत आपके बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बड़ौदा द्वारा 'कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईएसजी का महत्त्वः वर्तमान एवं भविष्य' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम) मुंबई के अंतर्गत कार्यरत सभी नगर समितियों के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

बैंक ने अपनी शाखाओं/कार्यालयों के लिए राजभाषा रेटिंग प्रणाली और अपने स्टाफ सदस्यों के लिए 'भाषाई चौपाल' कार्यक्रम के आयोजन की शुरूआत की है वर्ष के दौरान दोनों गतिविधियां जारी रहीं। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग मशीन 'कियोस्क' को हिंदी में पासबुक प्रिंटिंग हेतु सक्षम किया है। आपके बैंक ने बैंक के वेबसाइट पर 'शब्दनाद' पेज तैयार किया है। इस पेज पर बैंक द्वारा कॉर्पोरेट एवं पूरे बैंक स्तर पर आयोजित राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों, पुरस्कारों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का अभिलेख उपलब्ध होगा।

आपके बैंक ने 'डिजिटल ऋण' विषय पर आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार में प्राप्त आलेखों को ई-पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। आपके बैंक ने अंचलों में स्थापित विभिन्न विभागों (यथा मार्केटिंग, वसूली, सुरक्षा, मार्गेज) में हिंदी पत्राचार में वृद्धि हेतु तिमाही आधार पर अलग-अलग अभियानों का आयोजन किया। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और मातृभाषा दिवस पूरे भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में मनाए गए। आपका बैंक स्टाफ-सदस्यों के सृजनात्मक कौशल में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर की दो पत्रिकाएं - बॉबमैत्री (गृह पत्रिका) और अक्षय्यम् (हिंदी पत्रिका) प्रकाशित कर रहा है। आपका बैंक सभी सेवारत और सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए निर्मित 'बॉब अभिव्यक्ति 2.0' नामक एक मोबाइल ऐप को लगातार व्यापक बनाने का कार्य कर रहा है यह ऐप बॉबमैत्री और अक्षय्यम् सहित सभी पत्रिकाओं/ समाचार पत्रों/ हाउस जर्नलों को ऑनलाइन पढ़ने का रोचक अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, यह बैंक में गो-ग्रीन पहल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

आपका बैंक ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के तहत वित्तीय समावेशन खाते में भारतीय भाषाओं में एसएमएस भेजने की सुविधाएं दे रहा है। आपका बैंक अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहा है। आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उपयोग हेतु निर्मित एचआर कनेक्ट पोर्टल को पूर्णतः द्विभाषी किया है। आपके बैंक ने बैंक की हिंदी वेबसाइट को आकर्षक रूप दिया है जिससे कि बैंक की हिंदी वेबसाइट के हिट्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके बैंक ने टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलते समय ग्राहकों को अपनी भाषा में एसएमएस और व्हाट्सऐप बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने हेतु विकल्प के चयन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आपके बैंक ने ऑनलाइन बचत खाता खोलने हेतु द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) डिजिटल जर्नी की सुविधा को उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा

आपके बैंक ने कॉन्टैक्ट सेंटर में हिंदी भाषा में सर्वाधिक कॉल प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए कॉन्टैक्ट सेंटर में कार्यरत कर्मियों के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपके बैंक ने हिंदी भाषा में विभिन्न बैंकिंग उत्पादों के यू-ट्यूब वीडियो और ग्राहक जागरूकता हेतु हिंदी में इन उत्पादों की पीपीटी तैयार की है। इसके अलावा आपके बैंक ने नियमित आधार पर बैंक की सभी प्रचार-सामग्रियों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद सुनिश्चित किया है। आपका बैंक समय-समय पर संबधित अवसर के अनुसार सोशल मीडिया हेतु हिंदी सामग्री पोस्ट करना सुनिश्चित किया है।

आपके बैंक ने बैंक द्वारा जारी आंतरिक परिपत्रों के हिंदी संस्करण की गुणवत्ता और उपयोगिता के संबंध में बैंक के स्टाफ सदस्यों के बीच विभिन्न मानदंडों पर दिनांक 05.12.2023 से 10.12.2023 तक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया ताकि परिपत्र की भाषा के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जा सके। आपके बैंक ने बैंक के डिजिटल चैनलों की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के संबंध में भी सर्वेक्षण करवाया ताकि डिजिटल चैनलों में भारतीय भाषाओं के यूजर इंटरफेस को लेकर फीडबैक प्राप्त कर इनकी गुणवत्ता, उपयोगिता आदि के संबंध में एक व्यवस्थित डाटा प्राप्त किया जा सके। इन सर्वेक्षणों में प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

आपके बैंक में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने के लिए विभिन्न ई-टूलों के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने के संबंध में बैंक द्वारा एक सामर्थ्य टूलकिट/ शाखा सामर्थ्य (तकनीकी टूलकिट) विकसित किया गया था और इस वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों को इसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाना जारी रखा गया। इसके अलावा, युवा पीढ़ी को आपके बैंक से जोड़ने के लिए देश भर के स्कूलों/ कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का भी आयोजन भी किया गया, जिससे बैंक को युवा पीढ़ी के बीच बैंक की छवि को सुदृढ़ करने एवं व्यवसाय जुटाने/बढ़ाने में मदद मिली।

आपके बैंक के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सराहना की जाती रही है। वर्ष के दौरान आपके बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार की 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, बैंक के तत्वावधान में वडोदरा में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) को नराकास राजभाषा सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा बैंक के संयोजन में कार्यरत वाराणसी, जयपुर और बरेली, नराकास को पुरस्कार के लिए चयनित गया। हमारे अंचल कार्यालय, बड़ौदा, चंडीगढ़ और नवसारी को भी भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आपके बैंक को गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 में कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार/ अन्य पुरस्कार शामिल हैं। चालू वर्ष में बैंक के विभिन्न कार्यालयों को गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत नराकास से कुल 35 पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा द्वारा आयोजित कंठस्थ-2.0 प्रतियोगिता के घोषित विजेताओं में से 5 विजेता आपके बैंक के स्टाफ सदस्य हैं।

आपके बैंक ने बैंक के संयोजन में कार्यरत 29 समितियों के नियमित बैठकों की निगरानी एवं भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। बैंक ने देश के 71 विश्वविद्यालयों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने हेतु अपनी विशिष्ट योजना "मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना" को जारी रखा। इस योजना के तहत नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति उन दो विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने प्रत्येक अकादमिक वर्ष की एम. ए. (हिन्दी) में सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

समग्र रूप से आपका बैंक राजभाषा संबंधी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं का व्यवसाय विकास एवं ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

संवहनीयता- ईएसजी- पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण

बैंक जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया भर के व्यवसायों और समुदायों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में स्वीकार करता है। हाल के समय में जलवायु परिवर्तन का जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रभाव को कम करने और अपने बैंकिंग परिचालनों के संवहनीय विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण और सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास हासिल करना है।

एक जिम्मेदार नीतिगत उपाय के रूप में, बैंक उन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्पादन या उपभोग करने वाली नई इकाइयों की स्थापना में शामिल उधारकर्ताओं को वित्तपोषण करने से निषिद्ध करते हैं। इसी तरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग कर एरोसोल इकाइयों के विनिर्माण में लगी लघु और मध्यम स्तर की इकाइयां बैंक वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं। ये उपाय ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने और अधिक संवहनीय भविष्य के प्रति योगदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

संवहनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर सीएसआर और संवहनीयता समिति की स्थापना की है। यह समिति पूरे संगठन में संवहनीय रणनीतियों को लागू करने और जिम्मेदार पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रथाओं को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति को परिचालन सहायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट कोर समिति का गठन किया गया है।

बैंक ने उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान में, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित लगभग 177 शाखाएं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत कम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अत्यधिक कमी आई है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग

के माध्यम से हमने लगभग 4500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सभी घरेलू शाखाओं में एलईडी लाइटों की स्थापना ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में योगदान दिया है।

बैंक सक्रिय रूप से हितधारकों के बीच संवहनीयता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है और संवहनीयता जीवनशैली, पर्यावरणीय संरक्षण और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने स्वच्छता पखवाड़ा जैसी पहलों का आयोजन किया है। इन प्रयासों ने स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन के अलावा सार्वजनिक बगीचों, रेलवे स्टेशनों और समुद्र तटों पर स्वच्छता अभियान में नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ाया है। बैंक का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।

बैंक अपने प्लेटफॉर्म "बॉबवर्ल्ड" के माध्यम से प्रौद्योगिकी- आधारित बैंकिंग पर जोर दे रहा है। यह लेन-देन के लिए कागज के उपयोग और शाखाओं में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता को कम करते हुए हमारे ग्राहकों के लिए निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग परिचालन को सक्षम बनाता है। बैंक ने आंतरिक रूप से एक पेपरलेस अनुमोदन प्रक्रिया को लागू किया है और दस्तावेज़ प्रबंधन का डिजिटलीकरण किया है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है और पर्यावरणीय प्रभाव कम हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए बैंकों की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में बैंक ने 'प्लांट ए ट्री प्रोग्राम' शुरू किया है। प्रत्येक ऑटो या गृह ऋण के लिए बैंक अपने ग्राहकों की ओर से एक फलदार पेड़ लगाता है। ग्राहकों को एक हरित वृक्षारोपण प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसमें उनकी ओर से लगाए गए पेड़ का विवरण होता है। प्रत्येक पेड़ को जियोटैग किया जाता है और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है। ग्राहक अपने लगाए गए पेड़ को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, उसकी सटीक भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं और यहां तक कि प्रदान किए गए कॉऑर्डिनेट्स का उपयोग कर व्यक्तिगत रूप से पेड़ तक पहुँच सकते हैं।बैंक ने इस कार्यक्रम के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं।

बॉब अर्थ हमारे बैंक का एक उप-ब्रांड है जो "हरित कल के लिए बैंकिंग" को बढ़ावा देता है और स्थिरता पर जोर देता है। बॉब अर्थ पहल के तहत हरित अभियान के हिस्से के रूप में 15.11.2023 से 15.12.2023 की अवधि के दौरान संपूर्ण भारत में स्कूलों, पार्कों, आवासीय सोसायटी आदि में 43499 पेड़ पौधे लगाकर, सभी के लिए हरित और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देते हुए हम पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। बैंक लगातार जिम्मेदार प्रथाओं को एकीकृत करने, अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और सक्रिय रूप से उन पहलों में संलग्न होने का प्रयास करता है जो हमारे ग्रह और समाज को समग्र रूप से लाभान्वित करते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

विभिन्न विकास कार्यों के जरिए समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास करने की एक लंबी एवं समृद्ध परंपरा है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक समाज कल्याण में विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए और उनके जीवन में सतत सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, मानव कल्याण और महिलाओं एवं हेल्थ केयर आदि के उत्थान के लिए अन्य सामाजिक गतिविधियां बैंक के प्रमुख सरोकार हैं। बैंक कमजोर वर्ग और ग्रामीण नागरिकों के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे विभिन्न संगठनों की मदद कर रहा है।

बैंक के पास देश के 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 65 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) केंद्र हैं जो ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के नवयुवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्व-रोजगार सृजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रारम्भ से इन केंद्रों ने 24263 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है जिनमें से 4.65 लाख ने पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है या अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं। -65- आर-सेटी में से, -64- आर-सेटी को समग्र प्रदर्शन/कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "एए" (उत्कृष्ट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और -1- आर-सेटी यानी आर-सेटी पासीघाट को नया आर-सेटी होने के कारण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेट किया जाएगा।

बैंक ने 12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 85 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) भी स्थापित किए हैं जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं और शिक्षा प्रदान करते हैं। ये केंद्र वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता, डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय आयोजना और किसी वैयक्तिक के ऋण से संबंधित संकट को दूर करने संबंधी कार्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 196 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिनव पहलों और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आदिवासी और पिछड़े ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है।

बैंक ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी दान दिया है, जैसे योग्य गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चिकित्सा उपकरण और आरोग्य के लिए दान, स्मार्ट कक्षाओं के लिए दान, अस्पतालों के लिए वाटर कूलर और आरओ सिस्टम का दान और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत कोष के लिए दान।

घरेलू अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम

बॉबकार्ड लिमिटेड

बॉबकार्ड लिमिटेड (पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1994 में बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख व्यवसाय क्रेडिट कार्ड जारी करना है इसकी मुख्य विशेषता जो इसे दूसरों से अलग करती है, सरल, आसानी से समझ में आने वाले उत्पाद हैं, जो उचित मूल्य, सक्षम सेवा और संपूर्ण डिजिटल आवेदन के साथ आते हैं।

वित्त वर्ष 2024 बॉबकार्ड के लिए निरंतर विकास का वर्ष रहा जिसमें अपने उद्योग की स्थिति को मजबूत करने और मूल बैंक के साथ निर्बाध एकीकरण किया गया था। वित्त वर्ष 24 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने क्रेडिट कार्ड उद्योग में कार्ड और खर्च में हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि जारी रखी। हम 2.5% की हिस्सेदारी के साथ कार्डों की बाजार हिस्सेदारी के मामले में 9वें स्थान पर हैं और 1.5% की खर्च हिस्सेदारी के साथ, मासिक खर्च के मामले में बॉबकार्ड 11वें स्थान पर है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग 10.9 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए और वृद्धिशील ग्राहक अधिग्रहण के मामले में सबसे बड़े जारीकर्ताओं में से एक बना रहा। कंपनी ने दोनों पोर्टफोलियो यानी स्वामित्व कार्ड को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी दो-आयामी विकास रणनीति (एक तरफ बॉब ग्राहकों और दूसरी तरफ प्रमुख साझेदारियों) को मजबूत किया। इसके अंतर्गत दोनों पोर्टफोलियो अर्थात् प्रोप्राइटरी कार्ड, जहां वित्त वर्ष 2024 में फोकस संमिश्र को विविधीकृत करने हेतु पेड एवं प्रीमियम कार्ड पर रहा, वहीं ग्राहक आधार बढ़ाने हेतु को-ब्रांडेड कार्ड पर फोकस किया गया ।

मई 2023 में रुपे क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड (CC-UPI) शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2024 में CC-UPI पर 1282 (संख्या) से अधिक कार्ड धारकों ने खर्च किए हैं, जिसमें मार्च 2024 में ₹221 करोड़ का अब तक के सर्वाधिक खर्च के स्तर को प्राप्त किया है।

कंपनी ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, मोबाइल ऐप के नए संस्करण, वीज़ा एम्पावर कार्ड और रुपे बिजनेस कार्ड का लॉन्च और प्रमुख प्रक्रियाओं का स्वचालन, वित्त वर्ष 2024 के कुछ मुख्य आकर्षण थे।

कंपनी ने त्योहारी महीनों के दौरान अपने कार्डधारकों के लिए 50 से अधिक खर्च श्रेणियों में 2K ऑफर संप्रेषण लॉन्च किए। ये ऑफर नियमित और ईएमआई खर्चों पर थे। देश भर में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सहित कई संचार चैनलों का उपयोग किया गया। बॉब कार्ड ने "रिमेंबर टू रीइमेजिन" की उद्देश्य संकल्पना के साथ रीब्रांडिंग घोषणा की शुरुआत की। एक नई दृश्य पहचान को अपनाने के लिए सभी ब्रांड संपत्तियों को नवीकृत किया गया जिससे हमारी नई ब्रांड पहचान को बढ़ाने और इसके संबंध में जागरूकता लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।

वित्तीय वर्ष 2024 (आईजीएएपी वित्तीय) में बॉबकार्ड लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं

(राशि करोड़ में)

बॉबकार्ड लिमिटेड		
विवरण	**वित्तीय वर्ष 2023**	**वित्तीय वर्ष 2024**
कुल आस्तियां	3520.45	5217.15
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि)	24.62	59.27
चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल एनपीए स्तर	68.55	32.65

बॉबकार्ड लिमिटेड		
विवरण	**वित्तीय वर्ष 2023**	**वित्तीय वर्ष 2024**
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+
	इंडिया रेटिंग ए1+	इंडिया रेटिंग ए1+
आस्तियों पर प्रतिफल	0.71%	1.14%

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बॉबकैप्स), बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, जो सेबी पंजीकृत श्रेणी- मर्चेंट बैंकर है और साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सदस्यता के साथ स्टॉक ब्रोकर भी है।

बॉबकैप्स वित्तीय सेवाओं का विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जिसमें प्राइमरी मार्केट/पीई फंड, ऋण समूहन, दबावग्रस्त आस्तियों का निपटान, इक्विटी मूल्यांकन, विलय एवं अधिग्रहण एडवाइजरी तथा स्टॉक ब्रोकिंग (संस्थागत और रिटेल दोनों) शामिल है। इसमें दो परिचालन सेगमेंट हैं यथा - निवेश बैंकिंग और ब्रोकिंग एवं संवितरण।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बॉबकैप्स को अपने व्यवसाय के लिए अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ है। निवेश बैंकिंग टीम ने प्रमुख आईपीओ, क्यूआईपी, ऋण समाधान, ऋण सिंडिकेशन, डीसीएम और विलय एवं अधिग्रहण सलाह सहित कई लेनदेन सफलतापूर्वक संपन्न किए। आईबी इक्विटी ने IREDA और IRM एनर्जी के आईपीओ को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिन्हें अतिरेक अभिदान मिला। इससे डील क्रेडेंशियल्स अर्जित करने में मदद मिली है जो नए मैंडेट प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण है। कंपनी को मुख्यतः प्रौद्योगिकी और खाता अधिग्रहण बुनियादी ढांचे के निर्माण में हुए खर्च के कारण घाटा हुआ है। राजस्व पर ध्यान केंद्रित करने से संस्थागत और रिटेल ब्रोकिंग व्यवसाय राजस्व, दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान रिटेल ग्राहक आधार दोगुना हो गया है और कंपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण रिटेल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को नया स्वरूप दे रही है।

वित्त वर्ष 2024 के लिए बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड		
विवरण	**वित्त वर्ष 2023**	**वित्त वर्ष 2024**
कुल आस्तियां	179.34	169.00
निवल लाभ/ हानि	1.25	(12.50)
ग्राहक आधार (संख्या)	1,00,929	2,08,768
शाखाओं की कुल संख्या	3	3

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज 2017 में बैंक द्वारा बैक-ऑफिस सेवाओं को एक इकाई में एकीकृत करने के

रणनीतिक निर्णय का परिणाम है, जिससे सेवा के दुहराव और बिजनेस यूनिट साइलो को कम करने, तालमेल बढ़ाने और कार्य की मात्रा और दक्षता बढ़ाने में मदद मिली ।

बीजीएसएस का लक्ष्य कम लागत-आय अनुपात, कम क्रेडिट हानि, नए व्यवसाय को जनरेट करने और ग्राहक प्रतिधारण के माध्यम से बैंक के लिए मूल्य सृजन में है।

बैंक के लिए मूल्य सृजन के इस उद्देश्य के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024 निरंतर विकास पर बल देते हुए विस्तार और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समेकन और विकास का वर्ष था। मजबूत जोखिम और शासन ढांचे के साथ निरंतर सुधार की प्रवृति बीजीएसएस को अपने विकास पथ का अनुसरण करने में सक्षम बना रही है, जो कि 56% (वित्त वर्ष 2020 से) की बीजीएसएस टॉपलाइन सीएजीआर वृद्धि से स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, संगठन कई प्रमुख लेनदेन/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल रहा है, जो निम्नानुसार हैं:

1. काम करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित - (जीपीटीडब्ल्यू 2024-25) ।
2. उत्पादकता में सुधार और सीओए को नियंत्रण में रखने से डीएसटी व्यवसाय की लाभप्रदता में बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के मूल्य में वृद्धि हुई है।
3. संग्रह टेली-कॉलिंग- एसएमए 0 पीओएस रिज़ॉल्यूशन वित्त वर्ष 2023 में ₹53,000 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹62,000 करोड़ हो गया।
4. बॉब यूके डेटा संवर्धन और संपर्क केंद्र संचालन के शुभारंभ के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रवेश किया।
5. स्वचालन और लीन सिक्स सिग्मा पद्धति की तैनाती द्वारा प्रक्रिया की रि-इंजीनियरिंग और 10% साल-दर-साल (केंद्रीकृत संचालन) की बढ़ी हुई उत्पादकता/दक्षता।
6. प्रक्रिया गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली 9 प्रक्रियाओं में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन।
7. आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन और अभिनियोजित एसओसी (सुरक्षा संचालन केंद्र) सूचना सुरक्षा के लिए बीजीएसएस प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
8. आईएसओ 22301:2019 बीसीएमएस प्रमाणन के माध्यम से परिचालन लचीलापन (सहनीय) और सुदृढ़ गवर्नेंस।
9. वार्षिक CSAT सर्वेक्षण जिसमे 92.8% दर्शकों ने BGSS प्रदर्शन की सराहना की और परिणामस्वरुप उत्कृष्ट और बहुत अच्छी श्रेणी की प्राप्ति।
10. सीखने की संस्कृति को सुदृढ़ किया गया और डिजिटल लर्निंग अकादमी के लिए एक एकीकृत एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) प्लेटफॉर्म को आरंभ किया गया।
11. बेहतर लैंगिक विविधता (26%)।
12. 108 रिटेल आस्ति आरएपीसी केंद्रों (पैन इंडिया) में बीजीएसएस जनशक्ति को तेजी से तैनात कर बैंक को सहयोग।
13. सीबीडीसी, प्लेटिनम डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग सहित विभिन्न डिजिटल उत्पादों के लिए मौजूदा बैंक के ग्राहकों की सहायता के लिए विस्तारित डिजिटल आउटबाउंड कॉलिंग की उपलब्धता।
14. एनआर ग्लोबल हेल्पडेस्क संचालन के लिए पायलट लॉन्च किया गया।

बीजीएसएस वित्तीय प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट

(राशि करोड़ में)

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि. (बीजीएसएस)		
विवरण	वित्त वर्ष 2023 लेखा परीक्षित	वित्त वर्ष 2024 लेखा परीक्षित
कुल आय	254.81	348.74
खर्च	242.88	323.25
पीबीटी	11.7	25.5
पीएटी	9.51	19.77
पीएटी %	3.73%	5.67%

बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 5 जुलाई, 2017 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज, मुंबई, महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई। कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में बदलते आईटी समर्थित व्यवसाय समाधान, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऐप्लिकेशन और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन से संबंधित मामलों में सिस्टम इंटीग्रेशन/परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित गया है।

कंपनी ने अभी तक पूर्ण परिचालन शुरू नहीं किया है और यह बैंक के विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकलों में तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाली विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उद्यमवार आईटी परियोजनाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और समाधानों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम / परियोजना प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

दि नैनीताल बैंक लि.

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (एनबीएल) मूल रूप से 1922 में स्वर्गीय भारत रत्न पंडित गोविंद बलल्लभ पंत और अन्य द्वारा प्रवर्तित है जो वर्ष 1973 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी बनी। नैनीताल बैंक लिमिटेड में बैंक की धारिता 98.57% है। एनबीएल का नैनीताल में अपना पंजीकृत कार्यालय है और पांच राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), हरियाणा और राजस्थान में इसका परिचालन करती है। 31 मार्च, 2024 तक एनबीएल की 171 शाखाएं हैं। एनबीएल का कुल कारोबार 31 मार्च, 2023 को ₹12,305.42 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹13086.87 करोड़ हो गया। बैंक ने पिछले वर्ष ₹46.30 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में ₹47.10 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीबीएनपीए एएमसी)

बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ बड़ौदा की बहु-स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। बीबीएनपीपी एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा (50.1% शेयरधारिता) और बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट एशिया लिमिटेड (49.9% शेयरधारिता) की एक संयुक्त उद्यम है। यह कंपनी बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के लिए एसेट मैनेजर है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बीएनपी परिबास एएम दोनों के पास भारत में तत्कालीन निधि प्रबंधन व्यवसाय थे, जिन्हें इस संयुक्त उद्यम बनाने के लिए मार्च 2022 में विलय कर दिया गया था।

बीबीएनपीपी एएमसी अपने प्रायोजकों की शक्ति पर विश्वास करती है। एएमसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा के विशाल नेटवर्क और स्थानीय पहुंच तथा बीएनपी परिबास आस्ति प्रबंधन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और बाजार ज्ञान का लाभ उठाता है। पिछले कुछ वर्षों में, एएमसी ने निवेश क्षमताओं, उत्पाद रेंज, पहुंच और वितरण को मजबूत करने में आक्रामक रूप से निवेश किया है। एएमसी ने जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 35,646 करोड़ रुपये के एमएफ एएयूएम का प्रबंधन किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 45% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, एएमसी 31 मार्च, 2024 तक 2,257 करोड़ रुपये के एयूएम वाले विदेशी ग्राहकों को सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है। सुदृढ़ एयूएम वृद्धि और लागत अनुशासन से प्रेरित होने के कारण एएमसी का परिचालन वर्ष के दौरान लाभदायक रहा।

वित्त-वर्ष 23-24 के लिए बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		
विवरण	**वित्त वर्ष 2023**	**वित्त वर्ष 2024**
कुल आस्तियां	187.36	191.43
चालू वित्त वर्ष के लिए निवल लाभ	(6.88)	6.11
प्रबंधन के तहत औसत आस्तियां (एएयूएम)	26,436*	37,903*
कुल एएयूएम के लिए इक्विटी (%)	56%	56%

*इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में रु. 1,929 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 में रु. 2,257 करोड़ की एडवाइजरी एयूएम शामिल है।

म्यूचुअल फंड के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती आकांक्षा के कारण भारतीय एमएफ उद्योग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। एक उत्साहजनक प्रवृत्ति यह है कि छोटे शहर बड़े शहरों की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहे हैं। भारत के पास संभवतः दुनिया में सबसे अच्छा डिजिटल लेनदेन बुनियादी ढांचा है, जिससे ग्राहक तेजी से डिजिटल अपना रहे हैं। एएमसी भारत में मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए इन सभी रुझानों का लाभ उठा रही है। एएमसी एक शीर्ष स्तरीय फंड हाउस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो भारत में घरेलू ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार तक पहुंचने में मदद करता है।

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. इंडिया

इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक घरेलू अनुषंगी है जो कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रवर्तित है, जिसका स्वामित्व वारबर्ग पिंकस एलएलसी द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी फंडों के पास है। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया कंपनी का एक निवेशक है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी ₹1,433 करोड़ है (शेयर प्रीमियम सहित)

वित्त वर्ष 2024 में, इंडियाफर्स्ट लाइफ ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 14.8% की वृद्धि के साथ ₹6,974 करोड़ का कुल सकल लिखित प्रीमियम पोस्ट किया। कंपनी ने निजी जीवन बीमाकर्ताओं के बीच टोटल न्यू बिजनेस जीडब्ल्यूपी पर पिछले साल की तुलना में अपनी रैंक में 1 स्थान का सुधार करके 11वीं रैंक हासिल की है। 31 मार्च 2024 तक इंडियाफर्स्ट लाइफ की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) ₹27,073 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए ₹112.31 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹10,009 करोड़ की कुल आय दर्ज की।

इंडिया फर्स्ट लाइफ को लगातार छठवीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) के रूप में प्रमाणीकृत किया गया जिसे जीपीटीडब्ल्यू द्वारा "बीएफएसआई भारत के 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल" में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ-साथ व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी संगठनों में उत्कृष्ट कार्यस्थलों को परिभाषित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक के रूप में माना जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा कंपनी को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड में भी सम्मानित किया गया है।

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड (इंफ्राडेब्ट) भारत में परिचालन शुरू करने वाली पहली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ़) एनबीएफसी है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक इस इंफ्राडेब्ट के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और सिटी कॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड एवं भारतीय जीवम बीमा निगम इसके अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं। यह इंफ्राडेब्ट अपेक्षाकृत ऐसी सुरक्षित, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है जिन्होंने एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूर्ण कर लिया हो। इसकी स्थापना के बाद से इसे क्रिसिल, आईसीआरए और भारत रेटिंग द्वारा एएए/ स्टेबल आउटलुक के रूप में रेट किया गया है। इंफ्राडेब्ट को इसकी सभी आय पर 100% आयकर रियायत प्राप्त है।

मजबूत, स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं- विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण देने पर इंफ्राडेब्ट का ध्यान केंद्रित होने के कारण बैंक के साथ तालमेल में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलता है। इन्फ्राडेब्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। वित्त-वर्ष 2024 के दौरान को इसकी ऋण बही ₹ 20,938 करोड़ रही और निवल लाभ ₹441.71 करोड़ और इक्विकिटी पर रिटर्न 14% रहा। इंफ्राडेट पिछले सात, वर्षों से लगातार लाभांश भी दे रही है।

बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

इकाई	धारित निधि	कुल आस्तियां	निवल लाभ	कार्यालय	कर्मचारी
बॉबकार्ड लिमिटेड	1070.90	5217.14	59.27	44	487
बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	148.29	169.63	-12.50	4	129
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	4.74	4.82	0.155	1	0
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.	58.85	148.49	19.78	2	4634 (3342 ऑन रोल एवं 1292 थर्ड पार्टी)
दि नैनीताल बैंक लि.	776.85	9306.82	47.10	171	1170 (एमटी एवं अधिकारियों सहित)
बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	158.42	198.24	6.11	9	275
बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.28	0.40	0.03	1	1
इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,181.30	28,143.70	112.31	29	4,720
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड	3206.35	22981.68	441.71	1	30

पुरस्कार

वित्तीय, डिजिटल फ्रंट और अन्य अनूठी पहलों में बैंक के उत्कृष्ट कार्यनिषादन के सम्मान में, बैंक को वित्त वर्ष 2024 के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए जो निम्नानुसार हैं;

माह	प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही	• सुश्री स्वप्ना बंदोपाध्याय, महाप्रबंधक को एडवांटेज क्लब द्वारा एक्सेप्शनल वुमन अवार्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेस से सम्मानित किया गया। • गेन स्किल्स बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कॉन्फेक्स एंड अवार्ड्स 2023 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संपर्क केंद्र पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एंटरप्राइज मोबिलिटी एवं एनालिटिक्स/बिग डेटा श्रेणियों में एक्सप्रेस कंप्यूटर - बीएफएसआई टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2023 के तहत दो पुरस्कार प्राप्त हुए। • जेसीबी इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक वित्तीय पुरस्कार 2022 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ रिटेल फाइनेंसर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंकिंग क्षेत्र में अपने नेतृत्व के लिए द ईटी बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड्स 2023 से सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को Adgully's-DIGIXX 2023 पुरस्कारों के 7वें संस्करण में दो पुरस्कार प्राप्त हुए : o स्वर्ण - बड़ौदा कार ऋण हेतु सर्च/डिस्प्ले मार्केटिंग श्रेणी में o रजत - सोशल मीडिया (बीएफएसआई) सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी-#SaluteHerShakti अभियान में । • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एसीईएफ ग्लोबल कस्टमर एंगेजमेंट फोरम एंड अवार्ड्स के तहत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्राप्त हुए: o सन रन 2.0 हेतु बेस्ट इवेंट प्रमोशन (रजत पुरस्कार) o सन रन 2.0 हेतु सेलिब्रिटी समर्थन का सर्वोत्तम उपयोग (कांस्य पुरस्कार) o बैंक के 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर 115 घंटे की नॉन-स्टॉप आरजे मैराथन हेतु बेस्ट इनोवेटिव रेडियो कैम्पेन (रजत पुरस्कार)। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने #dilsedigital अभियान हेतु "एनीमेशन या ग्राफिक्स का सर्वोत्तम उपयोग" की श्रेणी में इंकस्पेल मीडिया द्वारा आयोजित 7वें वार्षिक ड्राइवर्स ऑफ़ डिजिटल अवार्ड्स में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने #PehchaanCon अभियान हेतु "सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो मार्केटिंग का सर्वोत्तम उपयोग" की श्रेणी में इंकस्पेल मीडिया द्वारा आयोजित 7वें वार्षिक ड्राइवर्स ऑफ़ डिजिटल अवार्ड्स में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को गोल्डन माइक्स अवार्ड्स 2023 के तहत लालबाग लाइव हेतु ऑन-एयर/ऑन-ग्राउंड रेडियो अभियान में प्रायोजन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए रेडियो-इनोवेशन श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को गोल्डन माइक्स अवार्ड्स 2023 में 115 घंटे के आरजे मैराथन अभियान हेतु सर्वश्रेष्ठ एकल वाणिज्यिक-बीमा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के लिए रेडियो-रचनात्मकता की श्रेणी में रजत पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को गोल्डन माइक्स अवार्ड्स 2023 में स्थापना दिवस हेतु एक ब्रांड-सिंगल रेडियो स्टेशन के लिए/द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऑन ग्राउंड प्रोमोशन हेतु रेडियो-प्रमोशन श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को क्वांटिक इंडिया द्वारा 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा पहल (बैंकिंग)' का पुरस्कार प्रदान किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 हेतु अटल पेंशन योजना का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को द ग्रेट इंडियन बीएफएसआई अवार्ड्स के तहत दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं - 1) #IAmSocial हेतु द ग्रेट इंडियन इंटरनल कम्यूनिकेशन कैंपेन ऑफ द ईयर और 2) बैंक ऑफ़ बड़ौदा गृह ऋण हेतु द ग्रेट इंडियन बीएफएसआई लीड जनरेशन कैंपेन ऑफ द ईयर। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्मार्ट डिजिटल श्रेणी में सीएक्सओ टीवी का क्लाउड इनोवेशन अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ है।

माह	प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान द्वारा लगातार दूसरे वर्ष "ग्रेट प्लेस टू वर्क" प्रमाणन 2023 से पुरस्कृत किया गया है। बैंक को "राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023" और "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023" से भी पुरस्कृत किया गया है। • बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य डिजिटल अधिकारी श्री अखिल हांडा को एआई100 पुरस्कार 2023 भारत प्राप्त हुआ, मशीनकॉन इंडिया 2023 ने उन्हें भारत के शीर्ष 100 प्रभावशाली एआई नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी। • तमिलनाडु सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु आयोजित राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ बैंकर पुरस्कार के तहत बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एमएसएमई क्षेत्र में योगदान के लिए तीसरा स्थान प्रदान किया गया है।
वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा आयोजित इमर्जिंग एशिया बैंकिंग अवाड्र्स में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए: o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में कासा-इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारत में लाभप्रदता के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत पहला उप विजेता o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारत में जोखिम प्रबंधन के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत पहला उप विजेता o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारत में आस्ति गुणवत्ता के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत पहला उप विजेता o बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में भारत में विकास के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तहत दूसरा उप विजेता • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को डिजिटल कार ऋण हेतु बीएफएसआई ब्रांड के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग अभियान हेतु एक्सचेंज4मीडिया द्वारा मेवरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वित्तीय उद्यम हेतु सर्वश्रेष्ठ एटीएल अभियान की श्रेणी के तहत अपने अभियान #SaluteHerShakti के लिए इंकस्पेल मीडिया द्वारा आयोजित एमक्यूब अवाड्र्स में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इंकस्पेल मीडिया द्वारा आयोजित एमक्यूब अवाड्र्स में डिजिटल में सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले मार्केटिंग की श्रेणी के तहत बॉब वर्ल्ड के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने इंकस्पेल मीडिया द्वारा आयोजित एमक्यूब अवाड्र्स में सोशल मीडिया अभियान में सर्वश्रेष्ठ नवाचार/रचनात्मकता की श्रेणी के तहत अपने #SmashItWithSindhu अभियान के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। • गेन स्किल्स बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कॉन्फेक्स एंड अवाड्र्स 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा को दो पुरस्कारों, वर्ष 2022-23 की सर्वश्रेष्ठ सीएक्स कार्यनीति और ग्राहक संतुष्टि में सर्वश्रेष्ठ संगठन से सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ASSOCHAM द्वारा आयोजित टेकमीट एवं टेक्नोलॉजी एक्सिलेंसी अवाड्र्स के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य वित्त अधिकारी श्री इयान डिसूजा को लार्ज कैप श्रेणी में दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल (डीएसआईजे) 2023 सीएफओ पुरस्कार प्रदान किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक प्रभाव संबंधी पहल की श्रेणी के तहत कामिकेज़ बी2बी मीडिया द्वारा आयोजित एम्प्लोयी हैपीनेस अवाड्र्स 2023 प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ग्रीन बैंक ऑफ़ द ईयर के तहत योगदान हेतु नेटवर्क 18, ग्रीन रिब्बन चैंपियन के दूसरे संस्करण से सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारत सरकार का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक को भारत सरकार की 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के तहत वर्ष 2022-23 हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

माह	प्राप्त पुरस्कारों के विवरण
वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 'बचत उत्पाद' हेतु फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियाज् बेस्ट बैंक अवार्ड 2021-22 प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को कैफ़ेम्यूचुअल द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 में इक्विटी नेट बिक्री कार्यनिष्पादन के आधार पर अग्रणी म्यूचुअल फंड वितरक (समकक्ष बैंकों में) के रूप में सम्मान दिया है। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को "डिजिटल बैंक" श्रेणी के तहत गवर्नेंस नाउ बीएफएसआई पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को पिच बीएफएसआई मार्केटिंग अवार्ड्स 2023 में बड़ौदा कार लोन हेतु डिजिटल अभियान के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को इंकस्पेल द्वारा इंडिया कंटेंट लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में बॉब वर्ल्ड के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग अभियान हेतु मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया । • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित "एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) बैंक लिंकेज कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को ईटी एज (द टाइम्स ग्रुप) से "प्रोग्रेसिव प्लेसेस टू वर्क 2023" पुरस्कार प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए "बेस्ट इन फ्यूचर ऑफ कस्टमर एक्सपीरीएंश" श्रेणी के तहत 7वां आईडीसी फ्यूचर एंटरप्राइज अवॉर्ड प्राप्त हुआ।
वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही	• बैंक ऑफ़ बड़ौदा को नवभारत बीएफएसआई समिट और अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ बचत बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक के कार्यनिष्पादन के आधार पर स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब केरल (एसएफबीसीके) द्वारा बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ बैंक" नामित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि हेतु अपने उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए 16वें डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई और फिनटेक समिट 2024 में 'भारत का अग्रणी सार्वजनिक बैंक (लार्ज)' के रूप में नामित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को "वित्तीय समावेशन में उत्कृष्टता" श्रेणी के तहत आईबीईएक्स इंडिया 2024 बीएफएसआई टेक्नोलॉजी पुरस्कारों में विजेता (सार्वजनिक क्षेत्र) के रूप में सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को "नवाचार एवं ग्राहक जुड़ाव पहल में उत्कृष्टता" की श्रेणी में एलेट्स बीएफएसआई सीएक्सओ पुरस्कार के विजेता के रूप में पुरस्कृत किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के 19वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी अवार्ड 2023 में बड़े बैंकों के बीच "बेस्ट एआई और एमएल बैंक" तथा "बेस्ट टेक्नोलॉजी टेलेंट" हेतु विजेता घोषित किया गया। साथ ही बैंक को चार अवार्ड श्रेणियों - बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एवं डीपीआई ऐडॉप्शन और सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन के लिए स्पेशल मेंशन प्राप्त हुआ । • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को 5वें आईपीएसई (इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) अवार्ड्स में "बेस्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ़ इंडिया- बैंकिंग एंड फाईनेंश" अवार्ड से सम्मानित किया गया है। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को एसोचैम ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग समिट सह ऐक्सलेन्स अवार्ड्स में प्रायोगिक मार्केटिंग के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन मार्केटिंग अभियान का पुरस्कार प्रदान किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को **ईटी नाउ बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड कॉन्क्लेव** के 7वें एडिशन में वर्ष **2024 के लिए ईटी नाउ बेस्ट बीएफएसआई ब्रांड** के रूप में सम्मानित किया गया। • बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंक के **#PehchaanCon प्रभावकारी अभियान** के लिए प्रयोजन-आधारित मार्केटिंग हेतु **ईटी ब्रांडइक्विटी.कॉम के ईटी ट्रेंडीज अवार्ड** से सम्मानित किया गया।

लाभांश वितरण नीति

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹7.60 का लाभांश की अनुशंसा की है। इस प्रकार लाभांश के रूप में कुल ₹3,930.24 करोड़ का व्यय होगा। इस लाभांश का भुगतान अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन है। लाभांश वितरण नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल (वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / उनके कार्यकाल की समाप्ति)

नियुक्तियां

श्री देबदत्त चांद को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती नीना नागपाल को 24 दिसंबर, 2023 से 23 दिसंबर, 2026 तक तीन साल की अवधि के लिए बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया।

श्री संजय विनायक मुदालियर को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा शेष अवधि अर्थात 31 दिसंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए 31 जनवरी, 2024 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कार्यकाल की समाप्ति:

श्री संजीव चड्ढा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् **दिनांक** 30 जून, 2023 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नहीं रहे।

श्रीमती सौंदरा कुमार, उनके निदेशक पद का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से शेयरधारक निदेशक नहीं रहीं।

श्री जयदीप दत्ता रॉय, इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के कारण दिनांक 31 जनवरी, 2024 से बैंक के कार्यपालक निदेशक नहीं रहे।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर, इंडियन ओवरसीज बैंक के गैर-आधिकारिक निदेशक/ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके त्यागपत्र के कारण 21 फरवरी, 2024 से शेयरधारक निदेशक नहीं रहे।

डॉ. हसमुख आढ़िया, 29 फरवरी, 2024 को उनकी नियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर 1 मार्च, 2024 से बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहे।

बोर्ड का मूल्यांकन

बैंक, पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-सरकारी निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30 अगस्त, 2018 के दिशानिर्देश का पालन कर रहा है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के "भाग ई" के अनुसरण में इस रिपोर्ट के साथ वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों का अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है।

व्यावसायिक दायित्व और स्थिरता संबंधी रिपोर्ट (बीआरएसआर)

सेबी द्वारा आवश्यक, व्यावसायिक दायित्व संबंधी रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.cio.in) पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य उसकी भौतिक प्रति चाहते हैं तो वे बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशकगण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

ए) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है;

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों का पालन किया गया तथा निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें विवेकपूर्ण, तर्कसंगत एवं न्यायोचित बनाया गया ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सत्य एवं वास्तविक स्थिति तथा उस अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत हो सके;

सी) निदेशकों ने, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने तथा उनका पता लगाने हेतु बैंक पर लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के अनुसार तैयार किया है; और

ई) निदेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि बैंक द्वारा अपनाया जा रहा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे हैं। स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के अनुरूप "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" शब्दावली का अर्थ बैंक द्वारा अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है। इसमें बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, लेखा रिकार्डों की शुद्धता और संपूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना शामिल है;

एफ़) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां बनाई थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं।

आभार

निदेशकगण पूर्व गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री डॉ. हसमुख आढ़िया, पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री संजीव चड्ढा, पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री जयदीप दत्ता रॉय एवं पूर्व शेयरधारक निदेशक श्रीमती सौंदरा कुमार तथा श्री श्रीनिवासन श्रीधर के योगदान की सराहना करते हैं।

निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी विनियामकों के प्रति उनके सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनके द्वारा दिए निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए सम्मानपूर्वक अपना आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण सभी शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों और भारत तथा विदेश स्थित अपने हितैषियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण बैंक के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्ण समर्पण के लिए उनकी भूरि-भूरि से प्रशंसा करते हैं।

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIRECTORS' REPORT

"Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Sixteenth Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2024(FY 2024)".

Business Performance & Key Financials

(₹ in crore)

		FY 2023	FY 2024
Global Deposits		**1203687.79**	**1326957.84**
	of which - International Deposits	156312.58	**198444.04**
Domestic Deposits		**1047375.21**	**1128513.80**
	Current Account Deposits	75110.67	76386.30
of which	Savings Bank Deposits	367399.83	390014.49
Domestic CASA Deposits		**442510.5**	**466400.80**
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)		**42.25**	**41.33**
Net Advances		**940998.27**	**1065781.72**
	Dom Advances	776589.63	880816.61
of which	International Net Advances	164408.64	184965.11
Global Gross Advance		**969548.31**	**1090505.80**
Total Business (Global Deposit + Global Gross Advance)		**2173236.1**	**2417463.65**
Total Assets		**1458561.55**	**1585797.09**
Net Interest Income (NII)		**41356.01**	**44721.53**
Other Income		10025.84	14495.37
	Of which Trading Gains	1062.50	1491.93
Operating Income (NII + Other Income)		**51381.58**	**59216.90**
Operating Expenses		24518.31	28251.68
Operating Profit		**26863.54**	**30965.23**
Provisions (Other than Tax)		7136.90	6075.61
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off		4,350.52	6470.86
Profit Before Tax		**19726.64**	**24889.61**
Provision for Tax		5617.02	7100.83
Net Profit		**14109.62**	**17788.78**
Appropriations/Transfers			
Statutory Reserve		3,527.40	4,447.20
Capital Reserve		92.57	104.17
Revenue and Other Reserves			
I) General Reserve		7274.12	8,079.23
II) Special Reserve u/s 36 (I) (viii) of the Income Tax Act 1961		300.00	615.92
III) Investment Reserve Account		0.00	563.86
IV) Investment Fluctuation Reserve		30.00	0.00
V) Statutory Reserve (Foreign)		41.28	48.17
Proposed Dividend		2,844.25	3,930.24

Total deposits of the bank increased to ₹13,26,958 crore in FY 2024 from ₹12,03,688 crore in FY 2023, there by registered a growth of 10.2 % on a YoY basis. The domestic CASA of the bank grew by 5.4% on a YoY basis, to reach to the level of ₹4,66,401 crore, in FY 2024. The Domestic Deposit grew by 7.7% on a YoY basis, to ₹11,28,514 crore, in FY 2024. The Net advance of the bank increased to ₹10,65,782 crore in FY 2024 from ₹9,40,998 crore in FY 2023, there by recorded a growth of 13.3% during the period. The Global Gross advance of the Bank reached to the level of ₹10,90,506 crore in FY 2024 as compared with ₹9,69,548 crore in FY 2023 by registering a growth of 12.5% on a YoY basis. The Total Business of the Bank grew to ₹24,17,464 crore in FY 2024 crore from ₹21,73,236 crore in FY 2023, registered a growth of 11.2% on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹44,722 crore in FY 2024 from ₹41,356 crore in FY 2023, grew by 8.1% on a YoY basis. Other Income of the Bank increased to ₹14,495 crore in FY 2024 which was at ₹10,026 crore in FY 2023, thereby registered a growth of 44.6% on a YoY basis. Operating expenses of the Bank stood at ₹28,252 crore in FY 2024 as compared with ₹24,518 crore in FY 2023. Operating Income of the Bank increased to ₹59,217 crore in FY 2024 from ₹51,382 crore in FY 2023, registered a growth of 15.2% on a YoY basis.

The Bank reported a Net Profit of ₹17,789 crore in FY 2024 from ₹14,110 crore in FY 2023, grew by 26.1% on a YoY basis. The Operating profit of the Bank grew by 15.3% at ₹30,965 crore in FY 2024 as compared with ₹26,864 crore in FY 2023.

Key Performance indicators

Key Performance Indicators	FY 2023	FY 2024
Net Interest Margin – Global (%)	3.31	3.18
Cost-Income Ratio (%)	47.72	47.71
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.03	1.17
Return on Equity (%)	18.34	18.95
Book Value per Share (₹)	148.80	181.48
Basic EPS (₹)	27.28	34.40

Net Interest Margin (NIM) stood at 3.18% in FY 2024 as against 3.31% in FY 2023. Cost to income ratio stood at 47.71% in FY 2024 from 47.72% in FY 2023, reduced by 1 basis point(bps). Return on Assets for FY 2024 improved by 14 bps to 1.17% in FY 2024 from 1.03% in FY 2023, reflects excellent performance in profitability. Return on Equity increased by 61 bps to 18.95% in FY2024 increased from 18.34% in FY 2023. Book value per share increased to ₹181.48 in FY 2024 from ₹148.80 in FY 2023. Earnings Per share increased to ₹34.40 in FY 2024 from ₹27.28 in FY 2023.

Average Cost & Yield of funds and Average Interest earning Assets

Key Performance Indicators	FY 2023	FY 2024
Average Cost of Funds (%)	4.08	5.12
Average Yield on Funds (%)	7.17	8.01
Average Interest Earning Assets (₹ in crore)	12,49,846	14,05,271
Average Interest Bearing Liabilities (₹ in crore)	11,81,750	13,26,655

The average cost of fund and yield of fund stood at 5.12% and 8.01% in FY 2024. Average Interest Earning asset increased to ₹14,05,271 crore in FY 2024 from ₹12,49,846 crore in FY 2023. The Average Interest Bearing Liabilities also increased to ₹13,26,655 crore in FY 2024 from ₹11,81,750 crore in FY 2023.

Capital Adequacy Ratio

(Ratios in %)

Particulars	FY 2023	FY 2024
Capital Adequacy Ratio Basel III	16.24	16.31
CET I	12.24	12.54
Tier I	13.99	14.07
Tier II	2.25	2.24

The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank increased to 16.31% as of March 31, 2024 from 16.24% as of March 31, 2023. CET-1 ratio increased to 12.54% in FY 2024 from 12.24% in FY 2023. The consolidated capital adequacy ratio of the Bank was 16.68 % as of March 31, 2024 while it was 16.73% as of March 31, 2023.

During FY 2024, the Bank issued Tier 2 capital of ₹ 5000 crore.

Net worth

The Bank's net worth for Financial Year 2024 was increased to ₹93,850.76 crore comprising of paid-up equity capital of ₹1,035.53 crore and reserves of ₹1,11,188.05 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets). The Bank's net worth in the previous Financial Year 2023 was at ₹76,951.07 crore comprising of paid-up equity capital of ₹1,035.53 crore and reserves of ₹97,187.36 crore (excluding revaluation reserves, foreign currency translation reserves and other intangible assets).

Book value per share (Face Value ₹2) increased to ₹181.48 in FY 2024 from ₹148.80 in FY 2023.

Provisions towards Retirement and other benefits

During FY 2024, the Bank made provision towards contribution to gratuity (₹1240.75 crore), pension funds (₹2425.47 crore), leave encashment, additional retirement benefits and other benefits (₹403.19 crore). Total provisions under these categories amounted to ₹4069.41 crore during FY 2024.

Dividend Distribution

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹7.60 per share for the financial year ended March 31, 2024. The total outgo in the form of dividend will be ₹3,930.24 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals.

Management Discussion and Analysis

Global Economy

The world economy proved to be more resilient than earlier thought in 2023-24 period, despite witnessing another major shock of Israel-Hamas war in Oct'23. The Middle East continues to be plagued with such tensions. Apart from external factors, domestic conditions have also impacted growth in each country. For instance, US economy performed much better than what was earlier expected with 2023 growth clocking in at 2.5% following 1.9% increase in 2022. On the other hand, Eurozone and Canada performed poorly. As per IMF's latest World Economic Outlook, growth in Advanced Economies (AEs) slowed to 1.6% in 2023 from 2.6% in 2022. Within this group, growth in Euro Area dropped to a mere 0.1% in 2023 compared with 3.3% in 2022. This was led by contraction in its largest economy (Germany) in 2023 (-0.2%) following 1.8% growth in 2022.

Growth in Emerging and Developing Economies (EMDEs) held up better, expanding by 4.5% in 2023, after increasing by 4.1% in 2022. Improvement in growth in China (from 3% in 2022 to 5.4% in 2023), accounted for most of the pickup in growth in this region. Revival in demand following removal of Covid-19 protocols and, along with loose fiscal policy and certain structural reforms announced helped improve growth. However, reeling property sector crisis and threat to local government financial crisis still remains.

On the prices front, global inflation softened to 6.8% in 2023 from 8.7% in 2022. Both oil and non-fuel prices fell sharply. Oil prices dropped by (-) 16.4% in 2023, following a 39.2% jump in 2022. Non-fuel prices fell by (-) 5.7%, compared with 7.9% increase in 2022. Despite ongoing tensions in Ukraine-Russia region and beginning of Israel-Hamas war in Oct'23, prices remained weak owing to elevated interest rates across countries and weak demand conditions. Inflation in AEs showed significant moderation in 2023 (4.6% versus 7.3% in 2022) compared with EMDEs (8.3% versus 9.8%).

To bring inflation under control, global central banks across the world, kept interest rates elevated in 2023 with a rate cut possibility likely in in 2024. Amongst the AEs, US Fed policy rate is currently at a 23-year high of 5.25-5.5%. Bank of England (BoE) has maintained its policy rate at a 15-year high of 5.25% and ECB has kept it at a 22-year high of 4.5%. Amongst Emerging Markets (EMs), central banks in India and Indonesia had also raised policy rates aggressively.

Global trade volumes dipped in 2023 amidst moderation in global growth and demand. Volume of goods and services trade moderated to 0.3% in 2023 from 5.1% in 2022. This was led by a sharp deceleration in volume of goods and services export of EMDEs to (-) 0.1% in 2023 compared with 4.1% in 2022. Volume of goods and services imports of AEs also declined by (-) 1% in 2023 compared with 6.7% in 2022.

Divergence in global growth has become more apparent at the start of 2024. Financial conditions still remain tight as major central banks are yet to embark on their rate cut cycles. However, as growth slows and inflation moderates, there remains heightened expectation of easing monetary policy in the coming months. Along with this, loose fiscal and monetary policy in China, and reform measures announced to deal with the ongoing property sector crisis may help boost global growth prospects.

Based on this, IMF projects global GDP growth at 3.2% in 2024 with risks evenly balanced. The report notes that the World has avoided the possibility of a recession supported by surprising resilience in the US economy. Growth in AEs is expected to improve further to 1.7%. This will be led by pickup in US (2.7% versus 2.5% in 2023) and Euro Area to 0.8% (0.4% in 2023). Significantly, Germany, the region's biggest economy is expected to come out of a recession in 2024 as it is projected to grow by 0.2% (-0.3% in 2023), while UK's economy is also expected to perform better with 0.5% growth expected this year (0.1% in 2023). US Fed has also revised upwards its projections for GDP growth in 2024 to 2.1%, from 1.4% expected in Dec'23 policy.

On the other hand, growth in EMDEs is expected at 4.2%, slowing marginally from 4.3% in 2023. This will be due to a slowdown expected in China, Latin America, and Russia. On the other hand, India, Middle East and Central Asian countries are expected to perform well this year. Indian economy is projected to grow by 6.8% for FY25, slightly lower than RBI's projection of 7%.

Inflation is expected to moderate further in 2024, mainly due to progress made in AEs (2.6% versus 4.6% in 2023). While inflation for EMDEs is expected to remain unchanged at 8.3%. Oil prices are projected to decline further by (-) 2.5% in 2024 (-16.4% in 2023), but non fuel commodities may see a build-up in pressure as they are expected to increase by 0.1% in 2024, following (-) 5.7% decline in 2023. This could delay the timing of rate cuts by global central banks, which in turn may impact global growth prospects.

Indian Economy

Growth in the Indian economy remains on a strong footing as the domestic economy continues to showcase resilience backed by strong macro fundamentals. The economy clocked a robust growth of 8.2% in FY24 compared with a growth of 7% in FY23. This will be the third consecutive year when the economy has recorded above 7% growth, post the pandemic induced contraction. Industry has registered a growth of 9.5% against 2.1% in FY23 supported by higher growth in both manufacturing (9.9% from -2.2%) and mining activity (7.1% from 1.9%). Construction sector registered close to double digit growth at 9.9% against 9.4% in the previous year an account of housing sector doing well.

Services sector registered some moderation, but continue to record above 7% growth as reflected by stronger PMI readings for the year (60.3 in FY24 against 57.3 in FY23). Other indicators including domestic passenger traffic, rail freight and GST collections have registered strong growth during this period.

On price front, headline inflation averaged 5.4% in FY24 down from 6.9% in FY23. This is lower than the RBI's upper tolerance band of 6%. After easing down to 4.6% in Q1, headline inflation accelerated to 6.4% in Q2 driven by vegetable inflation along with the sustained pressure noted in prices of cereals, spices and pulses, given lower sowing of kharif crops. However, by Q3 there was a sharp correction (5.4%) in food prices with fuel inflation slipping into deflation. Softening of global commodity prices and supply side interventions by government restricted any price pressure. The ebbing in core inflation is evident with Q3 and Q4 down to 4.1% and 3.4% respectively. For FY25, RBI expects headline CPI to moderate further to 4.5% with risks evenly balanced and assuming a normal monsoon.

India's fiscal deficit for Apr-Mar'24 stood at ₹16.5 lakh crore and around 95.3% of the revised annual target for the year. It stood at 5.6% of GDP in FY24 and has been lower than the revised target of 5.8% at ₹17.35 lakh crore for the whole year. In FY24, centre's net tax revenues had risen by 14.5%, non-tax revenues expanded by 40.8%. For FY25, it is estimated that the fiscal deficit target will be much lower than last year at 5.1% of GDP.

India's external position in FY24 remained strong with trade deficit narrowing down to US$ 78.1 bn from US$ 121.6bn in FY23. This was supported by contraction in imports growth which occurred at a much faster pace than exports. Imports growth declined by 5.4% after increasing by 16.8% in FY23 and this was led by lower oil imports, down by 14.1%. On the other hand, exports growth contracted down by 3.1% in FY24 against a growth of 6.9% last year. On the currency front, INR ended lower by 1.5% in FY24 against a depreciation of 7.8% in FY23. Dollar index during this period strengthened by 1.9%.

On monetary policy front, RBI has kept the policy rate and the stance unchanged in the first policy for FY25. It has also retained its growth and inflation projections for FY25 at 7% and 4.5% respectively. We expect the economy to clock a growth of 7.5-7.8% for the same period.

Developments in Indian Banking

In FY24, India's 10Y yield fell by 17 bps to 7.16% and the entire yield curve witnessed considerable flattening in the year. The entire yield curve shifted downwards with significant correction happening towards the long part of the curve due to buoyant demand conditions, especially higher flows of FPI in the debt segment. On liquidity front, in FY24, RBI had conducted liquidity management exercise through VRR and VRRR. Credit growth for SCBs continued to expand in double digit, growing by 16.3% as of Mar 2024 (excluding merger) from 15% last year. It had also grown at a much faster pace than deposit growth (12.9% from 9.6% in the previous year). The weighted average domestic term deposit rates of SCBs on fresh deposits during the year had risen by 14bps (from 6.48% as of March 2023 to 6.62% as of March 2024). Weighted average lending rates of SCBs on fresh rupee loans also rose, to 9.37% as of March 2024 compared to 9.32% as of March 2023.

The higher pace of growth, led to tighter liquidity conditions in H2FY24 and it moved to deficit from surplus. On an average system liquidity deficit was ₹11,012 crore in FY24 from ₹1.6 lakh crore in FY23. RBI had raised the incremental CRR to 10% back in Aug'23, this was on incremental deposits over May'19 when the withdrawal/exchange of ₹2000 note was announced. The objective of this step was to impound the surplus liquidity in the system.

In Nov'23, RBI had raised the capital norms for bank loans, specifically towards personal loans and NBFCs. The risk weight norms were hiked by 25 percentage points with the objective to rein in the growth in unsecured loans as well as credit cards.

RBI in the Financial Stability Report for Dec'23 noted the health of the financial sector continues to be steady amidst sustained growth in bank credit, adequate capital, liquidity buffers, strong earnings, and lower NPAs. Balance sheets of both corporate and banking sector also strengthened and this is prompting a new investment and credit cycle. Apart from this, stress tests results indicate that even under severe stress scenario, capital reserves of SCBs are expected to remain adequate and GNPA ratios are also likely to inch up only marginally. The macro stress tests conducted in the FSR notes that the system-level CRAR in Sep'24 is expected to be at 14.8 per cent (baseline), and would deteriorate to 12.2 (severe stress). The GNPA ratio of SCBs under the baseline scenario is expected at 3.1% and is expected to rise to 4.4% under the severe stress scenario. The results of the macro stress test revealed that Indian banks are well capitalized to handle any macroeconomic shocks, without requiring additional capital infusion.

EASE

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018. The initial set of EASE reforms, EASE 1.0, EASE 2.0, and EASE 3.0 supported capacity building in multiple areas of banking - such as the Introduction of digital-first reforms such as "Dial-a-Loan", "Credit @ Click", technology, analytics, asset quality improvement, outcome-centric HR, and overall governance. These reforms had a significant contribution to increasing performance, transparency, and accountability across the banking landscape.

The fourth edition of EASE 4.0 focused mainly on smart lending backed by analytics; 24x7 banking with resilient technology and cloud-based IT systems; data-enabled agriculture financing; and collaborating with the financial ecosystem.

The EASE 5.0 agenda mainly focusses on Enhancing Digital Customer Experience, Data-driven Integrated and Inclusive Banking with emphasis on supporting small businesses and agriculture. Further, EASE 5.0 continues to drive progress in ongoing agendas such as co-lending partnerships, mobile banking enhancements, payments in semi-urban and rural areas, cloud adoption, digital marketing improvement through Search Engine Optimization and deepening financial inclusion.

In EASE 5.0 index, Bank has secured 3rd position in FY 23

among all the Public Sector Banks.

The action points under each phase of EASE Programme envisaged deep-rooted transformation in approach and building new capabilities in PSBs.

EASE reforms agenda has contributed immensely towards the Bank's journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping in providing an enhanced experience to its customers.

EASE 6.0

EASE 6.0 focuses mainly on driving excellence in customer service with digital enablement, Digital and analytics-driven business improvement, Tech and data-enabled capability building and developing people and enhancing HR Operations. EASE 6.0 is broadly divided into -4- themes consisting of a total of 22 Action Points.

Under EASE 6.0, Bank has –

- Launched Digital Lending Journey for Retail gold loan and KCC journeys through the jansamarth portal.
- Introduced new functionalities in QMS and promoted the usage of QMS
- Introduced new services for MSME & NRI customers in Mobile Banking and Internet Banking platforms.
- Enhanced the Bank's CRM module to improve the customer experience and speed up the resolution of complaints.
- Enhanced the services provided at call centre viz., providing responses for basic inquiries of the customers through IVR.
- Developed a deceased claim portal to settle the deceased claims through digital mode for customer convenience and improvement in TAT.
- Launched various bundled products with additional features in both savings and current segments.
- Various initiatives undertaken by the bank in succession planning and leadership development.
- Launched HR connect mobile application for employees.

All through the past 6 years, EASE reform agenda has contributed immensely towards the PSBs' journey in achieving efficiency and ease of operations in almost all areas of operations, helping the Banks in providing an enhanced experience to the customers.

EASE Next (Pillar – II):

Bank-specific 3-year roadmap program: Creation of bank-specific three-year strategic roadmaps, conceptualized to each bank's starting position and business priorities, to enable reforms above and beyond the common reform agenda.

Strategic 3-Year Roadmap: As a part of EASENext's second pillar, the 3-year strategic roadmap is conceptualised. The program has been designed with a view to encourage banks to adopt transformational initiatives that go beyond the common reform agenda.

For this purpose, 46 wide-ranging financial and non-financial metrics have been identified. Each bank will identify short-term and long-term targets for each metric, and identify initiatives to drive improvement in these metrics.

Operating Performance & Key Ratios

The highlights of operating performance of the bank are as below:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2023	FY 2024
Interest Earned	89,588.54	1,12,605.94
Interest Expended	48,232.53	67,884.41
Net Interest Income (NII)	**41,356.01**	**44,721.53**
Other Income	10,025.84	14,495.37
Trading Gains	1,062.50	1,491.93
Operating Income (NII + Other Income)	51,381.58	59,216.90
Operating Expenses	**24,518.31**	**28,251.68**
Employee Expenses	13,357.33	15,816.00
Other Operating Expenses	11,160.98	12,435.68
Operating Profit	**26,863.54**	**30,965.22**
Provisions (Other than Tax)	7,136.90	6,075.61
of which-Provisions for NPAs and Bad debts written off	4,350.52	6,470.86
Provision for Standard Advances	527.50	-688.51
Provision for Depreciation on Investment	1,704.03	-31.26
Other Provisions	554.85	324.52
Profit Before Tax	**19,726.64**	**24,889.61**
Provision for Tax	**5,617.02**	**7,100.83**
Net Profit	**14,109.62**	**17,788.78**

Net Interest Income of the Bank increased to ₹44,722 crore in FY 2024 from ₹41,356 crore in FY 2023, grew by 8.1% on a YoY basis. The Interest Income increased to ₹1,12,606 crore in FY 2024 by registering a growth of 25.7% on a YoY basis. The Interest Expense stood at ₹67,884 crore in FY 2024 which was at ₹48,233 crore in FY 2023.

Other Income of the Bank increased to ₹14,495 crore in FY 2024 which was at ₹10,026 crore in FY 2023, thereby registered a growth of 44.6% on a YoY basis. Operating expenses of the Bank stood at ₹28,252 crore in FY 2024 as compared with ₹24,518 crore in FY 2023. Operating Income of the Bank increased to ₹59,217 crore in FY 2024 from ₹51,382 crore in FY 2023, registered a growth of 15.2% on a YoY basis.

Total provisions (other than tax) and contingencies declined

to ₹6,076 crore during FY 2024 from ₹7,137 crore during FY 2023. Provisions for Non- Performing Assets (NPA) was at ₹6,471 crore in FY 2024 which was at ₹ 4,351 crore in FY 2023.

The Bank reported a Net Profit of ₹17,789 crore in FY 2024 from ₹14,110 crore in FY 2023, grew by 26.1% on a YoY basis. The Operating profit of the Bank grew by 15.3% at ₹30,965 crore in FY 2024 as compared with ₹26,864 crore in FY 2023.

Key Ratios

Key Ratios	FY 2023	FY 2024
Cost of Deposits - Global (%)	3.89	4.92
Cost of Deposits - Domestic (%)	4.09	4.97
Cost of Deposits - International (%)	2.37	4.57
Yield on Advances – Global (%)	7.54	8.53
Yield on Advances (Domestic) (%)	8.25	9.01
Yield on Advances (International) (%)	4.21	6.34
Net Interest Margin – Global (%)	3.31	3.18
Net Interest Margin – Domestic (%)	3.42	3.32
Net Interest Margin – International (%)	1.94	1.97
Cost-Income Ratio (%)	47.72	47.71
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.03	1.17
Return on Equity (%)	18.34	18.95

Cost of deposit (global) stood at 4.92% and Yield on Advances (global) improved to 8.53% in FY 2024. Net Interest Margin (NIM) global stood at 3.18% and NIM domestic stood at 3.32% in FY 2024. Cost to income ratio stood at 47.71% in FY 2024 decreased by 1bps as compared with FY 2023. Return on Assets for FY 2024 improved by 14 bps to 1.17% in FY 2024 from 1.03% in FY 2023, reflects excellent performance in profitability. Return on Equity increased by 61 bps to 18.95% in FY2024 from 18.34% in FY 2023.

Resource Mobilisation

(₹ in crore)

SL No	Particulars	FY 2023	FY 2024
I	**Total Deposits**	**12,03,688**	**13,26,958**
II	International Deposits	1,56,313	1,98,444
III	**Total CASA**	**4,75,097**	**5,14,366**
IV	Total Current Account Deposits	1,04,001	1,20,411
V	Total Savings Bank Deposits	3,71,096	3,93,956
VI	**Global CASA %**	**39.47**	**38.76**
VII	**Domestic Deposits**	**10,47,375**	**11,28,515**
VIII	**Domestic CASA Deposits**	**4,42,511**	**4,66,401**
IX	Dom. Current Account Deposits	75,111	76,386
X	Dom. Savings Bank Deposits	3,67,400	3,90,014
XI	**Domestic CASA to Domestic Deposits (%)**	**42.25**	**41.33**

Total Deposit of the Bank increased to ₹13,26,958 crore during FY 2024 from ₹12,03,688 crore during FY 2023, there by recorded a growth of 10.20 % during the period. The International Deposit of the Bank also increased to ₹1,98,444 crore as on 31.03.2024 from ₹1,56,313 crore as on 31.03.2023, recording a robust growth of 26.95 % on a YoY basis.

The global CASA of the bank increased to ₹5,14,366 crore as on 31st March 2024 from the level of ₹4,75,097 crore as on 31st March 2023, registered a growth of 8.27% on a YoY basis. The global current deposit of the bank increased to ₹1,20,411 crore as on 31st March 2024 from ₹1,04,001 crore as on 31st March 2023, marked a growth of 15.78 % on a YoY basis. The global Savings deposit of the bank increased to ₹3,93,956 crore as on 31st March 2024 from ₹3,71,096 crore as on 31st March 2023, recorded a growth of 6.16% during the period. The global CASA % to global deposit stood at 38.76% during the period.

Domestic Deposits and Domestic CASA

Domestic Deposit of the Bank increased to ₹11,28,514 crore as on 31.03.2024 from ₹10,47,375 crore as on 31.03.2023, registering a growth of 7.75 % during the period.

Bank's domestic CASA deposits increased by 5.40% and rose to ₹4,66,401 crore as on March 31, 2024. Bank's Domestic CASA ratio to the domestic deposit stood at 41.33% during FY 2024. Current Account deposits registered growth of 1.70% and reached to ₹76,386 crore, while Savings Bank deposits reached to ₹3,90,014 crore with an increase of 6.15% as on 31.03.2024.

Low-cost deposit mobilization initiatives

During FY 2024, Bank opened 91.85 Lakhs new CASA accounts. Within this, the thrust was for opening of accounts in paperless mode using VCIP & TAB mode. Bank launched innovative & cutting-edge SB & CA Products viz. 3 new SB Account bob LITE, bob BRO, bob NRI Power Pack, 7 New Current Account bob Lite Current Account, bob Women Power Current Account, bob Smart Current Account, bob Gold Current account, bob Platinum Current Account, bob Rhodium Current Account, bob Diamond Current Account.

Bank also revamped existing CA & Salary SB accounts and given extensive focus in acquiring new accounts.

Special emphasis was placed on increasing the penetration of key CASA enablers, which include POS systems, QR codes with sound boxes, IP and BCMS. Additionally, efforts were made to activate dormant accounts, initiate DEAF activations, and funding of zero balance accounts.

On the digital front, the Bank has significantly increased client acquisition through various digital channels such as VCIP and TAB mode. During the FY-2024, the Bank opened 1,02,299 VCIP SB Accounts and 33,799 B3-Digital Accounts. Bank opened 2,44,582 Current Accounts in FY-2024; of which 82.11 % (2,00,844) accounts opened through TAB mode. Furthermore, 55,93,991 Non-FI SB Account opened in FY 2024; of which 66.92 % (37,43,914) accounts opened through TAB mode.

The Bank introduced the bob Parivar Concept, "My Family, My Bank," which extends a range of benefits to family members. This initiative includes tiered offerings for Premium Customers, segmenting them based on their CASA balances into three categories: RISE, Shine, and Sparkle. Sparkle customers receive personalized services through assigned personal Relationship Managers to build strong connect and improvise the banking services.

Bank's integration with the Ministry of Corporate Affairs Portal for opening Current Accounts of newly formed companies has resulted in the opening of a total of 5,186 current accounts.

Bank has established a dedicated Defence Banking Vertical, which is headed by a Chief Defence Banking Advisor, a retired Lieutenant General. This vertical is further supported by Deputy Defence Banking Advisors who are posted at key locations to effectively penetrate the Defence segment.

Bank is leading in providing Doorstep Banking Services through the PSB Alliance Doorstep Banking Services initiative. During FY 2024, the Bank successfully completed 35,494 Doorstep Banking services.

Baroda Cash Management Services

The Bank's Cash Management Services business, Baroda DigiNext, which provides a wide range of Omni-channel digital solutions for Corporate and Government customers to manage their cash flows and liquidity, has witnessed rapid growth over the last three years. This solution is utilized by key Government Departments as well as Corporate Entities for managing their Collections. Baroda DigiNext also offers integrated and paperless payment solutions to both government and corporate customers. The Solution provides valuable real-time information on all receipts, including electronic payments, cheques, and cash deposits at all branches.

In FY 2023-24, Baroda Cash Management Services continued to rapidly expand its footprint, acquiring over 2,600 new relationships. More than 9,000 large customers are utilizing the Bank's Cash Management Services, executing over 8 Crore transactions during the year.

Credit Expansion

The Global Gross advance of the bank increased to ₹10,90,506 crore during FY 2024 from ₹9,69,548 crore during FY 2023, thereby registering a growth of 12.5% on YoY basis. The gross domestic advance increased to ₹8,98,116 crore as on 31st March 2024 from ₹7,95,560 crore as on 31st March 2023, there by marked a growth of 12.9% during the period. The international gross advance of the bank increased to ₹1,92,390 crore during FY 2024, from ₹1,73,988 crore during FY 2023, there by registered a robust growth of 10.6% on a YoY basis.

(₹ in crore)

Credit Portfolio of the Bank			
Segment	**FY 2023**	**FY 2024**	**YoY (%)**
Retail*	**1,78,037**	**2,14,942**	**20.7**
Agriculture	**1,24,247**	**1,38,640**	**11.6**
MSME*	**1,08,196**	**1,19,415**	**10.4**
Corporate	**3,40,408**	**3,79,747**	**11.6**
Others	44,672	45,372	1.6
Gross Domestic Advances	**7,95,560**	**8,98,116**	**12.9**
International Gross Advances	1,73,988	1,92,390	10.6
Global Gross Advances	**9,69,548**	**10,90,506**	**12.5**

*Ex-pool purchase (Organic)

The growth in Advance portfolio was led by Retail Advance (organic) which increased to ₹2,14,942 crore grew by 20.7%, Agriculture advance which increased to ₹1,38,640 crore grew by 11.6%, MSME (organic) segment which rose to ₹1,19,415 crore by 10.4%, on a YoY basis in FY 2024. The retail advance including pool purchase was at ₹2,23,911 crore and MSME including pool purchase was at ₹1,25,899 crore as on 31.03.2024.

Corporate Loan of the Bank increased to ₹3,79,747 crore in FY 2024 from ₹3,40,408 crore in FY 2023, grew by 11.6% on YoY basis.

The Bank has successfully implemented many initiatives to improve its Advance Portfolio with the help of Digital Banking across segments like Retail, Corporate, Priority, MSME, Agriculture etc. Bank has launched Digital Education Loan for Executive Development Program (EDP) of Premier Institutes in India through Digital Lending Platform. Bank has launched a full-fledged Branch Officer Assisted Journey for Digital Personal Loans to conduct the end to end digital journey, which also facilitate the branches to support at different stages of the customer self- service journey. In MSME segment, Bank has integrated JanSamarth Portal with internal loan processing systems to provide, End- To- End Digital Mudra loans upto ₹10 lakh. In Agri portfolio, Bank has launched Digital Journey for Gold Loan to provide superior banking experience to the customers. Bank has launched digital process for renewal of BKCC loans. The Bank has

also conducted many campaigns and marketing activities at Head Office, Zonal, Regional and branch level to attract new customers in our fold. The continues focus on Branch Banking and Digital Banking together helped the Bank to expand its Advance Portfolio across the sectors during FY 2024.

Corporate Credit

Corporate credit in the Bank is serviced through 33 specialized Corporate Financial Services (CFS) & Mid Corporate branches (MCB) which manage approximately 90% of the total standard corporate credit portfolio of the Bank. The corporate credit portfolio of the Bank increased to ₹3,79,747 crore in FY 2024 as compared with ₹3,40,408 Crore in FY 2023 there by recorded a growth rate of 11.6% on a YoY basis.

Credit Rating Distribution*	FY 2023	FY 2024
A and above	86%	90%
BBB	7%	5%
Below BBB	3%	3%
Unrated	4%	2%

**External Rating Distribution of Domestic Advances above ₹50 crore*

Total portfolio comprising of A & above in FY 2024 was 90%as against 86% in FY 2023.

Corporate Banking – Revamped Structure

During the year bank has continued with its strategy to focus on Mid Corporate Advances, through -4- Mid Corporate Clusters located at strategic locations i.e. New Delhi (North), Chennai (South), Mumbai (West) and Kolkata (East) and Mid Corporate Branches tagged to them.

Target Market approach

The Bank follows a target market approach which has the following features:

- Identification of industries / sectors for growth based on industry outlook i.e. the combined output of various industry parameters including market size, growth, demand-supply outlook, cost structure, competition, financial performance, government policies and investment outlay.
- Sector-wise business plan for target market lending, based on exposure caps, existing exposures and further appetite for fresh acquisitions.
- Detailed account planning with structured calling plans for meetings, identifying business opportunities, approval and closure.
- Execution of the business plan under target market approach through dedicated relationship managers across the Bank.
- The Bank focuses on overall yield from the customer rather than interest income by offering ancillary services like supply chain finance, value chain finance, CMS facility and other retail products.

MSME Credit

The MSME portfolio of the Bank (excluding TWO, including pool purchase) increased to ₹1,25,899 crore in FY 2024 from ₹1,14,918 crore in FY 2023, registered a growth of 9.56% on a YoY basis. During the year, the Bank has taken the following initiatives to augment MSME business with improved asset quality.

1. Formation of 330 specialized MSME Branches with exclusive team.
2. Digitalization of MSME loan journey through the state of art “**Tejas** “Platform.
3. Enhanced focus on emerging product segments leading to overachievement of Target.
   - CV/CME segment achieved 116% of the target with a YOY growth of 67%.
   - TreDs has achieved 194% of the target with a YOY growth of 173%.
   - Supply Chain Finance has achieved 149% of the target with a YOY growth of 53%.
4. Incremental acquisition of CMR 1 to 3 accounts thus improving asset quality. It has grown from 52% in FY23 to 585 in FY24.

Additionally, Bank has achieved almost all the Target under the following key Government schemes-

1. 100% under PMMY Scheme.
2. 99.82% under Standup India.
3. 95.58 % under PM Svanidhi scheme (Disbursement against the applications received).

Retail Credit

The Retail Asset of the Bank (excluding TWO, including pool purchase) increased to ₹2,23,911 crore in FY 2024 from ₹1,87,688 crore in FY 2023, registered a growth of 19.30% on a YoY basis. The organic Retail Loans increased to ₹2,14,942 crore in FY 2024 from ₹1,78,037 crore in FY 2023, an increase of 20.73% over the previous year. Retail Assets organic portfolio constitutes 23.95% (excluding LABOD and Staff Loan) of domestic Advances as on 31st March 2024.

Retail portfolio (organic) of the Bank

(₹ in crore)

Retail Credit Portfolio of the Bank			
Segment	**FY 2023**	**FY 2024**	**YoY (%)**
Home Loans*	**98,014**	**1,11,791**	**14.1**
Auto Loans*	**31,261**	**38,697**	**23.8**
Mortgages Loan*	**16,801**	**18,715**	**11.4**
Education Loans	**8,196**	**9,800**	**19.6**
Personal Loans	**19,645**	**29,784**	**51.6**
Gold Loans	**2,420**	**4,546**	**87.9**
Others	**1,700**	**1,608**	**(5.4)**
TOTAL RETAIL CREDIT	**1,78,037**	**2,14,942**	**20.7**

*Ex-pool purchase (Organic & Excl. TWO)

The key highlights of retail business in FY 2024 include:

Retail Loan advance share as percentage of total domestic loan book increased to 23.93% in FY 2024 from 22.37% in FY 2023

To ensure customer convenience and eliminating the need for physical documentation and branch visit, During the FY24 ₹ 8728 Crore of Personal Loan, ₹ 386 Crore of Auto Loan, ₹ 38 Crore of Top Up Loan, ₹ 21 Crore of Education Loan and ₹8.00 Crore of Pension Loan disbursed through end-to-end digital journey.

During FY 2024 fresh 1427119 Retail loan Accounts sanctioned amounting of 86,829 Crore

Auto Loan, Personal Loan & Total Retail Loan portfolio has shown excellent growth of 23.79%, 51.61% and 20.73% respectively and surpassed industry growth rate.

The bank has helped students to realise their dreams by distributing education loans amounting to ₹2844 Crore Out of this 41% of disbursed amount were extended to Female students.

Bank's Loan Origination system was integrated with Jan Samarth portal of Government of India for faster sanctioning of rooftop solar loans under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.

The GNPA in Retail Loan Portfolio (Exc. Pool and LABOD) decreased substantially from 1.50% in March 2023 to 1.20% in March 2024.

Bank has outpaced industry growth in Auto Loan, Personal Loan and Total Retail Advances.

The GNPA in Home Loan reduced from 1.56% in FY2023 to 0.98% in FY2024 through proactive monitoring and best in class underwriting.

In FY2023-2024 bank has disbursed ₹ 29463 Crore & ₹ 17733 Crore in Home Loan and Auto Loan respectively.

In Home Loan 101141, Auto Loan 173592, Education Loan 25791 and in Personal Loan 811426 new customers added in FY24.

Digitization of end-to-end process in Personal Loan, Auto Loan, Education Loan, Pension Loan, Home loan Top-up .

Strengthening collaboration with Corporate DSA, DST Channel, BCs for leads.

New Referral DSA channel was started (RDSA) and portal for submission of leads by RDSA launched.

Continuation of Retention strategy and cross-selling for Home, Mortgage loan and Auto Loan customers who are approaching other Bank.

Fixed ROI option introduced in all schemes of Baroda Car Loan

Aligned our products as per market trends and needs.

Implementation of revamped structure for processing & sanction of mortgage-based Retail Loans in RAPCs.

Education Loan ROI aligned in 98 identified institutes for overseas study.

Project Approval module implemented in LLPS.

Revised ELSC structure implemented on Pan India.

"MO GHARA" scheme implemented under Government Housing Assistance in Rural Areas scheme in Odisha State.

Education Loan ROI for premier & scholar scheme aligned with market.

Fixed ROI option introduced under Personal Loan.

Introduction of Fixed Rate option for new as well as existing borrowers in Mortgage Loan as well as Future Rent Receivables.

Introduction of Fixed Rate for Baroda pre-Owned Cars and -2- wheeler loans.

Fixed Rate option is introduced for existing as well as new Education Loan Accounts.

Introduction of Fixed Rate of Interest option in Home Loans.

PM Surya Ghar Yojana- Standalone and composite rooftop solar schemes were launched.

CERSAI Finacle API integration completed.

Business Partners i.e. DSAs & DSTs were provided a mobile application named Lead force App for quicker submission of leads into the Bank's loan processing system.

Auto review functionality was implemented for Auto loans & Personal Loan to improve the operational efficiency and productivity of branches.

Rural and Agricultural Lending

Agriculture & its allied sectors, is the largest livelihood provider in India particularly in the vast rural areas and it also contributes significantly to the Gross Domestic Product (GDP).

Bank has a network of 8,243 domestic branches, of which 4,966 rural and semi urban branches are leveraged fully for priority sector and agriculture lending. The Bank's agriculture advances increased to ₹1,38,640 crore as on 31st March 2024 forming about 15% of the gross domestic credit.

Bank is the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in 3 states i.e. Uttar Pradesh, Gujarat and Rajasthan and Union Territory Level Bankers' Committee (UTLBC) in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 75 districts across the country.

Bank continues to be one of the leaders in lending to agriculture sector, which received an impetus with the Government's vision of "Atmanirbhar Bharat". The Bank has moved beyond granting simple farm based credit to a more diversified rural lending strategy to encourage capital generation to farmers and build a robust infrastructure in agriculture and Animal Husbandry. We are also focusing more on newly introduced products such as Agriculture

Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Scheme (AHIDF), PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan Scheme (PM Kusum), Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme (PMMSY) and compressed biogas products.

Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Financing to Self Help Groups (SHGs), Agri Gold Loans, Farm mechanisation (Tractor loans), Horticulture loans, Financing to Farmer Producer Organization / Farmer producer company (FPO/FPC), Hi-tech Agriculture and Food and agro-processing. During the year, the Bank has issued 4.59 lakh new Kisan Credit Card (KCC) of which 1.18 lakh are Animal Husbandry and Dairy (AHD) KCC issued to farmers engaged in animal husbandry and fisheries activities. As part of its microfinance initiatives, Bank has credit linked 1,13,726 SHGs by granting loans amounting to ₹4,105 crore during FY 2024.

Bank is pursuing tie ups with various private partners to enhance credit linkage of SHGs. Bank has also introduced TAB banking facility, to improve Turnaround Time and to enable hassle free instant Savings Bank Account opening for SHGs. In Tractor loans, rate of interest has been linked with LTV of Tractor for the convenience of farmers. During FY 2023-24, Bank has introduced “Baroda Kisan Pride” new product for the large farmers for scientific and progressive methods of farming for high yielding crops. Our Bank is a partner in the development of the digital KCC journey, on the Jan Samarth portal, initiated by the Government of India.

Bank had introduced Centre for Agriculture marketing and Processing (CAMP), a dedicated centralized centres for processing of agriculture loans with a special focus on non-traditional and high value Agri advances at its various zones and regions. During FY 2023-24, CAMP has sanctioned loans to 34,678 farmers, amounting to ₹ 3,601 Cr.

“BARODA KISAN PAKHWADA” is Our Bank’s annual farmer outreach programme which is observed every year. During “BARODA KISAN PAKHWADA”, Branches of our Bank organize various functions/ events of SHG/ health check-ups of live stocks /Soil Testing and other activities/ meetings to reach out to maximum number of farmers. During FY 2023-24 “BARODA KISAN PAKHWADA” was observed from 16.11.2023 to 30.11.2023 and we have conducted 12165 farmer outreach programmes and connected 468207 farmers.

Priority Sector Lending

Average Priority sector advances of the bank increased to ₹ 3,01,917 crore during FY 2024 from ₹ 2,73,583 crore as of FY 2023 and registered YoY growth of 10.36%.

Advances to SC/ST Communities

The outstanding advances to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (SC/ST) communities went up to ₹21,106 crore as of 31st March 2024. The SC/ST communities accounted for 17.57% share in total advances granted to weaker sections by the Bank.

Further, special thrust is given by the Bank in financing SC/ST communities under various Government sponsored schemes such as National Rural Livelihood Mission (NRLM), MUDRA Loan, Startup India and Stand-Up India.

Gold Loan

Bank’s gold loan portfolio increased to ₹47,629 crores, as on 31st March 2024, from ₹38,518 crores, on 31st March 2023, registering a growth of 23.65%. Within gold loan portfolio, Agriculture gold loans grew by 19.79%, reaching ₹42,921 crore (excluding TWO) in FY 2024 from ₹35,829 crore in FY 2023. Retail gold loan increased to ₹4,552 (including TWO) crore in FY 2024 from ₹2,419 crore in FY 2023, registering a growth of 88.16%. During the year, the Bank has added 86 new gold loan disbursing branches, taking the total number of Gold Loan designated branches to 5,990 in FY 2024 from 5,904 branches in FY 2023. The increase in spread of Gold loan designated branches across the country with share of geographies other than southern parts stands at 28.53% in FY 2024 as compared to 27.11% in FY 2023. Average ticket size of a gold loan increased to ₹1.74 lakhs in FY 2024 from ₹1.58 lakhs FY 2023. Average amount of gold loan per branch increased to ₹7.95 crore in FY 2024 from ₹6.52 crore in FY 2023. Credit quality of the Gold Loan portfolio remained healthy, with a GNPA ratio of 0.20% as on 31st March 2024.

Financial Inclusion (FI)

In order to provide universal banking services to all sections of the society especially to rural, semi-urban and urban poor at an affordable cost, Bank has taken financial inclusion as a social commitment and also an opportunity to tap business through BC model. The Bank has been actively working towards ensuring financial inclusion in the country through its branches and BC network. With the advent of technology, innovative steps are being taken for serving the unbanked areas. Bank expanded its BC network to 54,345 as on March 31, 2024 to cater to rural, semi urban, urban & metro areas across the country. Bank took the following initiatives towards promoting financial inclusion:

- Introduced Online Loan Lead portal for BCs.
- Launched opening of Non-BSBD Account at BC Point.
- Launched Android based BC Inspection App for monthly inspection of BC points by officials of the Bank and BC Supervisors.
- As a risk mitigation measure voice over in Bilingual for every transaction was introduced at BC points.
- Opened 82 additional Center for Financial Literacy (CFL) over and above the existing 114 CFLs.
- Introduction of Fixed Incentive to Business Correspondents.
- Standardization of BC Working Hours – 8:00 AM to 8:00 PM

Performance highlights under financial inclusion during FY 2023-24:

- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts increased to 616 lakhs in March 2024 from 585 lakhs in March 2023 with YoY growth of 5.29%.

- PMJDY deposits increased to ₹32,337 Crore as on March 2024 from ₹ 27,531 Crore as on March 2023 with YoY growth of 17.46%.
- The Bank's share among PSBs stood at 15.20% in PMJDY accounts and 17.69% for deposits in PMJDY accounts, second highest only after SBI.
- Zero balance PMJDY accounts of the Bank reduced to 4.98% as on 31st March 2024 as against 5.22% as on 31st March 2023.
- As on 31st March 2024, Micro Insurance enrolment under PMJJBY scheme is 70.44 lakhs and under PMSBY scheme is 253.84 lakhs.

Performance of RRBs sponsored by Bank of Baroda

The Bank sponsors three Regional Rural Banks (RRBs) namely Baroda U.P. Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank and Baroda Gujarat Gramin Bank in the state of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat respectively. The aggregate business of these three RRBs increased to ₹1,67,173 crore as on 31st March 2024 from ₹ 1,48,737 crore as on 31st March 2023 i.e. 12.39 % on YoY basis. These RRBs together posted a net profit of ₹ 1,121.36 crore during FY 2024, increased by 56.06 % as compared with net profit of ₹ 718.54 crore during FY 2023. The net worth of these RRBs put together improved to ₹ 6,887 crore as of 31st March 2024 from the level of ₹ 5,704 crore as of 31st March 2023.

Awards received by RRBs.

Our three sponsored RRBs put together bagged 43 top performing awards (BGGB -12, BUPB - 19, BRKGB - 12) under various campaigns launched for enrolment of Atal Pension Yojna from Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Baroda U. P. Bank (BUPB) has received the award from Hon'ble President of India in New Delhi on 05.11.2023 for outstanding performance under PMFME category amongst all RRBs in India and award from Hon'ble Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh on 24.11.2023 for the Excellent Performance under SHG category.

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (BRKGB) has begged seven prestigious awards in the Annual Technology Awards ceremony organized by IBA on 09th February, 2024 in the following categories;

1. Technology Bank of the Year (for consecutive Nine year)
2. Best Financial Inclusion (for consecutive Fifth year)
3. Best Fintech & DPIU Adoption
4. Best Digital Engagement
5. Technology Talent (Runner)
6. Best IT Risk Management (Special Mention Category)
7. Best AI / ML Bank (Special Mention Category)

- Won 2 awards in IBEX India BFSI Tech awards.

1. Best Technology Bank.
2. Excellence in Financial Inclusion (for RRBs/ Small Finance Bank/ Coop Bank category).

- National Award for outstanding performance in SHG Bank Linkage 2022-23 in Northern Region.
- Top Performer in RRB Category PAN India Level under BHARAT Campaign (15.07.2023 to 31.08.2023) for AIF Scheme.

Baroda Gujarat Gramin Bank (BGGB) has begged two prestigious awards in the Annual Technology Awards ceremony organized by IBA on 09th February, 2024 in the following categories.

1. Best Technology Talent (Special Mention Category)
2. Best Technology Bank (Special Mention Category)

Stressed Asset Management

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages.

Bank has strategies to touch each and every NPA account in a scientific manner. Hence Bank has having special skill set under an Apex Vertical 'Stressed Assets Management Vertical', at Corporate Office. In this vertical -5- Stressed Assets Branches (SAM) were set up with special skill set to cater all accounts under National Company Law Tribunal (NCLT), -12- Stressed Assets Recovery Branches (SARB Branch) at zonal level were established to handle NPA accounts other than NCLT with outstanding balance above ₹5 crore. These Branches are under direct supervision of corporate office to reduce TAT. Further -69- Regional Stressed Assets Recovery Branches (ROSARB Branch) at Region level were established to handle NPA accounts with outstanding balance above ₹20 lacs to ₹5 crore.

Under Govt of India Digital Initiative, Bank has taken several steps for end-to-end digitalization of the entire recovery and monitoring procedure without paper movement and Real Time basis. In this connection,

1. "QLICK" It picks several data points from FINACLE on real time basis without manual intervention and calculates Days Past Due (DPD) Report, NPA Movement Chart and Mock Runs – for forecasting daily degradations.
2. "ILMS" Mobile app and Desktop based portal which is an online repository of entire NPA A/Cs irrespective of amount. It provides online 360-degree live monitoring of accounts without any manual intervention, like SARFAESI status, DRT/NCLT status, Provisioning, Daily Recovery, lawyers performance analysis and online submission/ sanction of OTS proposals it reduced the TAT.
3. Bank is member of e-Bkray portal which is being used for auction of properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI).

4. Under EASE 4.0 guidelines, the Bank have developed and deployed automated "One Time Settlement" procedure by providing separate link on Bank's website to ensure early disposal of small ticket size NPA accounts.

   Bank also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages.

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.
2. Proper allocation of small NPA accounts to Recovery Agents / Feet on Street to be done by Portfolio Managers at ZO/RO level and properly monitoring them.
3. Arranging the National Lok-Adalats & Introducing the Pre Lok-Adalat meetings for maximum participation of borrower during the Lok Adalats.
4. Bank has initiate the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continue the action till conclusion / disposal of asset & recovery in the account. We are also listing/ publishing the auction property details on Bank's website, Newspaper, Radio, social media web portals and as well as leading property web sites.

The movement of NPAs during the last two years is as under:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2023	FY 2024
Gross NPA	36764	31834
Gross NPA (%)	3.79%	2.92%
Net NPA	8384	7213
Net NPA (%)	0.89%	0.68%
Additions to NPAs	11150	10397
Recovery/ Upgradations	10100	4729
Write offs including TWOs	17998	10518
Recoveries in write off accounts	4781	5098
Provisional Coverage Ratio (including TWO) (%)	92.43%	93.30%
Provisional Coverage Ratio (excluding TWO) (%)	77.19%	77.34%

As per asset classification, the bifurcation of loan book is as given below:

(₹ in crore)

Asset Category	FY 2023	FY 2024
Standard Advances	932784	1058672
Gross NPA	36764	31834
Total Gross Advances	969548	1090506
Gross NPAs comprising		
Sub-standard	5439	7816
Doubtful	19182	13118
Loss	12143	10900
Total Gross NPA	36764	31834

Bank believes in Nation Building by extending hands to stressed entrepreneurs through restructuring as per RBI guidelines.

In order to address the large number of small NPA accounts, Bank had launched in FY2024 its special One-Time Settlement (OTS) scheme "Vasooli Sankalp" for settlement of unsecured NPA (DBII/DBIII/Loss) /TWO/ PWO accounts having outstanding balance up to ₹5.00 Crore under MSME, ₹ 1.00 Crore under Retail and ₹ 0.25 Crore under Agriculture category. The Bank recovered NPA accounts amounting to ₹866 crore under Vasooli Sankalp scheme.

To have better and targeted monitoring mechanism & reduction in SMA – I & SMA - II accounts of large corporate are being monitored by Stressed Asset Management Vertical in coordination with Credit Monitoring Vertical to find out the resolution and exploring all prospects of recovery, up gradation.

International Banking

The Bank has -91- overseas branches/offices across -17- countries comprising of -39- overseas branches/offices (including -1- International Banking Unit in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, India and -9- EBSUs in UAE), -52- branches of the Bank's -7- overseas subsidiaries. In addition, Bank has one Joint Venture viz. India International Bank (Malaysia) Bhd. in Malaysia and one associate bank viz. Indo Zambia Bank Ltd. in Zambia with -32- branches.

The Bank has presence in the world's major financial centres of New York, London, Dubai, Singapore and Australia. In addition, Bank has a wholesale branch in GIFT City (SEZ), Gujarat, India which is treated as an offshore banking unit and has chosen the branch as a centre for business growth taking into consideration the immense business potential, tax advantage, Government initiatives etc. Bank has taken various proactive steps in creating world class infrastructure for the branch in IFSC including state of the art dealing room for international treasury of global standard at GIFT city.

Bank pursues a strategy of driving growth and value by meeting the international banking requirements of Indian corporates; catering to India linked cross-border trade flows for Indian and locally incorporated companies or firms and being the preferred Bank for NRIs/ Persons of Indian Origin.

Looking into the available business opportunities, Bank has also diversified the advances portfolio by taking exposure on Non-India related syndication loans in the primary and secondary market. Also, various new products have been launched to broaden the product basket.

Further, in overseas centres, substantial progress has been made in IT up gradation for end-to-end business solution, with a focus on digitization and centralization, to improve productivity and customer experience. Bank is continuously integrating multiple platforms of technology to generate synergies.

Bank has strategically undertaken rationalization of its overseas presence based on a comprehensive evaluation framework. As part of this exercise, in recent years, Bank has closed its operations in Hong Kong, South Africa and a

branch/ office each in UAE, Oman and Mauritius. The Bank is continuously consolidating and re-organising its International Operations in line with the new global environment and focused on rebalancing the portfolio with a view to manage risks, shed low-yield assets and increase profitability.

As of March 31, 2024, the Bank's total business (net) from international branches was ₹ 3,83,409 Crores and constituted 16.02% of the global business. Total deposits were at ₹1,98,444 Crores while net advances were ₹ 1,84,965 Crores.

FOREIGN EXCHANGE BUSINESS

With an objective to implement high standards of compliance in line with extant regulatory guidelines with improved operational efficiency, service delivery and quality, our Bank has set up Trade Finance Back Office at GIFT City, Gandhinagar(India's 1st smart city) along with BCP set up at Bengaluru to cater trade finance services of its pan India customers. The significant developments aimed at enhancing the overall foreign exchange business in the current financial year are as follows:

- Bank has automated cross border inward remittances below USD10000 for certain purposes. During FY 23-24 we have successfully handled 59,368 transactions through Straight through processing, achieving significant improvement in TAT.
- Bank has launched Liberalized Remittance Scheme (LRS) facility through BOB-World enabling individual customers to initiate transactions under LRS for specific purposes viz. gift / family maintenance from their Mobile. Approximately3700 transactions have been facilitated through the platform.
- Bank has created an accessible 24/7 SMART TRADE PORTAL to its customers, enabling them to initiate inland as well as forex trade transactions from their office, reducing the necessity for branch visits. This channel has witnessed considerable growth during the year with doubling of the number of customers on-boarded and routing of 10% of the total transactions through the Portal.
- Bank has partnered with NeSL (National E-Governance Services Limited) to issue Bank Guarantees end to end, via Digital Mode, which will increase the security and reduce TAT. In this initiative, our Bank has emerged as the fastest inthe industry to issue 1,000 Electronic Bank Guarantees (e-BGs) on the National e-Governance Services Limited (NeSL) platform for the quarter ended December'23. As of March'24, our cumulative eBG issuance has doubled to2010.
- As on 31st Mar 2024, Bank has established 13 Special Rupee Vostro Accounts for Banks worldwide to spearhead the Government of India's drive to promote INR denominated trade transactions via the Special Rupee Vostro Account (SRVA) mechanism.
- Bank has fully centralized processing of inland trade transactions from August 2023, thereby successfully consolidating the processing of both inland and Forex trade finance transactions through the Trade Finance Back Office.

Domestic Treasury Operations

The Bank operates its treasury operations from a state of the-art dealing room at its Corporate Office in Mumbai. The treasury is a prominent player in various markets such as foreign exchange, interest rates, fixed income, money market, derivatives, equity, currency and interest rate futures and other alternate asset classes. The Bank offers various services like interest rate swaps, currency swaps, currency options and forward contracts through authorised branches dealing in foreign exchange across India.

Treasury maintains the regulatory requirements of CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) and manages the fund position. Treasury borrows/invests in money market and capital market instruments as part of fund management operations.

The total size of the Bank's domestic investment book as of 31st March 2024 stood at ₹3,56,820 crore. The share of SLR securities in total investments was 84.30%. The percentage of SLR securities (unencumbered) to Net Demand and Time Liabilities (NDTL) as of 31st March, 2024 was at 23.81%. The Bank capitalized on the opportunities offered by yield movements. The Bank managed its portfolio efficiently and maintained yields on total investment for FY 2023-24 at 7.21%(including profit on sale). During FY 2024, the profit on sale of investment and foreign exchange earnings were ₹1,498 crore and ₹ 630 crore respectively.

Government Business

The Government Relationships Vertical plays a pivotal role in the strategic framework of the bank. It serves as a cornerstone in meeting the diverse banking needs of both Central and State Governments, as well as Public Sector Undertakings (PSUs) across India. Our comprehensive suite of services encompasses a wide array of financial transactions crucial to the functioning of government bodies.

One of our primary responsibilities involves the seamless processing of payments related to Central Government and State Government pensions, postal transactions, and Treasury/ sub-Treasury transactions. Additionally, we manage various Government savings and investment schemes such as the Public Provident Fund, Senior Citizens' Saving Scheme, Sukanya Samriddhi Yojana, National Pension System, Atal Pension Yojana, e-Kisan Vikas Patra, RBI bonds Gold Monetization Scheme, Mahila Samman Saving scheme , and Sovereign Gold Bonds. These services not only contribute significantly to the bank's fee income, with a notable ₹124.32 crore in FY 2023-24, but also bolster our reputation and goodwill in the banking sector.

Moreover, our role extends beyond transactional services. We actively assist in the opening of accounts for various State and Central Government organizations, fostering a symbiotic relationship by mobilizing Current Account Savings Account (CASA) deposits for the bank. Our commitment to providing holistic solutions is evidenced by our efforts in facilitating the onboarding of customers to government portals such as the Government e-Marketplace (GEM) portal and the Public Financial Management System (PFMS). These initiatives

not only strengthen our existing relationships but also pave the way for establishing new partnerships and expanding our CASA base. As of March 31, 2024, the total Government CASA of the bank amounted to ₹ 55,435 crores, representing 11.88% of the total bank's CASA.

Furthermore, our dedication to innovation and technology is paramount. We offer customized IT solutions to government departments nationwide, catering to their specific needs and requirements. By leveraging technology, we enhance efficiency, streamline processes, and ensure the seamless mobilization of government CASA.

As an accredited banker to esteemed ministries such as the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Law & Justice. Our focus extends beyond transactional efficiency; we prioritize providing allied services that add value to our government partners. This includes initiatives such as facilitating the onboarding of government departments onto the PFMS Portal, actively canvassing government CASA accounts, and providing comprehensive support to branches engaged in government business.

In essence, our Government Relationships Vertical serves as a trusted partner to government entities, offering a comprehensive suite of banking services tailored to their unique needs. With a steadfast commitment to excellence, innovation, and customer-centricity, we continue to play a pivotal role in the nation's economic development and governance.

Wealth Management

Over the years, the Wealth Management Vertical continues to be a Strategic Business Unit in your Bank, with a primary goal of expanding Assets Under Management across various business lines while delivering best of class Insurance & Investment products and services to vast customer base of over 14 million through extensive network of 8200+ branches.

The industry has taken note of your Bank's dedication to Wealth Management Services, by awarding Top Performer award under the category "Equity Champions" for Banks by Café Mutual, for outstanding performance in the fiscal year.

To meet the needs of both retail and affluent segments, your Bank is actively recruiting and deploying skilled professionals from the market, while also ensuring that existing staff members possess the necessary certifications and knowledge to effectively serve all segments, including the non-radiance ones.

Embracing digitization is a key aspect of your Bank strategy to enhance distribution processes, aiming for efficiency and seamlessness in customer service. To achieve this, your Bank has partnered with two new aged tech companies, Zopper and Optimum Solution, to offer tailored made digital Insurance & Investment solutions viz., SmartInsure and SmartInvest. The goal of your Bank is encourage digital adoption and migrate transactions to digital channels, thereby enhancing the overall customer experience.

Your Bank always gives strong emphasis in creating a skilled workforce and believes in maintaining an ethical and transparent sales process. To support this, your Bank has engaged three reputable training and development providers to design customized training modules for staff members, ensuring business with compliance.

In the fiscal year 23-24, your Bank achieved significant milestones, mobilizing premiums of ₹959 Crores in life insurance segment and ₹599 Crores in non-life insurance segment. Despite market volatility, with a focus on net sales the Mutual Fund AUM of your Bank stands at an impressive ₹13,860 Crores.

Your Bank remain committed to fostering engagement with both external and internal stakeholders through a series of unique initiatives during the years as under:

- *"Wealth Insight"* - monthly e-magazine for Radiance Customers providing market outlook.
- *"Thursday Thoughts"* - weekly e-mailer to spread knowledge on Wealth Business
- *"Wealth Bulletin"* – In House bimonthly e-magazine of WMS vertical
- *"Leadership Chronicle"*– an insightful talk show featuring prominent personalities from the banking and finance sectors.
- *"Transcend "*– Wealth Management tie-up Partners Conclave – 1st of its kind with an objective to nurture & strengthen partnership across the wealth business, outline wealth business strategy for the next 3-5 years.
- *"Expert Insight"* – Webinars /Sessions on various financial aspects with market experts including decoding Annual Budget, Decoding Market Cycle, Market Outlook etc.
- *"Investogram"* – A simple, easy to understand, animated guide that meticulously covers the eight vital investment cornerstones, enabling novice as well as seasoned investors to create wealth over the long term.

Digital Banking products

The Bank is committed to digitisation and continuously strives to migrate transactions to digital channels which leads to better customer experience. The major focus of digital banking is to make Bank's products available to customers through digital and alternate delivery channels. The key instruments in digital banking are bob World, bob World UPI, Baroda Connect, Debit Cards, Prepaid Cards, BHIM Aadhaar, ATM and Cash Recycler machines, Self Service Passbook Printers(SSPBP), TAB Banking, Internet Payment Gateway (IPG), Bharat Bill Payment Services (BBPS), Baroda FASTag, Bharat QR, Point of Sale (POS), etc.

bob World

During the FY2024 the Bank has been able to achieve 28.48 Lacs bob World Activations. As of March 31, 2024 a total of 306 Lakhs bob World activations have been achieved. The bank has also been able to achieve a total of 17.09 Crore Financial transactions and 228.64 Crore Non-Financial transactions through bob World during FY2024.

Debit cards

The Bank has an active card base of 9.54 crore as on 31st March 2024, an YoY increase of 15%. To increase e-commerce/POS transactions and to make Bank's debit card as the preferred card of choice for the customer, the Bank tied up with various merchants for providing lucrative offers to debit card customers and launched 35 campaigns during the period from June'23 to March'24 with various popular merchants such as Xiaomi, Zomato, Meesho, Myntra, ClearTrip, EaseMyTrip, JioMart, Tata Cliq, Swiggy, Reliance Digital, and BookMyShow.

In FY 2023-24, Bank has launched "Magalir Urimai NCMC" debit card for women in the state of Tamil Nadu. Bank's Platinum debit card base has increased to 1.62 crore as on 31st March 2024 registering an increase of 30% over the previous year.

Baroda FASTag (National Electronic Toll Collection - NETC)

Bank has issued 1.84 lakh FASTag in FY2024. Our bank has processed 4.45 crore FASTag toll transactions amounting ₹ 512.39 crore in FY2024.

Bharat Bill Payment System (BBPS)

Bharat Bill Payment System (BBPS) is an interoperable platform for repetitive bill payments which offers real time bill payment and recharge services to customers. BBPS is an RBI initiative product and managed by NBBL (wholly owned subsidiary of NPCI). Our Bank is authorized as Customer Operating Unit (COU) and Biller Operating Unit (BOU) for facilitating BBPS services. In FY2024, Bank has processed 2.39 Crore bill payment transactions amounting approx. ₹ 5820 crore. Bank has also on-boarded Rajasthan Mahila Nidhi as a biller on Bank's BBPS systems under Loan repayment category for facilitating collection of Self Help Group (SHG) loan repayments through Bank's BBPS systems.

ATM

The Bank has wide network of 9,426 ATMs and 1,607 Cash re-cyclers as on 31st March 2024 with very user friendly screens that allow navigation in Hindi, English and the local language of the place of deployment offering a smooth experience for our customers in their day to day banking operation. Our ATMs are enriched with features such as green pin generation, National Electronic Fund transfer, Cash on mobile services where customer can withdraw money from ATM without using Debit card etc. Our Bank has launched the facility of Interoperable Card less Cash withdrawal (UPI ATM) at 7145 locations where customer can withdraw money using UPI QR services (ICCW) of Bank. As of 31st March 2024, 6517 are made live under OPEX model for seamless ATM services and enhanced customer's experience.

Internet Payment Gateway (IPG)

The Bank's IPG infrastructure bob World Merchant Gateway is an online service that is being offered to customers to conduct their business online by accepting payments securely in real time. The Internet Payment Gateway provides an interface between merchants and their customers for secure payment processing using online modes.

bob World Merchant Gateway facilitates receiving payment online from debit/credit card, Net Banking, UPI, Wallet, AEPS, AADHAR PAY, QR code etc. and offline modes i.e. NEFT/RTGS in a simple and secured manner, which is essential for e-Commerce/online business.

To provide a seamless and customizable service, Bank has tied up with -12- aggregators and master merchants. Bank has on-boarded 1,911 merchants in FY2024 achieving a landmark of 5000+ IPG merchants base with 1.5 x growth in merchant on-boarding registering an increase of 1.4x average CASA growth from ₹2,091 Crores to ₹2,928 Crores on YoY basis.

bob World UPI:

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect requests which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. During FY2024, an increase of 36% merchant on-boarding for UPI QR in comparison to FY2023. There is tremendous growth in UPI QR transactions from 6.63 Crores to 10.01 Crores.

During FY2024, Bank has on boarded 18 lacs new users on its UPI Platform.

bob World (Internet Banking):

The total number of Internet Banking users of the bank increased to 108.46 lakh during FY2024 from 99.71 Lakh during FY2023.

Baroda TabIT:

The Bank embarked upon digitizing its customer on boarding process through tablet for instant CASA opening along with bundle of services (Personalized Cheque Book, Personalized Debit Card, Mobile Banking with MPIN, SMS Alert, Internet Banking) and POS, UPI QR, IPG lead generation through its TAB banking platform – bob World Tab. Bank opened more than **37.7** lakh savings account and **2.1** Lakh Current accounts through this platform during the **FY2024**.

Two new modes of Savings Account opening have been introduced: Aadhaar Biometric authentication and CKYC Search & Download from CKYC Registry. Changes in existing journey of Current account has been implemented for Individual and Sole Proprietorship through TAB. These validations have helped in increasing the successful upload percentage of LEI records on CKYC Registry portal.

Additional features in account opening journey have been introduced such as SMS Alerts in 12 languages in Savings & Current Account, Customer feedback in Current Account as per EASE 6.0 Norms and Lead Generation for Demat & Trading account in Savings account.

Digital Rupee (e₹): Central Bank Digital Currency (CBDC) Merchant QR, Demat & Trading Account opening and Digital

journey of Education loan has been initiated through bob World Tab.

Govt. Schemes like Sovereign Gold Bond (SGB) Scheme and E-Kisan Vikas Patra Scheme (e-KVP) issuance have been introduced through TAB banking platform - bob World Tab.

Functionality	FY2024
Saving Bank Account	37,72,786
Current Account	2,13,149
SHG A/c	40,938
Fastag	3,514
Company account	1,638
UPI Merchant On boarding	6,56,629
BHIM Aaadhar Lead Generation	36,825
POS Leads	30,782
IPG Lead Generation through TAB	2,912

WhatsApp Banking:

- WhatsApp Banking User registration –

Year	WA banking Branch Wise Registration (Customers) in Lacs (A)	WA banking total Registrations of Non-Customers (Lacs)(B)	WA banking total Registration of existing-Customers (Lacs) (C)	WA banking total no of Registrations (Lacs) (D)=(B)+(C)
FY 2021	5.02	2.06	4.04	6.11
FY 2022	9.64	5.49	8.29	13.78
FY 2023	40.35	5.87	38.14	44.01
FY 2024	30.1	8.24	28.34	36.59
TOTAL	85.11	21.66	78.81	100.49

*Non-customers user registration includes registration of users who are not customers of the bank + registration of customers of the bank who are not eligible for WhatsApp banking.

WhatsApp Banking Transactions -

WhatsApp Banking Transactions (Lacs)		
Year	Successful end to end transaction	Intermediary API Hits
FY2021	14.65	47.8
FY2022	59.29	207.5
FY2023	189.68	343.4
FY2024	368.08	701.72

Digital Banking Units:

Initially our bank was allotted 8 districts for setting up of Digital Banking Units, subsequently our Bank has set up 9 more DBUs. Now our Bank has Bank of Baroda has most number of DBUs (17) by any Bank in the industry. Total business of ₹ 66.78 crores have been canvassed by these DBUs as on 31.03.2024.

Digital Lending

In these times, the paradigm shift in technological advancements has reshaped the global era of digitization. Almost every industry is trying to drive the change through digitization and the banking industry is on the frontline of exploration and innovation.

The financial services industry is undergoing rapid and far-reaching transformation, underpinned by emerging technologies and socio-economic drivers. This transformation is fundamentally changing market structures and opening opportunities for both incumbents & challengers to create innovative, game-changing alternative products & services.

As technology took the front seat, customers started to seek services that did not require them to travel, particularly for their routine banking needs. This evolving landscape of customer preferences led us to build Digital Lending Platform (DLP).

The Digital Platform is helping Bank to cater to existing customer borrowing needs and acquire new customers from diverse segments using digital means, enter new and hitherto untapped markets, and add a prominent digital dimension to Bank's brand identity.

The platform is empowering the borrower to complete the end-to-end loan process from lead, to sanction, and to disbursement in a few clicks with minimal including mandatory documentation using contactless and paperless process from the convenience of their homes/ office, eliminating the need to physically visit the Bank's branch.

At the core of this digital lending platform, fintech are playing a pivotal role in revolutionizing credit ecosystem by creating alternative lending channels that offer significant advantages to both Bank and borrowers.

Initiatives of Digital Lending to improve Bank's business portfolios;

Retail Initiatives:

- Bank has launched Digital Education Loan for Executive Development Program (EDP) of Premier Institutes in India through Digital Lending Platform
- Bank has launched a full-fledged Branch Officer Assisted Journey for Digital Personal Loans to conduct the end to end digital journey, which also facilitate the branches to support at different stages of the customer self- service journey.
- Bank has done various improvements in the digital journeys of Digital Personal Loan and Digital Auto Loan to improve customer experience

MSME Initiatives:

- Bank has integrated JanSamarth Portal with internal loan processing systems to provide, End- To- End Digital Mudra loans upto ₹10 lakh.

Agri Initiatives:

- Bank has launched Digital Journey for Gold Loan to

provide superior banking experience to the customers.

- Bank has launched STP journey for BKCC up to ₹ 1.6 lacs on Jansamarth portal in the states of Karnataka, UP and Maharashtra
- Bank has launched digital process for renewal of BKCC loans.

Analytics Centre of Excellence (ACoE)

The Bank continues to accelerate in data driven banking with more power and capacity. The Bank has taken strong strides and driven business value through more Machine Learning (ML)/ Statistical models and use cases across various business lines such as Digital lending, Retail /MSME assets, Retail liabilities, Wealth management, Credit monitoring, Collection, Treasury and Risk management. Further, the bank has leveraged its advance ML capabilities in Cross-Sell, Up-Sell, Early Warning Signals, Customer Segmentation, Fraud Analytics, Asset Liability Management etc. Bank is also using Artificial Intelligence (AI) technologies for automation of various processes viz. customer onboarding, contact centre operation, virtual agent services etc. The Bank has also been awarded with the Best AI/ ML bank- 2023 by Indian Banks' Association

Information Technology

- Bank has implemented Cheque Truncation System under RBI's "One Nation One Grid-CTS" project, i.e. merger of three Regional Grids to a single National Grid and designating Southern Grid as National Grid of our Bank.
- Bank has introduced Digital Allotment of Locker Portal, wherein customers can see real time pictorial representation of the locker cabinets and book the locker of their choice subject to availability.
- Bank is consistently introducing new services on the UPI platform, such as UPI Lite, Numeric Mapper, Prepaid/ eRupi vouchers for various government entities, extending UPI transactions to Mauritius territory, Bill-Fetch and Payment for self and others, and introducing the EMI feature for RuPay credit cards issued by Baroda Financial Solutions Ltd. (BFSL).
- Bank introduced additional functionalities in Central Bank Digital Currency (CBDC) referred to as e₹ (Digital Rupee) - Merchant on boarding for existing customer through TAB Banking, UPI Interoperability implementation.
- Bank has introduced additional services, enhancements in system controls and security features in its mobile banking application for customers. These include integrating credit cards, facilitating NPS subscriptions, incorporating the Liberalised Remittance Scheme (LRS), providing a currency converter, enhancing the mutual fund journey, generating provisional interest certificates for housing loans, offering a digital calendar/planner to track maturity dates of FD/RD/loan EMI due dates in calendar view, and allowing users to create their own events/reminders.
- Bank added new services/ features in Internet Banking Platform to enhance customer experience viz. e-KVP account opening, Icegate payment integration, WhatsApp registration, Quick fund transfer facility without beneficiary addition (NEFT/IMPS), Implementation of various alerts for customer awareness, various integration with state treasuries, Integration of National Common Mobility Card (NCMC) and customers can now access their lockers details.
- Bank has upgraded /revamped the Loan Life cycle Management (LLPS) for MSME customers.
- Bank has integrated multiple channels, including Internet Banking, Mobile Banking, BC point, Core Banking and TAB banking with Jan Suraksha Portal. This simplifies the enrolment process for customers while applying for the various insurance schemes under this portal.
- Bank has implemented SDWAN technology across 7,100+ branches to optimize bandwidth usage and better connectivity to Branches for providing better customer service. With these continuous efforts Bank is continuously migrating VSAT branches (secondary) to MPLS for better network performance subjected to feasibility.
- Bank is continuously enhancing Tablet Banking, and WhatsApp Banking to offer new features and services to customers i.e. launching 7 new Current Account schemes, enabling biometric authentication etc.
- Bank has launched a Loan EMI reset Consent portal to gather consent from retail loan customers regarding the adjustment of their EMI and tenure.
- Bank is continuously upgrading its infrastructure agility and resilience to support banking services and transactions, for higher uptime and performance.

Cyber Security

The Bank has a well-defined Cyber Security Governance framework in place that is operated through a combination of management structure, policy framework and operational controls which is aligned with business strategies of Bank for comprehensive IT risk management. To provide cyberresilience & for managing enterprise risk, Bank continuously implements adaptive security controls to mitigate risks, thereby minimizing cyber-attack surface. The Bank follows both NIST (National Institute of Science and Technology, USA) Cyber Security Framework and RBI Cyber Security Framework.

Cyber Security is being monitored and managed on 24X7X365 basis by Cyber Security Operation Center (CSOC) for monitoring active threats in Bank's environment. The Global CSOC is tightly coupled with all the verticals of the bank at domestic and international territories. It is equipped with state-of-art cyber security solutions for threat modelling, detecting, analyzing and mitigation of cyber-threats. Bank's Data Centre and Data Recovery Centre are ISO 27001:2013 certified.

In addition to the existing checks and controls, Bank undertook the following measures to enhance cyber security:

- Regular Random Early Detection (RED) team exercise carried out to provide valuable and objective insights about vulnerabilities and the efficacy of defences and mitigating controls already in place.
- Cyber Insurance Policy from a reputed insurance provider to protect business and individuals from Internet-based risks and frauds.
- Customer Awareness includes Cyber Security awareness messages via SMS & E-mail, social media platforms, websites, ATM's for educating customers about cyber security.
- Data Leak Prevention (DLP) ensures that no confidential information is leaving the Bank network. Data leakage prevention is helping in application monitoring, email monitoring, malware protection and user access control.
- Network Access Control (NAC) is helping Bank in providing restricted access to computing resources. It provides visibility, access control, and compliance that are required to strengthen network security infrastructure.
- Anti-Phishing, External Attack Surface Management (***EASM***) and Digital Risk Monitoring (***DRM***) Services.

Marketing

The Bank continued to have its impactful presence across the media spectrum reaching out to its customers through Electronic (TV , Cinema , Radio, etc.), Print, OOH, digital, and events. During the year, Bank continued to further thrust on its products campaigns such as Home Loan, Car Loan, MSME loans, BOB Bro SB Account, Current Account etc. Bank celebrated 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' during anchor month (July 2023) on Pan India basis with special focus on SLBC states (Gujarat, UP and Rajasthan).

Bank has a history of associating with ace athletes and sportspersons making them brand endorsers and play a crucial part in their sporting career. In order to optimally use the endorsers and effectively reach the Millennials and sports loving youth who are potential Target segment; Bank organised various photoshoots for promoting various products. Bank also curated and created Television Video Commercial and garnered huge visibility and Top of the mind recall. In addition, these endorsers also used Bank's Branded Jerseys during BWF Tournaments during 2024.

Bank of Baroda has always been a strong supporter and enabler of women empowerment through its various products and services. In addition, Bank has always been a strong Launchpad for women in sports like in the case of Ms P V Sindhu who is a renowned sports icon and is associated as Bank's Brand endorser. In order to further deepen the association with our Brand endorser Ms. Shafali Verma and PV Sindhu, Bank released TV Media campaigns during Festival time 'BOB Ke sang, Tyohar ki Umang', ' BOB BRO' and in Q4 ' 'Bharosa Matlab Bank of Baroda' for creating Brand awareness and garner Business, and also to enable Zones & Regions to promote various Products and offers for Business mobilisation during this festive period.

Bank forayed into the sustainability domain through launch of 'BOB Earth' on Foundation Day 2023 wherein Bank's all green initiatives have been brought under umbrella of 'BOB Earth'. Bank participated in Bollywood Hungama OTT India fest in association with Hungama as Banking Partner with presence on social media platforms and on-ground event with huge participation of Bollywood celebrities and followed by young audiences across the globe. Bank promoted Baroda Radiance and Wealth Management Products to garner business and visibility.

Bank participated in IIT-Bombay's cultural fest- Mood Indigo which is Asia's largest college cultural festival which has been attracting footfall of about 146000+ students. This unique participation witnessed Bank's advertising on both digital and on-ground channels in an engaging way which resulted in business generation apart from brand visibility and generated more than 3000+ leads.

Bank 's participation in Govt. & Private forums under BFSI sector and at corporate events that were through CII, FIBAC, Glopac.etc.

Other events like Bollywood Music Project in Mumbai, Rambagh Golf Club at Jaipur, Literature fest at Pune .etc were targeted towards audiences interested in areas of music, sports and literature for catering to the niche audience. The Bank continuously supports the youth of the country through its various banking and non-banking initiatives. In order to reach these Millenials and sports loving youth; Bank initiated television campaigns during Men's Indian Premier League (IPL) 2023 ,ICC Men's Worl Cup 2023, and India-Australia T20I cricket series.

Also, through sponsorship of various events at large scale and smaller formats across India such Ganeshotsov, Durga puja and Mirchi Rock & Dhol Garba Bank endeavour to create connect with diverse audience and garner Business. Promoted Festive campaign extensively through various BTL activities such as umbrella Branding at prominent places Labughcha Raja

Radio station (Big FM -M/s Reliance Broadcast Network P Ltd) used innovative ideas for in-show Bank's product integration across categories like Home & Car loan, Radiance, Ask Adi, etc. during iconic show 'Antakshari'. Twice national award winning actor and anchor Annu Kapoor is a living legend who made the game show of Antakshari as one of the most memorable and iconic. Bank associated on this high audience Radio show to address captive family audience.

On the digital front, Bank continued its digital marketing efforts for business conversion leveraging on the digital journeys rolled out for Home Loan, Car, Loan, Personal Loan, MSME, etc. A total of 35+ Campaigns were executed for awareness as well as business conversions for various products & services. More than 5.85 lakhs leads were generated through Digital paid Marketing activities with approximate sanction of ₹1083 Crore

Further, Bank continued its aggressive social media strategy, promoting its products and services, throughout the year, strengthening its digital presence. The Bank achieved a milestone of 7.2 million followers across platforms by end of March 2024.

Bank has been doing multiple social media campaigns to awareness & engagement and promote women empowerment, gender equality etc. In continuation of its efforts, the 4th edition of digital IP #SaluteHerShakti was organized wherein the Bank provided a platform to bring forward the women who have done commendable work to promote gender equality and meet PV Sindhu and Shafali Verma.

Throughout the year, the Bank's social media strategy effectively showcased the numerous features and offerings of various products and services . In particular, promotional efforts were intensified during the festive season.

The details of Bank's social media presence are as below:

Social Media Channels	No. of Followers/ subscribers as on March 31 2024
Facebook followers	40.26 lacs +
Twitter followers	10.76 lacs +
YouTube Subscribers	6.2 lacs +
LinkedIn followers	3.3 lacs +
Instagram followers	10.42 lacs +
Quora Views (started on 1st Jan 2022)	4.87 lacs +

In Website operations, Bank has successfully revamped and centralized all its 19 websites including domestic corporate website, international territories/subsidiary websites, and the bob World website under the centralization project. In FY 2023-24 total session in website is 86.50 million and total 37.95 million users visited the website, out of total session 70% traffic is coming from Organic Sources.

The website enhanced features and functionalities now include:

- Robust search functionality with improved voice search
- Official blog, Lead Management System (LMS) and sophisticated calculators
- Multilingual capabilities Advanced filters
- WCAG 2.0, GDPR compliance, cookie management capabilities
- Accelerating Digital Growth
- Regularized Search Engine
- Optimization (SEO) for all websites Set-up of analytics for data gathering, analysis and action Supporting digital marketing ecosystem with tracking and conversions.
- Improving the page load speed time by implementing the best SEO practices.

Key Highlights of Website Performance:

17% Overall Traffic Improvement in FY2024

19% Organic Traffic Improvement in FY2024

The highest level of organic traffic was attained in the month of March'24, totalling 6.1 million.

1733 Keywords securing position on 1st page.

Blog organic Sessions 83% Improvement

50+ blogs are appearing in Zero Position (Feature Snippet)

15+ blogs are appearing in Google Search Generative Experience (SGE)

Hyperlocal Project (Location Management):

- In November 2023, over 8,500 webpages were created for branches and offices as part of Location Management (Hyperlocal) and subsequently launched.
- Following the introduction of the Hyperlocal Branch Page, there has been a notable increase in traffic, rising from 19,868 visitors in October 2023 to 380,000 visitors in March 2024.

MoM traffic increase in Locator Pages:

Month	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Session	43,299	1,42,736	2,33,679	2,98,466	3,86,626

From a Public Relations perspective, the aim was to build the Bank of Baroda brand, protect brand reputation and be positioned amongst the Top 5 banks in India across the public and private sector, highlighting the Bank's financial performance, the transformation at the Bank as well as communicating other key announcements & initiatives. In FY2024, the Bank cemented its #2 rank in Media Share of Voice among PSBs, after SBI.

As the Bank continues to leverage new age digital marketing and create an equilibrium between the physical and digital marketing, the objective is to be an aspirational brand which engages, empowers and educates digital audience by providing relevant content and fulfill banking needs by constantly analyzing, measuring and improving experience, response and capabilities.

Corporate Ethics

The Code of Ethics is a landmark initiative for a Public Sector Bank in the country. We are proud to be amongst the pioneers in adopting a Code of Ethics and devising an institutional mechanism for handling ethical concerns and issues in the organization. The Code of Ethics has been benchmarked with peer organizations from around the world and has been structured on a stakeholders-centric approach with the employees at the center as the ultimate owners and drivers of culture. There is a strong alignment of the Code of Ethics with our Core Values and the Code sets out a guiding framework for how we behave with our colleagues and stakeholders and our expectations from those who work with us. The Code addresses contemporary challenges that the Bank and its employees face and outlines the responsibilities

they carry when addressing emerging critical issues in areas like cybersecurity and climate change.

The Banking industry has seen a lot of challenges with the changing times but amidst these, ethics and trust remain at the core of the industry on any given day. The Code gives us the strength to do what is “RIGHT” and will help to enhance our Bank’s brand and reputation. The Bank’s leaders have been supporting the cascade of the Code through multiple employee engagement events.

Apart from conducting round-the-year education and awareness programmes and devising metrics for measurement of Ethics, one of the most powerful strategies for ensuring the success of our ethics agenda is developing effective channels of communication and towards this endeavour, the ‘Speak Up!’ initiative in line with the Code of Ethics was organized which highlights the channels available in the Bank to raise complaints and issues against unethical practices. Further, a quarterly in-house journal – ‘Baroda Sanskriti’ – is published with creative contributions from the employees. Regular Snippets from the Code of Ethics, quizzes, competitions, bilingual audiobooks on COE and other digital communications like the initiative- ‘Naitik Series’ - videos on ethical dilemmas also ensure better awareness of ethics. A focused training programme was devised on Corporate Ethics for the branches which were downgraded to high risk during the year. As part of the Bank’s Ethics Agenda -05- Ethics Counsellors were appointed in the field in June 2023, for each of the Zonal clusters – North, South, East, West, and Central, who would help in disseminating the Corporate Ethics message in the field and guide employees in case of ethical dilemmas/issues. The Bank launched ‘Living the Values!’- Vol 1’ e-booklet on the Bank›s Foundation Day 2023. This is one of its kind initiative under the series ‹Living the Values’ which comprises of inspiring short stories of our fellow Barodians that exemplify our core values in action. The stories are categorized under each of our core values viz., ‹Integrity›, ‹Customer Centricity›, ‹Courage›, ‹Passionate Ownership›, ‹Innovation›, and ‹Excellence›.

Webinars, dedicated training programmes, and mandatory e-learning courses on Ethics being conducted for all staff members ensure that the Code of Ethics is cascaded to all employees and strengthen the culture of ethics and transparency in our Bank.

By creating a corporate culture that encourages employees to behave ethically and speak up against unethical practices, we expect our organization will be able to deliver powerful Environment, Social and Governance (ESG) outcomes that addresses the interests of all our stakeholders.

Customer Service

The Bank constantly endeavours to set industry benchmarks and pioneer innovations across products, processes and service delivery that are imperative to providing seamless experiences to its customers. Customer interactions in 15 languages & through all possible modes like Voice (IVR/ Voice bot /Agent), Video call, Web chat, Email are continuously monitored across channels and channel capabilities (functionalities and the user experience) were enhanced to ensure ease of banking from home. The Bank ensured time to time addition of AI & Generative AI based features to improve customer’s satisfaction with efficiency. Apart from Hindi and English, the language capability was increased to thirteen regional languages.

The highlight of Contact Centre:

1. The contact centre handled 1.43 lakh average inbound customer calls per day during the year and over 1.13 lakh calls daily responded to through IVR.
2. Average more than 1.16 lakh outbound calls per day for sales and surveys.
3. Bank is handling around 78% call on IVR which is highest in industry
4. Contact Centre provided emergency services to 6 overseas territories i.e. Botswana, Mauritius, Uganda, Oman, Fiji & Seychelles.
5. 24*7 FRMS alerts reviewed by Contact Centre and by immediate blocking the channels saved 2000 +crore customer money from further fraud.
6. IN I4C bank has handled 1.56 lac alerts and saved the highest customer money in PSU.
7. Contact center has initiated many new functionality like- Call back, B’day wish
8. Manty special helpdesk at Contact Centre for exclusively helping the NRI/HNI, bob World internet and bob World mobile banking related issue, Complaints, PMJDY.
9. Contact Centre is providing 24 IVR services and 26 services through agents 24*7
10. First in industry contact centre started live Video call and live web chat facility for customers.
11. Now contact centre is equipped with many AI-based technologies like Speech Analytics, Social Media Tools, Automated Email Tool, Genie training Tool, AURA call quality Tool, Work force management, smart dashboard and many more technologies.

During FY 2024, the Bank saw significant improvement in the usage of remote channels for managing grievances. Approximately 94.7% of the grievances were resolved within the pre-defined turnaround time. The Bank not only focussed on improving the quantitative performance indicators of grievance redressal but also on improving the quality of resolution to improve customer satisfaction. Service levels across the network of branches are monitored through mystery shopping/service audits and workshops. General Manager, Operations and Services, is designated as Principal Nodal Officer for customer complaints in the Bank. Moreover, all zonal heads and regional heads are designated as nodal officers for their respective zones and regions. Further, the names of respective nodal officers along with their contact numbers are displayed in all the branches of the bank. The Bank has appointed an Internal Ombudsman which is a forum made available for the grievance redressal of customers before they approach the RBI Ombudsman. All complaints,

which are rejected or partially accepted by the Bank, are systematically escalated to the Internal Ombudsman for review. This enhances customer confidence in the Bank's systems and expedites the process of grievance redressal, thus making it even more transparent.

The Bank's code of commitment to customers and MSMEs, citizen charter, grievance redressal policy, and RBI Integrated Ombudsman scheme are available on the Bank's website to promote fair banking practices by maintaining transparency in various products, services and policies. At the Board level, the subcommittee of the Board for Customer Services addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of compliance with the same with the aim of consistent improvement in the quality of customer service.

Bank's ChatBot "ADI" is already functional on its website. ADI assists customers in navigating through various pages of the website while providing an interactive experience to the customers. A few features of "ADI" are an instant response to our customers' queries, convenience to chat, available 24*7, digital assistance, and a seamless chatting experience. Bank has also tied up with True Caller services for outbound sales calls. This means that whenever a call is made via an authorized phone no. of the bank, Bank's Logo and a "blue tick" will be visible to the customers on their phone screens, thus assuring the customers that the call is genuine. This will also prevent customers from falling prey to fraud.

The Bank has also changed its toll-free number. It is now an 8-digit number instead of the earlier 11-digit number. This was done after it had come to notice that fraudsters obtain a number similar to Bank's toll-free number and try to dupe customers posing as Bank officials. This has been done with a view to safeguard our customers from vishing.

Handling Customer Complaints

Customers can very easily lodge their complaints directly with the Bank by visiting its website of the Bank and clicking the appropriate link. Alternatively, the customers may also call the toll-free number and get their complaints lodged in the CRM portal of the Bank. Customers also have the option of sending their complaints to Branches and other offices via any mode. All the complaints will be entered into the CRM portal. The complaints are automatically addressed to the concerned resolver based on the category of complaint selected at the time of lodging the complaint.

Bank also has an Internal Ombudsman mechanism in place, as per regulatory guidelines, to instil confidence in the customers regarding the resolution of their complaints.

Bank has also implemented an Online Dispute Redressal (ODR) mechanism for the speedy resolution of online transaction relate complaints. Also, the blocking of Baroda Connect facility has been extended via Interactive Voice Response System (IVR) in the contact centre.

To monitor the quality of resolution being given to the customers, Bank subjects 100% of Non – ADC complaints and 5-10% of ADC complaints to quality check. The outcome of the quality check is shared with the concerned resolver group. To make the process of quality check more efficient and less laborious, the Bank, in collaboration with IIT – Bombay has developed an AI Tool, which will assess the quality of redressal, thus reducing the time and manpower required.

Branch Network

As of March 31, 2024, the branch network of the bank is as under:

	FY 2023		FY 2024	
Overseas Branches	Number of Branches	% Share in Total	Number of Branches	% Share in Total
Metro	1,787	21.79	1,789	21.70
Urban	1,471	17.94	1,488	18.05
Semi Urban	2,075	25.31	2,094	25.41
Rural	2,867	34.96	2,872	34.84
Total	8,200	100.00	8,243	100.00
Overseas Branches/ Offices (including branches of overseas subsidiaries)	93		91	

The Bank opened new 61 domestic branches and merged 18 branches with existing branches during FY 2024.

Currency Chests

The number of currency chests stood at 138 as on 31st March 2024. These chests support effective cash management in the Bank as well as vaulting cash on behalf of RBI. All the currency chests as well as branches are provided with Note Sorting Machine (NSMs) as per RBI guidelines.

Risk Governance and Internal Controls

The increased focus on risk and the supporting governance framework includes identification, measurement, monitoring and controlling of risks as well as ensuring that risk-taking activities are in line with the Bank's strategy and risk appetite. Often referred to as the "three lines of defense", each of the three lines has an important role to play. These are:

i. First line of defense – This comprises of the Business verticals and Operating units, as they are required to own and ensure the effective management of risk and compliance with regulations, Bank's policies and guidelines.

ii. Second line of defense – This comprises of the risk management function and compliance function. It is responsible for identifying, measuring, monitoring and reporting risk on an enterprise-wide basis independently from the first line of defense.

iii. Third line of defense - An independent assurance is provided by the internal audit function by conducting internal risk-based and other audits. The reviews provide assurance to the Board that the overall governance framework, including the risk governance framework, is

effective and that policies and processes are in place and consistently applied. The role of audit function is defined and overseen by the Audit Committee of the Board.

Risk Management and Compliance

Risk Management and Compliance are integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. The Bank undertakes business activities within the defined risk appetite limits and policies approved by the Board of Directors of the Bank. Specific committees of the Board have been constituted to facilitate focussed oversight on various risks. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the different type of risks. It is supported by specialist Risk advisor on Board. Policies approved from time to time by the Board of Directors or committees of the Board form the governing framework for each type of risk.

Basel III Framework

The Bank's risk management framework rests firmly on the three Basel pillars, i.e. Pillar I- Capital Adequacy, Pillar II- Supervisory Review and Pillar III-Market Discipline. The Bank is strengthened by a healthy level of capital. The Bank maintains adequate levels of Common Equity Tier I, Additional Tier I and Tier II Capital including required Capital Conservation Buffer. Futuristic capital projection ensures that the Bank is always ready to raise additional capital from the market as per business necessity. The position of risk weighted assets is constantly under strong vigil by the credit risk and capital adequacy team. Adequate capital and rationalised risk weighted assets ensures strong Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) for the Bank.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and Stress Testing Policy in place. Capital Adequacy is assessed considering Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, etc. and stressed conditions (under both normal and adverse scenarios) as per the extant guidelines. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is given below:

Enterprise Risk Management

The diversity of the Bank's business lines requires a comprehensive Enterprise Risk Management approach to promote a strong risk management culture to help in the early identification, assessment, measurement, aggregation and management of all risks and to facilitate capital allocation among various business lines. All material risk appetite limits are approved within the overarching Risk Appetite Framework and are adequately hedged. Moreover, the Risk Appetite limits are in alignment with the Business Projections.

The bank has instilled a robust risk culture across its organization, ensuring that all three lines of defence are equipped to effectively manage risk. Roles and responsibilities pertaining to risk culture amongst various stakeholders in upholding risk culture are clearly defined. Through continuous training efforts, employees at all levels are equipped with the knowledge and skills necessary to navigate and adhere to the bank's risk appetite limits. This proactive approach not only enhances risk awareness but also strengthens the overall risk culture, promoting a vigilant and informed workforce.

As part of its ongoing commitment to elevate its Enterprise Risk Management practices, Bank has established a dedicated framework to identify emerging risks and gauge their material significance. This framework is specifically designed to comprehensively identify all risks the Bank is exposed to. Additionally, it provides guidance for conducting materiality assessments to pinpoint key risks that could potentially impact the Bank's objectives and strategies adversely.

Climate Risk

The Bank recognizes the need for addressing climate risk to foster sustainable business growth and is committed to minimizing the impacts arising out of it. Accordingly, the Bank has started taking steps to mitigate the climate risks by incorporating environmental factors into its credit assessment processes and it is being further strengthened in view of the challenges emerging in Environmental, Social and Governance (ESG) space.

Through initiatives like green finance, the bank is focusing on offering green and sustainable products to support renewable energy generation, energy efficiency, clean mobility, and other environmentally friendly practices. These efforts aim to strengthen the bank's financial resilience in the face of a changing climate. Bank has been actively collaborating with national and international agencies to address climate risk.

The Bank is establishing a Climate Risk & Sustainability cell as part of Risk Management function for alignment of its risk management practices with climate risk/incorporation of climate risk into its existing risk management practices.

ESG Risk rating of our bank has been reviewed by Sustainalytics, and improved from High Risk to Medium Risk, ranking at 329 amongst 1060 Peer Banks, as updated on February 27, 2024.

Credit Risk

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and scorecards to assess borrower-wise credit risk. Various Credit Risk models for internal credit ratings of the borrowers were developed in-house. They are reviewed and back tested through comprehensive validation including external validation. Bank has recently upgraded its Internal Credit Rating system by adding three MSME score card models to bring in efficiency and strong data management system. The

internal ratings are validated by independent rating validating authority.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank has developed in-house models for risk assessment of various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated team tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions. The Bank also conducts comprehensive Thematic review comprising sector outlook & other event-specific impact studies. Bank has taken initiatives for automation of CRAR and Exposure computation.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

Market Risk

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market risk positions.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors interest rate risk in its trading book through risk limits like modified duration, PV01 and Value at Risk (VaR) on a daily basis. The foreign exchange risk is measured and monitored in terms of Net Overnight Open Position limits (NOOPL), VaR limits, Individual Gap Limits (IGL), Aggregate Gap Limits (AGL) and total Aggregate Gap Limit (TAGL) on a daily basis. Equity price risk is measured and monitored through VaR limits and portfolio size limits, etc. At a transaction level, stop loss limits and dealer wise limits have been prescribed and implemented as per the extant guidelines of the Bank. MidOffice also conducts back testing of the VaR numbers on a daily basis. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis. Risk-return analysis of treasury trading portfolio is also conducted on a quarterly basis. The market risk capital charge for the Bank is computed by mid office as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

Asset Liability Management

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. In the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Flow Approach and Stock Approach and other prudential stipulations as per the latest guidelines of the RBI. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR on a solo basis as well as on a consolidated basis. The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Duration Gap Approach. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) is worked out through the 'Earnings at Risk' approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

Operational Risk

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) for effective management of Operational Risk in the organization. ORMF comprises the organizational structure for management of Operational Risk, Governance Structures, Policies, Procedures and Processes whereas ORMS consists of the systems used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk. The Bank has a web based Operational Risk Management System for data capturing and for systemic and integrated management of Operational Risk. In our endeavour to use the best of technology, we have procured a web based Operational Risk Management System for Operational Risk Compliance & Governance. Monitoring of Key Risk Indicators Programme (KRI), Risk & Control Self-Assessment Programme (RCSA) and Root Cause Analysis of various loss incidents strengthen the control environment. The Bank has created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Ongoing review of products and processes in the light of the changing business environment further strengthens the risk culture. Efforts are made for inculcation of risk culture, values, beliefs, knowledge, attitudes and understanding about risk among the staff. In order to ensure this, Campaigns are carried out to create awareness in the staff by the means of emails, workshops, on-the-job trainings, webinars, meetings, fliers, magazines, E-Learning modules etc . Furthermore, through strategic utilization of social media platforms, initiatives have

been deployed to increase customer awareness regarding prevalent fraud incidents, accompanied by actionable guidance to mitigate susceptibility to such fraudulent activities.

Business Continuity Plan

Bank has a detailed and effective Business Continuity Management (BCM) framework in place for ensuring continuity of operations and rendering customer service at the Branches and Offices during disruptions. The framework is in line with the guidelines issued by RBI and global best practices. The Bank continuously works towards strengthening the business continuity preparedness. Through the exhibition of the Business Continuity Plan, the bank provides customers with the assurance that their services will persist in being dependable and secure, even in the face of adversity. Bank optimises resource allocation with Business Continuity Plan. Basis the understanding of risks, Business Impact Analysis (BIA) being conducted and enabler dependencies mapping for all the critical processes helps banks allocate resources more efficiently, investing in resilience-critical areas and cutting non-critical spending. The Bank has ISO 27001:2013 certified Data Centre and Disaster Recovery site. Bank's Disaster Recovery site is capable of handling the CBS and other functions of the bank in case of any disruption at Data Centre.

Compliance

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Anti Money Laundering Act etc. as well as other regulatory guidelines issued from time to time. It also ensures adherence to the Bank's internal policies and fair practices code. The Bank has compliance policy, outlining the compliance philosophy of the Bank, role and set-up of the compliance vertical, composition of its staff and their specific responsibilities.

The compliance function advises senior management and the Board on the position of Bank's compliance with applicable laws, rules and global standards and keeps them informed of developments in the area. It also educates employees about compliance issues by conducting periodic training and workshops for business staff and designated compliance officers. Knowledge management tools has also been uploaded on the Bank's website. The Bank has implemented a web-based compliance management solution for certification and monitoring of various regulatory, statutory and internal guidelines at each level in the Bank for further strengthening the compliance function. The Bank has also automated the process for obtaining information from the "Insiders" as defined in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Code of Fair Disclosure and Conduct.

Amongst several activities, the domestic compliance function conducts on-site compliance test checks on more than 101 parameters on KYC-AML guidelines and other parameters of compliance through Regional Compliance Officers (RCOs) by using web-based tool – Onsite Compliance Testing and Reporting System. As many as 25% branches are randomly selected on a quarterly basis. Bank also conducts onsite compliance test check of various functions on half yearly basis. Off-site compliance test check of around 52 parameters on issues related to KYC/AML guidelines and other parameters of compliance is carried out on a monthly basis through the web-based tool - Offsite Compliance Reporting and Monitoring System. The above activities helps in maintaining a robust compliance posture of the Bank.

An annual group wide compliance plan is prepared and regular monitoring is carried out for ensuring adherence to the plan. Bank also undertake Compliance Risk Assessment (CRA) of the Bank annually by sourcing the parameters from RBI's Tranche-III data template, Onsite/Offsite/Vertical Test check reports etc. and derive CRA score. Bank also uses CRA matrix to prepare Risk Oriented Activity Plan for timely compliance of non-complied Regulatory parameters.

Bank has also taken various new initiatives such as creation of Data Analytics Cell (DAC) for data dump analysis in order to identify the gaps in the system and processes and to take corrective action. Product analysis is carried out to ensure that the new / existing product is working as per the expectation and fulfilling all Regulatory guidelines. Similarly, Circular vetting is done to ensure that the guidelines issued by the vertical commensurate with the RBI / Statutory guidelines. Moreover, some Important Regulatory and/ or Statutory guidelines had been identified, being of prime importance, since any breach in these guidelines may invite adverse observation of the Regulator. These guidelines are termed as Key Compliance Indicators (KCI) and monitored at periodic interval to take corrective action immediately incase of breach/deviation. These activities shall help the Bank in further strengthening the compliance posture of the Bank.

Bank has also developed a portal to collect the data from field functionaries on penalties, displeasure letters, warning letters, etc. on real time basis. It enables the Bank to monitor the data centrally and to take corrective action immediately.

In the process of capacity building, the Bank imparted training to all compliance officers and nominated officials to various external training programmes conducted by reputed institutions on latest developments in the areas of compliance. In order to promote professionalism, the Bank is encouraging staff members to pursue professional courses from reputed institutes like Indian Institute of Banking and Finance (IIBF), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) etc.

There were no significant incidents reported during FY 2023-24 relating to compliance failure other than a monetary penalty of ₹4.34 crore (Rupees Four crore and thirty four lakh only) for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Creation of a Central Repository of Large Common Exposures - Across Banks' dated September 11, 2013 read with 'Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) – Revision in Reporting' dated February 13, 2014, 'Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions',

and 'Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016'. Further, onboarding of customers onto the *'bob World'* mobile application is suspended based on certain material supervisory concerns observed in the manner of onboarding of customers onto mobile application with effect from 10th October 2023.

KYC/ AML Compliance

The Bank has a well-defined KYC-AML-CFT policy. On the basis of this policy, KYC norms, AML standards and CFT Measures and obligations of the bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, are implemented. The Bank electronically files Cash Transaction Reports (CTRs), Counterfeit Currency Reports (CCRs), Non-profit organizations Transaction Reports (NTRs) and cross border wire transfer (EFT) reports to Financial Intelligence Unit India (FIU-IND), New Delhi on its portal every month within prescribed timelines.

The Bank has an established Central Transaction Monitoring Unit (CTMU) and put in place AML Solution for monitoring of transactions and detection of suspicious activities in customers' accounts on the basis of predefined alert parameters in the system. System based risk categorization (money laundering risk categorization) of customers' is done on dynamic basis. For Periodic Updation of KYC (ReKYC), Bank has developed an automated process for identification of customers due for ReKYC and sending SMS/email/ physical notices to notify them to complete their ReKYC. Bank also provides Digital / Non-Face-To-Face channels to the Individual customers to complete their Re-KYC without visiting their Bank branch.

Bank has implemented Central KYC (CKYC) process for registration of newly on-boarded customers' KYC information on Central KYC Registry. CKYC number was allotted to 736.08 lakh customers as of March 31, 2024.

Bank has also implemented Video based Customer Identification Process (V-CIP) as an alternate method of establishing the customer's identity for on boarding new Resident Indian Individual customers.

Internal Audit

The Bank's Central Internal Audit Division headed by General Manager / Chief General Manager administers various types of Audits i.e. Internal Audit, IS Audit, Credit Audit, Concurrent Audit & Management Audit. Internal Audit function in the Bank is an independent activity and has sufficient standing and authority within the Bank. The Internal Audit Department, works under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board. Bank's Internal Audit Function works in close co-ordination with other Assurance functions i.e Risk Management Department & Compliance Department.

Bank's Central internal Audit Division operates through -22- Zonal Internal Audit Divisions to carry out internal Audit of Branches / offices as per the periodicity decided by RBIA Policy. All Branches, Centralized Units, Administrative Offices are covered under Risk Based Internal Audit. The summarized risk perception of all 8242 Branches & Specialized Integrated Treasury Branch as on 31st March 2024 are as under:

- Low Risk Branch – 6933 Branches (84.11 %)
- Medium Risk Branch – 1006 Branches (12.20 %)
- High Risk Branch – 262 Branches (3.18 %)
- 41- Branches with no Rating (New Branches)
- Specialized Integrated Treasury Branch was in Low Risk.

Total -1216- Branches and other units are covered under Concurrent Audit covering Bank's 51.02 % Deposit, 70.20 % Advances & overall 59.51 % Business coverage. All Category B Branches, Currency Chests & Centralized Processing Cells are covered under Concurrent Audit.

Credit Audit is carried out of all Fresh Sanctions/ Existing Accounts including Retail Loans and Restructured Accounts with aggregate exposure of ₹10.00 Crores and above (FB + NFB) and 5% of borrower accounts are randomly selected from fresh Accounts and Reviewed with increase having aggregate exposure of ₹1.00 Crore above but below ₹10.00 Crores (FB + NFB).

All Bank's branches are subjected to Information System (IS) Audit to assess the IT-related risks as part of the RBIA of the Branches. IS Audit of Data Centre & IT Applications are also carried out periodically by a team of CISA /DISA qualified IS Auditors and external CERT-in Firms.

Few Key initiatives include the following:

- Revised framework of Concurrent Audit is implemented and Daily & weekly Report is introduced apart from existing Monthly Reporting.
- Audit Automation Software is implemented for Audit, tracking of Compliance & Dashboard.
- Centralized Exceptional Monitoring Unit is established for ongoing monitoring of exceptions as per system data based on pre-defined logic under -70- parameters.
- Offsite Surveillance Cell is established for offsite surveillance and data analysis as per different scenarios.

External Review of Internal Audit Framework is carried out by External Firm as and when felt necessary. Last such assessment was carried out by M/s E & Y LLP during FY 2022-23 and as per their assessment Internal Audit Framework in Bank is robust and one of the best in peer Banks.

Credit Monitoring

Monitoring of the credit portfolio is essential to maintain and improve the asset quality of the Bank and minimize credit risk. The main objective of Credit Monitoring function is to maintain asset quality, ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It must ensure that the credit assets remain in regular category, to make endeavour for upgrading asset quality of identified stressed accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness/ potential default/ delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process: -

Early Warning Signal: A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS system is fully automated with inbuilt well-defined workflow providing a complete solution. Alerts are generated based on both internal (CBS and CREMON) and External Data (MCA, news feeds) sources. The alerts generated in an account helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of RFA/fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches to closely monitor the accounts with appropriate resolution/ action. During the current financial year, the Bank has revamped EWS portal with adding more features to improve its efficiency and effectiveness to identify stress and early delinquencies in the accounts. In addition, a Health Parameter (HP) has also been introduced for borrower which is a combination of internal rating (BOBICON) and EWS rating of a borrower. Further, EWS portal for international territories has also been launched for better monitoring of advances of our overseas branches.

CRILC Reporting: Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps, such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's guidelines, stressed accounts with credit exposure of ₹5 crore and above are reported to RBI on CRILC platform on a weekly basis.

Analytical Dashboard: Bank has devolved various analytical Dashboard for identification of stressed accounts (Viz SMA Dashboard, Future Demand Dashboard, Collection efficiency Dashboard, Technical stress Dashboard for focused monitoring.

System based prediction of Asset Classification: Bank has a predictive program to identify the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/Book Debt statement, review pendency, insufficient/ no credit in CC accounts, inadequate margins in LABOD/ODBOD accounts etc. These triggers focus on taking timely corrective action to prevent downgrading of such accounts. Those accounts are monitored specifically by various operational units for minimizing the slippage of standard assets.

Credit Audit: The purpose of Credit Audit is to ensure compliance of pre and post disbursement terms of sanction terms/ covenants, whether the disbursing officer, before parting with the Bank's funds, has taken all necessary measures for creation/ perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities as per sanction terms. This facilitates prompt corrective action, wherever required, without waiting for the regular Audit/ Inspection, which usually takes place with a time lag. Credit Audit is integrated with the Core Banking System/Finacle to monitor it on real time basis.

Stock Audit: We ensure that Stock & Receivables audit is conducted timely as per given periodicity in all the eligible accounts and active/ preventive steps are taken wherever warranted. The stock audit is applicable for standard advance accounts having working capital exposure of ₹1 crore and above. It is required to be conducted annually for such accounts with exposure below ₹5 crore, while for accounts of ₹5 crore and above, it is to be conducted on a half yearly basis. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the Bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels.

Daily classification of SMA or NPA: The Bank has automated system for identification of borrower accounts as SMA or NPA as part of day-end process for the relevant date to have better transparency in identification of asset quality as per RBI guidelines.

Other monitoring tools:

- Bank has appointed Agency for Special Monitoring (ASMs) for specialized monitoring in accounts of ₹250 crore & above for verification of transaction monitoring, inspections etc.
- The Bank has also digitized the stock and book Debt statement submission, which is real time and user friendly.
- The Bank has also initiated many tools in credit monitoring for robust monitoring like GST, ITR & Statement analyser to analyse, track and monitor the borrower's accounts periodically.
- Digital monitoring reports at pre-determined period are regularly evaluated & taken up for corrective measures wherever required in respect of big accounts of ₹1 crore & above.
- Bank has launched a Dashboard to monitor the cases of DLP violation to improve credit discipline.

Vigilance

The Vigilance administration in the Bank is professionally managed and an integral part of management function. It promotes clean business transactions, professionalism, productivity and ethical practices apart from control, monitor and supervision of various vigilance functions. The Bank has a very strong and transparent Vigilance Administration headed by Chief Vigilance Officer who oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines from the Central Vigilance Commission. Participative / Proactive & Preventive vigilance are the important functions of Bank's vigilance administration. The Chief Vigilance Officer is supported by Additional Chief Vigilance Officer.

The vigilance machinery in the Bank also imparts knowledge at all levels about vigilance functions, extends help to various disciplinary authorities and appointing authorities to act swiftly and correctly in examining issues arising out of frauds, complaints and serious irregularities pointed out in various inspection reports of branches/ offices.

Vigilance setup at Zonal level conducts preventive audit of all branches at regular intervals and to act proactively on information controls the damage at bare minimum level.

The vigilance function in the Bank consists of three sections:

1. **Preventive Vigilance:** Preventive measures hold greater significance in containing damage than detection and punishment of corrupt and other malpractices. Preventive measures such as inspections of sensitive areas of business, identification of sensitive posts and scrutiny of personnel posted thereon, ensuring observance of conduct rules, monthly meetings at branch level to discuss branch specific vulnerabilities, training programs for staff, regular scrutiny of inspections and audit reports and circulars on preventive vigilance regularly issued and circulated by various business verticals were undertaken to reduce the number of vigilance cases.

2. **Detective Vigilance:** Detective Vigilance includes conducting regular and surprise inspection in the sensitive area to detect if there have been any instances of corrupt or improper practices by the staff, undertaking prompt scrutiny of annual property returns and take further action if called for, gathering intelligence from own source about the misconduct / malpractices, examining the same for logical conclusion through appropriate action after due process.

3. **Punitive Vigilance:** In addition to ensuring that employees at all levels indulging in willful and mala fide transgressions of rules and provisions are not allowed to go unpunished, the Bank also ensures that bona fide decisions taken in normal course of business are evaluated objectively and with required prudence.

The vigilance function in the Bank enables proactive decisions by stressing on strengthening systems and procedures through preventive vigilance administration. It also plays a major role in identifying and plugging loopholes and providing inputs to the top management in framing policies in fraud prevention. The turnaround time of disciplinary cases improved due to proactive communication which helped in motivating the employees with quick redressals.

Legal Service

The Bank has a vibrant legal department consisting of qualified and experienced legal officers. The main role of the Legal Department is to support and to provide assistance for various matters relating to Opinion, Documentation, Litigation, etc., referred by or in relation to various functional departments of the Bank. The department also provides support for references submitted by the various Zones, Regional Offices, domestic and foreign branches, and subsidiaries of the Bank on the matters related to legal aspects.

Further, in order to meet the digitalization of banking loan process, a set of documents for retail and SME facilities compatible with digital lending platform has been prepared which will enable Bank's customers to execute the documents through electronic means. Loan Document Manual has been revisited and simplified the documents.

In order to pace with the digitalization process, "Portal for Vetting of Loan Documents" has been developed with the help of IT Department to ease the process by enabling the Law Officers to attend the same from their office without physically visiting the Branches. The portal was launched on 28.04.2023 and made mandatory for vetting of documents as per Bank's Global Credit Policy through the Portal only. Phase II of the portal is under process, which will include the provision for uploading of documents pertaining to 'Review with Increase, 'Takeover of account from other bank/FI', 'Consortium' and 'Creation of security after disbursement'.

Additionally, in the existing Advocate Portal, second phase with regard to assignment of work and reviewing advocates' performance are made available.

Further, the Department has been promoting environment of knowledge sharing by issuing 'Circulars', 'Legal News Flash', etc. regarding ever changing set of laws, latest amendments and interpretation of laws by Courts affecting the Banking sector. In association with APEX Academy and a reputed Law Firm, initiated Training program for Law Officers to groom them in specific legal fields as well as to make them conversant with ever changing enactments, rules and regulations.

As on 31.03.2024, total pending cases (Litigation Against Bank) before the various Courts/Forum/Tribunals are 3608. We succeeded to get disposal of total 873 cases during financial year 2023-24. Out of total disposed of cases 618 cases (i.e. 70.8 %) were decided in favour of Bank, 62 cases (i.e 7.10 %) were settled and 193 cases (i.e 22.10 %) were decided against Bank. Further, 10 cases (having monetary value more than one crore and above) out of total decided cases were also disposed of during the Financial Year 2024.

Human Resources Management

Bank considers its employees as most valuable asset. Bank has a talented workforce of over 74000 employees. The Bank has initiated various capacity building programmes to retain and groom its talent pool which is aligned with the aspiration and growth story of the Bank. In order to infuse fresh blood and new talent, Bank is following a comprehensive plan to ensure that the recruitment process is strategic and effective, aligned with the organization's long-term goals. Bank is also onboarding external talent in strategic areas to supplement the existing human capital.

The Bank has taken proactive steps in maintaining positive employee relations, addressing workplace issues, resolving conflicts and fostering a positive workplace environment. Timely revision of perquisites and benefits, revision of employee policies with more employee centric provisions and initiatives in the direction of maintaining employee wellness and fitness, workplace counselling, engagement activities, life cycle based training programme have been undertaken to create robust and competent workforce which is fully engaged to meet the dynamic challenges of the Banking industry.

Bank has resorted to various measures to rightfully engage the talent and the same has resulted in better financial performance. Bank's initiative in this direction has been recognized by the industry and Bank has been awarded for 'Best Community Impact Initiative' under Employee

Happiness Award by Kamikaze B2B Media. Bank has also been certified as 'Great Place to Work' for the second time in a row by the Great Place to Work Institute India.

In addition to the above, the following important employee centric initiatives have also been undertaken during the year, which bear a direct and significant impact on Bank's performance.

Learning and Development

Bank of Baroda believes that employee development is an integral part of the organization's strategic plan. The Bank endeavors to create a learning organization and to build organizational capability for setting performance standards. The Bank believes in creating career principles and utilizing a mix of available channels to impart training.

More than 58,326 Bank's employees received training through the Apex Academy, 18 Zonal Academies and 4 Baroda Satellite Learning Units, along with eLearning through Baroda Gurukul in this financial year which helped in improving their performance.

In FY 2024, Bank has leveraged its Learning Management System (Baroda Gurukul) to facilitate learning and development across the Bank, which has helped Bank to align training needs as per business goals and ensuring compliance. Significant utilization of digital process and LMS platform helped Bank to impart learning to staff in timely manner and extending benefit of cost optimization to shareholders.

The Bank has designed role based specialized training programmes for Business Heads viz. Regional Heads / DRMs / Branch Heads etc. The Bank has been placing a strong emphasis on the acquisition of new age skills and IDP based training to enhance its human capital. In line with this, it has introduced simulation games that replicate real-life business scenarios to better educate its staff. To further enhance the learning experience, the Bank has adopted a blended learning approach that combines traditional and digital methods, with 365*24 availability.

In a collaborative effort to synergize external resources and promote a hybrid learning model, the Bank has partnered with prominent organizations such as AAFM, CRISIL and NIIT to provide training to its Wealth Management Executives. This pilot phase will allow the Bank to refine its approach and fine-tune the training process to better serve the learning and development needs of its employees.

Overall, the Bank is committed to providing its employees with the necessary training and development opportunities to succeed in their roles and achieve their career aspirations.

Coaching and Mentoring Programme

In order to create a future proof leadership pipeline for various critical roles, a scientific succession plan has been adopted whereby a sufficient succession pool of executives for each of the critical roles has been created. Bank has also resorted to Competency Assessment of its executives and Individual Developmental Plans have been created for enabling them in taking up higher assignment. Bank has also initiated Coaching & Mentoring Programme for its executives by way of engaging internal as well as External Coaches for this purpose.

Career Progression

Concerted efforts have been taken by the Bank for fostering career progression of employees for rewarding them for their performance and motivation. Horizontal movement of officers across different functions and overseas placements opportunities are provided to employees for wider exposure.

'Voice of Barodians' – Employee Engagement Survey

As an employee centric organization, Bank firmly believes in participating in a two-way communication with employees for sharing views & experiences and to chalk out better ways of accomplishing our organizational goals. Bank has been conducting 'Voice of Barodians' Employee Engagement Surveys along these lines over the last few years and based on the survey outcome, has fine-tuned the existing policies and practices, launched new initiatives for the benefit of our employees. As per the outcomes of the latest 'Voice of Barodians' Employee Engagement Survey carried out in March 2024, the overall employee engagement score for the Bank stood at 71%.

Baroda Anubhuti Program

To enhance employee engagement at all level, Bank has introduced Baroda Anubhuti Program which has been designed with an objective of augmenting 'Employee Experience' through various 'Engagement Activities'. These activities aid in fostering the team spirit and belongingness at every level of the Bank, resulting in improved employee engagement and better financial performance.

In furtherance to being certified as Great Place to Work, Bank also focuses on its responsibility towards the society. Every year on the occasions of Bank's Foundation Day on 20^{th} July and the Republic Day, various Community Service Activities were carried out and all employees wholeheartedly participated in these activities. During the year 2023-24, Bank has carried out following CSR activities under Baroda Anubhuti Program:

- Blood Donation – more than 18,000 units of Blood
- Distribution of Saplings/ Tree Plantation – around 49,500 saplings planted
- Cleanliness Drives – more than 4,000 drives in various localities
- Distribution of materials and miscellaneous items to poor and needy – more than 1,00,000 items
- Distribution of materials and miscellaneous items to old age homes, orphanages, disability centres etc. – more than 77,000 items
- Conducting Health Check-up Camps – more than 8,000 people were covered
- Renovation of Iron Bridge to Kadamakudy Island Village in collaboration with Indian Navy – Ernakulam

Employee Wellness Initiatives

As an organization with progressive HR practices, Bank has always placed a strong emphasis on the well-being of its employees and has consistently implemented initiatives to inspire them to lead healthier lifestyles. This commitment to employee wellness is rooted in our belief that the health and happiness of our staff members are fundamental to our collective success. We believe that by fostering a culture of well-being, we are not only enriching the lives of our employees but also strengthening the overall vitality and resilience of our organization.

Every year Bank is celebrating November as 'Wellness Month' for our employees during which various wellness programmes viz. Yoga Classes, Online Webinars & Talks with experts on Health and Wellness issues are being organized to sensitize the employees for maintaining better mental and physical health.

Bank has entered into tie-up with leading hospitals where employees can undergo comprehensive Health Check-up along with their spouse, the cost of which is being reimbursed / borne by the Bank.

Employee Assistance Programme

Bank has introduced 'Workplace Counselling' for the employees under the 'Employee Assistance Program' (EAP) helping employees seek counselling for mental health issues and coping mechanisms.

During calendar year 2023, a focused outreach program was conducted in association with 'EAP India' (the service provider) by conducting workshops for the employees on the topic 'From Stress to Strength: Using Emotional Intelligence to Thrive under Pressure'. More than -100- workshops were conducted across the country covering 4,600+ employees.

Employees have utilized EAP India's counselling services to overcome their issues related to their mental and psychological health. These counselling services were facilitated through multiple channels such as face-to-face counselling, phone-call and video conferencing, emails and chats. Additionally, online support groups were formed on Women Empowerment, Parenting support and Addiction support aiding self-generating solutions within the groups.

Further, in order to raise awareness about mental health issues, Mental Health Roadshows "Road Trip to Happiness" in Mumbai and Vadodara were organized featuring mental games, recreational activities, movie time and nutritionist counselling.

School Tie-up for admission of Children of employees

In continued pursuit to be an employer of choice and as a part of employee centric initiative, Bank has entered into a tie-up arrangement with two renowned and reputed chain of schools having PAN India presence viz. 'Ryan International Group of Institutions' and 'VIBGYOR Group of Schools' which enables hassle free admissions to the wards of the employees at the time of their relocation on transfer.

Thrust On Diversity & Inclusion

Bank is committed to create diverse workforce and follows a non-discriminatory and equal opportunity policy for all its employees and is transparent in all issues relating to promotion, career path, transfer policy and employee benefit / welfare schemes. The Bank has also put in place a DEI Policy for promoting Diversity, Equity and Inclusion. Further, in recognition of the concomitant responsibilities of women, the Bank has put in place various facilities to support women employees such as Sabbatical Leave, Health Check-up programme for women employees, establishment of Crèche facility etc. among other initiatives.

The Bank has put in place special provision for deployment of women. Bank has also taken Women centric initiatives under Bank's Employee Assistance Program for creating a nurturing environment for women to come together to share experiences, exchange knowledge and uplift each other in both personal and professional aspects of life, discussing and addressing issues like self-care, burnout, workplace, and personal challenges etc. and Counselling to women employees joining after career break (post Maternity/ sabbatical leave) to help our lady employees in coping with the emotional and logistical challenges associated with returning to work. The Bank is working on Work from Anywhere option to lady employees post expiry of maternity leave.

The Bank conducts special training programme on capability building and motivation for its women employees and also creates awareness on POSH guidelines.

Ex-Employees

To acknowledge the invaluable services rendered by ex-employees & to recognize their contribution, the Bank extends several welfare schemes to them such as Holiday Home facilities, consultation with Part Time Medical Consultants of the Bank, Special Medical Aid & Reimbursement of Medical Insurance Premium paid by them.

The Bank is always considerate towards bringing convenience to its retired staff members. Hence, in order to make HR services convenient for them, important services like generation of Pension Pay Slip, PPO, Tax computation, Holiday Home booking and submission of TE/DA claims is integrated in HR Connect application which can be accessed on mobile 24x7.

Reservation Cell

An exclusive cell has been functioning to monitor the reservation and other enabling provisions for employees belonging to Scheduled Castes (SC) /Scheduled Tribes (ST) / Person with Disabilities (PWD) /Ex-Serviceman (Ex-SM) and Other Backward Classes (OBC).

Executives in the rank of General Managers are appointed as Chief Liaison Officers for SC/ST/PWD and Ex-Serviceman employees and for OBC employees respectively who ensure compliance of various guidelines pertaining to them.

With effect from 1st February, 2019 reservation of 10% for Economically Weaker Sections (EWS) in direct recruitment in the Bank was implemented.

The Bank provides reservations for Persons with Disabilities (PwDs) at the rate of 4% of the total vacancies arising in officer, (identified posts), clerical and sub-staff cadre in a year, as per Government guidelines.

Caste category wise count as on March 31, 2024						
Cadre	**Total**	**GEN**	**SC**	**ST**	**OBC**	**EWS**
Officer	42067	18916	7422	3317	12386	26
Clerk	25996	10907	4273	2695	8053	68
Sub staff	6164	1814	2009	610	1731	0
Total	**74227**	**31637**	**13704**	**6622**	**22170**	**94**
% to total staff strength		42.62	18.46	8.92	29.87	0.13

Cadre	PwD	Ex-SM
Officer	1090	605
Clerk	1037	3040
Sub staff	114	506
Total	2241	4151
% to total staff strength	3.02	5.59

Periodical Meetings: The Bank holds Quarterly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda SC/ST (AIBOBSCST) Employees' Welfare Association and Half Yearly meetings with the representatives of All India Bank of Baroda OBC Employees' (AIBOBOBC) Welfare Association, for addressing their concerns.

Workshops and Training Programmes: Bank conducts following training programmes every year for members of AIBOBSCST Employees' Welfare Association and AIBOBOBC Employees' Welfare Association and Liaison Officers of SC/STs and OBCs at its various training academies:

- Pre-promotion training for SC/ST/OBC candidates.
- Workshop on reservation policy.
- Training programme on disciplinary proceedings.

Document Management System

The Bank is one of the pioneer PSBs in initiating implementation of Document Management System (DMS) (First among PSBs to implement Records Digitisation) by engaging professional companies to manage the records with an aim to give our Branches a leaner look having better feel and experience to our customers. Under Records Management System (RMS) physical records are barcoded, indexed and moved to Vendor's warehouse for storage thereof, which can be retrieved any time as per Bank's requirement. The space which is unlocked, is being utilized for customer service efficiency, better branch ambience etc.

Document Management System (DMS), is a major step towards paperless banking under green initiative, encompasses scanning of identified documents (Loan Files/ HR documents/Legal documents and other critical documents) and uploading the scanned data on "Baroda Document Management System (BDMS) server, a digital repository.

This is an ambitious project of our Bank under which around 56.60 Cr images have so far been scanned covering more than -7042- branches/offices. Also, around -3.19- lac sq. ft. of space has been unlocked in identified Branches of the Bank.

After successful implementation of Records Management System (RMS) / Document Management System (DMS) in Bank's Metro & Urban and identified branches of Semi-urban, it is now being implemented in the remaining 1530 Semi-Urban and Rural Branches /offices of the Bank.

Premises Re-engineering

- Could create State of the Art Office for IFSCB Unit at GIFT City, Gandhinagar.
- Renovation of Bank's Heritage Building at MMO, Horniman Circle, Mumbai, creating space for accommodating around 160 Staff.
- Construction of Bank's Commercial cum Residential Building at Ramnagar, Coimbatore been completed.
- Construction of 5 RSETI Buildings completed.
- Over 95% of eligible procurement were made through GeM Portal (1263 Crores).

Green/other Initiatives

- 177- Branches in rural/semi urban areas being run on Solar Energy reducing approx. 3500 Tons of Carbon Dioxide Emission.
- Installed Solar Panels in several Leased & owned Premises of the Bank. Installed capacity 293 KW in owned Buildings & 1.3 MW in Bank's leased premises.
- Solar Panels of Capacity 35 Kwp installed at Bank's Zonal Office at Mangalore.
- Bank has set up Rain Water Harvesting system in 18 Administrative Buildings.
- Waterless Urinal (276 Nos) installed in several Administrative Buildings saving approx. 30 lakh Liters of water a year.
- Tree Plantation- 43499 No. of trees/sapling planted in Schools, parks, residential societies etc. – PAN India during the period 15.11.2023 to 15.12.2023.
- Digitization of Security Reports & Returns though Bank's IT Team
- Conducted Fire drills at all High-rise Buildings of the Bank all over India.
- Health Checkup camps for staff members in tie-ups with various Medical Centers/Hospitals conducted.
- 24*7 Ambulance facility at BCC.
- Annual Sports Day organized in the month of Nov 2023 involving all the staff members along with their families.
- Implementation of Self Booking Tool (SBT) for Air Ticket Booking at BCC, Mumbai.

Implementation of Official Language (OL) Policy

Use of Hindi and other Indian Languages for promoting business as well as providing digital products to the customers is a significant characteristic of the Bank's Official Language policy. This approach has been well appreciated by Government of India and regulatory authorities from time to time. Your Bank adopted a well-structured Annual Action Plan for Official Language in order to achieve various targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme 2023-24 and the assurances given to the Committee of Parliament on Official Language during its visits to various offices/branches of the Bank.

The Meetings of Central Official Language Implementation Committee, presided over by MD & CEO/ Executive Director of the Bank, were organized regularly on quarterly basis and various new initiatives were taken during the year FY 2023-24. Your Bank has made remarkable progress to provide Mobile Banking and transactional SMS services in Hindi and 11 other regional languages. Whatsapp Banking service and Internet Banking services are available to our customers in Hindi too. As a new initiative during the period under review, Bank's Chatbot facility, Digital lending platform, BCMS portal and BC knowledge portal have been made available in Hindi also. All the auto generated emails from various apps and digital channels/portals of the Bank and loan sanction letters containing terms and conditions generated through Bank's LLPS package have been made available in bilingual i.e. Hindi & English.

As a part of various initiatives taken during the year, Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Vadodara, working under the convenorship with your Bank, organized a national seminar on 'Importance of ESG in Corporate Sector: Present and Future'. Representatives of member offices of all TOLICs functioning under Regional Implementation Office (West), Mumbai participated in the event.

Bank had introduced official language rating system for Branches/ offices and 'Bhashayi Choupal' programs for staff members, the same were continued during the year. Bank's Self-service Passbook printing machine 'Kiosk' were enabled for printing of Passbook in Hindi for the convenience of customers. Your bank has created a 'Shabdnaad' page on the Bank's website. This page will preserve records of various Official Language (OL) related activities conducted by the Bank at Corporate Office and also in the entire Bank, awards and other OL related information pertaining to the Bank.

Your Bank has published the articles received for the All India Seminar on 'Digital Loan' in the form of e-book. Your Bank conducted different campaigns on quarterly basis to increase Hindi correspondence in various departments of the zones (viz. Marketing, Recovery, Security, Mortgage). Hindi Diwas, World Hindi Day and Mother Language Day were celebrated at various offices/branches all over India and abroad. In order to enhance the creative skills of staff members, your Bank is publishing two corporate magazines – BobMaitri (House Journal) and Akshayyam (Hindi Magazine). Your Bank is continuously working to enhance the feature of 'BOB Abhivyakti 2.0' mobile app, designed for all serving and retired staff members to provide an interesting online reading experience with respect to all magazines/newspapers/ house journals published by the Bank including Bobmaitri and Akshayyam. It has proved to be a significant step in promoting the Go-Green initiative in the Bank.

While providing digital banking facilities to customers, your bank is offering the facility of sending SMS in Indian languages in all the Financial Inclusion accounts. Your bank is providing WhatsApp banking services in English, Hindi and Gujarati languages. Your Bank has made the HR Connect portal fully bilingual for the use of staff members. Bank's Hindi website has been given an attractive look which is contributing to significant increase in its hits. Your Bank has provided customers the facility to opt for SMS and WhatsApp Banking facility in their own language at the time of opening an account through tab banking. Your Bank has introduced bilingual (Hindi and English) digital journey facility for opening savings account online. Besides, keeping in mind the highest number of calls received in Hindi language at the Contact Centre, your Bank has organized a language training programme for the staff working in contact centre. Your Bank has developed YouTube videos and PPT of various banking products in Hindi language for customer awareness. Further, your Bank has ensured translation of all Bank's promotional materials in Hindi and other Indian languages on a regular basis. Your Bank has ensured to post Hindi content on social media handles from time to time befitting the occasion.

Your Bank conducted an internal survey from 05.12.2023 to 10.12.2023 on various parameters among the staff members of the Bank regarding the quality and utility of the Hindi version of the internal circulars issued by the Bank to obtain feedback on the nature of language of the circular. Your Bank also conducted a survey regarding availability of Bank's digital channels in Indian languages to get feedback about the Indian language user interface of our digital channels and get a useful data on their quality, usages etc. Based on the suggestions received in these surveys, necessary corrective action is being ensured by the Bank.

A "Samarth Toolkit/Branch Samarth" (Technical Toolkit) has been developed by the Bank to promote implementation of Official Language in your Bank and to sensitize staff members about various e-tools for working in Hindi and regional languages. The training for staff members on this tool was continued during this year also. In addition, various programs/ competitions were also organized in schools/colleges across the country to connect with the young generation of our country, which helped the Bank to strengthen its brand image among the younger generation and mobilize/increase business.

The efforts of your Bank have been appreciated by the Government of India from time to time. During the year, your Bank was awarded with the second prize under the "Rajbhasha Kirti Award" scheme of the Government of India for its outstanding performance in the field of Official Language Implementation. In addition, the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Vadodara working under the convenorship of the Bank was awarded

with the first prize under the Narakas Rajbhasha Samman Yojna. Similarly, Varanasi, Jaipur and Bareilly, TOLIC working in convenorship of the Bank were selected for the award by the respective Regional OL Implementation Offices of the Government of India. Our Zonal Offices Baroda, Chandigarh and Navsari Region were also awarded for their outstanding performance in the field of Official Language implementation by the respective Regional OL Implementation Offices of the Government of India. Your Bank was conferred with a total of 15 awards by the Ministry of Home Affairs in the year 2023-24 which includes Kirti/Regional and other awards. Various offices of the Bank received a total of 35 awards from TOLIC, working under the aegis of Ministry of Home Affairs. 5 staff members of your Bank were declared as winners of the Kanthasth-2.0 competition organized by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language (among the total declared winners).

Your Bank has ensured the regular meetings of the 29 TOLICs working under the convenorship of the Bank and compliance with the instructions laid down by the Government of India in this regard. Bank continued with its unique scheme "*Medhavi Vidyarthi Samman Yojana*" for popularising Hindi in 71 Universities of the country. Under this scheme, cash prizes and commendation certificates are given to two meritorious students securing first and second positions respectively in M.A. (Hindi) examinations every academic year.

Overall, your Bank is committed to fulfil its constitutional responsibilities regarding the use of Official Language and other Indian languages for regulatory compliance, business development and customer convenience.

Sustainability – ESG – *An environmental friendly approach*

The Bank recognizes the pressing importance of addressing climate change and acknowledges global warming as one of the most significant threats to businesses and communities worldwide. In recent times, climate change risk has emerged as a critical challenge for the financial industry. In response, the Bank is deeply committed to minimizing the impact of climate change risk and actively working towards the sustainable development of its banking operations. Our objective is to achieve economic growth while ensuring the preservation of environmental and social ecosystems.

As a responsible policy measure, the bank strictly adheres to guidelines that prohibit financing borrowers involved in the establishment of new units producing or consuming Ozone Depleting Substances (ODS). Similarly, small and medium-scale units engaged in the manufacturing of aerosol units using Chlorofluorocarbons (CFC) are not eligible for Bank financing. These measures align with our commitment to reducing the greenhouse effect and contribute to a more sustainable future.

To strengthen our commitment to sustainability, the Bank has established the CSR and Sustainability Committee at the Board level. This committee plays a pivotal role in implementing sustainable strategies and integrating responsible Environment, Social, and Governance (ESG) practices throughout the organization. Furthermore, a dedicated core committee has been formed to provide operational support to the Board level committee in fulfilling its objectives effectively.

The Bank has implemented various initiatives to reduce emissions, conserve energy, and minimize water consumption. A key focus area has been the reduction of carbon emissions. Currently, around 177 branches located in rural and semi-urban areas are powered by solar energy, resulting in reduced power consumption and significant reductions in carbon dioxide emissions. Through the utilization of renewable energy sources, we have successfully eliminated approximately 4500 tons of carbon dioxide emissions. Additionally, the installation of LED lights in all domestic branches has contributed to enhanced energy efficiency.

The Bank actively promotes sustainability awareness among the stakeholders and has organized initiatives such as "Swachhata Pakhwada" to foster a culture of sustainable living, environmental preservation, and cleanliness. These efforts have engaged citizens in cleanliness drives at public parks, railway stations, and beaches, in addition to organizing health check-up camps. The Bank aims to inspire and encourage active participation in creating a cleaner and healthier environment.

The Bank places significant emphasis on technology-enabled banking through our platform "bobWorld". This enables seamless and convenient banking operations for our customers while reducing paper usage for transactions and the need for physical visits to branches. The Bank has implemented a paperless approval process internally and has digitized the document management, contributing to enhanced operational efficiency and reduced environmental impact.

As part of the bank's commitment to environmental conservation, the Bank initiated the "Plant a Tree Program." For every auto or home loan disbursed, the Bank planted a fruit-bearing tree on behalf of its customers. The customers receive a Green Tree Plantation certificate that contains details of the tree planted on their behalf. Each tree is geotagged and secured using blockchain technology to ensure authenticity. Customers can track their planted tree online, view its exact geolocation, and even visit the tree personally using the provided coordinates. The Bank has planted over 1.5 lakh trees. Through this program.

The BOB Earth is a sub-brand of our Bank that promotes, ‹Banking for a greener tomorrow› and emphasizes sustainability. Plantation of - 43499 No. of trees/saplings in Schools, parks, residential societies etc., PAN India during the period 15.11.2023 to 15.12.2023, as part of the Green Campaign under BOB Earth Initiative, we strive to make a positive impact on the environment while promoting a greener and healthier future for all. The Bank continually strives to integrate responsible practices, reduce its carbon footprint, and actively engage in initiatives that benefit our planet and society as a whole.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The Bank has a long legacy and tradition of actively contributing to the social and economic development of the communities through various development activities. The Bank as a responsible corporate citizen, continuously strives to contribute towards social welfare & environmental protection, particularly for the upliftment of the underprivileged sections of the society to make sustainable social changes in their lives. Skill development through training for gainful employment, human welfare and other social activities like women welfare, health care etc continues to remain the Bank's key focus areas. The Bank is helping different organizations engaged in various community development and socio-economic welfare activities for the benefit of weaker sections and rural citizens.

The Bank has 65 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 11 States/UTs across the country to impart skill development training to the youth of rural and semi urban areas for generating self-employment. Since inception, these centres have conducted 24,263 training programmes and imparted training to 6.76 lakh youth, out of which 4.65 lakh have already setup their own ventures or have secured wage employment. Out of -65- RSETIs, -64- RSETIs are graded as "AA" (outstanding) by Ministry of Rural Development, GOI based on the overall performance/functioning and -1- RSETI i.e. RSETI Pasighat will be rated during FY 2024-25 being new RSETI.

The Bank has also set up 85 Financial Literacy Centres (FLCs) in 12 States/UTs which provide financial counselling services and education to the people in rural, semi-urban and urban areas about various financial products and services available from the formal financial sector. These centres also take up activities that promote financial literacy, awareness about banking services, digital banking, financial planning and amelioration of debt-related distress of an individual.

As per RBI directives, Bank has also set up 196 Centres for Financial Literacy (CFLs) spread across -9- states and -1- Union Territory that are aimed at imparting financial literacy in tribal and backward blocks through innovative and participatory approach.

Bank has also donated to various social causes viz., financial assistance to deserving poor students for their education, donation of medical equipment and healthcare, donation towards smart classes, donation of water coolers and RO systems for hospitals and donation towards relief fund in cyclone affected areas.

Domestic Subsidiaries and Joint Ventures

BOBCARD Limited

BOBCARD Limited (formerly known as BOB Financial Solutions Limited) was established in 1994 as a Non-Banking Financial Company, wholly owned by the Bank. Its primary business is in credit cards with key differentiator being simple, easy-to-understand products that are fairly priced, efficiently serviced, and can easily be availed through a digital-all application process.

FY 2024 was a continued year of growth for BOBCARD consolidating its industry position and budling seamless integration with parent Bank. As per RBI data for FY24, the company continued with steady increase in share across cards and spends in the credit card industry. We rank 9th in terms of market share of cards with a share of 2.5% and with a spends share of 1.5%, BOB Card ranks 11th in terms of monthly spends.

The company issued approximately 10.9 lakh new credit cards in FY24 and continued to be among the largest issuers in terms of incremental customer acquisition. The company further consolidated its two-pronged growth strategy (of BoB customers on one side and key partnerships on the other) by focusing on growing both portfolios i.e. proprietary cards, where the focus in FY24 has been on paid and premium cards to diversify the composition, and co-branded cards, where the focus has been on growing the customer base.

Credit Card on UPI (CC-UPI) was launched for RuPay Credit Cardholders in May 2023. More than 1282 (count) have been spent on CC-UPI in FY24 with ever highest spends milestone of ₹ 221 crores achieved in March 2024.

The company continued to invest in technology for enhancing customer experience and improving products and processes. Virtual Credit Card, new versions of the Mobile App, Launch of Visa empower card & Rupay Business Card and automation of key processes were some of the highlights of FY24.

The company launched over 2K offer communications across 50+ spend categories to its cardholders during the festive months. These offers were across regular and EMI spends. Multiple communication channels, including social media, were used to reach customers across the country. BOBCARD also launched rebranding announcement with the thematic campaign proposition 'Remember to Reimagine.' Refreshed all brand assets to adopt a new visual identity, serving as a catalyst to amplify our new brand identity and drive awareness & consideration.

Brief Highlights of BOBCARD limited for FY 2024 (IGAAP financials) are indicated below:

(₹ in crore)

BOBCARD Ltd.		
Particulars	**FY 2023**	**FY 2024**
Total Assets	3,520.45	5,217.15
Net Profit/(Loss) for current FY	24.62	59.27
Net NPA levels for current FY	68.55	32.65
Credit rating	Crisil A1+	Crisil A1+
	India rating A1+	India rating A1+
Return on Assets	0.71%	1.14%

BOB Capital Markets Ltd.

BOB Capital Markets Ltd. (BOBCAPS), a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, is a SEBI registered Category-I Merchant Banker and also a Stock Broker with memberships of National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

BOBCAPS offers a wide spectrum of financial services that includes fund raising from primary markets /PE funds, debt syndication, stressed asset resolution, equity valuation, mergers and acquisitions advisory and stock broking (both institutional and retail). It has two operating segments, viz. Investment Banking and Broking & Distribution.

BOBCAPS continued to receive good traction for its businesses during FY 2024. Investment banking team successfully closed several transactions including marquee IPOs, QIP, debt resolutions, debt syndication, DCM and M&A advisory. IB Equity successfully closed IPOs of IREDA & IRM Energy which were over subscribed. This has led to earning of deal credentials which is important for securing new mandates. The Company incurred a loss, largely on account of creation of technology & Account acquisition infrastructure. Both Instituitional & Retail Broking business revenue have grown significantly with focus on revenue. The retail client base has doubled during the year & the Company is revamping its entire retail technology platform to scale up business.

Brief Highlights of BOB Capital Markets Ltd for FY 2024 are indicated below:

BOB Capital Markets Ltd		
Particulars	**FY 2023**	**FY 2024**
Total Assets (in Crore)	179.34	169.00
Net Profit/Loss for FY (in Crore)	1.25	(12.50)
Customer base (Nos)	1,00,929	2,08,768
Total number of branches (Nos)	3	3

Baroda Global Shared Services Ltd.

Baroda Global Shared Services, a wholly owned subsidiary of the Bank of Baroda, is an outcome of a strategic decision made by the Bank in 2017 to integrate back-office services into a single entity, thereby, reducing service replication & business unit silos, creating synergies, and improving economies of scale.

BGSS locus is in creating value for the parent Bank through reduced cost-to-income ratio, reduced credit losses, new business generation & client retention.

In line with this objective of value creation for the Bank, FY2024 was a year of consolidation & growth with focus on expansion & operational excellence while emphasis on continuous evolution. Continuous improvement cerebration coupled with robust risk & governance framework is enabling BGSS to follow its growth trajectory which is evident from BGSS topline CAGR growth of ~56% (since FY2020).

During the financial year, the organization has been involved in implementation of several marquee transactions/projects including:

1. Certified as Great Place to Work – (GPTW 24-25).
2. DST business had witnessed a turnaround in profitability with productivity improvement & keeping COA under control and resulting in an enhance value for the Bank.
3. Collections Tele-Calling- SMA 0 POS resolution increased to ₹62,000 Cr in FY2024 from ₹53,000 Cr in FY2023.
4. Forayed into international territories with launch of BOB UK Data Enrichment & Contact Centre operations.
5. Process re-engineering through deployment of automation & Lean Six Sigma methodology and enhanced productivity/efficiency of ~10% Y-o-Y (centralized operations).
6. ISO 9001:2015 Certification across 9 processes completed meeting process quality standards.
7. ISO 27001:2013 certification & deployed SOC (Security Operations Centre) exhibiting BGSS commitment to information security.
8. Operational resilience & robust governance through ISO 22301:2019 BCMS Certification.
9. Annual CSAT survey was conducted with 92.8% of the audience appreciating BGSS performance and following in Excellent & Very Good category.
10. Augmented learning culture and introduced an integrated LMS (Learning Management System) platform for Digital Learning Academy.
11. Improved Gender Diversity (26%).
12. Extended support to the Bank by swiftly deploying BGSS manpower across 108 Retail Assets RAPC centres (pan India).
13. Extended Digital Outbound calling for assisting existing Bank's customers for various digital products inter alia CBDC, Platinum Debit Card, WhatsApp Banking.
14. Launched pilot for NR Global Helpdesk operations.

A Snapshot of the BGSS Financial Performance

(₹ Cr)

Baroda Global Shared Services Ltd. (BGSS)		
Particulars	**FY2023 Audited**	**FY2024 Audited**
Total Income	254.81	348.74
Expenses	242.88	323.25
PBT	11.7	25.5
PAT	9.51	19.77
PAT %	3.73%	5.67%

BarodaSun Technologies Ltd.

BarodaSun Technologies Limited has been incorporated as a wholly owned subsidiary of Bank of Baroda on July 5, 2017 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The company has been formed to deliver system integration and consultancy services on matters relating to ever evolving IT enabled business solutions, software product application and implementation across various lines of business, for Bank of Baroda.

The Company is yet to commence full-fledged operations and it is envisioned to initiate activities like programme / project management and support services to implement enterprise-wide IT projects and development of financial products and solutions to effectively cater to various business needs providing technological edge across different business verticals of the Bank.

The Nainital Bank Ltd.

The Nainital Bank Limited (NBL), originally promoted by Late Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant and others in 1922, became a subsidiary of Bank of Baroda in the year 1973. The Bank's holding in Nainital Bank Ltd is 98.57%. NBL has its registered office at Nainital and has operations in five states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and National Capital Region (NCR), Haryana and Rajasthan. NBL has -171- branches as on March 31, 2024. The total business of NBL increased to ₹ 13086.87 crore on March 31, 2024 from ₹12,305.42 crore as on March 31, 2023. The Bank posted a net profit of ₹47.10 crore in FY 2024 against a net profit of ₹ 46.30 crore during the previous year.

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd (BBNPA AMC)

BBNPP AMC is a majority owned subsidiary of Bank of Baroda. It is a joint venture between Bank of Baroda (50.1% shareholding) and BNP Paribas Asset Management Asia Ltd (49.9% shareholding). The Company is the Asset manager for Baroda BNP Paribas Mutual Fund. Both Bank of Baroda and BNP Paribas AM had existing fund management businesses in India, which were merged in March 2022 to create this JV.

BBNPP AMC builds on the strength of its sponsors. The AMC leverages the vast network and local reach of the Bank of Baroda and global best practices and market knowledge of BNP Paribas Asset Management. Over the years, AMC has aggressively invested in strengthening investment capabilities, product range, reach, and distribution. The AMC managed MF AAUM of ₹35,646 crs during Jan-Mar 2024, representing a strong growth of 45% yoy. Additionally, the AMC also offers advisory services to offshore clients with AUM of ₹2,257 crs as of Mar 31, 2024. Driven by the strong AUM growth and cost discipline, the operations of AMC became profitable during the year.

Brief Highlights of Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd for FY 23-24 are indicated below:

(₹ in crore)

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.		
Particulars	**FY 2023**	**FY 2024**
Total Assets	187.36	191.43
Net Profit for current FY	(6.88)	6.11
Average Assets under Management (AAUM)	26,436*	37,903*
Equity to overall AAUM (%)	56%	56%

*Includes advisory AAUM of ₹1,929 crores in FY2023 and ₹2,257 crores in FY2024.

Indian MF industry is seeing accelerated growth driven by the rising aspiration of Indian middle class coupled with increased awareness about Mutual funds. An encouraging trend is that smaller towns are growing at more than double the pace of larger cities. India has possibly the best digital transaction infrastructure in the world, leading to rapid digital adoption by clients. The AMC is leveraging all these trends to create a strong presence in India. The AMC is committed to building a top-tier fund house that serves both -clients at home in India as well as helps foreign investors access the Indian market.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.

Headquartered in Mumbai, IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., is a domestic subsidiary of Bank of Baroda promoted along with Carmel Point Investments India Private Limited, owned by private equity funds managed by Warburg Pincus LLC. Union Bank of India is an investor in the Company. Total share capital of the Company is ₹1,433 Crores (including share premium)

In FY 2024, IndiaFirst Life posted Total Gross Written Premium of ₹ 6,974 crore with YoY growth of 14.8%. The Company improved its rank by 1 position to 11th rank as compared to last year on Total New Business GWP amongst private Life Insurers. IndiaFirst Life's assets under management (AUM) is at ₹27,073 Crores as on 31st March 2024. Company posted Net Profit of ₹ 112.31 crore and total Income of ₹ 10,009 crore for FY 2024.

IndiaFirst Life was certified as a Great Place to Work (GPTW) for the sixth time in a row, a recognition considered as the gold standard for defining great workplaces across business, academia and government organisations along with being recognised among the 'Top 50 of India's Best Workplaces in BFSI' by GPTW. The Company was also recognised among Best Brands of 2023 by The Economic Times.

India Infradebt Ltd.

India Infradebt Limited (Infradebt) is the first Infrastructure Debt Fund (IDF) NBFC to commence operations in India. Bank of Baroda and ICICI Bank are the largest shareholders, while other shareholders include Citicorp Finance (India) Limited and Life Insurance Corporation of India. Infradebt finances the relatively safe, completed infrastructure projects which have achieved at least one year of commercial operations. Infradebt has been rated AAA/Stable outlook by CRISIL, ICRA and India Ratings since inception. Infradebt also enjoys 100% income-tax exemption on all its income.

The synergy with the Bank arises from Infradebt's focus on lending to strong, stable infrastructure projects - mainly renewable energy projects and road projects, thus promoting green energy in India and contributing to nation building. Infradebt business has grown steadily, with a loan book of ₹ 20,938 crores, Net Profit of ₹ 441.71 crores and Return on Equity of 14% during FY2024. Infradebt has also been paying dividends continuously for the past seven years.

A brief summary of Bank's all the domestic subsidiaries and Joint Ventures is given below:

(₹ in crore)

Entity	Owned funds	Total assets	Net profit	Offices	Staff
BOBCARD Ltd.	1070.90	5217.14	59.27	44	487
BOB Capital Markets Ltd.	148.29	169.63	-12.50	4	129
BarodaSun Technologies Limited	4.74	4.82	0.155	1	0
Baroda Global Shared Services Ltd	58.85	148.49	19.78	2	4634 (3342 On roll & 1292 Third Party)
The Nainital Bank Ltd.	776.85	9306.82	47.10	171	1170 (including MT & officers)
Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.	158.42	198.24	6.11	9	275
Baroda BNP Paribas Trustee India Pvt. Ltd.	0.28	0.40	0.03	1	1
IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	1,181.30	28,143.70	112.31	29	4,720
India Infradebt Limited	3206.35	22981.68	441.71	1	30

Awards

In recognition of Bank's excellent performance in financial, digital front and other unique initiatives, the Bank was conferred with many awards and accolades during the FY 2024 which are given below;

Month	AWARDS RECEIVED DURING FY 2024
Q1 FY 24	• Ms. Swapna Bandopadhaya, General Manager, presented with Advantage Club's Exceptional Women Award in Human Resources. • Bank of Baroda receives the Best Contact Centre of the Year award 2023 at the Digital Customer Experience Confex & Awards 2023 organised by Gain Skills Business Media Pvt Ltd. • Bank of Baroda received two awards at the Express Computer - BFSI Technology Awards 2023 in the Enterprise Mobility and Analytics/Big Data categories. • Bank of Baroda won the Best Retail Financier award amongst PSU Banks at the Annual Financiers Awards 2022 organised by JCB India. • Bank of Baroda was felicitated at the ET Best BFSI Brands 2023 for its leadership in the Banking sector. • Bank of Baroda received two awards at the 7th edition of Adgully's-DIGIXX 2023 awards. o Gold – in the Search/Display Marketing category for Baroda Car Loan o Silver – In the Best use of Social Media (BFSI) category - #SaluteHerShakti campaign. • Bank of Baroda received three awards at the ACEF Global Customer Engagement Forum & Awards: o Best Event Promotion for Sun Run 2.0 (Silver Award) o Best Use of Celebrity Endorsement for Sun Run 2.0 (Bronze Award) o Best Innovative Radio Campaign (Silver Award) for 115 hours of non-stop RJ Marathon on the occasion of the Bank's 115th Foundation Day. • Bank of Baroda wins Gold at the 7th Annual Drivers of Digital awards organised by Inkspell Media in the category "Best Use of Animation or Graphics" for its # dilsedigital campaign. • Bank of Baroda wins Bronze at the 7th Annual Drivers of Digital awards organised by Inkspell Media in the category "Best Use of Video Marketing on Social Platform" for its #PehchaanCon campaign. • Bank of Baroda wins Gold in the Radio-Innovation category for Best Use of Sponsorship in an On-Air/On-Ground Radio Campaign for LALBAUGH LIVE at the Golden Mikes Awards 2023. • Bank of Baroda wins Silver in the Radio-Creativity category for Best Single Commercial-Insurance, Banking & Financial Services for the 115 Hours of RJ Marathon campaign at the Golden Mikes Awards 2023. • Bank of Baroda wins Bronze in the Radio-Promotion category for Best on Ground Promotion for/by a Brand-Single Radio Station for the Foundation Day at the Golden Mikes Awards 2023. • Bank of Baroda Wins the 'Best Customer Service Initiative of the Year (Banking)' Award by Quantic India. • Bank of Baroda has bagged the Atal Pension Yojana Annual for FY 2022-23 by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) • Bank of Baroda wins two awards at The Great Indian BFSI Awards – 1) The Great Indian Internal Communication Campaign of the Year for #IAmSocial and 2) The Great Indian BFSI Lead Generation Campaign of the Year for BOB Home Loan • Bank of Baroda wins CXO TV's Cloud Innovation Awards 2023 in the Smart Digital Category • Bank of Baroda has been awarded with the "Great Place to Work" Certification 2023 for the 2nd year in a row by Great Place to Work Institute. Bank has also been awarded with "India's Best Employers Among Nation Builder 2023" and "India's Best Employers in Public Sector Undertaking 2023" • Shri Akhil Handa, Chief Digital Officer, Bank of Baroda received the AI100 Award 2023 India, recognizing him as one of India's top 100 influential AI leaders by MachineCon India 2023. • Bank of Baroda awarded third place in the State Level Best Banker award for the year 2022-23 for its contribution to the MSME sector, organised by Industries and Commerce Department of Tamil Nadu Government.

Month	AWARDS RECEIVED DURING FY 2024
Q2 FY 24	• Bank of Baroda wins following awards at the Emerging Asia Banking Awards, organised by Indian Chamber of Commerce o The Best Bank - India award in the Large Public Sector Bank category o The Best Performance on CASA-India in the Large Public Sector Bank category o First runner-up in The Best Performance on Profitability-India in the Large Public Sector Bank category o First Runner-up in The Best Performance on Risk Management-India in the Large Public Sector Bank category o First Runner-up in The Best Performance on Asset Quality-India in the Large Public Sector Bank category. o Second Runner-up in The Best Performance on Growth-India in the Large Public Sector Bank category. • Bank of Baroda bags Maverick award by Exchange4media for Best Marketing Campaign for a BFSI Brand for Digital Car Loan • Bank of Baroda wins Gold in the mCube Awards organised by Inkspell Media for its campaign #SaluteHerShakti under the category of Best ATL Campaign for a Financial Enterprise • Bank of Baroda wins Gold in the mCube Awards organised by Inkspell Media for bob World under the category of Best Display Marketing in Digital • Bank of Baroda wins Gold in the mCube Awards organised by Inkspell Media for its campaign #SmashItWithSindhu under the category of Best Innovation/Creativity in a Social Media Campaign • Bank of Baroda has been honoured with two awards, Best CX Strategy of the Year 2022-23 and Best Organisation in Customer Satisfaction at the Digital Customer Experience Confex & Awards 2023 organised by Gain Skills Business Media Pvt Ltd. • 7.Bank of Baroda has bagged the Best Digital Bank award at the 8th Edition of the TechMeet & Technology Excellence Awards organised by ASSOCHAM. • Shri Ian De Souza, Chief Financial Officer, Bank of Baroda has won Dalal Street Investment Journal's (DSIJ) 2023 CFO Award in Large Cap Category. • 9.Bank of Baroda wins Employee Happiness Awards 2023 organised by Kamikaze B2B Media in the Best Community Impact Initiative category. • 10.Bank of Baroda is felicitated with Network 18, Second Edition of Green Ribbon Champion for contribution to Green Bank of the year. • 11.Bank of Baroda bags the Government of India's prestigious Rajbhasha Kirti Puraskar. Bank is awarded with the second prize under the 'Rajbhasha Kirti Puraskar' Scheme of the Government of India for the year 2022-23 in the Nationalized Banks category.
Q3 FY 24	• Bank of Baroda wins The Financial Express India's Best Banks Awards 2021-22 for 'Savings Product'. • Bank of Baroda has been honoured with prestigious award by CafeMutual, recognising the Bank as leading Mutual Fund Distributor (across peer Banks) basis Equity Net Sales performance in FY 2022-23. • Bank of Baroda won the Governance Now BFSI Awards 2023 under the category "Digital Bank". • Bank of Baroda won the Silver metal for paid digital campaign for Baroda Car Loan at Pitch BFSI Marketing Awards 2023. • Bank of Baroda felicitated under the Most Engaging Content category for the social media marketing campaign for bob World in India Content Leadership Awards 2023 by INKSPELL. • Bank of Baroda felicitated with the prestigious "National Award for Outstanding Performance in the SHG (Self Help Group) Bank Linkage Programme" for 2022-23 by Deendayal Antyodaya Yojna - National Rural Livelihoods Mission, Ministry of Rural Development, Government of India. • Bank of Baroda received the "Progressive Places to Work 2023" award by ET Edge (The Times Group) • Bank of Baroda won the 7th IDC Future Enterprise Awards under the category "Best in Future of Customer Experience" for its Digital Lending Platform.

Month	AWARDS RECEIVED DURING FY 2024
Q4 FY 24	• Bank of Baroda bags Best Savings Bank Award at Navabharat BFSI Summit & Awards 2023 • Bank of Baroda was named "Best Bank" in the Large Public Sector Banks category by the State Forum of Bankers' Clubs Kerala (SFBCK) based on the Bank's performance in the financial year 2022–23. • Bank of Baroda was named 'India's Leading Public Bank (Large)' at the 16th Dun & Bradstreet BFSI & Fintech Summit 2024 for its outstanding performance for the period 1st April 2022 to 31st March 2023 • Bank of Baroda was recognised as the Winner (Public Sector) at the IBEX India 2024 BFSI Technology Awards under the category "Excellence in Financial Inclusion". • Bank of Baroda has been recognised as the winner of the Elets BFSI CXO Award in the category "Excellence in Innovation & Customer Engagement initiative". • Bank of Baroda was named the winner for "Best AI & ML Bank" and "Best Technology Talent" among Large Banks at the Indian Banks' Association's (IBA) 19th Annual Banking Technology Awards 2023. The Bank also received a Special Mention in four award categories – Best Technology Bank, Best IT Risk Management, Best Fintech & DPI Adoption and Best Financial Inclusion. • Bank of Baroda has been honoured with 'Best Central Public Sector Bank of India - Banking & Finance' Award at the 5th IPSE (India Public Sector Enterprises) Awards. • Bank of Baroda was awarded the Best Use of Experiential Marketing and Best Performance Marketing Campaign of the Year award at the ASSOCHAM Branding & Marketing Summit cum Excellence Awards. • Bank of Baroda has been recognised as **ET NOW Best BFSI Brands for 2024** at the 7th edition of **The ET Now Best BFSI Brands Conclave**. • Bank of Baroda emerges victorious at the ET BRANDEQUITY.com's **ET Trendies Award** for Cause-based Marketing for the **Bank's # PehchaanCon Influencer Campaign**

Dividend Distribution Policy

Board of Directors of the bank has recommended a dividend of ₹7.60 per share for the financial year ended March 31, 2024. The total outgo in the form of dividend will be ₹3,930.24 crore. The payment of dividend is subject to requisite approvals. The dividend distribution policy is given in this Annual Report and is also available on the Bank's website.

Board of Directors (Appointment / Cessation of Directors during the year)

Appointments

Shri Debadatta Chand was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer w.e.f. 1st July, 2023 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Smt. Nina Nagpal was elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years from 24th December, 2023 to 23rd December, 2026.

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar was appointed as Executive Director, with effect from 31st January, 2024 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for the remainder period of term i.e. upto 31st December, 2025, or until further orders, whichever is earlier.

Cessations

Shri Sanjiv Chadha ceased as Managing Director & Chief Executive Officer w.e.f. 30th June, 2023 upon attaining the age of superannuation.

Smt. Soundara Kumar ceased to be a Shareholders Director w.e.f. 24th December, 2023 on completion of her term of directorship

Shri Joydeep Dutta Roy ceased to be Executive Director of the Bank w.e.f. 31st January, 2024, upon his taking over charge as Executive Director of Indian Overseas Bank.

Shri Srinivasan Sridhar ceased to be a Shareholders Director w.e.f. 21st February, 2024 upon his resignation consequent to his appointment as Non-Official Director / Non-Executive Chairman of Indian Overseas Bank.

Dr. Hasmukh Adhia ceased to be Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f. 1st March, 2024, on completion of his term of appointment on 29th February, 2024.

Board Evaluation

Bank is following Government of India guidelines dated August 30, 2018 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.

Auditors' Compliance Certificate on Corporate Governance:

The Auditors' Compliance Certificate regarding the compliance of the conditions of Corporate Governance for the year 2023-24 is annexed with this report pursuant to "Part E" of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)

Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Report as required by SEBI has been hosted on the website of the bank (www.bankofbaroda. co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the bank.

Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2024.

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the bank for that period;

c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) The Directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by the RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Explanation: For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the Bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;

f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

The Directors placed on record their appreciation for the contribution made by Dr. Hasmukh Adhia outgoing Non-Executive Chairman, Shri Sanjiv Chadha outgoing Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Joydeep Dutta Roy outgoing Executive Director and Smt. Soundara Kumar and Shri Srinivasan Sridhar outgoing Shareholder Directors.

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, RBI, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities and the overseas regulators for their continued co-operation, guidance and support.

The Directors would like to take this opportunity to express sincere thanks to our valued clients for their continued patronage and support.

The Directors acknowledge with deep appreciation for the cooperation extended by all shareholders, Banks and Financial Institutions, Rating Agencies, Stock Exchanges and all well-wishers in India and Abroad. The Directors also take this opportunity to place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the employees of the Bank.

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र ।

सेवा में

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथासंशोधित ('सूचीयन विनियम') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपखंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा (''बैंक'') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी ''कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट'' के अनुसार की गई हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित रही है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) की खंड (बी) से (आई) और सूचीयन विनियमन की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वाह की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है।

यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को किसी को दिखाने या किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To

The Members of

Bank of Baroda

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda ("the Bank") for the year ended on March 31, 2024, as stipulated in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C and D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations for the year ended March 31, 2024.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109574W

(डी. वी. बल्लाल)
साझेदार
एम. नं. : 013107
यूडीआईएन: 24013107BKDEYI2374

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

(ऋषिकेश जोशी)
साझेदार
एम. नं. : 138738
यूडीआईएन: 24138738BKEXOD6173

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S/S200095

(एस सुंदररमन)
साझेदार
एम. नं. : 201028
यूडीआईएन: 24201028BKCTPU1902

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 101048W

(रमण हंगेकर)
साझेदार
एम. नं. : 030615
यूडीआईएन: 24030615BKCJCT7062

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109208W

(जी शंकर)
साझेदार
एम. नं. : 46050
यूडीआईएन: 24046050BKCLLM6127

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

(D. V. Ballal)
Partner
M. No.: 013107
UDIN: 24013107BKDEYI2374

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

(Rishikesh Joshi)
Partner
M. No.: 138738
UDIN: 24138738BKEXOD6173

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

(S Sundarraman)
Partner
M. No.: 201028
UDIN: 24201028BKCTPU1902

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

(Raman Hangekar)
Partner
M. No.: 030615
UDIN: 24030615BKCJCT7062

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

(G Sankar)
Partner
M. No.: 46050
UDIN: 24046050BKCLLM6127

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2023-2024

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है।
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दृष्टिकोण पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्कयता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि संगठन में कारोबार, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है। बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य समाज के सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है। बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना।
- सभी हितधारकों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता एवं पारदर्शिता।
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण।
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण।
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना।
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना।

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और व्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं।
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है।
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं।
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।
6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध संस्था है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक ने सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय उन मामलों पर जहां इन विनियमन के प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरुप नहीं हैं।

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को तैयार करना,
- महत्त्वपूर्ण एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का स्वरूप **अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी मुख्य महाप्रबंधक तथा विभागीय प्रमुख शामिल हैं, वे नैतिक आचरण संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसे बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों(एसएमपी) ने नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

निदेशक मंडल की बैठकें :

निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान -17- बैठकें संपन्न हुई। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें:

21.04.2023	16.05.2023	02.06.2023	15.06.2023 & 16.06.2023	
07.07.2023	05.08.2023	25.08.2023	11.10.2023	03.11.2023
04.11.2023	22.11.2023	14.12.2023 & 15.12.2023		21.12.2023
19.01.2024	31.01.2024	07.02.2024	21.03.2024	

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	16	16
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	4	4
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	13	13
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	4	4
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	17	15
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	14	12
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	17	15
श्री संजय विनायक मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	3	3
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	10	8
श्री मुकेश कुमार बंसल	01.04.2023 से 31.03.2024	17	12
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	01.04.2023 से 31.03.2024	17	17
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	17	17
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	13	13
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 20.02.2024	16	15
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	17	15
श्रीमती नीना नागपाल	24.12.2023 से 31.03.2024	4	4

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां /उप-समितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. ग्रामीण एवं वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
14. सीएसआर और संवहनीयता समिति
15. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति
16. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्य निषादन मूल्यांकन संबंधी समिति
17. अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में विचार करने के लिए निदेशक मंडल की समिति
18. गैर कार्यपालक निदेशकों की बैठक

1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

इसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (डी) (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 32

बैठकों की तारीखें:

21.04.2023	03.05.2023	15.05.2023	01.06.2023	12.06.2023
26.06.2023	13.07.2023	21.07.2023	02.08.2023	17.08.2023
24.08.2023	30.08.2023	04.09.2023	07.09.2023	13.09.2023
22.09.2023	27.09.2023	05.10.2023	21.10.2023	10.11.2023
21.11.2023	07.12.2023	13.12.2023	19.12.2023	28.12.2023
12.01.2024	25.01.2024	14.02.2024	29.02.2024	11.03.2024
20.03.2024	27.03.2024			

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 30.06.2023	6	6
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल) (अध्यक्ष)	01.07.2023 से 31.03.2024	26	25
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	6	6
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	32	26
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	27	24
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	32	29
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	14	14
श्री संजय विनायक मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	5	5
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	01.04.2023 से 31.03.2024	32	32
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 31.12.2023	25	23
श्रीमती नीना नागपाल	02.01.2024 से 31.03.2024	7	7

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रायोजित शक्तियों से अधिक हैं तथा ₹ 800/- करोड़ तक के हैं वैसे ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 29

बैठकों की तारीखें:

12.04.2023	24.04.2023	29.04.2023	18.05.2023	01.06.2023	27.06.2023
13.07.2023	03.08.2023	10.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	15.09.2023
25.09.2023	28.09.2023	04.10.2023	16.10.2023	21.10.2023	02.11.2023
21.11.2023	04.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	17.01.2024	25.01.2024
09.02.2024	02.03.2024	11.03.2024	22.03.2024	27.03.2024	

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)*	01.04.2023 से 30.06.2023	6	6
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल) (अध्यक्ष)	01.07.2023 से 31.03.2024	23	23
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	6	6
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	29	17
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	24	19
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	29	29
श्री संजय विनायक मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	5	5
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	14	11
श्री एस अनंतरामन,सीआरओ	01.04.2023 से 31.03.2024	29	24
श्री इयान डिसूज़ा - सीएफओ	01.04.2023 से 31.03.2024	29	14

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

3. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालन को तथा लेखापरीक्षा योजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों हेतु अनुवर्तन शामिल हैं। यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख कार्यों, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है।
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है। यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है।

इस समिति में -3- सदस्य (-2- गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक) शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और सभी कार्यपालक निदेशक समिति के आमंत्रितगण हैं।

आयोजित बैठकों की संख्या: 23

बैठकों की तारीखें

20.04.2023	15.05.2023	16.05.2023	06.06.2023	26.06.2023	27.07.2023
04.08.2023	05.08.2023	17.08.2023	28.08.2023	16.09.2023	22.09.2023
19.10.2023	03.11.2023	04.11.2023	18.12.2023	20.12.2023	18.01.2024
30.01.2024	31.01.2024	29.02.2024	19.03.2024	27.03.2024	

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्रीमती सौंदरा कुमार (अध्यक्ष)*	01.04.2023 से 23.12.2023	17	17
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)*	02.01.2024 से 20.02.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	29.02.2024 से 31.03.2024	3	3
श्रीमती पार्वती सुंदरम	01.04.2023 से 31.03.2024	23	22
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	23	23
श्री आलोक वाजपेयी *	01.04.2023 से 28.02.2024	20	17
श्री मुकेश बंसल (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	23	5
श्री अजय के खुराना (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	23	17
श्री देबदत्त चांद (आमंत्रित)*	01.04.2023 से 30.06.2023	5	4
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रित)*	01.04.2023 से 30.01.2024	19	18
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	23	19
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	09.10.2023 से 31.03.2024	11	11
श्री संजय मुदालियर (आमंत्रित)	31.01.2024 से 31.03.2024	4	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एसीबी ने नियमित कार्यसूची की मदों के साथ-साथ निम्नलिखित हेतु अनुमोदन दिया/ समीक्षा की:

- विदेशी टेरिटरी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा शुल्क का अनुमोदन।
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति (घरेलू)-2023 में संशोधन का अनुमोदन।
- बैंक की आईएस ऑडिट नीति में संशोधन को मंजूरी (मौजूदा वर्जन 7.2)।
- ऋण लेखा परीक्षा नीति-2023 का अनुमोदन।
- बैंक के सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नीति का अनुमोदन।
- गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में बैंक की ऑफशोर बैंकिंग यूनिट (आईएफएससी, आईबीयू) के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और देय शुल्क का अनुमोदन।
- लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट-मार्च 2023 के संबंध में बैंक के अनुपालन का अनुमोदन।

- समवर्ती लेखा परीक्षा नीति 2023 का अनुमोदन।
- दिनांक 01.11.2023 से 31.10.2024 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत बैंक की शाखाओं/कार्यालयों की कवरेज का अनुमोदन।
- शाखाओं/इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा करने हेतु बाह्य समवर्ती लेखापरीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक/मासिक शुल्क तय करने संबंधी अनुमोदन।
- "कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्हिसिल ब्लोअर नीति" में संशोधन का अनुमोदन।
- आउटसोर्स की गई गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा और उनके सुधार की स्थिति का अनुमोदन।
- संदिग्ध मनी म्यूल खातों के निर्धारण और निगरानी हेतु प्रणाली में संशोधन का अनुमोदन।
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों से संबंधित नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेन-देन के नवीनीकरण को अनुमोदन।
- विदेशी टेरिटरी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा शुल्क का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विदेशी टेरिटरी की वार्षिक लेखा परीक्षा योजना का अनुमोदन।
- अनुपालन संबंधी कार्यों को सशक्त करने के उपायों के क्रियान्वयन हेतु रोड मैप को अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सचिवालीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईएस ऑडिट योजना का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जोखिम उन्मुख गतिविधि योजना का मंजूरी।
- वित्त वर्ष 2024-25 की समूह-वार वार्षिक अनुपालन योजना का अनुमोदन।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति और उन्हें शाखा आबंटन का अनुमोदन।

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन संरचना को इस दृष्टि से तैयार किया है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके।

बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है जो इस समिति का हिस्सा हैं। बैठकों की तारीखें एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 6

बैठकों की तारीखें:

26.05.2023 27.06.2023 16.09.2023 11.12.2023 13.03.2024 20.03.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)*	01.04.2023 से 01.01.2024	4	4
श्रीमती नीना नागपाल (अध्यक्ष)	02.01.2024 से 31.03.2024	2	2
श्री संजीव चड्ढा *	01.04.2023 से 30.06.2023	2	2
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल) (आमंत्रित)	01.04.2023 से 30.06.2023	2	2
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
श्रीमती सौंदरा कुमार *	01.04.2023 से 23.12.2023	4	3
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	6	5
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	6	3
श्री जयदीप दत्ता राय (आमंत्रित)*	01.04.2023 से 30.01.2024	4	3
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	09.10.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री संजय विनायक मुदालियर (आमंत्रित)	31.01.2024 से 31.03.2024	2	1
श्री हिमाद्री भट्टाचार्य - सलाहकार	01.04.2023 से 31.03.2024	6	6

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन दिया / समीक्षा की/ नोट किया:

ऋण जोखिम

1. एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण नीति
2. देशगत जोखिम एक्सपोजर की स्थिति (तिमाही आधार पर)
3. बेसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात की स्थिति (तिमाही आधार पर)
4. कॉर्पोरेट ऋण बही की पोर्टफोलियो समीक्षा और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में वृद्धिशील अग्रिमों की स्थिति (तिमाही आधार पर)
5. हमारे बैंक के एनबीएफसी सेगमेंट की पोर्टफोलियो समीक्षा (तिमाही आधार पर)
6. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेगमेंट की पोर्टफोलियो समीक्षा (तिमाही आधार पर)
7. प्रमुख रिटेल उत्पादों/सेगमेंट की पोर्टफोलियो समीक्षा (तिमाही आधार पर)
8. ऋण एक्सपोजर के ट्रांसफर के लिए बैंक की नीति का नवीनीकरण - (मानक आस्तियां) संशोधनों के साथ
9. संशोधनों के साथ विदेशी टेरिटरी के लिए कॉर्पोरेट निवेश नीति की समीक्षा
10. संशोधनों के साथ ऋण जोखिम मॉडल सत्यापन नीति की समीक्षा
11. संशोधनों के साथ "दबावग्रस्त क्षेत्रों हेतु ऋण जोखिम के कारण निर्धारित दरों से अधिक दर पर मानक अग्रिमों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करने की नीति" की समीक्षा
12. बैंक के पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2023-24 का अनुमोदन देना
13. "बेसल III प्रकटीकरण नीति 2023" के संशोधनों के साथ समीक्षा पर विचार करना और अनुमोदन देना।
14. संशोधनों के साथ "वैश्विक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (जीसीईएमपी) 2024" की समीक्षा और अनुमोदन करना।
15. बैंक का डिजिटल जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क
16. ऋण और अग्रिमों में दंड शुल्क संबंधी नीति
17. प्रतिपक्षी बैंकों पर एक्सपोजर सीमा संबंधी नीति में संशोधन के साथ समीक्षा का अनुमोदन देना
18. ऋण नीति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त

परिचालनगत जोखिम

1. संशोधनों के साथ वैश्विक परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा
2. संशोधन के साथ धन-सम्पदा प्रबंधन नीति की समीक्षा
3. प्रमुख जोखिम संकेतकों की स्थिति (तिमाही आधार पर)
4. परिचालन जोखिम हानि डेटा की स्थिति (अर्ध वार्षिक आधार पर)
5. जोखिम वहन क्षमता फ्रेमवर्क (आरएएफ) के तहत विभिन्न सीमाओं की स्थिति (तिमाही आधार पर)
6. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) और दबाव परीक्षण प्रभाव विश्लेषण
7. आंतरिक कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग मॉडल के लिए मास्टर रेटिंग स्केल (एमआरएस) का विकास
8. बैंक की अपनी संपत्तियों (घरेलू) की मूल्यांकन नीति में संशोधन के साथ समीक्षा (2023-26)
9. बैंक की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति का संवर्धन
10. समूह जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप देने संबंधी अनुमोदन
11. जमा नीति 2023-26 की समीक्षा एवं नवीनीकरण
12. बैंक की राजभाषा नीति में संशोधन के साथ समीक्षा
13. बैंक की संशोधित साइबर सुरक्षा नीति वर्जन 1.3 का अनुमोदन प्रदान करना
14. संशोधन के साथ "अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड, धनशोधन निवारण (एएमएल मानक, आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और पीएमएलए, 2002 के तहत बैंक की बाध्यता" संबंधी वैश्विक नीति की समीक्षा
15. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति पर विचार करना और अनुमोदन करना
16. "सूचना सुरक्षा नीति वर्जन 5.7" में संशोधनों के साथ समीक्षा
17. हरित जमाराशियों और हरित गतिविधियों के लिए ऋण से जुड़े फ्लो हेतु बैंक के फ्रेमवर्क (इसके बाद इसे हरित वित्तपोषण फ्रेमवर्क कहा जाएगा)
18. उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त

बाजार जोखिम/ एएलएम

1. निधि अंतरण मूल्य निर्धारण नीति 2023-24
2. संशोधनों के साथ एलआईबीओआर के अंतरण संबंधी नीति की समीक्षा।
3. संशोधनों के साथ "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2024" की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।
4. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति में संशोधनों के साथ समीक्षा ।
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के डिपॉजिटरी भागीदार के लिए निगरानी दायित्व नीति का नवीनीकरण।
6. एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) नीति 2024
7. ट्रेजरी परिचालनों एवं पीडी व्यवसाय और डेरिवेटिव तथा डेरिवेटिव व्यवसाय के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम (तिमाही आधार पर) ।
8. वैश्विक आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की बैठक के कार्यवृत्त।

5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/ डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है। यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं एक गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीखें: 26.06.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)*	01.04.2023 से 13.03.2024	1	1
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	1	1
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्री अजय सिंघल*	01.04.2023 से 13.03.2024	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियमन 6 के तहत बैंक के अनुपालन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशकों के रूप में निर्वाचन हेतु इन निदेशकों की "उपयुक्त एवं समुचित" अहर्ता सुनिश्चित करती है। वार्षिक आधार पर प्रमुख प्रबंधकीय पदों (केएमपी) हेतु संविदात्मक नियुक्तियों के प्रतिफल पैकेज और बैंक में मार्केट से उच्च लागत वाली भर्तियों (रु. 2/- करोड़ से अधिक की सीटीसी के साथ) सहित नियुक्ति/नवीनीकरण और नियुक्ति/नवीनीकरण की शर्तों को तय करने पर भी निर्णय लेती है। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

21.04.2023 27.10.2023 12.12.2023 14.12.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री आलोक वाजपेयी (अध्यक्ष)	01.04.2023 से 13.03.2024	4	4
डॉ. हसमुख अढ़िया	01.04.2023 से 29.02.2024	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार	01.04.2023 से 23.12.2023	4	4
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	01.04.2023 से 20.02.2024	4	4

7. ग्राहक सेवा समिति

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों की संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है।

समिति के पास निम्नलिखित कार्य भी हैं:

- सेवा के वर्तमान स्तर को बेंचमार्क करना और इस स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना।
- समय-समय पर विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करना, समान स्वरूप की शिकायतें, जिनकी पुनरावृर्ति हो रही है, के मूल कारण का विश्लेषण करना और ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना।
- अवाड्र्स की तारीख से 3 महीने से अधिक समय तक क्रियान्वित न होने की स्थिति और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पायी गई कमियों की समीक्षा करना।

- मृतक जमाकर्ताओं/लॉकर किराए पर लेने वालों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित मृतक दावों के 15 दिनों से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित/बकाया मृतक दावों की संख्या की स्थिति की समीक्षा करना।
- लंबित कोपरा मामलों की स्थिति की समीक्षा करना।
- विवादित एटीएम लेनदेन की स्थिति पर चर्चा करना और ग्राहक फीडबैक सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण करना।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

25.07.2023 11.10.2023 18.12.2023 21.03.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)*	01.04.2023 से 09.10.2023	1	1
श्री अजय सिंघल (अध्यक्ष)	10.10.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री अजय सिंघल*	01.04.2023 से 09.10.2023	1	1
श्री देबदत्त चांद	01.07.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय *	01.04.2023 से 30.01.2024	3	3
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	2
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री संजय मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	3	3
श्री आलोक वाजपेयी	14.03.2024 से 31.03.2024	1	0

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

8. उच्च मूल्य राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में ₹1.00 करोड़ और उससे अधिक की उच्च मूल्य राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करती है ताकि:

(ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत कमियों, यदि हो, का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना।

(बी) धोखाधड़ी का पता लगाने में विलम्ब के कारणों, यदि है, की पहचान तथा शीर्ष प्रबंधन और भारतीय रिज़र्व बैंक को उसकी रिपोर्टिंग करना ।

(सी) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी।

(डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए।

(ई) धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करना यथा आंतरिक नियंत्रण आदि को सशक्त बनाना।

(एफ) धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को सशक्त बनाने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य उपायों को लागू करना।

बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

17.05.2023 25.07.2023 20.10.2023 20.03.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	3	3
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	0
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	3	3
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री संजय विनायक मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	1	1
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित (सीवीओ) (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

26.05.2023, 28.07.2023, 21.11.2023, 20.03.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री आलोक वाजपेयी - अध्यक्ष	01.04.2023 से 13.03.2024	3	3
श्री अजय सिंघल - अध्यक्ष	14.03.2024 से 31.03.2024	1	1
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 09.10.2023	2	2
श्री लाल सिंह*	10.10.2023 से 31.01.2024	1	1
श्री संजय विनायक मुदालियर	01.02.2024 से 31.03.2024	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 20.02.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी (सदस्य)	14.03.2024 से 31.03.2024	1	1
डॉ. दीपक बी पाठक - सलाहकार	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों, प्रणालियों और संरचना को लगातार विकसित कर रहा है। बैंकिंग सेवाओं के डिजिटाइजेशन ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है जिससे आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरंतर उन्नयन हो रहा है।

10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें:

17.05.2023 17.08.2023 20.11.2023 24.01.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	4	4
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	0
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री अजय के. खुराना (आमंत्रित)	01.04.2023 से 31.03.2024	4	3
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	4	4
श्री ललित त्यागी*	01.04.2023 से 09.10.2023	2	2
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित)	10.10.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	3	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	02.01.2024 से 20.02.2024	1	1
श्री कृष शंकर - सलाहकार	01.04.2023 से 17.10.2023	2	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/समीक्षा की:

- सीपीआई से जुड़े संशोधन के कारण विदेश में पदस्थापित भारत आधारित अधिकारियों (आईबीओ) का वेतन संशोधन दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी हुआ और स्थायी समिति के कार्य समूह (डब्लूजीएससी) की सिफारिशों के अनुरूप बकाया का भुगतान।
- केवल मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-III तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान/भत्ते और अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए कामगार यूनियन और अधिकारी संघों के साथ बातचीत करने हेतु भारतीय बैंक संघ को मेंडेट प्रदान करना तथा हमारे बैंक के वेतनमान-IV और उससे ऊपर के कार्यपालकों के लिए एक अलग वेतन संरचना तैयार करना।
- वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी कल्याण निधि।
- कर्मचारी जवाबदेही की जांच संबंधी संशोधित नीति (संस्करण 2023)।
- आईबीपीएस द्वारा आयोजित सीधी भर्ती और सीआरपी प्रक्रिया सीआरपी XIII के माध्यम से नियमित/संविदागत आधार पर कर्मचारियों की भर्ती।
- जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु लंबित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करना।
- परिपत्र संकल्प सं. 9 (2023-24) की नोटिंग एवं पुष्टि - निम्नलिखित की नियुक्ति संबंधी नीति

  ए) बैंक की घरेलू अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स (आरआरबी को छोड़कर) के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक

  बी) बैंक की घरेलू अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स (आरआरबी को छोड़कर) के निदेशक मंडल में बैंक के नामित निदेशक

  सी) बैंक की घरेलू अनुषंगियों के पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जांच प्राधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त कार्यपालकों के नियोजन संबंधी नीति।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी नीति।
- संशोधन के साथ अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति की समीक्षा।
- संशोधनों के साथ मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-III तक के अधिकारियों हेतु स्थानांतरण नीति की समीक्षा।
- विविधता, समानता और समावेशन संबंधी नीति में संशोधन ।
- वॉयस ऑफ बडोदियन्स एम्प्लॉई एंगेजमेंट सर्वे 2023 ।
- कार्यबल नियोजन नीति ।
- संविदागत आधार पर अधिकारियों के नियोजन संबंधी नीति ।
- जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी) 2023 तथा निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आईआरएआर) 2023 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अवलोकन से अवगत कराना।

- निर्धारित नीति के अनुसार प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु सामान्य समीक्षा के लिए बैंक द्वारा 30.11.2023 तक पूरी की गई संविदागत भर्ती की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना।

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता / गैर सतर्कता संबंधी अनुशासकि मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है।

बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकों की संख्या: 4

बैठकों की तारीखें:

02.06.2023 02.08.2023 30.11.2023 13.02.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री मुकेश कुमार बंसल	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री ललित त्यागी (आमंत्रित) *	01.04.2023 से 09.10.2023	2	2
श्री लाल सिंह (आमंत्रित)	10.10.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री सुरेंद्र कुमार दीक्षित - सीवीओ	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4

*वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा; वसूली प्रणाली और ऋण एवं अग्रिमों के वसूली का अन्वेक्षण और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है। बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें : 04

बैठकों की तारीखें:

17.05.2023 26.07.2023 11.10.2023 21.12.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	4	4
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	0
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	4	4
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	4
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार *	01.04.2023 से 23.12.2023	4	4
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	4	3
श्री मनोज चयानी - सीजीएम - एलसीबी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	2
श्री धीरेन लल्लाई - जीएम - एलसीबी (विकल्पी)	11.10.2023 से 11.10.2023	1	1
श्री संजय भगोलीवाल- जीएम - सीआरएम *	01.04.2023 से 31.05.2023	1	1
श्री पंकज मित्तल - जीएम - सीआरएम	01.06.2023 से 31.03.2024	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

समिति ने एनपीए और अपलिखित खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ताओं, आईबीसी के तहत प्रगति और वसूली को अधिकतम करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/पहलों के समग्र क्रियान्वयन/प्रगति की समीक्षा की।

13. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति

समिति वित्तीय समावेशन के विकास पर विचार करती है, इसकी समीक्षा करती है और बैंक को कम लागत पर कठिन क्षेत्रों सहित बड़े भू-भाग तक तेजी से पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने की सलाह देती है और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीति पर बैंक को सलाह भी देती है। इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की सं. : 3

बैठकों की तारीखें:

20.04.2023 25.07.2023 22.11.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	3	3
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री देबदत्त चांद* (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यकाल)	01.04.2023 से 30.06.2023	1	1
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	3	2
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	1	0
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

14. निदेशक मंडल की सीएसआर एवं संवहनीयता समिति

यह समिति बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा सरकार/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सीएसआर गतिविधियों की देखरेख करती है।

आयोजित बैठकों की सं. : 3

बैठकों की तारीखें:

25.07.2023 22.11.2023 29.02.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	3	3
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री अजय के. खुराना	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री जयदीप दत्ता राय*	01.04.2023 से 30.01.2024	2	1
श्री ललित त्यागी	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री संजय विनायक मुदालियर	31.01.2024 से 31.03.2024	1	1
श्री लाल सिंह	09.10.2023 से 31.03.2024	2	1
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 20.02.2024	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

15. इरादतन चूककर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

आयोजित बैठकों की सं.: 08

बैठकों की तारीखें:

21.04.2023 26.06.2023 26.07.2023 25.08.2023 16.09.2023 20.10.2023 22.11.2023 18.01.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री संजीव चड्ढा*	01.04.2023 से 30.06.2023	2	2
श्री देबदत्त चांद (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यकाल)	01.07.2023 से 31.03.2024	6	6
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	7	7
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	8	8
श्रीमती नीना नागपाल	24.12.2023 से 31.03.2024	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

16. पूर्णकालिक निदेशकों के एपीएआर के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी समिति

यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में गठित की गई है:

आयोजित बैठकों की सं.: 03

बैठकों की तारीखें:

26.07.2023 05.08.2023 24.01.2024

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया	01.04.2023 से 29.02.2024	3	3
श्री मुकेश कुमार बंसल	01.04.2023 से 31.03.2024	3	3
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर *	01.04.2023 से 20.02.2024	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

17. अनुशासनात्मक मामलों पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की समिति

यह समिति शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों में अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए गठित है।

1) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान- VII में महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए समीक्षा प्राधिकारी

2) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी/वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधकों के अनुशासनात्मक मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी

आयोजित बैठकों की सं.: 2

बैठकों की तारीखें:

30.06.2023 20.10.2023 & 21.10.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
श्री मुकेश कुमार बंसल	01.04.2023 से 31.03.2024	2	2
श्रीमती पार्वती सुंदरम	01.04.2023 से 31.03.2024	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 20.02.2024	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

18. गैर-कार्यपालक निदेशकों की बैठक

आयोजित बैठकों की सं.: 1

बैठकों की तारीखें: 16.05.2023

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में सहभागिता
डॉ. हसमुख अढ़िया*	01.04.2023 से 29.02.2024	1	1
श्री अजय सिंघल	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार*	01.04.2023 से 23.12.2023	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	01.04.2023 से 20.02.2024	1	1
श्री आलोक वाजपेयी	01.04.2023 से 31.03.2024	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। वर्तमान में बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि :

क्र. सं.	नाम	क.कू.सं.	पदनाम	वेतन (ए)	परिलब्धियां (बी)	वित्त वर्ष 2023-24 में कुल पारिश्रमिक	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ (डी)
1	श्री संजीव चड्ढा	187152	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त)	9,82,872.00	2,79,655.00	12,62,527.00	6,00,000.00	1,98,43,158.00
2	श्री देबदत्त चांद	200348	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.07.2023 से)	39,01,266.00	5,36,871.00	44,38,137.00	4,00,000.00	0.00
3	श्री अजय कुमार खुराना	187317	कार्यपालक निदेशक (31.03.2024 को सेवानिवृत्त)	35,65,320.00	5,73,195.00	41,38,515.00	4,00,000.00	0.00
4	श्री जयदीप दत्ता राय	199785	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 तक)	32,62,662.00	4,86,741.00	37,49,403.00	4,00,000.00	91,299.00
5	श्री ललित त्यागी	200061	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से)	33,54,709.00	5,42,846.00	38,97,555.00	1,33,000.00	0.00
6	श्री लाल सिंह	200390	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से)	15,72,693.00	2,04,002.00	17,76,695.00	0.00	0.00
7	श्री संजय मुदालियर	200409	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से)	6,79,254.00	4,800.00	6,84,054.00	0.00	0.00

सूचीबद्ध संस्था की तुलना में गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन - शून्य

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹)
1	डॉ. हसमुख अढ़िया*	22,91,667/-
2	श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	25,00,000/-
3	श्री अजय सिंघल	25,00,000/-
4	श्रीमती सौंदरा कुमार*	18,75,000/-
5	श्री श्रीधर श्रीनिवासन*	25,00,000/-
6	श्री आलोक वाजपेयी	25,00,000/-
7	श्रीमती नीना नागपाल	6,25,000/-

*इस वर्ष के दौरान सदस्यता समाप्त हुई।

आम सभा की बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की 27वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 07 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. डॉ. हसमुख अढ़िया — अध्यक्ष
2. श्री देबदत्त चांद — प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. श्री अजय के. खुराना — कार्यपालक निदेशक
4. श्री जयदीप दत्ता राय — कार्यपालक निदेशक
5. श्री ललित त्यागी — कार्यपालक निदेशक
6. श्री अजय सिंघल — निदेशक
7. श्री श्रीनिवासन श्रीधर — निदेशक (शेयरधारक)
8. श्रीमती सौंदरा कुमार — निदेशक (शेयरधारक) - अध्यक्ष, एसीबी
9. श्री आलोक वाजपेयी — निदेशक (शेयरधारक) - अध्यक्ष, एसआरसी

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकों/ पोस्टल बैलट के विवरण निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	कार्यवाही
ईजीएम	21 दिसंबर 2023 प्रातः 11. 00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	श्रीमती नीना नागपाल का शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचन
27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	07 जुलाई 2023 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा।
26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 जून 2022 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश का अनुमोदन और घोषणा।
ईजीएम	07 दिसंबर 2021 प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	श्री श्रीनिवासन श्रीधर का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचन।
25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	08 जुलाई 2021 प्रातः 11. 00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से	• वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों का अनुमोदन। • विशेष संकल्प द्वारा विभिन्न माध्यमों से ₹2,000/- करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने को अनुमोदन। • कैरी फारवर्ड हानि के समायोजन के लिए शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन को अनुमोदन। • श्री आलोक वाजपेयी का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचन।

संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और हितधारकों को प्रमुख घटनाओं से अवगत कराने की आवश्यकता को समझता है। बैंक के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां बोर्ड की बैठक के समापन के तुरंत बाद सूचीबद्ध होती हैं। यह परिणाम कम से कम दो या दो से अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें से एक का प्रकाशन पूरे भारत या भारत के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा गुजरात राज्य में, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट के माध्यम से शेयरधारकों को अपने तिमाही वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के लिए विश्लेषकों की बैठक, मीडिया सम्मेलन आदि का आयोजन भी करता है। बैंक के तिमाही/ ईयर-टू-डेट /वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की प्रति और बैंक द्वारा की गई अन्य घोषणाएं बैंक की वेबसाइट - http://www.bankofbaroda.in पर पोस्ट की जाती हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में विश्लेषकों की बैठक के दौरान विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति का वेबकास्ट (लाइव और संग्रहीत) वेबसाइट पर अपलोड किए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल,2023 से 31 मार्च,2024
लेखों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने के लिए निदेशक मण्डल की बैठक	10 मई 2024
लेखा बंदी तारीख	29 जून 2024 से 05 जुलाई 2024
लाभांश के लिए निर्धारित तारीख	28 जून 2024
लाभांश भुगतान की तारीख	घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर
28वीं एजीएम की तारीख, समय और स्थान	तारीख : 05 जुलाई 2024 समय : प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. "एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

अवधि	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)		बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज)	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
अप्रैल-23	188.50	165.10	188.35	165.10
मई-23	190.00	172.80	190.05	172.85
जून-23	198.55	182.65	198.50	182.65
जुलाई-23	210.80	190.00	210.80	189.95
अगस्त-23	202.90	185.75	202.80	185.75
सितंबर-23	219.65	186.30	219.60	186.45
अक्तूबर-23	218.20	187.85	218.35	187.95

अवधि	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)		बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज)	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
नवंबर-23	204.25	190.65	204.20	190.60
दिसंबर-23	235.95	198.35	235.95	198.55
जनवरी-24	250.00	219.35	249.85	219.45
फरवरी-24	280.75	242.65	280.85	242.70
मार्च-24	285.60	243.80	285.50	243.90

बी. अप्रैल,2023 से मार्च, 2024 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)

तारीख	निफ्टी 50	% परिवर्तन	निफ्टी बैंक	% परिवर्तन	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)	% परिवर्तन
28- अप्रैल -23	18065.00		43233.90		187.75	
31-मई-23	18534.40	2.60%	44128.15	2.07%	185	-1.46%
30-जून-23	19189.05	3.53%	44747.35	1.40%	190.35	2.89%
31-जुलाई-23	19753.80	2.94%	45651.10	2.02%	202.2	6.23%
31-अगस्त-23	19253.80	-2.53%	43989.15	-3.64%	187.15	-7.44%
30-सितं-23	19638.30	2.00%	44584.55	1.35%	213.95	14.32%
31-अक्तू-23	19079.60	-2.84%	42845.95	-3.90%	196.2	-8.30%
30-नवंबर-23	20133.15	5.52%	44481.75	3.82%	197.1	0.46%
29-दिसंबर-23	21731.40	7.94%	48292.25	8.57%	231.1	17.25%
31-जनवरी-24	21725.70	-0.03%	45996.80	-4.75%	247.6	7.14%
29-फरवरी-24	21982.80	1.18%	46120.90	0.27%	265.45	7.21%
28-मार्च-24	22326.90	1.57%	47124.60	2.18%	264.05	-0.53%
तारीख	**एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स**	**%परिवर्तन**	**एस एंड पी बीएसई बैंकेक्स**	**% परिवर्तन**	**बॉब बीएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)**	**% परिवर्तन**
28-अप्रैल-23	61112.44		48981.83		187.8	
31-मई-23	62622.24	2.47%	50017.52	2.11%	185	-1.49%
30-जून-23	64718.56	3.35%	50500.57	0.97%	190.35	2.89%
31-जुलाई-23	66527.67	2.80%	51432.39	1.85%	202.15	6.20%
31-अगस्त-23	64831.41	-2.55%	49371.95	-4.01%	187.2	-7.40%
30-सितं-23	65828.41	1.54%	50174.68	1.63%	213.8	14.21%
31-अक्तू-23	63874.93	-2.97%	48448.07	-3.44%	196.1	-8.28%
30-नवंबर-23	66988.44	4.87%	50292.51	3.81%	197.25	0.59%
29-दिसंबर-23	72240.26	7.84%	54378.31	8.12%	231.1	17.16%
31-जनवरी-24	71752.11	-0.68%	51999.08	-4.38%	247.7	7.18%
29-फरवरी-24	72500.30	1.04%	52456.58	0.88%	265.75	7.29%
28-मार्च-24	73651.35	1.59%	53515.19	2.02%	264.2	-0.58%

- व्यापार से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण - शून्य

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं:-

नाम	केफिन टेक्नोलोजी लिमिटेड
पता	यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032
ई मेल	einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नं.	1800 309 4001
व्हाट्सऐप नं.	(91) 910 009 4099
केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन)	https://kprism.k fintech.com/
केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट	https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट	https://riskfintech.com/
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक)	https://riskfintech.com/clients services/isc

निजी रूप से रखे गए बॉन्ड के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग भूतल, सर पीएम रोड फोर्ट, मुंबई- 400001 ई मेल : itslcompliance@idbitrustee.com टेली: (91) 8655623686 / 8097474612
केनरा बैंक ईटी एवं टी सेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विंग केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय 112 जे सी रोड, बेंगलुरु - 560002 टेली: 080-22223165 / Ext:570 ई मेल : trustees@canarabank.com
कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.: यूनिट नं.- 901, 9वीं मंजिल, टॉवर-बी पेनिनसुला, बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग लॉवर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013 ई मेल : ComplianceCTL-Mumbai@ctltrustee.com टेली: +9122-49220590/ Extn-587/537
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 ई मेल : md@cfsl.in; jaya.tiwari@cfsl.in टेली: 84258 17887
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल (एसडब्ल्यू) 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई - 400028 ई मेल : teamdelta@axistrustee.in टेली: 022 - 6230 0417

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों के समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को भी निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय 7 वां तल, बड़ौदा भवन आर.सी. दत्त रोड अल्कापुरी, वडोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : cs.ho@bankofbaroda.com

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2024 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

1	भारत सरकार	1	3308184689	63.97
2	विदेशी पोर्टफोलियो-कॉर्प	736	641354580	12.40
3	म्यूचुअल फंड	207	444017875	8.59
4	निवासी व्यक्ति	1326190	324038874	6.27
5	बीमा कंपनियां	12	263298370	5.09
6	पात्र संस्थागत क्रेता	72	122397148	2.37
7	निकाय निगम	3584	21927885	0.42
8	अनिवासी भारतीय	9241	13142743	0.25
9	वैकल्पिक निवेश निधि	24	12152445	0.24
10	एचयूएफ	12515	9259478	0.18
11	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	6208	4944031	0.10
12	आईईपीएफ	1	2856646	0.06
13	कर्मचारी	1368	1377506	0.03
14	बैंक	16	1093884	0.02
15	ट्रस्ट	52	791030	0.02
16	समाशोधन सदस्य	28	304116	0.01
17	ओवरसीज कॉर्पोरेट निकाय	3	110000	0.00
18	एनबीएफसी	13	32396	0.00
19	निदेशक एवं उनके संबंधी	4	24082	0.00
20	विदेशी संस्थागत निवेशक	12	22000	0.00
21	सीमित देयता सार्वजनिक सदस्य	7	11955	0.00
22	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	1	10000	0.00
23	भारतीय वित्तीय संस्थान	1	4752	0.00
24	विदेशी नागरिक	5	4146	0.00
25	निदेशक	3	800	0.00
26	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	2	544	0.00
27	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1	204	0.00
	कुल	**1360307**	**5171362179**	**100**

बी. शेयरधारकों का वितरण - 31 मार्च 2024 तक श्रेणीवार

क्र. सं.	श्रेणी (शेयर)	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
1	1 - 5000	1352473	99.42	256951351	4.97
2	5001 - 10000	4730	0.35	32995487	0.64
3	10001 - 20000	1296	0.10	18461892	0.36
4	20001 - 30000	398	0.03	9911180	0.19
5	30001 - 40000	161	0.01	5683848	0.11
6	40001 - 50000	166	0.01	7677339	0.15

क्र. सं.	श्रेणी (शेयर)	धारकों की संख्या	धारकों का %	शेयरों की संख्या	इक्विटी %
7	50001 - 100000	310	0.02	22372850	0.43
8	100001 और उससे अधिक	773	0.06	4817308232	93.15
	कुल:	**1360307**	**100.00**	**5171362179**	**100.00**

सी. प्रतिभूतियों का डिमैटरलाइजेशन:

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते है एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के डिमैटरलाइजेशन के लिए करार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों का एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से डिमैटरलाइजेशन कर सकते हैं।

31 मार्च 2024 को बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र. सं.	धारिता का प्रकार	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत %
1	भौतिक	113527	29556381	0.57
2	एनएसडीएल	470513	1653195519	31.97
3	सीडीएसएल	776267	3488610279	67.46
	कुल :	**1360307**	**5171362179**	**100.00**

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 इक्विटी शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2024 तक रद्द कर दिए गए।

31 मार्च 2024 तक एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:

ए . उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नामे किए गए शेयर		31 मार्च 2024 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ को अंतरित	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
69	86000		43	46500	26	39500

बी. एस्क्रो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष		वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नामे किए गए शेयर		31 मार्च 2024 को उपलब्ध अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ को अंतरित	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
154	92390		129	73265	25	19125

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक प्रणाली से भुगतान

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मैंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपने मैंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मै. केफिन टेक्नोलॉजीज लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

सचिवालीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स आर एस पाडिया एंड एसोसिएट्स को वार्षिक सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट से संबधित कार्य हेतु प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्षिक सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

प्रकटीकरण :

1. यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है।

2. बैंक पर पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज/ किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है।

3. हम सेबी द्वारा सेबी सूचीयन विनियमन अनुसूची V के उप अनुच्छेद (2) से (10) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

4. सभी निदेशकों द्वारा ये प्रकटीकरण किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

5. बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य।

6. बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अत: “कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां” शून्य हैं।

7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:**

   बैंक के स्वतंत्र निदेशक के लिए आयोजित किए गए परिचय कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in पर शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।

8. **व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश**

   भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए बैंक के व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in पर शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है।

9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**

   संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी बैंक की नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in पर शेयरधारक कॉर्नर खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।

10. **वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व निपटान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**

वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
22	15	07

11. **संबंधित वित्त वर्ष अर्थात् 2023-24 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नामे लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची।**

    बैंक द्वारा जारी सभी ऋण लिखतों एवं सावधि जमा कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष अर्थात् 2023-24 के दौरान रेटिंग में संशोधन के विवरणों के साथ बैंक की रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं;

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की रेटिंग का सारांश - वित्तीय वर्ष-2023-24

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
आईसीआरए	बेसल III टियर-I बॉन्ड	ICRA AA+ (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
	बेसल III टियर II बॉन्ड	ICRA AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	ICRA AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
	सावधि जमा कार्यक्रम	ICRA AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
केयर	टियर II बॉन्ड (बेसल III)	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट
	अपर टियर II बॉन्ड (बेसल II)	CARE AAA; Stable	पुन: अभिपुष्ट
इंडिया रेटिंग	दीर्घावधि इश्युअर रेटिंग	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	जमा प्रमाणपत्र	IND A1+	निर्दिष्ट
	बेसल III टियर 2 लिखत	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	बेसल III एटी-I बॉन्ड	IND AA+/Stable	अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बॉन्ड	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट
	सावधि जमा	IND AAA/Stable	अभिपुष्ट

रेटिंग एजेंसी	लिखत	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग कार्रवाई
ब्रिकवर्क	अपर टियर II बॉन्ड - ट्रेंच II (बेसल II के तहत)	BWR AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	BWR AAA (Stable)	पुन: अभिपुष्ट
क्रिसिल	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/Stable	निर्दिष्ट
	अपर टियर II बॉन्ड (बेसल II के तहत)	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट
	टियर I बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AA+/Stable	पुन: अभिपुष्ट
	टियर II बॉन्ड (बेसल III के तहत)	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट
	इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	CRISIL AAA/Stable	पुन: अभिपुष्ट
मूडीस	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिवास)**		
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	बैंक जमाराशियां	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	आधारभूत ऋण मूल्यांकन	ba3	अभिपुष्ट
	समायोजित आधारभूत ऋण मूल्यांकन	ba3	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)	अभिपुष्ट
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (लंदन)		
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम रेटिंग	Baa3/P-3	अभिपुष्ट
	प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन	Baa3(cr)/P-3(cr)	अभिपुष्ट
	सीनियर गैर-प्रतिभूत	Baa3	अभिपुष्ट
फिच	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिवास)**		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	अल्पावधि आईडीआर	F3	अभिपुष्ट
	व्यवहार्यता रेटिंग	bb-	अभिपुष्ट
	सरकार समर्थित रेटिंग	bbb-	अभिपुष्ट
	अल्पावधि आईडीआर (xgs)	B (xgs)	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि आईडीआर (xgs)	BB- (xgs)	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि सीनियर गैर-प्रतिभूत	BBB-	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि सीनियर गैर-प्रतिभूत (xgs)	BB- (xgs)	अभिपुष्ट
	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड		
	दीर्घावधि आईडीआर	BBB-	अभिपुष्ट
	आउटलुक	Stable	अभिपुष्ट
	दीर्घावधि आईडीआर (xgs)	BB-(xgs)	अभिपुष्ट

12. इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंधन तंत्र पर निर्भर नहीं हैं - हां

13. जहां वित्त वर्ष 2023-24 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया - शून्य

14. विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग के ब्यौरे - शून्य क्योंकि वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटाई नहीं गईं।

15. सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस है - ₹ 104.75 करोड़ ।

16. कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा कंपनी के निदेशक

के रूप में नियुक्त करने अथवा बने रहने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. - प्राप्त किया गया।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	**बोर्ड** सूचीबद्ध कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी ड्यूटी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।	दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं।
2	**शेयरधारक के अधिकार** पिछली छमाही में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जा सकती है।	बैंक अपने तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट एवं बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है। बैंक शेयरधारकों की सूचना के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप वित्तीय परिणामों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है।
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत** कंपनी को अशर्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए।	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त नहीं है।
4	**अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।	बैंक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद अलग-अलग हैं। हालाँकि, दिनांक 01-03-2024 से कोई गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं।
5	**आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

विनियम क्रम.	शीर्षक/ संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
17	निदेशक मंडल	अनुपालन किया गया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970" के अधीन है। अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे। **बोर्ड मूल्यांकन** बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार - गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है।
17ए	निदेशकों की अधिकतम संख्या	अनुपालन किया गया है
18	लेखा परीक्षा समिति	अनुपालन किया गया है
19	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	अनुपालन किया गया है
20	हितधारक संबंधपरक समिति	अनुपालन किया गया है
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया है
22	सतर्कता प्रणाली	अनुपालन किया गया है
23	संबंधित पार्टी लेनदेन	अनुपालन किया गया है

विनियम क्रम.	शीर्षक/संक्षिप्त विवरण	अनुपालन स्थिति
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता	अनुपालन किया गया है
24ए	सचिवालीय लेखा परीक्षा और सचिवालीय अनुपालन रिपोर्ट	अनुपालन किया गया है
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में दायित्व	विनियमन 17 के अनुसार - यथा उपर्युक्त
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	अनुपालन किया गया है
27	अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया है
46	वेबसाइट	अनुपालन किया गया है

शेयरधारकों हेतु संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजी लि.,
यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर - बी,
प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032.
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री/फोन नंबर : 1800 309 4001
व्हाट्सऐप नंबर : (91) 910009 4099 **केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन):** https://kpriism.kfintech.com/
केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट: https://www.kfintech.com
आरटीए वेबसाइट: https://ris.kfintech.com
निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
निवेशक सेवाएं विभाग,
7वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर
सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051
टेलीफोन: 022-6698 5731/ 5743
सामान्य नंबर: 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स)
ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com
बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक कॉर्नर सेक्शन
- https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ कार्यपालक को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

ए) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना।

बी) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना।

सी) केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना।

डी) आरटीआई संबंधित सभी विषयों हेतु आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना। बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारू बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है। बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है। शीर्ष प्रबंधन की मान्यताएं किसी संगठन के मार्गदर्शक मूल्यों और नैतिक वातावरण को निर्धारित करती हैं। कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुपालन समिति जिसके अन्य सदस्यों में व्यावसायिक वर्टिकल और संबद्ध कार्यों से जुडे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी मामलों पर निगरानी रखती है।

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विदेशों में जहां पर बैंक के

कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

बैंक में अनुपालन को और सशक्त करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र, अंचल और विदेशी टेरिटरी में समर्पित अनुपालन अधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुपालन कार्य के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय के प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी निर्धारित किया गया है। इन अनुपालन अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय से की जा रही है। इसी प्रकार की अनुपालन व्यवस्था बैंक की घरेलू और विदेशी अनुषंगियों में की गई है जिसमें समर्पित अनुपालन अधिकारी और टीम शामिल हैं। बैंक अनुपालन के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। बैंक में अनुपालन संस्कृति के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साप्ताहिक अंतराल पर 'अनुवृत्ति' शीर्षक से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।

अनुलग्नक 1 निदेशक मंडल का गठन

श्री देबदत्त चांद - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 31 जनवरी, 1971)

श्री देबदत्त चांद ने दिनांक 1 जुलाई, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। श्री चांद को बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में कार्य करने का 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री चांद ने मार्च 2021 से जून 2023 तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी और तत्पश्चात जुलाई, 2023 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में आप कॉर्पोरेट और संस्थागत ऋण, कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड कॉर्पोरेट कारोबार और व्यापार और विदेशी मुद्रा संबंधी कार्यों का प्रबंधन कर रहे थे। साथ ही आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय, घरेलू सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, धन संपदा प्रबंधन, पूंजी बाजार, एनआरआई कारोबार सहित मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और आयोजना, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि, अनुपालन, शिक्षण एवं विकास, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सूचना सुरक्षा और संपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख संगठन- कार्यों का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण किया है।

श्री चांद ने वर्ष 1994 में इलाहाबाद बैंक में अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। तत्पश्चात वर्ष 1998 से 2005 तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात वर्ष 2005 में, आपने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यग्रहण किया और निरंतर आगे बढ़ते हुए मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। पीएनबी में अपने 15 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान आपने जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी में विभिन्न पदों और फील्ड ऑपरेशन्स जिसमें उप महाप्रबंधक के रूप में पटना अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय के प्रमुख एवं बरेली क्षेत्र के सर्कल प्रमुख, महाप्रबंधक के रूप में एकीकृत ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख और बतौर मुख्य महाप्रबंधक मुंबई अंचल के अंचल प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया। आपने पीएनबी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड और स्विफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में पंजाब नैशनल बैंक के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया। इंफ्राडेब्ट लिमिटेड के बोर्ड में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है। साथ ही श्री चांद ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वर्तमान में श्री चांद बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बॉब कार्डस् लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तथा नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। साथ ही, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के गवर्निंग बोर्ड, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) सोसाइटी, गुड़गांव के जनरल बॉडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

श्री चांद भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फॉरम के तत्वावधान में "इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस" पर संयुक्त कार्य समूह के सह-अध्यक्ष हैं। आप जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन पर आईबीए की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। श्री चांद पूंजी बाजार कनेक्टिविटी संबंधी भारत-यूके वित्तीय साझेदारी (आईयूकेएफपी) कार्य समूह में भी शामिल हैं ।

श्री चांद ने बी.टेक, एमबीए, सीएआईआईबी किया है। साथ ही उन्होंने इक्विटी रिसर्च में पीजी डिप्लोमा किया है और वे एक सर्टिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। श्री चांद ने प्रबंधन में पीएचडी भी की है।

श्री अजय के खुराना - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 17 मार्च, 1964)

श्री अजय के खुराना ने 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के पद का दायित्व संभालने से पूर्व आपने दिनांक 20.09.2018 से 31.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के तौर पर सेवाएं प्रदान की।

आपने दिनांक 15.11.1988 को विजया बैंक में अधिकारी के रूप में सेवा ग्रहण की। आपके पास 17 वर्षों तक फील्ड स्तर के विभिन्न पदों पर तथा 4 वर्षों तक विजया बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। आप बैंक में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए। श्री अजय के खुराना को बैंक के महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे कि ऑडिट, एनपीए वसूली, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट में कार्य करने का गहन अनुभव है।

आपने दिनांक 20.09.2018 को कार्यपालक निदेशक के रूप पदोन्नति प्राप्त कर विभिन्न पोर्टफोलियो यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वसूली, एमएसएमई, मिड कॉर्पोरेट एवं केंद्रीय लेखा विभाग के कार्यों को संभाला है।

श्री ललित त्यागी- कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 14 जून, 1971)

श्री ललित त्यागी ने वर्ष 1996 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने कॅरियर की शुरूआत की और आपके पास वाणिज्यिक बैंकिंग के विभिन्न आयामों विशेष रूप से कॉर्पोरेट वित्त, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और प्रशासनिक भूमिकाओं में कार्य करने का 27 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। आप एक ऑपरेशनल बैंकर रहे हैं, आपको भारत और विदेशों में विभिन्न शाखाओं/ कार्यालयों में काम करने का व्यापक अनुभव है, इसमें बैंक के विदेशी परिचालनों में दो कार्यकाल अर्थात् ब्रुसेल्स, बेल्जियम और न्यूयॉर्क, यूएसए शामिल हैं।

आपने बैंक की महत्वपूर्ण इकाइयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है, जिनमें बेंगलुरू क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख, बैंक की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवा शाखा, मुंबई के महाप्रबंधक व शाखा प्रमुख और बैंक की सबसे बड़ी विदेशी टेरीटरी यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य कार्यपालक) के रूप में प्रदान की गई सेवाएं प्रमुख हैं।

दिनांक 21 नवंबर 2022 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप

में नियुक्ति से पूर्व आप बैंक के यूएस परिचालन, न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यरत थे। पूर्व में आपने कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल-केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के निदेशक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आई.एन.सी. के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया इन्फ्राडेब्ट लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड में नामित निदेशक हैं।

वर्तमान में आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कॉर्पोरेट और संस्थागत बैंकिंग, ट्रेजरी और वैश्विक बाजार, मिड-कॉर्पोरेट व्यवसाय, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और घरेलू अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य देख रहे हैं।

इससे पूर्व आपने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण, ऋण निगरानी, संग्रहण, विधि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे प्रमुख विभागों से जुडे कार्यों की निगरानी की है।

श्री त्यागी अपने नेतृत्व और प्रेरणादायी कौशल के लिए जाने जाते हैं।

आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पुणे से बैंकिंग एंड फाइनेंस (पीजीडीबीएफ) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के रूप में जाना जाता है) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकरों की श्रेणी में भावी नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए चयनित किया गया है।

श्री संजय विनायक मुदालियर - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 02 जुलाई, 1968)

इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री संजय विनायक मुदालियर ने दिनांक 31 जनवरी, 2024 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और लंदन से प्रमाणित परियोजना प्रबंधन पेशेवर हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले, श्री मुदालियर इंडियन ओवरसीज बैंक के केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई में पदस्थ थे। इससे पहले, आप 18 देशों में विस्तृत बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वैश्विक परिचालन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

आप एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें विभिन्न उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों में 30 वर्षों से अधिक का कार्य-अनुभव है। इनमें से 25 वर्षों तक आप देश में और यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न पदों पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

अपने तकनीकी-कार्यात्मक ज्ञान के साथ, आपने उत्पाद नवोन्मेषिता और प्रक्रिया उन्नतिकरण पर विभिन्न कार्य समूहों/ समितियों में अहम योगदान दिया है। आप बैंकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रमुख उद्योग स्तरीय पहलों से भी जुड़े रहे हैं। आप भारत एवं विदेश स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 5 कंपनियों/ सहायक कंपनियों में नामित निदेशक रहे हैं।

आप विश्लेषणात्मक और निष्ठावान होने के साथ-साथ बदलती आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आप एक उत्साही पर्यटक, गंभीर पाठक और लंबी दूरी की सैर में अभिरूचि रखते हैं।

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 11 जनवरी, 1967)

श्री लाल सिंह ने दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने कॅरियर की शुरूआत वर्ष 1990 में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में ग्रामीण विकास अधिकारी के रूप में की। एक कॅरियर उन्मुखी बैंकर के रूप में, आपके पास एमएसएमई क्रेडिट, कॉर्पोरेट वित्त, ग्रामीण एवं कृषि व्यवसाय और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में 33 वर्षों का व्यापक कार्यानुभव है।

आपने अंचल प्रमुख के रूप में वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई जैसे बड़े और प्रतिष्ठित अंचलों सहित मुंबई पश्चिम और उदयपुर (राजस्थान) जैसे क्षेत्रों का भी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। श्री सिंह को मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी व ग्रामीण (एमयूएसआर) क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में क्षेत्रीय प्रमुख और शाखा प्रमुख के रूप में आपने बैंक के कारोबार वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के उपरांत, आपने बैंक के एमएसएमई, ग्रामीण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में व्यावसायिक रूपांतरण का नेतृत्व किया। यूनियन बैंक में अपने पिछले कार्यदायित्व के दौरान आप बैंक के नीतिपरक मानव संसाधन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान आपने एक नई कार्य-निष्पादन संस्कृति, उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित की और बैंक के 75,000+ कर्मचारियों के प्रतिभा जुड़ाव में आवश्यक सुधार से संबंधित बैंक के प्रमुख प्रोजेक्ट 'यूनियन प्रेरणा' का प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। आपके नेतृत्व में, मानव संसाधन संबंधी पहलों को प्रमुख वैश्विक संगठनों से 12 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए और बैंक ने डिजिटल और डेटा सक्षमता के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया। आपने कर्मचारियों में बाज़ार के अनुरूप कौशल के निर्माण हेतु शिक्षण के क्षेत्र में एक समृद्ध इको सिस्टम बनाते हुए उन्नत शिक्षण एवं विकास इकाई की भी स्थापना की।

आप कई बोर्ड स्तर के और नेतृत्व स्तर के पदों पर सेवा दे चुके हैं। आप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश की पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने संबंधी योजना (बीजीआरईआई) और ऋण जमा अनुपात उप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आपने यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीआईसीओ), मेसर्स नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड (नाबार्ड की सहायक कंपनी), पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ़ इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड (सिडबी), भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के ट्रस्टी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट(यूबीएसएफटी) के साथ-साथ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के कर्मचारी पेंशन ट्रस्ट, भविष्य निधि एंड ग्रेच्युटी बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

आप मानव संसाधन विकास, टीम निर्माण व अभिप्रेरणा और ग्राहकों के साथ जुड़ाव में कुशलता के लिए जाने जाते हैं।

आप कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर, भारतीय बैंकर संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं और ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीआईटीआईआरएम), एएमएफआई और सीईबीए के डिप्लोमा धारक हैं।

आपने माइक्रो फाइनेंस में सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यूवीए डार्डन स्कूल ऑफ़ बिजनेस - वर्जीनिया, यूएसए और आईएसबी, हैदराबाद में ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप प्रोग्राम में प्रतिभागिता की है। आप आईआईएम बैंगलुरु और ईगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब एफएसआईबी) द्वारा चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के पहले बैच का हिस्सा रहे हैं।

श्री मुकेश बंसल- निदेशक (गैर-कार्यकारी) - भारत सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 05 अगस्त, 1978)

श्री मुकेश कुमार बंसल भारतीय प्रशासनिक सेवा (2005 बैच) के अधिकारी हैं। आप वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री बंसल वाणिज्य में स्नातक हैं और स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए से एमबीए भी किया है। आपने इग्नू से एम.ए (अर्थशास्त्र) की परीक्षा भी पास की है।

अक्तूबर, 2022 के दौरान वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी पदस्थापना से पूर्व आपने मार्च 2020 से अक्तूबर 2022 तक माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति से पूर्व श्री बंसल ने अपने कैडर राज्य, छत्तीसगढ़ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपने जिला पंचायत, उत्तरी बस्तर, कांकेर के सीईओ एवं नगर निगम, बिलासपुर के आयुक्त के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने 2011 से 2017 तक तीन जिलों कबीरधाम, रायगढ़ एवं राजनांदगांव में कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया है। आप 2017 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव थे, साथ ही इस दौरान आपने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त पदभार भी संभाला। इसके अलावा आपने कृषि, जनजातीय विकास, ग्रामीण उद्योग जैसे विभिन्न विभागों में विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम- निदेशक (गैर-कार्यकारी)- भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 24 नवंबर, 1959)

भारत सरकार के दिनांक 13 अप्रैल 2021 की अधिसूचना द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत श्रीमती पार्वती वी सुंदरम को बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती पार्वती वी सुंदरम ने एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद आप मार्च 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुई तथा 5 से अधिक केंद्रों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों में विविध पदों पर कार्य किया। आपको कुछ बड़े बैंकों के निदेशक मंडलों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल/ समितियों में भारतीय रिज़र्व बैंक की नामिती के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। आपने भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन तथा विधि विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया और आप नवंबर 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हुई।

केन्द्रीय बैंकिंग विनियमन तथा पर्यवेक्षण में आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यदायित्व निम्नानुसार रहे:-

- वर्ष 2015-17 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की प्रत्यक्ष निगरानी जिसमें समीक्षा की योजना एवं निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, निष्कर्षों की जांच एवं सत्यापन, क्रिस्टलीकरण एवं कनवेयेंस प्रावधान, बैंकों के शीर्ष प्रबंधनों के साथ विचार-विमर्श, पूंजी आंकलन, परिदृश्य विश्लेषण, अभ्यावेदनों की समीक्षा तथा प्रभाव आकलन आदि शामिल हैं।
- सभी बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर माइग्रेशन तथा विनियामक एवं प्रणालीगत बदलावों को शामिल करने के लिए समय-समय पर मॉडल में सुधार करना, छोटे विदेशी बैंकों के लिए एक छोटा बैंक वेरियंट मॉडल विकसित करना जो स्थानीय परिचालन पर केन्द्रित हो तथा पर्यवेक्षण हेतु प्रक्रियाओं और कौशल में विकास करना।
- बैंकों के लिए संशोधित पीसीए दिशानिर्देशों के निर्धारण, अनुकूलन तथा अंतिम स्वरूप देने संबंधी कार्य की निगरानी।

आप भारतीय रिज़र्व बैंक के सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक अध्ययन समूह तथा भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सदस्य रही हैं।

श्री अजय सिंघल - निदेशक (गैर-कार्यकारी)

(जन्मतिथि: 14 दिसंबर, 1974)

केंद्र सरकार द्वारा श्री अजय सिंघल को दिनांक 21 दिसंबर, 2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री सिंघल पेशे से सनदी लेखाकार हैं। उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से एलएलबी की परीक्षा भी पास की है। विगत 20 वर्षों के दौरान उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लेखा परीक्षा, कराधान, बैंकिंग व वित्त आदि शामिल हैं।

श्री सिंघल ने वर्ष 2016-17 के दौरान सीआईआरसी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड ऑफ़ इंडिया की ग्वालियर शाखा के अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा प्रदान की है। श्री सिंघल ने अगस्त 2018 से जुलाई 2021 तक बामर लॉरी निवेश लिमिटेड (पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम) में भी स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्य किया तथा निदेशक मंडल की ऑडिट समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री सिंघल मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वे विभिन्न सामाजिक एवं वाणिज्यिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। वे मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ग्वालियर के कार्यपालक सदस्य हैं।

श्री सिंघल ने विधि, बैंकिंग चार्टेड अकाउंटेंसी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार व सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है और समाज के पिछड़े वर्ग को प्रशिक्षण दिए जाने व उन्हें प्रेरित करने में उनकी विशेष अभिरुचि है।

श्री आलोक वाजपेयी - निदेशक (गैर-कार्यकारी) - शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 अगस्त, 1960)

श्री आलोक वाजपेयी को वित्तीय सेवाओं और गवर्नेंस के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है और आपने वैश्विक पूंजी बाजार, निवेश एवं धनसंपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और तत्पश्चात एक सफल उद्यमी के रूप में यूके, एशिया एवं भारत में कार्य किया है।

आपने लंदन स्थित ईवाई में कार्य किया है और लंदन तथा एशिया में स्विस बैंक कॉर्पोरेशन, एशिया और भारत में बार्कलेज बैंक तथा भारत में डीएसपी मेरिल लिंच, डीएसपी ब्लैकरॉक और डाइवा जैसे वैश्विक संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। आपने वर्ष 2009 में एक बड़े विविध वित्तीय सेवा कारोबार डॉने डे एवी की स्थापना की और सफलतापूर्वक इसकी बिक्री की। आपने सेबी, एएमएफआई, भारतीय रिज़र्व बैंक और एक्सचेंजों - बीएसई और एनएसई जैसे भारतीय नियामक संस्थाओं में विभिन्न पदों एवं समितियों में कार्य किया है और फिनटेक पर भारत में डीआईटी (यूके सरकार) के बाह्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

श्री आलोक वाजपेयी वर्ष 2012 से विभिन्न कंपनियों के कार्यनीतिक सलाहकार, उद्यमी, निवेशक और बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं एवं चयनित व्यक्तियों के विश्वसनीय सलाहकार भी रहे हैं। आपने हाल ही में भारत में एक प्रमुख जैविक खाद्य कंपनी कॉन्शियस फूड लिमिटेड का अधिग्रहण भी किया है और इसके अलावा आप वर्तमान में मुख्य रूप से वित्तीय, एफएमसीजी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

आप मेसर्स एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी, मेसर्स कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेस (आईआईएएस), मेसर्स लिटिलमोर इनोवेशन पीटीई लिमिटेड और मेसर्स सुला विनेयाड्‌र्स प्रा. लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं । आप इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी थे और जुलाई, 2021 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल में नियुक्त होने से ठीक पहले आपने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बैंक के पास इसका स्वामित्व है और यह कंपनी का एक प्रमुख शेयरधारक हैं ।

श्री आलोक वाजपेयी का जन्म वर्ष 1961 में हुआ। आप इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं और आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में विशेषज्ञता के साथ बीएससी (इकॉन) की डिग्री प्राप्त की है।

श्रीमती नीना नागपाल- निदेशक (गैर-कार्यकारी)- शेयरधारक निदेशक

(जन्मतिथि: 6 दिसंबर, 1963)

श्रीमती नीना नागपाल ने दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड में नियुक्ति से पूर्व, आप सिटीकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड (सीएफआईएल) जो कि सिटीग्रुप की एक गैर-बैंक वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है, की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रह चुकी हैं ।

आप बोर्ड ऑफ़ इंडिया इंफ्रा डेब्ट लिमिटेड (आईआईडीएल) में नामित निदेशक भी रह चुकी हैं।

वर्ष 2014 में सिटीग्रुप में शामिल होने से पूर्व, श्रीमती नीना नागपाल मॉर्गन स्टेनली इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं कंट्री चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तथा इसके एनबीएफसी की सीईओ रह चुकी हैं। इससे पहले, आप भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया की नेतृत्व टीम में भी रह चुकी हैं। आपने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रतिभूति बाजारों के संस्थागत विकास के उद्देश्य से यूएसडी 20 एमएम यूएस-इंडिया द्विपक्षीय परियोजना की संकल्पना एवं दस्तावेजीकरण का कार्य किया।

आप कई विनियामक, उद्योग समितियों और बोर्ड में रह चुकी हैं। सलाहकार, परियोजना प्रबंधन, पूंजी बाजार, निवेश और वाणिज्यिक बैंकिंग में अनुभव से संपन्न आप वित्तीय सेवा उद्योग की अनुभवी प्रोफेशनल हैं।

श्रीमती नागपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया है। आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त में स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्य भी किया है।

निदेशकों से संबंधित अन्य विवरण:

अनुलग्नक - 1ए

(यथास्थिति 31.03.2024)

निदेशक का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*)	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों /इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल
श्री देबदत्त चांद	शून्य	12	शून्य	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. बॉबकार्ड लिमिटेड 3. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड 4. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (गवर्निंग काउंसिल के सदस्य)
श्री अजय के खुराना	482	9	1	1. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड
श्री ललित त्यागी	6500	9	1	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड
श्री संजय विनायक मुदालियर	6400	9	1	शून्य
श्री लाल सिंह	शून्य	9	1	शून्य
श्री मुकेश बंसल	शून्य	3	2	1.माइक्रो यूनिट डवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) 2. नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) 3. आईएफसीआई लिमिटेड 4. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5. नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (एनआईए), पुणे (सदस्य) 6. कॉउन्सिल ऑफ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऐक्चूएरीज ऑफ़ इंडिया (सदस्य) 7. बीमा लोकपाल परिषद (सदस्य)
श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	शून्य	4	शून्य	शून्य
श्री अजय सिंघल	शून्य	10	1	शून्य

निदेशक का नाम	बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मंडल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं(*)	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों /इकाइयों के निदेशक मंडल में निदेशक स्वरूप शामिल
श्री आलोक वाजपेयी	100	11	1	1. एवी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 2. एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रेटजीज एलएलपी 3. कॉन्शियस फूड प्राइवेट लिमिटेड 4.लिटिलमोर इनोवेशन लैब्स पीटीई लिमिटेड 5.सुला विनेयाड्र्स प्रा. लिमिटेड 6.इंस्टीट्यूशनल इंवेशटर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
श्रीमती नीना नागपाल	200	9	0	शून्य

(*) एसीबी और हितधारक समिति के संबंध में सूचना प्रदान की गई है।

Corporate Governance Report 2023-24

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance has emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirement as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.
6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but a body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2024 is as per **Annexure-1 and 1A.**

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all Chief General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in. All the Board Members , Key Managerial Personnel (KMPs) and Senior Management Personnel (SMPs) have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times a year. During the Financial Year 2023-24, Seventeen meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings:

21.04.2023	16.05.2023	02.06.2023	15.06.2023 &	16.06.2023
07.07.2023	05.08.2023	25.08.2023	11.10.2023	03.11.2023
04.11.2023	22.11.2023	14.12.2023 &	15.12.2023	21.12.2023
19.01.2024	31.01.2024	07.02.2024	21.03.2024	

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	16	16
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	4	4
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	13	13
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	4	4
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	17	15
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	14	12
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	17	15
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	3	3
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	10	8
Shri Mukesh Kumar Bansal	01.04.2023 to 31.03.2024	17	12
Smt. Parvathy V. Sundaram	01.04.2023 to 31.03.2024	17	17
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	17	17
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	13	13
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	16	15
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	17	15
Smt. Nina Nagpal	24.12.2023 to 31.03.2024	4	4

*ceased to be member during the year.

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Steering Committee of the Board on Rural & FI
14. CSR & Sustainability Committee
15. Review Committee on Wilful Defaulters
16. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors
17. Committee of the Board to consider Disciplinary Cases .
18. Meeting of Non Executive Directors

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Directors from amongst those appointed under sub section (d) (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 32

Dates of Meetings:

21.04.2023	03.05.2023	15.05.2023	01.06.2023	12.06.2023
26.06.2023	13.07.2023	21.07.2023	02.08.2023	17.08.2023
24.08.2023	30.08.2023	04.09.2023	07.09.2023	13.09.2023
22.09.2023	27.09.2023	05.10.2023	21.10.2023	10.11.2023
21.11.2023	07.12.2023	13.12.2023	19.12.2023	28.12.2023
12.01.2024	25.01.2024	14.02.2024	29.02.2024	11.03.2024
20.03.2024	27.03.2024			

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	01.04.2023 to 30.06.2023	6	6
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO) (Chairman)	01.07.2023 to 31.03.2024	26	25
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	6	6
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	32	26
Shri Joydeep Dutta Roy*	01.04.2023 to 30.01.2024	27	24
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	32	29
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	14	14
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	5	5
Smt. Parvathy V Sundaram	01.04.2023 to 31.03.2024	32	32
Shri Srinivasan Sridhar*	01.04.2023 to 31.12.2023	25	23
Smt. Nina Nagpal	02.01.2024 to 31.03.2024	7	7

*ceased to be member during the year.

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are upto Rs. 800 crores are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 29

Dates of Meetings:

12.04.2023	24.04.2023	29.04.2023	18.05.2023	01.06.2023	27.06.2023
13.07.2023	03.08.2023	10.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	15.09.2023
25.09.2023	28.09.2023	04.10.2023	16.10.2023	21.10.2023	02.11.2023
21.11.2023	04.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	17.01.2024	25.01.2024
09.02.2024	02.03.2024	11.03.2024	22.03.2024	27.03.2024	

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha (Chairman)*	01.04.2023 to 30.06.2023	6	6
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO) (Chairman)	01.07.2023 to 31.03.2024	23	23
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	6	6
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	29	17
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	24	19
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	29	29
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	5	5
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	14	11
Shri S. Anantharaman, CRO	01.04.2023 to 31.03.2024	29	24
Shri Ian Desouza - CFO	01.04.2023 to 31.03.2024	29	14

*ceased to be member during the year.

3. Audit Committee of the Board (ACB)

The functions of ACB, interalia, include

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / Concurrent/ Statutory / External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and

reviews the Financial, Risk Management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.

- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

The Committee comprises of -3- members (-2- Non-Executive Independent Directors and RBI Nominee Director). GOI Nominee Director and all the Executive Directors are Invitees to the Committee.

No. of Meetings held: 23

Dates of Meetings

20.04.2023	15.05.2023	16.05.2023	06.06.2023	26.06.2023	27.07.2023
04.08.2023	05.08.2023	17.08.2023	28.08.2023	16.09.2023	22.09.2023
19.10.2023	03.11.2023	04.11.2023	18.12.2023	20.12.2023	18.01.2024
30.01.2024	31.01.2024	29.02.2024	19.03.2024	27.03.2024	

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Smt. Soundara Kumar (Chairperson)*	01.04.2023 to 23.12.2023	17	17
Shri Srinivasan Sridhar (Chairperson)*	02.01.2024 to 20.02.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi (Chairperson)	29.02.2024 to 31.03.2024	3	3
Smt. Parvathy Sundaram	01.04.2023 to 31.03.2024	23	22
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	23	23
Shri Alok Vajpeyi*	01.04.2023 to 28.02.2024	20	17
Shri Mukesh Bansal (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	23	5
Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	23	17
Shri Debadatta Chand (Invitee)*	01.04.2023 to 30.06.2023	5	4
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)*	01.04.2023 to 30.01.2024	19	18
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	23	19
Shri Lal Singh (Invitee)	09.10.2023 to 31.03.2024	11	11
Shri Sanjay Mudaliar (Invitee)	31.01.2024 to 31.03.2024	4	3

*ceased to be member during the year.

During FY 2023-24, ACB inter-alia approved/ reviewed the followings besides Regular Agenda items:

- Approval for Appointment of Statutory Auditors and Audit Fees for Financial year 2023-24 for Overseas Territories
- Approval of modification to Risk Based Internal Audit Policy (Domestic) -2023
- Approval of modification of IS Audit Policy of the Bank (existing version 7.2)
- Approval of Credit Audit Policy -2023
- Approval of the Policy for Appointment of Statutory Central /Branch Auditors of the Bank
- Approval of appointment of and fees payable to the auditor for Bank's Offshore Banking Unit (IFSC,IBU) at GIFT City, Gandhinagar
- Approval of Bank's Compliance on Long Form Audit Report -March 2023
- Approval of Concurrent Audit Policy 2023
- Approval of Coverage of branches /Offices of the Bank under Concurrent Audit for the period 01.11.2023 to 31.10.2024
- Approval for fixing the Remuneration / Monthly Fees to be paid to external Concurrent Auditors for carrying out the Concurrent Audit of Branches / Units
- Approval for modification of "Internal Whistle Blower Policy for Employees and Directors"
- Approval of Internal Audit of Outsourced activities and the status of their rectifications
- Approval for modification in the mechanism for identifying & monitoring the suspected money mule accounts
- Approval for renewal of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval for Appointment of Statutory Auditors and audit fees for the Financial year 2024-25 for Overseas Territories

- Approval of Annual Audit Plan of Overseas Territories for FY 2024-25
- Approval of road map for implementation of measures to strengthen compliance function
- Approval for appointment of Secretarial Auditor of the Bank for FY2023-24 and FY2024-25
- Approval for IS Audit Plan for FY 2024-25
- Approval for the Risk Oriented Activity Plan for FY 2022-23
- Approval of Group wide Annual Compliance Plan of FY 2024-25
- Approval for the Appointment of Statutory Branch Auditors (SBAs) for FY 2023-24 and the branch allocation to them

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the Convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialist in the area of risk management as advisor to the Board who is part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 6

Dates of Meetings:

26.05.2023 27.06.2023 16.09.2023 11.12.2023 13.03.2024 20.03.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)*	01.04.2023 to 01.01.2024	4	4
Smt. Nina Nagpal (Chairman)	02.01.2024 to 31.03.2024	2	2
Shri Sanjiv Chadha*	01.04.2023 to 30.06.2023	2	2
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director) (Invitee)	01.04.2023 to 30.06.2023	2	2
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
Smt. Soundara Kumar*	01.04.2023 to 23.12.2023	4	3
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	6	5
Shri Ajay K Khurana (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	6	3
Shri Joydeep Dutta Roy (Invitee)*	01.04.2023 to 30.01.2024	4	3
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6
Shri Lal Singh (Invitee)	09.10.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar (Invitee)	31.01.2024 to 31.03.2024	2	1
Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	01.04.2023 to 31.03.2024	6	6

*ceased to be member during the year.

During the year, the Committee inter-alia approved/ reviewed/ noted following:

Credit Risk:

1. Export Credit Policy for MSME Exporters
2. Position of Country Risk Exposure (quarterly basis)
3. Position of Capital Adequacy Ratio under Basel III Capital Adequacy framework (quarterly basis)
4. Portfolio review of Corporate Loan book and the status of incremental advances in corporate portfolio (quarterly basis)
5. Portfolio review of NBFC segment of our Bank (quarterly basis)
6. Portfolio review of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) segment (quarterly basis)
7. Portfolio review of key retail products/ segment (quarterly basis)
8. Renew of Bank's Policy for Transfer of Loan Exposures - (Standard Assets) with modifications

9. Review of Corporate Investment Policy for Overseas Territories with modifications
10. Review of Credit Risk Model Validation Policy with modifications
11. Review of “Policy for providing additional provisions on Standard Advances at higher than the prescribed rates on account of credit exposure for stressed sectors” with modifications
12. To approve Bank’s Environmental, Social and Governance Framework 2023-24
13. To consider and approve review with modifications of “BASEL III Disclosure Policy 2023”.
14. To review and approve “Global Credit Exposure management Policy (GCEMP) 2024” with modifications.
15. Digital Risk Management Framework of the Bank
16. Policy on Penal Charges in loans and advances
17. To approve the review with modifications in Policy on Exposure Limits on Counterparty Banks.
18. Minutes of Meetings of Credit Policy Committee

Operational Risk:

1. Review of Global Operational Risk Management Policy with modifications
2. Review with modification Wealth Management Policy
3. Position of Key Risk Indicators (on quarterly basis)
4. Position of Operational Risk Loss Data (on half yearly basis)
5. Status of various limits under Risk Appetite Framework (RAF) (on quarterly basis)
6. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Testing Impact Analysis
7. Development of Master Rating Scale (MRS) for Internal Corporate Credit Rating Models
8. Review with modification of Valuation Policy of Bank’s own properties (Domestic) (2023-26)
9. Revamped Enterprise Risk Management Policy of the Bank
10. Approval for formalizing Group Risk Management Framework
11. Review and Renewal of Deposit Policy 2023-26
12. Review with modification of Official Language Policy of the Bank
13. To accord approval for Bank’s revised Cyber Security Policy version 1.3
14. Review of Global Policy on “Know Your Customer (KYC) Norms, Anti Money Laundering (AML Standards, Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under PMLA, 2002” with modifications.
15. To consider & approve Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy
16. Review with Modifications of “Information Security Policy Ver 5.7”.
17. Bank’s Framework for Green Deposits and associated flow of credit for Green Activities (hereinafter referred to as Green Financing Framework)
18. Minutes of Meeting of Enterprise Risk Management Committee

Market Risk /ALM:

1. Fund Transfer Pricing Policy 2023-24
2. Review of Policy on Transition of LIBOR with modifications.
3. To review and approve “Group Asset Liability Management Policy 2024” with modifications.
4. Review with modifications of Market Risk Management Policy.
5. Renewal of Surveillance Obligation Policy for Depository participant of Bank of Baroda.
6. Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) 2024.
7. Market Risk in trading portfolio of Treasury Operations and PD business and derivatives and the Derivative Business (on quarterly basis).
8. Minutes of the meeting of Global Asset and Liability Management Committee (ALCO).

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.. The Committee further monitors the redressal of investors’ complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and one non-Executive Director as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 26.06.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairman)*	01.04.2023 to 13.03.2024	1	1
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	1	0
Shri Joydeep Dutta Roy*	01.04.2023 to 30.01.2024	1	1
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	1	1
Shri Ajay Singhal*	01.04.2023 to 13.03.2024	1	1

*ceased to be member during the year.

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. Nomination & Remuneration Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The Committee also decides on the appointment / renewal and fixing the terms of appointment / renewal including compensation package of Contractual Appointees for Key Managerial Positions (KMPs) and high cost market hires in the Bank (with CTC of more than Rs.2/- crores). The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

21.04.2023 27.10.2023 12.12.2023 14.12.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi (Chairman)	01.04.2023 to 13.03.2024	4	4
Dr. Hasmukh Adhia	01.04.2023 to 29.02.2024	4	4
Smt. Soundara Kumar	01.04.2023 to 23.12.2023	4	4
Shri Srinivasan Sridhar	01.04.2023 to 20.02.2024	4	4

7. Customer Service Committee

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee has also the following tasks:

- To benchmark the current level of service and initiate steps to further improve the level.
- To review the status of complaints lodged on various portals periodically, conducting Root Cause Analysis of complaints of repetitive nature and suggesting remedial measures to minimize such complaints.
- To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- To review the status of the number of deceased claims remaining pending /outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors /locker hirers / depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.
- To discuss the status of disputed ATM transactions and analyse the Customer Feedback Survey report.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

25.07.2023 11.10.2023 18.12.2023 21.03.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)*	01.04.2023 to 09.10.2023	1	1
Shri Ajay Singhal (Chairman)	10.10.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Ajay Singhal*	01.04.2023 to 09.10.2023	1	1
Shri Debadatta Chand	01.07.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Joydeep Dutta Roy*	01.04.2023 to 30.01.2024	3	3
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	4	2
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Sanjay Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	1	1
Smt. Soundara Kumar*	01.04.2023 to 23.12.2023	3	3
Shri Alok Vajpeyi	14.03.2024 to 31.03.2024	1	0

*ceased to be member during the year.

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.

b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.

c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.

d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls etc.

f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

17.05.2023 25.07.2023 20.10.2023 20.03.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	3	3
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	0
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	3	3
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	1	1
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Surendra Kumar Dixit (CVO) (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4

*ceased to be member during the year

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

26.05.2023, 28.07.2023, 21.11.2023, 20.03.2024.

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Alok Vajpeyi - Chairperson	01.04.2023 to 13.03.2024	3	3
Shri Ajay Singhal - Chairperson	14.03.2024 to 31.03.2024	1	1
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 09.10.2023	2	2
Shri Lal Singh *	10.10.2023 to 31.01.2024	1	1
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	01.02.2024 to 31.03.2024	1	1
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi (Member)	14.03.2024 to 31.03.2024	1	1
Dr. Deepak B. Phatak - Advisor	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4

* ceased as member during the year.

Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Strategic Advisory Committee of the Board on HR discusses various matters/issues related to Human Resources. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

17.05.2023 17.08.2023 20.11.2023 24.01.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	4	4
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	0
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Ajay K. Khurana (Invitee)	01.04.2023 to 31.03.2024	4	3
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	4	4
Shri Lalit Tyagi *	01.04.2023 to 09.10.2023	2	2
Shri Lalit Tyagi (Invitee)	10.10.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	3	3
Shri Srinivasan Sridhar *	02.01.2024 to 20.02.2024	1	1
Shri Krish Shankar - Advisor	01.04.2023 to 17.10.2023	2	1

*ceased to be member during the year

During FY 2023-2024, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Salary Revision of India Based Officers (IBOs) posted abroad on account of CPI linked revision w.e.f. 01.01.2022 and payment of arrears as per the recommendations of the Working Group of Standing Committee (WGSC).
- According mandate to Indian Banks' Association for holding negotiations with Workmen Unions and Officers' Associations for arriving at revised scales of pay/ allowances and other service conditions for workmen employee and Officers up to MMG/S-III only and to devise a distinct compensation Structure for Executives in Scale-IV & above of our Bank.
- Staff Welfare Fund for the year 2023-24.
- Revised Policy on Examination of Staff Accountability (Version 2023).
- Recruitment of manpower on Regular/ Contractual basis through lateral recruitment & CRP process CRP XIII conducted by IBPS.
- Releasing payment of retirement benefits to retired employees/officer belonging to SC/ST category pending verification of their caste certificate.
- Noting & Confirmation of Circular Resolution No .9 (2023-24) -Policy on appointment of
  - a) Independent Directors on the Board of Bank's Domestic Subsidiaries, joint Ventures and Associates (other than RRBs)
  - b) Bank's Nominee Directors on the Board of Bank's Domestic Subsidiaries, joint Ventures and Associates (other than RRBs)
  - c) Full time Managing Director & CEO of Bank's Domestic Subsidiaries.
- Policy on Engagement of Retired Executives as Inquiry Authority.
- Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace.
- Review of Promotion Policy for Officers with Modifications.
- Review of Transfer Policy for Officers up to MMG/S -III with Modifications.
- Modification in Policy on Diversity, Equity and Inclusion.
- Voice of Barodians Employee Engagement Survey 2023.
- Manpower Planning Policy
- Policy on Engagement of Officers on Contractual Basis
- Apprising the observation of RBI under Risk Mitigation Plan (RMP) 2023 and Inspection and Risk Assessment Report (IRAR) 2023.
- Appraising the process of Contractual Recruitment completed by the Bank till 30.11.2023 for general review for compliance of the processes as per laid down policy.

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings:

02.06.2023 02.08.2023 30.11.2023 13.02.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Mukesh Kumar Bansal	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Smt. Parvathy V. Sundaram	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Lalit Tyagi (Invitee) *	01.04.2023 to 09.10.2023	2	2
Shri Lal Singh (Invitee)	10.10.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Surendra Kumar Dixit - CVO	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4

*ceased to be member during the year

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 04

Dates of Meetings:

17.05.2023 26.07.2023 11.10.2023 21.12.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	4	4
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	0
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	4	4
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	4	4
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	2	2
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	4	4
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	4	3
Shri Manoj Chayani - CGM - LCB	01.04.2023 to 31.03.2024	3	2
Shri Dhiren Lalai - GM - LCB (Alternate)	11.10.2023 to 11.10.2023	1	1
Shri Sanjay Bhagoliwal - GM - CRM *	01.04.2023 to 31.05.2023	1	1
Shri Pankaj Mittal - GM - CRM	01.06.2023 to 31.03.2024	3	3

*ceased to be member during the year.

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Steering Committee of the Board on Rural - FI

The Committee considers the evolution of Financial Inclusion, review and advise the Bank to adopt technology to achieve rapid reach to large territory including difficult terrains at low cost and also advise the Bank on strategy to achieve objectives of Financial Inclusion. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings:

20.04.2023 25.07.2023 22.11.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	3	3
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Debadatta Chand * (Tenure as Executive Director)	01.04.2023 to 30.06.2023	1	1
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	3	2
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	1	0
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3

*ceased to be member during the year

14. CSR & Sustainability Committee of the Board

The Committee oversees all CSR activities as per the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank and Government / Regulatory guidelines.

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings:

25.07.2023 22.11.2023 29.02.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	3	3
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Ajay K. Khurana	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Joydeep Dutta Roy *	01.04.2023 to 30.01.2024	2	1
Shri Lalit Tyagi	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	31.01.2024 to 31.03.2024	1	1
Shri Lal Singh	09.10.2023 to 31.03.2024	2	1
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	2	2

*ceased to be member during the year

15. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

No. of Meetings held: 08

Dates of Meetings:

21.04.2023 26.06.2023 26.07.2023 25.08.2023 16.09.2023
20.10.2023 22.11.2023 18.01.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Sanjiv Chadha *	01.04.2023 to 30.06.2023	2	2
Shri Debadatta Chand (Tenure as Managing Director & CEO)	01.07.2023 to 31.03.2024	6	6
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	7	7
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	8	8
Smt. Nina Nagpal	24.12.2023 to 31.03.2024	1	1

*ceased to be member during the year

16. Committee on Performance Evaluation of APAR of Wholetime Directors

This Committee is constituted as per Government of India guidelines with regard to annual performance evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers:

No. of Meetings held: 03

Dates of Meetings:

26.07.2023 05.08.2023 24.01.2024

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia	01.04.2023 to 29.02.2024	3	3
Shri Mukesh Kumar Bansal	01.04.2023 to 31.03.2024	3	3
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	2	2
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	1	1

*ceased to be member during the year

17. Committee of the Boad to consider Disciplinary Cases

This Committee is constituted to deal with appeals in the matters of disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII and Chief General Managers in TEG/S-VIII.

1) Reviewing Authority for the disciplinary cases of General Managers in TEG/S-VII

2) Appellate Authority for the disciplinary cases of the Chief General Managers in TEG/S-VIII

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings:

30.06.2023 20.10.2023 & 21.10.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Shri Mukesh Kumar Bansal	01.04.2023 to 31.03.2024	2	2
Smt. Parvathy Sundaram	01.04.2023 to 31.03.2024	2	2
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	2	2

*ceased to be member during the year

18. Meeting of Non-Executive Directors

No. of Meetings held: 1

Dates of Meetings: 16.05.2023

Name of the Director	Period	Meetings held during their Tenure	Meetings Attended
Dr. Hasmukh Adhia *	01.04.2023 to 29.02.2024	1	1
Shri Ajay Singhal	01.04.2023 to 31.03.2024	1	1
Smt. Soundara Kumar *	01.04.2023 to 23.12.2023	1	1
Shri Srinivasan Sridhar *	01.04.2023 to 20.02.2024	1	1
Shri Alok Vajpeyi	01.04.2023 to 31.03.2024	1	1

*ceased to be member during the year

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors are paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. Details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors are detailed below:

Remuneration and incentive paid during the Financial Year 2023-24:

S.No	Name	EC NO	Designation	SALARY (A)	PERQUISITES (B)	TOTAL REMUNERATION IN FY 2023-24	PERFOMANCE LINKIED INCENTIVES	RETIREMENT BENEFIT (D)
1	MR. SANJIV CHADHA	187152	MD& CEO (Retired 30.06.2023)	9,82,872.00	2,79,655.00	12,62,527.00	6,00,000.00	1,98,43,158.00
2	MR. DEBADATTA CHAND	200348	MD& CEO (w.e.f 01.07.2023)	39,01,266.00	5,36,871.00	44,38,137.00	4,00,000.00	0.00
3	MR. AJAY KUMAR KHURANA	187317	ED (Retired on 31.03.2024)	35,65,320.00	5,73,195.00	41,38,515.00	4,00,000.00	0.00

S.No	Name	EC NO	Designation	SALARY (A)	PERQUISITES (B)	TOTAL REMUNERATION IN FY 2023-24	PERFOMANCE LINKIED INCENTIVES	RETIREMENT BENEFIT (D)
4	MR. JOYDEEP DUTTA ROY	199785	ED (upto 31.01.2024)	32,62,662.00	4,86,741.00	37,49,403.00	4,00,000.00	91,299.00
5	MR. LALIT TYAGI	200061	ED (w.e.f 21.11.2022)	33,54,709.00	5,42,846.00	38,97,555.00	1,33,000.00	0.00
6	MR. LAL SINGH	200390	ED (w.e.f 09.10.2023)	15,72,693.00	2,04,002.00	17,76,695.00	0.00	0.00
7	MR. SANJAY MUDALIAR	200409	ED (w.e.f 31.01.2024)	6,79,254.00	4,800.00	6,84,054.00	0.00	0.00

All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity - NIL

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2023-24 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Dr. Hasmukh Adhia*	22,91,667/-
2	Smt. Parvathy V Sundaram	25,00,000/-
3	Shri Ajay Singhal	25,00,000/-
4	Smt. Soundara Kumar*	18,75,000/-
5	Shri Sridhar Srinivasan*	25,00,000/-
6	Shri Alok Vajpeyi	25,00,000/-
7	Smt. Nina Nagpal	6,25,000/-

*ceased during the year

GENERAL BODY MEETINGS

The 27th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 07th July, 2023 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in which following directors participated.

1.	Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2.	Shri Debadatta Chand	Managing Director & CEO
3.	Shri Ajay K. Khurana	Executive Director
4.	Shri Joydeep Dutta Roy	Executive Director
5.	Shri Lalit Tyagi	Executive Director
6.	Shri Ajay Singhal	Director
7.	Shri Srinivasan Sridhar	Director (Shareholder)
8.	Smt. Soundara Kumar	Director (Shareholder) - Chairperson ACB
9.	Shri Alok Vajpeyi	Director (Shareholder) - Chairman SRC

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
EGM	21st December 2023 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	Elected Smt Nina Nagpal as Shareholder Director
27th Annual General Meeting (AGM)	07th July 2023 at 11.00 a. m	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	Approved Annual Financial Results for the year 2022-23. To approve and declare dividend for the Financial Year 2022-23.
26th Annual General Meeting (AGM)	27th June, 2022 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	Approved Annual Financial Results for the year 2021-22. To approve and declare dividend for the Financial Year 2021-22.
EGM	07th December 2021 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	Re-elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
25th Annual General Meeting (AGM)	08th July, 2021 at 11.00 a.m.	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)	• Approved Annual Financial Results for the year 2020-21. • Approved raising of Equity Capital upto ₹ 2,000/- crore by way of various modes by Special Resolution. • Approved appropriation from share premium account towards offsetting carry forward loss. • Elected Shri Alok Vajpeyi as Shareholder Director of the Bank

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognises the need of keeping its members and stakeholders informed of key events. The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes its quarterly financial results to the Shareholders every quarter through its website. The Bank also organises analysts' meets, media conferences, etc. to announce the Bank's financial results. The quarterly / year to date / annual financial results of the Bank as well as the copy of the presentation made to analysts as well as other news announcements made by the Bank are posted on the Bank's Website - http://www.bankofbaroda.in. The webcast (live and archived) of the presentation made to Analysts at the end of each quarter during the Analysts' Meet is made accessible via a link uploaded on the website.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2023 to 31st March, 2024
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	10th May 2024
Book Closure Date	From 29th June 2024 to 05th July 2024
Cut off Date for Dividend	28th June 2024
Dividend Payment Date	Within 30 days from the date of declaration
Date, Time & Venue of the 28th AGM	Date: 05th July 2024 Time: 11.00 A.M. Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., "Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2023 to 31.03.2024) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)

Period	National Stock Exchange of India Limited (NSE)		BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)	
	Highest (₹)	Lowest (₹)	Highest (₹)	Lowest (₹)
Apr-23	188.50	165.10	188.35	165.10
May-23	190.00	172.80	190.05	172.85
Jun-23	198.55	182.65	198.50	182.65
Jul-23	210.80	190.00	210.80	189.95
Aug-23	202.90	185.75	202.80	185.75
Sep-23	219.65	186.30	219.60	186.45
Oct-23	218.20	187.85	218.35	187.95
Nov-23	204.25	190.65	204.20	190.60
Dec-23	235.95	198.35	235.95	198.55
Jan-24	250.00	219.35	249.85	219.45
Feb-24	280.75	242.65	280.85	242.70
Mar-24	285.60	243.80	285.50	243.90

b. Index Data from April 2023 to March 2024 (Monthly Closing Values)

Date	NIFTY 50	% Change	NIFTY BANK	% Change	BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	% Change
28-Apr-23	18065.00		43233.90		187.75	
31-May-23	18534.40	2.60%	44128.15	2.07%	185	-1.46%
30-Jun-23	19189.05	3.53%	44747.35	1.40%	190.35	2.89%
31-Jul-23	19753.80	2.94%	45651.10	2.02%	202.2	6.23%
31-Aug-23	19253.80	-2.53%	43989.15	-3.64%	187.15	-7.44%
30-Sep-23	19638.30	2.00%	44584.55	1.35%	213.95	14.32%
31-Oct-23	19079.60	-2.84%	42845.95	-3.90%	196.2	-8.30%
30-Nov-23	20133.15	5.52%	44481.75	3.82%	197.1	0.46%
29-Dec-23	21731.40	7.94%	48292.25	8.57%	231.1	17.25%
31-Jan-24	21725.70	-0.03%	45996.80	-4.75%	247.6	7.14%
29-Feb-24	21982.80	1.18%	46120.90	0.27%	265.45	7.21%
28-Mar-24	22326.90	1.57%	47124.60	2.18%	264.05	-0.53%

Date	S&P BSE SENSEX	% Change	S&P BSE BANKEX	% Change	BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	% Change
28-Apr-23	61112.44		48981.83		187.8	
31-May-23	62622.24	2.47%	50017.52	2.11%	185	-1.49%
30-Jun-23	64718.56	3.35%	50500.57	0.97%	190.35	2.89%
31-Jul-23	66527.67	2.80%	51432.39	1.85%	202.15	6.20%
31-Aug-23	64831.41	-2.55%	49371.95	-4.01%	187.2	-7.40%
30-Sep-23	65828.41	1.54%	50174.68	1.63%	213.8	14.21%
31-Oct-23	63874.93	-2.97%	48448.07	-3.44%	196.1	-8.28%
30-Nov-23	66988.44	4.87%	50292.51	3.81%	197.25	0.59%
29-Dec-23	72240.26	7.84%	54378.31	8.12%	231.1	17.16%

Date	S&P BSE SENSEX	% Change	S&P BSE BANKEX	% Change	BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	% Change
31-Jan-24	71752.11	-0.68%	51999.08	-4.38%	247.7	7.18%
29-Feb-24	72500.30	1.04%	52456.58	0.88%	265.75	7.29%
28-Mar-24	73651.35	1.59%	53515.19	2.02%	264.2	-0.58%

- Details of securities suspended from trading - NIL

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

Name	KFIN Technologies Limited
Address	Unit: Bank of Baroda Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Email ID	einward.ris@kfintech.com
Toll Free/ Phone Number	1800 309 4001
WhatsApp Number	(91) 910 009 4099
KPRISM (Mobile Application)	https://kprism.kfintech.com/
KFINTECH Corporate Website	https://www.kfintech.com
RTA Website	https://ris.kfintech.com
Investor Support Centre (DIY Link)	https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

IDBI Trusteeship Services Ltd. Universal Insurance Building, Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai – 400001. Email id: itslcompliance@idbitrustee.com Ph: (91) 8655623686 / 8097474612
Canara Bank ET & T Section, Financial Management Wing , Canara Bank - Head Office, 112, J C Road, Bengaluru-560002, Ph: 080-22223165 / Ext:570 Email Id: trustees@canarabank.com
Catalyst Trusteeship Ltd Unit No- 901, 9th Floor, Tower B, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Email Id: ComplianceCTL-Mumbai@ctltrustee.com Ph: +9122-49220590/ Extn-587/537
Centbank Financial Services Ltd Central Bank of India – MMO Building, 3rd Floor (East Wing), No.55, M.G .Road, Fort, Mumbai 400 001. Email ID : md@cfsl.in; jaya.tiwari@cfsl.in Ph : 84258 17887
Axis Trustee Services Limited The Ruby , 2nd Floor (SW) 29, Senapati Bapat Marg , Dadar West, Mumbai - 400 028 Email ID : teamdelta@axistrustee.in Ph : 022 - 6230 0417

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

The Company Secretary Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E - mail : investorservices@bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at - shareholderdirectors@bankofbaroda.com	The General Manager Operations and Services Bank of Baroda, Head Office 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E-mail: cs.ho@bankofbaroda.com

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2024

1	GOVERNMENT OF INDIA	1	3308184689	63.97
2	FOREIGN PORTFOLIO - CORP	736	641354580	12.40
3	MUTUAL FUNDS	207	444017875	8.59
4	RESIDENT INDIVIDUALS	1326190	324038874	6.27
5	INSURANCE COMPANIES	12	263298370	5.09
6	QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER	72	122397148	2.37
7	BODIES CORPORATES	3584	21927885	0.42
8	NON RESIDENT INDIANS	9241	13142743	0.25
9	ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	24	12152445	0.24
10	H U F	12515	9259478	0.18
11	NON RESIDENT INDIAN NON REPATRIABLE	6208	4944031	0.10
12	I E P F	1	2856646	0.06
13	EMPLOYEES	1368	1377506	0.03
14	BANKS	16	1093884	0.02
15	TRUSTS	52	791030	0.02
16	CLEARING MEMBERS	28	304116	0.01
17	OVERSEAS CORPORATE BODIES	3	110000	0.00
18	NBFC	13	32396	0.00
19	DIRECTORS AND THEIR RELATIVES	4	24082	0.00
20	FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS	12	22000	0.00
21	LIMITED LIABILITY PUBLIC MEMBER	7	11955	0.00
22	KEY MANAGEMENT PERSONNEL	1	10000	0.00
23	INDIAN FINANCIAL INSTITUTIONS	1	4752	0.00
24	FOREIGN NATIONALS	5	4146	0.00
25	DIRECTORS	3	800	0.00
26	UNIT TRUST OF INDIA	2	544	0.00
27	FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS	1	204	0.00
	Total	**1360307**	**5171362179**	**100**

b. Distribution of Shareholders - Category Wise as on 31st March 2024

Sl no	Category (Shares)	No.of Holders	% To Holders	No.of Shares	% To Equity
1	1 - 5000	1352473	99.42	256951351	4.97
2	5001 - 10000	4730	0.35	32995487	0.64
3	10001 - 20000	1296	0.10	18461892	0.36
4	20001 - 30000	398	0.03	9911180	0.19
5	30001 - 40000	161	0.01	5683848	0.11
6	40001 - 50000	166	0.01	7677339	0.15
7	50001 - 100000	310	0.02	22372850	0.43
8	100001 and above	773	0.06	4817308232	93.15
	Total	**1360307**	**100.00**	**5171362179**	**100.00**

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2024 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

Sr No	Nature of holding	No. of Holders	No. of Shares	Percentage %
1	PHYSICAL	113527	29556381	0.57
2	NSDL	470513	1653195519	31.97
3	CDSL	776267	3488610279	67.46
	Total:	**1360307**	**5171362179**	**100.00**

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2024.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2024

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares - returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2023		No. of requests received during the Financial Year 2023-24	Shares debited during the Financial Year 2023-24		Closing Balance as on 31st March 2024	
No. of Shareholders	No. of Shares	Transfer to IEPF	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
69	86000		43	46500	26	39500

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares - returned undelivered)

Opening Balance as on 01.04.2023		No. of requests received during the Financial Year 2023-24	Shares debited during the Financial Year 2023-24		Closing Balance as on 31st March 2024	
No. of Shareholders	No. of Shares	Transfer to IEPF	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
154	92390		129	73265	25	19125

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Limited, at the address given in this report.

SECRETARIAL AUDIT

Bank has appointed M/s. R S Padia & Associates, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2024. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

DISCLOSURES

1. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
2. There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
3. We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
4. All the Directors have disclosed that they have no relationship *inter-se* as on 31st March 2024.
5. Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2023-24 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
7. Familiarization programme for Independent Directors

   The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in

8. **Whistle Blower Guidelines**

The details of the Bank's Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in. No personnel has been denied access to the audit committee.

9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**

The details of the Bank's Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank's website under "Shareholder's Corner" section at https://www.bankofbaroda.in.

10. **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for FY 2023-24**

Number of Complaints filed during the financial year	Number of Complaints disposed off during the year	Number of Complaints pending as on end of the financial year
22	15	7

11. **List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2023-24, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad**

Details of Credit Ratings assigned by the Rating Agencies of the Bank along with details of revisions in rating during financial year i.e. 2023-24, for all debt instruments and fixed deposit programme issued by Bank are as under;

Summary of Ratings of Bank of Baroda - FY-2023-24

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
ICRA	Basel III Tier-I Bonds	[ICRA]AA+ (Stable)	Reaffirmed
	Basel III Tier II Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
	Fixed Deposit Programme	[ICRA]AAA (Stable)	Reaffirmed
CARE	Tier II Bonds (Basel III)	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
	Upper Tier II Bonds (Basel II)	CARE AAA; Stable	Reaffirmed
INDIA RATINGS	Long-Term Issuer Rating	IND AAA/Stable	Affirmed
	Certificate of deposits	IND A1+	Assigned
	Basel III Tier 2 instrument	IND AAA/Stable	Affirmed
	Basel III AT1 bonds	IND AA+/Stable	Affirmed
	Infrastructure and Affordable Housing Bonds	IND AAA/Stable	Affirmed
	Fixed deposit	IND AAA/Stable	Affirmed
BRICKWORK	Upper Tier II Bonds - Tranche II (under Basel II)	BWR AAA (Stable)	Reaffirmed
	Tier II Bonds (under Basel III)	BWR AAA (Stable)	Reaffirmed
CRISIL	Tier II Bonds (Under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Assigned
	Upper Tier II Bonds (Under Basel II)	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
	Tier I Bonds (Under Basel III)	CRISIL AA+/Stable	Reaffirmed
	Tier II Bonds (under Basel III)	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed
	Infrastructure Bonds	CRISIL AAA/Stable	Reaffirmed

Rating Agency	Instrument	Present Rating	Rating Action
MOODY'S	**Bank of Baroda (Domicile)**		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Bank Deposits	Baa3/P-3	Affirmed
	Baseline Credit Assessment	ba3	Affirmed
	Adjusted Baseline Credit Assessment	ba3	Affirmed
	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	Affirmed
	Bank of Baroda (London)		
	Outlook	Stable	Affirmed
	Counterparty Risk Rating	Baa3/P-3	Affirmed
	Counterparty Risk Assessment	Baa3(cr)/P-3(cr)	Affirmed
	Senior Unsecured	Baa3	Affirmed
FITCH	**Bank of Baroda (Domicile)**		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Outlook	Stable	Affirmed
	Short-Term IDR	F3	Affirmed
	Viability Rating	bb-	Affirmed
	Government Support Rating	bbb-	Affirmed
	Short-Term IDR (xgs)	B (xgs)	Affirmed
	Long Term IDR (xgs)	BB- (xgs)	Affirmed
	Long Term Senior Unsecured	BBB-	Affirmed
	Long Term Senior Unsecured (xgs)	BB- (xgs)	Affirmed
	Bank of Baroda (New Zealand) Limited		
	Long Term IDR	BBB-	Affirmed
	Outlook	Stable	Affirmed
	Long Term IDR (xgs)	BB-(xgs)	Affirmed

12. **Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.** - Yes

13. **Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2023-24 -** NIL

14. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A)** - NIL as during the year, Bank has not raised funds through preferential allotment or qualified institutions placement

15. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. - 104.75 Cr.**

16. **certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority**.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No.	Non-mandatory requirements	Status of Implementation
1	**The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	There is no non executive chairman from 01-03-2024
2	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Bank publishes quarterly / half yearly / yearly financial results of the Bank on website of Stock Exchanges and on website of Bank also. Bank also publish financial results in newspapers as per prescribed format for information of shareholders.
3	**Modified opinion(s) in audit report** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
4	**Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Bank is having separate posts of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer. However, there is no non - executive chairman from 01-03-2024
5	**Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function is governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
17	Board of Directors	Complied with. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970". All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured. Board Evaluation Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms - Enhancing governance through improved effectiveness of Non-Official Directors.
17A	Maximum number of directorships	Complied with
18	Audit Committee	Complied with
19	Nomination and Remuneration committee	Complied with
20	Stakeholders Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with

Regu No.	Title / Brief description	Compliance Status
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Complied with
24A	Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17, as above.
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46	Website	Complied with

CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd.,
Unit: Bank of Baroda,
Selenium Building, Tower-B,
Plot No 31 & 32,Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032.
Email : einward.ris@kfintech.com
Toll Free/ Phone Number : 1800 309 4001
WhatsApp Number : (91) 910 009 4099
KPRISM (Mobile Application) : https://kprism.kfintech.com/
KFINTECH Corporate Website : https://www.kfintech.com
RTA Website : https://ris.kfintech.com
Investor Support Centre (DIY Link) : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc

Bank of Baroda
Investor Services Department,
7th floor, Baroda Corporate Centre
C-26, G-Block Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051
Tel: 022 - 6698 5731 / 5743
General Number : 022 - 6698 5000-04 (PBX)
E-Mail:investorservices@bankofbaroda.com
**Shareholder's corner section on Bank's Website - **https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

Transparency Officer :

In compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Executive as Transparency Officer since February 2011. The transparency officer is responsible for the following functions:

a) To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.

b) To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.

c) To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.

d) To be a contact point for the public in all RTI- related matters. The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The compliance function in the Bank is adequately enabled and an independent function. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank. The tone at the top sets an organization's guiding values and ethical climate. A "High Level Compliance Committee" under the chair of Executive Director and other members comprising of Senior Executives from business verticals and support functions, maintains oversight on all compliance related issues.

The compliance function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to

regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas centres. It also ensures adherence of various guidelines/ instructions issued by IBA (India Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.

To further strengthen the compliance in Bank, dedicated Compliance Officer is posted in each Region, Zone and Overseas Territory. Also, a nodal Officer is identified in each Department of Corporate Office & Head Office for Compliance function. The activities of these Compliance Officials are being monitored from Corporate Office. Similar Compliance Framework is prevalent in Bank's Domestic and Overseas Subsidiary having dedicated Compliance Officer and Team. Bank is making sustained efforts in improving the compliance culture in Bank by increasing awareness amongst the employees about Compliance. Weekly Newsletter titled "Anuvritti" is published on weekly interval to spread awareness of Compliance Culture in Bank.

ANNEXURE 1 COMPOSITION OF THE BOARD

Shri Debadatta Chand - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 31st January, 1971)

Shri Debadatta Chand assumed charge as Managing Director & CEO of the Bank on 1st July 2023. Shri Chand has over 29 years of experience in the Banking & Financial services industry.

Shri Chand served as the Executive Director at Bank of Baroda from March'21 to June'23 and thereafter as MD & CEO of Bank of Baroda w.e.f. July'23. In the capacity as Executive Director, he was managing Corporate & Institutional Credit, Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business and Trade & Foreign Exchange. In addition, he also successfully oversaw the International Banking Business, Domestic Subsidiaries/ Joint Ventures, Wealth Management, Capital Markets, NRI Business as well as key platform functions such as HRM, Finance & Planning, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal, Compliance, Learning & Development, Disciplinary Proceedings, Information Security and Estate Management & Security at the Bank.

Shri Chand began his career in 1994 as an Officer at Allahabad Bank and later worked as a Manager at the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) from 1998 to 2005. In 2005, he joined Punjab National Bank (PNB) as Chief Manager and steadily progressed to the position of Chief General Manager. During his over 15-year tenure at PNB, he held various positions in Risk Management, Treasury and field operations which includes DGM, Head of the Zonal Audit Office in Patna, DGM, Circle Head of the Bareilly Circle, GM, Head of Integrated Treasury Operations, and CGM, Zonal Head of the Mumbai Zone. He has served on the Boards of PNB Principal Mutual Fund and SWIFT India Pvt. Ltd. as nominee director of Punjab National Bank. In Bank of Baroda as nominee, he served on the Board of India Infradebt Limited. Shri Chand was also the Chairman on the Boards of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., Bank of Baroda (Kenya) Ltd. and member on the Board of Bank of Baroda (Uganda) Ltd.

Shri Chand currently, is Chairman on the Board of BOB Capital Markets Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd. and BOBCARD Ltd. Shri Chand is also on the Board of National Insurance Company Ltd. He is a member of the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM), General Body of Management Development Institute (MDI) Society, Gurgaon and Governing Council of the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF).

Shri Chand is Co-Chair of Joint Working Group on 'Infrastructure and Finance' under the aegis of India-Australia CEOs Forum. He is the Chairman of the IBA Standing Committee on Risk Management and Basel Implementation. Shri Chand had also been part of India-UK Financial Partnership (IUKFP) Working Group on Capital Markets Connectivity.

Shri Chand holds a B. Tech. degree, an MBA and CAIIB qualification. Additionally, he has a Post Graduate Diploma in Equity Research and is a Certified Portfolio Manager. Shri Chand also holds Ph.D in Management..

Shri Ajay K. Khurana - Executive Director

(DoB: 17th March, 1964)

Shri Ajay K Khurana joined as Executive Director in Bank of Baroda on 01.04.2020. He is a Post graduate in Business Management with Professional Qualification of CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.04.2020, he served on the Board of Syndicate Bank as an Executive Director from 20.09.2018 till 31.03.2020.

He joined Vijaya Bank as an Officer on 15.11.1988. He has a vast operational experience at field level covering 17 years in various capacities and 4 years as Regional Head at Vijaya Bank. He climbed up the ladder of Management and was promoted as General Manager. Shri. Ajay K Khurana has acquired rich experience while working in various key departments such as Audit, NPA Recovery, International Banking, Operations, Information Technology Dept. and Corporate Credit.

He was elevated to the rank of Executive Director on 20.09.2018 and handled various portfolios such as Information Technology Dept., Treasury & International Banking, Recovery, MSME, Mid Corporate and Central Accounts Dept.

Shri Lalit Tyagi - Executive Director

(DOB: 14th June 1971)

Shri Lalit Tyagi, having started his career as Probationary Officer in Bank of Baroda in 1996, has over 27 years of rich experience in various spectrum of commercial banking, particularly in Corporate Finance, Risk Management, International Banking and Administrative Roles. He has been an operational banker having vast experience of working in different branches / offices in India and abroad, including two stints in Bank's overseas operations; viz. Brussels, Belgium and New York, USA.

He has successful experience of leading Bank's important units such as Regional Head of Bangalore Region, General Manager & Branch Head of Bank's largest Corporate Financial Services Branch, Mumbai and Chief General Manager (Chief Executive) of Bank's largest overseas territory US Operations, New York.

Prior to his appointment as Executive Director of Bank of Baroda on 21st November 2022, he was the Chief Executive of Bank's US Operations, New York. He has also served as Director in Canbank Computer Services Ltd. (CCSL - a wholly owned subsidiary of Canara Bank) and Non-Executive Chairman of Bank of Baroda (Guyana) Inc. in the past. Currently he is serving as Nominee Director in BOB Capital Markets Ltd, India Infradebt Ltd and Bank of Baroda (UK) Ltd.

As Executive Director in Bank of Baroda, he currently looks after Corporate & Institutional Banking, Treasury & Global Markets, Mid-Corporate Business, International Banking, Domestic Subsidiaries/Joint Ventures.

In the past, he had also overseen the key platform functions such as Compliance, Risk Management, Audit & Inspection, Credit Monitoring, Collections, Legal and HRM.

Shri Tyagi is known for his leadership and motivational skills.

He has Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF) from National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been identified as one of Public Sector Bankers by Bank's Board Bureau (now known as Financial Services Institutions Bureau) for future leadership roles.

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar - Executive Director

(DOB: 02nd July, 1968)

Shri Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director, Indian Overseas Bank has taken charge as Executive Director of Bank of Baroda w.e.f. 31st January, 2024.

He is a Post Graduate in Science and Technology and a Certified Project Management Practitioner from London. Prior to joining Bank of Baroda as Executive Director, Shri Mudaliar was associated with Indian Overseas Bank at their Central Office, Chennai. Earlier, he was holding the position of Chief Technology Officer of Bank of Baroda's Global Operations spanning across 18 countries.

He is a seasoned banker with career spanning over 30 years across industries and financial institutions. Of these, for 25 years he was associated with Bank of Baroda in various capacities across the country and in the United Kingdom.

With his techno-functional knowledge, he contributed immensely in various working groups/committees on product innovation and process refinement. He has also been part of a number of key industry initiatives on Banking Technology. He had been Nominee Director in 5 companies of Bank of Baroda / subsidiaries in India and abroad.

He is analytical, sincere and demonstrates positive approach to the changing requirements. He is an avid traveller, serious reader and has been practicing long distance walking.

Shri Lal Singh, Executive Director

(DOB: 11th January, 1967)

Shri Lal Singh joined Bank of Baroda as an Executive Director on October 9, 2023.

He started his career as a Rural Development Officer in Union Bank of India in 1990. As a career banker, he has 33 years of deep and distinguished experience including MSME Credit, Corporate Finance, Rural and Agri Business, and Human Resource Development.

As the Zonal Head, he has successfully spearheaded large and prestigious zones such as Varanasi, Lucknow, Chennai as well as Regions such as Mumbai West and Udaipur (Rajasthan). Shri Singh has diverse experience across Metro Urban Semi-Urban Rural (MUSR) locations, and has led exponential growth as Regional Head and Branch Head across Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and UP.

Post amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank with Union Bank of India, he led the business transformation of the Bank's MSME, Rural and Agri Business. In Shri Singh's last assignment, he was the Chief General Manager for the Bank's strategic HR function. He directly led the Bank's flagship project, Union Prerna, establishing a new performance culture, succession planning and improving talent engagement with the 75,000+ employees of the Bank. Under his leadership, the HR function has won 12+ awards from leading global organisations, and an ISO certification for digital and data enablement. He has also anchored the setup of an advanced L&D unit, through the creation of a rich learning ecosystem to build market-ready skills in employees.

Shri Singh has served multiple board and leadership level positions. He was the Chairman of the Sub Committee of the State Level Bankers' Committee, Uttar Pradesh for Credit Deposit Ratio and Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI). He was a nominee director on the board of the UP Industrial Consultants Limited (UPICO), M/s. Nab Samruddhi Finance Ltd (subsidiary of NABARD), PSB Alliance Pvt. Ltd., Supervisory Board of India Micro Finance Equity Fund (SIDBI), Trustee on the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM), Guwahati and also Union Bank of India Social Foundation Trust (UBSFT) for Corporate Social Responsibility as well as Union Bank of India's Employees Trust for Pension, Provident Fund and Gratuity.

Shri Singh is known for his people development, team building and motivation, and customer engagement skills.

He is a Post Graduate in Agricultural Sciences, Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and has completed a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DITIRM), AMFI & CeBA. He has a Certification in Micro Finance, and has attended the Global Strategy & Leadership Program at UVA Darden School of Business - Virginia USA & ISB, Hyderabad. He was part of the 1st batch of senior executives selected by Banks Board Bureau (now FSIB) for the Leadership Development Program organised by IIM Bangalore and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Shri Mukesh Bansal - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 05th August, 1978)

Shri Mukesh Kumar Bansal is an officer of Indian Administrative Service (2005 batch). He is presently working as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Bansal is a Commerce graduate and also an MBA from the Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA. He has also completed his MA Economics from IGNOU.

Prior to his posting as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance in October, 2022 he worked as Private Secretary to Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India, from March, 2020 to October, 2022.

Before being deputed to the Government of India, Sh. Bansal held various key positions in his Cadre State of Chhattisgarh. He had worked as CEO, Zila Panchayat, North Bastar Kanker, Commissioner Municipal Corporation, Bilaspur. He worked as Collector & District Magistrate in three districts namely Kabirdham, Raigarh & Rajnandgaon from 2011 to 2017. He was Special Secretary to Hon'ble Chief Minister Chhattisgarh from 2017 to 2018 and at that time he also held additional post of CEO, Naya Raipur Development Authority. He had also worked in different departments namely Agriculture, Tribal Development, Rural Industries as Special Secretary.

Smt. Parvathy V Sundaram - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 24th November, 1959)

Smt. Parvathy V Sundaram has been appointed as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank vide Government of India notification dated 13th April, 2021 under section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act.

Smt. Parvathy V Sundaram started her career as a commercial banker and after a 2 year stint moved over to the Reserve Bank of India in March 1984 and worked in various capacities in almost all major departments of the RBI in over 5 centres. She was deputed as RBI's nominee in a few bank boards and international working groups/ committees. She served as the Executive Director in charge of the Currency Management and Legal Departments of the Reserve Bank of India and superannuated from the RBI in November 2019.

Some of her assignments in the areas of Central Banking Regulation and supervision included:

- Direct oversight of the Asset Quality Review undertaken by the RBI in 2015-17 including planning and execution of the review, quality assurance, vetting and validation of findings, provision crystallisation and conveyance, discussions with top management of the banks, capital assessment, scenario analysis, review of representations and impact estimation.
- Migration of all banks to Risk Based Supervision and ensuring periodic improvements in the model to capture regulatory and systemic changes, developing a Small Bank Variant Model for small foreign banks with focus on niche operations and improving processes and skills for supervision,.
- Overseeing the framing, fine-tuning and finalisation of the revised PCA guidelines for banks

She was a member in the Internal Study Group of the RBI to Review the Working of the Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) System and a member of the High Level Task Force constituted by RBI for evaluating the need for establishing a Public Credit Registry in India.

Shri Ajay Singhal - Director (Non Executive)

(DOB: 14th December, 1974)

Mr Singhal has been nominated by the Central Government as an Independent Director w.e.f. 21st December 2021 for a period of 3 years.

Mr Singhal is engaged in the profession of Chartered Accountancy. He had also passed the LLB examination from the Jiwaji University, Gwalior. During last 20 years his areas of specialization includes Audit, Taxation, Banking & Finance, etc.

Mr Singhal has served as a Chairman of Gwalior Branch of CIRC of Institute of Chartered of India in the year 2016-17. Mr Singhal also served as an Independent Director in the Balmer Lawrie Investment Ltd. (A Government of India Enterprise under Ministry of Petroleum) from Aug 2018 to July 2021 and also chaired the Audit Committee of the Board. Mr. Singhal was also an Executive Council Member of Barkatullah University, Bhopal appointed by the Hon'ble Governor of Madhya Pradesh. He is also associated with various social & commercial organizations. He is an Executive Member of Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industries Gwalior.

Mr Singhal has taken part in various National Level seminars & conferences on Law, Banking, Chartered Accountancy and other associated areas and have interest in training & motivating the down trodden class of the society.

Shri Alok Vajpeyi - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 24th August, 1960)

Shri Alok Vajpeyi's career in financial services and governance spans nearly 40 years across UK, Asia and India in global capital markets, investment and wealth management and later as a successful entrepreneur.

He has worked with EY in London and held senior positions in global institutions such as Swiss Bank Corporation in London and Asia, Barclays Bank in Asia and India, DSP Merrill Lynch, DSP Blackrock and Daiwa in India. He founded and successfully sold in 2009 - Dawnay Day AV, a large diversified financial services business. He has worked closely with Indian regulators such as SEBI, AMFI, RBI and Exchanges - BSE and NSE - in various capacities and committees, and as External Adviser to DIT (UK Government) Government in India on Fintech.

Since 2012 Shri Alok Vajpeyi continues to be a Strategic Advisor, Entrepreneur, Investor and Board Director across a diverse set of companies and also relishes mentoring select individuals. He recently acquired control of Conscious Food Ltd, a leading organic food company in India, and in addition his current interests are largely in the financial, FMCG and technology sectors.

He sits on the Boards of M/s. AV Advisory Private Limited, M/s. Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies LLP, M/s. Conscious Food Private limited, M/s. Digital Gold India Private Limited, M/s. Institutional Investor Advisory Services (IIAS), M/s. Littlemore Innovation Pte Limited and M/s. Sula Vineyards Pvt. Ltd. He was on the Board of M/s. IndiaFirst Life Insurance Company Limited, from which he resigned just prior to being appointed to the Board of Bank of Baroda in

July 2021, as the Bank is parent and a major shareholder in the company.

Born in 1960, Shri Alok Vajpeyi is an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales, having received a BSc (Econ) degree specializing in International trade & development, from the London School of Economics.

Smt. Nina Nagpal - Director (Non-Executive) - Shareholder Director:

(DOB: 6th December, 1963)

Smt. Nina Nagpal has joined as a Director on our Board w.e.f. 24th December, 2023 representing shareholders of the Bank for a period of -3- years.

Prior to joining the Bank of Baroda Board, she was the Managing Director & CEO of Citicorp Finance India Ltd (CFIL), a Non-Bank Finance Company (NBFC) of Citigroup.

She was also a Nominee Director on the Board of India Infra Debt Limited (IIDL).

Prior to joining Citigroup in 2014, Smt. Nina Nagpal was the Managing Director and Country Chief Operating Officer of Morgan Stanley India and the CEO of its NBFC. Earlier, she was part of the leadership team at OTC Exchange of India, India's first electronic stock exchange. She also worked with the United States Agency for International Development (USAID), where she conceptualized and documented a USD 20 MM US-India bilateral project aimed at the institutional development of the Indian securities markets.

She had been on several regulatory, industry committees and Boards. She is a seasoned financial services industry professional with experience across advisory, project management, capital markets, investment and commercial banking.

Smt. Nagpal did her Graduation in Economics from University of Delhi, Lady Shriram College, Delhi and Masters in Business Economics from University of Delhi. She also did her Post Graduate Research Work in International Development Finance at American University, Washington DC, USA.

OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
Annexure - 1A

(Position as on 31.03.2024)

Name of Director	No. of shares of Bank	No. of membership in Sub -Committees of the Bank	No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies (*)	Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
Shri Debadatta Chand	Nil	12	0	1. BOB Capital Markets Ltd. 2. BOBCARD Ltd 3. Indiafirst Life Insurance Ltd 4. National Insurance Company Limited 5. Indian Institute of Banking & Finance (Member of Governing Council)
Shri Ajay K. Khurana	482	9	1	1. National Payments Corporation of India 2. Baroda Sun Technologies Limited 3. Baroda Global Shared Services Limited 4. Indo Zambia Bank Limited
Shri Lalit Tyagi	6500	9	1	1. BOB Capital Markets Ltd. 2. India Infradebt Limited
Shri Sanjay Vinayak Mudaliar	6400	9	1	NIL
Shri Lal Singh	Nil	9	1	NIL
Shri Mukesh Bansal	Nil	3	2	1. Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA) 2. National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) 3. IFCI Limited 4. National Insurance Company Limited 5. National Insurance Academy (NIA), Pune (Member) 6. Council of the Institute of Actuaries of India (Member) 7. Council for Insurance Ombudsmen (Member)
Smt. Parvathy V Sundaram	Nil	4	Nil	NIL
Shri Ajay Singhal	NIL	10	1	NIL
Shri Alok Vajpeyi	100	11	1	1. AV Advisory Private Limited 2. Avendus Capital Public Markets Alternative Strategies LLP 3. Conscious Food Private Limited 4. Littlemore Innovation Labs Pte Limited 5. Sula Vineyards Limited 6. Institutional Investor Advisory Services India Ltd.
Smt. Nina Nagpal	200	9	0	NIL

(*) Information provided in respect of ACB and Stakeholders Committee

घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र।

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार ''बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचरण संहिता'' के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं। यह आचरण संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 10 मई, 2024

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V - Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the financial year ended on 31st March, 2024 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

Debadatta Chand

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date: 10th May 2024

फॉर्म संख्या. एमआर- 3
सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में एवं सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के साथ पठित]

प्रति,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु सचिवालीय लेखापरीक्षा करवाई थी। सचिवालय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उस पर हमारे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक के प्राधिकारियों, द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मो, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियम बैंक के लिए जहां तक लागू हों।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 (एससीआरए) और इसमें उल्लिखित नियमों;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

बी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

सी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का अधिक मात्रा में अधिग्रहण एवं टेकओवर) विनियम, 2011;

डी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015;

ई. सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018.

एफ. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में बनाए गए नियम और विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

जी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

आई. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2021

जे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

के. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं);

एल. बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित अन्य कानून:

(ए) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएं एवं परिपत्र।

(बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं उसके संशोधन ।

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i). भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक.

(ii). बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम,दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केंद्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न निर्दिष्ट श्रेणियों से पहचाने और चुने गए गैर-कार्यकारी निदेशकों को नामित करने का अधिकार रखती है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर 3 निदेशकों तक का चुनाव करने का अधिकार रखते हैं।

वर्तमान में, बैंक में दो शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक अशासकीय निदेशक की नियुक्ति की गई है जिसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और (एफ) के अनुसार, निदेशक मंडल में दो निदेशक कर्मचारी होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है। ये पद क्रमश: 25/07/2014 और 19/09/2017 से रिक्त हैं ।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, निदेशक मंडल में एक ऐसा निदेशक होगा जिसके पास कम से कम 15 वर्षों तक सनदी लेखाकार के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है । यह पद 26/07/2019 से रिक्त है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री देबदत्त चांद को दिनांक 1 जुलाई 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री संजय वी. मुदालियर को 31 जनवरी, 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा श्री लाल सिंह को दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के तहत बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24 दिसंबर, 2023 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्रीमती नीना नागपाल का बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में चयन किया गया था।

दिनांक 21 फरवरी, 2024 को श्री श्रीनिवासन श्रीधर के त्यागपत्र देने के कारण शेयरधारक निदेशक का एक पद रिक्त हुआ है। बैंक इस रिक्ति को भरने की प्रक्रिया में है और इस उद्देश्य के लिए असाधारण आम बैठक निर्धारित की गई है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया का कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप 1 मार्च, 2024 को गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ है।

कार्यपालक निदेशक श्री अजय के. खुराना की दिनांक 31 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्ति के कारण 1 अप्रैल, 2024 को कार्यपालक निदेशक का एक पद रिक्त हुआ है।

बैंक प्राधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए मामले को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति करने पर रिक्तियां भरी जाएंगी।

निदेशक मंडल की सभी बैठकें और आम बैठकें भौतिक और ऑडियो विज़ुअल माध्यम से आयोजित की गईं और सभी बैठकों के नोटिस ई-मेल के माध्यम से भेजे गए और बाद के संदर्भ के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं ।

बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों के निर्णय जिसमें सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदित संकल्प शामिल हैं, सर्वसम्मति से पारित किए जाते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति व्यक्त नहीं की गई।

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरुप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:

1) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 जुलाई, 2023 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

(ए) 16.05.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रति रु. 2/- के इक्विटी शेयर पर रु. 5.50 की दर से अनुशंसित लाभांश की घोषणा की ।

(बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023, को जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.नं. 4/4/2021-बीओ.I के अनुसार 20 जनवरी 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 30 जून 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री संजीव चड्ढा की पुनर्नियुक्ति।

(सी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 नवंबर, 2022, को जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.नं. 4/6/2021- बीओ.I के अनुसार 21 नवंबर, 2022 से 20 नवंबर, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री ललित त्यागी की नियुक्ति।

(डी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसंबर, 2022, को जारी अधिसूचना क्रमांक 6/2/2022- बीओ.I के अनुसार 15 दिसंबर, 2022 से अगले आदेश तक बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री मुकेश कुमार बंसल की नियुक्ति ।

(ई) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 01 जुलाई, 2023 को या उसके बाद, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पदभार ग्रहण करने की तारीख से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री देबदत्त चांद की नियुक्ति ।

2) बैंक ने 21.12.2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित किया ।

(ए) इस अधिनियम की धारा 9 (3) (i) की प्रासंगिक योजना के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए विनियम भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से चयनित एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो 24 दिसंबर 2023 से पदभार ग्रहण करेंगे तथा नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि पूर्ण होने तक पद पर बने रहेंगे । शेयरधारक निदेशक के रूप में सुश्री नीना नागपाल की नियुक्ति को अनुमोदन दिया गया।

(बी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 20 सितंबर 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.03.2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अजय के खुराना की पुनर्नियुक्ति ।

(सी) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से 09 अक्टूबर 2023 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लाल सिंह की नियुक्ति ।

3) भारतीय जीवन बीमा निगम (अर्जनकर्ता) ने 20 नवंबर 2023 को बैंक के इक्विटी शेयरों का अर्जन किया, जिससे कुल शेयरधारिता 5% से अधिक हो गई। सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011 से संबंधित सभी प्रकटीकरण अर्जनकर्ता और बैंक (लक्ष्य कंपनी) द्वारा विधिवत किए गए थे।

4) बासेल III पूंजी विनियम पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2022 को जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियम, आरबीआई/2022-23/12 डीओआर.सीएपी.आरईसी.3/21.06.201/2022-23 के अनुपालन में प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के बैंक के समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 5000 करोड़ की राशि के डिबेंचर के रूप में गैर-प्रतिभूत, गौण, मोचन योग्य, गैर परिवर्तनीय, कर योग्य, बासेल III अनुपालन टियर II बॉन्ड सीरीज XXV ("बॉन्ड") आबंटित किए गए हैं, जिनमें से है :

क्र. सं.	श्रेणी	आईएसआईएन	प्रतिभूति का विवरण	निर्गम साइज	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख
1	बासेल III टियर II	INE028A08315	7.75% बैंक ऑफ़ बड़ौदा बासेल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज XXV	25,00,00,00,000.00	21-12-2023	21-12-2033
2	बासेल III टियर II	INE028A08331	7.57% बैंक ऑफ़ बड़ौदा बासेल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज XXVI	25,00,00,00,000.00	22-02-2024	22-02-2034
			कुल	50,00,00,00,000.00		

5) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉन्ड भी जारी और आबंटित किए हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	आईएसआईएन	प्रतिभूति का विवरण	निर्गम साइज	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख
1	दीर्घकालिक इन्फ्रा	INE028A08307	7.68% बैंक ऑफ़ बड़ौदा 2033 एलटीबी सीरीज II	50,00,00,00,000.00	01-12-2023	01-12-2033
2	दीर्घकालिक इन्फ्रा	INE028A08323	7.57% बैंक ऑफ़ बड़ौदा 2034 एलटीबी सीरीज III	50,00,00,00,000.00	25-01-2024	25-01-2034
			कुल	100,00,00,00,000.00		

6) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित बॉन्ड्स का मोचन किए हैं:

क्र. सं.	आईएसआईएन	मोचन का कारण बायबैक, रूपांतरण, अन्य (यदि कोई हो))	मोचन की गई मात्रा (एनसीडी की संख्या)	मोचन की वास्तविक तिथि (दिन/माह/वर्ष)	मोचन की गई राशि
1	INE028A08042	परिपक्वता	10,000.00	01-11-2023	10,00,00,00,000.00
2	INE028A08125	कॉल	9,715.00	07-12-2023	9,71,50,00,000.00
3	INE028A08059	परिपक्वता	10,000.00	16-12-2023	10,00,00,00,000.00
4	INE028A08133	कॉल	2,400.00	20-12-2023	2,40,00,00,000.00
5	INE705A08029	परिपक्वता	2,500.00	22-12-2023	2,50,00,00,000.00
6	INE028A08141	कॉल	2,850.00	10-01-2024	2,85,00,00,000.00
7	INE028A08158	कॉल	4,600.00	14-02-2024	4,60,00,00,000.00
8	INE077A08064	परिपक्वता	7,800.00	26-02-2024	7,80,00,00,000.00
				कुल	49,86,50,00,000.00

दिनांक: 04 मई 2024
स्थान: मुंबई
यूडीआईएन: F006804F000309139

कृते **आर एस पाडिया एंड एसोशिएट**
(कंपनी सचिव)

राजश्री स्वाधीन पाडिया
(साझेदार)
एफसीएस: 6804; सी.पी.: 7488 पीआर: 1117/2021

Form No. MR - 3
Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 dated 08.02.2019]

To,

The Members,
BANK OF BARODA

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of Baroda,** (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Bank of Baroda** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance- mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review)

c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)

g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).

i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non Convertible Securities) Regulations, 2021.

j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)

k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

l) The Following other Laws as applicable to the Bank:

(a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.

(b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

(c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

(d) Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

Bank of Baroda is a corresponding new bank constituted

under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non- Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act including those who can be classified as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect upto 3 Directors depending on the percentage of non governmental shareholding in the Bank.

At present, Bank is having Two Shareholder's Directors who are also classified as Independent Directors. One Non-Official Director appointed by Government of India who is classified as Independent Director.

In terms of section 9 (3) (e) and (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have two Employee Directors required to be nominated by the Government of India. These posts are vacant since 25/07/2014 and 19/09/2017 respectively

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 26/07/2019.

Shri Debadatta Chand has been appointed as Managing Director & CEO by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 1st July 2023 for a period of 3 years.

Shri Sanjay V. Mudaliar was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3)(a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 31st January 2024 for a period of 2 years.

Shri Lal Singh was appointed as Executive Director by Government of India under clause 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 9th October 2023 for a period of 3 years.

Smt. Nina Nagpal was elected by the shareholders on the Bank as Independent Director to the Board under clause 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 24th December 2023 for a period of 3 years.

Vacancy for the post of one Shareholder Director has been created due to resignation of Shri Srinivasan Shridhar as on 21st February 2024. The Bank is in process of filling up this vacancy and scheduled Extra Ordinary General Meeting for the purpose.

Vacancy for the post of Non Executive Chairman has been created on 1st March 2024 due to completion of tenure of Dr. Hasmukh Adhia, Non Executive Chairman of Bank of Baroda.

Vacancy for the post of Executive Director has been created on 1st April 2024 due to superannuation of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director on 31st March 2024.

The Bank officials have taken up with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by Government of India.

All the Board meetings and General meetings were conducted physical and audio visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1) The Bank in its Annual General Meeting for the Financial year 2022 - 23, held on 7th July, 2023 passed the following resolutions with requisite majority :

a) Declare dividend recommended at Board of Directors Meeting held on 16.05.2023 @Rs.5.50 per equity share of Rs.2/- each.

b) The reappointment of Shri Sanjiv Chadha, as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref. eF.no. 4/4/2021-BO.I dated 16th January 2023 issued by Government of India, from 20th January 2023 till the date of his superannuation i.e., on 30th June 2023 or until further orders, whichever is earlier.

c) Appointment of Shri Lalit Tyagi , as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.no. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 issued by Government of India, from 21st November 2022 till 20th November 2025 or until further orders, whichever is earlier

d) Appointment of Shri Mukesh Kumar Bansal, as a Non Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. No. 6/2/2022-BO.I dated 15th December 2022 issued by Government of India, from 15th December 2022, until further orders

e) Appointment of Shri Debadatta Chand, Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification dated 29th April 2023 issued by Government of India, w.e.f. the date of assumption of office on or after 01st July 2023, or until further orders, whichever is earlier.

2) The Bank in its Extra Ordinary General Meeting held on 21.12.2023 passed the following resolutions with requisite majority :-

a) One Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to section 9(3)(i) of the act read with relevant scheme, regulations made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from 24th December 2023 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such appointment. Appointment of Ms. Nina Nagpal as Shareholder Director was approved.

b) Re-appointment of Shri Ajay K Khurana, as an Executive Director of the Bank under section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification dated 18th September 2023 issued by Government of India, w.e.f. 20th September 2023 till the date of his superannuation i.e. 31.03.2024, or until further orders, whichever is earlier.

c) Appointment of Shri Lal Singh, as an Executive Director of the Bank under section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification dated 09th October 2023 issued by Government of India, w.e.f. 09th October 2023, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier

3) Life Insurance Corporation of India (Acquirer) acquired equity shares of Bank on 20th November 2023 raising the total shareholding beyond 5% . All disclosures relating to SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations 2011 were duly made by the Acquirer and Bank (Target Company)

4) The Bank, in compliance with RBI Master Circular - Basel III Capital Regulations, RBI/2022- 23/12DOR.CAP.REC.3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted unsecured, subordinated, redeemable, non- convertible, taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds Series XXV ("bonds") in the nature of debentures of face value of Rs.1 Crore each amounting to Rs. 5000 crores during the year under review:

SI NO	CATEGORY	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	ISSUE SIZE	DATE OF ISSUANCE	MATURITY DATE
1	BASEL III TIER II	INE028A08315	7.75% Bank of Baroda Basel III Compliant Tier II Bonds Series XXV	25,00,00,00,000.00	21-12-2023	21-12-2033
2	BASEL III TIER II	INE028A08331	7.57% Bank of Baroda Basel III Compliant Tier II Bonds Series XXVI	25,00,00,00,000.00	22-02-2024	22-02-2034
			Total	50,00,00,00,000.00		

5) The Bank has also issued and allotted following Long Term Infra Bonds during the year under review:

SI NO	CATEGORY	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	ISSUE SIZE	DATE OF ISSUANCE	MATURITY DATE
1	LONG TERM INFRA	INE028A08307	7.68% Bank of Baroda 2033 LTB Series II	50,00,00,00,000.00	01-12-2023	01-12-2033
2	LONG TERM INFRA	INE028A08323	7.57% Bank of Baroda 2034 LTB Series III	50,00,00,00,000.00	25-01-2024	25-01-2034
			Total	100,00,00,00,000.00		

6) The Bank has redeemed following Bonds during the year under review:

Sl No	ISIN	Reason for redemption buyback, conversion, others (if any))	Quantity redeemed (no. of NCDs)	Actual date for redemption (DD/MM/YYYY)	Amount redeemed
1	INE028A08042	MATURITY	10,000.00	01-11-2023	10,00,00,00,000.00
2	INE028A08125	CALL	9,715.00	07-12-2023	9,71,50,00,000.00
3	INE028A08059	MATURITY	10,000.00	16-12-2023	10,00,00,00,000.00
4	INE028A08133	CALL	2,400.00	20-12-2023	2,40,00,00,000.00
5	INE705A08029	MATURITY	2,500.00	22-12-2023	2,50,00,00,000.00
6	INE028A08141	CALL	2,850.00	10-01-2024	2,85,00,00,000.00
7	INE028A08158	CALL	4,600.00	14-02-2024	4,60,00,00,000.00
8	INE077A08064	MATURITY	7,800.00	26-02-2024	7,80,00,00,000.00
				TOTAL	49,86,50,00,000.00

Date : 04/05/2024
Place: Mumbai
UDIN: F006804F000309139

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Rajshree Swadhin Padia
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488 PR: 1117/2021

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक
Key Financial Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण (प्रतिशत में) Particulars (In Percentage)	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)	5.57%	6.52%	7.28%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF	2.97%	3.51%	4.39%
3	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) Net Interest Margin (NIM)	3.03%	3.31%	3.18%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF	2.60%	3.01%	2.89%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF	0.92%	0.73%	0.94%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF	1.73%	1.78%	1.83%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio	49.24%	47.72%	47.71%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF	1.79%	1.96%	2.00%
9	निवल लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF	0.58%	1.03%	1.15%
10	निवल मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth	11.86%	18.34%	18.95%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	0.57%	0.97%	1.12%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets	0.60%	1.03%	1.17%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances	6.79%	7.54%	8.53%
14	जमाराशियों की लागत Cost of Deposits	3.52%	3.89%	4.92%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	20.27%	20.16%	22.09%
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासेल III Capital Adequacy Ratio - BASEL III	15.68%	16.24%	16.31%
	टीयर Tier - I	13.18%	13.99%	14.07%
	टीयर Tier - II	2.50%	2.25%	2.24%

महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचक
Key Productivity Indicators

क्र. सं. S.No.	विवरण Particulars	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)	79806	78,122	75,515
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)	8209	8,240	8,282
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per employee (₹ in crore)	22.05	26.66	30.46
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु. करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)	20.94	24.61	29.31
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में) Gross Profit per employee (₹ in lakhs)	28.05	34.39	41.01
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाख में) Net Profit per employee (₹ in lakhs)	9.11	18.06	23.56
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु. करोड़ में) Business per branch (₹ in crore)	222.08	260.28	288.91
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु. करोड़ में) Gross Profit per branch (₹ in crore)	2.73	3.26	3.74
9	प्रति शाखा निवल लाभ (रु. करोड़ में) Net Profit per branch (₹ in crore)	0.89	1.71	2.15
10	प्रति शेयर अर्जन (रु.) Earnings per share (Rupees)	14.06	27.28	34.40
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रु.) Book Value per share (Rupees)	118.53	148.80	181.48

परिभाषाएं / Definitions:

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का मासिक/ दैनिक औसत	**Average Working Funds (AWF)**	:	Monthly/Daily average of total assets
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Deposits**	:	Fortnightly/Daily average of total deposits
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Advances**	:	Fortnightly/Daily average of total advances
औसत व्यवसाय	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग	**Average Business**	:	Total of Average Deposits & Average Advances
औसत निवेश	:	कुल निवेशों का पाक्षिक/ दैनिक औसत	**Average Investments**	:	Fortnightly/Daily average of total investments
ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज आय	**Interest Income/AWF**	:	Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल ब्याज व्यय	**Interest Expenses/AWF**	:	Total interest expenses Divided by AWF
ब्याज स्प्रेड/ एडब्लूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित (कुल ब्याज व्यय घटाकर कुल ब्याज आय)	**Interest Spread/AWF**	:	(Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैर-ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित कुल गैर-ब्याज आय	**Non-Interest Income/ AWF**	:	Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालनगत व्यय	:	ब्याज व्यय घटाकर कुल व्यय	**Operating Expenses**	:	Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालनगत व्यय/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Operating expenses/ AWF**	:	Operating expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	:	(गैर-ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से विभाजित परिचालनगत व्यय	**Cost Income Ratio**	:	Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित परिचालनगत लाभ	**Gross (Operating) Profit/ AWF**	:	Operating profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/ एडब्ल्यूएफ	:	एडब्ल्यूएफ से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit/AWF**	:	Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	:	समायोजित निवल मालियत से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Net Worth**	:	Net Profit Divided by Adjusted Net Worth
आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	कुल आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Assets**	:	Net Profit Divided by Total Assets;
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	औसत आस्तियों से विभाजित शुद्ध लाभ	**Return on Average Assets**	:	Net Profit Divided by Average Assets;
अग्रिमों पर प्रतिफल	:	औसत अग्रिम से विभाजित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	**Yield on Advances**	:	Interest earned on Advances Divided by Average Advances;
जमाराशियों की लागत	:	औसत जमाराशियों से विभाजित जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	**Cost of Deposits**	:	Interest paid on Deposits Divided by average deposits;
लाभांश भुगतान अनुपात (कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित)	:	शुद्ध लाभ से विभाजित कॉर्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश	**Dividend Payout Ratio (including corporate Dividend Tax)**	:	Dividend including corporate Dividend Tax Divided by Net Profit;
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (मूल जमाराशियां + शुद्ध अग्रिम)	**Business Per Employee**	:	Core Deposits plus Net Advances Divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित (औसत जमाराशियां + औसत अग्रिम)	**Average Business Per employee**	:	Average Deposits plus average advances divided by Total No. of employees;
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Employee**	:	Gross Profit Divided by Total No. of employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Employee**	:	Net Profit Divided by total No. of employees;
प्रति शाखा व्यवसाय	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित (कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम)	**Business Per Branch**	:	Total Deposits plus total advances divided by No. of Branches;
प्रति शाखा सकल लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित सकल लाभ	**Gross Profit Per Branch**	:	Gross Profit Divided by No. of Branches;
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शाखाओं की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Net Profit Per Branch**	:	Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	:	अंकित मूल्य हेतु समायोजित भारित औसत बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित शुद्ध लाभ	**Earning Per Share**	:	Net Profit divided by number of weighted average outstanding shares adjusted for face value;
प्रति शेयर बही मूल्य	:	बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित समायोजित निवल मालियत	**Book Value Per Share**	:	Adjusted Net Worth divided by number of outstanding shares

31 मार्च 2024 का तुलन पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2024

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
पूंजी और देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**111188,05,47**	97187,35,77
जमाराशियां	Deposits	3	**1326957,84,18**	1203687,78,81
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**94402,25,94**	101910,48,48
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**52213,40,11**	54740,38,10
कुल	TOTAL		**1585797,09,06**	1458561,54,52
आस्तियां	**ASSETS**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**54839,83,34**	54882,63,14
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**40284,30,49**	40820,60,75
निवेश	Investments	8	**369816,83,74**	362485,36,42
अग्रिम	Advances	9	**1065781,71,51**	940998,26,98
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**7912,55,32**	8706,57,28
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**47161,84,66**	50668,09,95
कुल	TOTAL		**1585797,09,06**	1458561,54,52
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**576809,14,55**	577753,35,23
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		**61716,51,02**	67712,46,67
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ललित त्यागी
कार्यपालक निदेशक

संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

लाल सिंह
कार्यपालक निदेशक

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

सुब्रत स्वाईं
महाप्रबंधक
(एस.पी. एंड बी.एफ), उप सीएफओ

पंकज खत्री
उप महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट लेखा एवं कराधान

साई गणेश उज्जिना
उप महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट लेखा एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109574W

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S/S200095

कृते : बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 101048W

कृते : वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109208W

(डी. वी. बल्लाल)
साझेदार
एम. नं. : 013107

(ऋषिकेश जोशी)
साझेदार
एम. नं. : 138738

(एस सुंदररमन)
साझेदार
एम. नं. : 201028

(रमण हंगेकर)
साझेदार
एम. नं. : 030615

(जी शंकर)
साझेदार
एम. नं. : 046050

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2024

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023
I. आय	I. **INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	**112605,94,62**	89588,54,07
अन्य आय	Other Income	14	**14495,36,61**	10025,83,59
कुल	TOTAL		**127101,31,23**	99614,37,66
II. व्यय	II. **EXPENDITURE**			
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	**67884,41,13**	48232,53,23
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	**28251,67,56**	24518,31,24
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies		**13176,44,08**	12753,91,52
कुल	TOTAL		**109312,52,77**	85504,75,99
III. लाभ / हानि	III. **PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/ (Loss) for the year		**17788,78,46**	14109,61,67
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		**17788,78,46**	14109,61,67
IV. विनियोजन / अंतरण	IV. **Appropriations / Transfer**			
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		**4447,19,62**	3527,40,42
बी) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		**104,16,52**	92,57,14
सी) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves			
I) निवेश उतार - चढाव प्रारक्षित निधि	I) Investment Fluctuation Reserve		**-**	30,00,00
II) सामान्य प्रारक्षित निधि	II) General Reserve		**8079,23,03**	7274,11,02
III) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	III) Special Reserve u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act 1961		**615,92,00**	300,00,00
IV) निवेश प्रारक्षित निधि खाता	IV) Investment Reserve Account		**563,86,44**	-
V) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	V) Statutory Reserve (Foreign)		**48,17,32**	41,28,17
डी) प्रस्तावित लाभांश	d) Proposed Dividend		**3930,23,53**	2844,2492
कुल	TOTAL		**17788,78,46**	14109,61,67
V. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹ 2 /-)	V. **Earning Per Equity Share** (Face Value of ₹ 2 /- per share)			
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		**34.40**	27.28
प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्जन (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		**34.40**	27.28
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Debadatta Chand Managing Director & CEO	**Lalit Tyagi** Executive Director	**Sanjay Vinayak Mudaliar** Executive Director	**Lal Singh** Executive Director
Ian Desouza Chief Financial Officer	**Subrat Swain** General Manager (S.P & B.F), Dy. CFO	**Pankaj Khatri** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation	**Sai Ganesh Ujjina** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For Shah Gupta & Co Chartered Accountants FRN: 109574W	**For Khandelwal Jain & Co** Chartered Accountants FRN: 105049W	**For S Venkatram & Co LLP** Chartered Accountants FRN: 004656S/S200095	**For Batliboi & Purohit** Chartered Accountants FRN: 101048W	**For V Sankar Aiyar & Co** Chartered Accountants FRN: 109208W
(D. V. Ballal) Partner M. No.: 013107	**(Rishikesh Joshi)** Partner M. No.: 138738	**(S Sundarraman)** Partner M. No.: 201028	**(Raman Hangekar)** Partner M. No.: 030615	**(G Sankar)** Partner M. No.: 046050

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

तुलन-पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर	1500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति शेयर ₹ 2/- के 1500,00,00,000/-)	(previous period 1500,00,00,000/- shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each		
(पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 शेयर)	(previous period 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	**1037,00,59**	1037,00,59
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government	**1034,27,24**	1034,27,24
(पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	(previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)		
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर 136,67,500	Add: Forfeited Shares 136,67,500	**1,26,12**	1,26,12
(पिछली अवधि 136,67,500)	(Previous Period 136,67,500)		
कुल	TOTAL	**1035,53,36**	1035,53,36

		31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
अनुसूची - 2	**SCHEDULE - 2**				
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**RESERVES & SURPLUS**				
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	**I Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**18677,94,87**		15150,54,45	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**4447,19,62**	**23125,14,49**	3527,40,42	18677,94,87
II प्रारक्षित पूंजी	**II Capital Reserves**				
(₹ 5012.34 करोड़ की पुर्नमूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछली अवधि ₹ 5860.73 करोड़)	(including Revaluation Reserve of ₹ 5012.34 crore (previous period ₹ 5860.73 crore)				

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**13956,99,91**		15116,27,31	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**104,16,52**		92,57,14	
अवधि के दौरान समायोजन	Adjustments during the period	**(3,33,34)**		(2,46,12)	
		14057,83,09		15206,38,33	
कटौतियां :	Deductions:				
सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित पुर्नमूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to General Reserve	**845,05,57**	**13212,77,52**	1249,38,42	13956,99,91
III शेयर प्रीमियम	**III Share Premium**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**31312,15,13**		31312,15,13	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**-**	**31312,15,13**	-	31312,15,13
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	**IV Revenue and other Reserves**				
ए) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	a) Statutory Reserve (Foreign)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**240,64,64**		199,36,47	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**48,17,32**		41,28,17	
		288,81,96		240,64,64	
बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**6944,01,77**		6644,01,77	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**615,92,00**		300,00,00	
		7559,93,77		6944,01,77	
सी) विदेशी मुद्रा रुपांतरित प्रारक्षित निधियां	c) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**4193,89,92**		3381,90,57	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Addition/Adjustments during the period	**53,91,48**		811,99,35	
		4247,81,40		4193,89,92	
डी) पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	d) Capital Hedge Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**160,89,25**		-	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**74,50,90**		160,89,25	
		235,40,15		160,89,25	
ई) निवेश प्रारक्षित खाता	e) Investment Reserve Account	**563,86,44**		-	
एफ) निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित लेखा	f) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**2420,00,00**		2390,00,00	
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	**-**		30,00,00	
		2420,00,00		2420,00,00	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
जी) अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि प्रारंभिक शेष	g) Other Revenue Reserves Opening Balance	**19280,80,28**		10679,93,21	
अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/Adjustments during the period	**8941,34,33**		8600,87,07	
		28222,14,61		19280,80,28	
कुल - IV (ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी)	**TOTAL - IV (a, b, c, d, e, f & g)**		**43537,98,33**		33240,25,86
कुल (I से IV)	**TOTAL (I to IV)**		**111188,05,47**		97187,35,77

अनुसूची - 3 जमाराशियां / SCHEDULE - 3 DEPOSITS

ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	**3574,28,14**		4059,72,21	
ii) अन्य से	ii) From Others	**116836,35,11**	**120410,63,25**	99940,78,69	104000,50,90
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		**393955,60,40**		371096,32,08
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	**89012,50,89**		58001,22,38	
ii) अन्य से	ii) From Others	**723579,09,64**	**812591,60,53**	670589,73,45	728590,95,83
कुल (I से III)	**TOTAL (I to III)**		**1326957,84,18**		1203687,78,81
बी. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	**1128513,79,71**		1047375,20,81	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	**198444,04,47**		156312,58,00	
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**1326957,84,18**		1203687,78,81	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 4 उधार ली गई राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**					
I. भारत में उधार ली गई राशियां	**I Borrowings in India**					
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**8870,00,00**			2429,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	**858,32,32**			11142,62,79	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	**40844,24,03**			54295,37,96	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) एवं एटी1	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) & AT1	**12355,00,00**			12355,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	**10770,00,00**			10756,50,00	
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	**11000,00,00**			1000,00,00	
कुल (i से vi)	**TOTAL (i to vi)**			**84697,56,35**		91978,50,75
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	**II Borrowings outside India**			**9704,69,59**		9931,97,73
कुल - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	**Total - Borrowings (I & II)**			**94402,25,94**		101910,48,48
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार ली गई राशियां	Secured Borrowings included in above			**30640,22,92**		38084,88,76

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान	**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I देय बिल	I Bills Payable	**3821,60,05**	4059,17,82
II अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II Inter Office Adjustments (Net)	**10,48,82**	2424,07,97
III उपचित ब्याज	III Interest Accrued	**6693,45,14**	5396,85,43
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances	**6917,12,73**	7580,54,82
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)	**34770,73,37**	35279,72,06
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**	**52213,40,11**	54740,38,10

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)	**3938,28,44**	3794,80,82
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में	in Current Account	**50901,54,90**	51087,82,32
अन्य खाते में	In Other Account	**-**	-
कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**54839,83,34**	54882,63,14

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
अनुसूची - 7 **बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि**	**SCHEDULE - 7** **BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**				
I भारत में	**I In India**				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**37,07,86**		58,85,24	
बी) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**1251,07,50**	**1288,15,36**	5525,81,28	5584,66,52
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
ए) बैंकों के पास	a) Banks	**-**		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	**-**	**-**	-	-
कुल (i और ii)	**TOTAL (i and ii)**		**1288,15,36**		5584,66,52
II भारत से बाहर	**II Outside India**				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	**19700,50,20**		20367,42,03	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	**5905,29,87**		6037,14,23	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	**13390,35,06**		8831,37,97	
कुल (i, ii और iii)	**TOTAL (i, ii and iii)**		**38996,15,13**		35235,94,23
कुल (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**40284,30,49**		40820,60,75

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
अनुसूची - 8 **निवेश**	**SCHEDULE - 8** **INVESTMENTS**				
I भारत में निवेश (सकल)	**I Investments in India (Gross)**	**356819,69,42**		352875,16,72	
घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	**3295,31,81**		4300,63,10	
भारत में निवल निवेश	Net Investments in India		**353524,37,61**		348574,53,62
अलग - अलग विवरण	B R E A K - U P				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	**322148,96,03**		314867,18,82	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	**1,41,40**		1,41,40	
iii) शेयर	iii) Shares	**2160,11,86**		2230,14,59	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	**25215,61,30**		27135,80,93	
v) अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**3466,78,49**		3474,08,57	
vi) अन्य निवेश (म्यूचुअल फंड, पास-थ्रू प्रमाणपत्र, वेंचर कॅपिटल फंड, सिक्यूरिटी रसीद आदि.)	vi) Other Investments (Mutual Funds, Pass Through Certificates, Venture Capital Fund, Security Receipts etc.)	**531,48,53**		865,89,31	
		353524,37,61		348574,53,62	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
II	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**	**II Investments Outside India (Gross)**	**17514,04,00**		15537,39,78	
	घटायें : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	**1221,57,87**		1626,56,98	
	भारत के बाहर निवल निवेश	Net Investments Outside India		**16292,46,13**		13910,82,80
	अलग - अलग विवरण	**BREAK - UP**				
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	**7564,53,07**		6028,61,31	
	ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**2034,31,06**		2034,31,06	
	iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि.)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	**6693,62,00**		5847,90,43	
			16292,46,13		13910,82,80	
	कुल (I और II)	**TOTAL (I and II)**		**369816,83,74**		362485,36,42
	अनुसूची - 9 अग्रिम	**SCHEDULE - 9 ADVANCES**				
ए	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**47798,19,38**		33714,90,23	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**349522,40,98**		318447,52,65	
	iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	**668461,11,15**		588835,84,10	
	कुल ए (i से iii)	**TOTAL A (i to iii)**		**1065781,71,51**		940998,26,98
बी.	i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	**727998,92,64**		657601,93,31	
	ii) बैंक / सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**99920,47,33**		87634,57,10	
	iii) गैर - जमानती	iii) Unsecured	**237862,31,54**		195761,76,57	
	कुल बी (i से iii)	**TOTAL B (i to iii)**		**1065781,71,51**		940998,26,98
सी.	I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
	i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i. Priority Sector	**291170,76,36**		263806,94,55	
	ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii. Public Sector	**131702,52,20**		116633,87,08	
	iii बैंक	iii. Banks	**1026,77,28**		1076,70,37	
	iv अन्य	iv. Others	**456916,54,89**	**880816,60,73**	395072,11,12	776589,63,12
	II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
	i बैंकों से देय	i Due from Banks	**78927,21,97**		52880,88,50	
	ii अन्य से देय	ii Due from Others				
	ए) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	**11639,00,77**		6834,23,18	

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
बी) सिंडीकेटेड ऋण	b) Syndicated Loans	81829,90,97		79268,11,18	
सी) अन्य	c) Others	12568,97,08	184965,10,79	25425,41,00	164408,63,86
कुल सी (I एवं II)	**TOTAL C (I & II)**		1065781,71,51		940998,26,98

अनुसूची - 10 / SCHEDULE - 10

अचल आस्तियां / FIXED ASSETS

I परिसर	**I Premises**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	14413,66,48		14370,83,11	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	65,28,90		58,36,84	
		14478,95,38		14429,19,95	
अवधि के दौरान कटौतियां / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	36,26,78		15,53,47	
		14442,68,60		14413,66,48	
घटाएं:- आज की तारीख तक मूल्यह्रास / परिशोधन	Less:- Depreciation/ Amortisation to date	8157,34,51	6285,34,09	7271,67,83	7141,98,65
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर)	**II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	9442,57,13		8858,38,46	
अवधि के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/adjustments during the period	973,65,58		844,77,58	
		10416,22,71		9703,16,04	
अवधि के दौरान कटौती / समायोजन	Deductions/adjustments during the period	362,92,05		260,58,91	
		10053,30,66		9442,57,13	
घटाएं: आज की तारीख तक मूल्यह्रास	Less:- Depreciation to date	8426,09,43	1627,21,23	7877,98,50	1564,58,63
कुल (I से II)	**TOTAL (I to II)**		7912,55,32		8706,57,28

अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11

अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS

I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		13207,40,04		12786,51,46
II अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)		7898,71,64		7053,30,87
III लेखन सामग्री और स्टांप	III Stationery & Stamps		2,62,61		8,01,49
IV दावों के निपटान से अर्जित गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियां	IV Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
V अन्य	V Others		26053,10,37		30820,26,13
कुल (I से V)	**TOTAL (I to V)**		47161,84,66		50668,09,95

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

			31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 12	**SCHEDULE - 12**				
आकस्मिक देयताएं	**CONTINGENT LIABILITIES**				
I बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**33847,28,22**		32343,78,28
II आंशिक रुप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		**15,28,00**		15,28,00
III बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		**330624,54,60**		325605,95,65
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
ए) भारत में	a) In India	**52682,99,11**		50941,32,98	
बी) भारत से बाहर	b) Outside India	**8330,96,13**	**61013,95,24**	9591,14,67	60532,47,65
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**24432,75,37**		30935,13,54
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं	VI Other items for which the Bank is Contingently liable		**126875,33,12**		128320,72,11
कुल (I से VI)	**TOTAL (I to VI)**		**576809,14,55**		577753,35,23

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023
अनुसूची - 13	**SCHEDULE - 13**		
अर्जित ब्याज	**INTEREST EARNED**		
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	I Interest / Discount on Advances / Bills	**85098,22,79**	64073,48,91
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	**24865,68,47**	22155,99,59
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**1721,08,00**	1437,41,38
IV अन्य	IV Others	**920,95,36**	1921,64,19
कुल (I से IV)	**TOTAL (I to IV)**	**112605,94,62**	89588,54,07

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2024		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023	
अनुसूची - 14		**SCHEDULE - 14**					
अन्य आय		**OTHER INCOME**					
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**3561,99,53**		2970,01,75
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**1618,18,07**		1299,14,90	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**126,24,61**	**1491,93,46**	236,64,66	1062,50,24
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III	Profit on Revaluation of Investments	**513,09,82**		41,24,88	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		Less: Loss on Revaluation of Investments	**14,86,61**	**498,23,21**	1030,20,86	(988,95,98)
IV	भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**8,72,23**		13,01,33	
	घटाएं: भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**2,46,07**	**6,26,16**	2,30,06	10,71,27
V	विनिमय लेन-देन पर लाभ	V	Profit on Exchange Transactions	**1500,92,34**		1099,55,30	
	घटाएं: विनिमय लेन-देन पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**212,22,41**	**1288,69,93**	450,68,58	648,86,72
VI	विदेशों / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय	VI	Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India		**237,59,04**		287,46,71
VII	विविध आय #	VII	Miscellaneous Income #		**7410,65,28**		6035,22,88
	कुल (I से VII)		**TOTAL (I to VII)**		**14495,36,61**		10025,83,59

विविध आय में बट्टे खातों में की गई वसूली ₹ 3,942.50 करोड़ में शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 3,276.98 करोड़)

Miscellaneous income includes recoveries made in write-off accounts ₹ 3,942.50 Crores (Previous year ₹ 3,276.98 Crores)

अनुसूची - 15		**SCHEDULE - 15**			
अर्जित ब्याज		**INTEREST EXPENDED**			
I	जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits	**59861,51,52**	41697,02,17
II	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	**5643,77,06**	4395,29,38
III	अन्य	III	Others	**2379,12,55**	2140,21,68
	कुल (I से III)		**TOTAL (I to III)**	**67884,41,13**	48232,53,23

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023
अनुसूची - 16		**SCHEDULE - 16**			
परिचालन व्यय		**OPERATING EXPENSES**			
I	कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees	**15816,00,19**	13357,33,15
II	किराया, कर और बिजली	II	Rent, Taxes and Lighting	**1658,74,23**	1568,36,89
III	मुद्रण और लेखन सामग्री	III	Printing and Stationery	**182,75,95**	163,82,29
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity	**178,58,36**	193,31,36
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V	Depreciation on Bank's Property	**1619,67,66**	1954,72,71
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**2,59,68**	2,39,50
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**95,94,02**	83,95,58
VIII	विधि प्रभार	VIII	Law Charges	**366,12,47**	214,77,88
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.	**231,49,26**	174,92,63
X	मरम्मत और रखरखाव	X	Repairs and Maintenance	**1064,47,02**	1025,47,14
XI	बीमा	XI	Insurance	**1727,29,24**	1516,71,49
XII	अन्य खर्च	XII	Other Expenditure	**5307,99,48**	4262,50,62
	कुल (I से XII)		**TOTAL (I to XII)**	**28251,67,56**	24518,31,24

अनुसूची 17

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गयी अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में उत्तरव्यापी प्रभाव से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश एवं डेरिवेटिव

बैंक निपटान की तारीख के आधार पर निवेशों के लिए लेखांकन की एक समान पद्धतियों का अनुसरण करता है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/ डीओआर/2021-22/81 डीओआर. एमआरजी. 42/21.04.141/ 2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप बैंक के निवेश पोर्टफोलियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जिसमें -

i) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

ii) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। ऐसी प्रतिभूतियां, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री हेतु रखा गया है, उन्हें एचएफटी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

iii) ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)'' में वे निवेश शामिल हैं, जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक धारित करने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

तुलन पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 ('निवेश') में प्रकटीकृत के रूप में 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉण्ड और डिबेंचर (ई) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम (एफ) अन्य।

बी) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण के समय प्रदत्त लागत, निवेश संबंधी ब्रोकरेज और आंशिक अवधि के लिए ब्याज जैसी लागत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में डाली जाती है।

सी) वर्गों के बीच अंतरण

निवेश का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पुनःवर्गीकरण, यदि किया गया हो तो, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एएफएस/एचएफटी वर्ग से एचटीएम वर्ग स्क्रिप का अंतरण बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, उस पर किया जाता है। एचटीएम से एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले डिस्काउंट पर एचटीएम के अंतर्गत धारित निवेशों को अधिग्रहण दर पर एएफएस/एचएफटी वर्ग में अंतरित किया जाता है और एचटीएम वर्ग में प्रीमियम पर धारित निवेशों को एमौरटाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है।

एएफएस से एचएफटी के बीच आपस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। ऐसे निवेशों पर मूल्यह्रास, यदि हो तो, को भी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अंतरित किया जाएगा।

इन वर्गों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य पर, जो भी कम हो, अंतरण की तारीख को लेखाकृत किया जाएगा और यदि अंतरण पर मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है।

3.2 मूल्यांकन

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है जबतक कि वह अंकित मूल्य से अधिक हो। इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक एमौरटाइज्ड किया गया है। एचटीएम वर्ग के निवेशों पर प्रीमियम के एमौरटाइजेशन व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त, 2021 के मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी. 42/21.04.141/2021-22 के अनुरूप ब्याज आय में से घटाया जाता है।

''परिपक्वता तक धारित'' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बॉण्ड, जिन्हें स्वरूप / प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अपेक्षाओं के लिए खरीदे गए पास थ्रू प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर, निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) इकाइयों में दिनांक 23 अगस्त 2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए परिपक्वता तक धारित संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे ब्रिक्री के लिए उपलब्ध में अंतरित कर दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों में वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक समय से उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ रु 1/- पर मूल्यांकन किया जाएगा।

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर मार्कड-टू-मार्केट (एमटीएम) होते हैं। अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग में निवल मूल्यह्रास, यदि हो तो, लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में निवल मूल्य वृद्धि, यदि हो तो, उसे पहले प्रावधान किए गए मूल्यह्रास की राशि को छोड़कर शेष को अनदेखा कर दिया जाता है। निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदला नहीं जाता।

पुनर्गठित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन निवेशों के मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान किया जाता है और इसका उपयोग उस श्रेणी में अन्य निषादक प्रतिभूतियों में मूल्य वृद्धि के साथ समायोजित नहीं किया जाता। बैंक द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत अर्जित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे लिखतों के लिए समय-समय पर प्रस्तावित लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के लिखतों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचना कंपनी से समय -समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना करेगा। 01 अप्रैल 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) और प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगी या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगी और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानत: जारी रहेगा। प्रतिभूति रसीद में अन्य दूसरे निवेश का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार होगा।

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बॉण्डों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए। वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों का मूल्यांकन 1 रुपये प्रति श्रेणी I और II एआईएफ किया जाता है।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। शॉर्ट सेल पोजीशन, सिक्यूरिटीज शॉर्ट सोल्ड (एसएसएस) खाते में परिलक्षित होती है जोकि विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए सृजित किया गया है। शॉर्ट पोजीशन को बाजार और हानि के लिए चिह्नित किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जबकि उससे लाभ हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुई लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बॉण्ड जैसे कि तेल बॉण्ड, उर्वरक बॉण्ड, यूडीएवाय बॉण्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में कोटेड निवेश के मूल्यांकन के लिए दरें, स्टॉक एक्सचेंजों पर बाजार दरों / उद्धरण, वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों की तर्ज पर ली जाती हैं।

जिन निवेशों के लिए दरें/ कोट उपलब्ध न हों, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दरें ली जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

ए	सरकारी/स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर	-	ब्रेक अप मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि है पर विचार किए बिना) नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की तारीख मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर एवं पास थ्रू प्रमाणपत्र (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
डी	पीएसयू बॉण्ड्स	-	उपयुक्त क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप सहित परिपक्वता पर यील्ड के आधार पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	प्रत्येक योजना के संबंध में निधि द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक निवेश निर्धारित किए जाते हैं और इसमें मूल्यह्रास/ प्रावधान किए जाते हैं। क्षति के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अलावा भी अतिरिक्त प्रावधान करता है। अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास / प्रावधान, मूल्यवृद्धि के एवज में सेट ऑफ नही हैं। जब तक लाभ और हानि खाते में ब्याज प्राप्त नहीं हो जाता, अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं माना जाता है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के या उन मेजबान देशों के दिशानिर्देशों, में से जो भी सख्त हो, उनका पालन किया जाता है। उन शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में मौजूद हैं जहां कोई विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

3.3 निवेशों का निपटाण

एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में लिया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत आरक्षित खाते में समायोजित की गयी है।

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

3. 4 रेपो/ रिवर्स रेपो के लिए लेखांकन

बैंक ने मार्केट रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेनों [भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी.एमएओ जी.नं./01.01.001/2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपों) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] के लेखांकन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों को संपार्श्विक उधार/ ऋण परिचालन के अंतर्गत माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत एवं राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय जैसा भी मामला हो, के लिए किया जाता है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि

यील्ड में बढ़ोतरी के पेटे संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से आईएफ़आर बनाने की सूचना दी है।

आईएफ़आर में अंतरित राशि निम्नलिखित से कम होगी: (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ (ii) वर्ष के निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाया जाए, जब तक आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी एवं एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% तक नहीं रहती।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं की मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। बैंक, हेजिंग संव्यवहार के प्रारंभ में ही हेज्ड आइटम (आस्ति अथवा देयता) का निर्धारण करता है। हेजिंग की शुरुआत के समय और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हेजिंग की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार महत्व देता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है। हेजिंग के रूप में नामित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है।

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेजिंग के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव्स पोजीशन, जब तक कि हेजिंग के रूप में निर्धारित न हो, मार्क्ड-टू-मार्केट के रूप में चिह्नित किए जाते हैं और परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है तथा लाभ, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर उपचित किए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति की तिथि पर तत्काल आय/ व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

बैंक फेडाई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रूप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ)/मुद्रा फ्यूचर्स का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये प्रावधानों को छोडकर भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हो, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 सतत व्यवहार के रूप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है।

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान.
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित है।
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रत्याभूत हैं (संपार्श्विक) तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्गठित खातों के संबंध में जहां बैंक को देय कुल राशि रु. 1 करोड़ एवं अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है। अन्य खातों के संबंध में उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानतः कुल एक्सपोजर के 5% के रूप में की जाती है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुपालन किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी) पर की गयी हो (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) तो हानि (कमी) को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो जिस वर्ष के दौरान राशि प्राप्त होती है, अधिक्य प्रावधान राशि लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दी जाती है।

बैंकों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामले में और यह बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य (एनबीवी), (अर्थात् बही मूल्य में से प्रावधान हटा कर) पर हो तो हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से ज्यादा है तो आधिक्य प्रावधान राशि रिवर्स नहीं की जाएगी बल्कि अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी को पूरा करने लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

5. अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रावधानों की एक पॉलिसी है। किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का मूल्यांकन प्रति वर्ष किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से केवल पॉलिसी में दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां परंपरागत मूल्य (या पुनर्मूल्यांकित राशियों, जैसा भी मामला हो) में से संचित मूल्यह्रास और अक्षत हानियों, यदि कोई हो, को घटा कर दर्शाया गया है। लागत में खरीद मूल्य तथा आस्ति को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने हेतु की गई कोई खरीद लागत समाविष्ट है। जब ऐसी आस्ति का/से भविष्य में लाभ/ कार्यशील दक्षता बढ़ती है तो आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को पूंजीगत किया जाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ बैंक के लाभ एवं हानि खाते का भाग होता है।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान बाजार मूल्यांकन दर्शाने हेतु अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवधिक आधार पर किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाले और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, स्टाफ के आवासों आदि के रूप में उपयोग की गई सभी भूमि और बिल्डिंग को बैंक के अपने परिसरों को अचल आस्तियों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन पर प्रारक्षित निधि के तहत पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अन्य राजस्व प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में दी गई मदों को छोड़कर)/ व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गयी है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय/ व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गयी है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।

8.2 गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, ब्रोकरेज आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज, शुल्क आय, सभी प्रकार के कमीशन (सरकारी कारोबार और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन के अलावा) के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी कंपनियों के शेयरों पर लाभांश वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।

8.4 जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टेदार अपने पास रखता है उस लीज को लेखांकन मानक (एएस) 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लीज पर लीज भुगतानों को लेखांकन मानक 19 (लीज) के अनुसार लीज शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का समायोजन:

खातों में समय-समय पर हुई वसूलियों (जन-धन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नानुसार समायोजित किया जाना चाहिए:

- बैंक द्वारा सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों एवं प्रदत्त या अदत्त व्ययों के सापेक्ष
- बैंक पर बकाया ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगामी ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के लिए

दावा-दायर/ डिक्री खातों में वसूली को विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित अदालत के निदेशों के अनुसार।
- अदालत के विनिर्दिष्ट निदेशों के अभाव में, गैर वाद-दायर खातों पर यथा लागू।

कॉम्प्रोमाइज / एनसीएलटी समाधान के माध्यम से समझौता द्वारा वसूली।

एनसीएलटी या कॉम्प्रोमाइज मंजूर खाते के माध्यम से संकल्प/ समझौते के मामले में, वसूली को कॉम्प्रोमाइज मंजूरी/ समाधान समझौते की शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है।

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किए गए सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के सापेक्ष
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के सापेक्ष
- मूलधन के भुगतान के सापेक्ष

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि अंशदान योजना एक सांविधिक दायित्व है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

9.2 उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनियमों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है। यह वित्तीय वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और बैंक ऑफ़ बडौदा उपदान निधि न्यास इसका प्रबंधन करता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनिमय, 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गयी है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन फंड न्यास द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियां यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) और शेष चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान संचित मूल्य के आधार पर किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ यथा छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, अतिरिक्त सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्ति पर संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

10. मूल्यह्रास

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (पैराग्राफ 10.3 व 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित तालिका के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है.।

क्र. सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप, स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- आरसीसी फ्रेम संरचना के बिना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे पैरा 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयरों जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

10.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यह्रास खरीद / उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर लिया जाता है।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आस्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर आधारित होता है।

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 28 (आस्तियों का मूल्यह्रास) के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है। इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाज़ार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यह्रास के बाद आस्तियों की शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन" के अनुरूप किया गया है।

12.2 लेखांकन मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को गैर-एकीकृत परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।

12.3 बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय कॉन्ट्रेक्ट के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है। विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय कॉन्ट्रेक्ट को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट से संबंधित लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार हिसाब में लिया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में मान्य होते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग के संबंध में निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में

तत्काल मान्यता दी जाती है। किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गयी साप्ताहिक औसत दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अंतरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इंटरपॉलेटेड' दरों पर बाजार को चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनर्मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाजिर दरों पर अंतरित किया जाता है।

बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाजिर और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के कॉन्ट्रेक्ट के लिए इंटरपॉलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) आय और व्यय का अंतरण फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है।

डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग ''विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व'' खाते में जमा किया जाता है।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड (एएस) 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है. आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है. डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना निवल आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणी में नहीं दर्शाया जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप ऐसी आय के निर्धारण की संभावना बन सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती है।

16 सेगमेंट रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य जिसमें उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as "Held to Maturity" are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

Investments classified as "Held to Maturity" includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit are valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value as per RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after August 23, 2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the

financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 ('Investments') is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank's portfolio are marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units are valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, are valued based on FBIL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd (FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate Credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host

countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/ trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed –

- in case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognised in the Profit and Loss Account,
- in case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognised in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognised in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognised in the Profit and Loss Account.

Derivative positions, unless designated as hedges, are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/ expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a consistent practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured at net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed notionally at 5% of total exposure to the bank as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/initmation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease tern in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time is appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards repayment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts is appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery is appropriated as per the terms of compromise sanction/ resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to March 31, 2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after April 1, 2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		Written Down Value
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life of more than 2 years and in excess of original cost in of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations.

12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognised directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognised in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments are recognised in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including

contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16 SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17 CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

अनुसूची-18: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर टिप्पणियां
Schedule-18: Notes on Account for the year ended March 31, 2024

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण
A. Disclosure in terms of RBI requirements

ए-1 (ए) पूंजी

A-1(a) Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र सं. S. No.	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
i)	कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	99,650.18	85,361.64
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital	12,115.00	12,221.10
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	Tier 1 capital (i + ii)	1,11,765.18	97,582.74
iv)	टीयर 2 पूंजी	Tier 2 capital	17,832.81	15,691.00
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1,29,597.98	1,13,273.74
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	7,94,612.77	6,97,482.76
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.54%	12.24%
viii)	टीयर 1 अनुपात (टीयर 1 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.07%	13.99%
ix)	टीयर 2 अनुपात (टीयर 2 पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.24%	2.25%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) (कुल पूंजी आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.31%	16.24%
xi)	लीवरेज अनुपात	Leverage Ratio	6.57%	6.22%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत निम्नानुसार है: ए. भारत सरकार बी. राज्य सरकार (नाम का उल्लेख करें) सी. प्रायोजक बैंक	Percentage of the shareholding of a) Government of India b) State Government (specify name) c) Sponsor Bank	 63.97%	 63.97%
xiii)	वर्ष के दौरान अर्जित प्रदत इक्विटि पूंजी की राशि	Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
xiv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटि टीयर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी पसंदीदा शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument		2,474
xv)	वर्ष के दौरान अर्जित गैर-इक्विटि टीयर 2 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी पसंदीदा शेयर स्थायी ऋण लिखत और अन्य कोई लिखत	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which Perpetual non-cumulative preference shares Perpetual debt instruments Any Other Instrument	5,000	-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2023-24/31/ डीओआर.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 के माध्यम से बैंकों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा रूपांतरित आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्ति को स्वीकार करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपर्युक्त गणना में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में संचलन का विवरण निम्नानुसार है:

RBI vide circular No. RBI/2023-24/31 DOR.CAP. REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023 has given discretion to Banks to consider Revaluation reserve, foreign currency translation reserve and Deferred tax asset for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-I capital ratio. The Bank has exercised this option in above computation.

The details of the movement in the paid-up equity share capital of the Bank are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण	Particulars	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance	1,034.27	1,034.27
जोड़ें: जब्त किए गए शेयर	Add: Forfeited Shares	1.26	1.26
समायोजित प्रारम्भिक	Adjusted Opening	1,035.53	1,035.53
अधिमानी आबंटन के अनुरूप योग	Addition pursuant to Preferential allotment	-	-
स्टॉक विकल्प के प्रयोग के अनुरूप योग	Addition pursuant to stock options exercised	-	-
क्यूआईपी के अनुरूप योग	Addition pursuant to QIP	-	-
अंतिम शेष राशि	Closing Balance	1,035.53	1,035.53

1) चालू वर्ष-31.03.2024 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

1 Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the current year-31.03.2024:

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

पिछले वर्ष-31.03.2023 के दौरान जुटाए गए आईपीडीआई/एमटीएन (विदेशी) का विवरण

Details of IPDI/MTN raised in (Foreign) during the previous year-31.03.2023

विवरण Particulars	मूलधन राशि Principal Amount	निर्गम तिथि Date of Issue	ब्याज दर Rate of Interest
शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL

2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टीयर I/ टीयर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

2) During the year ended 31 March 2024, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(Amount in ₹ Cr)

लिखत Instrument	पूंजी (टीयरI/ टीयरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/ Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
INE028A08315	टीयर II Tier II	21-12-2033	10 वर्ष 10 Yrs	7.75%	2,500.00
INE028A08331	टीयर II Tier II	22-02-2034	10 वर्ष 10 Yrs	7.57%	2,500.00
कुल Total					5,000.00

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण लिखत पात्र टीयर I/ टीयर II पूंजी अर्जित की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

During the year ended 31 March 2023, the Bank raised Debt Instruments eligible Tier I/Tier II Capital, the details of which are as under:

(Amount in ₹ Cr)

लिखत Instrument	पूंजी (टीयरI/ टीयरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/ Additional)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
INE028A08299	एटी1 AT1	स्थायी Perpetual	लागू नहीं NA	7.88%	2,474.00
कुल Total					2,474.00

3) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर I / टीयर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है: :

3) During the year ended 31 March 2024, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टीयरI/टीयरII/ अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
टीयरII Tier II	INE028A08042	(01-11-2023)	10 वर्ष 10 years	9.80%	1000.00
टीयरII Tier II	INE028A08125	(07-12-2023)	10 वर्ष 10 years	8.42%	971.50
टीयरII Tier II	INE028A08059	(17-12-2023)	10 वर्ष 10 years	9.73%	1000.00
टीयरII Tier II	INE028A08133	(20-12-2023	10 वर्ष 10 years	8.40%	240.00
टीयरII Tier II	INE705A08029	(23-12-2023	10 वर्ष 10 years	9.73%	250.00
टीयरII Tier II	INE028A08141	(10-01-2024	10 वर्ष 10 years	8.60%	285.00
टीयरII Tier II	INE028A08158	(14-02-2024)	10 वर्ष 10 years	8.55%	460.00
टीयरII Tier II	INE077A08064	(26-02-2024	10 वर्ष 10 years	9.86%	780.00
कुल Total					4986.50

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने टीयर I / टीयर II पूंजी के लिए पात्र ऋण लिखतों का मोचन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

During the year ended 31 March 2023, the Bank redeemed Debt Instruments eligible for Tier I /Tier II Capital, the details of which are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

पूंजी (टीयर I/टीयर II/अतिरिक्त) Capital (Tier I/TierII/Additional)	लिखत (सीरीज) Instrument (Series)	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	अवधि Period	कूपन Coupon	राशि Amount
एटी I AT I	INE028A08109	लागू नहीं (कॉल ऑप्शन तारीख 01.08.22) NA (Call option on 01.08.22)	स्थायी Perpetual	8.60%	500.00
टीयर II Tier II	INE077A09104	लागू नहीं (कॉल ऑप्शन तारीख 27.06.22) NA (Call option on 27.06.22)	10 वर्ष 10 years	9.23%	850.00
एटी I AT I	INE028A08117	लागू नहीं (कॉल ऑप्शन तारीख 11.08.22) NA (Call option on 11.08.22)	स्थायी Perpetual	8.65%	850.00
कुल Total					2200.00

ए -1 (बी) आरक्षित पूंजी में कमी

वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान आरक्षित पूंजी में कोई कमी नहीं हुई है (31 मार्च, 2023: शून्य)

A-1 (b) Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2023-24, there is no draw down from the reserves (March 31, 2023: Nil).

ए-2 आस्ति देयताएं प्रबंधन

ए) आस्ति और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

A-2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ करोड़ में)

31.03.2024 को | As on 31.03.2024 | (Amount in ₹ Cr)

समय सीमा Time Bucket	एक दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8-14 Days	15-30 दिन 15-30 Days	31 दिन - 2 माह 31 Days - 2 Months	2 माह से अधिक- 3 माह Over 2 M - 3 Months	3 माह से अधिक - 6 माह तक Over 3 M - Up To 6M	6 माह से अधिक - 12 माह तक Over 6 M - Up to 12 M	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक Over 1 Yr - Up To 3 Yr	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक Over 3 Yr - Upto 5 Yr	5 वर्ष से अधिक Over 5 Yr	कुल Total
जमा राशियाँ Deposits	11,921.29	44,708.17	27,632.66	66,913.05	66,832.36	63,976.86	91,132.22	1,88,183.00	3,13,379.80	1,00,429.89	3,51,848.55	13,26,957.84
	(7609.02)	(44030.64)	(27356.74)	(48665.68)	(39894.92)	(42927.43)	(96536.39)	(211280.17)	(301302.42)	(77791.49)	(306292.89)	(1203687.79)
अग्रिम Advances	2,763.67	5,036.50	9,085.10	11,996.92	19,402.92	29,914.96	45,982.37	1,72,866.76	4,27,603.03	1,66,296.52	1,74,833.28	10,65,781.72
	(5754.96)	(5732.00)	(6387.88)	(12397.68)	(21207.37)	(34646.75)	(64901.19)	(101649.85)	(379217.16)	(137642.30)	(171461.13)	(940998.27)
निवेश # Investments#	1,588.97	1,00,297.67	4,615.33	10,640.75	11,096.48	10,996.85	16,012.51	33,958.66	68,889.04	23,202.83	88,151.42	3,69,450.51
	(551.18)	(106261.06)	(5298.52)	(7272.77)	(8271.59)	(9307.25)	(20084.71)	(36349.94)	(65501.38)	(19962.01)	(83103.04)	(361963.45)
उधार Borrowings	3,770.18	25,583.72	516.22	496.57	2,016.22	3,765.70	6,440.76	12,066.27	18,729.80	7,508.96	13,507.96	94,402.26
	(1.42)	(44755.00)	(4131.06)	(703.05)	(632.05)	(1308.91)	(12638.42)	(12161.10)	(16398.09)	(5665.83)	(3515.55)	(101910.48)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency assets	30,863.29	5,689.40	2,663.59	10,178.66	15,302.27	18,983.45	23,882.70	23,538.73	64,433.54	36,793.93	22,424.92	2,54,754.48
	(28147.61)	(6013.76)	(2819.63)	(7965.72)	(14474.88)	(14831.56)	(30053.63)	(25188.39)	(39545.54)	(33343.12)	(24951.38)	(227335.22)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency liabilities	8,511.00	25,912.31	4,458.21	14,777.85	15,960.59	13,625.65	20,350.43	32,278.06	23,960.25	44,815.57	35,664.86	2,40,314.77
	(4820.56)	(28750.54)	(7414.82)	(10242.86)	(10370.89)	(10062.17)	(16275.70)	(35332.57)	(19457.05)	(30179.27)	(21031.24)	(193937.67)

- कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं ।
- Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों और देयताओं का वितरण बैंक के "समूह आस्ति देयता प्रबंधन नीति 2024" के अनुसार किया गया है।
- The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Group Asset Liability Management Policy 2024" of the Bank.

\# भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों (कार्यनीति निवेशों को छोड़कर) को 50% हेयरकट पर माना गया है, जो 31 मार्च 2024 को ₹ 366.32 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 521.92 करोड़) के बराबर है।

\# Listed Equity Investments (except Strategic Investments) have been considered at 50% haircut as per RBI directions which amounts to ₹ 366.32 crores as of 31.03.2024 (₹ 521.92 crores as of 31.03.2023)

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात

ए-2 बी(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

अनुलग्नक बी

b) Liquidity Coverage Ratio

A-2 b(i) Quantitative Disclosure

Annexure B

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ Cr)

समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure		मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2024		दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2023		सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2023		जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2023		मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2023	
बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda		कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		2,74,901.25		2,57,772.97		2,57,911.21		2,57,415.28		2,51,571.30
कैश आउटफ्लो / Cash Outflows											
2	रिटेल जमा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों की जमाएं जिसमे से: Retail deposit and deposits from small business customers, of which:	7,87,307.53	74,384.46	7,57,125.70	71,444.99	7,39,455.25	69,758.13	7,26,965.33	68,762.40	6,99,938.48	66,325.52
(i)	स्थिर जमाएं Stable Deposits	86,925.83	4,346.29	85,351.72	4,267.59	83,747.97	4,187.40	78,682.62	3,934.13	73,366.72	3,668.34
(ii)	घटाएं स्थिर जमाएं Less Stable Deposits	7,00,381.70	70,038.17	6,71,773.98	67,177.40	6,55,707.28	65,570.73	6,48,282.71	64,828.27	6,26,571.76	62,657.18
3	गैर जमानती होलसेल निधियन जिसमे से: Unsecured wholesale funding, of which:	2,44,471.96	1,46,860.74	1,99,561.82	1,15,645.30	1,84,225.88	1,04,298.05	1,84,198.30	1,01,706.88	1,95,928.79	1,11,880.69
(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	गैर परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटरपार्टियां) Non-operational deposits (all counterparties)	2,44,471.96	1,46,860.74	1,99,561.82	1,15,645.30	1,84,225.88	1,04,298.05	1,84,198.30	1,01,706.88	1,95,928.79	1,11,880.69
(iii)	गैर जमानती कर्ज Unsecured debt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	जमानती होलसेल निधियन Secured wholesale Funding	41,767.33	-	56,022.92	-	55,514.23	-	57,393.49	-	52,257.09	-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमे से Additional requirements, of which	2,02,275.30	23,288.15	1,90,807.75	18,232.33	2,03,310.18	22,957.08	2,05,183.05	21,562.11	1,89,406.02	17,543.29
(i)	डेरिवेटिव एक्स्पोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	874.91	874.91	14.75	14.75	13.91	13.91	6.13	6.13	11.39	11.39

(राशि ₹ करोड़ में)
(Amount in ₹ Cr)

	समेकित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) प्रकटीकरण Consolidated Liquidity Coverage Ratio (LCR) Disclosure	मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2024		दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q3 Ending December 2023		सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q2 Ending September 2023		जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q1 Ending June 2023		मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही का दैनिक औसत Daily Averages of Q4 Ending March 2023	
	बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा Name of the Bank : Bank of Baroda	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value	कुल गैर भारित मूल्य Total Unweighted Value	कुल भारित मूल्य Total Weighted Value
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित आउटफ्लो Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	2,01,400.39	22,413.24	1,90,793.00	18,217.58	2,03,296.27	22,943.18	2,05,176.92	21,555.98	189394.63	17531.90
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व Other contractual funding obligations	6,879.03	6,879.03	2,229.90	2,229.90	2,512.68	2,512.68	2,405.11	2,405.11	2390.49	2390.49
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other contingent funding obligations	92,251.56	2,767.55	92,166.15	2,764.98	92,477.85	2,774.38	96,909.79	2,907.29	101688.56	3050.66
8	कुल नकद आउटफ्लो TOTAL CASH OUTFLOWS	13,74,952.71	2,54,179.93	12,97,914.24	2,10,317.50	12,77,496.06	2,02,300.32	12,73,055.07	1,97,343.79	1241609.43	201190.65
	कैश इनफ्लो / Cash Inflows										
9	जमानती ऋण (उदाहरण, रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	170.31	-	4.48	-	17.64	-	13.08	-	-	-
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से इनफ्लो Inflows from fully performing exposures	40,808.38	30,524.56	26,262.34	19,362.52	31,542.96	23,615.63	32,825.85	24,868.89	32,968.03	26,276.01
11	अन्य नकद इनफ्लो Other cash inflows	4,509.22	4,435.81	1,944.31	1,881.08	2,799.22	2,741.25	3,491.61	3,438.22	2,517.73	2,349.53
12	कुल नकद इनफ्लो TOTAL CASH INFLOWS	45,487.91	34,960.37	28,211.13	21,243.60	34,359.83	26,356.88	36,330.54	28,307.11	35,485.76	28,625.54
		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	
13	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		2,74,901.25		2,57,772.97		2,57,911.21		2,57,415.28		2,51,571.30
14	कुल नेट नकद आउटफ्लो TOTAL NET CASH OUTFLOWS		2,19,219.55		1,89,073.90		1,75,943.44		1,69,036.67		1,72,565.09
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		125.40%		136.33%		146.59%		152.28%		145.78%

ए- 2 बी (ii) गुणात्मक प्रकटीकरण :

01 जनवरी, 2015 से बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित एचक्यूएलए के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे ताकि अत्यधिक चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों के लिए इसकी चलनिधि संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सके। एलसीआर तथा निगरानी संबंधी उपाय प्रारंभ में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से भारतीय बैंकों के लिए समग्रत: बैंक स्तर पर लागू है अर्थात् शाखाओं के जरिए विदेशी परिचालन सहित स्टैंड अलोन आधार पर लागू हैं एवं बाद में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से समेकित आधार पर अर्थात घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियों सहित लागू होंगे।

एलसीओआर के दो घटक हैं:

(i) दबावग्रस्त स्थितियों में उच्च-गुणवत्ता तरल अस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य

(ii) कुल निवल नकद आउटफ्लो: लगातार 30 कैलेंडर दिनों (दबावग्रस्त अवधि) के लिए विनिर्दिष्ट दबावग्रस्त परिदृश्य में 'कुल अनुमानित नकद आउटफ्लो ' में से 'कुल अनुमानित नकद इनफ्लो को घटाकर 'कुल निवल नकद आउटफ्लो' परिभाषित होता है

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद आउटफ्लो}} \geq 100\%$$

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष मार्च, 2016 के लिए एलसीआर प्रकटीकरण एकल आधार पर किया है। दिनांक 01 जनवरी 2016 से भारतीय बैंकिंग उद्योग प्रणाली पर समेकित आधार पर प्रकटीकरण के लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु होने वाले वर्ष के लिए बैंक को एलसीआर प्रकटीकरण दैनिक औसत के आधार पर करना है, इसलिए बैंक ने मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समेकित दोनों आधार पर दैनिक औसत पर एलसीआर की गणना की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 09 जून 2014 के अनुसार बैंक को 01 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना होगा।

एचक्यूएलए की संरचना

चलनिधि की सुविधा के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात मार्च 2024, को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक औसत के आधार पर एचक्यूएलए का अधिकतम हिस्सा अर्थात् 65.00% है उसके बाद न्यूनतम एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जो कि एचक्यूएलए का 18.80% है। एलसीआर गणना के लिए मानी जाने वाली स्तर 2 आस्तियां शून्य हैं।

A-2 b)(ii) Qualitative Disclosure:

From 1st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity requirements for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. The LCR are applicable for Indian banks initially w.e.f.1st January 2015 on a stand-alone basis including overseas operations through branches and subsequently at consolidated basis w.e.f.1st January 2016 i.e. including domestic and overseas subsidiaries.

The LCR has two components:

(i) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(ii) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

$$\text{LCR} = \frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\%$$

As per the RBI guidelines dated 31st March 2014, the Bank has made LCR disclosure on solo basis from the financial year ending March 2016. In terms of extant guidelines, disclosure on consolidated basis was applicable to the Indian banking system from 1st January 2016. Starting from January 2017, the bank had to disclose LCR on daily average basis. Hence the bank has computed LCR on daily average basis both for Solo and Consolidated Level since March 2017. As per the RBI guidelines on LCR dated 9th June 2014, the bank has to maintain minimum LCR of 100% with effect from January 01,2019.

Composition of HQLA

Based on daily averages for the quarter ended March 2024, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion of HQLA i.e. 65.00% followed by Government Securities in excess of minimum SLR requirement which constitute 18.80%. Level 2 assets considered for LCR computation are NIL.

उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) High Quality Liquid Assets (HQLAs)	समेकित आधार पर एचक्यूएलए में औसत अंशदान प्रतिशत Average percentage contribution to HQLA at consolidated basis
लेवल 1 आस्तियां Level 1 Assets	
हाथ में नकदी Cash in hand	1.33%
आधिक्य सीआरआर शेष Excess CRR balance	4.50%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता के अलावा सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities in excess of minimum SLR requirement	18.80%
एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के तहत सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए तथा अनुमत एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक) Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL as allowed for MSF)	8.12%

बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 0% रिस्क-वेट वाले विदेशी संप्रभुओं द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत बाजार योग्य प्रतिभूतियां (मेमो क.सं. 1 के अंतर्गत देशवार विवरण) Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach (country-wise details to be provided under memo item no.1)	2.25%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि हेतु सुविधा (वर्तमान में एफएएलसीआर के लिए यथा अनुमत एनडीटीएल की 16.00 प्रतिशत सीमा तक)) Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio(presently to the extent of 16.00 per cent of NDTL as allowed for FALLCR)	65.00%
कुल समायोजित लेवल 1, आस्तियां Total Adjusted Level 1 Assets	100.00%
कुल समायोजित लेवल 2ए आस्तियां Total Adjusted Level 2A Assets	0.00%
कुल समायोजित लेवल 2बी आस्तियां Total Adjusted Level 2B Assets	0.00%
एचक्यूएलए के कुल स्टॉक = लेवल 1 + लेवल 2ए+ लेवल 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजित - 40% उच्चतम सीमा के लिए समायोजित.. Total Stock of HQLAs = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - Adjustment for 40% cap	100.00%

एलसीआर के प्रमुख वाहक: :

समेकित आधार पर बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान 100% की न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता पर ₹ 2,19,219.55 करोड़ की औसत आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 2,74,901.25 करोड़ एचक्यूएलए (मार्जिन के बाद) को बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर के आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियों, मार्जिनल स्टैण्डिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तथा चलनिधि कवरेज अनुपात की सुविधा प्राप्त करने पर आधारित है। इसके अलावा, एचक्यूएलए के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों के पास एक्सेस सीआरआर तथा विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।

अंत: अवधि परिवर्तन तथा समयोपरांत परिवर्तन :

100% की विनियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष में जनवरी 2024, फरवरी 2024 तथा मार्च 2024 में समेकित आधार पर एलसीआर क्रमश: 116.01%, 134.31% तथा 120.62% था।

निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक एकल काउंटर पार्टी या महत्वपूर्ण काउंटर-पार्टियों का जुड़ा हुआ या संलग्न समूह, जिनका कुल हिस्सा बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। 31 मार्च, 2024 को कोई महत्त्वपूर्ण काउंटर पार्टी जमाराशि नहीं थी।

एक "महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद" को समान लिखतों/ उत्पादों के समूह के एकल लिखत/ उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी सकल राशि बैंक की कुल देयताओं में 1% से अधिक है। निधियन लिखतों/ उत्पादों का उदाहरण-हॉलसेल जमाराशियां, जमाराशियों के प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि। 31 मार्च 2024 तक घरेलू परिचालनों के महत्वपूर्ण लिखत/ उत्पाद, होलसेल जमाराशि अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 11.29%, रिटेल मीयादी जमाराशियां अर्थात् ग्लोबल देयताओं का 27.58%, मांग जमाराशियां अर्थात् वैश्विक देयताओं का 4.82%, बचत जमाराशियों अर्थात ग्लोबल देयताओं का 24.59% और जमा प्रमाणपत्र अर्थात ग्लोबल देयताओं का 2.88% थे।

घरेलू परिचालनों में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता एकल आधार पर हमारी कुल जमाराशियों का 4.14% है।

Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended March 31, 2024, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 2,74,901.25 Crs as against the average minimum requirement of Rs. 2,19,219.55 Crs for maintaining regulatory minimum LCR at 100%. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI and other overseas central banks, securities issued by foreign sovereigns are important factors of HQLA.

Intra-period changes as well as changes over time:

LCR on consolidated basis were 116.01%, 134.31% and 120.62% for the months ended January 2024, February 2024 and March 2024 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of funding sources

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. There was no significant counterparty Deposit as of 31st March 2024.

A "significant instrument/product" is defined as a single instrument/product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products - wholesale deposits, certificates of deposits, long term bonds, etc. Significant instrument/product of Domestic Operations as of 31st March 2024 were Wholesale Deposits i.e. 11.29% of Global Liabilities, Retail Term Deposits i.e. 27.58% of Global Liabilities, Demand Deposits i.e. 4.82% of Global Liabilities, Savings Deposits i.e. 24.59% of Global Liabilities and Certificate of Deposits i.e. 2.88% of Global Liabilities.

Top 20 depositors of the bank at domestic operations constitute 4.14% of our total deposits of Global Operations .

एलसीआर में मुद्रा मिसमैच:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, जहां केवल एक ही मुद्रा के लिए एलसीआर मानक का अनुपालन आवश्यक है, वहीं संभाव्य मुद्रा- मिसमैच पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक मुद्रा की निगरानी आवश्यक है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रुपये में एलसीआर सुनिश्चित कर रहा है और उसकी तुलना नियामक आवश्यकताओं के साथ की जाती है, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं (महत्वपूर्ण मुद्रा उसे कहते हैं जहां उस मुद्रा में दर्शायी गई कुल देयताएं, बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक होती है) के संबंध में बैंक "बीएलआर -4- एलसीआर" के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने हेतु एलसीआर तैयार करता है और इसकी निगरानी करता है। बैंक के लिए USD मुद्रा महत्वपूर्ण मुद्रा है।

बैंक के समग्र तुलन-पत्र को ध्यान में रखते हुए समेकित स्तर पर अमेरिकी डॉलर के आउटफ्लो का प्रभाव न्यूनतम है। यूएसडी टेरीटरीज में आउटफ्लो का प्रबंधन टेरिटरी स्तर से किया जाता है और घरेलू ट्रेजरी के संबंध में बैंक स्तर पर पर्याप्त एचक्यूएलए बनाए रखा जाता है।

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल

31 मार्च, 2024 को बैंक का डेरिवेटिव एक्सपोजर निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1.	डेरीवेटिव्स एक्सपोजर की अनुमानित राशि	4,59,231.53
2.	वर्तमान एक्सपोजर प्रक्रिया के अनुसार एक्सपोजर	12,133.52
3.	अगले 30 दिनों के लिए निवल डेरिवेटिव्स नकदी आउटफ्लो	(394.37)

चलनिधि प्रबंधन की केंद्रीयकरण की डिग्री का विवरण तथा समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक संवाद:

उद्यमवार आधार पर बैंक के लिए चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेवारी निदेशक मंडल की है। निदेशक मंडल ने अपनी यह जिम्मेवारी निदेशक मंडल की समिति को जिसे 'जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल' और "आस्ति देयताएं प्रबंधन समिति (एएलसीओ)" कहा जाता है, को सौंपा है। आरएमसीबी/ एएलसीओ विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच सहबद्धता परिवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

हमारे बैंक में ए.एल.एम. पॉलिसी ग्रुप है जो समूह के भीतर चल निधि एवं ब्याज दर जोखिम को संचालित करने के लिए बृहद दिशा निर्देश देता है। विदेशों में परिचालित बैंक की इकाइयां क्षेत्रीय एएलएम पॉलिसी एवं समूह एएलएम पॉलिसी, दोनों के अनुरुप अपनी परिचालन चल निधि या अल्पावधि चल निधि को लगातार आधार पर या स्वयं ही प्रबंध कर लेती है।

ए.एल.एम. समूह की पॉलिसी के संबंध में दिशानिर्देश, जब तक कि विशेष रुप से छूट प्राप्त न हो, विदेशी परिचालनों में भी लागू किए जाते है। बैंक की सभी वैधानिक संस्थाएं लगातार अपने निजी प्रयासों से अपने व्यवसाय मॉडल तथा चल निधि आवश्यकता के अनुसार अपना प्रबंध करती है। वे अपनी निजी ए.एल.एम पॉलिसी रखते है. चूंकि वैधानिक संस्थाएं बैंकिंग व्यवसाय करती हैं। वे उस देश के दिशा-निर्देशों साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों- इनमें से जो ज्यादा कड़े है, उनके अनुसार कार्य करती है।

ए-2 सी) शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया

Currency mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency. In order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement, but on other significant currencies (A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities), bank is preparing LCR on monthly basis for the submission to RBI under "BLR-4 - LCR" and to monitor the same. For the bank, USD currency is the significant currency.

Considering the overall balance sheet of the bank, the impact of USD outflows at consolidated level is minimal. The outflows in USD of territories are managed by territory level and that of domestic operations are managed at domestic treasury where adequate HQLA is maintained at Bank level.

Derivative exposures and potential collateral calls:

The bank's derivative exposure as on 31st March 2024 is as under:

S.No.	Description	(Amt in ₹ Crore)
1	Notional amount of Derivative exposure	4,59,231.53
2	Exposure as per current Exposure method	12,133.52
3	Net Derivatives cash outflows for next 30 days	(394.37)

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board" and "Asset Liability Management Committee (ALCO). The RMCB/ ALCO is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has Group ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the Group operate in terms of liquidity and interest rate risk. The bank's entities operating in foreign countries manage liquidity in the short-term on their own on an ongoing basis as per both respective territory's ALM policy and Group ALM policy.

The guidelines of the Group ALM policy, unless otherwise specifically exempted, apply to overseas operations as well. All the legal entities of the bank manage their operational liquidity on an ongoing basis on their own according to their business models and liquidity requirement. As to the legal entities carrying out banking business, they have their own ALM Policy in line with the host country guidelines as well as RBI guidelines whichever is more stringent.

A-2 c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing

जाएगा। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फ़ंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फ़ंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)}}$$

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक एनएसएफआर घटकों का गैर-भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक 123.22% हो गया।

महत्वपूर्ण/ प्रमुख वाहक:

पूंजी, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक और व्होलसेल फंडिंग उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) के महत्त्वपूर्ण वाहक हैं। संबद्ध भार लागू करने के बाद उपलब्ध स्थायी फंडिंग का पूंजी में 12% रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहक की जमाराशियां का 66% और होलसेल जमाराशियां 22% शामिल हैं।

कुल अपेक्षित स्थिर फंडिंग मुख्य रूप से ऋण और प्रतिभूतियों के निष्पादन द्वारा संचालित होती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, आवासीय बंधक का निष्पादन और उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं जो एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं। संबंधित भार लागू करने के बाद ये सम्मिलित रूप से कुल आरएसएफ का 73% हैं।

अंत: अवधि परिवर्तन:

समेकित स्तर पर एनएसएफआर में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ, मार्च 2024 की स्थिति 123.22% रही, जबकि मार्च 2023 में यह स्थिति 122.91% थी। इस अवधि के दौरान, भारित एएसएफ में ₹73,532 करोड़ की वृद्धि हुई और भारित आरएसएफ में ₹57,497 करोड़ की वृद्धि हुई।

the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding

$$NSFR = \frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$$

Available Stable Funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2024 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 123.22 % as on 31st March 2024 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

Significant /Key Drivers:

The significant drivers of Available Stable Funding (ASF) are Capital, Retail & small business customer deposits & wholesale funding. The capital constitutes 12%, Retail deposits & small business customer deposits constitute 66% & wholesale deposits constitute 22% of Available Stable Funding after applying associated weights.

The Total Required Stable Funding is mainly driven by performing loans and securities which include financing various stake holders such as retail and small Business customers, non-financial corporate clients, performing residential mortgages and Investment in securities that do not qualify as HQLA. These together constitute for 73% of total RSF after applying the associated weights.

Intra Period Changes:

There was no significant change in NSFR at consolidated level as on March 2024 position at 123.22 % as against march 2023 position of 122.91%. During the period, weighted ASF increased by ₹ 73,532 Crs & weighted RSF increased by ₹ 57,497 Crs.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट NSFR Disclosure Template						
	विवरण Particulars	गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
एएसएफ़ मदें ASF Item						
1	पूंजी : (2+3) Capital: (2+3)	1,31,991.96	-	-	9,095.00	1,41,086.96
2	विनियामक पूंजी Regulatory capital	1,31,991.96	-	-	7,750.00	1,39,741.96
3	अन्य पूंजीगत लिखत Other capital instruments	-	-	-	1,345.00	1,345.00

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट NSFR Disclosure Template						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
4	रिटेल जमा और जमा लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,92,739.41	1,89,935.22	1,57,506.17	86,722.77	7,48,760.90
5	स्थिर जमाराशि Stable deposits	38,911.92	22,313.42	19,435.46	9,152.72	85,379.85
6	घटाएं स्थिर जमाराशियाँ Less stable deposits	3,53,827.49	1,67,621.81	1,38,070.71	77,570.05	6,63,381.05
7	थोक वित्त पोषण: (8+9) Wholesale funding: (8+9)	1,25,560.31	1,06,282.72	1,18,836.59	79,888.22	2,51,491.56
8	परिचालनगत जमा Operational deposits	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक वित्त पोषण Other wholesale funding	1,25,560.31	1,06,282.72	1,18,836.59	79,888.22	2,51,491.56
10	अन्य देयताएँ : (11+12) Other liabilities: (11+12)	39,525.31	1,66,086.55	-	380.14	380.14
11	एनएसएफआर डेरीवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	39,525.31	1,66,086.55	-	380.14	380.14
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)					11,41,719.56
आरएसएफ़ मदें RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					14,580.98
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	17.22	1,873.13	-	-	945.18
16	निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	732.67	1,98,786.06	1,20,559.04	6,99,146.56	6,77,117.21
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत निष्पादक ऋण देना Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	88,412.64	25,357.96	-	25,940.88
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक, रिटेल तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, सोवरेन, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को ऋण देना जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	94,335.06	79,421.10	5,17,473.37	4,98,776.61
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	28,535.56	17,210.97	1,39,748.75	1,13,709.95
21	आवासीय मोर्गेज का निष्पादन जिसमें से Performing residential mortgages, of which:	-	9,289.00	9,941.60	1,33,080.70	1,05,026.73
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	5,981.48	6,836.60	88,551.35	63,970.52

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट NSFR Disclosure Template						
विवरण Particulars		गैर भारित मूल्य और अवशिष्ट परिपक्वता Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No maturity	< 6 माह < 6 months	6 माह से < 1 वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एचक्यूएलए के लिए पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	732.67	6,749.36	5,838.39	48,592.48	47,372.99
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	62615.29	6543.91	473.92	149727.91	2,17,729.08
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	लागू नहीं NA	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान Assetsposted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		564.95	-	-	480.21
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets		751.31	-	-	751.31
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		54.49	-	-	54.49
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	62,615.29	5,173.17	473.92	1,49,727.91	2,16,443.07
30	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम Off-balance sheet items	लागू नहीं NA	3,58,501.05	-	-	16,181.13
31	कुल आरएसएफ Total RSF					9,26,553.57
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)					123.22%

ए-3 निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो का संघटन

A-3 Investments

a) Composition of Investment Portfolio

31,मार्च 2024 के अनुसार As at 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	2,54,884.18	-	5.29	-	3,466.78	206.45	2,58,562.70	21.58	2,034.31	-	2,055.89	2,60,618.59
घटाएं : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	5.29*	-	-	-	5.29	-	-	-	-	5.29
निवल Net	2,54,884.18	-	-	-	3,466.78	206.45	2,58,557.41	21.58	2,034.31	-	2,055.89	2,60,613.30
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	66,837.43	1.41	3,628.23	26,076.37	-	889.34	97,432.78	7,625.13	-	7,833.01	15,458.14	1,12,890.92
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	394.84	-	1,470.12	860.76	-	564.30	3,290.02	82.18	-	1,139.39	1,221.57	4,511.59
निवल Net	66,442.59	1.41	2,158.11	25,215.61	-	325.04	94,142.76	7,542.95	-	6,693.62	14,236.57	1,08,379.33
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल Gross	822.20	-	2.02	-	-	-	824.22	-	-	-	-	824.22
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
निवल Net	822.20	-	2.01	-	-	-	824.21	-	-	-	-	824.21
कुल निवेश Total Investments	3,22,543.81	1.41	3,635.54	26,076.37	3,466.78	1,095.79	3,56,819.70	7,646.71	2,034.31	7,833.01	17,514.03	3,74,333.73
घटाएं : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	-	-	5.29	-	-	-	5.29	0.94	-	215.33	216.27	221.56
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	394.84	-	1,470.13	860.76	-	564.30	3,290.03	81.24	-	924.06	1005.30	4295.33
निवल Net	3,22,148.97	1.41	2,160.12	25,215.61	3,466.78	531.49	3,53,524.38	7,564.53	2,034.31	6,693.62	16,292.46	3,69,816.84

*भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात् 10% से अधिक निवेश के लिए रु 4.64 करोड़ के मानक निवेश पर प्रावधान शामिल है।

*Includes provision on Standard Investment of Rs. 4.64 crores due to Investment above prescribed limit of RBI i.e. 10%.

31.03.2023 के अनुसार
As at 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	भारत में निवेश Investments in India							भारत से बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश शेयर Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बॉन्ड Debentures and Bonds	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Government securities (including local authorities)	अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत से बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
परिपक्वता तक धारित Held to Maturity												
सकल Gross	2,41,599.61	-	5.90	-	3,474.09	266.42	2,45,346.02	21.26	2,034.31	-	2,055.57	2,47,401.59
घटाएं : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	5.9*	-	-	-	5.90	-	-	-	-	5.90
निवल Net	2,41,599.61	-	-	-	3,474.09	266.42	2,45,340.12	21.26	2,034.31	-	2,055.57	2,47,395.69
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल Gross	73,595.94	1.41	4,061.29	28,647.88	-	866.45	1,07,172.97	6,091.27	-	7,390.56	13,481.83	1,20,654.80
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	651.96	-	1,862.98	1,512.07	-	266.98	4,293.99	83.90	-	1,542.67	1,626.57	5,920.56
निवल Net	72,943.98	1.41	2,198.31	27,135.81	-	599.47	1,02,878.98	6,007.37	-	5,847.89	11,855.26	1,14,734.24
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading					-				-			
सकल Gross	323.66	-	32.52	-	-	-	356.18	-	-	-	-	356.18
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	0.06	-	0.68	-	-	-	0.74	-	-	-	-	0.74
निवल Net	323.60	-	31.84	-	-	-	355.44	-	-	-	-	355.44
कुल निवेश Total Investments	3,15,519.21	1.41	4,099.71	28,647.88	3,474.09	1,132.87	3,52,875.17	6,112.53	2,034.31	7,390.56	15,537.40	3,68,412.57
घटाएँ : अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	-	-	5.90	-	-	-	5.90	0.93	-	435.13	436.06	441.96
घटाएँ : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	652.02	-	1,863.66	1,512.07	-	266.98	4,294.73	82.97	-	1,107.53	1,190.50	5,485.23
निवल Net	3,14,867.19	1.41	2,230.15	27,135.81	3,474.09	865.89	3,48,574.54	6,028.63	2,034.31	5,847.90	13,910.84	3,62,485.38

*भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित सीमा अर्थात् 10% से अधिक निवेश के लिए ₹5.25 करोड़ के मानक निवेश पर प्रावधान शामिल है।

* Includes Provision on Standard investment of ₹ 5.25 Cr due to investment above prescribed limit of RBI i.e. 10%.

(बी). **निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि और मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन**

b) **Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve**

(राशि ₹ करोड़ में) **(Amount in ₹ Cr)**

			विवरण Particulars	31 मार्च 2024 31.03.2024	31 मार्च 2023 31.03.2023
i)			निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(ए) a)		प्रारंभिक शेष Opening balance	5,927.19	5,020.08
	(बी) b)		जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	96.29	2021.49
	(सी) c)		जोड़ें /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	22.03	91.97
	(डी) d)		घटाएं : बट्टे खाते डाले गए/वर्ष के दौरान/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ exchange reval adjustment	1,525.62*	1,206.35
	ई) e)		अंतिम शेष राशि Closing balance	4,516.89	5,927.19
ii)			निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(ए) a)		प्रारंभिक शेष Opening balance	2,420.00	2,390.00
	(बी) b)		जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	-	30.00
	(सी) c)		(घटाएं): कमी Less: Drawdown	-	-
	(डी) d)		अंतिम शेष Closing balance	2,420.00	2,420.00
iii)			एएफएस और एचएफटी/ वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष राशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.13%	2.00%

*इसमें अन्य परिसंपत्ति में पुनर्वर्गीकृत परिपक्वता निवेश पर ₹225.98 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

*Includes provision of ₹ 225.98 crores on Matured investment reclassified to Other Asset.

सी) **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी को /से बिक्री एवं अंतरण**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री/ अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में धारित (एचटीएम) श्रेणी निवेश के बही-मूल्य 5.0% से अधिक नहीं रहा। एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण में प्रतिभूतियों का एक बारगी अंतरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप एसएलआर धारिताओं को कम करने के लिए एचटीएम से सीधे बिक्री, ओपेन मार्केट परिचालन कार्रवाई और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत आरबीआई को बिक्री और बायबैक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद या स्विच परिचालन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण शामिल नहीं है।

c) **Sales and transfer to/from Held to Maturity (HTM) Category**

During the year ended March 31, 2024, the value of sales/transfers of securities to/from HTM category did not exceed 5.0% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. Sales and transfers of securities to/from HTM category does not include one-time transfer of securities, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI, sales to RBI under open market operation auctions and government securities acquisition program, repurchase of government securities by Government of India and state development loans by concerned state government under buyback or switch operations and additional shifting of securities explicitly permitted by RBI.

डी) गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / d) Non-SLR investment portfolio

I. अनर्जक एसएलआर निवेश / I. Non-performing non-SLR investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2024	31.03.2023
a)	प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	4502.80	3,719.95
b)	वर्ष के दौरान 01 अप्रैल से जोड़े Additions during the year since 1st April*	302.61	2,566.57
c)	उक्त अवधि के दौरान कमी Reductions during the above period	1200.71*	1,783.72
d)	विनिमय अंतर Exchange Difference	(5.94)	(0.50)
e)	अंतिम शेष राशि Closing balance	3610.64	4,502.80
f)	कुल धारित प्रावधान Total provisions held	3250.11	4,193.31

*इसमें वर्ष के दौरान अन्य आस्ति में पुनर्वर्गीकृत ₹222.98 करोड़ का परिपक्व निवेश शामिल है।

*Includes Matured Investments of ₹ 222.98 crores reclassified to Other asset during the year.

II. गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता घटक / II. Issuer composition of Non-SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता **Issuer**	राशि **Amount**		निजी प्लेसमेंट की सीमा **Extent of Private Placement**		'निवेश ग्रेड के नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Below Investment Grade' Securities**		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unrated' Securities**		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा **Extent of 'Unlisted' Securities**	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		मार्च/Mar-24	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-24	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-24	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-24	मार्च/Mar-23	मार्च/Mar-24	मार्च/Mar-23
a)	पीएसयू PSUs	4,610.33	4,612.51	1,666.63	1,702.91	217.77	226.43	141.12	751.15	-	-
b)	एफआई FIs	17,316.23	17,651.89	8,962.28	9,065.22	10.08	1,045.91	-	-	-	-
c)	बैंक Banks	8,714.07	9,534.72	2,334.90	2,634.03	15.00	175.10	113.58	126.20	113.58	82.17
d)	निजी कार्पोरेट Private Corporates	6,498.88	7,878.62	4,117.62	5,346.45	643.76	901.73	1,629.38	2,468.36	1,198.63	1020.14
e)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम* Subsidiaries/ Joint Ventures*	5,501.10	5,508.40	5,501.10	5,508.40	-	-	-	-	-	-
f)	अन्य Others***	30882.93	29,559.96	22,830.82	22,776.04	-	-	528.79	542.24	547.86	420.69
g)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान Provision held towards depreciation	4,132.28	5,275.17								
	कुल **Total ****	**69,391.27**	**69,470.93**	**45,413.35**	**47,033.05**	**886.61**	**2,349.17**	**2,412.87**	**3,887.95**	**1860.07**	**1,523.00**

* विदेशी अनुषंगियों में ₹2,034.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,034.31 करोड़) के निवेश को शामिल किया गया है।

** राज्य सरकार के गैर-एसएलआर बांड में ₹239.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹358.17 करोड़), भारत सरकार के गैर-एसएलआर रिकैप बॉण्ड में ₹21,496.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21,496.00 करोड़) के निवेश शामिल हैं।

*** अन्य निवेश में ₹7646.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6112.51 करोड़) की विदेशी मुद्रा वाले बांड शामिल हैं।

* Includes Investments in Overseas Subsidiaries of ₹ 2,034.31 Crs (Previous Year ₹ 2,034.31 Crs)

** Includes in State Gov Non SLR bonds of ₹ 239.03 Crs (Previous Year ₹ 358.17 Crs), investments in GOI Non- SLR Recap Bonds of ₹ 21,496.00 Crs (Previous Year Rs. 21,496.00 Crs)

*** Others includes bonds of Foreign Soverign amounting to ₹ 7646.72 Crs (Previous Year ₹ 6,112.51 Crs).

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24-90 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19 दिसंबर, 2023 और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24/140 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.85/21.04.048/2023-24 दिनांक 27 मार्च, 2024 के अनुसार "वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश, बैंक ने एआईएफ में निवेश पर ₹19.17 करोड़ का प्रावधान किया है।

ई) **रेपो संव्यवहार: (अंकित मूल्य के संदर्भ में)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

As per RBI Circular RBI/2023-24-90 DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 Dated December 19, 2023 and RBI circular RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 Dated March 27, 2024 on "Investments in Alternate Investment Funds (AIFs), the Bank holds a provision of Rs 19.17 crores on investments in AIFs.

e) **Repo Transactions: (in face value terms)-**

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2024:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2024 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2024
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	93.31	20220.20	3145.93	9064.88
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	680.96	4519.52	3117.39	4099.52
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	11411.00	152.05	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
ii. अन्य कोई प्रतिभूतियां ii. Any other securities	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान रेपो और रिवर्स रेपो के तहत बेची एवं खरीदी गई प्रतिभूतियों का विवरण:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year ending March 31, 2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2023
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	25,919.20	2,186.21	2426.29
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	1636.77	2,932.28	2,291.23	2932.28
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2023
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	26,156.82	1,723.22	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य कोई प्रतिभूतियां iii. Any other securities	-	-	-	-

एफ) त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यहार ऐसे रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार हैं जिसमें एक त्रिपक्षीय एजेंट रेपो / रिवर्स रेपो की दोनों पार्टियों के बीच संव्यवहार साइकल के दौरान संपार्श्विक चयन, भुगतान एवं निपटान तथा रख-रखाव और प्रबंधन जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए त्रिपक्षीय रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है। ऋण अथवा उधार ली गई धनराशि की गणना नीचे दिए गए टेबल के उद्देश्य से की गई है।

f) Triparty repo / reverse repo transactions are repo / reverse repo transactions where a triparty agent acts as an intermediary between the two parties to the repo / reverse repo to facilitate services such as collateral selection, payment and settlement and custody and management during the life of the transaction. The details of triparty repo / reverse repo transactions undertaken by the Bank during the year ended March 31, 2024 are given below. Amount of funds borrowed or lent have been reckoned for the purpose of the below table.

31 मार्च, 2024 को As on 31.03.2024 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2024 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2024
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	8901.22	63988.16	50845.05	16066.29
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i.सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	850.18	8.74	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को As on 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष Outstanding as on March 31, 2023
त्रिपक्षीय रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	32331.55	76,697.60	63,000.03	32331.55
ii. ऋण प्रतिभूतियां ii. Pool debt securities	-	-	-	-
त्रिपक्षीय रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under triparty repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां i. Government securities	-	8,326.85	80.77	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

जी) एसएलआर निवेश

g) SLR Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024		31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	
	बही मूल्य Book value	**बाजार मूल्य Market value**	**बही मूल्य Book value**	**बाजार मूल्य Market value**
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी और टीबी) * Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	3,00,808.76	3,00,424.63	2,93,665.04	2,93,021.28
अनुमोदित प्रतिभूतियां - एसएलआर Approved sec-SLR	1.41	1.41	1.41	1.41

* इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/बीएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां आदि शामिल हैं
* incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / BSE / NSE, etc

एच) मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां

मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के विवरण निम्नानुसार है :

h) Securities kept as margin

The details of securities that are kept as margin are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31 2024	2023
i.	भारतीय समाशोधन निगम के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Clearing Corporation of India towards:		
	ए) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - प्रतिभूति सेगमेंट a) Collateral and funds management - Securities segment	600.00	1700.00
	बी) संपार्श्विक और निधि प्रबंधन - संपार्श्विकृत ऋण एवं उधार दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट /त्रिपक्षीयरेपो b) Collateral and funds management - Collateralized Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment / Triparty Repo	-	-
	सी) चूक निधि - फॉरेक्स फॉरवर्ड सेगमेंट c) Default fund - Forex Forward segment	127.69	167.69
	डी) चूक निधि - विदेशी मुद्रा निपटान सेगमेंट d) Default fund - Forex Settlement segment	31.92	31.92

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 31 को अंकित मूल्य Face value as at March 31	
		2024	2023
	ई) चूक निधि - रुपी डेरिवेटिव्स (गारंटित निपटान) सेगमेंट e) Default fund - Rupee Derivatives (Guaranteed Settlement) segment	13.36	16.76
	एफ) चूक निधि - प्रतिभूति सेगमेंट f) Default fund - Securities segment	7.00	22.00
	जी) चूक निधि - सीबीएलओ /त्रिपक्षीय रेपो सेगमेंट g) Default fund - CBLO / Triparty repo segment	22.40	34.40
ii	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निम्नलिखित के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with the RBI towards:		
	ए) रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट (आरटीजीएस) a) Real Time Gross Settlement (RTGS))	-	-
	बी) रेपो संव्यवहार b) Repo transactions	-	-
	सी) रिवर्स रेपो संव्यवहार c) Reverse repo transactions	-	-
iii	एनएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम (एनएससीसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with National Securities Clearing Corporation of India (NSCCIL) towards NSE Currency Derivatives segment.	249.00	199.50
iv	बीएसई मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Indian Clearing Corporation Limited towards BSE Currency Derivatives segment	1.00	1.00
v	एमसीएक्स मुद्रा डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए भारतीय मेट्रोपॉलिटन समाशोधन निगम के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Metropolitan Clearing Corporation of India towards MCX Currency Derivatives segment.	0.10	0.10
vi	इक्विटी निपटान हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के पास मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां Securities kept as margin with Stock Holding corporation of India (SHCIL) towards Equity Settlement.	28.00	28.00

i) ए) अनर्जक निवेश **i) A) Non-Performing Investment**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
(i)	निवल निवेशों में निवल एनपीआई (%) Net NPIs to Net Investment (%)	0.10%	0.09%
(ii)	अनर्जक निवेशों का संचलन (सकल) Movement of NPIs (Gross)		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	4,502.80	3,719.95
	(बी) वर्ष के दौरान जुड़े (b) Additions during the year	302.61	2,566.57
	(सी) वर्ष के दौरान घटाए गए (c) Reductions during the year	1,200.71*	1,783.72
	(डी) विनिमय अंतर (d) Exchange Difference	5.94	(0.50)
	(इ) अंतिम शेष (E) Closing balance	3,610.64	4,502.80
(iii)	एनपीआई के प्रावधानों का संचलन Movement of provisions for NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	4,193.31	3,242.24
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	317.56	2,054.58

विवरण Particulars		31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	1,260.76*	1,103.51
	(डी अंतिम शेष (d) Closing balance	3,250.11	4,193.31
(iv)	निवल एनपीआई का संचलन Movement of net NPIs		
	(ए) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	309.49	477.71
	(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (b) Provisions made during the year	(14.95)	511.99
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना (c) Write off/Write Back of Excess Provision	(65.99)	680.21
	(डी) अंतिम शेष (d) Closing balance	360.53	309.49

*परिपक्व निवेश और उस पर वर्ष के दौरान अन्य परिसंपत्तियों में पुनर्वर्गीकृत ₹222.98 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
*Includes matured investments and provision thereon of ₹ 222.98 crores reclassified to Other assets during the year.

(बी) परिपक्व एनपीआई (अन्य आस्तियों की अनुसूची 11 में शामिल)

(ए) निवेश का मूल्य

B) Matured NPI (Included in Schedule 11 of other Assets)

(a) Value of Investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
(i)	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	1,127.33	1,138.25
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	225.98	222.98
(ii)	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(ए) भारत में (a) In India	1,110.99	1,126.96
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	225.98	222.98
(iii)	(iii) निवेशों का निवल मूल्य Net Value of Investments		
	(ए) भारत में (a) In India	16.34	11.28
	(बी) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-

(बी) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन

(b) Movement of provisions held towards depreciation on investments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars		31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
(i)	प्रारंभिक शेष Opening balance	1,349.94	566.40
(ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	-	767.05
(iii)	जोड़े /(घटाएं): विदेशी विनिमय पुनर्मूल्यांकन समायोजन Add /(Less): Foreign Exchange revaluation adjustment	3.00	16.49
(iv)	घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का परांकन Less: Write-back of excess provisions	16.06	-
(v)	अंतिम शेष Closing balance	1,336.88	1,349.94

ए- 4 आस्ति गुणवत्ता

ए) 31.03.2024 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

A-4 Asset Quality

a) Classification of advances and provision held as on March 31, 2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	9,32,784.62	5,439.26	19,181.36	12,143.06	36,763.68	9,69,548.31
जोड़ें : वर्ष के दौरान जोड़े गए Add: Additions during the year					10,396.53	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					15,326.58	
अंतिम शेष Closing balance	10,58,672.17	7,816.01	13,117.49	10,900.13	31,833.63	10,90,505.80
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					1,472.92	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3,256.37	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					9,299.69	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					1,218.12	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		1,575.51	14,538.99	12,094.86	28,209.36	

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non-Performing Advances	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					8,223.90	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					12,182.97	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held					24,250.29	
निवल एनपीए **Net NPAs**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		3,846.09	4,490.03	48.20	8,384.32	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					2,172.63	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					3,343.61	
अंतिम शेष Closing Balance		4,036.55	3,102.07	74.72	7,213.34	
अस्थायी प्रावधान **Floating Provisions**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						**170.00**
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						**200.00**
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year						**-**
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						**370.00**
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियां **Technical write-offs and the recoveries made thereon**						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						73,952.71
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						10,783.25
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off-accounts during the year						8,936.64
अंतिम शेष Closing balance						75,799.32

ए) 31.03.2023 को रखे गए अग्रिमों एवं प्रावधानों का वर्गीकरण

a) Classification of advances and provisions held 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
आरंभिक शेष Opening Balance	7,64,061.09	5,280.48	31,512.32	17,266.60	54,059.40	8,18,120.49
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़े Add: Additions during the year					11,150.39	
घटाएँ : वर्ष के दौरान घटाए गए Less: Reductions during the year					28,446.09	
अंतिम शेष Closing balance	9,32,784.62	5,439.26	19,181.36	12,143.06	36,763.70	9,69,548.31
सकल एनपीए में कमी का कारण : Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन i) Upgradation					3,804.60	
ii) वसूलियाँ (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6,294.67	
iii) तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना iii) Technical/ Prudential Write-offs					16,051.83	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत के अलावा बट्टे खाते डाले गए iv) Write-offs other than those under (iii) above					2,294.99	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधान को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)						
रखे गए प्रावधान का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held		1,565.67	22,179.17	16,949.91	40,694.75	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					-2,361.91	
घटाएँ :वापस आए आधिक्य प्रावधान /बट्टे खाते डाले गए ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,123.50	
रखे गए प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of provisions held		1,575.51	14,538.99	12,094.86	28,209.36	
निवल एनपीए Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		3,714.81	9,333.15	316.69	13,364.65	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नया परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					13,512.30	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					18,492.63	
अंतिम शेष Closing Balance		3,846.09	4,490.03	48.2	8,384.32	

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-Performing				कुल Total
	कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances	अव मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम Total Non- Performing Advances	
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						-
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						170.00
घटाएं : वर्ष के दौरान गिरावट की राशि Less: Amount drawn down during the year						-
अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						170.00
तकनीकी बट्टे खाते डालना और उसमें की गई वसूलियाँ Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टा खाता का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						64,352.98
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते डालना Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						18,251.57
घटाएँ : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेक सम्मत बट्टे खाते से की गई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						4,644.35
बट्टे खाते डालना Write offs						3,655.11
अन्य समायोजन /विनिमय अंतर सहित Other Adjustments/Exchange difference						352.38
अंतिम शेष Closing balance						73952.71

आहरण के औचित्य को निम्नलिखित नोट के माध्यम से तालिका में समझा जा सकता है।

Rationale for drawdown may be explained by way of a note below the table.

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	31.03.2024	31.03.2023
कुल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances	2.92	3.79
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	0.68	0.89
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने सहित) Provision coverage ratio (including Technical W/O)	93.3	92.43
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते डालने को छोड़कर) Provision coverage ratio (excluding Technical W/O)	77.34	77.19

बी) क्षेत्र वार अग्रिम एवं सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr No.	क्षेत्र* Sector	31.03.2024			31.03.2023		
		बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector**						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,37,784.90	6,873.73	4.99	1,22,743.71	8,043.03	6.55
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार हेतु पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	41,051.28	3,370.11	8.21	41,131.77	3,410.54	8.29
c)	सेवाएँ Services	80,109.07	6,476.21	8.08	69,859.17	6,013.96	8.61
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	43,961.90	1,018.81	2.32	41,853.41	1,089.88	2.60
	उप जोड़(i) Subtotal (i)	**3,02,907.15**	**17,738.86**	**5.86**	**2,75,588.06**	**18,557.41**	**6.73**
ii)	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector**						
a)	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियां Agriculture and allied activities	1,546.01	207.47	13.42	1,243.91	613.62	49.33
b)	उद्योग Industry	1,98,525.53	3,868.73	1.95	1,96,836.95	6,366.14	3.23
c)	सेवाएँ Services	3,56,293.11	7,376.90	2.07	3,05,842.01	8,476.59	2.77
d)	वैयक्तिक ऋण Personal loans	2,31,234.00	2,641.66	1.14	1,90,037.38	2,749.94	1.45
	उप जोड़ (ii) Sub-total (ii)	**7,87,598.65**	**14,094.76**	**1.79**	**6,93,960.25**	**18,206.29**	**2.62**
	कुल (i + ii) Total (i + ii)	**10,90,505.80**	**31,833.62**	**2.92**	**9,69,548.31**	**36,763.70**	**3.79**

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue :

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
कुल आस्तियां Total Assets	2,23,536.70	2,10,458.15
कुल एनपीए Total NPAs	8,048.04	10,184.63
कुल राजस्व Total Revenue	14,404.26	7,585.72

डी समाधान योजना और रिस्ट्रक्चरिंग के विवरण

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07 जून, 2019 के अनुसार वर्ष के दौरान कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण:

d) Particulars of resolution plan and restructuring

i) Disclosure relating to Resolution Plans implemented during the year in terms of RBI Circular DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	अवधि के दौरान समाधान योजना क्रियान्वित करने वाले खातों की संख्या No of Accounts where RPs Implemented during this time frame		को बकाया राशि Amount Outstanding as on	
	वित्त वर्ष 2024/FY2024	वित्त वर्ष 2023/FY2023	वित्त वर्ष 2024/FY2024	वित्त वर्ष 2023/FY2023
पुनर्संरचना के अधीन अग्रिम आस्तियों की कुल राशि Total amount of Loan assets subjected to restructuring	1	8	8.44	348.29
पुनर्संरचना के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of standard assets subjected to restructuring	-	5*	-	147.80
पुनर्संरचना के अधीन एनपीए आस्तियों की राशि The amount of NPA assets subjected to restructuring	1	3	8.44	200.49

*जिनमें से 2 खातों का वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ही पूर्ण निपटान कर दिया गया है।
* Out of which, 2 accounts have been fully settled during FY 2022-23 itself.

(ii) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के माध्यम से समाधान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल हैं। बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक 9 खातों में रू. 437.67 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा है, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:-

ii) As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP. BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of Rs. 437.67 Crore as on March 31, 2024 in 9 no. of accounts as detailed below :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	ऋण की राशि जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना है (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	(बी) में से ऋण की वह राशि जिसे 31.03.2024 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया (सी) Amount of Loans as on 31.03.2024 out of (B) classified as NPA (C)	31.12.2023 तक रखे गए प्रावधान (डी) Provision held as on 31.12.2023 (D)	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (ई) Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2024 (E)	31.03.2024 तक रखे गए प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2024 (F)
1,250.50	542.80	542.80	515.42	(77.75)	437.67

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21 जून, 2019 के अनुसार ऐसे खाते जो न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए हैं, के प्रकटीकरण के संबंध में बैंक ने न्यायालय के आदेश के अनुसार 1 (एक) खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किया है और ऐसे मामलों में 31 मार्च, 2024 को बकाया राशि ₹ 26.44 करोड़ है जिसके लिए बैंक ने आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अप्राप्त ब्याज सहित ₹ 7.08 करोड़ का प्रावधान किया है।

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों के लिए 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ₹ 899.56 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है जो आईआरएसीपी मानदंडों के तहत किए गए प्रावधान के अतिरिक्त है।

iii) As per directions of RBI vide letter no 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, One account is classified as Standard by the Bank as per Court orders, with aggregate outstanding of ₹ 26.44 Crores against which the Bank is holding provision of ₹ 7.08 Crores as on March 31, 2024 as per IRACP norms, including provision for unrealized interest.

The Bank is holding additional provision of ₹ 899.56 Crores as of 31.03.2024 over and above the IRACP norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

(iv) **पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इक्विटी में ऋण के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण**

दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण शेयरों के अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

iv) Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process.

As per RBI Circular on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets vide letter RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019, Details of Acquisition of shares due to conversion of debt to equity during a restructuring process is as under:

31.03.2024 के अनुसार As on 31.03.2024

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
आईएनडी बाराथ एनजी* IND BARATH ENERGY*	21	10	-	-
एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड* SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD*	16,640	10	0.02	-
एचसीपी प्लास्टेन बल्कपैक लिमिटेड* HCP PLASTENE BULKPACK LIMITED*	5,12,000	10	0.51	0.51
कुल Total			0.53	0.51

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर. * Shares received under NCLT

31.03.2023 के अनुसार As on 31.03.2023

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No of Shares	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) Face value per Share (in ₹)	अंकित मूल्य (करोड़ में) Face Value (In Cr)	बही मूल्य (करोड़ में) Book Value (In Cr.)
आईएमएजीआईसीए वर्ल्ड ईएनटी लिमिटेड IMAGICAA WORLD ENT LTD	1,13,40,745	10	11.34	17.34
जीएमआर वरौरा एनर्जी लिमिटेड GMR WARORA ENERGY LIMITED	45,39,172	10	4.54	1.97
सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड* SINTEX INDUSTRIES LTD.*	26,08,45,890	1	26.08	26.08
कुल Total			41.96	45.39

* एनसीएलटी के तहत प्राप्त शेयर. * Shares received under NCLT.

ई) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानिकरण में विचलन

आरबीआई मास्टर निर्देश सं. आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर.एसीसी.आरईसी सं 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (दिनांक 25-10-2023 को अद्यतित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

ए) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश संदर्भ संख्या आरबीआई/डीओआर/2022-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2022-23 "मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का अंतरण) निर्देश, 2022 दिनांक 24.09.2022 के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है:

i) **उन ऋणों के संबंध में जो चूक# में नहीं हैं, जो अंतरित या अर्जित किए गए हैं**

e) Divergence in asset classification and provisioning

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended Mar 31, 2023, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (updated as on 25-10-2023).

f) Disclosure of transfer of Loan exposures

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2022-22/86DOR.STR.REC.51/21.04.048/2022-23 "Master Direction - RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2022" dated 24.09.2022 is as under:

i) **In respect of "Loans not in default"#, that are transferred or acquired**

	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए -12 महीनों के लिए रिपोर्टिंग / Reporting for the -12- months ended March 31, 2024	समूहन Syndication		अन्य* Others*	
	विवरण Particulars	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From	को अंतरण Transferred to	से अधिगृहीत Acquired From
(i)	"समनुदेशन" के माध्यम से अधिगृहीत ऋण Loans acquired through "assignment"				
	अधिगृहीत / अंतरित ऋण की कुल राशि (₹ करोड़ में) Aggregate amount of loans acquired / transferred (₹ in Cr.)	3,156.09	12,420.99	-	7,348.83
	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में) Weighted average residual maturity (In months)	-	84	-	67.52
	भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) Weighted average holding period (In Months)	7	5.50	-	9.13
	अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	64.81%	लागू नहीं NA	-	10.19%
	अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (टाइम्स) Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)	-	1.62	-	0.83
(ii)	"नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores)	269.46	1,550.12	-	शून्य NIL
(iii)	"ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	शून्य NIL	शून्य NIL	-	शून्य NIL

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर चूककर्ता न होने वाले ऋणों की पहचान की जाती है।

* टीएलई दिशानिर्देशों के अंतर्गत खरीदे गए पूल को बैंक द्वारा रेटिंग नहीं दी जाती है।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under TLE guidelines are not rated by the Bank.

समूहन (सिंडिकेशन) ऋणों का रेटिंगवार ब्यौरा निम्नानुसार है: **Rating wise breakup of Syndication loans is as below:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाहरी रेटिंग / External Rating	को अंतरण / Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
ए और उससे ऊपर / A and Above	539.76	3,012.37
बी और उससे ऊपर / B and above	2,885.78	9,037.96
बी से कम / Below B	-	169.54
अनरेटेड / Unrated	-	1,751.25

ए) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

a) Details of stressed loans transferred is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2023 to 31.03.2024			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	13	1	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,892.73	37.4	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	457.55	41.38	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	456.55	37.40	-

01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) का विवरण Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2022 to 31.03.2023			
	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरिती को To permitted transferees	अन्य अंतरिती को To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	5	-	-
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	254.69	-	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	42.13	-	-
कुल कन्सिडरेशन Aggregate consideration	160.67	-	-
पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त कन्सिडरेशन की प्राप्ति Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	118.54	-	-

बी) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अधिगृहीत दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण - शून्य

सी) 31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

b) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2023-24 - Nil (PY - NIL)

c) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2024

31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का वितरण

Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	54.07
आरआर2 RR2	10.20
आरआर3 RR3	27.31
आरआर4 RR4	42.20
आरआर 5 RR5	9.69
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	382.06
कुल योग Grand Total	525.53

31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे एसआर का वितरण

Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024

रिकवरी रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर1 RR1	-
आरआर2 RR2	-
आरआर3 RR3	-
आरआर4 RR4	-
आरआर5 RR5	29.55
रेटिंग वापस ली गई Rating withdrawn	730.43
कुल योग Grand Total	759.98

जी) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकटीकरण

g) Disclosure on provisioning pertaining to fraud accounts

विवरण Particulars	वित्त वर्ष 2024 FY 2024	वित्त वर्ष 2023 FY 2023
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या Number of frauds reported during the year	12,061	784
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	402.42	1,780.99
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	390.33	1,180.06
समाप्त वर्ष पर धारित प्रावधान (₹ करोड़ में)) Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	30,885.81	31,507.78
वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	-	13.59

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ारिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि हेतु धोखाधड़ी के लिए देयता उपलब्ध कराने के विकल्प का चयन किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को अग्रिमों को छोड़कर अन्य आगे शामिल किए गए प्रावधान ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹ 13.59 करोड़) रहा।

एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020(आरएफ 1.0) एवं 05.05.2022 (आरएफ 2.0) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कोविड 19 से संबंधित दबाव हेतु समाधान फ्रेमवर्क के तहत क्रियान्वित समाधान योजना का विवरण।

As per the Reserve Bank of India (RBI) circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank had opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2024 is NIL (Rs.13.59 Cr as on March 31, 2023).

h) Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2022 (RF 2.0) as of March 31, 2024.

31.03.2024 के अनुसार As on 31.03.2024 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही अर्थात् 30.09.2023 के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2023 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2024 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2024 (A)
वैयक्तिक ऋण $ / Personal Loans$	3,731.72	106.23	-	392.96	3,326.33
कॉर्पोरेट व्यक्ति* / Corporate persons*	2,838.33	-	-	93.85	1,408.25
जिसमें से एमएसएमई / Of which, MSMEs	139.25	-	-	16.17	57.5
अन्य / Others	863.92	11.06	-	198.74	672.02
कुल / Total	7,573.22	117.29	-	701.72	5,464.10

* जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

$ In case of pool accounts the information is as provided by the originator.

नोट: ₹1333.67 करोड़ के एक्सपोजर वाले 6 कॉर्पोरेट खातों में प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित ऋण के 30% के संतोषजनक चुकौती होने पर रिवर्स कर दिया जाएगा और तदनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक मानक एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाएगा।

Note: Provision in 6 corporate Accounts having exposure of ₹ 1333.67 Cr have been reversed on completion of satisfactory repayment of 30 % of restructured debt as per RBI guidelines and accordingly not included in the standard exposure as on 31.03.2024.

31.03.2023 के अनुसार As on 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पिछले छमाही अर्थात् 30.09.2022 (ए) के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2022 (A)	(ए) में से कुल ऐसा ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गए Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई Of (A), amount written off during the half-year	(ए) में से ऐसी राशि जो छमाही के दौरान उधारकर्ताओं के द्वारा भुगतान की गई Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	समाधान योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्टेंडर्ड के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही की समाप्ति अर्थात् 31.03.2023 (ए) की स्थिति Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan - Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2023 (A)
वैयक्तिक ऋण Personal Loans$	4,459.82	176.32	-	300.89	4,095.12
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	3,333.35	63.63	-	178.88	3,058.23
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	255.48	-	-	18.40	204.21
अन्य / Others	966.59	31.43	-	63.57	957.64
कुल Total	8,759.76	271.38	-	543.34	8,110.99

* जैसा कि दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है।

$ पूल खातों के मामले में प्रवर्तक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

i) बैंक द्वारा पार की गयी एकल ऋणी सीमा (एसबीएल)/ समूह ऋणी सीमा (जीबीएल)

i) Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of Borrower	एकल ऋणी एक्सपोज़र सीमा Single Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2023-24	-	-	-	-
2022-23	-	-	-	-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

वर्ष Year	समूह का नाम Name of Group	समूह ऋणी एक्सपोज़र सीमा Group Borrower Exposure limit	कुल सीमा Total Limit Sanctioned	31 मार्च को शेष Balance as on March 31
2023-24	-	-	-	-
2022-23	-	-	-	-

जे) दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

j) Disclosure on the scheme for sustainable structuring of Stressed Assets (S4A) as on :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2024				ऐसे खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है No. of A/cs where S4A has been applied	31.03.2023			
		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held		बकाया समग्र राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		रखा गया प्रावधान Provision held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B				भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	1	49.17	13.66	35.51	14.20	3	618.27	269.00	349.27	14.20
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल Total	1	49.17	13.66	35.51	14.20	3	618.27	269.00	349.27	14.20

ए-5 एक्सपोज़र

ए) रीयल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

A-5 Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

श्रेणी Category	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र i) Direct exposure	1,48,621.15	1,33,412.82
(ए) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages -	1,21,816.31	1,12,128.36
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण प्रत्याभूत कर्ज, Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	1,21,816.31	1,12,128.36
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण (एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल होंगी) Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector Advances (Exposure would also include non-fund based (NFB) limits)	38,799.12	37,450.95
(बी) एस्टेट वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा प्रत्याभूत वाणिज्यिक रियल कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदार परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) । एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल होंगी। (b) Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	26,804.84	21,284.46
(सी) बंधक युक्त प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS)and other securitized exposures -	-	-

श्रेणी Category	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
i. आवासीय i. Residential	-	-
ii. वाणिज्यिक रियल एस्टेट ii. Commercial Real Estate	-	-
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर ii) Indirect Exposure	31,271.51	39,410.80
निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) (i) National Housing Bank (NHB)	575.00	278.41
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) (ii) Housing Finance Companies (HFCs)	30,696.51	39,132.39
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Real Estate Sector	1,79,892.66	1,72,823.62

बी) पूंजी बाजार एक्सपोज़र

b) Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों की यूनिट में प्रत्यक्ष निवेश जिसका कार्पस कॉर्पोरेट कर्ज में अलग से निवेश नहीं किया गया हो, में प्रत्यक्ष निवेश (i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; ;	1,366.92	1,737.18
(ii) शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपीए सहित), परिवर्तनशील बॉन्डों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट में निवेश के लिए व्यक्तियों को निबाध आधार पर दिए गए अग्रिम (ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	2.05	3.06
(iii) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; (iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	78.21	136.33
(iv) किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो कि शेयरों या परिवर्तनशील बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिट की संपार्श्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्युचुअल फंडों के अलावा ली गई प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है. (iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	526.35	519.06
(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां (v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	671.83	857.7

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
(vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी को प्रवर्तकों के अंशदान के लिए निर्बाध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम (vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii) संभावित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण. (vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की यूनिट के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं. (viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना (ix)Finncing to stock brokers for margin trading	150.14	0.14
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों) का समग्र एक्सपोज़र (x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) ;	685.19	743.59
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र Total Exposure to Capital Market	**3,480.69**	**3,997.06**

पूंजी बाज़ार में ₹ 3,480.69 करोड़ का एक्सपोज़र ₹ 30,636.43 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक की निवल मालियत ₹ 76591.07 करोड़ का 40%) है।

पूंजी बाज़ार में ₹ 2052.11 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 15,318.21 करोड़ की सीमा के अंतर्गत (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक की निवल मालियत ₹ 76591.07 करोड़ का 20%) है।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए मौजूदा नियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन उधारदाताओं को उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए कंपनी की इक्विटी जारी करने के माध्यम से शुरू से ही मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा नियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाता है, उसका विवरण निम्नानुसार है- लागू नहीं
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के हिस्से के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने का विवरण जो सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है, उसका विवरण निम्नानुसार है।

खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
45	1,430.33

सी) **जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर**

देशीय जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2023 और दिनांक 17.06.2004 के परिपत्र के अनुसार - बैंक जोखिम श्रेणियों के अनुसार, किसी देश विशेष को कुल वित्तपोषित एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान करते समय, केवल उस देश के निवल वित्त पोषित एक्सपोजर पर प्रावधान किया जाएगा, जहां बैंक का निवल वित्त पोषित एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1 प्रतिशत या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीआरएमएस नीति यह निर्धारित करती है कि प्रावधान करने के प्रयोजन से पिछली तिमाही की कुल आस्तियों पर विचार किया जाएगा।

बोर्ड ने दिनांक 29.10.2020 को आयोजित अपनी बैठक में, देशीय

The exposure to Capital Market of ₹ 3,480.69 Crores is within the limit of ₹ 30,636.43 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth of ₹ 76591.07 Crores as on March 31, 2023).

The direct exposure to Capital Market of ₹ 2052.11 Crores is within the limit of ₹ 15,318.21 Crores (i.e. 20% of the Bank's net worth of ₹ 76,591.07 Crores as on March 31, 2023).

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements.

- If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, details of the same is as under- NA
- details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits are as under .

No of Accounts	Amount (₹ in Crs.)
45	1,430.33

c) **Risk Category wise Country Exposure**

As per the RBI Circular dated 19.02.2023 & further dated 17.06.2004 on Country Risk Management Guidelines - Banks shall make provisions on the net funded country exposures, according to the risk categories, only in respect of the country, where a bank's net funded exposure is 1 percent or more of its total assets. Further Bank's CRMS policy stipulates that total assets to be considered of the preceding quarter, for the purpose of provisioning.

Board, in its meeting held on 29.10.2020, approved the provision against country based on internal rating grade for assessment of country risk. Further, it is

जोखिम के आकलन के लिए आंतरिक रेटिंग ग्रेड के आधार पर किसी देश-विशेष के लिए किए जाने वाले प्रावधान को मंजूरी दी। इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि जहां सार्वजनिक डोमेन में अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण देश की आंतरिक जोखिम रेटिंग किया जाना संभव नहीं है, वहां ईसीजीसी वर्गीकरण पर आधारित प्रावधान लागू होंगे।

दिनांक 31.12.2023 को बैंक की कुल आस्तियां ₹ 15,39,458 करोड़ रहीं।

कुल आस्तियों का 1% ₹ 15,395 करोड़ है।

31 मार्च, 2024 तक जिन देशों के लिए निवल वित्तपोषित एक्सपोजर अर्थात् ₹15,395 करोड से अधिक है, वे निम्नानुसार हैं -

stipulated that where internal country risk rating is not possible due to unavailability of required information in public domain, provision based on ECGC classification will be applicable.

Total assets of the Bank as on 31st Dec 2023 is ₹15,39,458 crore.

1% of Total Assets is ₹ 15,395 crore.

The Countries, on which Net Funded Exposure exceeded i.e. ₹ 15,395 crore as on 31st March, 2024 are -

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्रम सं. Sl.No	देश Country	जोखिम श्रेणी Risk Category		निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Net Funded Exposure	
		आंतरिक रेटिंग ग्रेड Internal Rating Grade	ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	कुल Total	इसमें से अल्पावधि Of which Short Term
1	यूएसए U.S.A	BOBSOV 1	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	39,626	19,569
2	यूके* UK*	BOBSOV 1	ए-1 नगण्य A- 1 Insignificant	21,227	9,492
3	यूएई U A E	BOBSOV 2	ए- 2 कम A- 2 Low	51,284	30,610
		-		**1,12,137**	**59,671**

यूके* एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स पर एक्सपोजर शामिल हैं

UK* exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands

आवश्यक प्रावधान / Required Provision

	यूएसए / USA BOBSOV1/A1	यूएई / UAE BOBSOV2/A2	यूके* / UK* BOBSOV1/A1	कुल / Total
कुल निवल वित्त पोषित एक्सपोजर Total Net Funded Exposure	39,626	51,284	21,227	1,12,137
इसमें से / Of Which				
- अल्पावधि - Short term	19,569	30, 610	9,492	59,671
- अल्पावधि के अलावा -Other than Short term	20,057	20,674	11,735	52,466
अल्पावधि एक्सपोजर पर प्रावधान (सामान्य प्रावधान दर का 25%) Provision on Short term Exposure (25% of Normal provision rate)	12.23	19.13	5.93	37.29
अल्पावधि एक्सपोजर के अलावा अन्य पर प्रावधान @ 0.25%$ Provision on other than Short term Exposure @ 0.25%$	50.14	51.69	29.34	131.17
प्रावधान / Provision	62.37	70.82	35.27	168.46

यूके* एक्सपोजर में यूके, ग्वेर्नसे, जर्सी, जिब्राल्टर, ब्रिटिश वजन आइलैंड्स, बरमूडा, केमैन आइलैंड्स पर एक्सपोजर शामिल हैं।

$ BOBSOV1 और BOBSOV2 ग्रेडेड देशों के लिए, देशीय जोखिम प्रावधान दर 0.25% है।

UK* exposure comprises of exposure on UK, Guernsey, Jersey, Gibraltar, British Virgin Islands, Bermuda, Cayman Islands.

$ For BOBSOV1 & BOBSOV2 graded countries, the country risk provision rate is 0.25%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

ईसीजीसी वर्गीकरण ECGC Classification	ईसीजीसी श्रेणी ECGC Category	31 मार्च 2024, को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2024	31 मार्च 2024 को प्रावधान Provision held as at March 2024	31 मार्च 2023 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 2023	31 मार्च 2023 को प्रावधान Provision held as at March 2023
ए1 A1	नगण्य / Insignificant	93,078.36	97.64	84,022.20	108.74
ए2 A2	कम / Low	82,956.99	70.82	66,511.70	47.08
बी1 B1	मध्यम कम / Moderately Low	2,990.51		6,388.95	-
बी2 B2	मध्यम / Moderate	1,205.86		1,792.80	-
सी1 C1	मध्यम उच्च /Moderately High	5,095.30		4,312.22	-
सी2 C2	उच्च / High	2.88		5.27	-
डी D	अधिक उच्च / Very High	49.82		49.40	-
	ऑफ कवर Off Cover	0.02		0.02	-
	कुल Total	**1,85,379.74**	**168.46**	**1,63,082.56**	**155.82**

डी) गैर जमानती अग्रिमों की राशि

d) Amount of Unsecured advances

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को राशि Amount as on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को राशि Amount as on March 31, 2023
(i)	बैंक के कुल गैर जमानती अग्रिम Total unsecured advances of the bank	2,37,862.32	1,95,761.77
(ii)	उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
	ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	-

ई) फैक्टरिंग एक्सपोज़र का विवरण - शून्य

e) Details of factoring exposures - Nil

एफ) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर

f) Intra Group Exposures

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024			31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि Total Amount of Intra Group Exposures	7,240.12	4,440.56	11,680.68	6,594.76	4,419.98	11,014.74
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	7,240.12	4,440.56	11,680.68	6,594.76	4,419.98	11,014.74

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024			31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023		
	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total	निधि आधारित Fund Based	निवेश आधारित Investment Based	कुल Total
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए बैंक के कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.48%	0.29%	0.77%	0.54%	0.36%	0.90%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का विवरण और उसपर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

जी) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने मुद्रा आधारित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया स्थापित की है। ऋण मूल्यांकन ज्ञापन को आरंभ में तैयार किया जाता है और विनिमय जोखिम पर चर्चा करने कि ग्राहक, व्यापार संबंधी, विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित सभी स्रोतों से कितना एक्स्पोज है, के लिए ऋण सुविधा की समीक्षा की आवश्यकता है। यह विनिमय जोखिम को कम करने के लिए ग्राहक को उपलब्ध प्राकृतिक हेज के साथ- साथ ग्राहकों द्वारा अपनायी जाने वाली अन्य हेजिंग की पद्धतियों को कवर कर सकता है। बैंक द्वारा परिभाषित प्रारंभिक सीमा के बाहर विदेशी मुद्रा ऋण देने के लिए ग्राहक को बैंक के साथ उचित जोखिम हेजिंग प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वैकल्पिक तौर पर, बैंक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ग्राहक के पास उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान भी विनिमय जोखिम को कम करने की वित्तीय क्षमता है और / अथवा जोखिम कम करने के लिए अन्य विकल्प हैं। बैंक के पास विनिमय दरों में अधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान ग्राहक के सूचना के मासिक समीक्षा की नीति है। जब किसी ग्राहक को ऋण सुविधा प्रदान की जाती है उस ग्राहक की विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के अनहेज्ड भाग पर जानकारी की मासिक समीक्षा की नीति है। ग्राहक को ऋण सुविधाएं देते समय ग्राहक की अनहेज्ड विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित क्रेडिट जोखिम रेटिंग लिंक्ड सीमा लागू है। विनिमय दर में बृहद स्तर पर दुष्प्रभाव के चलन से प्रभावित ग्राहक के अनहैज्ड विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर की सीमा सहित अनुपालन का मूल्यांकन ग्राहक की वार्षिक आय में ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) के पूर्व गिरावट का आकलन करके किया जाता है। जहां इस तरह के सिमुलेशन में उल्लंघन पाया जाता है, ग्राहक को सलाह दी जाती है कि वह अपने अनहेज्ड एक्स्पोजर को कम करे।

g) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has in place a policy and process for managing currency induced credit risk. The credit appraisal memorandum prepared at the time of origination and review of a credit facility is required to discuss the exchange risk that the customer is exposed to from all sources, including trade related, foreign currency borrowings and external commercial borrowings. It could cover the natural hedge available to the customer as well as other hedging methods adopted by the customer to mitigate exchange risk. For foreign currency loans granted by the Bank beyond a defined threshold the customer is encouraged to enter into appropriate risk hedging mechanisms with the Bank. Alternatively, the Bank satisfies itself that the customer has the financial capacity to bear the exchange risk in the normal course of its business and has other mitigants to reduce the risk. The Bank has a policy of quarterly review of information on the unhedged portion of foreign currency exposures of customers during the periods of high volatility in exchange rates. A Board approved Policy on Provisioning Requirements for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure of borrowers is in force. The compliance with the limit is assessed by estimating the extent of drop in a customer's annual Earnings Before Interest and Depreciation ('EBID') due to a potentially large adverse movement in exchange rate impacting the unhedged foreign currency exposure of the customer. Where a breach is observed in such a simulation, the customer is advised to reduce its unhedged exposure.

प्रावधानों का संचलन निम्नानुसार है:

Movement of the provision is as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
ए. प्रावधान खाते में आरंभिक राशि a. Opening balance provisions account	281.71	196.58
बी. लेखांकन वर्ष में किए गए प्रावधानों का हिस्सा / लेखांकन वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि b. The quantum of provisions made in the accounting year / Amount Reversed during the accounting year	(58.49)	85.13
सी. प्रावधान खाते में अंतिम शेष c. Closing balance in the provisions account	223.22	281.71

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निर्देश, 2022 आरबीआई/2022-23/131 डीओआर.एमआरजी.आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्तूबर, 2022 के तहत अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का आकलन किया है तथा 31 मार्च, 2024 को ₹223.22 करोड़ का प्रावधान किया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक यूएफसीई राशियों पर अतिरिक्त आरडबल्यूए की राशि ₹2250.63 करोड़ है।

ए-6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का सकेन्द्रन

Based on the available financial statements and the declarations from borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of Reserve Bank of India (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹ 223.22 crores as on March 31, 2024. Additional RWA on UFCE amounts to Rs 2250.63 crore as on March 31, 2024.

A-6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
(ए) (a)	जमाराशियों का संकेन्द्रन Concentration of Deposits		
	बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	60,638.22	56,290.56
	बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (% में) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (in %)	4.57%	4.68%
(बी) (b)	अग्रिमों का संकेन्द्रन Concentration of Advances		
	बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों को दिया गया कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers/customers	1,57,954.02	1,50,235.93
	बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिम का प्रतिशत (% में) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank (in %)	14.48%	15.49%
(सी) (c)	एक्सपोज़र का सकेन्द्रन Concentration of Exposures		
	बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,99,393.35	2,05,890.99

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.14%	16.80%
(डी) एनपीए का सकेन्द्रन (d) Concentration of NPAs		
शीर्ष बीस एनपीए खातों के लिए कुल एक्सपोज़र Total Exposure to top twenty NPA accounts	6,666.58	7,621.23
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest NPA exposure to Total Gross NPAs.	20.94%	20.73%

ए-7 डेरीवेटिव्स

ए) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

A-7 Derivatives

a) Forward Rate Agreement/Interest rate Swaps (IRS)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
स्वैप समझौते का अनुमानित मूलधन / The notional principal of swap agreements	73,757.36	96,155.16
समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	785.50	1,092.66
स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित संपाश्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	1,421.67	1,980.46
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण The fair value Concentration of credit risk arising from the swaps of the swap book	572.34	647.95

31 मार्च, 2024 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2024 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	96	2,805.00	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	31	2,125.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	102	1,845.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	451.64	SOFR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	37.92	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1413	30,346.15	MIBOR	अस्थायी प्राप्य / स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1427	28,644.41	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	12	325.00	MMIFOR	अस्थायी प्राप्य/ स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	5	175.00	MMIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	91	4,602.95	FIXED	स्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FIXED PAY/FLOAT RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,399.30	FIXED	स्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FIXED PAY/FLOAT RECEIVE

31 मार्च, 2023 तक वायदा दर समझौतों एवं ब्याज दर स्वैप का प्रकार एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:

Nature and terms of Forward Rate Agreements and interest rate swaps as on 31st March 2023 are given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	59	3350	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	83	2650	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	5	500.00	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	16	500.00	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	444.95	SOFR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	1	37.35	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1626	38,341.61	MIBOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	1726	38,020.37	MIBOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	5	903.87	SOFR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	3	903.87	SOFR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	13	375	MIFOR	अस्थायी प्राप्य/स्थायी देय FLOAT RECEIVE/FIXED PAY
आईआरएस IRS	ट्रेडिंग Trading	8	275	MIFOR	स्थायी प्राप्य/ अस्थायी देय FIXED RECEIVE/FLOAT PAY
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	62	4,357.45	FIXED	स्थायी देय/ अस्थायी प्राप्य FIXED PAY/FLOAT RECEIVE

लिखत Instruments	प्रकार Nature	संख्या Nos	अनुमानित मूलधन Notional Principal	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	2	2,321.98	FIXED	अस्थायी देय/ स्थायी प्राप्य FLOAT PAY/FIXED RECEIVE
आईआरएस IRS	हेजिंग Hedging	3	3,173.71	LIBOR	अस्थायी प्राप्य /अस्थायी देय FLOAT RECEIVE/FLOAT PAY

बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. S No	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का अनुमानित मूलधन (लिखत-वार)) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	-	22.81
(ii)	यथा दिनांक को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on (instrument-wise)	-	-
(iii)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का बकाया अनुमानित मूलधन तथा जो "अत्याधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-
(iv)	बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व करेंसी डेरीवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य तथा जो "अत्याधिक प्रभावी" न हो (लिखत-वार) Mark-to-market (MTM) value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	-	-

सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

एकीकृत ट्रेजरी परिचालन (घरेलू) एवं हेजिंग संबंधी बैंक की नीति में वित्तीय डेरीवेटिव्स लिखतों के प्रकार, उपयोग के आयाम, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट जैसी सीमाएं निर्धारित की गयी हैं। काउंटरपार्टी एक्सपोजर सीमाएं, काउंटरपार्टी बैंकों पर एक्सपोजर सीमाओं संबंधी नीति द्वारा निर्देशित होती हैं। बैंक अपने तुलन-पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन-देनों का उपयोग करता है । मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन-देनों में प्रतिफल बढ़ाने एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।

बैंक में जिन जोखिमों की सम्भावना बनी रहती है, वे हैं: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं जो एमटीएम जोखिम पर कीमत, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन-देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) Qualitative Disclosure

Policy on Integrated Treasury Operations (Domestic) & Hedging Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits and stop loss limits for undertaking derivative transactions. Counterparty exposure limits are guided by the Policy on Exposure limits on Counterparty Banks. The bank uses financial derivative transactions for hedging, it's on or off balance sheet exposure as well as for market making. Basically, these products are used for hedging, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk. The Bank has Board approved Market Risk Management Policy, which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by monitoring various market risk limits like by way of MTM, Value at Risk (VaR), Modified Duration and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored through system driven computations/reports and the same is apprised to the

विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा निगरानी की जाती है तथा इस बारे में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षतावाली निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

लेन-देनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं। डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम के आकलन के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसकी गणना अनुबंध के संभावित भावी एक्सपोजर (संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर लागू क्रेडिट रूपांतरण कारक के साथ अनुबंध के अनुमानित मूल्य को गुणा करके प्राप्त) को संविदा की प्रतिस्थापन लागत में जोड़कर परिकलित की जाती है:-

कनवर्जन फैक्टर अनुमानित मूलधन राशि पर लागू किया जाएगा

ALCO by the Risk Management Department of the Bank from time to time which, in turn, appraises the risk profile to the Risk Management Committee of the Board, which is presided over by the Bank's Managing Director and CEO.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the Current Exposure Method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products, which is computed by adding the Potential Future Exposure (derived by multiplying the Notional value of the contract with the applicable Credit Conversion factor based on the residual maturity of the contract) of a contract to the +ve replacement cost of the contract:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract		विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract	
	वित्त वर्ष 2024 FY 2024	वित्त वर्ष 2023 FY 2023	वित्त वर्ष 2024 FY 2024	वित्त वर्ष 2023 FY 2023
एक वर्ष से कम Less than one year	0.50%	0.50%	2.00%	2.00%
एक वर्ष से पांच वर्ष One year to Five Year	1.00%	1.00%	10.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक Over five years	3.00%	3.00%	15.00%	15.00%

ए) निम्नलिखित खंड समान्यतः बैंक द्वारा किए जाने वाले डेरिवेटिव लेन-देन की प्रकृति एवं शर्तों की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं ।

ब्याज दर अनुबंध

फॉरवर्ड रेट करार खरीदार को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख (निपटान तारीख) पर शुरू होने वाली निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज की अंतर्निहित दर निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करते हैं । मूलधन का कोई आदान-प्रदान नहीं होता है और निपटान तारीख पर निपटान प्रभावी होता है । निपटान राशि अनुबंधित दर और निपटान तारीख पर प्रचलित बाजार दर के बीच का अंतर है ।

ब्याज दर स्वैप में अंतर्निहित (या अनुमानित) मूलधन का आदान-प्रदान किए बिना निर्दिष्ट अवधि के लिए काउंटरपार्टी के साथ ब्याज दायित्वों का आदान-प्रदान शामिल है ।

ब्याज दर कैप एंड फ्लोर्स खरीदार को अधिकतम या न्यूनतम ब्याज दर तय करने की क्षमता प्रदान करते हैं । कॉन्ट्रैक्ट का राइटर उस राशि का भुगतान करता है जिससे बाजार दर क्रमशः कैप रेट या फ्लोर रेट से अधिक या कम होता है । ब्याज दर कैप्स और फ्लोर का संयोजन ब्याज दर कॉलर, कैप स्प्रेड और फ्लोर स्प्रेड जैसी संरचनाएं बना सकता है ।

a) The following sections outline the nature and terms of the derivative transactions generally undertaken by the Bank.

Interest rate contracts

Forward rate agreements gives the buyer the ability to determine the underlying rate of interest for a specified period commencing on a specified future date (the settlement date). There is no exchange of principal and the cash flows is effected on the settlement date. The settlement amount is the difference between the contracted rate and the market rate prevailing on the settlement date.

Interest rate swaps involves the exchange of interest obligations with the counterparty for a specified period without exchanging the underlying (or notional) principal..

Interest rate caps and floors gives the buyer the ability to fix the maximum or minimum rate of interest. The writer of the contract pays the amount by which the market rate exceeds or is less than the cap rate or the floor rate respectively. A combination of interest rate caps and floors can create structures such as interest rate collar, cap spreads and floor spreads.

ब्याज दर वायदा सौदे एक मानकीकृत ब्याज दर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कल्पित प्रतिभूति या अन्य किसी ब्याज के साथ वाले लिखत या इस तरह के लिखतों के इंडेक्स की खरीद या बिक्री करने या कॉन्ट्रैक्ट के समय भविष्य की किसी तारीख के लिए निर्धारित ब्याज दरों पर ट्रेड करने से है ।

विनिमय दर अनुबंध

फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट भविष्य की तारीख पर विनिमय की सहमत दरों पर निश्चित मात्रा में मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए करार है । इन लिखतों को फेडाई (एफईडीएआई) दरों या बाजार कोटेशन के आधार पर उचित मूल्य पर खरीदा/ बेचा जाता है ।

क्रॉस करेंसी स्वैप विभिन्न मुद्राओं के मूल्य वर्ग में मूलधन राशि का आदान-प्रदान करने के लिए करार हैं । क्रॉस करेंसी स्वैप में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विनिर्दिष्ट मुद्रा में ब्याज भुगतान के लिए एक निर्दिष्ट मुद्रा पर ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है ।

मुद्रा विकल्प (एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा विकल्पों सहित) खरीदार को प्रीमियम के भुगतान पर निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर या उससे पहले एक्सचेंज की सहमत दरों पर मुद्रा की निश्चित मात्रा खरीदने या बेचने के लिए अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं, देता है ।

मुद्रा वायदा अनुबंध निर्दिष्ट मूल्य पर, भविष्य की एक निश्चित तारीख पर निश्चित अंतर्निहित मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पर कारोबार किया जाने वाला एक मानकीकृत अनुबंध है । किसी मुद्रा वायदा अनुबंध का अंतर्निहित लिखत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की एक इकाई के बीच विनिमय की दर है ।

बैंक का डेरिवेटिव लेन-देन बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है । बिक्री गतिविधियों में समय-समय पर यथा लागू विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ग्राहकों को डेरिवेटिव की स्ट्रक्चरिंग एवं मार्केटिंग भी शामिल है ताकि उनको अपने बाज़ार जोखिम (ब्याज दर एवं विनिमय जोखिम दोनों) को हेज करने में समर्थ बनाया जा सके । बैंक डेरिवेटिव में स्वयं के खाते (व्यापार गतिविधि) से सौदा करता है जो मूल रूप से मूल्य आय में लघु अवधि में होने वाले उतार-चढ़ाव या अंतर्निहित अस्थिरता से लाभ जनरेट करना है । बैंक अपने दायित्वों या तुलनपत्र आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए भी डेरिवेटिव में सौदा करता है ।

डेरिवेटिव व्यवसाय में शामिल घटक

ट्रेजरी फ्रंट-ऑफिस ग्राहकों और अंतर-बैंक प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न लेन-देन करता है । नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास एक स्वतंत्र बैक-ऑफिस और मिड-ऑफिस है ।

<u>प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना</u>

बैंक अपनी व्यापारिक रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रतिपक्षों के साथ डेरिवेटिव लेन-देन करता है । बैंक एक्सपोजर के क्रिस्टलीकरण होने की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिपक्ष की क्षमता का मूल्यांकन करने के उपरांत उचित सीमा निर्धारित करता है । उचित क्रेडिट प्रसंविदा जहां आवश्यक हो, निर्धारित की जाती हैं, ताकि जोखिम को समाहित करने के लिए संपार्श्विक की मांग की जा सके या लेन-देन को निरस्त किया जा सके ।

Interest rate futures are standardised interest rate derivative contracts traded on a recognised stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instruments or interest rates at a specified future date, at a price determined at the time of the contract.

Exchange rate contracts

Forward foreign exchange contracts are agreements to buy or sell fixed amounts of currency at agreed rates of exchange on future date. These instruments are carried at fair value, determined based on either FEDAI rates or market quotations.

Cross currency swaps are agreements to exchange principal amounts denominated in different currencies. Cross currency swaps may also involve the exchange of interest payments on one specified currency for interest payments in another specified currency for a specified period.

Currency options (including Exchange Traded Currency Option) gives the buyer, on payment of a premium, the right but not an obligation, to buy or sell specified amounts of currency at agreed rates of exchange on or before a specified future date

Currency futures contract is a standardized contract traded on an exchange, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price. The underlying instrument of a currency future contract is the rate of exchange between one unit of foreign currency and the INR.

The Bank's derivative transactions includes sales and trading activities. Sale activities include the structuring and marketing of derivatives to customers to enable them to hedge their market risks (both interest rate and exchange risks), within the framework of regulations as applicable from time to time. The Bank deals in derivatives on its own account (trading activity) principally for the purpose of generating a profit from short term fluctuations in price yields or implied volatility. The Bank also deals in derivatives to hedge the risk embedded in some of its Balance Sheet assets or liabilities.

Constituents involved in derivative business

The Treasury front-office enters into derivative transactions with customers and inter-bank counterparties. The Bank has an independent back-office and mid-office as per regulatory guidelines.

<u>Provisioning, collateral and credit risk mitigation</u>

The Bank enters into derivative transactions with counter parties based on their business ranking and financial position. The Bank sets up appropriate limits upon evaluating the ability of the counterparty to honor its obligations in the event of crystallization of the exposure. Appropriate credit covenants are stipulated wherever required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and contain the risk.

हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए बैंक हेज की शुरुआत में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट और हेज किए गए आइटम के बीच संबंध, हेज करने हेतु जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज के प्रभावी होने के आकलन हेतु प्रक्रिया को दर्ज करता है। हेज की शुरुआत के समय और इसके बाद समय-समय पर हेज प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है । हेज की प्रभावशीलता का आकलन हेज आइटम के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की सीमा जो हेज जोखिम से व्यूत्पन्न है और जो विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट के अंकित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन को बराबर करने के माध्यम से किया जाता है।

हेज/ नॉन-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन-देन अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं । डेरिवेटिव की स्थिति को जब तक हेज के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) और परिणामी नुकसान, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में माना जाता है । लाभ, यदि कोई है, को नहीं माना जाता है । ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय और व्यय को उपचय आधार पर स्वीकार किया जाता है । ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/ हानि समाप्ति तिथि पर आय/ व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश आरबीआई/2018-19/222 एफएमआरडी.डीआईआरडी.19/14.03.046/2018-19 दिनांक 26 जून, 2019 के अनुसार बैंक डेरिवेटिव अनुबंधों के हेज लेखांकन हेतु आईसीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करता है । हेज के रूप में निर्दिष्ट लेन-देन के लिए निम्नलिखित उपचार का अनुपालन किया जाता है-

- उचित मूल्य हेज के मामले में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट और हेज किए गए मदों के उचित मूल्य में परिवर्तन लाभ और हानि खाते में माने जाते हैं,
- कैश फ्लो हेज के मामले में, हेजिंग लेनदेन और हेज्ड वस्तुओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'हेज रिज़र्व' के तहत आरक्षित और अधिशेष माना जाता है और अप्रभावी हिस्से, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है ।
- निवल निवेश हेज के मामले में, हेजिंग लेनदेन और हेज्ड वस्तुओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'हेज रिज़र्व' के तहत आरक्षित और अधिशेष माना जाता है और अप्रभावी हिस्से, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है ।

बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ उनकी व्यवसाय रैंकिंग और वित्तीय स्थिति के आधार पर डेरिवेटिव लेनदेन शुरू करता है। उपयुक्त क्रेडिट प्रसंविदा, जहां आवश्यक हो, का ट्रिगर इवेंट के रूप में निर्धारण किया जाता है ताकि जोखिम कम करने हेतु कोलेटरल की मांग अथवा लेन-देन को रद्द किया जा सके। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत रूप से समाशोधित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन में वर्तमान एक्सपोजर को कम करने के लिए बैंक ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्षकार बैंकों और कुछ भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स ('सीएसए') समझौते किए हैं। बैंक प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की पुष्टि करता है। किसी डेरिवेटिव अनुबंध के क्रिस्टलीकृत सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट वैल्यू से संबद्ध अतिदेय प्राप्य राशियों को उधारकर्ता के खाते में अंतरित कर दिया जाता है और यदि ये 90 दिनों या उससे अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हैं तो गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में मानी जाती है।

For derivative contracts designated as hedging instruments, the Bank documents, at inception of the hedge, the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is ascertained and periodically apprised to the ALCO of the bank. Hedge effectiveness is measured by the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument using various qualitative and quantitative methods.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative positions, unless designated as hedges, are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on accrual basis. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.

As per the RBI Guideline RBI/2018-19/222 FMRD. DIRD.19/14.03.046/2018-19 dated June 26, 2019 Bank follows the ICAI guidelines for the hedge accounting of derivative contracts. For transactions designated as hedges, following treatment is followed-

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognized in the Profit and Loss Account,
- In case of cash flow hedges, the hedging transactions and hedged items are measured at fair value with changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Hedge reserve' and ineffective portion, if any, are recognized in the Profit and Loss Account.
- In case of Net investment hedge, the hedging transactions and hedged items are measured at fair value with changes in fair value of effective portion are recognized in Reserves and Surplus under 'Hedge reserve' and ineffective portion, if any, are recognized in the Profit and Loss Account.

The Bank enters into derivative transactions with counterparties based on their business ranking and financial position. Appropriate credit covenants are stipulated where it is required, as trigger events to call for collaterals or terminate a transaction and minimize the risk. Further, to mitigate the current exposure in non-centrally cleared forex and derivative transactions, Bank has entered into Credit Support Annex ('CSA') agreements with major international counterparty banks and few Indian financial institutions. The Bank, at the minimum, confirms to the RBI guidelines with regard to provisioning requirements. Overdue receivables representing crystallized positive mark to market value of a derivative contract are transferred to the account of the borrower and treated as non-performing assets, if these remains unpaid for 90 days or more.

(ii) **गुणात्मक प्रकटीकरण**

(ii) **Quantitative Disclosures**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S No	विवरण Particular	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024		31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	
		करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	ए) हेजिंग के लिए a) For hedging	14,196.33	14,266.80	10,839.12	17,335.44
	बी) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	28,927.93	59,490.56	10,549.41	78,819.72
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थिति Marked to Market Positions				
	ए) आस्ति (+) a) Asset (+)	532.09	785.51	277.23	1,092.66
	बी) देयताएं (-) b) Liability (-)	(987.28)	(213.16)	(840.96)	(444.71)
(iii)	ऋण एक्सपोजर Credit Exposure	1,796.74	1,421.68	1,107.79	1,981.01
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	ए) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	1.54	26.76	4.84	11.41
	बी) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	2.72	9.11	0.27	3.61
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01 Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	ए) हेजिंग पर (घरेलू) a) on hedging (Domestic)	13.83 & 0.01	127.11 & 3.07	15.5 & 0.00	440.51 & 3.96
	बी) ट्रेडिंग पर (घरेलू) b) on trading (Domestic)	4.52 & 0.01	31.05 & 0.02	16.94 & 0.10	31.52 & 0.00
	सी) हेजिंग पर (विदेशी) c) on hedging (Overseas)	0.95	13.69 & 1.07	(0.19)	16.75 & (5.74)
	डी) ट्रेडिंग पर (विदेशी) d) on trading (Overseas)	-	-	-	-

डेरिवेटिव की अनुमानित मूल राशि बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया लेन-देन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशि का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ।

इस प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, करेंसी डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे जाने वाले मुद्रा ऑप्शंस और क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप, करेंसी फ्यूचर्स शामिल हैं ।

प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार और ब्याज दर कैप और फ्लोर शामिल हैं ।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

मूल्यांकन पद्धति - दिनांक 23 मई, 2011 को सीडीएस से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस वक्र या यदि यह अधिक कंजरवेटिव मूल्यांकन में परिणत होता है तो किसी अन्य प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग करके

The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.

For the purpose of this disclosure, currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency interest rate swaps, Currency Futures.

For the purpose of this disclosure, interest rate derivatives include interest rate swaps, forward rate agreements and interest rate caps and floors.

Credit Default Swaps (CDS)

Valuation Methodology- As per RBI guidelines on CDS dated 23rd May, 2011 the banks are required to value their CDS contracts by using daily CDS curve published by FIMMDA Or any other proprietary model if it results

अपने सीडीएस अनुबंधों का मूल्यांकन करना अपेक्षित है । सीडीएस स्थिति के मूल्यांकन के लिए बैंक एफआईएमएमडीए वक्र का उपयोग करता है; सीडीएस मूल्यांकन के लिए बैंक किसी आंतरिक प्रोप्राइटरी मॉडल का उपयोग नहीं करता है । हालांकि, 31 मार्च, 2024 (पिछला वर्ष- शून्य) तक बैंक के पास कोई सीडीएस सौदा बकाया नहीं है ।

in a more conservative valuation. The Bank uses the FIMMDA curve for valuing CDS positions; the Bank does not use any internal proprietary model for CDS valuation. However, the Bank does not have any CDS deal outstanding as on 31st March 2024. (Previous Year-NIL)

ए-8 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

A-8 Disclosure relating to Securitization

(संख्या/राशि ₹ करोड़ में) (Numbers/Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
1	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एसपीई (विशेष प्रयोजन संस्थाओं) द्वारा धारित आस्तियों की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्ट की जाए) No of (Special Purpose Entities) SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstandingsecuritization exposures to be reported here)	-	-
2	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3	तुलनपत्र की तिथि को एमआरआर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	ए) तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलनपत्र का एक्सपोज़र b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
4	एमआरआर से इतर अन्य प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	ए) तुलनपत्रेत्तर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोज़र ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	बी) तुलन-पत्र का एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर i) Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
	ii) थर्ड पार्टी के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर ii) Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि • First loss		
	• अन्य • Others		
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल एवं प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/ हानि । Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य) । Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन । कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि का अलग-अलग ब्यौरा दें । प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का कोष्ठक में प्रतिशत के रूप में उल्लेख करें । Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(ए) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(बी) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(सी) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
8	पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें । Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें Investor complaints	-	-
	(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त एवं; (a) Directly/Indirectly received and;	-	-
	(बी) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	-	-

ए-9 प्रायोजित तुलनपत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करना अपेक्षित है)

A-9 Off-balance sheet SPVs sponsored (Which are required to be consolidated as per accounting norms)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
	घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
31 मार्च, 2024 को / As on March 31, 2024	शून्य / Nil	शून्य / Nil
31 मार्च, 2023 को / As on March 31, 2023	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ए-10 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

A-10 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amount transferred to DEAF	3,941.11	3,450.54
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	815.07	593.09
घटायें: डीईएएफ द्वारा दावों के पेटे प्रतिपूर्ति की गयी राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	252.74	102.52
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEAF	4,503.44	3,941.11
डीईए फंड में अंतरित राशि की अंतिम शेष राशि, 'अनुसूची 12 -'आकस्मिक देनदारियां - अन्य' के तहत भी शामिल की गई है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 -'Contingent Liabilities - Others'.		

ए-11 शिकायतों का प्रकटीकरण

A-11 Disclosure of complaints

ए) बैंक को ग्राहकों एवं लोकपाल से प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Ombudsman

(प्रबंधन द्वारा यथा संकलित) (As compiled by the Management)

क्र.सं. S. No		विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
		बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
1		वर्ष के शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	44916	18429
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	10,44,419	9,57,938
3		वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या. Number of complaints disposed during the year	10,73,717	9,31,451
	3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	2,912	3,104
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	15,618	44,916
		लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त मेंटेन करने योग्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	8,651	7,216
	5.1	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	2,898	2,652
	5.2	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी समाधान/ मध्यस्थता/ एडवाइजरी के माध्यम से निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	5751	4557
	5.3	बिन्दु 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय जारी करने के बाद निस्तारित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	2	7
6		निर्धारित समय (जिनमें अपील की गई हैं उन्हें छोड़कर) के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	शून्य NIL	शून्य NIL
		नोट: मेंटेन करने योग्य शिकायतों से आशय उन शिकायतों से है जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित हैं और इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2006 and covered within the ambit of the Scheme.		

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष 5 आधार Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
शिकायतों का आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित हैं -) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	बिन्दु 5 में से, 30 दिनों के बाद लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2023-24 / FY 2023-24					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	40376	678314	30.85%	12085	34
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	3116	251634	(18.50)%	2160	27
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	318	39714	(22.62)%	472	4
ऋण और अग्रिम Loans and advances	126	11597	(20.78)%	175	2
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	91	10183	(8.15)%	79	1
अन्य** Others**	889	52977	(1.39)%	647	3
वित्त वर्ष 2022-23 / FY 2022-23					
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/Electronic Banking	9664	518409	82.82%	40376	3839
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	7,674	3,08,756	(30.64)%	3,116	208
खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई Account Opening/ difficulty in operations of accounts	329	51321	12.63%	318	18
ऋण और अग्रिम Loans and advances	157	14639	(5.85)%	126	1
प्रभारों की वसूली/अत्यधिक Levy of charges/excessive	139	11087	9.88%	91	-
अन्य Others	466	53,726	(15.97)%	889	59

**विप्रेषण संबंधी शिकायतें शामिल हैं और अन्य श्रेणी से बाहर हैं

**Remittances complaints are included and excluded from Others category

बी) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त और निस्तारित की गई निवेशकों की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

b) Number of Investors' complaints received and disposed off during the year ended March 31, 2024 are :-

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें Complaints un-resolved at beginning of the Year	प्राप्त Received	निस्तारित Resolved	वर्ष के अंत में लंबित Unresolved at the end of the Year
2	1532	1534	-

ए- 12 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-12 Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

a) **Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators**

वित्त वर्ष 2023-24 / FY 2023-24 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	1351	6.70	-	-	1351	6.70
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2022-23 / FY 2022-23 (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	उल्लंघन की प्रकृति Nature of Breach	घरेलू / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / TOTAL	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक दवारा लगाया गया दंड Penalties Imposed by RBI	विनियामक / परिचालनगत Regulatory/ Operational	746	1.90	-	-	746	1.90
विदेशी क्षेत्रों पर संबंधित विनियामकों द्वारा लगाया गया दंड Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	2	4.15	2	4.15

बी) **एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए आर्थिक दंड का प्रकटीकरण**

b) **Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2023-24	-	-	-
2022-23	-	-	-

सी) **रिवर्स रेपो लेन-देन में आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (डिफ़ॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू) - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)**

डी) **निम्नलिखित विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी अन्य दंड का विवरण:**

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

c) **Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant) - Nil (Previous Year - Nil)**

d) **Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :**

1) Banking Regulation Act, 1949, - Nil (Previous Year - Nil)

2) Payment and Settlement Act, 2007, Nil (Previous Year - Nil)

3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006- शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ए-13 अन्य प्रकटीकरण

ए) व्यावसायिक अनुपात

3) Government Securities Act, 2006. Nil (Previous Year - Nil)

A-13 Other Disclosures

a) Business Ratios

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय[1] Interest Income as a percentage to Working Funds[1]	7.28	6.52
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय[1] Non-interest income as a Percentage to Working Funds[1]	0.94	0.73
जमाराशि की लागत Cost of Deposits	4.92	3.89
निवल ब्याज मार्जिन[2] Net Interest Margin[2]	3.18	3.31
कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ[1] Operating Profit as a percentage to Working Funds[1]	2.00	1.96
आस्तियों पर रिटर्न[3] Return on Assets[3]	1.17	1.03
प्रति कर्मचारी कारोबार[3] (जमाराशि प्लस अग्रिम) (राशि ₹ करोड़ में) Business[3] (Deposits plus Advances) per employee (Rs. in Crores)	30.46	26.66
प्रति कर्मचारी लाभ (राशि ₹ करोड़ में) Profit per employee (₹ in Crores)	0.24	0.18

व्यवसाय अनुपात/सूचना से संबंधित कुछ मदों की परिभाषाएं:

1. कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाएगी जैसे कि वित्त वर्ष के 12 महीनों के दौरान फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है।
2. निवल ब्याज आय / औसत अर्जन वाली परिसंपत्ति । निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय ।
3. आस्तियों पर रिटर्न औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानि को छोड़कर कुल आस्तियां, यदि कोई हो) के संदर्भ में होगा ।
4. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि प्लस अग्रिम) की गणना के उद्देश्य से अंतर बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया गया है ।

बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

थर्ड पार्टी उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

Definitions of certain items in Business ratios / information:

1. Working funds to be reckoned as average of Total Assets (Excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X, during the 12 months of the Financial Year.
2. Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income - Interest Expense
3. Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).
4. For the purpose of computation of Business per Employee (Deposit plus Advances) inter Bank Deposits are excluded.

b) Disclosure Regarding Bancassurance Business

Income earned for marketing third party products

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling life insurance policies	277.88	212.85
गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री हेतु For selling Non-life insurance policies	89.23	81.68

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Bima Yojana	10.67	9.10
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना Prime Minister Surakasha Bima Yojana	3.01	2.50

सी) विपणन और वितरण

c) Marketing & Distribution

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

आय की प्रकृति Nature of Income	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु For selling mutual fund products	102.11	82.68
इक्विटी उत्पाद की बिक्री हेतु For selling on Equity product	-	-
पीएमएस/एआईएफ उत्पादों की बिक्री हेतु For selling PMS/AIF products	7.33	12.37
यूआईडीएआई-आधार UIDAI-Aadhar	19.38	18.24
अटल पेंशन योजना Atal Pension Yojna	13.55	15.59

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंक ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी की **खरीद और बिक्री** की है :-

d) Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

The bank has **purchased and sold** the following PSLCs during the year:-

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान / During FY- 2023-24

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	-	-
4	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	-
5.	एमएसएमई / MSME	-	-
	कुल / Total	**-**	**-**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान / During FY- 2022-23

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	श्रेणी Category	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम / PSLC Micro Enterprises	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	-	-
4	पीएसएलसी छोटे एवं सीमांत किसान / PSLC Small and Marginal Farmers	-	1,000.00
5.	एमएसएमई / MSME	-	-
	कुल / Total	**-**	**1,000.00**

ई) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का मदवार विवरण इस प्रकार है:

e) Provisions and Contingencies

Break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (बट्टे खाते डाले गए सहित और प्रतिलेखित को घटाकर) Provision for depreciation on investment (net of written back and including write off)	(31.27)	1,704.03
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/ एनपीए के लिए प्रावधान (प्रतिलेखित को घटाकर) Bad debts written off / Provision made towards NPA (net of written back)	6,561.74	4,454.76
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision for standard assets	(688.51)	527.50
कर हेतु प्रावधान, आस्थगित करों और संपदा कर सहित (प्रावधानों के रिवर्सल को घटाकर)) Provision for taxes including deferred taxes, and Wealth tax (net of reversal of provisions)	7,100.83	5,617.02
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं **Other Provision and Contingencies**		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के परित्याग हेतु प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	(90.88)	(104.25)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान Provision for Country Risk Management	12.64	35.10
अन्य (इसमें धोखाधड़ियों, बैंक के विरुद्ध दावों, संवेदनशील खातों आदि के प्रावधान शामिल हैं) । Others (includes provision for fraud, claim against bank, sensitive accounts etc.)	311.89	519.76
कुल **Total**	**13,176.44**	**12,753.92**

सतत् प्रक्रिया के रूप में बैंक ने 15% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता के सापेक्ष प्रतिभूत उप-मानक अग्रिमों पर 20% का प्रावधान करना जारी रखा है । उपर्युक्त के अलावा बैंक ने उधारकर्ता की निधि-आधारित सुविधा के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर 50% ऋण रूपांतरण कारक (सीसीएफ) को लागू कर एनपीए उधरकर्ताओं की गैर-निधि आधारित सुविधाओं पर प्रावधान करना जारी रखा है । बैंक ने अनर्जक रिटेल अग्रिमों की कुछ श्रेणियों के लिए 100% प्रावधान करना जारी रखा है ।

As a consistent practice, the Bank has continued to make provision of 20% on the secured sub- standard advances as against the regulatory minimum requirement of 15%. In addition to the above, the Bank has also continued to maintain provision on non-fund based facilities of NPA borrowers, by applying 50% Credit conversion factor (CCF), based on the asset class of the fund based facility of the borrower. The Bank also continues to make 100% provision on certain classes of non-performing retail advances.

एफ) आईएफआरएस स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी-एएस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित कर दिया है । हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सभी बैंकों से प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार, बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के अनुमोदन के बाद बैंक प्रत्येक छमाही में प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणी तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करता है ।

f) Implementation of IFRS Converged Indian Accounting standards (Ind AS)

RBI vide Circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 deferred implementation of Ind AS till further notice. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS financial statements every half year. Accordingly, the Bank is preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS financial statements every half year after approval of Steering Committee, headed by the Executive Director, formed for monitoring the implementation of Ind AS in the Bank.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	1,458.63	1,287.08
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया Arrears in payment of DICGC premium	-	-

एच) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण.

बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए के संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 1,454.41 करोड़ की अतिरिक्त देयता राशि का अनुमान लगाया है । हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 से बैंकों को अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, जो प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन है । बैंक ने उक्त प्रावधान का चयन किया है और तदनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि को प्रभारित किया है और ₹ 581.77 करोड़ के अपरिशोधित शेष को कैरी फॉरवर्ड किया गया है । यदि बैंक ने लाभ एवं हानि खाते पर संपूर्ण शेष अतिरिक्त देयता प्रभारित की होती तो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 435.34 करोड़ कम हो जाता ।

i. आरक्षित एवं अधिशेष

सांविधिक आरक्षित

बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई के दिनांक 23 सितंबर, 2000 के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ में से ₹4,447.20 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹3,527.40 करोड़) का समायोजन सांविधिक प्रारक्षित निधि हेतु किया है ।

आरक्षित पूंजी

आरक्षित पूंजी में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, भारत सरकार द्वारा लघु/ मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत सदस्यता राशि शामिल है ।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री और अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, निवल कर और सांविधिक प्रारक्षित निधि, लाभ एवं हानि खाते से आरक्षित पूंजी से ₹104.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 92.57 करोड़) का समायोजन किया है ।

निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को राजकोषीय वर्ष 2019 की शुरुआत से तीन वर्षों की अवधि के अन्दर निवेश संबंधी उतार - चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करनी है जो उनके एचएफटी

h) **Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks**

Bank has estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1,454.41 Crores. RBI vide their Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision, and accordingly charged an amount of ₹290.88 Crores to the Profit & Loss account for the FY ended 31st March 2024 respectively and the balance unamortized expense of ₹581.77 Crores has been carried forward. Had the Bank charged the remaining additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit for the FY ended March 31, 2024 would have been lower by ₹ 435.34 Crores (Net of Taxes).

i. **Reserves and Surplus**

Statutory Reserve

The Bank has made an appropriation of ₹ 4,447.20 Crores (Previous Year: ₹ 3,527.40 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2024 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000

Capital Reserve

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

During the year ended March 31, 2024, the Bank appropriated ₹ 104.17 Crores (Previous Year: ₹ 92.57 Crore), being the profit from sale of investments under HTM category and profit on sale of immovable properties, net of taxes and transfer to statutory reserve, from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve.

Investment Fluctuation Reserve

In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment

और एएफएस निवेश पोर्टफोलियों के 2% के समतुल्य होगी । 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के लिए ₹ शून्य करोड़ का समायोजन किया है। (पिछले वर्ष: ₹30 करोड़)

निवेश आरक्षित खाता

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निवेश आरक्षित खाते में ₹ 563.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का समायोजन किया है।

स्पेशल रिज़र्व

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए स्पेशल रिज़र्व में ₹615.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹300 करोड़) का समायोजन किया है, जिसमें से ₹115.92 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है।

j) **चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति**

portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. During the year ended March 31, 2024, the Bank has made ₹ NIL Crores appropriation to the Investment Fluctuation Reserve from the Profit and Loss Account. (Previous Year: ₹ 30 Crores)

Investment Reserve Account

During the year ended March 31,2024, the Bank appropriated ₹ 563.86 crore (Previous Year Nil) to Investment Reserve Account.

Special Reserve

During the year ended March 31,2024, the Bank appropriated ₹ 615.92 crore (Previous Year ₹ 300 crore) in Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961, Out of which ₹ 115.92 crores pertains to the FY 2022-23.

j) **Status of Letters of Comfort**

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण Brief details of LOC issued		आकलित वित्तीय प्रभाव Assessed Financial Impact
ए A	**वर्ष के दौरान जारी** **Issued during the year**	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है । During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures
	31 मार्च, 2024 तक एलओसी के बकाया की संचयी स्थिति **Cumulative position of LOC's outstanding as on March 31, 2024** पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है:- The LOC issued by the bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:	
बी	**बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)**	
1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है:- 1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:-		
	ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - **बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड** के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता की गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत की गई गारंटी विलेख । a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - **Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.** to its depositors and other creditors.	31 मार्च, 2024 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹ 351.17 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 9.20 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹ 360.37 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹ 266.20 करोड़ है । **इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹94.17 करोड़ है** । हालांकि, हम वर्तमान के लिए आश्वासन/गारंटी के उपर्युक्त पत्र के तहत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना नहीं देखते हैं । As on 31st March 2024, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 351.17 Cr. and outside liabilities are INR 9.20 Cr. (i.e. total liabilities of INR 360.37 Cr). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2024 is INR 266.20 Cr. **The net contingent liability on Parent Bank is INR 94.17 Cr in this regard.** However, we do not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/ guarantee for the present.

	बी) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - **'इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)'** में हमारे बैंक की 40% शेयरधारिता तक एलओसी जारी किया गया था — b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - **'India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB)'**	31 मार्च, 2024 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 373.24 करोड़ हैं और अन्य देयताएं ₹ 3.56 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹ 376.80 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹ 570.69 करोड़ है । **इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता शून्य है ।** As on 31st March 2024, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 373.24 Cr and other liabilities are INR 3.56 Cr. (i.e. Total liabilities of INR 376.80 Cr). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2024 is INR 570.69 Cr. **The net contingent liability on Parent Bank is NIL in this regard.**
	सी) **आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा** के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्तूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया । c) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centres Authority (IFSCA) for **IFSC, Gift City Branch.**	31 मार्च, 2024 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 33,188.55 करोड़ है, उधार ₹ 2,862.81 करोड़ हैं और बाहरी देयताएं ₹ 2,113.96 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹ 38,165.32 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को शाखा की निवल मालियत ₹ 2,554.26 करोड़ है । आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं । **इसलिए, आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए आश्वासन पत्र को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।** As on 31st March 2024, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 33,188.55 Cr., borrowings are INR 2,862.81 Cr and outside liabilities are INR 2,113.96 Cr. (i.e. total liabilities of INR 38,165.32 Cr). The net worth of the branch as on 31st March 2024 is INR 2,554.26 Cr. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet. **Therefore, there is no requirement to recognize the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.**

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

बी- 1 इस अवधि के लिए निवल लाभ एवं हानि, पूर्व अवधि हेतु मद तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

(i) **पूर्व अवधि हेतु मद:**

इस वर्ष के दौरान, पूर्व अवधि आय / व्यय के कोई महत्वपूर्ण मद नहीं थे।

(ii) **लेखांकन नीति:**

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है जैसा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था।

बी-2 - एएस 11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन :

विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व का संचलन

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

B-1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2024 as followed in the previous financial year ended March 31, 2023.

B-2 - AS 11- Changes in foreign exchange rates:

Movement of foreign currency translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण **Particulars**	**2023-24**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष Opening balance	4,193.90	3,381.91
वर्ष के दौरान जमा Credited during the year	53.91	811.99

विवरण Particulars	2023-24	2022-23
वर्ष के दौरान आहरण Withdrawn during the year	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	4,247.81	4,193.90

बी -3 कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक- 15)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस- 15) को अपनाया है.

बी-3.1 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों जो प्रारंभिक पाँच वर्षों की सेवा के पश्चात बैंक की सेवा से एक्जिट हो जाते हैं, को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। तदनुसार, बैंक भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिग के लिए प्रत्येक वर्ष एक आंतरिक न्यास में अंशदान करता है। ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, अनुमानित इकाई ऋण बीमांकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमांकिक मूल्य की गणना की जाती है। निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना तीन विभिन्न योजनाओं (बीओबीएसओआर, 1979/ बीपीएस, ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेच्युटी निधि नियम) के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता का निर्धारण जो योजना कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है।

बी-3.2 पेंशन

बी-3.2.1- बैंक अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को या उसके बाद परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें पेंशन, विनिर्दिष्ट लाभ का भुगतान करता है। यह योजना कर्मचारियों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अनुरूप उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् मासिक आधार पर पेंशन प्रदान करती है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('कर्मचारी') पेंशन विनियमन, 1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है। कार्यकाल के समापन के समय, पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन के कम्यूटेशन का भुगतान उक्त विनियमन के तहत किया जाता है। बैंक पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन एवं निश्चित भत्तों के 10% के बराबर अपना अंशदान करते समय बीमांकिक गणनाओं के आधार पर अतिरिक्त अंशदान भी करता है।

बी-3.2.2 नई पेंशन योजना पेंशन का अन्य विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, जिसका शुभारंभ बैंक ने संयुक्त नोट/ समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू किया है, जो दिनांक 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी तथा समय-समय पर यथा संशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से संचालित योजना के समान है। अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 01.04.2010 को

B-3 Employee Benefits (Accounting Standard -15)

The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI.

B-3.1 Gratuity

The Bank pays gratuity to employees who Exit from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the rule of Gratuity Fund, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the Projected Unit credit actuarial method. The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of three different schemes (BOBOSR,1979 /BPS, Gratuity Act,1972 and Bank of Baroda Gratuity Fund Rules) and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-3.2 Pension

B-3.2.1- Bank pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from service of the Bank in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund. At the time of cessation, those eligible for pension are paid commutation of Pension as provided by the said Regulations. While the Bank contributes its contribution at 10% of eligible employees' Basic and certain allowances, additional contribution is also made based on the Actuarial calculations.

B-3.2.2 New Pension Scheme- In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organizations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which was introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010 similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f 01.01.2004 and as modified from time to time.

अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवा ग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से नई पेंशन योजना के लिए कटौती की जाती है और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जाता है तथा एनएसडीएल को भेजा जाता है जो इन खातों को प्रबंधित करता है। निधियों का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा किया जाता है। हालांकि, 11वें द्विपक्षीय समझौते / 8वें संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार, बैंक के योगदान को 11 नवंबर 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

बी-3.3 भविष्य निधि

बैंक के लिए अपने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होने बैंक की सेवा दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व ग्रहण की हैं, के सेवानिवृत्ति लाभों के भाग के रुप में भविष्य निधि रखना सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि को बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास द्वारा शासित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पीएफ का सदस्य है, अपने मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान करता है और बैंक पीएफ चयनकर्ता के मामले में उस राशि के बराबर राशि का अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

बी-3.4 छुट्टी का नकदीकरण

कर्मचारी अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तारीख पर अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण के लिए पात्र है।

तथापि, त्यागपत्र के मामले में कर्मचारी उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के 50% तक, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, नकदीकरण के लिए पात्र है।

बी-3.5 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ योजना में यह प्रावधान है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने दिनांक 01.07.1979 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रुप में 6 माह का वेतन पाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उसने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्ववर्ती विजया बैंक/ पूर्ववर्ती देना बैंक को छोड़कर) में 25 वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली हो और वह बीओबी अधिकारी सेवा विनियमों में दर्शाई गयी शर्तों को पूरा करता हो।

इसी प्रकार अवार्ड स्टाफ सदस्य जिन्होंने दिनांक 01.04.2019 से पूर्व बैंक की सेवाएं ग्रहण की हैं, वे सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के मामले में अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उन्होंने बैंक में तीस वर्षों की सेवाएं पूरी की हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं त्यागपत्र के मामले में, अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होंगे, चाहे सेवा के कितने ही वर्ष पूरे कर लिए गए हों।

बी-3.6 प्रकटीकरण

I. **परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी एवं पेंशन)**

ए) **परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank, who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards New Pension Scheme at the rate of 10% of the basic pay and dearness allowance from the salary with a matching contribution is made by the Bank and remitted to the NSDL which maintains the accounts. Funds are managed by the Pension Fund Manager. However, in terms of 11th BPS / 8th Joint Note, Bank's contribution is increased from 10% to 14 % w.e.f. November 2020

B-3.3 Provident Fund

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a trust managed by the Bank. Each employee who is member of PF contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the PF in case for those who have opted for the same. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-3.4 Leave Encashment

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-3.5 Additional Retirement Benefit (ARB)

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer who had joined the Bank prior to 01.07.1979 on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for payment of 6 months emoluments as additional retirement benefit, provided he had completed twenty-five years of service exclusively in Bank of Baroda (excluding eVB/eDB) and satisfy the conditions mentioned in BOB officer's service regulations.

In the same manner, award staff who had joined the Bank of Baroda prior to 01.04.2019 on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided the staff member had completed thirty-years of service in Bank of Baroda

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation, additional retirement benefit shall not be payable irrespective of any number of years of service."

B-3.6 Disclosures

I. **Defined Benefit Plans (Gratuity and Pension)**

a) **Change in present value of Defined Benefit Obligation**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन / Pension		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	29,280.20	27,280.11	3,031.44*	3,053.69
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	2,012.89	1,941.85	207.31	216.54
जोड़ें- पिछली सेवा लागत Add - Past Service Cost	-	-	-	-
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	2,551.45	2,358.55	249.22	212.09
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,724.31	2,569.33	320.11	340.54
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि / लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(116.20)	269.02	1,013.44	(112.18)
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	31,004.03	29,280.20	4,181.30	3,029.60

* इसमें संविदागत कर्मचारियों के लिए ₹1.84 करोड़ की देनदारी शामिल है।

* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 1.84 Crs.

बी) योजनागत आस्तियों के समुचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष Opening Fair Value of plan assets	25,695.94	25,429.17	2,905.68	2,986.29
जोड़ें- अधिग्रहण समायोजन Add- Acquisition Adjustment	-	-	-	-
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न Add- Expected Return on Plan Assets	1,927.20	1,970.76	217.93	234.42
जोड़ें- अंशदान Add- Contributions	4,502.50	1,031.26	225.75	67.16
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,724.31	2,569.33	320.11	340.54
जोड़ें- बीमांकिक लाभ /(-) हानि Add- Actuarial gain/(-)loss	95.46	(165.92)	11.16	(41.65)
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष Closing Fair Value of Plan Assets	29,496.79	25,695.94	3,040.42	2,905.68

सी) तुलन-पत्र में मान्य राशि

c) **Amount recognized in the Balance Sheet**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
i) परिभाषित लाभ देयताओं का अंतिम शेष i) Closing Defined Benefit Obligation	31,004.03	29,280.20	4,181.30	3,029.60
ii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष ii) Closing Fair Value of Plan Assets	29,496.79	25,695.94	3,040.42	2,905.68
iii) अंतर iii) Difference	1,507.24	3,584.26	1,140.88	123.92
iv) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता iv) Unrecognized transitional liability	(581.77)	(872.65)	-	-
v) तुलन-पत्र में मान्य देयता v) Liability Recognized in the BS	925.47	2,711.61	1,140.88	123.92

डी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

d) **Amount recognized in the Profit & Loss Account**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
i) वर्तमान सेवा लागत i) Current Service Cost	2,551.45	2,358.55	249.22	212.09
ii) पूर्व सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	2,012.89	1,941.85	207.18	216.54
iv) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न iv) Expected Return on Plan Assets	1,927.20	1,970.76	217.93	234.42
v) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (-) v) Net Actuarial Loss/gain(-)	(211.67)	434.94	1,002.15	(70.29)
vi) वर्ष के दौरान संक्रमणशील देयता का निर्धारण vi) Transitional liability recognized in the year	-	290.88	-	-
लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित खर्च (i+ii+iii-iv+v+vi) **Expenses Recognized in P&L (i+ii+iii-iv+v+vi)**	2,425.47	3,055.46	1,240.62	123.92

ई) **निवेश पैटर्न:** (% में)

e) **Investment Pattern: (In %)**

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	12.60	7.34	9.67	10.07
कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां Corporate Securities	14.71	11.00	9.97	10.02

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
अल्पकालिक प्रतिभूतियां Short -term Securities	-	-	-	-
इक्विटी Equity	2.98	2.45	2.48	2.55
बीमा Insurance	69.71	79.21	77.88	77.36
अन्य Others	-	-	-	-
कुल Total	100.00	100.00	100.00	100.00

एफ) मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में]

f) Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]

विवरण Particulars	पेंशन Pension		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
रियायती दर Discount rate	7.21%	7.51%	7.22%	7.51%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.50%	7.75%	7.50%	7.85%

मॉर्टेलिटी दर : आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी * Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

जी) पेंशन हेतु पाँच वर्ष का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष /कमी

g) Five year's disclosure for Pension

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	22,441.86	24,197.43	27,280.10	29,280.20	31,004.03
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	21,846.22	22,009.80	25,429.17	25,695.94	29,496.79
iii.	**अंतर (ii-i) Difference (ii-i)**	**(595.64)**	**(2,187.63)**	**(1,850.93)**	**(3,584.26)**	**1,507.24**
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	-	-	-	-	-
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	-	-	(1,163.53)	(872.65)	(581.77)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(595.64)	(2,187.63)	(687.40)	(2,711.61)	(925.47)

एच) ग्रेच्युटी के लिए पाँच वर्षों का प्रकटीकरण

i) योजना में अधिशेष/ कमी

h) Five year's disclosure for Gratuity

i) Surplus/Deficit in the plan

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

	तुलन-पत्र में मान्य राशि Amount recognized in the Balance Sheet	31 मार्च, 2020 को As on March 31, 2020	31 मार्च, 2021 को As on March 31, 2021	31 मार्च, 2022 को As on March 31, 2022	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
i.	वर्ष की समाप्ति पर देयता Liability at the end of the year	2,669.40	3,017.96	3,053.69	3,029.60	4,181.17
ii.	वर्ष की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the end of the year	2,174.14	2,348.73	2,986.54	2,905.68	3,040.42
iii.	**अंतर (ii-i) Difference (ii-i)**	**(495.26)**	**(669.23)**	**(67.15)**	**(123.92)**	**(1,140.75)**
iv.	अनिर्धारित पूर्व सेवा लागत Unrecognised Past Service Cost	-	-	-	-	-
v.	अनिर्धारित संक्रमणशील देयता Unrecognised Transition Liability	-	-	-	-	-
vi.	तुलन-पत्र में मान्य राशि (iii-iv-vi) Amount Recognized in the Balance Sheet (iii-iv-vi)	(495.26)	(669.23)	(67.15)	(123.92)	(1,140.75)

II. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व): संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित तालिका संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति (विशेषाधिकार अवकाश) और एआरबी की स्थिति निर्धारित करती है:-

ए) देयता के प्रारंभिक और अन्तिम शेष का समायोजन

II) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave) & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank:-

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष Opening Defined Benefit Obligation	1,895.23*	1,807.26	275.20	289.93
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	131.01	129.16	18.93	20.59
जोड़ें- वर्तमान सेवा लागत Add- Current Service Cost	417.15	259.09	6.45	6.02
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	161.39	174.84	25.85	31.5

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
जोड़ें- दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	(21.47)	(21.47)	13.01	(9.84)
परिभाषित लाभ संबंधी देयताओं का अंतिम शेष Closing Defined Benefit Obligation	2,260.53	1,891.77	287.76	275.20

*इसमें संविदागत कर्मचारियों हेतु राशि ₹3.46 करोड़ की देयता शामिल है।
* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 3.46 Crs.

बी) लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि

b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
i) मौजूदा सेवा लागत i) Current Service Cost	417.15	259.09	6.45	6.03
ii) विगत सेवा लागत ii) Past Service Cost	-	-	-	-
iii) ब्याज लागत iii) Interest Cost	131.01	129.16	18.93	20.59
iv) निवल बीमांकिक हानि/ लाभ (-) iv) Net Actuarial Loss/gain(-)	(21.47)	(128.90)	13.01	(9.84)
लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च Expenses Recognized in P&L	526.69	259.35	38.39	16.78

सी) तुलन-पत्र में मान्य प्रारंभिक और अंतिम देयता/ (आस्तियों) का समायोजन

c) Reconciliation of opening and closing liability/ (assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
i) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों का प्रारंभिक शेष i) Opening Defined Benefit Obligation	1,895.23*	1,807.26	275.22	289.93
ii) निवल अधिग्रहण लागत ii) Net Acquisition Cost	-	-	-	-
iii) उपरोक्तानुसार व्यय iii) Expenses as above	526.29	259.35	38.39	16.78
iv) प्रदत्त लाभ iv) Benefit paid	161.39	174.84	25.85	31.50
v) तुलन-पत्र में मान्य कुल देयता v) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,260.53	1,891.77	287.76	275.20

*इसमें संविदागत कर्मचारियों हेतु राशि ₹3.46 करोड़ की देयता शामिल है।
* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 3.46 Crs.

डी) **मूल बीमांकिक धारणा [भारित औसत के रूप में व्यक्त]**

d) **Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Average]**

विवरण Particulars	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु For the year ended March 31, 2023
रियायती दर Discount rate	7.22%	7.51%	7.22%	7.51%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
ह्रास दर Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

मॉर्टेलिटी दर: आईएएलएम (2012-2014) यूएलटी Mortality Rate: IALM (2012-2014) ULT

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह के अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और सीमित विगत अनुभव/ तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और मान्यताओं को लेखापरीक्षकों द्वारा आधार बनाया गया है।

बी-4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक - 17)

बी- 4.1 सेगमेंट निर्धारण

I. **प्राथमिक (व्यवसाय सेगमेंट): बैंक के प्रमुख सेगमेंट निम्नानुसार हैं: -**

i. **ट्रेजरी**

ट्रेजरी सेगमेंट में समग्र निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संविदा तथा डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रुप से ट्रेडिंग परिचालनों से शुल्क और लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।

ii. **कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग**

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 7.5 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. **रिटेल बैंकिंग**

रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में रु 7.5 करोड़ तक के एक्सपोज़र वाले उधारकर्ता के खाते शामिल हैं। रिटेल खंड के तहत डिजिटल बैंकिंग उप खंड भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को दर्शाता है।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सेगमेंटों को इस प्राथमिक सेगमेंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

B-4. Segment Reporting (Accounting Standard -17)

B-4.1 Segment Identification

I. **Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-**

i. **Treasury**

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **Corporate / Wholesale Banking**

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹ 7.5 Crores and above. .

iii. **Retail Banking**

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of upto ₹ 7.5 Crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directive.

iv. **Other Banking Operations**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II) **गौण (भौगोलिक सेगमेंट)**

i) घरेलू परिचालन - भारत में कार्यरत शाखाएं / कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएं / कार्यालय और भारत में परिचालन करने वाली ऑफसोर बैंकिंग इकाइयां

III) **राजस्व सेगमेंट बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।**

IV. आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन की आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट की आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

ए) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

बी) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/भुगतान किए गए शेष ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।

सी) अन्य आय/ अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में अनाबंटित किया गया है।

बैंक की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

II) Secondary (Geographical Segment)

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. Segment revenue represents revenue from external customers.

IV. Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognized as under:

a) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

b) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations

c) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Bank has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

बी- 4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी B-4.2 Segment Information

भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A: Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
					डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)					
	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23	वि.व.: 2023-24 FY:2023-24	वि.व.: 2022-23 FY:2022-23
सेगमेंट राजस्व Segment Revenue	30,668.58	26,334.38	48,513.32	34,178.80	0.55	0.06	47,133.18	38,724.93	47,133.73	38,724.93	785.68	376.21	1,27,101.31	99,614.38
सेगमेंट परिणाम Segment Result	4,942.02	909.60	16,408.56	13,320.93	(12.26)	(3.65)	11,004.55	12,358.35	10,992.29	12,354.70	785.68	376.21	33,128.55	26,961.44
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													8,238.94	7,234.80
कर पूर्व लाभ Profit before tax													24,889.61	19,726.64
घटाएं : कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax													7,100.83	5,617.02
विशिष्ट लाभ/हानि Extra-Ordinary Profit/Loss		-	-	-	-		-		-	-	-	-	.	-
निवल लाभ Net Profit													17,788.78	14,109.62
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	4,74,624.13	4,69,909.32	6,35,854.42	5,80,381.10	13.85	8.35	4,54,344.96	3,87,631.89	4,54,358.81	3,87,640.24	-	-	15,64,837.36	14,37,930.66
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets													20,959.73	20,630.89
कुल आस्तियां Total Assets													**15,85,797.09**	**14,58,561.55**
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	4,41,035.96	4,38,264.54	5,90,856.32	5,41,296.90	12.87	7.79	4,22,191.90	3,61,527.86	4,22,204.77	3,61,535.65	-	-	14,54,097.05	13,41,097.09
अनाबंटित देयताए Unallocated Liabilities													19,476.46	19,241.56
कुल देयताएं Total Liabilities													**14,73,573.51**	**13,60,338.65**

भाग बी - भौगोलिक खंड
Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24	वि.व.: 2022-23 FY: 2022-23	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24	वि.व.: 2022-23 FY: 2022-23	वि.व.: 2023-24 FY: 2023-24	वि.व.: 2022-23 FY: 2022-23
राजस्व Revenue	1,12,697.06	92,028.38	14,404.25	7,586.00	1,27,101.31	99,614.38
आस्तियां Assets	13,43,574.42	12,48,103.40	2,42,222.67	2,10,458.15	15,85,797.09	14,58,561.55

बी-5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

संबंधित पक्षों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध:

I. संबंधित पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

ए) अनुषंगियां

i) घरेलू बैंकिंग अनुषंगी

1. **दि नैनीताल बैंक लिमिटेड**

ii) विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी
4. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
6. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
7. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड

iii) घरेलू गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
2. बॉब कार्ड्स लिमिटेड (जिसे पहले बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
4. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
5. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
7. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

iv) विदेशी गैर-बैंकिंग स्टेप-डाउन अनुषंगी

1. बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड.(बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

बी) सहयोगी इकाइयां

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

B-5 Related Party Disclosures (Accounting Standard -18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

I. Name of Related Parties & their relationship

a) Subsidiaries

i) Domestic Banking Subsidiary

1. The Nainital Bank Limited

ii) Foreign Banking Subsidiaries

1. Bank of Baroda (Kenya) Limited
2. Bank of Baroda (Uganda) Limited
3. Bank of Baroda (Guyana) Inc.
4. Bank of Baroda (UK) Limited.
5. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
6. Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
7. Bank of Baroda (Botswana) Limited

iii) Domestic Non- Banking Subsidiaries

1. BOB Capital Markets Limited
2. BOB Cards Ltd (formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
3. Baroda Global Shared Services Ltd
4. Baroda Sun Technologies Ltd.
5. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited
6. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (formerly known as Baroda Trustee India Private Limited)
7. IndiaFirst Life Insurance Company Limited

iv) Foreign Non- Banking Step-down Subsidiary

1. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Wholly owned Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)

b) Associatess

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) **अन्य**

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

सी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

ii) **Others**

1. Indo Zambia Bank Limited

c) **Joint Ventures**

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India Infra debt Limited

d) **Key Management Personnel**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
1	श्री संजीव चड्ढा* Shri Sanjiv Chadha*	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त) MD & CEO (Retired on 30.06.2023)	2,20,49,762	54,25,881
2.	श्री देबदत्त चांद Shri Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	54,98,137	46,98,766
3.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक (31.03.2024 को सेवानिवृत्त) Executive Director (Retired on 31.03.2024)	47,78,515	47,29,279
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 तक) Executive Director (Up to 31.01.2024)	38,52,956	40,64,842
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 21.11.2022)	41,78,508	15,64,799
6.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 09.10.2023)	20,16,695	-
7.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliar	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f 31.01.2024)	9,24,054	-
8.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची* Shri Vikramaditya Singh Khichi*	कार्यपालक निदेशक (31.07.2022 को सेवानिवृत्त) Executive Director (retired on 31.07.2022)	-	1,69,70,052

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

लेखो पर टिप्पणियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस 18) के पैरा 9 के अनुसार ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' हैं। साथ ही लेखांकन मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक के बीच लेनदेनों के स्वरूप का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

*Includes retirement benefits

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

ई) **संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहारों का विवरण (प्रबंधन द्वारा समेकन के अनुसार)**

E) **Details of transactions with Related parties (as compiled by the Management)**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मद/ संबंधित पार्टी Items/ Related Party	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) Parent (as per Ownership or control)	अनुषंगियां Subsidiaries	सहयोगी इकाइयां संयुक्त उद्यम Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंधी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
उधार Borrowings	-	-	-	-	-	-
जमा Deposit	0.05*					0.05
जमाराशियों की प्लेसमेंट Placement of deposits	-	-	-	-	-	-
अग्रिम Advances	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	1249.70					1249.70
गैर निधिक प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई लीजिंग/ एचपी व्यवस्थाएं Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	97.34					97.34
उपचित ब्याज Interest accrued	48.37					48.37
सेवाओं का प्रतिपादन Rendering of services	-	-				-
सेवाओं की प्राप्ति Receiving of services	-	-				-
प्राप्त लाभांश Dividend received	10.32					10.32

*दिनांक 31.03.2024 को चालू खाता में शेष राशि सहित

*Amount includes balance in current account as on March 31,2024

बी-6 लेखांकन मानक -19 - "पट्टा"

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

B-6 Accounting Standard -19 - "Lease"

Premises taken on operating lease are given below:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the Bank.

निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च , 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च , 2023 को As on March 31, 2023
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	1.34	0.87
एक वर्ष से अधिक व पांच वर्षों से अधिक नहीं Later than one year and not later than five years	2.95	2.35
पांच वर्षों से अधिक Later than five years	1.86	2.33
कुल Total	**6.15**	**5.55**

* इसमें मासिक किरायेदारी/समाप्त पट्टे वाले परिसर शामिल हैं।

* includes premises with monthly tenancy/expired lease.

प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹ 846.50 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 806.89 करोड़)

Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 846.50 Crores (Previous Year: ₹ 806.89 Crores)

बी-7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक -20)

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति शेयर इक्विटी में बुनियादी और न्यून आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है।

B-7 Earning per Share (Accounting Standard -20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्षांत पर शेयरों की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्षांत पर इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नही NA	लागू नही NA
डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना करने के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	17,788.78	14,109.61
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	34.40	27.28
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earnings per share (In ₹)	34.40	27.28
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	₹ 2/- Face Value	₹ 2/- Face Value

बी-8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक -22)

वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान की राशि

B-8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard -22)

Amount of Provisions for Taxation during the year:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान Provision for Tax including deferred tax	6,985.96	5,205.01
जोड़ें/ (घटाएं) : पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल Add/ (Less): Tax Provision relating to previous years	114.87	412.01
कर के लिए कुल प्रावधान Total provision for Tax	**7,100.83**	**5,617.02**

ए) **वर्तमान कर:**

वर्ष के दौरान वर्तमान कर के कारण बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹ 5,163.16 करोड़ (विगत वर्ष: ₹ 2,398.89 करोड़) नामे किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना विदेशों में भुगतान किए गए करों के लिए उचित राहत लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

बी) **आस्थगित कर:**

वर्ष के दौरान आस्थगित कर के कारण लाभ और हानि खाते में ₹1,822.80 करोड़ नामे किया गया है (विगत वर्ष: ₹2,806.12 करोड़)। बैंक का निवल डीटीए ₹4,767.46 करोड़ (विगत वर्ष:₹6,579.63 करोड़ का निवल डीटीए) है।

डीटीए और डीटीएल के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

a) **Current Tax:**

During the year the Bank has debited to Profit & Loss Account ₹ 5,163.16 Crores (Previous Year ₹ 2,398.89 Crores) on account of current tax. The Current Tax in India has been calculated in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961.

b) **Deferred Tax:**

During the year, ₹1,822.80 Crore has been Debited to Profit and Loss Account (Previous Year: ₹2,806.12 Crores) on account of deferred tax. The Bank has a Net Deferred Tax Asset (DTA) of ₹4,767.46 Crores (Previous year: Net DTA of ₹ 6,579.63 Crores).

The major components of DTA and DTL is given below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए. घरेलू A. Domestic		
आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) Deferred Tax Assets (DTA)		
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास में अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	207.03	187.10
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for fraud	167.05	157.78
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित (वसूल न की गई और वसूल की गई) Foreign Currency Translation Reserve (Unrealized and Realized)	554.28	560.09
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	570.15	478.70
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	6,434.37	8,100.89
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	67.15	83.37
कुल डीटीए Total DTA	**8,000.03**	**9,567.93**

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) **Deferred Tax Liabilities (DTL)**		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,097.54	1,942.51
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,398.49	1,392.80
कुल डीटीएल **Total DTL**	**3,496.03**	**3,335.31**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (ए) **Net Deferred Tax Assets (A)**	**4,504.00**	**6,232.62**
बी. वैश्विक (घरेलू एवं विदेशी परिचालन) **B. GLOBAL (Domestic & Overseas operations)**		
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीए) **Deferred Tax Assets (DTA)**		
आयकर अधिनियम के तहत स्थायी आस्तियों पर बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच का अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	206.69	186.98
छुट्टी का नकदीकरण के लिए प्रावधान Provision for leave encashment	570.58	479.13
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	6,690.13	8,439.65
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित Foreign Currency Translation Reserve	554.28	560.09
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान Provision for Fraud	167.05	157.78
गैर बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य के लिए प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & others	74.76	91.31
कुल डीटीए **Total DTA**	**8,263.49**	**9,914.94**
आस्थिगत कर देयताएं (डीटीएल) **Deferred Tax Liabilities (DTL)**		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौती Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	2,097.54	1,942.51
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1398.49	1392.80
कुल डीटीएल **Total DTL**	**3,496.03**	**3,335.31**
निवल आस्थिगत कर देयताएं (बी) **Net Deferred Tax Assets (B)**	**4,767.46**	**6,579.63**

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है। ₹ 9,381.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,336.42 करोड़) की विवादास्पद आयकर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि बैंक के विचार में, कर सलाहकारों के विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं।

Tax Paid in advance/ Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/ paid by the Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 9,381.66 Crore (previous year ₹ 13,336.42 Crore) as in the bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same matter, additions / disallowances made are not sustainable.

बी-9 एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणी में सहबद्ध संस्था में निवेश हेतु लेखांकन

चूंकि अपनी सहबद्ध संस्था में बैंक के निवेश सहभागी के रूप में होते हैं और बैंक के पास उनकी गतिविधियों को प्रभावित करने की शक्तियां होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

बी-10 परिचालन बंद करना (लेखांकन मानक - 24)

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने अपनी किसी भी विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों को बंद नहीं किया है।

बी-11 संयुक्त उद्यम में हितों का प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -27)

एएस 27 की आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में बैंक के हितों से संबन्धित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार है:

B-9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (Accounting Standard 23)-

Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank is having the power to exercise significant influence on their activities, hence, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank.

B-10 Discontinuing operations (Accounting Standard- 24)

During the Financial year 2023-24, the Bank has not closed any of its overseas territories/ subsidiaries:

B-11 Disclosure of Interest in Joint Ventures (Accounting Standard -27)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

नाम Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निवेश का स्वरूप Nature of Investments	स्वामित्व का % % of owner ship	
			31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी India International Bank (Malaysia) Bhd	मलेशिया Malaysia	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.00%	40.00%
इंडिया इंफ्रा डेट लिमिटेड India Infradebt Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	40.99%	40.99%

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
देयताएं Liabilities		
पूंजी एवं प्रारक्षित निधि Capital & reserve	1,645.19	1,439.10
जमाएं Deposits	246.98	103.20
ऋण Borrowings	7,642.08	6,436.51
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & provisions	383.13	283.66
कुल Total	**9,917.38**	**8,262.47**
आस्ति Asset		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमाशेष Cash and Balances with RBI	1.11	2.09
बैंक के पास जमाशेष तथा मांगे जाने एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with banks and Money at call and short notice	710.27	677.98

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
निवेश Investments	2,963.94	2,720.58
ऋण एवं अग्रिम Loans & Advances	6,043.77	4,711.40
अचल आस्तियां Fixed Assets	1.07	1.41
अन्य आस्तियां Other Assets	197.22	149.01
कुल Total	**9,917.38**	**8,262.47**
अन्य आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	16.90	13.15
आय Income		
अर्जित आय Income Earned	791.64	637.80
अन्य आय Other Income	59.28	50.56
कुल Total	**850.92**	**688.36**
व्यय Expenditure		
ब्याज व्यय Interest expended	586.63	483.83
परिचालनगत व्यय Operating expenses	28.76	25.83
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय Provisions & contingencies	13.44	1.48
कुल Total	**628.83**	**511.14**
लाभ Profit	**222.09**	**177.22**

बी-12 आस्तियों की हानि (लेखांकन मानक - 28)

एएस - 28 के अनुसार "आस्तियों की हानि" के संदर्भ में जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है वहां हानि प्रभारित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

बी.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक - 29):

बी-13.1 बैंक की नीति के अनुसार, ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों हेतु प्रावधान निम्नानुसार किया गया है।

B-12 Impairment of Assets (Accounting Standard-28)

In terms of AS - 28 "Impairment of Assets" no impairment charge is required to be created wherein current value is less than cost of the property.

B-13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Accounting Standard-29)

B-13.1 As per the policy of the Bank, provision for the claims not been acknowledged as debt, has been provided for.

दावों के लिए प्रावधानों का संचलन

Movement of provisions for Claims

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण विधिक मामले/ आकस्मिकताएं Particulars Legal Cases/Contingencies	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
प्रारंभिक शेष राशि Opening balance	172.95	162.81
वर्ष के दौरान प्रावधान/समायोजन Provided / Adjustment during the year	115.41	10.14
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि Amount Used during the year	-	-
31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	288.36	172.95
आउटफ्लो/ अनिश्चितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/क्रिस्टलाइजेशन का आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता फैसलों/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान मांग राशि, करार बाध्यता संबंधी शर्तों, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर करती है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

बी) वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियां शामिल नहीं है।

बी -13.2 आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12 में भी उल्लिखित)

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है;

ये वर्तमान में चल रहे विभिन्न विधिक मामलों से संबंधित सामान्य व्यवसाय में बैंक के विरुद्ध दायर दावों को दर्शाते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता हेतु शेष अदत्त राशि को दर्शाता है। आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश ₹ 15.28 करोड़ में केंद्रीय भंडारण निगम तथा आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए भुगतान नहीं की गई राशि शामिल है।

सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता:

बैंक ने अपने स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार किया है।

i. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।

ii. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/ मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह का विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।

iii. ब्याज दर स्वैप, स्थायी और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है

a) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases

b) Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

B-13.2 Description of contingent liabilities. (Also Refer Schedule 12)

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of Rs 15.28 Cr represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation and IL & FS Infrastructure debt fund.

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

i. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.

ii. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.

iii. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.

iv. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है।

v. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है

vi. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।

vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं।

viii. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है।

आकस्मिक देयता की राशि संबंधित वायदा विनिमय और डेरिवेटिव संविदा के कल्पित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

डी) संघटकों के पक्ष में दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक अंश के रूप में, बैंक अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी अप्रतिसंहरणीय एश्योरेंस का प्रतिनिधित्व करती है जिससे ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया है, को शामिल किया गया है।

एफ) और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

सी. अतिरिक्त प्रकटीकरण

सी-1 बहियों का मिलान एवं समाधान

31.03.2024 तक बकाया मिलान- चूंकि सभी शाखाएं सीबीएस के तहत हैं, इसलिए सिस्टम द्वारा बहियों का मिलान किया जाता है। इंटर शाखा खातों में शामिल और आईबीओ विभाग को आबंटित खातों के विभिन्न शीर्षों में नामे और जमा बकाया प्रविष्टियों का दिनांक 31.03.2024 तक का प्रारंभिक मिलान पूरा कर लिया गया है। इसका समायोजन लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। हमें आबंटित सभी ऑफिस खातों से संबंधित प्रावधान सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और कॉर्पोरेट लेखा विभाग को अग्रेषित की जाती है।

iv. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.

v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.

vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.

vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.

viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.

The amount of contigent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

f) And other items for which Bank is contingently liable.

C. Additional Disclosures

C-1 Balancing of Books and Reconciliation

Balancing Arrears as at 31.03.2024 - As all the branches are under CBS, the balancing of books is taken care of by the system. Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter branch accounts and allotted to IBO department has been completed up to 31.03.2024. The reconciliation of the same is audited by statutory auditors. Provision related of all office accounts allotted to us is audited by Statutory Auditor and forwarded to Corporate Accounts Department.

सी-2 निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश के एक भाग को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी एवं एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरित कर दिया है। परिणामी मूल्यह्रास ₹1.86 करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹323.74 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

सी-3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, अत: एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गये हैं और हमने उसे आधार के रूप में लिया है।

सी-4 परिसर

सी-4.1 बैंक की कुल ₹79.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹168.72 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है।

सी-4.2 पुनर्मूल्यांकित हिस्सा पर मूल्यह्रास - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास ₹845.06 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1,249.38 करोड़) और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रभारित मूल्यह्रास ₹1,619.68 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1954.73 करोड़) है।

सी -5 'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों के अंतर्गत भूमि/आस्ति से संबंधित प्रावधान पर प्रकटीकरण'

C-2 Investments.

In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Investment from HTM category to AFS category and AFS to HTM Category. The resultant depreciation of Rs.1.86 Crores (March 31, 2023: Rs. 323.74 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C-3 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable. The details regarding Micro, Small and Medium Enterprises has been provided by the Management and relied upon by us.

C-4 Premises

C-4.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties amounting to ₹ 79.88 Crores (Previous Year: ₹ 168.72 Crores).

C-4.2 Depreciation on Revalued Portion: ₹ 845.06 Crores depreciation charged for FY 2023-24 (Previous year: ₹ 1,249.38 Crores) and Total depreciation charged during FY 2023-24 is ₹ 1,619.68 Crores (Previous Year: ₹ 1,954.73 Crores.

C - 5 Disclosure on provisioning pertaining to Land/Asset held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
'दावों के एवज में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियों' के अंतर्गत धारित भूमि की राशि Amount of Land held under 'Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims'	51.95	51.95
वर्ष के प्रारंभ में धारित प्रावधान Provisions held at the beginning of the year	51.95	51.95
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को नामे करते हुए किए गए प्रावधान Provisions made during the year by debiting profit and loss account	-	-
'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि से नामे करते हुए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'Balance in profit and loss account' under 'Reserves and Surplus'	-	-

अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन सबसे पहले प्रभारों के लिए किया जाएगा उसके बाद ब्याज आय के लिए और अंत में बकाया मूलधन के लिए किया जाएगा।

सी-6 वर्ष के दौरान अदावाकृत लाभांश राशि ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.20 करोड़) को अविलंब निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया गया।

सी-7 भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी. 15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमश: दिनांक 23 जून, 2017 एवं दिनांक 28 अगस्त, 2017 के

Appropriation of Recoveries in Non-Performing Assets is first appropriated towards charges, then interest income and last in principal outstanding.

C-6 During the year unclaimed dividend amount transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) without any delay is NIL (Previous Year: ₹ 6.20 Crores).

C-7 As per RBI letters no. DBR.No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC),

अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों में शामिल खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2024 को कुल ₹ 6881.67 करोड़ (कुल बकाये का 100%) का प्रावधान किया है।

सी-8 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु ₹11.17 करोड़ का परिचालन खर्च (पिछले वर्ष: ₹13.50 करोड़) शामिल किया गया है।

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने सीएसआर के एक अंश के तौर पर ₹11.17 करोड़, पिछले वर्ष बैंक के प्रकाशित लाभ का 1% (अर्थात् ₹141.09 करोड़) का खर्च और अपने सीएसआर के हिस्से के रूप में संड्री जमा खाते में रखी शेष सीएसआर निधि के शून्य का विनियोजन किया है। एक जिम्मेदार बैंक के रूप में, हमने सीएसआर की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करते हुए सकारात्मक रूप से खर्च की एक ऐसी नींव रखी है, जिस पर बैंक आगामी परियोजनाओं और साझेदारी का निर्माण कर सके। बैंक अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए सीएसआर खर्च हेतु अपनी कार्यनीतियों का निरंतर मूल्यांकन कर रहा है। आने वाले वर्षों में, बैंक आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करेगा।

सीएसआर हेतु संबंधित वर्ष के दौरान खर्च राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

the Bank is holding total provision of ₹ 6881.67 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2024.

C-8 Corporate social responsibility

Operating expenses include ₹ 11.17 Crores (previous year: ₹ 13.50 Crores) for the year ended March 31, 2024 towards Corporate Social Responsibility (CSR), in accordance with Companies Act, 2013.

The Bank has spent total amount of ₹ 11.17 Crores, ₹ 141.09 Crores being 1% of the published profit of the Bank for the previous year and NIL being appropriation of residual CSR fund lying in Sundry Deposit A/c, as part of its CSR for the year ended March 31, 2024. As a responsible bank, it has approached the mandatory requirements of CSR spends positively by laying a foundation on which it would build and scale future projects and partnerships. The Bank continues to evaluate strategic avenues for CSR expenditure in order to deliver maximum impact. In the years to come, the Bank will further strengthen its processes as per requirement.

The details of amount spent during the respective year towards CSR are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024			31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023		
	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total	खर्च राशि Amount spent	अदत्त राशि प्रावधान Amount Unpaid provision	कुल Total
शिक्षा एवं प्रशिक्षण Education and training	8.98	-	8.98	11.08	-	11.08
स्वास्थ्य Health	1.36	-	1.36	0.38	-	0.38
समाज कल्याण Women Welfare	0.80	-	0.80	-	-	-
अन्य Others	0.03	-	0.03	2.04	-	2.04
गतिविधि ए Activity A	-	-	-	-	-	-
गतिविधि बी Activity B	-	-	-	-	-	-
कुल Total	**11.17**	**-**	**11.17**	**13.50**	**-**	**13.50**

सी - 9 गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशकों को शुल्क के रूप में ₹ 1.48 करोड़ के पारिश्रमिक (पिछले वर्ष: ₹ 1.50 करोड़) का भुगतान किया गया।

सी -10 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल- III फ्रेमवर्क के तहत लिवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात और शुद्ध स्थिर फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) सहित

C - 9 Disclosure on remuneration to Non-Executive Directors

Remuneration by way of sitting fees to the Non-Executive Directors for attending meetings of the Board and its committees during the year ended March 31, 2024 amounted to ₹ 1.48 Crores (Previous year: ₹ 1.50 Crores).

C-10 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel- III framework are being made available on our

पिलर 3 प्रकटीकरणों को हमारी वेबसाइट "https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii'' पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

सी- 11 अग्रिमों की रिस्ट्रक्चरिंग - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकबारगी रिस्ट्रक्चरिंग) विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 और डीओआर. सं. बीपी. बीसी./4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए एमएसएमई खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

website in the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii. Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/. These disclosures have not been subjected to audit/ review by the SCAs of the Bank.

C-11 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured accounts is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31 मार्च, 2024 को राशि Amount as on 31.03.2024
39526	2,325.86

सी- 12 समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 और डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 04.06.2021 के अनुसार रिस्ट्रक्चर किए गए खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

C-12-In accordance with RBI circular No DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 - Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2024 को बकाया निधियन राशि funded O/s as on 31.03.2024	प्रावधान Provision held
9497	992.37	132.64

सी- 13 "समाधान फ्रेमवर्क - 2.0: वैयक्तिकों और छोटे व्यवसायियों के कोविड-19 संबंधी दबाव का समाधान" विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन की मंजूरी प्रदान कर क्रियान्वित किया गया, को दिया गया कुल एक्सपोजर निम्नानुसार है: -

C-13 In accordance with the RBI Cir.No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework - 2.0: Resolution of COVID - 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

खातों की संख्या No of Accounts	31.03.2024 तक कुल एक्सपोजर Aggregate exposure as on 31.03.2024
4569	406.64

(भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सं.बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण वर्ग को कवर करता है और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर. एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/201-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (ए) में शामिल है।

लघु व्यवसाय (रिटेल व्यापार और थोक व्यापार सहित) को वैयक्तिकों के लिए विस्तारित किया गया है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सं.बीपी.बीसी/4/21.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत शामिल

(Individual covers only personal loan segment as per RBI circular No. DOR.No.BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in para 5 (a) of RBI circular No.DOR.STR.REC.11/21.04.048/201-22 dated May 5, 2021.

Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individuals which were covered under MSME as per RBI circular No DOR.No. BP.BC/4/21.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.

थे और अब भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/21-22 दिनांक 5 मई, 2021 के पैरा 5 (बी) में शामिल हैं।

सी-14 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2005-06/421/डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.89 /21.04.048/2005-06 दिनांक 22 जून, 2006 के अनुसार बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्लोटिंग प्रावधान नीति लागू कर दी है। 31 मार्च, 2024 को, नीति के अनुसार बैंक का फ्लोटिंग प्रावधान ₹370.00 करोड़ (31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान क्रमशः शून्य और ₹ 200.00 करोड़) है।

सी-15 ग्रीन डिपॉजिट - भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2023-24/14 डीओआर.एसएफजी.आरईसी.10/30.01. 021/2023-24 दिनांक 11 अप्रैल, 2023, पैरा 10, के अनुसार "प्रभाव का आकलन एक विकसित क्षेत्र है, इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। आरई को वित्तीय वर्ष 2024-25 से अनिवार्य रूप से प्रभाव का आकलन करना होगा ।"

तदनुसार, ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाए गए धन के आबंटन पर थर्ड-पार्टी सत्यापन/आश्वासन से जुड़ी पहली नियामक रिपोर्टिंग और इसकी प्रभाव आकलन रिपोर्ट बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की जाएगी।

सी-16 उधारकर्ता समूहों में से एक के प्रशासक (वर्तमान में परिसमापन के अधीन) ने इंग्लैंड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स की अदालतों में उधारकर्ता कंपनियों के प्रमोटरों और बैंक के खिलाफ दावे दायर किए हैं। बैंक के खिलाफ दावे में वर्ष 2012 और 2020 के बीच समूह की कंपनियों के लेनदारों को धोखा देने के लिए प्रमोटरों के साथ साजिश में शामिल होने के आरोपों पर आधारित हैं।

इस स्तर पर, दावे के सापेक्ष पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है जिसके आधार पर बैंक दावों की पात्रता का उचित मूल्यांकन और बैंक के खिलाफ उचित रूप से दावा की जा सकने वाली मात्रा का आकलन कर सके, भले ही आरोप का विस्तृत विवरण दिया गया है और इसके बाद सुनवाई के दौरान साबित हुआ हो।

बैंक ने कार्यवाही में अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। बैंक अपने खिलाफ सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जिसमें कथित लेनदेन के बारे में कोई जानकारी होने या मिलीभगत भी शामिल है। तदनुसार, इस स्तर पर बैंक के खिलाफ दावे के स्पष्ट होने की कम संभावना होने के कारण, बैंक ने इस दावे के सापेक्ष न तो कोई प्रावधान किया है और न ही इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया है।

सी-17 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, जहां कहीं भी दिए गए हैं, पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

C-14 As per the RBI Circular no. RBI/2005-06/421/ DBOD.NO.BP.BC.89 /21.04.048/2005-06 dated June 22, 2006, Bank has in place Floating Provision Policy approved by the Board. As on March 31, 2024, the Bank has floating provision of ₹ 370.00 Crores (Nil and ₹ 200.00 Crores created during the quarter and year ended March 31, 2024, respectively) in accordance with the policy.

C-15 Green Deposits - As per RBI/2023-24/14 DOR.SFG.REC.10/30.01.021/2023-24 Dated April 11, 2023, Para 10, "Impact assessment is an evolving area, it shall be undertaken on a voluntary basis for the financial year 2023-24. REs shall have to mandatorily make an impact assessment from the financial year 2024-25 onwards."

Accordingly, first regulatory reporting involving Third-Party Verification/Assurance on the allocation of funds raised by the Bank through green deposits and its Impact Assessment Report will be done by the Bank for FY2024-25.

C-16 The Administrator of one of the Borrower Groups (currently under liquidation) has filed claims against the promoters of the borrower Companies and the Bank in the courts of England and Abu Dhabi Global Markets. The claims against the Bank are based on allegations of the Bank being involved in a conspiracy with the promoters to defraud the creditors of the group companies between 2012 and 2020.

At this stage, the claims are not sufficiently particularised to enable the Bank to reasonably assess the merits of the claims and also to assess the quantum that could reasonably be claimed against the Bank, even if the allegations are particularised and then established on trial.

The Bank has filed a robust defence in the proceedings. The Bank categorically denies all the allegations against it, including any knowledge of or collusion in the alleged transactions. Accordingly, due to the remote possibility of the claim against the bank, crystallizing at this stage, the Bank has neither made any provision on this claim nor disclosed it as contingent liability

C-17 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

Figures in the bracket wherever given relates to previous year.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Standalone Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash flow from operating activities:**		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**24,88,961**	**19,72,664**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1,61,968	1,95,473
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	(3,126)	1,70,403
	बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	6,47,086	4,35,052
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(68,851)	52,750
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	32,452	55,485
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)		(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(626)	(1,071)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,91,013	1,93,520
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	(23,759)	(28,747)
	उप योग		**Sub total**	**34,25,118**	**30,45,529**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(7,30,751)	(47,27,243)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(1,31,25,431)	(1,68,19,361)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in other assets	4,35,166	1,55,411
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	(17,55,878)	33,550
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	1,23,27,005	1,57,74,923
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	(3,26,305)	10,99,192
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(7,94,624)	(5,36,686)
	परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash from operating activities (A)**	**(5,45,700)**	**(19,74,685)**

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023
बी.	निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	B.	Cash flow from investing activities:		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(1,03,894)	(90,314)
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	21,955	17,446
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	730	(1,12,158)
	अनुषंगियों/ अन्य से प्राप्त लाभांश		Dividend received from subsidiaries/others	23,759	28,747
	निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash used in investing activities (B)**	**(57,450)**	**(1,56,279)**
सी.	वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C.	Cash flow from financing activities:		
	शेयर पूंजी / शेयर आवेदन पूंजी/ शेयर प्रीमियम		Share Capital /Share application money/ Share premium	-	-
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	10,05,055	(2,32,431)
	प्रदत्त लाभांश		Dividend paid	(2,84,425)	(1,46,570)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,75,391)	(1,85,210)
	वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash from financing activities (C)**	**5,45,239**	**(5,64,211)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि/ (कमी)		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(57,911)**	**(26,95,175)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	95,70,324	1,22,65,499
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		Cash and cash equivalents as at the end of the period	95,12,413	95,70,324

टिप्पणी: / **Notes:**

नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास नकदी एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल हैं ।

Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATMs, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

				31 मार्च 2024 को As on 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As on 31st March 2023
	नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक		**Components of Cash & Cash Equivalents**		
1	नकदी एवं भा.रि.बैं. के पास शेष राशि	1	Cash & Balance with RBI	54,83,983	54,88,263
2	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	40,28,430	40,82,061
	कुल		Total	**95,12,413**	95,70,324

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी नोट का समावेश है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 18 अंचल कार्यालयों, 20 शाखाओं और 1 विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, संबंधित सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3003 घरेलू शाखाओं (26 कार्यालयों सहित) और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 30 विदेशी शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया है।

   तुलन-पत्र में लाभ एवं हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण संबंधी 5244 घरेलू शाखाओं के रिटर्न भी शामिल हैं जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं। इन गैर लेखा-परीक्षित शाखाओं और अन्य कार्यालयों में कुल अग्रिम का 20.24%, कुल जमाराशियों का 41.37%, राजस्व आय का 26.59%, ब्याज आय का 22.25%, ब्याज व्यय का 40.06% और 31 मार्च, 2024 को अनर्जक आस्तियों का 40.24% शामिल है।

   हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (**अधिनियम**) के अनुरुप वांछित जानकारी देते हैं, जिससे कि वे बैंक स्तर पर और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत के समनुरूप हों और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) नोट के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे समुचित तरीके से बनाया गया है ताकि 31 मार्च, 2024 को बैंक के कार्यकलापों की सही और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

बी) लाभ एवं हानि खाता, जो उसमें दिए गए नोट के साथ पठित है, लाभ संबंधी वास्तविक शेष को दर्शाता है; और

सी) नकदी प्रवाह विवरण संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष हेतु सही और उचित नकदी प्रवाह दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय हेतु आधार

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन लेखापरीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचरण संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं जोकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं, हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचरण संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय वस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं:

   ₹ 1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की कुल राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में अनुसूची 18 की नोट सं. ए-13(एच)। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹ 581.77 करोड़ के अपरिशोधित शेष व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 अनुसार शामिल किया है।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे

4. हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में और इसमें हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है:

I. **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक के निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 67.21 प्रतिशत हैं, जो वित्तीय विवरणों का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, जिनके मामलों में अग्रिमों के निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और उनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान की प्रक्रिया में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख- रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता है कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा, बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं। व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बैंक कुछ क्षेत्रों में अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित ऐसे एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेनदेन के स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा व्यावसायिक परिदृश्यों, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आकलन/ निर्णय और प्रावधानों की गणना को ध्यान में रखते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभीष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है। साथ ही, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए अन्य पक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्सरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय के निर्धारण के कारण अनर्जक अग्रिमों के लिए ऋणकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर निर्भरता के कारण हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र को निर्धारित किया है।	हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे: ए) हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान, प्रावधान के निर्धारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, चेक और बैलेंस, मूलभूत प्रक्रियाओं के स्वरूप, निर्धारित समय-सीमा के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई। बी) हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और अनर्जक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की हमने जांच की। हमें आबंटित शाखाओं में मूलभूत प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमने बड़ी राशि वाले अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है, जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना के आधार पर जांच की गई है, जिसमें बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी शामिल है। सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई। डी) लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं आने वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न पर विश्वास किया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूने संबंधी आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली/ प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक द्वारा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों/ विचलनों/ त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया। ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान तथा आय का तदनुरूपी रिवर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है। आई) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों में विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया।

II सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली नियंत्रक प्रणालियां

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्त्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पड़ रहा हो। अत: आईटी सिस्टम नियंत्रण को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यान्वित ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य से, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसेस ओनर्स के साथ लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और प्रमुख ऐप्लिकेशनों में मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न जोखिमों से पार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से जनरेट किए गए रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पर भी भरोसा जताया।

III निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। निवेश बैंक की कुल आस्तियों का 23.32% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूप अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं। गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है - ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है;

निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निषादक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्वपूर्ण कार्य दायित्व हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक संकेन्द्रण की गंभीरता में शामिल निर्णय सीमा और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है।	बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन के संबंध में मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है। डी) हमने एनपीआई की पहचान और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है; हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधित परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

IV. कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक ने उक्त के पेटे दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संसाधनों के संभावित आउटफ़्लो का मूल्यांकन करने में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों की परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमों के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउटफ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउटफ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में बैंक के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर मुख्य विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा चयनित किए गए मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/ बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है। एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है। जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के बारे में प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। एच) सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा शाखा लेखा परीक्षा/ अतिरिक्त सूचना के आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया।

5. अन्य मामले

ए) हमने 3003 घरेलू शाखाओं और 30 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹6,20,448 करोड़ की कुल आस्तियां और ₹48,080 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में निर्धारित किया गया है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल अग्रिमों का 47.99%, कुल जमा का 63.13%, कुल राजस्व का 48.91%, ब्याज आधारित आय का 50.04%, 63.36% ब्याज व्यय और 31 मार्च, 2024 को गैर-निष्पादित आस्तियों का 58.05% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।

बी) 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संयुक्त केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म हैं और उन्होंने अपनी 16 मई, 2023 की रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर अन्य जानकारियां और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस जवाबदेही में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हों तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डो की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक का प्रबंधन और निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने की न हो या ऐसा न करने के लिए कोई उचित विकल्प न हो। बैंक का निदेशक मण्डल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जवाबदेह है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य इस आशय का पर्याप्त भरोसा प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन नहीं है और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है, उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता

है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो। भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी.नं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के तहत यथा आवश्यक, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन प्रभावी हैं अथवा नहीं ।

- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियाँ बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर अधिक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।

वस्तुनिष्ठता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकार यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियां सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता, और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार दर्शाए गए हैं।

10. उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त रिटर्न के अनुसार हैं;

सी) बैंकिंग विनियमनन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुसार असंगत नहीं है;

बी) बैंक के वित्तीय लेनदेन या मामले जो बैंक के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर हमारी कोई टिप्पणी या राय नहीं है।

सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

डी) खातों के रख-रखाव और उसके साथ जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई क्वालिफिकेशन प्रतिबंध, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभाव पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है। हमारी रिपोर्ट में यथा 31 मार्च, 2024 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बैंक के परिचालनगत प्रभाव पर अपरिवर्तित राय व्यक्त किया गया है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109574W

(डी. वी. बल्लाल)
साझेदार
एम. नं. : 013107
यूडीआईएन: 24013107BKDEYE9733

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

(ऋषिकेश जोशी)
साझेदार
एम. नं. : 138738
यूडीआईएन: 24138738BKEXNZ3703

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S/S200095

(एस सुंदररमन)
साझेदार
एम. नं. : 201028
यूडीआईएन: 24201028BKCTPQ1026

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 101048W

(रमण हंगेकर)
साझेदार
एम. नं. : 030615
यूडीआईएन: 24030615BKCJCP5051

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109208W

(जी शंकर)
साझेदार
एम. नं. : 46050
यूडीआईएन: 24046050BKCLLK5318

दिनांक: 10 मई, 2024
स्थान: मुंबई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ए

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 12 ई में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पत्र सं डीओएस.एआर जी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 (यथा संशोधित) (आरबीआई का पत्र) के अनुसार अपेक्षित, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **बैंक ऑफ बड़ौदा** (बैंक) के दिनांक 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है जोकि वर्ष की समाप्ति के लिए उस तारीख को बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के अनुक्रम में है, जिनमें बैंक की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडोंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने और लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिपण्णियां) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और जारी किए गए ऑडिटिंग (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है जोकि आईसीएआई द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरणों, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है, और बैंक की आय और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय पर पहचान के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण इसमें भौतिक मिथ्या कथन विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गंभीरता कमजोर हो सकती हैं।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टो पर विचार के आधार पर, बैंक के

पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2024 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आधार परड प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

अन्य मामले

हमारी उक्त रिपोर्ट में 3003 शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनगत प्रभावशीलता उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109574W

(**डी. वी. बल्लाल**)
साझेदार
एम. नं. : 013107
यूडीआईएन: 24013107BKDEYE9733

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

(**ऋषिकेश जोशी**)
साझेदार
एम. नं. : 138738
यूडीआईएन: 24138738BKEXNZ3703

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S/S200095

(**एस सुंदररमन**)
साझेदार
एम. नं. : 201028
यूडीआईएन: 24201028BKCTPQ1026

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 101048W

(**रमण हंगेकर**)
साझेदार
एम. नं. : 030615
यूडीआईएन: 24030615BKCJCP5051

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109208W

(**जी शंकर**)
साझेदार
एम. नं. : 46050
यूडीआईएन: 24046050BKCLLK5318

दिनांक: 10 मई, 2024
स्थान: मुंबई

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which are included the returns for the year ended on that date of the Head office, 18 Zonal offices, 20 branches and 1 Specialized Integrated Treasury Branch audited by us, 3003 domestic branches (including 26 offices) audited by the respective Statutory Branch Auditors and 30 foreign branches audited by the respective Local Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI').

   Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 5244 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches and other offices account for 20.24% of advances, 41.37% of deposits, 26.59% of revenue, 22.25% of interest income, 40.06% of interest expended and 40.24% of Non-performing assets as on March 31, 2024.

   In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act 1949 (the **"Act"**), in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024;

b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

c) the Cash Flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibility under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the appliable Accounting Standard , and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the RBI from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to the following:

   Note No. A-13 (h) of Schedule 18 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2024 and the balance unamortized expense of ₹ 581.77 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters of the Bank to be communicated in our report:

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitute 67.21 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non- performing assets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.	We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following: a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures. b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank. i) Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

(ii) **Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions are being processed and recorded on multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence IT system controls has been considered as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): (a) verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; (b) review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; (c) verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and (d) testing of logic used for extracting the data. We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems.

(iii) **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the financial Statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 23.32 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on - a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments. b) For the selected smple of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample. c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2024 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.	d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(iv) Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 17 to the financial statements):

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow of resources in such matters. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/ external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases. h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the financial Statements/financial information of 3003 domestic branches and 30 foreign branches whose financial statements reflects total Assets of ₹ 620448 Crores and total revenue of ₹ 48080 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 47.99% of total advances, 63.13% of total deposits, 48.91% of revenue, 50.04% of interest income, 63.36% of Interest expended for the year ended March 31, 2024 and 58.05% of Non-performing assets as at March 31, 2024. The financial statements/information of these branches have been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such branch auditors.

b) The Standalone Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31, 2023 were audited by the joint central statutory auditors, three of whom are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such financial statements vide their report dated May 16,2023.

Our opinion is **not** modified in respect of above matters.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flow of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the Reserve Bank of India's letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/ 2019-20 dated March 17,2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our Audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls with reference to financial statements is given in **Annexure 'A'** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Banks's operating effectiveness of internal financial controls with reference to financial statements as at March 31,2024.

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D. V. Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN: 24013107BKDEYE9733

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

Rishikesh Joshi
Partner
M. No.: 138738
UDIN:24138738BKEXNZ3703

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

S. Sundarraman
Partner
M. No.: 201028
UDIN:24201028BKCTPQ1026

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Raman Hangekar
Partner
M. No.: 030615
UDIN:24030615BKCJCP5051

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

G.Sankar
Partner
M. No.:46050
UDIN: 24046050BKCLLK5318

Date: May 10, 2024
Place: Mumbai

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(e) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date)

Report on the Internal financial controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter no. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls with reference to Financial Statements of **Bank of Baroda** (the "Bank") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to Financial Statements of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on "the

criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Other Matters

Our aforesaid opinion in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 3003 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches. Our opinion is not modified in respect of this matter.

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D. V. Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN: 24013107BKDEYE9733

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

Rishikesh Joshi
Partner
M. No.: 138738
UDIN:24138738BKEXNZ3703

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

S. Sundarraman
Partner
M. No.: 201028
UDIN:24201028BKCTPQ1026

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Raman Hangekar
Partner
M. No.: 030615
UDIN:24030615BKCJCP5051

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

G.Sankar
Partner
M. No.:46050
UDIN: 24046050BKCLLK5318

Date: May 10, 2024
Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2024 contain unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

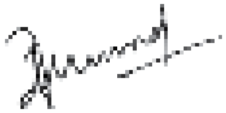

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 10.05.2024
Date: 10.05.2024
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

स्टैन्डअलोन सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- स्टैन्डअलोन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं हैं।

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है।

i. अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. अवधि के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 10.05.2024
स्थान: मुंबई

Standalone CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2024- Standalone

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed Standalone financial statements for the year ended March 31, 2024 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the period;

ii. Significant changes in accounting policies during the period and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Date : 10.05.2024
Place : Mumbai

दिनांक 31 मार्च, 2024 की समेकित तुलन पत्र
Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2024

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
पूंजी एवं देयताएं	**CAPITAL & LIABILITIES**			
पूंजी	Capital	1	**1035,53,36**	1035,53,36
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	**118676,70,77**	104019,18,32
माइनोरिटी इंटरेस्ट	Minority Interest	2A	**1017,91,26**	994,59,01
जमा राशियां	Deposits	3	**1351801,84,40**	1234682,00,08
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	**101959,10,13**	107910,15,54
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	**80288,28,53**	77237,50,98
कुल	**TOTAL**		**1654779,38,45**	1525878,97,29
आस्तियां	**ASSETS**			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**56720,31,50**	56696,21,14
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**43569,53,08**	45677,17,74
निवेश	Investments	8	**407136,32,19**	397487,23,37
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	**1088983,40,22**	963651,83,39
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**8148,34,73**	8956,79,46
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**49310,68,83**	52498,94,29
समेकन पर सुनाम	Goodwill on Consolidation		**910,77,90**	910,77,90
कुल	**TOTAL**		**1654779,38,45**	1525878,97,29
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**578782,81,50**	581568,05,36
वसूली हेतु बिल	Bills for Collection		**61980,18,98**	67927,62,92
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

देबदत्त चांद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**ललित त्यागी** कार्यपालक निदेशक	**संजय विनायक मुदालियर** कार्यपालक निदेशक	**लाल सिंह** कार्यपालक निदेशक
इयान डिसूजा मुख्य वित्त अधिकारी	**सुब्रत स्वाईं** महाप्रबंधक (एस.पी. एंड बी.एफ), उप सीएफओ	**पंकज खत्री** उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट लेखा एवं कराधान	**साई गणेश उज्जिना** उप महाप्रबंधक कॉर्पोरेट लेखा एवं कराधान

संबंधित तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 109574W	**कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 105049W	**कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 004656S/S200095	**कृते : बाटलीबोई एंड पुरोहित** सनदी लेखाकार एफआरएन : 101048W	**कृते : वी शंकर अय्यर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार एफआरएन : 109208W
(डी. वी. बल्लाल) साझेदार एम. नं. : 013107	**(ऋषिकेश जोशी)** साझेदार एम. नं. : 138738	**(एस सुंदररमन)** साझेदार एम. नं. : 201028	**(रमण हंगेकर)** साझेदार एम. नं. : 030615	**(जी शंकर)** साझेदार एम. नं. : 046050

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March 2024

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31st March 2023
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	118379,21,60	94502,61,67
अन्य आय	Other Income	14	23399,48,70	16275,36,02
कुल	TOTAL		141778,70,30	110777,97,69
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
खर्च ब्याज	Interest Expended	15	69899,07,56	49942,16,89
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	34336,81,04	30644,46,35
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		19133,17,44	15503,46,89
कुल	TOTAL		123369,06,04	96090,10,13
माइनोरिटी इंटरेस्ट से पूर्व समेकित लाभ एवं सहयोगियों से आय का हिस्सा	Consolidated Profit before Minorities' Interest and share of earning in Associates		18409,64,26	14687,87,56
सहयोगियों से आय का हिस्सा	Share of earnings in Associates	17	459,22,87	317,33,79
माइनोरिटी इंटरेस्ट में कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities' interest		18868,87,13	15005,21,35
घटाएं: माइनोरिटी इंटरेस्ट	Less : Minorities' Interest		101,49,24	100,01,05
समूह हेतु स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		18767,37,89	14905,20,30
आगे लायी गई लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		2086,27,67	1786,78,41
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		20853,65,56	16691,98,71
III. विनियोजन	III. Appropriations			
शेयर प्रीमियम से अंतरण	Transfer from Share Premium		-	-
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		4509,56,93	3583,87,77
पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		97,74,04	229,51,91
धारा 36 (1) (VIII) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		617,68,79	300,00,00
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		8603,68,27	7614,73,21
निवेश में उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		-	30,00,00
निवेश प्रारक्षित निधि खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		578,06,53	3,33,23
प्रस्तावित लाभांश	Proposed Dividend		3930,23,53	2844,24,92
समेकित तुलन पत्र पर ले जायी गई शेष राशि	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		2516,67,47	2086,27,67
कुल	TOTAL		20853,65,56	16691,98,71
प्रति शेयर मूल आय (₹)	Basic Earnings per Share (₹)		36.29	28.82
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय (₹)	Diluted Earnings per Share (₹)		36.29	28.82
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखा संबंधी नोट	Notes on Accounts	19		

ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Debadatta Chand Managing Director & CEO	**Lalit Tyagi** Executive Director	**Sanjay Vinayak Mudaliar** Executive Director	**Lal Singh** Executive Director
Ian Desouza Chief Financial Officer	**Subrat Swain** General Manager (S.P & B.F), Dy. CFO	**Pankaj Khatri** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation	**Sai Ganesh Ujjina** Dy. General Manager Corporate Accounts & Taxation

As per our Report of even date attatched.

For Shah Gupta & Co Chartered Accountants FRN: 109574W	**For Khandelwal Jain & Co** Chartered Accountants FRN: 105049W	**For S Venkatram & Co LLP** Chartered Accountants FRN: 004656S/S200095	**For Batliboi & Purohit** Chartered Accountants FRN: 101048W	**For V Sankar Aiyar & Co** Chartered Accountants FRN: 109208W
(D. V. Ballal) Partner M. No.: 013107	**(Rishikesh Joshi)** Partner M. No.: 138738	**(S Sundarraman)** Partner M. No.: 201028	**(Raman Hangekar)** Partner M. No.: 030615	**(G Sankar)** Partner M. No.: 046050

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Balance Sheet

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 1 पूंजी	**SCHEDULE - 1 CAPITAL**		
प्राधिकृत -पूंजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
(प्रति ₹ 2/- के 1,500,00,00,000 शेयर) (पिछली अवधि प्रति ₹ 2/- के 1500,00,00,000 शेयर)	1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each (previous year 1,500,00,00,000 Shares of ₹ 2/- each)	**3000,00,00**	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	**ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 518,50,29,679 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि प्रति ₹ 2 के 518,50,29,679 शेयर)	518,50,29,679 Equity Shares of ₹ 2/- each (previous year 518,50,29,679 shares of ₹ 2/- each)	**1037,00,59**	1037,00,59
मांगी गयी पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	**CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL**		
प्रति ₹ 2/- के 517,13,62,179 इक्विटी शेयर (पिछली अवधि 517,13,62,179) जिसमें केंद्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 661.64 करोड़ राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर शामिल हैं. (पिछली अवधि के कुल ₹ 661.64 करोड़ की राशि के 330,81,84,689 इक्विटी शेयर)	517,13,62,179 (previous period 517,13,62,179) Equity Shares of ₹ 2/- each including 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores held by Central Government (previous period 330,81,84,689 Equity Shares amounting to ₹ 661.64 crores)	**1034,27,24**	1034,27,24
जोड़े: **जब्त किए गए शेयर** 136,67,500 (पिछली अवधि 136,67,500) इक्विटी शेयर	Add: **Forfeited Shares** 136,67,500 (P.Y. 136,67,500) equity shares	**1,26,12**	1,26,12
कुल	**TOTAL**	**1035,53,36**	1035,53,36

		31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
अनुसूची - 2 प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	**SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS**				
I **सांविधिक आरक्षित निधियां**	I **Statutory Reserves**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**19063,10,13**		15488,33,64	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**4509,56,93**		3583,87,77	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**(4,74,28)**	**23567,92,78**	(9,11,28)	19063,10,13
II ए) प्रारक्षित पूंजी (पुर्नमूल्यांकित आरक्षित निधि ₹ 5056.93 करोड़ सहित (पिछली अवधि में ₹5888.42 करोड़)	II a) Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹5056.93 crore (Previous periods ₹5888.42 crore)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**13990,52,82**		15151,90,62	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	**97,74,04**		229,51,91	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	**(825,91,19)**	**13262,35,67**	(1390,89,71)	13990,52,82

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
बी समेकन पश्चात आरक्षित पूंजी	b) Capital Reserve on Consolidation				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	73,53,39		71,66,10	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	7,30,08	80,83,47	1,87,29	73,53,39
III शेयर प्रीमियम	**III Share Premium**				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	31430,95,22		31430,95,22	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	-	31430,95,22	-	31430,95,22
IV राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	**IV Revenue & Other Reserves**				
ए धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	a) Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	6969,18,84		6669,18,84	
जोड़े: सामान्य प्रारक्षित निधियों से अंतरित	Add: Trf from General Reserves	-		-	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	617,68,79	7586,87,63	300,00,00	6969,18,84
बी रूपांतरित प्रारक्षित निधियां	b) Translation Reserve		4500,42,11		4711,58,47
सी पूंजी हेज प्रारक्षित निधि	c) Capital Hedge Reserve		235,40,15		160,89,25
डी निवेश प्रारक्षित खाता	d) Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4,36,50		1,03,28	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	578,06,54	582,43,04	3,33,22	4,36,50
ई निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	e) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2440,94,37		2409,87,36	
जोड़े/(घटाएं): अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add /(Less): Additions/ Adjustments during the year	-	2440,94,37	31,07,01	2440,94,37
एफ राजस्व प्रारक्षित निधि	f) Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23087,81,66		14079,71,77	
जोड़े: लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	8603,68,27		7614,73,20	
जोड़े: अवधि के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Add: Additions/Adjustments during the year	780,38,93	32471,88,86	1393,36,69	23087,81,66
V लाभ एवं हानि खाते में शेष	V Balance in Profit & Loss Account		2516,67,47		2086,27,67
कुल प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष (I से V)	**Total Reserves & Surplus (I to V)**		118676,70,77		104019,18,32

अनुसूची - 2 ए माइनोरिटी इंटरेस्ट
SCHEDULE - 2A MINORITY INTEREST

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	994,59,01		757,78,01	
जोड़े /(घटाएं): अवधि के दौरान समायोजन	Add /(Less): Adjustments during the year	23,32,25	1017,91,26	236,81,00	994,59,01
कुल माइनोरिटी इंटरेस्ट	Total Minority Interest		1017,91,26		994,59,01

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
अनुसूची - 3 जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 DEPOSITS**				
ए. I मांग जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	3414,53,25		3990,17,73	
ii) अन्य से	ii) From Others	119191,48,38	122606,01,63	102409,85,84	106400,03,57
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		399046,77,26		378078,90,39
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	89759,72,96		58624,67,07	
ii) अन्य से	ii) From Others	740389,32,55	830149,05,51	691578,39,05	750203,06,12
कुल (I, II एवं III)	TOTAL (I, II & III)		1351801,84,40		1234682,00,08
बी I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	1136242,92,81		1054710,47,48	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	215558,91,59		179971,52,60	
कुल (I और II)	TOTAL (I & II)	1351801,84,40		1234682,00,08	

		31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां	**SCHEDULE - 4 BORROWINGS**				
I भारत में उधार ली गयी राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	8870,00,00		2429,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	2332,72,15		11591,89,48	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	48249,58,29		60179,30,21	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	12355,00,00		12355,00,00	
v) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	11130,43,99		11116,93,99	
vi) दीर्घावधि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड	vi) Long term infrastructure bonds	11000,00,00	93937,74,43	1000,00,00	98672,13,68
II भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां	II Borrowings outside India		8021,35,70		9238,01,86
कुल (I और II)	Total - (I & II)		101959,10,13		107910,15,54
उपरोक्त I एवं II में शामिल जमानती उधार ली गयी राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		31372,99,12		44295,96,25

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च, 2024 तक As at 31st March 2024		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March 2023
अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान		**SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**				
I	देय बिल	I	Bills Payable		**3864,10,87**		4109,05,84
II	उपचित ब्याज	II	Interest Accrued		**7020,30,09**		5671,84,49
III	अंतर कार्यालय समायोजन	III	Inter office Adjustments (Net)		**10,40,89**		2428,09,73
IV	आस्थगित कर देयता	IV	Deferred Tax Liabilities		**4,44,11**		8,13,39
V	मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	V	Contingent Provision against Standard Advances		**7058,56,89**		7743,71,98
VI	अन्य (प्रावधानों सहित)#	VI	Others (including provisions)#		**62330,45,68**		57276,65,55
	कुल (I से VI)		**Total (I to VI)**		**80288,28,53**		77237,50,98

बीमा पॉलिसी देयताएं एवं लिंक्ड देयताएं हेतु प्रावधान ₹ 24818.20 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष ₹ 19720.62 करोड़)
Includes Insurance Policy Liabilities & Provision for Linked Liabilities ₹ 24818.20 crore (Previous year ₹ 19720.62 crore)

				31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023
अनुसूची - 6 नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि		**SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**					
I	उपलब्ध नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I	Cash in hand (including foreign currency notes)		**4061,50,60**		3932,46,64
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंक के पास शेष राशि	II	Balances with Reserve Bank of India/ Central Bank :				
	i) चालू खाते में		i) in Current Account	**52186,16,96**		52261,38,84	
	ii) अन्य खातों में		ii) In Other Account	**472,63,94**	**52658,80,90**	502,35,66	52763,74,50
	कुल (I एवं II)		**TOTAL (I & II)**		**56720,31,50**		56696,21,14

				31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023
अनुसूची - 7 बैंक में शेष राशि और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		**SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**					
I	**भारत में**	**I**	**In India**				
i)	बैंकों के पास शेष राशि	i)	Balances with Banks				
	ए) चालू खाते में		a) in Current Accounts	**167,44,92**		178,41,65	
	बी) अन्य जमा खातों में		b) in Other Deposit Accounts	**3351,70,16**	**3519,15,08**	7407,39,62	7585,81,27
ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii)	Money at call and short notice				
	ए) बैंकों के पास		a) with Banks	**47,00,00**		-	
	बी) अन्य संस्थाओं के पास		b) with Other institutions	**75,00,00**	**122,00,00**	50,00,00	50,00,00
	कुल (i और ii)		**TOTAL (i and ii)**		**3641,15,08**		7635,81,27
II	**भारत से बाहर**	**II**	**Outside India**				
	i) चालू खातों में		i) in Current Accounts	**19790,45,40**		20930,57,31	
	ii) अन्य जमा खातों में		ii) in Other Deposit Accounts	**6375,36,34**		6348,10,40	
	iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		iii) Money at Call and Short Notice	**13762,56,26**		10762,68,76	
	कुल (i, ii और iii)		**TOTAL (i, ii and iii)**		**39928,38,00**		38041,36,47
	कुल (I और II)		**Grand Total (I and II)**		**43569,53,08**		45677,17,74

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
अनुसूची - 8 निवेश		**SCHEDULE - 8 INVESTMENTS**					
I	**भारत में निम्नलिखित में निवेश**	I	**Investments in India in**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	i)	Govt Securities	**331683,78,69**		322308,60,32	
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii)	Other Approved Securities	**11131,03,32**		10251,30,54	
iii)	शेयर	iii)	Shares	**7682,64,85**		6300,20,48	
iv)	डिबेंचर एवं बॉन्ड्स	iv)	Debentures and Bonds	**28737,72,38**		30174,04,62	
v)	सहयोगियों में निवेश	v)	Investment in Associates	**2144,30,28**		1723,84,91	
vi)	अन्य	vi)	Others	**1726,53,98**		1750,75,51	
	कुल (i से vi)		**Total (i to vi)**		**383106,03,50**		372508,76,38
II	**भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश**	II	**Investments Outside India in**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i)	Govt Securities (incl. Local authorities)	**17058,94,76**		17510,77,45	
ii)	सहयोगियों में निवेश	ii)	Investment in Associates	**145,11,71**		159,05,79	
iii)	अन्य	iii)	Others	**6826,22,22**		7308,63,75	
	कुल (i से iii)		**Total (i to iii)**		**24030,28,69**		24978,46,99
	कुल (I और II)		**Grand Total (I & II)**		**407136,32,19**		397487,23,37
III	**भारत में निवेश**	III	**Investments in India**				
	निवेश का सकल मूल्य		Gross value of Investments	**386432,90,17**		376863,66,89	
	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**3326,86,67**		4354,90,51	
	भारत में निवल निवेश		**Net Investments in India**	**383106,03,50**		372508,76,38	
IV	**भारत के बाहर निवेश**	IV	**Investments outside India**				
	निवेश का सकल मूल्य		Gross value of Investments	**25585,64,15**		26876,22,83	
	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का योग		Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	**1555,35,46**		1897,75,84	
	बाहरी निवल निवेश		**Net Investments outside**	**24030,28,69**	**407136,32,19**	24978,46,99	397487,23,37

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 9 अग्रिम		**SCHEDULE - 9 ADVANCES**			
ए. i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i)	Bills Purchased and Discounted	**47817,55,00**	33728,52,74
ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**358751,88,03**	327805,34,95
iii)	मीयादी ऋण	iii)	Term Loans	**682413,97,19**	602117,95,70
	कुल (i से iii)		**Total (i to iii)**	**1088983,40,22**	963651,83,39

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
बी i)	मूर्त आस्तियों से प्रतिभूत (बही ऋणों के पेटे अग्रिम शामिल)	B. i)	Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	**747514,37,43**		676632,93,07	
ii)	बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii)	Covered by Bank/ Government Guarantees	**100282,66,49**		88351,63,99	
iii)	गैर जमानती	iii)	Unsecured	**241186,36,30**		198667,26,33	
	कुल (i से iii)		**Total (i to iii)**		**1088983,40,22**		963651,83,39
सी. I	भारत में अग्रिम	C. I	Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र		i. Priority Sector	**293368,66,39**		265748,28,84	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र		ii. Public Sector	**130028,17,50**		115533,99,23	
	iii) बैंक		iii. Banks	**1026,77,28**		1076,70,37	
	iv) अन्य		iv. Others	**470026,01,88**	**894449,63,05**	405327,89,67	787686,88,11
II	भारत से बाहर अग्रिम	II	Advances Outside India				
i	बैंकों से देय	i	Due from Banks	**78927,21,97**		53200,84,25	
ii	अन्य से देय	ii	Due from Others				
	ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		a) Bills Purchased & Discounted	**11653,66,78**		6845,17,13	
	बी) सिंडीकेट ऋण		b) Syndicated Loans	**81829,96,06**		80064,73,06	
	सी) अन्य		c) Others	**22122,92,36**	**194533,77,17**	35854,20,84	175964,95,28
	कुल (सी.I + सी.II)		**TOTAL (C.I +C.II)**		**1088983,40,22**		963651,83,39

अनुसूची - 10
अचल आस्तियां

SCHEDULE - 10
FIXED ASSETS

I	**परिसर**	I	**Premises**				
	पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding year	**12456,17,20**		12359,79,97	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the year	**64,62,45**		115,59,40	
				12520,79,65		12475,39,37	
	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन (पुनर्मूल्यांकन राशि सहित)		Deductions/adjustments during the year (Includes revalued amount)	**284,46,88**		19,22,17	
				12236,32,77		12456,17,20	
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास		Depreciation to date	**7886,89,54**	**4349,43,23**	7040,15,47	5416,01,73
I ए	निर्माणाधीन परिसर	I A	Premises under construction		**106,97,37**		77,88,46

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

					31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023	
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)**	II	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :**					
	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	**9983,91,69**		9443,26,03	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	**1040,07,24**		914,80,34	
				11023,98,93		10358,06,37	
	अवधि के दौरान कटौतियां		Deductions during the year	**420,16,95**		374,14,68	
				10603,81,98		9983,91,69	
	आज की तारीख में मूल्यह्रास		Depreciation to date	**8809,14,28**	**1794,67,70**	8254,20,08	1729,71,61
II ए	**पट्टे पर दी गई आस्तियां**	II A	**Leased Assets**				
	पिछली अवधि के दौरान 31 मार्च की लागत पर		At cost as on 31st March of the preceding period	**2012,32,72**		2009,16,98	
	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन		Additions/Adjustments during the period	**218,97,76**		3,15,74	
				2231,30,48		2012,32,72	
	वर्ष के दौरान प्रावधान सहित कटौतियां		Deductions during the year incl. Provisions	**3,87,99**		-	
				2227,42,49		2012,32,72	
	आज की तारीख में मूल्यह्रास		Depreciation to date	**335,72,10**	**1891,70,39**	282,02,55	1730,30,17
	कुल (I, IA, II और IIA)		**TOTAL (I, IA, II AND IIA)**		**8142,78,69**		8953,91,97
III -	पूंजीगत-कार्य-प्रगति में (पट्टे पर आस्तियों सहित) प्रावधानों के निवल	III -	Capital-Work-in progress (Including Leased Assets) net of Provisions		**5,56,04**		2,87,49
	कुल(I, IA, II, IIA और III)		**TOTAL (I, IA, II,IIA AND III)**		**8148,34,73**		8956,79,46

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
I	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I	Inter-Office Adjustments (Net)	**-**	-
II	उपचित ब्याज	II	Interest Accrued	**13652,09,31**	13310,32,27
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	III	Tax paid in advance/tax deducted at source(net of Provisions)	**8200,71,10**	7286,94,84
IV	लेखन सामग्री एवं स्टांप	IV	Stationery and Stamps	**2,66,24**	8,04,61
V	दावों की संतुष्टि पर अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	V	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
VI	आस्थगित कर आस्तियां	VI	Deferred Tax assets	**4814,70,11**	6672,77,02
VII	अन्य	VII	Others	**22640,52,07**	25220,85,55
	कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**	**49310,68,83**	52498,94,29

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**					
I	दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया	I	Claims not acknowledged as debts		**33888,76,02**		32367,80,03
II	आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए देयता	II	Liability for partly paid Investments		**15,28,00**		15,28,00
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**330634,62,06**		327199,36,69
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV	Guarantees given on behalf of constituents :				
	ए) भारत में		a) In India	**52738,62,99**		51004,37,43	
	बी) भारत से बाहर		b) Outside India	**8963,39,62**	**61702,02,61**	10395,35,39	61399,72,82
V	स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**24655,79,02**		31239,14,40
VI	आकस्मिक देयताएं की अन्य मदें	VI	Other items of contingent liability		**127886,33,79**		129346,73,42
	कुल (I से VI)		**TOTAL (I to VI)**		**578782,81,50**		581568,05,36

समेकित लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां
Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज और लाभांश		**SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**			
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ डिस्काउंट	I	Interest/Discount on Advances/ Bills	**87647,68,73**	66140,51,69
II	निवेशों पर आय	II	Income on Investments	**27842,14,08**	24801,05,59
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III	Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	**1934,23,03**	1613,70,19
IV	अन्य	IV	Others	**955,15,76**	1947,34,20
	कुल (I से IV)		**TOTAL (I to IV)**	**118379,21,60**	94502,61,67

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

					31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची 14 अन्य आय		**SCHEDULE - 14 OTHER INCOME**					
I	कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	I	Commission, Exchange and Brokerage		**3710,90,07**		3099,70,79
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ	II	Profit on sale of Investments	**2984,47,66**		2042,23,98	
	घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Investments	**499,97,36**	**2484,50,30**	506,27,47	1535,96,51
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	III	Profit on Revaluation of Investments	**1056,76,95**		52,45,52	
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		Less: Loss on revaluation of Investments	**26,20,85**	**1030,56,10**	1531,07,86	(1478,62,34)
IV	भूमि, इमारतों, और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	**8,81,47**		16,77,56	
	घटाएं: भूमि, इमारतों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि		Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	**2,50,03**	**6,31,44**	2,44,49	14,33,07
V	विनिमय लेनदेन पर लाभ	V	Profit on Exchange Transactions	**1542,58,71**		1143,10,04	
	घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि		Less: Loss on Exchange Transactions	**215,36,92**	**1327,21,79**	452,75,12	690,34,92
VI	अर्जित बीमा प्रीमियम	VI	Insurance Premium earned		**6827,67,31**		5972,32,34
VII	ए) लीज वित्तपोषण आय	VII	a) Lease Finance Income	**-**		-	
	बी) लीज प्रबंधन शुल्क		b) Lease Management Fee	**-**		-	
	सी) अतिदेय प्रभार		c) Overdue Charges	**-**		-	
	डी) लीज किराए प्राप्तियों पर ब्याज		d) Interest on lease rent receivables	**88**	**88**	7	7
VIII	विविध आय#	VIII	Miscellaneous Income#		**8012,30,81**		6441,30,66
	कुल (I से VIII)		**TOTAL (I to VIII)**		**23399,48,70**		16275,36,02

विविध आय में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में हुई वसूली ₹ 4000.35 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 3312.23 करोड़)
Miscellaneous income includes Recoveries made in write off accounts of ₹ 4000.35 crore (Previous year ₹ 3312.23 crore)

अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज		**SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED**					
I	जमाराशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits		**61281,10,70**		42888,16,17
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings		**5627,10,44**		4418,23,13
III	अन्य	III	Others		**2990,86,42**		2635,77,59
	अन्य (I से III)		**TOTAL (I to III)**		**69899,07,56**		49942,16,89

(₹ 000'में) (₹ in 000's)

				31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024		31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय		**SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES**				
I	कर्मचारियों को भुगतान व तत्संबंधी प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees		**16966,69,19**		14347,40,41
II	किराया, कर और बिजली	II Rent, Taxes and Lighting		**1775,53,70**		1674,91,43
III	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery		**200,19,73**		173,95,29
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity		**439,50,35**		532,93,87
V	ए) लीज की गई आस्तियों को छोड़कर बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	**1632,50,73**		1981,20,45	
	बी) लीज की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास	b) Depreciation on Leased Assets	**61,02,04**	**1693,52,77**	50,65,23	2031,85,68
VI	निदेशकों की फीस एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses		**7,89,29**		7,55,07
VII	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)		**104,75,64**		91,94,18
VIII	विधि प्रभार	VIII Law Charges		**393,72,64**		241,71,56
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.		**264,69,13**		205,06,12
X	मरम्मत एवं रखरखाव	X Repairs and Maintenance		**1094,75,82**		1051,55,58
XI	बीमा	XI Insurance		**1756,22,18**		1542,03,83
XII	सुनाम का परिशोधन	XII Amortisation of Goodwill		**8,12,34**		8,12,34
XIII	अन्य खर्च	XIII Other Expenditure#		**9631,18,26**		8735,40,99
	कुल (I से XIII)	**TOTAL (I to XIII)**		**34336,81,04**		30644,46,35

अन्य खर्चों में पॉलिसी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभ ₹ 3275.94 करोड़ शामिल है (पिछले वर्ष ₹3730.54 करोड़)

Other Expenditure includes Benefits Paid to Insurance Policy Holders of ₹ 3275.94 crore (Previous year ₹ 3730.54 crore)

			31 मार्च 2024 को As at 31st March 2024	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023
अनुसूची - 17 सहयोगियों से अर्जित आय का हिस्सा		**SCHEDULE - 17 SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES**		
I	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	I RRB's	**420,46,45**	271,19,55
II	अन्य	II Others	**38,76,42**	46,14,24
	कुल (I और II)	**TOTAL (I & II)**	**459,22,87**	317,33,79

अनुसूची 18 - 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार किए गये हैं। ये भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/ मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट है। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया गया है।

i. समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिन्हें एक साथ (''समूह''), संयुक्त उद्यम और सहयोगी के रूप में और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संदर्भित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

ए. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

बी. मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ अनुषंगियों की आस्ति/देयता/ आय/ व्यय की प्रत्येक मद के क्रमवार समेकन और सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह शेष / लेन- देन, अप्राप्त लाभ/ हानि को घटाने तथा आईसीएआई द्वारा जारी एएस 21 "समेकित वित्तीय विवरणों'' के अनुसार असमान लेखांकन नीतियों हेतु यथा अपेक्षित आवश्यक समायोजन करने के बाद।

सी. संयुक्त उद्यमों का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में वित्तीय हितों की रिपोर्टिंग" के अनुसार 'अनुपातिक समेकन'

डी. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी प्रक्रिया' के अंतर्गत 'एसोसिएट्स' में निवेश के लिए लेखांकन।

ii. अनुषंगी संस्थाओं में अपने निवेश पर समूह की लागत और अनुषंगियों की शेयर पूंजी एवं प्रीमियम में समूह के हिस्से के बीच अंतर की गणना वित्तीय विवरणों में साख/ पूंजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में की गई है। विदेशी अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (जेवी) के मामले में ऐसे अंतर को विनिमय प्रारक्षित निधियों के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

iii. समेकित अनुषंगियों की निवल अस्तियों में माइनॉरिटी ब्याज में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. अनुषंगी में निवेश की तारीख को माइनॉरिटी के लिए आरोप्य इक्विटी की राशि, और

बी. मूल - अनुषंगी के बीच संबंधों की शुरूआत की तारीख से राजस्व प्रारक्षित निधियों/ हानि (इक्विटी) में संचलन का कुछ भाग

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय में प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं. वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/ संशोधन वर्तमान और भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

3. निवेश एवं डेरिवेटिव्स:

बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख के आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। बैंक के निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार किया गया है।

3.1 वर्गीकरण

ए) वर्गीकरण का आधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है

i. 'परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।

ii. 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है। ऐसी प्रतिभूतियां जो खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री हेतु रखी गई हैं उन्हें एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

iii. 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) में वे निवेश शामिल हैं जो उपर्युक्त (ए) तथा (बी) में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

तुलन-पत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को अनुसूची 8 (निवेश) में छः समूहों (ए) सरकारी प्रतिभूतियां (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (सी) शेयर (डी) बॉन्ड एवं डिबेंचर (ई) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम और (एफ) अन्य के अंतर्गत यथा प्रकटीकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी) अधिग्रहण की लागत

निवेशों से संबंधित ब्रोकरेज जैसे लागत, जिसका अर्जन के समय भुगतान किया गया है और ब्रोकन अवधि का ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

सी) श्रेणियों के बीच अंतरण

निवेशों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पुनःवर्गीकरण, यदि कोई किया गया है तो, वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। एएफएस/ एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण निम्नतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया गया है। एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, एचटीएम के अंतर्गत बट्टे पर रखे गए निवेशों को एएफएस / एचएफटी श्रेणी में अर्जन मूल्य पर अंतरित किया गया है और एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखे निवेशों को एएफएस / एचएफटी में परिशोधित लागत

पर अंतरित किया गया है।

एएफएस से एचएफटी में या एचएफटी से एएफएस में निवेशों का अंतरण बही मूल्य पर किया जाता है। इस तरह के निवेशों पर लागू किसी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को भी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित किया जाता है।

इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई है, के लिए पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

3.2 मूल्यांकन

'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधीकरण संबंधी खर्च को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार ब्याज आय से घटाया गया है।

'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/ बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/ प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिलों, कॉमर्शियल पेपर्स और जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेशों का रख-रखाव की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं हेतु खरीदे गए पास थ्रू सर्टिफिकेटों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बही मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में) अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यह्रास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के पश्चात् बैंक द्वारा वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) की इकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित के तहत, श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें एएफएस श्रेणी में अंतरित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये वित्तीय विवरणियों के अनुसार वीसीएफ द्वारा दर्शाए गए निवल आस्ति मूल्य या घोषित एनएवी का प्रयोग कर मूल्यांकित किए गए हैं। यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो ₹1/- प्रति वीसीएफ।

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक आधार पर मार्क्ड-टू-मार्केट (एमटीएम) हैं। अनुसूची 8 (निवेश) में उल्लिखित वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो, उसे लाभ-हानि खाते में अंकित किया गया है। पहले प्रदान किए गए मूल्यह्रास की सीमा को छोड़कर, निवल विनियोजन, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत श्रेणी में यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाता है। अलग- अलग प्रतिभूतियों का बही मूल्य निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के कारण नहीं बदलता है।

पुर्नसंरचित अग्रिम योजना के बदले में प्राप्त निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इन निवेशों के मूल्यों में किसी तरह की कमी को उपलब्ध कराया जाएगा और इसे इसी श्रेणी के तहत अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के सापेक्ष निर्धारित नहीं किया जाएगा। पुर्नसंरचित योजना के तहत बैंक द्वारा अधिग्रहित और धारित इक्विटि शेयर पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, ऐसे लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद से नकदी प्रवाह को संबंधित योजना के तहत लिखत को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों के वास्तविक प्राप्य राशियों तक सीमित किया जाता है तो बैंक प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इस तरह के निवेशों के मूल्यांकन के लिए आस्ति पुनर्संरचन कंपनी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्यों की गणना करेगा। 01 अप्रैल, 2017 को या इसके बाद प्रतिभूति रसीद में किए गए निवेश जो बैंक द्वारा 50% से ज्यादा बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों द्वारा समर्थित हो, के मूल्य में अवमूल्यन के लिए प्रावधान पुनर्संरचना कंपनी (आरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान दर से अधिक होगा या मूल ऋण के लिए लागू मौजूदा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड के अनुसार होगा और ऐसा माना जाएगा कि बैंक की बही में ऋण अनुमानतः जारी रहेगा। प्रतिभूति रसीद में अन्य सभी निवेशों का मूल्यांकन जारीकर्ता आरसी/एससी से प्राप्त एनएवी के अनुसार किया जाता है।

बैंक के पोर्टफोलियो में श्रेणी I और II एआईएफ के कोटेड इक्विटी शेयरों/बांडों/यूनिटों को वरीयत: दैनिक आधार पर किन्तु कम से कम साप्ताहिक आधार पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए।

वर्ष में एक बार लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि, यदि लेखापरीक्षित तुलन-पत्र /वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े मूल्यांकन तारीख को लगातार 18 माह से अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो निवेशों के मूल्य ₹1 प्रति श्रेणी I और II एआईएफ हैं।

प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों में किए गए निवेश का मूल्यांकन रख-रखाव की लागत पर किया जा रहा है।

बैंक केंद्र सरकार की पुरानी प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प बिक्री लेनदेन करता है। अल्प बिक्री की स्थिति सिक्योरिटीज शॉर्ट सेल्ड (एसएसएस) खाते में जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए खोला गया है, परिलक्षित होती है। शॉर्ट पोजीशन को बाजार मार्क्ड टू मार्केट और हानि, यदि कोई हो, उसे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है जब कि लाभ यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के निपटान से हुए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विशेष बॉन्ड जैसे कि तेल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, यूडीएवाय बॉन्ड आदि जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, का मूल्यांकन

एफआईबीएल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

'व्यापार के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के कोटेड निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर बाज़ार दरों हेतु फाईनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / कोटेड दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

ए	सरकारी / अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	परिपक्वता आधारित आय पर.
बी	इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	-	नवीनतम तुलन-पत्र (तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार करने की गई वह मूल्यांकन की तारीख से पहले के 18 महीने से अधिक नहीं होगी) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, यदि कोई हो पर विचार किए बिना) अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
सी	अधिमानी शेयर और पास थ्रू. सर्टिफिकेट (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर)	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
डी	पीएसयू बॉन्ड	-	समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता आधारित आय पर
ई	म्यूचुअल फंड की यूनिट	-	फंड द्वारा प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित नवीनतम पुर्नखरीद मूल्य/ एनएवी पर

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश की पहचान और उसके ऊपर मूल्यह्रास/ प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर बैंक भारतीय रिज़र्व, बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई सीमा से ऊपर और अधिक अतिरिक्त रूप से प्रावधान सृजित करते हैं। इस तरह के अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में विनियोजन के मुक़ाबले निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनर्जक निवेशों पर ब्याज को लाभ और हानि खातों में तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक उनकी वास्तविक प्राप्ति नहीं हो जाती है।

विदेशी शाखाओं में निवेशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश में से जिसके दिशानिर्देश अधिक सख्त हों, वे लागू होंगे। उन शाखाओं के मामलों में, जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ऐसे कोई दिशानिर्देश निर्दिष्ट न हो, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश लागू होंगे।

जीवन बीमा व्यवसाय:

बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किए जाते हैं और उनका लेखांकन किया जाता है।

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर निवेशों को दर्ज किया जाता है जिसमें ब्रोकरेज और स्टांप ड्यूटी, कर आदि, यदि कोई हों, शामिल हैं, लेकिन खरीद पर उपचित पूर्व-अधिग्रहण ब्याज (अर्थात् पिछली कूपन तारीख से लेनदेन निपटान की तारीख तक), यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है।

बोनस पात्रता को 'एक्स-बोनस तारीख' पर निवेश माना जाता है। राइट पात्रता को 'एक्स-राइट डेट' पर निवेश माना जाता है। निवेश पर किसी भी प्रकार की अग्रिम छूट को निवेश की लागत से घटा दिया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख पर निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी के अलावा, को राजस्व/ लाभ एवं हानि खाते में व्यय माना जाता है।

प्रदत/ प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट / क्रेडिट किया जाता है और इसे खरीद/ बिक्री मूल्य की लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश की कर्ज प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखत और अतिरिक्त टियर - 1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों की गैर-लिंक निधियों और शेयरधारकों के निवेश के तहत धारित सभी कर्ज प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा बाजार लिखतें शामिल हैं को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है तथा परिशोधन के अधीन हिस्टोरिकल लागत के रूप में उल्लेख किया जाता है।

बी. छूट या प्रीमियम जो निश्चित आय प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों के खरीद मूल्य और मोचन राशि के बीच का अंतर है, इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता में शेष अवधि पर राजस्व खाते या लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाइन के आधार पर परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. पॉलिसीधारक की गैर-लिंक निधियों के तहत एटी1 बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके किया गया है.

डी. ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ या हानि, कंपनी की बही में निवल बिक्री प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच अंतर है।

बी. पॉलिसीधारकों के लिंक निधि की ऋण प्रतिभूतियां, मुद्राबाजार लिखत और अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड (एटी1 बॉन्ड):

ए. पॉलिसीधारकों के लिंक निधियों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और एटी1 बॉन्ड को मूल्यांकन यथालागू क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर/क्रिसिल गिल्ट मूल्यों, का उपयोग करके किया जाता है।

बी. नियत आय प्रतिभूतियों / मुद्रा बाजार लिखतों पर छूट या प्रीमियम, जो खरीद मूल्य और शोधन राशि के बीच का अंतर होता है, को और इन प्रतिभूतियों की परिपक्कता के लिए शेष अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर राजस्व खाते में परिशोधित और निर्धारित किया जाता है।

सी. सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि का लेखांकन राजस्व खाते में किया जाता है।

डी. लिंक कारोबार के लिए धारित ऋण प्रतिभूतियों और लिंक कारोबार के साथ-साथ उससे इतर कारोबार के लिए एटी1 बॉन्ड पर प्राप्त लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है.

सी. लिंक और गैर लिंक दोनों के लिए:

ए. तुलन-पत्र की तारीख को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्यों का उपयोग करके सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और इक्किटी ईटीएफ का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि एनएसई पर इक्किटी शेयरों और इक्विटी ईटीएफ का व्यापार नहीं होता है तो फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है।

बी. असूचीबद्ध इक्किटी शेयर का उल्लेख हिस्टॉरिकल लागत पर किया जाता है। इन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया जाता है कि यह ह्रास अस्थायी के अतिरिक्त है।

सी. प्राइमरी बाजारों के माध्यम से अधिगृहीत इक्विटी शेयर जिनकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है उनका मूल्यांकन अपने निर्गम मूल्य पर किया जाता है।

डी. म्यूचुअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है। एआईएफ इकाइयों का मूल्यांकन संबंधित निधि के नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है।

ई. प्राप्त लाभ/हानि, निवल बिक्री प्रतिफल और भारित औसत लागत के बीच का अंतर है। लिंक निधि के मामले में, अप्राप्त लाभ/हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में उचित मूल्य परिवर्तन के रूप में निर्धारित किया जाता है लिंक कारोबार के अतिरिक्त कारोबार के लिए, सूचीबद्ध इक्रिटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/ हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है और तुलन-पत्र में भी शामिल किया जाता है।

एफ. कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्कता तारीख या कॉल ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है। यदि कई कॉल ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल तारीखों पर या अंतिम परिपक्वता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

जी. पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तारीख या पुट ऑप्शन तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त उच्च मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट ऑप्शन हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट तारीखों पर या अंतिम परिपक्कता तारीख तक प्रतिभूति का मूल्यांकन कर प्राप्त कम मूल्य पर किया जाता है।

एच. एक ही दिन पुट और कॉल दोनों विकल्पों के साथ प्रतिभूतियों को पुट/ कॉल तारीख पर परिपक्व माना जाएगा और उनका मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा जारी मैट्रिक्स के आधार पर बेंचमार्क दर पर स्प्रेड का उपयोग करके परिपक्कता के आधार पर प्रतिफल पर किया जाएगा।

आई. 'रिर्वस रेपो' आधार पर खरीदे गए लिखतों का मूल्यांकन लागत और रिवर्स रेपो दर पर उपचित ब्याज पर किया जाता है।

जे. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों के भीतर परिपक्व होने वाले सभी निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

के. पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारकों की निधियों से पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेश का अंतरण मुद्रा बाजार लिखतों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में परिशोधित लागत/ बुक लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में बाजार मूल्य पर किया जाता है।

एल. लिंक निधि के मामले में पॉलिसीधारकों की निधियों से संबंधित ऋण प्रतिभूतियों का अंतर-निधि अंतरण मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाता है। इक्विटी, अधिमानी शेयर, ईटीएफ और सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण नवीनतम ट्रेड के बाजार मूल्य पर बाजार के कार्य-अवधि के दौरान किया जाता है।

एम. गैर-लिंक पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच निवेश का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

एन. यूनिट लिंक निधियों के बीच इक्किटी, अधिमानी शेयरों, ईटीएफ, आईएनवीआईटी और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की गणना, निवेश की खरीद या बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है, यदि निवेश के अंतरण की तारीख पर किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसे अंतिम उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, निवेश के अंतरण को प्रचलित प्रतिफल पर लेखांकित किया जाता है।

ओ. यदि आंतरिक/ बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो निवेशों की रख-रखाव लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यह्रास हानि की पहचान व्यय के रूप में की जाती है और इसे राजस्व/ लाभ या हानि खाते में 'निवेश (निवल) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत पुनर्निर्धारित उचित मूल्य और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी पूर्व ह्रास हानि द्वारा घटाई गई अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक प्रकट किया जाता है। ह्रास हानि का कोई भी रिवर्सल जिसे पहले राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया था, को क्रमशः राजस्व/ लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाएगा।

पी. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर विनियम के अनुसार, सभी एनपीए से संबंधित बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सभी आस्तियां जहां तुलन-पत्र की तारीख को ब्याज और/ या मूलधन चुकौती की किस्त 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय होती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्यू. InvIT के लिए, सभी ट्रेड किए गए InvIT का मूल्यांकन, मूल्यांकन दिवस पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अंतिम कोटेड समापन मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई पर स्क्रिप का व्यापार नहीं होता है तो वह मूल्य जिस पर बीएसई पर इसका व्यापार हुआ, पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी एक्सचेंज पर इसका व्यापार नहीं होता है तो पिछले दिन के शुरुआती मूल्य पर एनएसई/बीएसई के समापन मूल्य का इस्तेमाल

किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसा पिछला दिन, मूल्यांकन दिवस से पहले तीस दिन से अधिक न हो।

3.3 निवेशों का निपटान

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/ हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/ बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया गया है तथा 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है।

एएफएस/ एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो हेतु लेखांकन

बैंक ने पुनःखरीद तथा प्रत्यावर्तित पुन: खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है [परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17/ एफ एमओडी. एमएओजी.नं./01.01.001 /2016-17 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 और पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 से संबंधी परिपत्र संख्या आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआर डी.21/14.03.038/2019-20 दिनांक 28 नवंबर, 2019 द्वारा भा.रि.बैं. के पास चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित] रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ सांपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना, ब्याज व्यय/आय जैसा भी मामला हो, के रूप में की गयी है।

3.5 निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रारक्षित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं.आरबीआई/2017-18/147 डीबीआर.नं.बीपी.बीसी. 1 02/ 21.04.048/2017-18 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से आईएफआर सृजित करने के लिए सूचित किया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, का न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत नहीं होती है।

3.6 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप, विनिमय ट्रेड रुपए ब्याज दर फ्यूचर्स तथा वायदा दर करार शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वैप और विनिमय ट्रेडेड मुद्रा फ्यूचर हैं। बैंक तुलन-पत्र की आस्तियों एवं देयताओं मार्केट मेकिंग/ ट्रेडिंग एवं हेजिंग के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। बैंक हेजिंग लेनदेन की शुरूआत में ही हेज किए गये मदों - (आस्ति या देयताएं) का निर्धारण करता है। हेज की प्रभावशीलता हेज की शुरूआत तथा और उसके बाद रिर्पोटींग की तारीख को सुनिश्चित किया जाता है।

3.7 डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन

बैंक डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार महत्व देता है:

हेज/ नॉन हेज संव्यवहार अलग - अलग रिकॉर्ड किए जाते है। हेज के रूप में नामित संव्यवहारों के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था का पालन किया जाता है -

- उचित मूल्य के हेज के मामले में, हेजिंग लिखतों तथा हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- नकदी प्रवाह हेज के मामले में, प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित' के तहत प्रारक्षित और अधिशेष में निर्धारित किया जाता है तथा प्रभावी हेजिंग के संदर्भ, यदि कोई हो, के अप्रभावी हिस्से को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। प्रभावी हेजिंग के संदर्भ में नकदी प्रवाह हेज प्रारक्षित में संचित शेष राशि को उसी समय जब हेज किए गए आइटम के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, लाभ और हानि खाते में रीसाइकल किया जाता है।

डेरिवेटिव पोजीशनों को बाजार के लिए चिह्नित किया जाता है और परिणामस्वरूप नुकसान, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्याज दर अदला-बदली से संबंधित आय और व्यय दैनिक आधार पर अर्जित होते हैं। ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में तत्काल दर्ज किए जाते हैं।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्राप्य या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

बैंक एफईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑप्शन प्रीमियम लेखांकन सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर प्रीमियम को ट्रांजेक्शन की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर आय/व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने पर प्राप्त/ प्रदत्त राशि को ऑप्शन पर वसूली गई प्राप्तियों/ हानियों के रुप में माना जाता है। विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और स्वैप्स के रद्द होने/ समाप्ति पर प्राप्य/ देय प्रभारों को रद्द होने/ समाप्ति की तारीख को आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) / मुद्रा फ्यूचर्स का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक निविदा के दैनिक समझौता मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

तुलन-पत्र की तिथि को 'एफईडीएआई' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए पैरा 4.3 में दर्शाये

प्रावधानों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानक निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों में से जो भी अधिक कठोर हो, के अनुरूप किया गया है।

4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उचंत ब्याज, वाद- दायर विविध जमाओं में प्राप्त एवं धारित राशि एवं प्राप्त दावा राशि का निवल हैं।

4.3 सतत व्यवहार के रुप में बैंक ने निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश किया है:

- जमानती सब-स्टैंडर्ड अग्रिमों के लिए 15% की नियामक आवश्यकता की जगह पर 20% का प्रावधान।
- एनपीए ऋणधारकों की गैर निधि आधारित सुविधाओं पर 50% क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर (सीसीएफ़) का प्रावधान किया गया। प्रावधान ऋणकर्ता की निधि आधारित सुविधाओं की आस्तियों की श्रेणी पर आधारित हैं।
- बैंक ने उन मौजूदा एनपीए खातों के लिए 100% प्रावधान भी किए हैं जो 6 माह से अधिक पुराने थे और संपार्श्विक मुक्त हैं जैसे कि ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण।
- संपत्ति गिरवी रख कर लिए गए ऋण जो प्रतिभूत (संपार्श्विक) हैं तथा 2 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक हैं, के लिए बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।
- मौजूदा अनर्जक खाते जैसे ट्रैक्टर्स/ टिलर/ पावर टिलर हेतु ऋण जो 6 माह पुराने हैं, के लिए भी बैंक ने 100% प्रावधान किए हैं।

4.4 पुनर्संरचित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए निवल मौजूदा मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए प्रावधान किया गया है। जहां बैंक को कुल बकाया रुपए एक करोड़ और उससे अधिक है। अन्य खातों के लिए, उचित मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 5% पर की जाती है।

4.5 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) / प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। वर्तमान में बैंक द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश ये हैं कि यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य घटाकर किया गया प्रावधान) से कम मूल्य पर हुई है तो कमी को उसी वर्ष कीमत लागत अंतर की अवधि में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाए। यदि बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो जिस वर्ष में अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।

बैंकों को बेची गई वित्तीय आस्तियों तथा निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य - किए गए प्रावधान) से कम मूल्य पर बिक्री के मामले मे कमी को उसी वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाएगा। यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधानों को रिवर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य अनर्जक आस्तियों की बिक्री के कारण कमी / हानि को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा।

5 अस्थायी प्रावधान

बैंक के पास अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजनों के लिए अलग से अस्थायी प्रावधान बनाने की एक पॉलिसी है। प्रति वर्ष किए जाने वाले प्रावधानों की मात्रा का आकलन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक व्यय के लिए अस्थायी प्रावधान का उपयोग किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियां परंपरागत (या पुनर्मूल्यांकित राशि, जैसा भी मामला हो), कम संचित मूल्यह्रास और ह्रास से नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर पर दर्शाई गई हैं। लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उसके अभीष्ट उपयोग के लिए चालू स्थिति में लाने संबंधी लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए आस्तियों पर बाद में उपचित व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी आस्तियों के/ से भविष्य के लाभ/ कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ बैंक के लाभ और हानि खाते का हिस्सा हैं।

6.2 अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए अचल संपत्तियों के पोर्टफोलियो का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। बैंक के स्वामित्व वाली और शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, कर्मचारियों के क्वार्टर आदि के रूप में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि और भवन बैंक की अचल संपत्तियों की श्रेणी में स्वयं के परिसर के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई हो, को प्रारक्षित पूंजी के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है।

6.3 परिसर में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

7. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों द्वारा सृजित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

8. राजस्व का निर्धारण

8.1 आय (पैराग्राफ 8.2 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) / व्यय का निर्धारण सामान्यत: उपचय आधार पर किया गया है। आयकर विभाग से रिफंड आदेश/सूचना प्राप्त होने पर आयकर रिफंड पर ब्याज बुक किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के मामले में, उस देश के जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय/ व्यय का निर्धारण किया गया है।

8.2 शुल्क के माध्यम से प्राप्त आय, सभी कमीशन (सरकारी कारोबार और अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली तथा अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर लेखांकित गया है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों के लाभांश को वसूली आधार पर लेखांकित गया है।

8.3 अनर्जक आस्तियों/ निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गयी है।

8.4 ऐसे पट्टे जहां स्वामित्व का जोखिम एवं लाभ पट्टादाता के पास रहता है उसे एएस 19 (पट्टा देना) के अनुसार परिचालन पट्टा के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के पट्टे के भुगतान का रिकॉर्ड एएस 19 के अनुसार पट्टा मानदंड के ऊपर लाभ-हानि खाते में स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है।

8.5 एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

समय-समय पर खातों में प्रभावी वसूली (जनधन वसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) निम्नलिखित तरीके से विनियोजित होनी चाहिए :

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

वाद दायर/ डिक्री खातों में वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया जाना चाहिए:

- संबंधित न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार
- न्यायालय से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं होने के मामले में गैर वाद दायर खातों में लागू अनुसार

समझौता /एनसीएलटी समाधान के माध्यम से निपटान द्वारा वसूली:

एनसीएलटी के माध्यम से संकल्प/ निपटान या समझौता स्वीकृत खातों के मामले में वसूली को समझौता स्वीकृति / समाधान निपटान के अनुसार विनियोजित किया जाना चाहिए।

8.6 मानक खातों में वसूलियों का विनियोजन

मानक खातों में वसूली का विनियोजन दर्ज मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और जल्द से जल्द मांग को निम्नलिखित क्रम में पूरा किया जा रहा है

- बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किये गये सभी लागत, कमीशन, प्रभार और व्यय के प्रति
- बैंक पर देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य ब्याज, दंडात्मक ब्याज के प्रति
- मूलधन के भुगतान के प्रति

मर्चेन्ट बैंकिंग:

राजस्व को गतिविधि की प्रकृति के आधार पर तब निर्धारित किया जाता है जबकि प्रतिफल की तर्कसंगत रूप से गणना की जा सके और इसकी वसूली के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हो।

ए. निवेश बैंकिंग से होने वाली आय में संगठन की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और मूल्यांकन सेवाओं, पुनरीक्षण परियोजना मूल्यांकन, डेब्ट एवं इक्विटी निर्गम प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाओं, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और लीड अरेंजर सर्विसेज, ऋण समूहन, ऋण-पुनर्संरचना तथा संबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित हैं।

बी. ऐसे मामलों में राजस्व, कंपनी और ग्राहक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की नियम एवं शर्तों के अनुरूप असाइनमेंट के विभिन्न स्तरों के पूरा होने तथा इसकी वसूली की निश्चितता का आकलन होने पर जब कभी राशि देय होती है तो इसे उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी. ब्रोकिंग गतिविधियों से होने वाली आय में एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेड पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज की गणना स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी शुल्क, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रभार और लागू अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर / जीएसटी) को घटाकर केवल यथोचित आधार पर राशि निर्धारित होने के बाद उपचित आधार पर की गई है।

डी. धनसंपदा प्रबंधन में परामर्श एवं रिसर्च शुल्क से प्राप्त आय और म्यूचुअल फंड वितरण से प्राप्त आय शामिल हैं। म्यूचुअल फंड वितरण से होने वाली आय में म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पादों के वितरण पर प्राप्त ब्रोकरेज शामिल हैं। ब्रोकरेज राशि में ट्रेल कमीशन और अपफ्रंट कमीशन दोनों शामिल हैं। इसे राशि के केवल यथोचित आधार पर निर्धारण योग्य होने के बाद ही उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ई. मीयादी जमा से होने वाली आय, जो अल्पावधि के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में बैंक से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. कर-मुक्त बॉन्ड से होने वाली आय को, जो एक दीर्घावधि के लिए अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में ऐसे लिखतों को जारी करने वाली संस्थान से प्राप्त ब्याज है, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जी. लिक्विड म्युचुअल फंड से होने वाली आय को उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें निवेश का मोचन किया जाता है और उसकी उगाही की जाती है।

न्यासी परिचालन:

ए. म्युच्युअल फंड न्यासिता शुल्क संबंधित योजनाओं से साथ सहमत निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित की जाती है जो प्रत्येक योजना की औसत दैनिक निवल आस्तियों पर लागू होती है और सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत निर्दिष्ट सीमा के अनुरूप होती है।

बी. राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब उसकी अंतिम उगाही/ संग्रहण की पूरी निश्चितता हो।

आस्ति प्रबंधन

ए. निवेश प्रबंधन शुल्क:

निवेश प्रबंधन शुल्क को बड़ौदा म्युचुअल फंड की योजनाओं (कंपनी द्वारा योजनाओं में किए गए निवेश को छोड़कर, इंट्रा- योजना निवेश और योजना की कुछ श्रेणियों के लिए सावधि जमा में निवेश की योजनाएं), की औसत दैनिक निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचित आधार पर जीएसटी घटाकर इस प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 और किसी भी अन्य संशोधन (विनियम) अथवा संबन्धित योजनाओं के ऑफ़र दस्तावेज़ द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक न हो।

बी. निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क :

निवेश परामर्श एवं रिसर्च शुल्क को काउंटर पक्षों के साथ करार की संबंधित शर्तों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

सी. अन्य आय

ब्याज आय को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

निवेश की खरीद और बिक्री को ट्रेड की तारीख पर रिकॉर्ड किया जाता है। निवेश पर लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरणों में ट्रेड की तारीख पर निर्धारित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सामान्य औसत लागत प्रणाली से किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

ए. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है, अन्यथा कि अन्य रूप से उल्लिखित हो.

बी. शुल्क आय को तब लेखांकित किया जाता है जब इसे ग्राहक को प्रभारित (बिल) किया जाता है.

सी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के मामले में आय की उगाही की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय का लेखांकन केवल इनके प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है.

डी. बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से वसूली को ग्राहक से वास्तविक उगाही के आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ई. निधियों के नियोजन पर आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एफ. ऐसे उपचित आय जिन्हें वर्ष के अंत तक बिल नहीं किया गया है, उन्हें जीएसटी जैसे लागू अप्रत्यक्ष करों पर विचार किए बिना अनुमानित आधार पर लेखांकित किया जाता है। ऐसी आय पर लागू अप्रत्यक्ष करों को वास्तविक बिलिंग के वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

जीवन बीमा:

ए. गैर-लिंक पॉलिसियों के लिए प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। यूनिट लिंक व्यवसाय के लिए प्रीमियम आय को तब निर्धारित किया जाता है जब संबद्ध यूनिट सृजित हो जाते हैं।

बी. गैर-लिंक परिवर्तनीय बीमा व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को प्राप्ति की तारीख पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

सी. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है जब ऐसी पॉलिसियों को पुनः शुरू किया जाए।

डी. प्रीमियम में शुल्क पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं।

ई. यूनिट लिंक व्यवसाय के मामले में, पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबद्ध यूनिट के सृजन पर इसे आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

एफ. यूनिट लिंक पॉलिसियों से आय, जिसमें आस्ति प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रभार शामिल हैं, यदि कोई हो, तो इसे यूनिट लिंक फंड से पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर निर्धारित किया जाता है।

जी. सत्तांतरित पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संबंधित करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय लेखांकित किया जाता है। प्रीमियम में बाद के संशोधनों या निरस्त करने के कारण प्रभाव को उस वर्ष में निर्धारित किया जाता है, जिस वर्ष में वे होते हैं।

एच. निवेश से होने वाली आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है। निवेश पर ब्याज आय को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आई. ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित प्रीमियम में छूट और परिशोधन में वृद्धि को होल्डिंग/ परिपक्वकता अवधि पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जे. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य के संबंध में लाभांश आय और लिंक व्यवसाय के संबंध में लाभांश आय को 'पूर्व-लाभांश तारीख' पर निर्धारित किया जाता है।

के. लिंक व्यवसाय के अलावा अन्य ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि, बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत परिशोधन लागत के बीच का अंतर है। लिंक व्यवसाय के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/ हानि बिक्री की तारीख को व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है।

एल. इक्विटी शेयरों/ म्युचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि, व्यय को घटाकर बिक्री प्रतिफल और भारित औसत बही लागत के बीच का अंतर है। यूनिट लिंक व्यवसाय के अलावा लाभ या हानि में ''राजस्व और अन्य आरक्षित पूंजी (अनुसूची 2)'' और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयताओं (अनुसूची 5)'' के रूप में तुलन पत्र में पूर्व में शामिल उचित मूल्य के संचयी प्रभार शामिल है।

एम. मृत्यु और राइडर के दावों को सूचना मिलने पर लेखांकित किया जाता है। भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल हैं।

एन. गैर-लिंक व्यवसाय के लिए वार्षिकी लाभ, मनी बैक पेमेंट्स, सर्वाइवल बेनिफिट और परिपक्वता दावा को देय होने पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और आहरण का लेखांकन अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है।

ओ. लिंक किए गए व्यवसाय के लिए, संबंधित यूनिटों को रद्द किए जाने पर परिपक्वता दावों को नियत आधार पर लेखांकित किया जाता है। सरेंडर और निकासी का लेखांकन तब किया जाता है जब संबंधित यूनिटों को रद्द कर दिया जाता है।

पी. उस पर वसूली योग्य पुनर्बीमा को संबंधित दावे की समान अवधि के लिए लेखांकित किया जाता है। न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रबंधन के विवेक के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

क्यू. अधिग्रहण लागत उसके क्रियान्वित होने की अवधि में व्यय हुई लागत है. अधिग्रहण लागत में मुख्य रूप से बीमा मध्यस्थों को कमीशन, चिकित्सा लागत, पॉलिसी की छपाई का खर्च, स्टांप शुल्क और पॉलिसी को सोर्स करने और जारी करने में हुए अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। भविष्य में

पहले वर्ष के कमीशन के भुगतान पर कर सहित वसूली, यदि कोई हो, तो उसे वसूली के समय लेखांकित किया जाता है।

9. कर्मचारियों को लाभ

9.1 भविष्य निधि

बैंक ऑफ़ बड़ौदा पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक सांविधिक दायित्व है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधियों का प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

9.2 **उपदान**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि नियमों एवं विनिमयों तथा उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान देयता एक सांविधिक दायित्व है जो कि उपदान भुगतान से अधिक है। इसका वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं इसका प्रबंधन बैंक ऑफ़ बड़ौदा उपदान निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

9.3 पेंशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पेंशन देयता एक निश्चित लाभ देयता के रूप में परिभाषित है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्यांकन के आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन निधि न्यास द्वारा पेंशन देयता के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है।

नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

9.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपार्जित अवकाश (पीएल) तथा अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

9.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी) और सेवानिवृति पर अतिरिक्त सेवानिवृति लाभ इत्यादि को एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के आधार पर लाभों का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है।

10 मूल्यह्रास:

10.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पैराग्राफ 10.3 एवं 10.4 में जिनका उल्लेख किया गया है, के अलावा) निम्नलिखित टेबल के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रावधान किया जाता है, सिवाय उन पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के, जिनके लिए अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किया जाता है।

क्रम सं.	श्रेणी	मूल्यह्रास के प्रभावी दर	मूल्यह्रास प्रक्रिया
1.	**फर्नीचर एवं फिटिंग्स**		
ए.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.89%	अवलिखित मूल्य
बी.	वातानुकूलक प्लांट, अन्य प्लांट आदि.	18.1%	अवलिखित मूल्य
सी.	सुरक्षित जमा वॉल्ट उपकरण	18.1%	अवलिखित मूल्य
डी.	कैश वैन, जीप स्कूटर एवं अन्य वाहन		अवलिखित मूल्य
	- दो पहिया वाहन	25.89%	अवलिखित मूल्य
	- चार पहिया वाहन	31.23%	अवलिखित मूल्य
ई.	कार्यालय के उपकरण	45.07%	अवलिखित मूल्य
2.	बैंक का अपना परिसर		
	- आरसीसी फ्रेम संरचना	4.87%	अवलिखित मूल्य
	- गैर-आरसीसी फ्रेम संरचना	9.50%	अवलिखित मूल्य

10.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 10.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यह्रास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

10.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अभिन्न अंग है, पर मूल्यह्रास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है।

2 वर्ष से अधिक अनुमानित लाइफ और रु.50,000/- की मूल लागत से अधिक के हार्डवेयर के अभिन्न अंग नहीं होने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 3 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, को सीधे ही लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10.4 एटीएम पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।

10.5 परिवर्धनों पर मूल्यह्रास खरीद/ उपयोग की तारीख से अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

10.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए इम्प्रूवमेंट की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10.7 नवीनतम उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अस्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और

इसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अन्य राजस्व रिज़र्व में विनियोजित किया जाता है।

10.8 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्ति का मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

11. आस्तियों का मूल्यह्रास

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी लेखा मानक 28 ('आस्तियों का मूल्यह्रास') के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

यदि आंतरिक /बाहरी कारकों के आधार पर मूल्यह्रास का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आस्तियों की वहन लागत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है। मूल्यह्रास हानि की पहचान वहां की जाती है जहां आस्तियों की वहन लागत राशि वसूली की राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि आस्तियों की निवल बिक्री राशि और उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में लायी जा रही आस्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य में से बट्टा काट कर किया जाता है। इसके लिए पूर्व-कर बट्टा दर का उपयोग किया जाता है जो राशि के समय आधारित मूल्य और आस्ति से संबंधित विशेष जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। मूल्यह्रास के बाद आस्तियों के शेष बची हुई उपयोग अवधि के ऊपर अवमूल्यन उपलब्ध कराया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

12.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 11 लेखांकन 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव' के अनुरुप किया गया है।

12.2 लेखा मानक - एएस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को ए) एकीकृत परिचालनों एवं बी) गैर-एकीकृत परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। घरेलु व्यापार और प्रतिनिधि कार्यालयों के विदेशी मुद्रा परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप माना जाता है और सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, विदेशी सहायक कंपनियों को गैर-एकीकृत परिचालनों के रुप में माना जाता है।

12.3.बैंक विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में वायदा विनिमय अनुबंधों के उपयोग के माध्यम से अपने निवेश को हेज करता है । विदेशी शाखाओं और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में अपने निवेश को हेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायदा विनिमय अनुबंधों को आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों से संबंधित लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार हिसाब लगाया जाता है जिसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स से संबंधित लाभ और हानि उस सीमा तक सीधे इक्विटी में पहचाने जाते हैं जिस सीमा तक हेज को प्रभावी माना जाता है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर लाभ और हानि के अप्रभावी हिस्से (और हेजिंग संबंध में निर्दिष्ट किसी अनुपात) को लाभ और हानि खाते में तत्काल मान्यता दी जाती है । किसी भी निवल आस्थगित विदेशी मुद्रा लाभ और हानि अर्थात् निवल निवेश और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों से उत्पन्न को विदेशी परिचालन के निपटान के समय लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है ।

12.4 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) संव्यवहार को प्राथमिक तौर पर फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचित दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गयी क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।

सी) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रुप में की गयी है तथा इन्हें तदनुसार लाभ- हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं से संबंधित किसी भी रिवर्सल/ भुगतान को फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार दर पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए रिवर्सल/ भुगतान किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

डी) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर एवं वायदा संविदाओं के तुलन-पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एंव अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इनेटरपोलेटिड' दरों पर बाजार को चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए एमटीएम मूल्य को, एमटीएम के मौजूदा मूल्य पर भुनाया जाता है। इस एमटीएम का पीवी आधार पर हाजिर एवं वायदा संव्यवहारों के पुनमूर्ल्यांकन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12.5 गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण:

ए) आस्ति एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित बंद हाजिर दरों पर अंतरित किया जाता है ।

बी) तुलन पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर और वायदा आकस्मिक देयताओं को क्रमशः बंद हाजिर और वायदा दरों पर फेडाई द्वारा अधिसूचित और अंतरिम परिपक्वता के अनुबंधों के लिए इंटरपॉलेटेड दरों पर अंतरित किया जाता है ।

सी) फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित तिमाही औसत दर पर आय और व्यय का अंतरण किया जाता है ।

डी) परिणामी विनिमय अंतरों को उस अवधि के लिए आय या व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक एक अलग ''फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व'' खाते में जमा किया जाता है ।

13. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार यथानिर्धारित (संबद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आय एवं व्यय की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं

पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक एएस 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना, निवल आय की उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गयी है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना उस अवधि के लिए भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गयी है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ऐसे आय के निर्धारण की संभावना बनेगी, जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

16. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में और भौगोलिक सेगमेंट को द्वितीयक रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में मान्यता देता है।

17. नकद एवं नकद के समतुल्य

नकद एवं नकद के समतुल्य उपलब्ध नकदी और एटीएम में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष राशि, अन्य बैंकों के पास अधिशेष राशि और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (विदेशी मुद्रा में नकद एवं नकद के समतुल्य में प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन को शामिल करते हुए) शामिल है।

18. जीवन बीमा व्यवसाय - अन्य पॉलिसियां

ए. ऋणों का मूल्यांकन कुल बही मूल्य (चुकौतियों को घटाकर) और पूंजीकृत ब्याज के आधार पर किया जाता है, जो क्षति के प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है। यदि परिपक्वता अवधि 12 महीने से कम है तो ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पावधि से इतर अन्य ऋणों को दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी. भावी विनियोजन की निधियों को ऐसे अधिदेश आस्तियों में अतिरिक्त देयताओं को दर्शाने वाली सहभागी निधि में अलग रखा गया है ताकि पॉलिसीधारक की उचित अपेक्षा (पीआरई) को पूरा किया जा सके। यह राशि शेयरधारक या पॉलिसीधारक को तुलन-पत्र की तारीख पर आबंटित नहीं की गयी है। भावी विनियोजन के लिए निधि जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आबंटित की जाती है तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में परिणामस्वरूप अंतरण होगा।

सी. कंपनी की बीमांकिक देनदारियों की गणना, बीमा अधिनियम, 1938 और उसमे संशोधनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं की आस्ति, देयताएं और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एक्चुअरीअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट्स तथा सामान्यत: स्थापित बीमांकिक प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं। दीर्घावधि गैर-लिंक्ड संविदाओं का मूल्यांकन सकल प्रीमियम मूल्यांकन (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

यूनिट लिंक जीवन बीमा संविदाओं के तहत, यूनिट रिज़र्व की गणना मूल्यांकन तारीख पर यूनिट मूल्य का उपयोग करके मूल्यांकन तारीख पर लागू पॉलिसियों को आबंटित यूनिटों के संबंध में की जाती है। मृत्यु और व्यय के लिए गैर-यूनिट देनदारियां एक संभावित सकल प्रीमियम (जीपीवी) पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं, जिसके तहत भावी शुद्ध नकदी प्रवाह को पॉलिसी-दर-पॉलिसी आधार पर मूल्यांकन की तारीख तक डिस्काउंट बैक कर दिया जाता है और यह मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि कोई भावी नकारात्मक नकदी प्रवाह जो अन्यथा उत्पन्न हों, को समाप्त कर दिया गया है। भावी नकदी प्रवाह को व्यक्त करने में, भावी मृत्यु/ रुग्णता, भावी चूक, खर्च और यूनिट निधि के लिए निवेश वृद्धि दर और ब्याज दर के संबंध में अनुमान लगाए गए हैं। ये धारणाएं अपेक्षित भावी अनुभव पर आधारित हैं. इन अनुमानों में प्रतिकूल विचलन के लिए उपयुक्त मार्जिन रखा गया है। एक साल के नवीकरणीय संविदाओं का मूल्यांकन अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। राइडर्स को जीपीवी और यूपीआर से अधिक महत्व दिया जाता है।

निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं-

(i) अनर्जित मॉर्टेलिटी/ रुग्णता प्रभार

(ii) व्यय किए गए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावे (आईबीएनआर)

(iii) बहाली की अवधि के भीतर लैप्स और प्रदत्त पॉलिसियां

(iv) फ्री लुक पॉलिसी

(v) आकस्मिकता

SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

i. The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its subsidiaries together referred to as ("Group"), Joint Ventures and Associates as at and for the year ended 31 March, 2024. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Bank of Baroda (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealised profit/ loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

c. Consolidation of Joint Ventures - 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the ICAI.

d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

ii. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the share capital and premium of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve. In case of overseas subsidiaries and JVs such difference is accounted under translation reserves.

iii. Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilites (including contingent liabilites) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively from the period of change unless otherwise stated.

3 INVESTMENTS AND DERIVATIVES:

The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis. Classification and valuation of the Bank's investments are carried out in accordance with RBI Master Circular RBI/DOR/2021-22/81 DOR.MRG.42/21.04.141/2021-22 dated August 25, 2021.

3.1 Classification

a) Basis of classification

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the investment portfolio of the Bank is classified into

i) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.

ii) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade. Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified under the HFT category.

iii) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified as disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups (a) government securities (b) other approved securities (c) shares (d) bonds and debentures (e) subsidiaries and joint ventures and (f) others.

b) Cost of acquisition

Cost such as brokerage pertaining to investments, paid at the time of acquisition and broken period interest are charged to the profit & loss account as per the RBI guidelines.

c) Transfer between categories

Reclassification of investments from one category to the other, if done, is in accordance with RBI guidelines. Transfer of scrip from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In the case of transfer of securities from HTM to AFS / HFT category, the investments held under HTM at a discount are transferred to AFS / HFT category at the acquisition price and investments placed in the HTM category at a premium are transferred to AFS / HFT at the amortized cost.

Transfer of investments from AFS to HFT or vice-a-versa is done at the book value. Depreciation carried, if any, on such investments is also transferred from one category to another.

The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.2 Valuation

Investments classified as “Held to Maturity” are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Amortization expense of premium on investments in the HTM category is deducted from interest income in accordance with RBI Circular DBR. No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated July 1, 2015.

Investments classified as “Held to Maturity” includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the Reserve Bank of India prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit are valued at carrying cost.

Pass through Certificates purchased for priority sector lending requirements are valued at Book Value as per RBI guidelines.

Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank’s investments in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS category. These are valued using Net Assets Value shown by VCF as per the financial statements or declared NAV as per Reserve Bank of India guidelines. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF

Investments categorized under AFS and HFT categories are Marked-to-Market (MTM) on a periodical basis as per relevant RBI guidelines. Net depreciation, if any, in the category under the classification mentioned in Schedule 8 (‘Investments’) is recognized in the profit and loss account. The net appreciation, if any, in the category under each classification is ignored, except to the extent of depreciation previously provided. The book value of individual securities is not changed consequent to periodic valuation of investments.

Investments received in lieu of restructured advances scheme are valued in accordance with RBI guidelines. Any diminution in value on these investments is provided for and is not set off against appreciation in respect of other performing securities in that category. Depreciation on equity shares acquired and held by the Bank under restructuring scheme is provided as per RBI guidelines.

At the end of each reporting period, security receipts issued by the asset reconstruction company are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction company are limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting date. In case of investment in Security Receipts on or after April 1, 2017 which are backed by more than 50% of the stressed assets sold by the bank, provision for depreciation in value is made at higher of – provisioning rate required in terms of net assets value declared by Reconstruction Company (RC)/ Securitization Company (SC) or the provisioning rate as per the extant asset classification and provisioning norms as applicable to the underlying loans, assuming that the loan notionally continue in the books of the Bank. All other investments in the Security Receipts are valued as per the NAV obtained from issuing RC / SC.

The quoted equity shares / bonds/ units of Category I and II AIFs in the bank’s portfolio are marked to market preferably on a daily basis, but at least on a weekly basis.

The units are valued based on the audited results once in a year. However, if the audited balance sheet/ financial statements showing NAV figures are not available continuously for more than 18 months as on the date of valuation, the investments are valued at Rupee 1 per Category I and II AIF.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category is valued at carrying cost.

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with RBI guidelines. The short sale position is reflected in Securities Short sold (SSS) account, specifically created for this purpose. The short position is marked to market and loss, if any, is charged to the Profit and Loss account while gain, if any, is ignored. Profit /Loss on settlement of the short position is recognized in the Profit and Loss account.

Special bonds such as Oil bonds, fertilizer bonds, UDAY bonds etc which are directly issued by Government of India, are valued based on FBIL valuation.

For the purpose of valuation of quoted investments in ”Held for Trading” and “Available for Sale” categories,

the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd (FBIL) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At break-up value (without considering 'Revaluation reserves', if any) as per the latest Balance Sheet (the date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares & Pass through Certificates (other than priority sector)	-	On Yield to Maturity basis. with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.

Non-performing investments are identified and depreciation/provision are made thereon based on the RBI guidelines. Based on management assessment of impairment, the Bank additionally creates provision over and above the RBI guidelines. The depreciation/ provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss account until received.

In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

Life Insurance Business:

Investments are made and accounted for in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, and various other circulars / notifications issued by the IRDAI in this context from time to time.

Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and stamp duty, taxes, etc, if any, but excludes pre-acquisition interest accrued i.e. (from the previous coupon date to the transaction settlement date), if any, on purchase.

Bonus entitlements are recognized as investments on 'ex-bonus date'. Right entitlements are recognized as investments on 'ex-right date'. Any front end discount on investments is reduced from cost of investments.

Diminution in the value of investments as at the balance sheet date, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Broken period interest paid/received is debited/credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale value.

A. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' non-linked funds and shareholders' investments:

a. All debt securities, including government securities, and Money market instruments held under policyholders' non-linked funds and shareholders' investments are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortisation.

b. The discount or premium which is the difference between the purchase price and the redemption amount of fixed income securities and money market instruments is amortised and recognized in the revenue account or the profit and loss account, as the case may be, on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. AT1 Bonds, under policyholder's non-linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer.

d. The realised gain or loss on debt securities is the difference between the net sale consideration and the amortised cost in the books of the company.

B. Debt Securities, Money Market Instruments and Additional Tier-1 Bonds (AT1 Bonds) of Policyholders' linked funds:

a. All debt securities, including government securities and AT1 Bonds, under policyholders' linked funds are valued using CRISIL Bond Valuer/ CRISIL Gilt Prices, as applicable.

b. The discount or premium on fixed income securities/ money market instruments which is the difference between the purchase price and the redemption amount is amortised and recognized in the revenue account on a straight line basis over the remaining period to maturity of these securities.

c. Unrealised gains or losses arising on valuation of debt securities including Government Securities are accounted for in the Revenue Account.

d. The realised gain or loss on debt securities held for linked business and AT1 bonds for linked as well as other than linked business is the difference between the net sale consideration and weighted average cost.

C. For both Linked and Non Linked:-

a. Listed equity shares and equity ETFs are valued and stated at fair value, using the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE), at the balance sheet date. If the equity shares and equity ETFs are not traded on the NSE, then closing prices of the Bombay Stock Exchange (BSE) is considered.

b. Unlisted equity shares are stated at historical cost. A provision is made for diminution, if any, in the value of these shares to the extent that such diminution is other than temporary.

c. Equity shares acquired through primary markets and awaiting listing are valued at their issue price.

d. Mutual fund units are valued at previous day's Net Asset Value. AIF units are valued at the latest available net asset value of the respective fund.

e. The realised gain / loss is the difference between the net sale consideration and weighted average cost. In case of linked funds, unrealised gains / losses are recognised in the respective fund's revenue account as fair value change. For other than linked business, unrealized gain / loss on changes in fair value of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change account and are carried to the Balance Sheet.

f. Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call dates or upto the final maturity date.

g. Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security upto final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put dates or upto the final maturity date.

h. The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/call date and would be valued on a yield to maturity basis, by using spreads over the benchmark rate based on the matrix released by CRISIL.

i. Instruments bought on 'reverse repo' basis are valued at cost plus interest accrued on reverse repo rate.

j. All investments maturing within twelve months from the balance sheet date are classified as short-term investments. All other investments are classified as long-term investments.

k. Transfers of Investments from Shareholders' funds to the Policyholders' funds to meet the deficit in the policyholders' account are effected at the lower of amortised cost / book cost or market value in respect of all debt securities including money market instruments and at the market value in case of other securities.

l. In case of linked funds, Inter-fund transfer of debt securities relating to Policyholders' Funds is effected at current market value. Inter fund transfer of equity, preference share, ETFs and government securities are effected during market hours at the market price of the latest trade.

m. No transfers of investments are made between non linked Policyholders' funds.

n. The purchase and sale of equity, preference shares, ETF's, InvIT's and Government Securities between unit linked funds is accounted for at the prevailing market price on the date of purchase or sale of investments, if prevailing market price of any security is not available on the date of transfer of investment, then the last available price is considered. In case of debt securities other than Government Securities, transfer of investments is accounted at prevailing yield.

o. The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the re-measured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, earlier recognised in the Revenue / Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

p. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's. All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA.

q. For InvIT, All traded InvIT shall be valued at the last quoted closing price on the National Stock Exchange (NSE) on valuation day. In case on any particular valuation day the scrip is not traded on NSE then the value at which it is traded on BSE will be considered. In case it is not traded on either of the exchanges, the closing price on NSE/ BSE on the earliest previous day will be used, provided such previous day is not more than thirty days prior to the valuation day.

3.3 Disposal of Investments

Profit / Loss on sale of Investments classified as HTM category is recognized in the Profit & Loss Account based on the weighted average cost / book value of the

related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in "Held to Maturity" classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in profit and loss account.

3.4 Accounting for repo/reverse repo

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions [Including the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI vide circular no. RBI/2016-17/FMOD.MAOG. No. /01.01.001/2016-17 Dated September 15, 2016 and circular no. RBI/2019-20/107 FMRD.DIRD.21/14.03.038/2019-20 Repurchase Transactions (Repo) (Reserve Bank) Directions, 2018 Dated November 28, 2019. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and Revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Investment fluctuation reserve

With a view to building up of adequate reserves to protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

3.6 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Exchange traded Rupee Interest Rate Future and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency swaps and Exchange traded Currency Future. The Bank undertakes derivative transactions for market making/ trading and hedging on-balance sheet assets and liabilities. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the hedging transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at each reporting date thereafter.

3.7 Valuation of Derivatives

The Bank values derivatives as under:

The hedge/ non-hedge transactions are recorded separately. For transactions designated as hedges, following treatment is followed –

- In case of a fair value hedge, the changes in the fair value of the hedging instruments and hedged items are recognised in the Profit and Loss Account,
- In case of cash flow hedges, the changes in fair value of effective portion are recognised in Reserves and Surplus under 'Cash flow hedge reserve' and ineffective portion of an effective hedging relationship, if any, is recognised in the Profit and Loss Account. The accumulated balance in the cash flow hedge reserve, in an effective hedging relationship, is recycled in the Profit and Loss Account at the same time that the impact from the hedged item is recognised in the Profit and Loss Account.

Trading derivative positions are marked to market and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account and Profit, if any, is ignored. Income and expenditure relating to interest rate swaps are accrued on daily basis. Gains/ Losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as immediate income/expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap agreements as on the Balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

The Bank follows the option premium accounting principle prescribed by FEDAI. Premium on option transaction is recognized as income/expense on expiry or early termination of the transaction.

The amounts received/paid on cancellation of option contracts are recognized as realized gains/losses on options. Charges receivable/payable on cancellation/ termination of foreign exchange forward contracts and swaps are recognized as income/expense on the date of cancellation/ termination.

Valuation of Interest Rate Futures (IRF)/ Currency Futures is carried out on the basis of the daily settlement price of each contract provided by the exchange.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4. ADVANCES

4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI except as stated in para 4.3. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.

4.3 As a consistent practice, the Bank has made the additional provision on the following:

- Provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advances as against the Regulatory requirement of 15%.
- Provision is made on Non-fund based facilities of NPA Borrowers by applying 50% Credit conversion factor (CCF). The provision is based on the Asset class of fund based facility of the Borrower
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts which are more than 6 months old and collateral free viz Auto Loan, Education Loan and Personal Loan .
- With respect to Loan against mortgage of properties which are secured (collateral) and are NPA for more than 2 years, Bank has made 100% provision
- Bank has also made 100% provision in respect of existing NPA accounts viz Loan for Tractors/ tiller/ Power tillers which are 6 month old.

4.4 In Respect of Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines for accounts where total dues to bank are Rupees One crore and above. For other accounts, the provision for diminution in fair value is computed at 5% as per RBI Guidelines.

4.5 In case of sale of financial assets to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), the bank is following the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present, the guideline followed by the Bank is that if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision is reversed to profit & loss account in the year the amounts are received.

In case of sale of financial assets to banks, and the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account in the same year. If the sale value is higher than the NBV, excess provision shall be not reversed but will be utilised to meet the shortfall / loss on account of sale of other non-performing financial assets.

5 FLOATING PROVISIONS:

The Bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purposes. The quantum of floating provisions to be created is assessed every year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost (or revalued amounts, as the case may be), less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit / functioning capability from / of such assets. Profit on sale of immovable properties are being formed part of profit and loss account of the Bank.

6.2 Revaluation of Fixed Assets

Portfolio of immovable properties is revalued periodically by an independent valuer to reflect current market valuation. All land and building owned by the Bank and used as branches, administrative offices, staff quarters etc. are grouped under Bank's own premises in fixed assets category. Appreciation as per latest valuation report, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

6.3 Premises include land and building under construction.

7 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches/ subsidiaries as per applicable local laws of the respective countries.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income (other than item referred in Paragraph 8.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Interest on income tax refund is booked on receiving the refund order/s/intimation from Income Tax Department. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located

8.2 Income by way of Fees, all Commissions (other than on Government business and commission from sale of third party products), Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange and Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

8.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

8.4 Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term in accordance with AS 19.

8.5 Appropriation of recoveries in NPA accounts :

Recoveries effected in the account (including recovery under Public Money Recovery Act) from time to time is appropriated in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards repayment of the principal money

Recovery in suit filed/ decreed accounts is appropriated:

- As per the directives of the concerned Court.
- In the absence of specific directives from the Court, as applicable to non-suit filed accounts.

Recovery by settlement through compromise/NCLT Resolution:

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery is appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

8.6 Appropriation of recoveries in Standard accounts :

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- towards payment of the principal money

Merchant Banking:

Revenue is recognized based on the nature of activity, when consideration can be reasonably measured and there exists a reasonable certainty of its recovery.

a. Income from Investment Banking comprises of revenue from different activities of the organization and Includes revenue from Valuation Services, Vetting Project Appraisal, Debt and Equity Issue Management, investment Banking Services, Techno-Economic Viability studies, and Lead Arranger Services, debt syndication, debt restructuring and related areas.

b. The revenue in these cases recognized on the basis of accrual as and when the amount becomes due on the completion of various stages of the assignment as per the terms and Conditions of the Memorandum of Understanding entered into between the Company and the Client and assessing the certainty of its recovery.

c. Income from Broking activities comprises brokerage received on trades executed on the exchanges. The brokerage, net of Stamp Duty, STT Charges, Exchanges Transaction Charge and applicable indirect tax (service tax / GST), is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

d. Income from Wealth Management activities comprises income from advisory and research fees and income from mutual fund distribution. Income from mutual fund distribution comprises brokerage received on distribution of mutual funds and other investment products. The brokerage amount includes both Trail Commission and Upfront Commission. It is recognized on accrual basis but only after the amount becomes determinable on a reasonable basis.

e. Income from Term Deposits being the interest received from Bank in respect of the Investment of the surplus funds for a short term period is recognized on accrual basis.

f. Income from Tax-free bonds being the interest received from the entity issuing such instruments in respect of the investment of the surplus fund for a long-term period is recognized on accrual basis.

g. Income from Liquid Mutual Fund is recognized in the period in which the investment is redeemed and realized

Trustee Operations:

a. Mutual Fund Trusteeship fee is recognised at specific rates agreed with relevant schemes, applied on the average daily Net Assets of each scheme, and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

b. Revenue is recognized when there is reasonable certainity of its ultimate realization /collection.

Asset Management:

a. Investment Management fee:

Investment management fee are recognised net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of schemes of Baroda Mutual Fund (excluding on investments made by the company in the schemes, intra – scheme investments and schemes investment in fixed deposit for certain category of schemes), such that it does not exceed the expense limit prescribed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments (the Regulations) or offer document of the respective schemes.

b. Investment Advisory & Research fees:

Investment advisory & research fee are recognised in accordance with the respective terms of contract with counter parties.

c. Other income:

Interest income is accounted on accrual basis.

Purchase and sale of investments is recorded on the trade date. The profit/Loss on sale of investments is

recognized in the Statement of profit and loss on the trade date. Profit or loss on sale of investments is determined using simple average cost method.

Credit Card Operations:

a. Revenue from services is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

b. Fees income is accounted as and when billed to customer.

c. In view of uncertainty of realization of income in case of Non-Performing Assets (NPA) such income is accounted for only on receipt basis.

d. Recovery from bad debts written off is recognized as income on the basis of actual realization from customer.

e. Income on deployment of funds is recognized on accrual basis.

f. The income accrued but not billed till the year end, are accounted for on estimated basis without considering the applicable indirect taxes like GST. The applicable indirect taxes, on such income are accounted for in the year of actual billing.

Life Insurance:

a. Premium for non-linked policies is recognized as income when due from policyholders. For unit linked business, premium income is recognized when the associated units are created.

b. For non-linked variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt.

c. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated.

d. Premium is inclusive of Good and Service Tax (GST) applicable on charges.

e. In case of unit linked business, Top up premiums paid by policyholders are considered as single premium and recognized as income when the associated units are created.

f. Income from unit linked policies, which include asset management fees and other charges, if any, are recovered from the unit linked funds in accordance with terms and conditions of policies and recognized when due.

g. Reinsurance premium ceded is accounted for at the time of recognition of the premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Impact on account of subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

h. Income from Investments are recognised on an accrual basis. Interest income on investments is recognised on accrual basis.

i. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding / maturity period on a straight-line basis.

j. Dividend income, in respect of other than linked business and in respect of linked business, is recognised on the `ex-dividend date'.

k. Realised gain / loss on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average amortised cost as on the date of sale. Realised gain / loss on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost as on the date of sale.

l. Profit or loss on sale of equity shares / mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses and the weighted average book cost.In respect of other than unit linked business, the profit or loss includes the accumulated changes in the fair value previously recognised in Balance Sheet as "Revenue & Other Reserves (Schedule 2)" and "Liabilities relating to Policyholders in Insurance Business (Schedule 5)" respectively, in the Balance Sheet

m. Deaths and rider claims are accounted for on receipt of intimation. Benefits paid consist of policy benefit amounts and claim settlement costs, where applicable.

n. For non linked business, Annuity benefits, money back payments, survival benefit and maturity claims are accounted for when due. Surrender and withdrawals are accounted on the receipt of request.

o. For linked business, Maturity claims are accounted for ondue basis when the associated units are cancelled. Surrenders and withdrawals are accounted for on receipt of intimation when associated units are cancelled.

p. Reinsurance recoverable thereon is accounted for in the same period as the related claim. Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

q. Acquisition cost is expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs mainly consist of commission to insurance intermediaries, medical costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses to source and issue the policy. Clawback of the first year commission paid, if any, in future are accounted at the time of recovery.

9 EMPLOYEE BENEFITS

9.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per Bank of Baroda PF Rules as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates.The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Bank of Baroda Provident Fund Trust.

9.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per Bank of Baroda Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by Bank of Baroda Gratuity Fund Trust.

9.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under Bank of Baroda Employees Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by Bank of Baroda (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

9.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and unavailed sick leave are provided for based on actuarial valuation.

9.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

10 DEPRECIATION

10.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 10.3 and 10.4] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Category	Effective Rate of Depreciation	Depreciation Method
1.	FURNITURE & FITTINGS		
a.	Furniture & Fittings	25.89%	Written Down Value
b.	Air-conditioning Plants, Other Plant etc.	18.1%	Written Down Value
c.	Safe Deposit Vault Equipments	18.1%	Written Down Value
d.	Cash Vans, Jeeps, Scooters & Other Vehicles		Written Down Value
	- Two wheelers	25.89%	Written Down Value
	- Four Wheelers	31.23%	Written Down Value
e.	Office Equipment	45.07%	Written Down Value
2.	BANK'S OWN PREMISES		Written Down Value
	– RCC Frame Structure	4.87%	Written Down Value
	– Without RCC Frame Structure	9.50%	Written Down Value

10.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 10.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

10.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

Computer software not forming part of an integral part of hardware having estimated life of more than 2 years and in excess of original cost of Rs 50,000/- is classified as Intangible asset and amortised over a period of 3 years. Other items of computer software not forming integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

10.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

10.5 Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

10.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease

10.7 The increase in Net Book Value of the asset due to latest available revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

10.8 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

11 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

12 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

12.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

12.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. Foreign exchange operations of domestic business and Representative Offices are treated as Integral Operations and all Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations.

12.3 The Bank hedges its investments in overseas branches and offshore banking units through use of forward exchange contracts. The forward exchange contracts used to hedge its investments in overseas branches and offshore banking units are accounted for in accordance with Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI wherein gains and losses on foreign currency derivatives used as hedging instruments are recognised directly in equity to the extent that the hedge is considered to be effective and the ineffective portion of the gains and losses on the hedging instruments (and any proportion not designated in the hedging relationship) is recognised in the Profit and Loss Account immediately. Any net deferred foreign currency gains and losses, i.e., arising from both the net investment and the hedging instruments are recognised in the Profit and Loss Account at the time of disposal of the foreign operation.

12.4 Translation in respect of Integral Operations:

a) The transactions are initially recorded at rate as per FEDAI guidelines.

b) Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit & Loss Account. Any reversal / payment of foreign currency assets & liabilities is done at rate as per FEDAI guidelines and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in profit and loss account.

d) Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are marked to market at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The MTM values thus obtained are discounted to arrive at present value of MTM. This MTM is used to revalue the spot and forward transactions on PV basis. The resulting Forward Valuation profit or loss is included in the Profit & Loss Account.

12.5 Translation in respect of Non Integral Operations:

a) Assets and liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b) Foreign exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and interpolated rates for contracts of interim maturities.

c) Income and expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net Investment.

13 TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14 EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the period by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average

number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand and ATMs, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice (including effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents in foreign currency).

18. LIFE INSURANCE BUSINESS - OTHER POLICIES

a. Loans are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalised interest subject to provision for impairment, if any. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

b. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.

c. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

Under unit linked life insurance contracts, unit reserves are calculated in respect of the units allocated to the policies in force at the valuation date using unit values at the valuation date. The non-unit liabilities for mortality and expenses are determined using a prospective gross premium method (GPV) under which future net cash flows are discounted back to the date of valuation on policy-by policy basis to ensure that any future negative cash flows which would otherwise arise are eliminated. In projecting the future cash flows, assumptions have been made in respect of future mortality/morbidity, future lapses, expenses & expense inflation and investment growth rate for unit funds and interest rate. These assumptions are based on emerging and expected future experience. Appropriate margins for adverse deviations have been kept in these assumptions. The one year renewable contracts are valued using the Unexpired premium reserve (UPR) methodology. Riders are valued as the higher of GPV and UPR.

Additional provisions are made in respect of:

(i) Unearned mortality/morbidity charges

(ii) Incurred but not reported claims(IBNR)

(iii) Lapsed and paid up policies within period of reinstatement.

(iv) Free look policies

(v) Contingency

अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) पर नोट
Schedule-19 : Notes on the Consolidated Financial Statements (CFS) for the year ended 31st March 2024

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) 'समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक 21, 'सहयोगियों में निवेश' के लिए लेखांकन मानक 23 और 'संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 27 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

1. समूह के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल/ बैंक) और निम्नलिखित अनुषंगियों/ सहयोगियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण शामिल हैं:

1.1 अनुषंगियां

The Consolidated Financial Statements (CFS) are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on Accounting for "Investment in Associates" and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Venture".

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprise the Financial statements of the Bank of Baroda (Parent/Bank) and the following Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures:

1.1 Subsidiaries:

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2024 को March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को March 31, 2023
घरेलू अनुषंगियां	**Domestic Subsidiaries**			
ए) बैंकिंग	**a) Banking:**			
i. द नैनीताल बैंक लि.	i. The Nainital Bank Limited	भारत / India	98.57	98.57
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	i. BOB Capital Markets Limited.	भारत / India	100.00	100.00
ii. बॉब कार्ड्स लिमिटेड (पूर्व में बॉब फाइनेंशियल सॉल्युशन लिमिटेड)	ii. BOBCards Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)	भारत / India	100.00	100.00
iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड	iii. Baroda Global Shared Services Limited	भारत / India	100.00	100.00
iv. बड़ौदा सन टेक्नॉलोजीज लिमिटेड	iv. Baroda Sun Technologies Ltd.	भारत / India	100.00	100.00
v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited	भारत / India	50.10	50.10
vii. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	vii. India First Life Insurance Company Limited	भारत / India	65.00	65.00
विदेशी अनुषंगियां:	**Overseas Subsidiaries:**			
ए) बैंकिंग:	**a) Banking:**			
i. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड	i. Bank of Baroda (Botswana) Limited	बोत्सवाना / Botswana	100.00	100.00
ii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	ii. Bank of Baroda (Kenya) Limited	केन्या / Kenya	86.70	86.70
iii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड	iii. Bank of Baroda (Uganda) Limited	युगांडा / Uganda	80.00	80.00
iv. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी	iv. Bank of Baroda (Guyana) Inc.	गुयानाा / Guyana	100.00	100.00
v. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	v. Bank of Baroda (Tanzania) Limited	तंजानिया / Tanzania	100.00	100.00

अनुषंगियों के नाम	Name of subsidiaries	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
			31 मार्च, 2024 को March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को March 31, 2023
vi. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	vi. Bank of Baroda (New Zealand) Limited	न्यूजीलैंड / New Zealand	100.00	100.00
vii. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड	vii. Bank of Baroda (UK) Limited	युनाइटेड किंगडम / United Kingdom	100.00	100.00
बी) गैर-बैंकिंग:	**b) Non-Banking:**			
i. बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ़ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)	i. Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Wholly Owned subsidiary of Bank of Baroda Uganda Limited)	युगांडा / Uganda	100.00	100.00

1.2 सहयोगी प्रतिष्ठान: / Associates:

समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) में समाहित सहयोगियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

सहयोगी प्रतिष्ठानों के नाम Name of Associates	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	निम्नलिखित तारीख को मूल संस्था का स्वामित्व हिस्सा (%) Parent's ownership Interest (%) as on	
		31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
ए) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया / Zambia	20.00	20.00
बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i. बड़ौदा यूपी बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक) b) Regional Rural Banks i. Baroda UP Bank (Formerly known as Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
ii. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक) ii. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Erstwhile Baroda Rajasthan Gramin Bank)	भारत / India	35.00	35.00
iii. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक iii. Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत / India	35.00	35.00

1.3. संयुक्त उद्यम / Joint Ventures

संयुक्त उद्यम का नाम Name of Joint Ventures	देश, जहां विद्यमान है Country of Incorporation	स्वामित्व का प्रतिशत Percentage of Ownership as on	
		31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया / Malaysia	40.00	40.00
इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड India Infradebt Limited	भारत / India	40.99	40.99

2. सहयोगियों में निवेश के विवरण: / Particulars of the Investment in Associates:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए a.	सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश की लागत Cost of Investment in Associates	256.89	256.89
बी b.	उपर्युक्त निवेश हेतु निर्धारित अधिग्रहण से संबंधित प्रारक्षित निधि Capital Reserve on acquisition identified on above investment	292.43	292.43
सी c.	अधिग्रहण के उपरान्त लाभ (निवल) और सहयोगी प्रतिष्ठानों की प्रारक्षित निधि का हिस्सा Share of post-acquisition profits (Net) and reserve of Associates	2,032.53	1,626.02
डी d.	31 मार्च को धारित निवेश की राशि (ए+सी) Carrying amount of Investment as at 31st March (a + c)	2,289.42	1,882.91
ई e.	भारत में निवेश Investment in India	2,144.30	1,723.85
एफ f.	भारत के बाहर निवेश Investment outside India	145.12	159.06
	कुल (ई + एफ) Total (e + f)	**2,289.42**	**1,882.91**

3. अनुषंगियों/सहयोगी प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरण:

3.1 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी प्रतिष्ठानों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल कंपनी के लिए तैयार की गई तारीख है अर्थात् 31 मार्च, 2024, केवल निम्नलिखित को छोड़कर- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, (इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स (युगांडा) लिमिटेड सहित), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड जिनके विवरण 31 दिसंबर, 2023 तक तैयार किये गए हैं । जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य गतिविधियां नहीं हैं जिनके लिए उसमें समायोजन की आवश्यकता हो ।

3.2 चालू वित्तीय वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगी प्रतिष्ठानों के समेकित वित्तीय विवरणी में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक लिमिटेड, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड, इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं।

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates:

3.1 The audited financial statements of the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2024 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd. (IIBMB) and Indo Zambia Bank Ltd. which have been drawn up to 31st December, 2023. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2024 to 31st March, 2024 requiring adjustment therein.

3.2 The Consolidated financial statements for the current financial year of the Group, and its Joint Ventures and Associates include unaudited financial statements of Baroda Gujarat Gramin Bank Limited, Baroda UP Grameen Bank, Baroda Rajsthan Kshetriya Grameen Bank, Baroda Sun Technologies Ltd, Bank of Baroda (UK) Ltd., Bank of Baroda (Uganda) Ltd., Indo Zambia Bank Ltd., India International Bank (Malaysia) Bhd.

3.3 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित घरेलू अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं:

i. बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

ii. बॉब कार्डस लिमिटेड (पूर्ववर्ती बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड)

iii. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड

iv. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

v. बड़ौदा बीएनपी पारिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड

vi. बड़ौदा बीएनपी पारिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.4 अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध विवरण सीमा के आधार पर दिए गए हैं । प्रबंधन की दृष्टि से इन ब्यौरों का उपलब्ध न होना, बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगा ।

3.5 एएस 21 के अनुसार, खंड 20 ''समेकित वित्तीय विवरण, लेन-देन और अन्य समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों जैसी एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार की जानी चाहिए''। तथापि, इंडिया फर्स्ट इश्योरेंस कंपनी में निवेश और राजस्व निर्धारण के संबंध में विभिन्न लेखांकन नीतियों को लागू करना व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि यह आईआरडीए दिशानिर्देशों से शासित है । अनुषंगी का समेकित राजस्व और निवेश निम्नानुसार है:

3.3 The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2024 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) of the Companies Act, 2013:

i. BOB Capital Markets Ltd.

ii. BOB Cards Ltd (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited))

iii. Baroda Global Shared Services Ltd.

iv. Baroda Sun Technologies Ltd.

v. Baroda BNP Paribas Asset Management India Ltd

vi. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited

3.4 The disclosures in respect of subsidiaries and joint ventures are given to the extent details available with the management. In view of the management, non-availability of such details would not materially impact disclosure under the consolidated financial statements of the Bank

3.5 As per AS 21, Clause 20 "Consolidated Financial Statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. However, In India First Insurance Company, it is not practicable to quantify the impact of different accounting policies with respect to Investment and Revenue recognition because as the same is governed by IRDA guidelines. The consolidated Revenue and investments of the subsidiary is provided below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. SN	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2024 तक As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As on March 31, 2023
1	समेकित राजस्व / Consolidated Revenues	1,41,778.70	1,10,777.98
1.1	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से राजस्व Revenues from India First Life Insurance Company Ltd.	9,929.16	7,213.67
2	समेकित निवेश / Consolidated Investments	4,07,136.32	3,97,487.23
2.2	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से निवेश Investments from India First Life Insurance Company Ltd.	26,661.32	21,399.03

4. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां

पूंजीगत प्रारक्षित निधियां में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्य वृद्धि, लघु/मध्यम स्तर के उद्योग व अन्य के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ली गई सदस्यता राशि शामिल है ।

5. करों के लिए प्रावधान

अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय और सलाहकारों की सलाह पर विधिवत विचार करने के बाद करों के लिए प्रावधान किया गया है ।

4. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries and others.

5. Provision for Taxes

Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

6. **प्रारक्षित निधियों में से ड्रा डाउन**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रारक्षित निधियों से ड्रा डाउन शून्य है (31 मार्च, 2023: ₹ शून्य)।

7. **फ्लोटिंग प्रावधान / काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर:**

6. **Draw Down from Reserves**

During the Financial Year 2023-24, draw down from the Reserves is NIL (March 31, 2023: ₹ Nil).

7. **Floating Provision/Countercyclical Provisioning Buffer:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण /Particulars	31.03.2024	31.03.2023
ए. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि a. Opening balance in the floating provisions account	232.85	62.85
बी. प्रारंभिक शेष समायोजन b. Opening Balance adjustment	-	170.00
सी. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
डी. फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष राशि d. Closing balance in the floating provisions account	**232.85**	**232.85**

8. **प्रावधान और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे :**

समेकित लाभ व हानि खाते में दर्शाए जाने वाले प्रावधानों और आकस्मिकताओं के मदवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

8. **Break up of Provisions and Contingencies**

The break-up of provisions and contingencies appearing in consolidated Profit & Loss Account is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / एनपीए के लिए किए गए प्रावधान Bad debts written off / Provision made towards NPA	6,956.80	4,655.04
पुनर्संरचित मानक और उप-मानक खातों में छोड़ दिए गए ब्याज के लिए प्रावधान Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	(90.88)	(104.25)
देश जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान Provision for Country Risk Management	12.64	35.10
करों के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित) Provision for taxes (including deferred Taxes)	7,389.71	5,876.67
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on investment	(28.31)	1,718.19
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for standard assets	(671.01)	546.95
अन्य / Others	5,564.23	2,775.76
कुल / Total	**19,133.17**	**15,503.46**

9. **चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) की स्थिति**

I. **वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**

9. **Status of Letters of Comfort**

I. **Letters of Comfort (LOC's) issued during the Year**

जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण **Brief details of LOC issued**		आकलित वित्तीय प्रभाव **Assessed Financial Impact**
ए A.	वर्ष के दौरान जारी Issued during the year	चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी विदेशी शाखाओं/ अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन में सहयोग के लिए विदेशी नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है । During the current financial year the Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas regulators to support the operations of its overseas Branches/Subsidiaries /Joint ventures.
बी. B.	बकाया एलओसी (संचयी वित्तीय दायित्व) LOC Outstanding (Cumulative financial obligations)	

<table>
<tr><th colspan="2">जारी किए गए एलओसी का संक्षिप्त विवरण
Brief details of LOC issued</th><th>आकलित वित्तीय प्रभाव
Assessed Financial Impact</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. पूर्व में बैंक द्वारा जारी एलओसी और संचयी वित्तीय दायित्व निम्नानुसार है:
1. The LOC issued by the Bank in the past and the cumulative financial obligation is as under:-</td></tr>
<tr><td></td><td>ए) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड के जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों को संपूर्ण ऋणग्रस्तता हेतु गारंटी देते हुए वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड को प्रस्तुत किया गया गारंटी विलेख ।
a) Deed of Guarantee submitted to Reserve Bank of New Zealand during FY 2008-09 guaranteeing entire indebtedness of the wholly owned subsidiary - Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. to its depositors and other creditors.</td><td>31 मार्च, 2024 को अनुषंगी कंपनी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाओं के एवज में ऋण का निवल) ₹351.17 करोड़ है और बाहरी देयताएं ₹9.20 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹360.37 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को इस अनुषंगी कंपनी की निवल मालियत ₹266.20 करोड़ है । इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता ₹94.17 करोड़ है । हालांकि, हम वर्तमान के लिए आश्वासन/गारंटी के उपर्युक्त पत्र के तहत देयता के क्रिस्टलीकरण की संभावना नहीं देखते हैं ।
As on 31st March 2024, the subsidiary's Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 351.17 Cr. and outside liabilities are INR 9.20 Cr. (i.e. total liabilities of INR 360.37 Cr). The net worth of the subsidiary as on 31st March 2024 is INR 266.20 Cr. The net contingent liability on Parent Bank is INR 94.17 Cr in this regard. However, we do not foresee possibility of crystallization of liability under the above letter of comfort/ guarantee for the present.</td></tr>
<tr><td></td><td>बी) वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया को संयुक्त उद्यम बैंक - "इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. (आईआईबीएमबी)" में हमारे बैंक की 40% शेयरधारिता तक एलओसी जारी किया गया था ।।
b) LOC was issued during the year 2010-11 to Bank Negara Malaysia Upto our Bank's 40% shareholding in the Joint Venture Bank - "India International Bank (Malaysia) Bhd.(IIBMB)".</td><td>31 मार्च, 2024 को आईआईबीएमबी की जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमा राशि के एवज में ऋण का निवल) ₹373.24 करोड़ है और अन्य देयताएं ₹3.56 करोड़ है । (अर्थात् ₹376.80 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को आईआईबीएमबी की निवल मालियत ₹570.69 करोड़ है । इस संबंध में मूल बैंक पर संबंधित निवल आकस्मिक देयता शून्य है ।
As on 31st March 2024, the deposits of IIBMB (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 373.24 Cr and other liabilities are INR 3.56 Cr. (i.e. Total liabilities of INR 376.80 Cr). The net worth of the IIBMB as on 31st March 2024 is INR 570.69 Cr. The net contingent liability on Parent Bank is NIL in this regard.</td></tr>
<tr><td></td><td>सी) आईएफएससी, गिफ्ट सिटी शाखा के लिए नियामक अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को 25 अक्तूबर, 2021 को एलओसी जारी किया गया
c) LOC issued on 25th October 2021 to the regulator viz. International Financial Services Centers Authority (IFSCA) for IFSC, Gift City Branch</td><td>31 मार्च, 2024 को आईएफएससी शाखा की कुल जमाराशियां (ओवरड्राफ्ट और बैंक की अपनी जमाराशि के एवज में ऋण का निवल) ₹ 33,188.55 करोड़ है, उधार ₹ 2,862.81 करोड़ है और बाहरी देयताएं ₹ 2,113.96 करोड़ हैं । (अर्थात् ₹ 38,165.32 करोड़ की कुल देयताएं) । 31 मार्च, 2024 को शाखा की निवल मालियत ₹ 2,554.26 करोड़ है । आईएफएससीबीयू को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की विदेशी शाखा के रूप में माना जाता है और विदेशी शाखा की आस्ति एवं देयताएं बैंक की स्टैंडअलोन तुलन पत्र में दर्शाई जाती हैं । इसलिए, आईएफएससी गिफ्ट सिटी शाखा के लिए जारी किए गए आश्वासन पत्र को बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
As on 31st March 2024, IFSC branch's Total Deposits (net of Overdraft and Loan against Bank's own deposits) are INR 33,188.55 Cr., borrowings are INR 2,862.81 Cr and outside liabilities are INR 2,113.96 Cr. (i.e. total liabilities of INR 38,165.32 Cr). The net worth of the branch as on 31st March 2024 is INR 2,554.26 Cr. IFSCBU is treated as overseas branch of Bank of Baroda and assets and liabilities of the overseas branch are reflected in Bank's Standalone Balance Sheet. Therefore, there is no requirement to recognize the Letter of Comfort, issued for IFSC Gift City Branch, as contingent liability of Bank.</td></tr>
</table>

10. आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण के लिए विचलन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश सं. आरबीआई/डीओआर/2021 22/83डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30-08-2021 (25-10-2023 को अद्यतन) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है ।

11. ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी प्रकटीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश संदर्भ सं. आरबीआई/डीओआर/2021 -22/86 डीओआर.एसटीआर. आरईसी. 51/21.04.048/ 2021-22 'मास्टर निदेश-आरबीआइ (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2022' दिनांक 24.09.2022 के अनुरूप प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

1) **अंतरित या अधिगृहीत किए गए ऐसे "ऋण जो चूक"# की श्रेणी में नहीं हैं।**

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए -12 महीनों की रिपोर्टिंग

10. Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

No Disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required w.r.t RBI's annual supervisory process for year ended Mar 31, 2023, based on the conditions mentioned in RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated 30-08-2021 (updated as on 25-10-2023)

11. Disclosure of transfer of Loan exposures:

Disclosure as per the RBI Master directions ref no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 "Master Direction – RBI (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2022" dated 24.09.2022 is as under:

1) In respect of "Loans not in default"#, that are transferred or acquired.

Reporting for the -12- months ended March 31, 2024

विवरण / Particulars	समूहन / Syndication		अन्य / Others*	
	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
(i) "असाइनमेंट" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment"				
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in Cr.)	3,156.09	12,420.99	-	7,348.83
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)	-	84	-	67.52
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)	7	5.50	-	9.13
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण (% में) - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor	64.81%	लागू नहीं NA	-	10.19%
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (आवृत्ति) - Tangible security coverage of loans acquired/ transferred (times)	-	1.62	-	0.83
- "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores))	269.46	1,550.12	-	शून्य NIL
- "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	शून्य NIL	शून्य NIL	-	शून्य NIL

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर- डिफॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया गया है।

* टीएलई दिशानिर्देशों के तहत खरीदे गए पूल अनरेटेड हैं।

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

* Pools purchased under TLE guidelines are not rated by the Bank.

समूहन ऋणों का रेटिंग अनुसार विवरण निम्नानुसार है:

Rating wise breakup of Syndication loans is as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाह्य रेटिंग/External Rating	को अंतरित/Transferred to	से अधिगृहीत /Acquired From
ए एवं उससे अधिक A and Above	539.76	3,012.37
बी एवं उससे अधिक B and above	2,885.78	9,037.96
बी से कम Below B	-	169.54
अनरेटेड Unrated	-	1,751.25

समूह में अन्य संस्थाओं द्वारा ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण (टीएलई) दिशानिर्देशों के पैरा 86 के अनुसार अन्य संस्थाओं से अधिग्रहित "गैर-डिफ़ॉल्ट ऋण खातों#" के संबंध में प्रकटीकरण:

Disclosure in respect of "loan accounts not in default" # acquired from other entities as per the para 86 of Transfer of Loan Exposure (TLE) guidelines by other entities in the Group:

विवरण / Particulars	को अंतरित/ Transferred to	से अधिगृहीत / Acquired From
(i) "असाइनमेंट" / "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (i) Loans acquired / transferred through "assignment" / "novation"	लागू नहीं Not Applicable	
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में) - Aggregate amount of loans acquired/transferred (₹ in Cr.)		497.29
- भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में) - Weighted average residual maturity (In months)		90.93
- भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) - Weighted average holding period (In Months)		44.53
- अंतरणकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का भारित औसत प्रतिधारण - Weighted average Retention of beneficial economic interest by the transferor		शून्य / Nil
- अधिगृहीत / अंतरित ऋणों की मूर्त प्रतिभूति कवरेज (आवृत्ति) - Tangible security coverage of loans acquired/transferred (times)		1.35 to 3.5x
(ii) "नोवेशन" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (ii) Loans acquired / transferred through "novation" (₹ in crores))	उपरोक्तानुसार Same as above	
(iii) "ऋण भागीदारी" के माध्यम से अधिगृहीत / अंतरित ऋण (₹ करोड़ में) (iii) Loans acquired/ transferred through "Loan participation" (₹ in crores)	लागू नहीं Not Applicable	

गणना पद्धति

खरीद के समय प्रत्येक अंतर्निहित खाते में डीपीडी के आधार पर गैर-डिफ़ॉल्ट ऋणों को निर्धारित किया जाता है।

2) अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए खातों) के विवरण

Calculation Modality

The Loans not in default are identified on the basis of DPD in each underlying account at the time of purchase.

2) Details of stressed loans transferred is as under:

Details of stressed loans (NPA Accounts) transferred during the period of 01.04.2023 to 31.03.2024.

विवरण / Particulars	एआरसी को / To ARCs	अनुमत अंतरिती को /To permitted transferees	अन्य अंतरिती को /To other transferees
खातों की संख्या No: of accounts	13	1	-

विवरण / Particulars	एआरसी को / To ARCs	अनुमत अंतरिती को /To permitted transferees	अन्य अंतरिती को /To other transferees
अंतरित ऋणों का बकाया सकल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,892.72	37.40	-
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	-
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	457.55	41.38	-
पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री पर लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान का हिस्सा Quantum of excess provision reversed to the profit & loss account on account of sale of stressed loans	456.55	37.40	-

3) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) के विवरण- शून्य

4) 31.03.2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण

3) Details of stressed Loan (NPAs) Acquired during FY 2023-24 – Nil

4) The Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on 31.03.2024

31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार निवेश श्रेणियों (अनुसूची-8) में धारित एसआर का संवितरण Distribution of the SRs held in Investment Categories (Sch-8) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024	
वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	54.07
आरआर 2 / RR2	10.20
आरआर 3 / RR3	27.31
आरआर 4 / RR4	42.20
आरआर 5 / RR5	9.69
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	382.06
कुल योग / Grand Total	**525.53**

31 मार्च, 2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग के अनुसार परिपक्व निवेश (अनुसूची-11) का हिस्सा रहे एसआर का संवितरण Distribution of the SRs which are part of Matured Investment (Sch-11) as per Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit Rating Agencies as on March 31, 2024	
वसूली रेटिंग बैंड / Recovery Rating Band	बही मूल्य (राशि ₹ करोड़ में) / Book Value (Amount in ₹ Cr)
आरआर 1 / RR1	-
आरआर 2 / RR2	-
आरआर 3 / RR3	-

आरआर 4 / RR4	-
आरआर 5 / RR5	29.55
हटाई गई रेटिंग / Rating withdrawn	730.43
कुल योग / Grand Total	**759.98**

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) संबंधी प्रकटीकरण:

12.1 अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखांकन मानक-5)

i) पूर्व अवधि की मदें

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की आय/ व्यय नहीं है

ii) लेखांकन नीति:

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने में उन्हीं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है जैसा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था।

12.2 एएस 11 - विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तन

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारक्षित निधियों का संचलन

12. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

12.1 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5) :

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Accounting policy:

The Bank has continued to follow the same accounting policies and practices in preparation of Audited financial statements for the year ended March 31, 2024 as followed in the previous financial year ended March 31, 2023.

12.2AS 11 - Changes in Foreign Exchange Rates:

Movement of Foreign Currency Translation reserve

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amount in ₹ Cr)

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2024 March 31, 2024	31 मार्च, 2023 March 31, 2023
प्रारंभिक शेष राशि / Opening Balance	4,711.58	3,743.10
वर्ष के दौरान जमा /Credited during the year	-	968.48
वर्ष के दौरान आहरण / Withdrawn during the year	211.16	-
अंतिम शेष राशि / Closing Balance	4,500.42	4,711.58

12.3 कर्मचारी अनुलाभ (लेखांकन मानक -15)

I. निर्धारित लाभ योजना (निधिगत बाध्यता - पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी)लाभ

ए) निर्धारित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

12.3 Employee Benefits (Accounting Standard-15):

I. Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	29,671.69	27,657.24	31.96	27.19	3,088.58*	3,110.01
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
जोड़ें : अधिग्रहण समायोजन Add: Acquisition Adjustment	-	-	-	-	-	-
जोड़ें : ब्याज लागत Add: Interest Cost	2,041.73	1,968.63	2.36	1.75	211.47	220.17
जोड़ें: विगत सेवा लागत Add : Past Service Cost	-	-	-	-	0.81	0.67
जोड़ें: चालू सेवा लागत Add: Current Service Cost	2,556.53	2,364.64	3.85	3.02	255.45	217.96
घटाएं: प्रदत्त लाभ Less: Benefits Paid	2,720.17	2,573.60	(6.81)	6.44	309.97	351.00
जोड़ें: बाध्यता पर एक्चूरियल लाभ/ हानि(-) Add: Actuarial loss/ gain(-) on obligation	(95.88)	254.76	8.56	6.43	1,018.34	(111.05)
अंतिम निर्धारित लाभ बाध्यता **Closing Defined Benefit Obligation**	**31,453.90**	**29,671.67**	**53.54**	**31.95**	**4,264.67**	**3,086.76**

*इसमें संविदात्मक कर्मचारियों के लिए ₹1.84 करोड़ की देयता शामिल है।

* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 1.84 Crs.

बी) उचित मूल्य की योजना आस्ति में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening Fair Value of plan assets	25,825.45	25,559.32	28.86	25.66	2,964.68	3,042.80
आरंभिक समायोजित Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Add- Expected Return on Plan Assets	1,935.52	1,983.25	1.96	1.56	221.99	239.51
जोड़ें- योगदान Add- Contributions	4,535.62	1,046.42	6.55	2.07	234.98	74.69
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	2,677.80	2,604.11	(2.99)	2.45	316.31	351.00
जोड़ें: एक्चूरियल लाभ/ हानि(-) Add- Actuarial gain/(-)loss	94.84	(167.48)	0.86	0.01	11.94	(34.87)
अंतिम योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Closing Fair Value of Plan Assets**	**29,713.63**	**25,817.40**	**41.22**	**26.85**	**3,117.28**	**2,971.13**

सी) तुलन पत्र में निर्धारित राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए) अंतिम निर्धारित लाभ बाध्यता a) Closing Defined Benefit Obligation	31,445.38	29,671.69	40.48	31.95	4,243.85	3,086.76
बी) योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य b) Closing Fair Value of Plan Assets	29,620.36	25,817.41	35.24	26.85	3,102.81	2,964.38
सी) अंतर (ए-बी) c) Difference (a-b)	1,825.02	3,854.28	5.24	5.10	1,141.04	122.38
डी) गैर निर्धारित अंतरण देयता d) Unrecognized transitional liability	(150.19)	(872.65)	26.34	-	29.16	-
ई) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता e) Liability Recognized in the Balance Sheet	1,674.83	2,981.63	25.47	5.10	1,170.20	122.38

डी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	2,556.53	2,364.64	4.10	3.02	256.26	218.63
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	-	1,941.85	-	1.24	0.41	2.37
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	2,041.32	26.56	1.60	0.10	209.32	216.78
डी) योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय d) Expected Return on Plan Assets	1,919.29	1,979.58	(1.20)	1.28	215.61	237.07
ई) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) e) Net Actuarial Loss/gain(-)	(190.75)	421.30	7.70	6.57	1,005.89	(74.64)
एफ) वर्ष में निर्धारित अंतरण देयता f) Transitional liability recognized in the year	-	290.88	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय (ए+बी+सी-डी+ई+एफ) Expenses Recognized in P&L (a+b+c-d+e+f)	2,487.81	3,065.65	14.60	9.65	1,256.27	126.07

ई) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान

e) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	पेंशन Pension		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
बट्टा दर Discount rate	4.65%-7.21%	7.42%-7.80%	7.11%-7.22%	7.42%-7.80%	7.09%-7.22%	7.42%-7.80%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	2.75%-5.50%	5.00%-8.00%	5.00%-8.00%	5.00%-8.00%	6.00%-10.00%	5.00%-8.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%- 6.5%	2.00%-5.00%	5.00%-10.00%	2.00%-5.00%	2.00%-55.00%	2.00%-5.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय दर Expected Rate of Return on plan Assets	7.15%-7.50%	6.50%-7.50%	6.50%-7.50%	6.50%-7.50%	7.09%-7.50%	6.50%-7.50%

II. निर्धारित लाभ योजनाएं (गैर निधिगत बाध्यता): संचित अनुपस्थिति प्रतिपूर्ति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी)

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र एक्चुरी द्वारा एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार संचित प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति (विशेषाधिकार छुट्टी), ग्रेच्युटी और अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ (एआरबी) की स्थिति को दर्शाती है:

II. Defined Benefit Plans (Unfunded Obligation): Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & Additional Retirement Benefits (ARB)

The following table sets out the status of Accumulating Compensated Absences (Privilege Leave), Gratuity & ARB as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank.

ए) देयता की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन

a) Reconciliation of opening and closing balance of liability

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रेच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता Opening Defined Benefit Obligation	1,900.10*	1,812.21	30.64	5.79	275.22	289.94
आरंभिक समायोजन Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-
जोड़ें- ब्याज लागत Add- Interest Cost	131.09	129.29	0.41	0.41	18.93	20.59
जोड़ें- चालू सेवा लागत Add- Current Service Cost	418.51	260.01	3.39	0.67	6.45	14.34
जोड़ें- विगत सेवा लागत Add- Past Service Cost	-	-	-	0.02	-	-
घटाएं- प्रदत्त लाभ Less- Benefits Paid	161.02	175.21	0.41	1.50	25.85	39.82

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
जोड़ें- बाध्यता पर एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) Add- Actuarial loss/gain (-) on obligation	(21.57)	(129.31)	0.16	0.01	13.01	(9.83)
अंतिम निर्धारित लाभ बाध्यता Closing Defined Benefit Obligation	**2,267.10**	**1,896.99**	**34.19**	**5.40**	**287.76**	**275.22**

* इसमें संविदात्मक कर्मचारियों के लिए ₹ 3.46 करोड़ की देयता शामिल है।

* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 3.46 Crs.

बी) लाभ व हानि खाते में निर्धारित राशि
b) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए) चालू सेवा लागत a) Current Service Cost	418.51	259.88	3.39	0.67	6.45	6.02
बी) विगत सेवा लागत b) Past Service Cost	-	-	-	0.02	-	-
सी) ब्याज लागत c) Interest Cost	131.09	129.29	0.41	0.41	18.93	20.59
डी) निवल एक्चुरियल हानि/ लाभ (-) d) Net Actuarial Loss/gain(-)	(21.57)	(129.31)	0.16	0.01	13.01	(9.83)
लाभ हानि खातों में निर्धारित व्यय Expenses Recognized in P&L	**528.03**	**259.86**	**3.96**	**1.11**	**38.39**	**16.78**

सी) तुलन पत्र में निर्धारित देयता/ (आस्ति) की प्रारंभिक व अंतिम शेष पर समायोजन
c) Reconciliation of opening and closing liability/(assets) recognized in the Balance Sheet

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
ए) आरंभिक निर्धारित लाभ बाध्यता a) Opening Defined Benefit Obligation	1,900.09*	1,812.21	30.64	5.79	275.22	289.94
बी) आरंभिक समायोजन b) Opening Adjusted	-	-	-	-	-	-

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
सी) निवल अधिग्रहण लागत c) Net Acquisition Cost	0.43	0.24	-	-	-	-
डी) उपर्युक्त अनुसार व्यय d) Expenses as above	527.60	259.75	3.96	1.11	38.39	16.78
ई) प्रदत्त लाभ e) Benefit paid	161.03	175.21	0.41	1.50	25.85	31.50
एफ) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता f) Net Liability Recognized in the Balance Sheet	2,266.46	1,896.99	34.15	5.40	287.76	275.22

* इसमें संविदात्मक कर्मचारियों के लिए ₹ 3.46 करोड़ की देयता शामिल है।

* It includes liability for contractual employees amounting to ₹ 3.46 Crs.

डी) प्रिंसिपल एक्चुरियल पूर्वानुमान
d) Principal Actuarial Assumptions

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		ग्रैच्युटी Gratuity		एआरबी ARB	
	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
बट्टा दर Discount rate	7.17%-7.25%	7.30%-7.55%	7.17%-7.25%	7.30%-7.55%	7.20%-7.30%	7.30%-7.55%
वेतन वृद्धि दर Salary Escalation Rate	5.5%-10.00%	5.00%-10.00%	8.00%-10.00%	5.00%-10.00%	5.5%-10.00%	5.00%-10.00%
एट्रीशन दर Attrition Rate	2.00%-18.00%	15.00%-18.00%	5.00%-15.00%	15.00%-18.00%	2.00%-18.00%	15.00%-18.00%

एक्चुरियल वैल्यूएशन में भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है. ये अनुमान बहुत दीर्घकालिक हैं और निकट अतीत के अनुभव / तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबे समय में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है. लेखापरीक्षकों ने इन्हीं आकलन और अनुमानों को आधार बनाया है.

The estimates of future salary growth factored in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible. The said estimates and assumptions have been relied upon by the auditors.

12.4 खंड रिपोर्टिंग (एएस - 17)

1. **खंड की पहचान:**

I. **प्राथमिक (व्यापार खंड): निम्नलिखित खंड बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-**

i. **ट्रेजरी**

ट्रेजरी खंड में निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा व व्युत्पन्न करार में लेनदेन कारोबार शामिल हैं। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रुप से लेनदेन परिचालनों से प्राप्त शुल्क, लाभ या हानि होती है और निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त ब्याज आय शामिल है।

12.4 Segment Reporting (AS – 17)

1. **Segment Identification**

I. **Primary (Business Segment): The following are the primary segments of the Bank:-**

i. **Treasury**

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. **कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग**

कॉर्पोरेट / होलसेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ और उससे अधिक राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं।

iii. **रिटेल बैंकिंग**

रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ से कम राशि के उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियां शामिल हैं। रिटेल खंड के तहत डिजिटल बैंकिंग उपखंड भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में कार्यरत डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शेष राशि को प्रकट करता है।

iv. **अन्य बैंकिंग परिचालन**

उर्पयुक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

II) **गौण (भौगोलिक खंड)**

i) घरेलू परिचालन - शाखाएं/ कार्यालय जिनका परिचालन भारत में होता है।

ii) विदेशी परिचालन - शाखाएं / कार्यालय जिनका परिचालन भारत के बाहर और जिन विदेशी बैंकिंग इकाइयों का परिचालन भारत में होता है।

III. **खंड राजस्व बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।**

IV. **आय, व्यय, आस्तियों एवं देयताओं का आबंटन**

ट्रेजरी बैंकिंग परिचालन एक अलग इकाई है। ट्रेजरी परिचालन के आय और व्यय सीधे ट्रेजरी सेगमेंट से सम्बद्ध होते हैं।

अन्य सेगमेंट के आय और व्यय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

i) ब्याज आय और ब्याज व्यय का आबंटन क्रमशः होलसेल बैंकिंग परिचालनों हेतु प्राप्त वास्तविक ब्याज और होलसेल बैंकिंग परिचालनों के अग्रिमों के आधार पर किया जाता है।

ii) उपर्युक्त ब्याज आय और व्यय के आबंटन के बाद, प्राप्त/ प्रदत्त अवशिष्ट ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले जाया जाता है।

iii)) अन्य आय / अन्य व्यय, होलसेल बैंकिंग / रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द्वारा अर्जित ब्याज आय के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित सेगमेंट की आस्तियों के अनुपात में आबंटित किया गया है।

समूह की कुछ सामान्य आस्ति एवं देयताएं हैं जिन्हें किसी भी सेगमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्हें अनाबंटित माना गया है।

ii. **Corporate / Wholesale Banking**

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure ₹ 7.50 Crores and above.

iii. **Retail Banking**

The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure upto ₹ 7.50 crores. Digital Banking sub segment under retail segment represents balances of Digital Banking Units functioning in the bank as per RBI directives.

iv. **Other Banking Operations**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

II. **Secondary (Geographical Segment)**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore banking units having operations in India

III. **Segment revenue represents revenue from external customers.**

IV. **Allocation of Income, Expenses, Assets and Liabilities**

Treasury banking operation is separate unit. The income and expenses of treasury operations are directly attributable to treasury segment.

The income and expense of other segments are recognised as under:

i) The interest income and interest expense are allocated on the basis of actual interest received for wholesale banking operations and on the basis of advances of wholesale banking operations respectively.

ii) After allocation of above interest income and expense, the residual interest received/ paid is attribute to retail banking operations.

iii) Other income/ other expenses are allocated in the proportion of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Capital employed for each segment has been allocated proportionately to the assets of the respective segment.

The Group has certain common assets and liabilities, which cannot be attributed to any segment, and the same are treated as unallocated.

12.4.2 सेगमेंट संबंधी जानकारी 12.4.2 Segment Information

भाग ए: कारोबार सेगमेंट Part A - Business Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	ट्रेजरी Treasury		कॉर्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking						अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
					डिजिटल बैंकिंग (ए) Digital Banking (A)		अन्य रिटेल बैंकिंग (बी) Other Retail Banking (B)		कुल रिटेल बैंकिंग (ए+बी) Total Retail Banking (A+B)					
	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष: 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष: 2022-23 FY: 2022-23
सेगमेंट राजस्व **Segment Revenue**	32,205.46	27,899.86	49,574.96	35,143.56	0.55	0.06	49,088.17	40,070.80	49,088.72	40,070.86	10,909.56	7,663.70	**1,41,778.70**	**1,10,777.98**
सेगमेंट परिणाम **Segment Result**	5,470.36	1,606.83	16,795.57	13,797.10	(12.26)	(3.65)	11,210.19	12,526.27	11,197.93	12,522.62	1,050.80	207.41	**34,514.66**	**28,133.96**
अनाबंटित खर्च Unallocated Expense													8,357.57	7,352.09
कर पूर्व लाभ **Profit Before Tax**													**26,157.09**	**20,781.87**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान Less: Provision for tax													7,389.71	5,876.67
असाधारण लाभ/ हानि Extra-Ordinary Profit/ Loss	-	-;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ **Net Profit**													**18,767.38**	**14,905.20**
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	4,91,627.71	4,91,524.64	6,45,559.93	5,92,012.29	13.85	8.35	4,65,150.27	3,96,608.27	4,65,164.12	3,96,616.62	30,771.60	25,006.15	**16,33,123.36**	**15,05,159.70**
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets													21,656.02	20,719.27
कुल आस्तियां **Total Assets**													**16,54,779.38**	**15,25,878.97**
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	4,56,061.73	4,57,683.83	5,98,857.98	5,51,253.04	12.85	7.78	4,31,499.75	3,69,302.32	4,31,512.60	3,69,310.10	28,545.48	23,284.51	**15,14,977.79**	**14,01,531.48**
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities													20,089.35	19,292.78
कुल देयताएं **Total Liabilities**													**15,35,067.14**	**14,20,824.26**

भाग बी - भौगोलिक खंड
Part B - Geographic Segments

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	घरेलू परिचालन Domestic Operations		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल Total	
	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष : 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष : 2022-23 FY: 2022-23	वित्त वर्ष : 2023-24 FY: 2023-24	वित्त वर्ष : 2022-23 FY: 2022-23
राजस्व Revenue	1,24,938.85	1,00,935.21	16,839.85	9,842.77	**1,41,778.70**	**1,10,777.98**
आस्तियां Assets	13,87,900.65	12,83,901.25	2,66,878.73	2,41,977.72	**16,54,779.38**	**15,25,878.97**

12.5 संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण (लेखांकन मानक -18)

I. संबद्ध पार्टियों के नाम एवं उनके संबंध

समूह से संबद्ध पार्टियां के ग्रुप :

ए) सहयोगी प्रतिष्ठान

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड

बी) संयुक्त उद्यम

1. इंडिया इंटरनैशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी
2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड

सी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नवीनतम नाम सहित)

12.5 Related Party Disclosures (Accounting Standard-18)

I. Name of Related Parties & their relationship

Related Parties to the Group:

a) Associates

i) Regional Rural Banks

1. Baroda U P Bank
2. Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
3. Baroda Gujarat Gramin Bank

ii) Others

1. Indo Zambia Bank Limited

b) Joint Ventures

1. India International Bank (Malaysia) Bhd.
2. India InfraDebt Limited

c) Key Management Personnel (Includes the latest Names)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क्र. सं. S No.	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement)	
			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement) For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पारिश्रमिक (प्रतिपूर्ति सहित) Remuneration (Incl. Reimbursement) For the year ended March 31, 2023
1	श्री संजीव चड्ढा* Shri Sanjiv Chadha*	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.06.2023 को सेवानिवृत्त) MD & CEO (Retired on 30.06.2023)	2,20,49,762	54,25,881
2.	श्री देबदत्त चांद Shri Debadatta Chand	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD & CEO	54,98,137	46,98,766
3.	श्री अजय कुमार खुराना Shri Ajay Kumar Khurana	कार्यपालक निदेशक (31.03.2024 को सेवानिवृत्त) Executive Director (Retired on 31.03.2024)	47,78,515	47,29,279
4.	श्री जयदीप दत्ता राय Shri Joydeep Dutta Roy	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 तक) Executive Director (Up to 31.01.2024)	38,52,956	40,64,842
5.	श्री ललित त्यागी Shri Lalit Tyagi	कार्यपालक निदेशक (21.11.2022 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 21.11.2022)	41,78,508	15,64,799
6.	श्री लाल सिंह Shri Lal Singh	कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 09.10.2023)	20,16,695	-
7.	श्री संजय मुदालियर Shri Sanjay Mudaliyar	कार्यपालक निदेशक (31.01.2024 से प्रभावी) Executive Director (w.e.f. 31.01.2024)	9,24,054	-
8.	श्री विक्रमादित्य सिंह खीची* Shri Vikramaditya Singh Khichi*	कार्यपालक निदेशक (31.07.2022 को सेवानिवृत्त) Executive Director (Retired on 31.07.2022)	-	1,69,70,052

*सेवानिवृत्ति लाभ सहित

लेखों की टिप्पणियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए निदेशक मंडल के पूर्णकालिक निदेशक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं।

*includes retirement benefits

In terms of RBI circular on notes to accounts, key management personnel are whole time directors of Board for Related Party Disclosure.

ii) **दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने संबद्ध पक्षों के साथ बैंक के लेनदेन के विवरण निम्नानुसार हैं:**

संबद्ध पार्टियों के साथ संव्यवहारों के विवरण

II) **The details of transactions of the Bank with its related parties during the year ended 31 March, 2024 are given below:**

Details of transactions with Related Parties

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

मदें/संबद्ध पार्टी Items/ Related Party	सहयोगी प्रतिष्ठान/ संयुक्त उद्यम# Associates/ Joint ventures#	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
ऋण Borrowings	-	-	-	-
जमाराशियां Deposit	0.05	-	-	0.05
जमाराशियों का प्लेसमेंट Placement of deposits	-	-	-	-
अग्रिम Advances	-	-	-	-
निवेश Investments	1,249.70	-	-	1,249.70
गैर-निधीयन प्रतिबद्धताएं Non-funded commitments	-	-	-	-
प्राप्त लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	-	-	-	-
उपलब्ध कराई गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-
प्रदत्त ब्याज Interest paid	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज Interest received	97.34	-	-	97.34
उपार्जित ब्याज Interest Accrued	48.37	-	-	48.37
सेवाओं का प्रतिपादन Rendering of services	-	-	-	-
सेवाएं प्राप्त करना Receiving of services	-	-	-	-
प्राप्त लाभांश Dividend received	10.32	-	-	10.32

#संबद्ध पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि लेखांकन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार 'राज्य-नियंत्रित उद्यम' हैं।

इसके अलावा, एएस 18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधियों समेत बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकार के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

#No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18.

Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.6 लेखांकन मानक -19 "पट्टे" :

12.6 Accounting Standard-19 "Leases":

वित्तीय पट्टा Financial Lease

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024
कुल न्यूनत्तम पट्टा बकाया Total Minimum Lease Outstanding	
एक वर्ष से कम Less than 1 year	8.12
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	9.93
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	-
कुल Total	18.05
देय ब्याज लागत Interest Cost Payable	
एक वर्ष से कम Less than 1 year	0.81
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	2.08
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	-
कुल Total	2.89

प्रभावी पट्टे पर लिए गए परिसर निम्नानुसार हैं :
Premises taken on operating lease are given below:

प्रभावी पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी निवास शामिल हैं, जिनका नवीनीकरण करना बैंक की इच्छा पर है।

i) निम्नलिखित तालिका में सूचित अवधि के लिए उन परिसरों के भावी किराए के ब्यौरे प्रस्तुत हैं जिनके प्रभावी पट्टे रद्द नहीं किए जा सकते:

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

बाध्यताएं Obligations	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
एक वर्ष से कम Less than 1 year	40.74	38.89
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 to 5 years	102.11	66.26
5 वर्ष और उससे अधिक 5 years and above	28.82	5.33

ii) प्रभावी पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त पट्टे के भुगतान की राशि ₹894.61 करोड़ (विगत वर्ष: ₹843.15 करोड़)
नवीकरण/ खरीद विकल्प और किराया वृद्धि इस प्रकार के करारों में प्रचलित शर्तों के अनुरूप होते हैं। इन करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुष्कर शर्तें नहीं होती हैं ।

ii) Amount of lease payments recognized in the Profit & Loss Account for operating leases is ₹ 894.61 Crores (Previous Year: ₹ 843.15 Crores)
The terms of renewal/purchase options and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

12.7 प्रति शेयर आय (लेखांकन मानक-20)

बैंक लेखांकन मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर में बुनियादी और डायल्यूटेड आय दर्ज करता है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके "मूल आय" प्रति शेयर की गणना की जाती है ।

12.7 Earnings per Share (Accounting Standard-20)

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
वर्ष के आरंभ में शेयर की संख्या Number of share at the beginning of the year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के दौरान जारी शेयर Shares Issued during the Year	-	-
वर्ष के अंत में शेयर की संख्या Number of share at the end of year	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयर Weighted Average Share used in computing the basic earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संभावित संख्या Potential no. of equity shares as at end of year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना के लिए शेयरों की संख्या Number of share used in computing the diluted earnings per shares	5,17,13,62,179	5,17,13,62,179
कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net profit after tax (₹ in Crores)	18,767.38	14,905.20
मूल अर्जन प्रति शेयर (₹ में) Basic earnings per share (In ₹)	36.29	28.82
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर (₹ में) Diluted earning per share (In ₹)	36.29	28.82
अंकित मूल्य प्रति शेयर (₹ में) Nominal value per share (In ₹)	2.00	2.00

12.8 आय पर करों के लिए लेखांकन (लेखांकन मानक-22)

12.8 Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard-22):

ए. आस्थगित कर आस्तियां | **a. Deffered Tax Assets**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	219.74	211.80
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	6,705.97	8,474.05
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान Provision for leave encashment	574.62	482.90
विदेशी मुद्रा विनिमय प्रारिक्षित निधि Foreign Currency Translation Reserve	554.28	560.09
धोखाधड़ी हेतु प्रावधान Provision for Fraud	74.89	157.91
गैर-बैंकिंग आस्तियों एवं अन्य हेतु प्रावधान Provision for Non-Banking Assets & Others	183.66	123.52
कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred tax Asset	**8,313.16**	**10,010.27**

बी. आस्थगित कर देयताएं

b. Deferred Tax Liabilities

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को As on March 31, 2023
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यह्रास तथा मूल्यह्रास के बीच अंतर Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	-	3.89
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत कटौतियां Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	2,104.41	1,948.94
उपचित ब्याज परंतु देय नहीं Interest Accrued but not due	1,398.49	1,392.80
अन्य / Others	-	0.01
कुल आस्थगित कर देयताएं Total Deferred tax Liability	**3,502.90**	**3,345.63**
निवल आस्थगित कर देयताएं Net Deferred tax Asset	**4,810.26**	**6,664.64**

अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती में विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए कर मांग से संबंधित मूल बैंक द्वारा प्रदत्त/ विभाग द्वारा समायोजित विवादास्पद राशि शामिल है। ₹9,381.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,336.42 करोड़) के विवादास्पद आय कर मांग के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि मूल बैंक के विचार में, कर सलाहकारों की विधिवत राय में और / या ऐसे मुद्दे पर बैंक की स्वयं की अपीलों के निर्णय के मद्देनजर, किए गए परिवर्धन/ अस्वीकृति मान्य नहीं हैं ।

Tax Paid in advance/Tax deducted at source appearing under Other Assets includes disputed amount adjusted by the department/paid by the Parent Bank in respect tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of disputed Income Tax demands of ₹ 9,381.66 Crore (previous year ₹ 13,336.42 Crore) as in the Parent bank's view, duly supported by Tax Consultant view and/or decision in bank's own appeals on same issues, additions / disallowances made are not sustainable

12.9 समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

चूंकि बैंक का अपने सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश सहभागी प्रकृति का होता है और बैंक के पास उनकी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति होती है, ऐसे निवेशों को बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है ।

12.9 Accounting for Investments in Associates in Consolidated financial Statements (AS-23)

since Investments of the bank in its Associates are participative in nature and the Bank having the power to exercise significant influence on their activities, such Investments are recognized in the Consolidated Financial Statements of the Bank

12.10 परिचालन बंद करना (एएस-24)

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने किसी भी विदेशी टेरिटेरी/अनुषंगी/ सहयोगी को बंद नहीं किया है।

12.10 Discontinuing operations (AS-24)

During the Financial year 2023-24, the Group has not closed any of its overseas territories/ subsidiaries/ Associates.

12.11 आस्तियों की हानि (एएस-28)

एएस - 28 "आस्तियों की हानि" के संदर्भ में, जहां वर्तमान मूल्य संपत्ति की लागत से कम है, कोई हानि प्रभार सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

12.11 Impairment of Assets (AS-28)

In terms of AS – 28 "Impairment of Assets" no impairment charge is required to be created wherein current value is less than cost of the property.

12.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (एएस-29):

प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

12.12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29):

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	विधिक मामले / आकस्मिकताएं Legal Cases/Contingencies	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
प्रारम्भिक शेष राशि Opening balance	195.72	179.49
वर्ष के दौरान प्रावधानीकृत Provided during the year	119.49	17.33
वर्ष के दौरान समायोजित Adjusted during the year	14.43	1.10
दिनांक 31 मार्च को शेष राशि Balance as on 31st March	315.16	195.72
आउटफ्लो / अनियमितताओं का समय Timing of outflow/ uncertainties	निपटान/ क्रिस्टलीकरण संबंधी आउटफ्लो Outflow on settlement / crystallization	

चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः समूहीकृत / पुनः वर्गीकृत किया गया है ।
Previous year's figures have been regrouped/reclassified to match current year's presentation.

ए) तुलनपत्र की अनुसूची 12 की क्रम संख्या (I) से (VI) में उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता अवार्ड/ न्यायालय से बाहर समझौते/ अपीलों के निपटान के परिणामों, साथ ही जो करार की बाध्यताओं, संबद्ध पक्षों द्वारा की गई मांग से संबंधित राशि पर निर्भर है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है ।

बी) मेसर्स एसटीसीआई - स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (संयुक्त मर्चेंट बैंकर) ने वर्ष 2010 में बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के साथ-साथ जारीकर्ता कंपनी (एसवीपीसीएल लिमिटेड) के विरुद्ध एसपीवीसीएल द्वारा दावाकृत ₹15.23 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मामला दर्ज किया था । उपरोक्त विवादित मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है । प्रबंधन की राय में यह निराधार मुकदमेबाजी है और कंपनी पर कोई देयता नहीं होगी और अनुमान के अनुसार न्यायालय का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा ।

सी) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है ।

डी) आकस्मिक देयताओं के विवरण

ए) बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है

ये व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के क्रम में वर्तमान में चल रहे विभिन्न मामलों के संबंध में बैंक के खिलाफ दायर दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें आयकर अधिकारियों द्वारा की गई और बैंक द्वारा विवादित मांग भी शामिल हैं ।

बी) आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता

यह आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता में अदत्त राशि को प्रतिबिंबित करता है। ₹15.28 करोड़ के आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश के लिए देयता सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश के लिए देयता के प्रति बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

A) Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court judgment / arbitration awards / out of court settlement/disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

B) M/s STCI — Standard Chartered Capital Markets Limited (joint merchant banker) filed a case against BOB Capital Markets Limited in the year 2010 as well as the issuer company (SVPCL Limited) for indemnifying the damage of ₹15.23 Crores claimed by SVPCL Limited. The above disputed matter is pending before the Hon'ble High Court, Mumbai. In the opinion of the management this is a frivolous litigation and there would not be any liability on the company and the case, in all probability, would be decided in the company's favour.

C) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

D) Description of contingent liabilities

a) Claims against the Bank not acknowledged as debts;

These represent claims filed against the Bank in the normal course of business relating to various legal cases currently in progress. These also include demands raised by income tax authorities and disputed by the Bank

b) Liability for partly paid investments

This represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. Liability for partly paid investments of Rs 15.28 Cr represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments of Central Ware Housing Corporation and IL & FS Infrastructure debt fund.

सी) वायदा मुद्रा एवं डेरिवेटिव संविदाओं के कारण देयता

बैंक स्वयं और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा संविदा, मुद्रा ऑप्शन/स्वैप, ब्याज दर/मुद्रा फ्यूचर्स एवं वायदा दर करार करता है।

i. वायदा मुद्रा संविदा अनुबंधित दर पर भावी तारीख को विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्धता है।

ii. मुद्रा स्वैप, लागू हाजिर दरों के आधार पर, दो मुद्राओं में ब्याज/मूलधन के माध्यम से नकदी प्रवाह को विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।

iii. ब्याज दर स्वैप, सावधि और अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के विनिमय के लिए प्रतिबद्धता है।

iv. ब्याज दर फ्यूचर्स एक मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडड संविदा है जो एक नियत भावी तारीख को एक निश्चित मूल्य पर निश्चित ब्याज दर लेनदेन करने का वचन देती है।

v. वायदा दर करार एक सहमत अवधि के लिए अनुमानित राशि पर डिफरेंशल ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करार है।

vi. विदेशी मुद्रा ऑप्शन दो पक्षों के बीच एक करार होता है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को नियत समयावधि के भीतर या निर्दिष्ट भावी समय में विशिष्ट मूल्य पर मुद्रा की एक निश्चित राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देता है।

vii. एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन संविदा, एक मानकीकृत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा है, जो समाप्ति की तारीख पर नियत तारीख पर पूर्व-सहमत मुद्रा दर पर एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में मूल्यवर्गित राशि के विनिमय का अधिकार देता है, परंतु बाध्यता नहीं।

viii. मुद्रा फ्यूचर्स वायदा निर्दिष्ट मूल्य पर भविष्य में नियत तारीख को निश्चित अंतर्निहित मुद्रा के क्रय या विक्रय के लिए मानकीकृत, एक्सचेंज-ट्रेडेड संविदा है।

आकस्मिक देयता की राशि संबंधित फॉरवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव अनुबंधों के अनुमानित मूलधन का प्रतिनिधित्व करती है।

डी) संघटकों की ओर से दी गई गारंटी

अपनी बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, समूह अपने ग्राहकों की ऋण अवस्थिति को बढ़ाने हेतु उनके पक्ष में गारंटी जारी करता है। वह गारंटी इरेवोकेबल एश्योरेंस को दर्शाती है कि ग्राहक के वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में बैंक उसका भुगतान करेगा।

ई) स्वीकृति, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व

इसमें समूह द्वारा अपने ग्राहकों के पक्ष में जारी किए गए दस्तावेजी क्रेडिट और बैंक के ग्राहकों द्वारा आहरित बिल, जिन्हें बैंक द्वारा स्वीकृत और पृष्ठांकित किया गया हैं, को शामिल किया गया है।

और अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से (कंटींजेंटली) उत्तरदायी है।

c) Liability on account of forward exchange and derivative contracts:

The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options/swaps, interest rate/currency futures and forward rate agreements on its own account and for customers.

i. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate.

ii. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in two currencies, based on ruling spot rates.

iii. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows.

iv. Interest rate futures are standardized, exchange-traded contracts that represent a pledge to undertake a certain interest rate transaction at a specified price, on a specified future date.

v. Forward rate agreements are agreements to pay or receive a certain sum based on a differential interest rate on a notional amount for an agreed period.

vi. A foreign currency option is an agreement between two parties in which one grants to the other the right to buy or sell a specified amount of currency at a specific price within a specified time period or at a specified future time.

vii. An Exchange Traded Currency Option contract is a standardized foreign exchange derivative contract, which gives the owner the right, but not the obligation, to exchange money denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date on the date of expiry.

viii. Currency Futures contract is a standardized, exchange-traded contract, to buy or sell a certain underlying currency at a certain date in the future, at a specified price.

The amount of contingent liability represents the notional principal of respective forward exchange and derivative contracts.

d) Guarantees given on behalf of constituents

As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers to enhance their credit standing. Guarantees represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of the customer failing to fulfill its financial or performance obligations.

e) Acceptances, endorsements and other obligations

These include documentary credit issued by the Bank on behalf of its customers and bills drawn by the Bank's customers that are accepted or endorsed by the Bank.

And other items for which Bank is contingently liable.

13 नियामकों द्वारा लगाया गया जुर्माना

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

13. Penalty Imposed by Regulators

1) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

विवरण Particulars	मामले का प्रकार Nature of Breach	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	
		मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount	मामलों की संख्या No of Cases	राशि Amount
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed by RBI	नियामक/ परिचालनगत Regulatory/ Operational	1375	6.74	753	1.92
विदेशी टेरिटरी/अनुषंगियों पर उनके संबंधित नियामक द्वारा लगाया गया जुर्माना Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		-	-	3	4.16

2) एसजीएल फॉर्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म लौटाए जाने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
2023-24	-	-	-
2022-23	-	-	-

2) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2023-24	-	-	-
2022-23	-	-	-

3) रिवर्स रेपो लेन-देन में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण (चूककर्ता प्रतिभागी हेतु लागू)।

मौजूदा वर्ष - शून्य

पिछले वर्ष- शून्य

4) विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लगाए गए अन्य जुर्माने के विवरण निम्नानुसार हैं:

	मौजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	शून्य	शून्य
भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007	शून्य	शून्य
सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम, 2006	शून्य	शून्य

3) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant).

Current Year - NIL

Previous Year - NIL

4) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions is as under:

	Current Year	Previous Year
Banking Regulation Act, 1949	NIL	NIL
Payment and Settlement Act, 2007	NIL	NIL
Government Securities Act, 2006	NIL	NIL

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

14.1 समूह की संस्थाओं के बीच आपस में अंतर-बैंक / कंपनी की शेष राशियों का रिकंसिलेशन सतत आधार पर किया जाता है। बैंक के मामले में, अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल विभिन्न खाता शीर्षों में डेबिट और क्रेडिट बकाया प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान दिनांक 31.03.2024 तक पूरा कर लिया गया है, जिसका रिकंसिलेशन किया जा रहा है। अनुषंगी बही खातों का मिलान, अंतर-कार्यालय खातों, माइग्रेशन खातों, अन्य कार्यालय खातों की पुष्टि/ रिकंसिलेशन आदि सतत आधार पर जारी है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त का, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

14. Additional Disclosures

14.1 Inter- Bank/Company balances between group entities are being reconciled on an ongoing basis. In case of Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed up to 31.03.2024, the reconciliation of which is in progress. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of Inter-office accounts, Migration accounts, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of the above, is not likely to be material.

14.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को अपनाया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त सांविधिक जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है जिसका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही जो मदें वस्तुगत नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक प्रकटीकरण के मद्देनजर समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है।

14.2 In accordance with current RBI guidelines, the general clarification issued by ICAI has been considered in the preparation of the consolidated financial statements. Accordingly, additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and its subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the Accounting Standard Interpretation issued by ICAI.

14.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त 2020 (आरएफ 1.0) और 05.05.2022 (आर एफ 2.0) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक कोविड 19 संबंधी दबाव के लिए निपटान फ्रेमवर्क के तहत लागू निपटान योजना के विवरण।

14.3 Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 (RF 1.0) and 05.05.2022 (RF 2.0) as of March 31, 2024.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

उधारकर्ता का प्रकार Type of borrower	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - पूर्व छमाही अर्थात् 30.09.2023 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 30.09.2023 (A)**	(ए) में से, सकल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए हो गया **Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि **Of (A), amount written off during the half-year**	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि **Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year**	निपटान योजना को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही अर्थात 31.03.2024 की समाप्ति पर स्थिति (ए) **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year i.e 31.03.2024(A)**
वैयक्तिक ऋण$ Personal Loans$	653.05	14.32	-	60.55	592.58
कॉर्पोरेट व्यक्ति* Corporate persons*	2,838.33	-	-	93.85	1,408.25
जिसमें से एमएसएमई Of which, MSMEs	139.25	-	-	16.17	57.50
अन्य / Others	632.39	-	-	156.65	488.93
कुल Total	**4,123.77**	**14.32**	**-**	**311.05**	**2,489.76**

* दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए गए अनुसार

$ पूल खातों के मामले में, जानकारी प्रवर्तक द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार है।

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

$ In case of Pool Accounts, the information is as provided by the originator.

14.4 दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार निपटान योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों की आवश्यकता शामिल है। बैंक के पास 31.03.2024 को 09 खातों में ₹ 437.67 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

14.4 As per RBI circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, guidelines for implementation of Resolution Plan has been issued, also containing requirements of additional provisions as per para 17 of this RBI circular. The Bank is holding additional provision of ₹ 437.67 Crores as on 31.03.2024 in 9 nos. of accounts as detailed below.

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋण की राशि (ए) Amount of Loans impacted by RBI Circular (A)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (बी) Amount of Loans to be classified as NPA (B)	31.03.2024 को (बी) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की राशि (सी) Amount of Loans as on 31.03.2024 out of (B) classified as NPA (C)	31.12.2023 को धारित प्रावधान (डी) Provision held as on 31.12.2023 (D)	31.03.2024 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) (ई) Additional provision/ (reversal) made during quarter ended 31.03.2024 (E)	31.03.2024 को धारित प्रावधान (एफ) Provision held as on 31.03.2024 (F)
1,250.50	542.80	542.80	515.42	(77.75)	437.67

14.5. आईबीसी-एनसीएलटी संबंधी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.15199/ 21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर.नं. बीपी.1906/ 21.04.048/ 2017-18 दिनांक 23 जून, 2017 और दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत शामिल खातों के लिए समूह ने 31 मार्च, 2024 को कुल ₹ 6,881.67 करोड़ (कुल बकाया के 100% के रूप में) का प्रावधान किया है।

14.6 उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणाओं के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के (अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निर्देश, 2022 आरबीआई/2022-23/131 डीओआर.एमआरजी,आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11 अक्तूबर, 2022 के अनुसार अनहेज्ड विदेशी मुद्रा के लिए देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2024 तक ₹ 223.22 करोड़ का प्रावधान किया है।

14.7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात सहित पिलर 3 प्रकटीकरण हमारी वेबसाइट पर निम्ननुसार लिंक https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त,एनएसएफआर एवं एलसीआर फ्रेमवर्क के तहत प्रकटीकरण निम्नलिखित लिंक: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/ पर उपलब्ध है। यह प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं।

14.8. न्यायालय के आदेश के कारण मानक के रूप में रखे गए खातों के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या 10655/21.04.048/2018-19 दिनांक 21.06.2019 निर्देशों के अनुसार, 1 खाता को न्यायालय के आदेशों के अनुसार बैंक द्वारा मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कल बकाया ₹ 26.44 करोड़ है जिसके सापेक्ष अप्राप्त ब्याज के प्रावधान सहित आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक ₹ 7.08 करोड़ का प्रावधान किया है।

बैंक (समूह) ने विवेकपूर्ण आधार पर कुछ दबावग्रस्त मानक अग्रिमों में आईआरएसीपी मानदंडों के अलावा 31.03.2024 तक ₹ 899.56 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

14.5 IBC-NCLT Provision –

As per RBI letters no. DBR No.BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR.No.BP.1906/ 21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6,881.67 Crores (100% of total outstanding) as on March 31, 2024.

14.6 Based on the available financial statements and the declarations from the borrowers, the Bank has estimated the liability for Unhedged Foreign Currency in terms of Reserve Bank of India (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 RBI/2022-23/131 DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of ₹ 223.22 crores as on March 31, 2024.

14.7 In terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Pillar 3 disclosures including leverage ratio under the Basel- III framework are being made available on our website in the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-basel-iii. Additionally, disclosures under NSFR & LCR framework are being made available on the following link: https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports/. These disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.

14.8 As per the directions of RBI vide their letter no. 10655/21.04.048/2018-19 dated 21.06.2019 disclosure with respect to accounts kept as standard due to the Court order, 1 account is classified as Standard as per Court orders, with outstanding of ₹ 26.44 crores as on March 31, 2024, against which the Bank is holding provision of ₹ 7.08 crores as on March 31, 2024 as per IRAC norms, including provision for unrealized interest.

The Group is holding an additional provision of ₹ 899.56 crores as of March 31, 2024 over and above the IRAC norms in certain stressed standard advances on prudent basis.

14.9. बैंक ने 11 नवंबर, 2020 के आईबीए संयुक्त नोट के अनुसार कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹1454.41 करोड़ की राशि की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/ 2021-22/ 105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर 2021 के द्वारा बैंकों को प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि के न्यूनतम 1/5 भाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ 5 (पांच) वर्ष की अवधि तक की अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त प्रावधान का विकल्प चुना और तदनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹581.77 करोड़ के गैर परिशोधित व्यय को आगे कैरी फॉर्वर्ड किया है। यदि बैंक ने लाभ और हानि खाते के लिए संपूर्ण अतिरिक्त देयता को प्रभारित किया होता, तो 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 435.34 करोड़ कम होता।

14.10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को भुगतान।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि या ब्याज के भुगतान में देरी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

14.11 'अग्रिमों की पुनर्संरचना-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एक बारगी पुनर्संरचना) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीआर.सं.बीपी.बीसी 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, परिपत्रांक डीओआर.संख्या. बीपी. बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं परिपत्रांक डीओआर.संख्या. बीपी. बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, 31.03.2024 को एमएसएमई पुनर्संरचित उधारकर्ताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2024 को राशि
39,526	2,326

14.12 निपटान फ्रेमवर्क 2.0-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 एवं परिपत्रांक डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22दिनांक 04.06.2021 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

ऋणधारकों की संख्या	31.03.2024 को राशि	किया गया प्रावधान
9,569	1,000.17	133.42

14.13 निपटान फ्रेमवर्क - 2.0: व्यक्तियों और लघु व्यवसाय के कोविड-19 संबंधी दबाव का निपटान" संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, ऐसे उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन अनुमोदित और क्रियान्वित किया गया और ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैं: -

14.9 Bank has estimated an additional liability on account of revision in family pension for employees as per IBA Joint Note dated November 11, 2020, amounting to ₹ 1454.41 crores. RBI vide their Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year 2021-22, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Bank has opted the said provision of RBI and accordingly charged an amount of ₹ 290.88 crores to the Profit & Loss account for the year ended March 31, 2024 and the balance unamortized expense of ₹ 581.77 crores has been carried forward. Had the Bank charged the remaining additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit for the year ended March 31, 2024 would have been lower by ₹ 435.34 crores (net of taxes).

14.10 Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro, Small & Medium Enterprises.

14.11 In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring), the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2024 is as under:

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Amount as on 31.03.2024
39,526	2,326

14.12 In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹ Cr)

No of Borrowers	Amount as on 31.03.2024	Provision Held
9,569	1,000.17	133.42

14.13 In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 related stress of Individuals and Small Business", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	31.03.2024 को समग्र एक्सपोजर
4,662	422

14.14 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ Cr)

क्र.सं. Sr. No.	श्रेणी Category	वित्त वर्ष 2023-24 FY 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23 FY 2022-23	
		खरीद Purchase	बिक्री Sale	खरीद Purchase	बिक्री Sale
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम PSLC Micro Enterprises	-	-	-	-
2.	पीएसएलसी कृषि / PSLC Agriculture	-	-	-	-
3.	पीएसएलसी सामान्य / PSLC General	-	-	-	-
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान PSLC Small and Marginal Farmers	-	-	-	1,000.00
5.	एमएसएमई / MSME	-	-	-	-
	कुल Total	**-**	**-**	**-**	**1,000.00**

14.15 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र से आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.92/21.04.048 /2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार बैंक ने चार तिमाहियों की अवधि में धोखाधड़ी के लिए देयता प्रदान करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक अग्रिमों के अलावा अन्य के लिए कैरी फॉरवर्ड प्रावधान शून्य है (31 मार्च, 2023 तक ₹13.59 करोड़)।

14.16 उधारकर्ता समूहों में से एक के प्रशासक (वर्तमान में परिसमापन के अधीन) ने इंग्लैंड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स की अदालतों में उधारकर्ता कंपनियों के प्रमोटरों और बैंक के खिलाफ दावे दायर किए हैं। बैंक के खिलाफ दावे में वर्ष 2012 और 2020 के बीच समूह की कंपनियों के लेनदारों को धोखा देने के लिए प्रमोटरों के साथ साजिश में शामिल होने के आरोपों पर आधारित हैं।

इस स्तर पर, दावे के सापेक्ष पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है जिसके आधार पर बैंक दावों की पात्रता का उचित मूल्यांकन और बैंक के खिलाफ उचित रूप से दावा की जा सकने वाली मात्रा का आकलन कर सके, भले ही आरोप का विस्तृत विवरण दिया गया है और इसके बाद सुनवाई के दौरान साबित हुआ हो।

बैंक ने कार्यवाही में अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। बैंक अपने खिलाफ सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जिसमें कथित लेनदेन के बारे में कोई जानकारी होने या मिलीभगत भी शामिल है। तदनुसार, इस स्तर पर बैंक के खिलाफ दावे के स्पष्ट होने की कम संभावना होने के कारण, बैंक ने इस दावे के सापेक्ष न तो कोई प्रावधान किया है और न ही इसे आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया है।

14.17 चालू वर्ष की पुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

(Amount in ₹ Cr)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2024
4,662	422

14.14. Priority Sector Lending Certificate (PSLCs)

14.15 As per the Reserve Bank of India (RBI) circular no. RBI/2015-16/376 DBR No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 the Bank had opted to provide the liability for frauds over a period of four quarters. Accordingly, the carry forward provision for other than advances as on March 31, 2024 is NIL (Rs.13.59 Cr as on March 31, 2023).

14.16 The Administrator of one of the Borrower Groups (currently under liquidation) has filed claims against the promoters of the borrower Companies and the Bank in the courts of England and Abu Dhabi Global Markets. The claims against the Bank are based on allegations of the Bank being involved in a conspiracy with the promoters to defraud the creditors of the group companies between 2012 and 2020.

At this stage, the claims are not sufficiently particularised to enable the Bank to reasonably assess the merits of the claims and also to assess the quantum that could reasonably be claimed against the Bank, even if the allegations are particularised and then established on trial.

The Bank has filed a robust defence in the proceedings. The Bank categorically denies all the allegations against it, including any knowledge of or collusion in the alleged transactions. Accordingly, due to the remote possibility of the claim against the bank, crystallizing at this stage, the Bank has neither made any provision on this claim nor disclosed it as contingent liability

14.17 Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023
ए.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A.	Cash flow from operating activities:		
	कर पूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**26,15,709**	**20,78,187**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on fixed assets	1,69,353	2,03,186
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)		Depreciation on investments (including on Matured debentures)	(2,831)	1,70,310
	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान		Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	6,86,592	4,55,080
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(67,101)	54,695
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)		Provision for Other items (Net)	5,57,687	2,82,595
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) हानि (निवल)		(Profit)/loss on sale of fixed assets (Net)	(631)	(1,433)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	1,91,013	1,93,520
	उप योग		**Sub total**	**41,49,791**	**34,36,140**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		Adjustments for:		
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in investments	(9,21,426)	(51,29,323)
	अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in advances	(1,32,19,748)	(1,70,92,169)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(Increase)/Decrease in other assets	4,10,202	1,18,396
	उधार-राशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease)in borrowings	(16,00,160)	70,835
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in deposits	1,17,11,984	1,58,87,756
	अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)		Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	(3,27,691)	11,34,796
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)		Direct taxes paid (Net of Refund)	(8,30,348)	(5,61,796)
	परिचालन गतिविधियों (ए) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash from operating activities (A)**	**(6,27,396)**	**(21,35,365)**

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

				31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023
बी.	**निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	B.	**Cash flow from investing activities:**		
	अचल आस्तियों की खरीद/ अंतरण		Purchase/Transfer in of fixed assets	(1,35,546)	(98,296)
	अचल आस्तियों में से बिक्री/ अंतरण		Sale/ Transfer out of fixed assets	47,667	19,670
	व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)		Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	(40,651)	(31,000)
	निवेश संबंधी गतिविधियों (बी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash used in investing activities (B)**	**(1,28,530)**	**(1,09,626)**
सी.	**वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	C.	**Cash flow from financing activities:**		
	गैर-जमानती गौण बॉन्ड		Unsecured Subordinated Bonds	10,05,055	(2,32,430)
	प्रदत्त लाभांश		Dividend paid	(2,84,425)	(1,46,570)
	बॉन्ड पर ब्याज हेतु भुगतान/ प्रावधान		Payment/provision for interest on bonds	(1,75,390)	(1,85,210)
	माइनोरिटी ब्याज में वृद्धि/(कमी)		Increase/(Decrease) in Minority Interest	2,332	23,680
	वित्तपोषण गतिविधियों (सी) (में प्रयुक्त)/ से निवल नकदी प्रवाह		**Net cash from financing activities (C)**	**5,47,572**	**(5,40,530)**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य (ए)+(बी)+(सी) में निवल वृद्धि		**Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)**	**(2,08,354)**	**(27,85,521)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the beginning of the year**	**1,02,37,339**	**1,30,22,860**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and cash equivalents as at the end of the period**	**1,00,28,985**	**1,02,37,339**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक के पास एवं एटीएम में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि शामिल है.		Cash & Cash equivalents includes Cash in Hand & ATM, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
	नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक		**Components of Cash & Cash Equivalents**	**31 मार्च, 2024 को As on 31st March 2024**	31 मार्च, 2023 को As on 31st March 2023
1)	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष राशि	1)	Cash & Balance with RBI	56,72,032	56,69,621
2)	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	2)	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	43,56,953	45,67,718
	कुल		**Total**	**1,00,28,985**	**1,02,37,339**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (''मूल संस्था''/''बैंक'') और इसकी अनुषंगियों (मूल संस्था और इसकी अनुषंगियां मिलकर "समूह" के रूप में संदर्भित), इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2024 का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों (इसके बाद "**समेकित वित्तीय विवरण**" के रूप में संदर्भित) संबंधी नोट का समावेश है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

ए) बैंक की लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी;

बी) 7 घरेलू अनुषंगियों, 5 विदेशी अनुषंगियों, 1 घरेलू संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और

सी) 1 घरेलू अनुषंगी, 2 विदेशी अनुषंगियों, 1 विदेशी संयुक्त उद्यम, 3 घरेलू सहयोगी और 1 विदेशी सहयोगी की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी ।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों, अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और अनुषंगियों एवं सहयोगियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों एवं निदेशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं और ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) 31 मार्च, 2024 तक समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित समेकित तुलन पत्र के मामले में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण;

बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों का वास्तविक लाभ; और

सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण ।

राय हेतु आधार

2. **हमने** अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार की है। उन लेखा परीक्षा मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "नैतिक आचरण संहिता" के अनुसार समूह और इनकी सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक होने के साथ-साथ लागू लेखा मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करते हैं:

अनुसूची 19 की नोट सं. 14.9 जो ₹1454.41 करोड़ की पारिवारिक पेंशन की राशि में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन से संबंधित है। बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹290.88 करोड़ की राशि प्रभारित की है और ₹581.77 करोड़ के अपरिशोधित व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्तूबर, 2021 के अनुसार शामिल किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

4. **लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे**

हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे वे मुद्दे हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण रहे। इन मुद्दों को समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में और इस पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मुद्दों में अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को संबंधित संघटक लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के साथ-साथ प्रिंसिपल लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दों के रूप में निर्धारित किया है, जो हमारी राय में महत्त्वपूर्ण हैं ।

(i) **अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की गणना, गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करना (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)**

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक का निवल अग्रिम कुल आस्तियों का 65.81% है जो वित्तीय विवरणों का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। ये अन्य बातों के साथ-साथ आय की गणना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी मानदंडों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों और निदेशों द्वारा शासित होते हैं, जो विदेशी कार्यालयों को छोड़कर, निष्पादक अग्रिमों और गैर-निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) के वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विदेशों में अग्रिमों का वर्गीकरण और इनके लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो भी अधिक सख्त हों, के अनुसार किया जाता है। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लागू लेखांकन नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों के आधार पर करता है। निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों की पहचान में उचित पद्धति स्थापित करना शामिल है। बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) अर्थात् कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का रख-रखाव करता है जो इस बात की भी पहचान करता हैं कि अग्रिम निष्पादक है या गैर-निष्पादक। भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के अलावा बैंक के पास अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान करने के लिए भी कुछ नीतियां हैं। व्यक्तिगत या समेकित रूप से आईआरएसीपी मानदंडों का उचित रूप से अनुपालन न किए जाने पर इन अग्रिमों के वहन मूल्य (प्रावधानों का निवल) की अधिक गलत बयानी हो सकती है। साथ ही, बैंक ऐसे एक्सपोजर से संबंधित प्रावधान करता है जो कुछ सेक्टरों के लिए अग्रिमों और निर्धारित अग्रिमों या समूह अग्रिमों सहित एनपीए के रूप में निर्धारित नहीं की जाती हैं । लेन-देन के स्वरूप, विनियामक अपेक्षाओं, मौजूदा व्यावसायिक परिवेश, प्रतिभूतियों के आकलन में शामिल अनुमान/ निर्णय और प्रावधानों की गणना पर विचार करते हुए यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है । इसके अलावा, आहरण शक्ति की गणना, प्रतिभूति मूल्यांकन के लिए थर्ड पार्टी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों की गणना, पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए मूल्य में कमी की गणना और गैर-निष्पादक अग्रिमों सहित ब्याज आय के निर्धारण के लिए उधारकर्ताओं और अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के कारण हमने उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।	हमने अनर्जक आस्तियों की पहचान करने और इनके लिए प्रावधान करने हेतु बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल परीक्षण निम्नानुसार शामिल थे: ए) हमने अनर्जक आस्तियों के निर्धारण, मूल प्रक्रिया के स्वरूप, समय और सीमा के निर्धारण संबंधी प्रावधान से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और इससे संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन में सम्मिलित प्रणाली में स्थापित नियंत्रणों, जांच बिन्दु और बैलेंस के बारे में बैंक से जानकारी हासिल की और तदनुसार अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाई । बी) हमने हमें आबंटित शीर्ष 20 शाखाओं के संबंध में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आय की पहचान, निष्पादक और गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्गीकरण और प्रावधान करने के लिए सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता की जांच की है। हमें आबंटित शाखाओं में मूल प्रक्रिया करने के दौरान हमने बड़े अग्रिमों/ दबावग्रस्त अग्रिमों की जांच की है और बैंक प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा सहित अन्य अग्रिमों की जांच नमूना आधार पर की गई है। सी) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा जैसे निगरानी तंत्र की मौजूदगी और प्रभावशीलता की जांच की गई। डी) शाखाओं से प्राप्त विवरणियों जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है, को आधार बनाया गया है और इस संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए नमूना डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आंतरिक निगरानी तंत्र/ प्रणाली की समीक्षा की गई और अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान पाए गए उन अपवादों/ विचलनों/ त्रुटियों जिन पर बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से विचार किया गया था, को सुनिश्चित किया गया। ई) समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण और आय के सापेक्ष रिवर्सल की जांच की गई। एफ) एनपीए की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा क्रियान्वित आस्ति वर्गीकरण की स्वचालित आईटी आधारित प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। एच) हमने बैंक द्वारा चयनित अन्य घरेलू और विदेशी शाखाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य को भी आधार बनाया है। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधार करना सुनिश्चित किया गया।

(ii) **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आर्किटेक्चर और सिस्टम नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण**

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक के वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियों की जटिलता को देखते हुए बैंक अपने आईटी सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक का आईटी आर्किटेक्चर बैंक के दैनिक व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करता है। बैंक के आकार को देखते हुए, बड़ी संख्या में हो रहे लेनदेनों को कई ऐप्लिकेशनों के माध्यम से प्रोसेस और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आईटी सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा बैंक के परिचालन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: ऐप्लिकेशनों द्वारा डेटा को अपेक्षित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है और सभी परिवर्तन उचित स्वरूप में किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर में उपयुक्त नियंत्रण आवश्यक है। आईटी आर्किटेक्चर की जटिलता, उच्च स्तरीय स्वचालन, आईटी सिस्टम के सतत और महत्त्वपूर्ण उपयोग को देखते हुए, इस प्रकार के अंतर्निहित जोखिम हो सकते हैं कि स्वचालित लेखांकन के तौर-तरीके, प्रक्रियाएं और संबंधित आंतरिक नियंत्रण इसकी परिचालन प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से तैयार न किए गए हों और इसका प्रभाव इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पड़ रहा हो। अत: आईटी सिस्टम नियंत्रण को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमने बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे आईटी सिस्टम और कार्यरत ऐप्लिकेशनों को समझा। इस उद्देश्य से, हमने बैंक के आईटी नियंत्रण प्रणाली के तहत निर्धारित नीति / प्रक्रिया / तौर-तरीकों के बारे में प्रोसैस ओनर्स के साथ लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक विषयों पर चर्चा की और प्रमुख ऐप्लिकेशनों में मानवीय हस्तक्षेप और तकनीक के कारण उत्पन्न जोखिमों से पार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा की। लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण शामिल रहे हैं (जांच परीक्षण के आधार पर): ए) सिस्टम से जनरेट किए गए रिपोर्टों के आधार पर आईटी सिस्टम की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना; बी) वित्तीय रिपोर्टिंग की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐप्लिकेशन, नियंत्रण के एक्सेस सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना; सी) सिस्टम से प्राप्त परिणामों को सूचना के अन्य स्रोतों से सत्यापित करना; और डी) डेटा एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की टेस्टिंग करना। हमने शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों, बाह्य वेंडरों की निरीक्षण रिपोर्ट, बैंक के आईटी सिस्टम पर स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पर भी भरोसा जताया।

(iii) **निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनसूची 18 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8)**

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
इस निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं । निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 24.60% है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इन निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों की पहचान, आय की तदनुरूपी अमान्यता और इसके प्रति प्रावधान शामिल हैं। गैर-उद्धृत निवेशों और कमजोर कारोबार वाले निवेश का मूल्यांकन बाजार में उतार-चढ़ाव, बेहतर कीमतों की अनुपलब्धता और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के कारण अंतर्निहित जोखिम का क्षेत्र है।	भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के परिपत्रों/ निदेशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा संबंधी दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ट्रेजरी की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निम्नलिखित पर केंद्रित है - ए) हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है।

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईबीआईएल दरें, बीएसई/ एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना का संग्रहण शामिल है। मूल्यांकन, लेनदेनों की मात्रा, धारित निवेश और विनियामक फोकस की गंभीरता में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मुद्दे के रूप में निर्धारित किया गया है।	बी) धारित निवेश के चयनित नमूने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः कार्यनिष्पादन कर मूल्यांकन संबंधी निदेशों के साथ इनकी सटीकता और अनुपालन की जांच की है। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेश की सभी श्रेणियां (प्रतिभूति के स्वरूप के आधार पर) नमूनों में शामिल हैं; सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अथवा अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर गैर-उद्धृत निवेशों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन परीक्षण किया गया है। डी) हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया और आय के सापेक्ष रिवर्सल एवं प्रावधानों के सृजन का आकलन और मूल्यांकन किया है; हमने स्वतंत्र रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यह्रास की फिर से गणना करने के लिए महत्तवपूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई संबंधी परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूनों को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार बनाए रखने के प्रावधानों की पुन: गणना की है;

(iv) **कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 15 के साथ पठित अनुसूची 12):**

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
बैंक ने उक्त संबंध में दायर दावों पर प्रश्न उठाए हैं जिनमें कर और गैर-कर मामलों में विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले शामिल हैं जो विभिन्न न्यायालयों में/ मंचों पर लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। प्रबंधन ने ऐसे मामलों में संभावित आउट फ्लो का मूल्यांकन करने में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है । प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और विधिक तथा स्वतंत्र कर सलाहकारों के परामर्श, जहाँ भी आवश्यक हो, से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं । हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के अनुपालन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय-वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण करने और संबद्ध निर्णय/ विधिक व्याख्या पर केंद्रित थी।	ए) हमने डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है और कर संबंधी मुकदमे के मामलों के संदर्भ में प्रबंधन के नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच की है। बी) हमने विवादों के संभावित आउट फ्लो और संभावित निष्कर्षों के अनुमान के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित धारणा की समीक्षा की है। इन अनिश्चित कर/ कर से इतर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विधिक अधिमानों और अन्य नियमों पर विचार किया गया है। सी) इसके अलावा, संभावित आउट फ्लो के लिए प्रबंधन के निर्णयों, औद्योगिक स्तर की विवेचना और अनुमानों तथा ऐसी विवादित कर स्थितियों के संबंध में कंपनी के आंतरिक विशेषज्ञों के मतों को हमने आधार बनाया है। डी) बैंक/ अन्य कॉर्पोरेट के ऐसे समान मामलों में जहां कहीं भी विधिक निर्णय उपलब्ध थे उन्हें समीक्षित और सत्यापित किया गया है। ई) कर से इतर महत्त्वपूर्ण विवादित मामलों के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए चयनित मुख्य संप्रेषणों, आंतरिक/बाह्य विधिक मतों/ परामर्शों को पढ़ा और विश्लेषित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया	लेखापरीक्षा में मुद्दे के समाधान संबंधी दृष्टिकोण
	एफ) उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन से चर्चा की और प्रावधानों के अनुमान में प्रबंधन के अंतर्निहित मुख्य धारणाओं का मूल्यांकन किया है । जी) कर से इतर विवादित मामलों में संभावित निष्कर्ष के प्रबंधन के अनुमान का आकलन किया है और ऐसे मामलों में प्रबंधन के निर्णय को आधार बनाया है। एच) सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखापरीक्षा के आधार पर पारित सुधार प्रविष्टियां / प्रधान कार्यालय में उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी पर निर्भरता ।

5. अन्य मामले

ए) हमने 12 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹68337.61 करोड़ की कुल आस्ति, ₹14980.24 करोड़ के कुल राजस्व और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹889.74 करोड़ का निवल नकदी आउटफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

विदेशी अनुषंगियों के मामले में, वित्तीय सूचना उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और उनके संबंधित देशों में लागू सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गई है। कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी अनुषंगियों की वित्तीय सूचना को उनके संबंधित देशों में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामन्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में रूपांतरित किया है और इन रूपांतरण समायोजनों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगियों के बकाया शेष का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रूपांतरण समायोजन पर आधारित है।

बी) हमने 3 अनुषंगियों और 01 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ₹8937.89 करोड़ की कुल आस्ति, ₹943.47 करोड़ के कुल राजस्व और दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1657.44 करोड़ के निवल नकदी आउटफ्लो को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का ₹459.23 करोड़ के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि 4 सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये समेकित वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है। हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना समूह के लिए प्रासंगिक नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

सी) इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी के मामले में लेखा परीक्षकों ने दिनांक 26 अप्रैल, 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित निष्कर्ष दिया है और अन्य मामले खंड में रिपोर्ट किया है कि मौजूदा चालू जीवन बीमा पॉलिसी और पॉलिसी जहां प्रीमियम बंद कर दिया गया है, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन की देयताएं कंपनी के नियुक्त एक्चुअरी ("अपॉइंटेड एक्चुअरी") की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए इन देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों पर देनदारी मौजूद है, नियुक्त एक्चुअरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि मौजूदा जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल है, पर हमारी राय बनाई जा सके।

डी) 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा संयुक्त केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म हैं और उन्होंने 16 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य जानकारियां

6. बैंक का निदेशक मण्डल अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है) शामिल है, जो हमें लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयरधारकों की जानकारी जारी होने के समय प्राप्त होती है तथा जिसे इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसेल III के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त निर्धारित अन्य जानकारी का अध्ययन करना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी वस्तुत: असंगत है या हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के समय या अन्यथा प्राप्त जानकारी वस्तुतः गलत प्रतीत होती है।

यदि अन्य जानकारी जो कि लेखा परीक्षा की तारीख से पहले प्राप्त हो चुकी थी और हमारे द्वारा उस पर निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य जानकारियों में वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां शामिल हैं, तो हमें तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय सूचक और शेयर धारकों की जानकारी को पढ़ते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ अशुद्धियां हैं, तो हमें इस मामले को उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता होती है जिन्हें गवर्नेंस का प्रभार दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों की जवाबदेही

7. बैंक का निदेशक मण्डल, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों सहित विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के कैश फ्लो का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सम्मिलित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य विसंगतियों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डो के साथ-साथ उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनके उपयोग, निर्णय लेने और यह अनुमान लगाने कि ये व्यावहारिक और विवेकपूर्ण हो तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की त्रुटिहीनता और पूर्णता के लिए प्रभावी रूप से परिचालित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी समाहित है, जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, जिसे उपरोक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया है, के लिए जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थान के संबंधित निदेशक मण्डल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जबतक कि प्रबंधन का इरादा समूह के संस्थान को लिक्विडेट करने या परिचालन समाप्त करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में शामिल संस्थानों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का निगरानी करने के लिए भी जवाबदेह हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

8. हमारा उद्देश्य यह भरोसा दिलाना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित भरोसा एक उच्च स्तर का भरोसा होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए। धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्त्वपूर्ण तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की डिजाइन और कार्यनिष्पादन तथा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, जानबूझकर छोड़ी गयी त्रुटियाँ, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार भी करते हैं ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की सटीकता और लेखांकन अनुमानों एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य का निपटान और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाने का काम भी करते हैं कि क्या घटनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिनमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके। यदि हम निष्कर्ष निकालें कि भौतिक अनिश्चितता की संभावना है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है अथवा क्या इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के संस्थान के कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को बंद करने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि समेकित वित्तीय विवरणों में बुनियादी लेनदेन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति की जा सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह, उसकी सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यवसाय की गतिविधियों की वित्तीय सूचना पर पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थानों के लिए, जिन्हें अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा जांचा गया है, उनकी दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए वैसे अन्य लेखा परीक्षक ही जवाबदेह होंगे। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी हैं।

वस्तुनिष्ठता, समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का वह प्रभाव है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से यह संभावित करता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत जानकार यूजर के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किन्हीं भी निर्धारित मिथ्या कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध विस्तार एवं उसके समय का निर्धारण जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोई कमियों सहित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो, जिसकी लेखापरीक्षा के दौरान हमने पहचान की है, के संबंध में बैंक के गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं और इनके साथ हमारी स्वतंत्रता और जहां भी लागू हो, सावधानियों से संबंधित विषयों और अन्य मामलों, जो तार्किक रूप से विचार में लाये जा सकते हैं, का अनुपालन किया है।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं और जो महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित के प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. बैंक का समेकित तुलनपत्र एवं समेकित लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैरा 5, 7 से 8 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अधीन तथा उसमें निहित अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हमारी लेखापरीक्षा और अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित तथा अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी, जिसे "अन्य मामले" पैराग्राफ में नोट किया गया है, के यथालागू अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;

ए) हमने सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं को अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में प्राप्त किया है जो कि हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारी जानकारी में आए बैंक के संव्यवहार बैंक की शक्तियों के तहत हैं, और

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में बैंक के पास कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखाबहियां हैं और उन बहियों की हमारी जांच से यह पता चलता है कि उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त हैं;

बी) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन एवं बहियों तथा उन शाखाओं जिनका दौरा हमने नहीं किया है, से प्राप्त की गई रिटर्न के अनुसार हैं ;

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा हमें लेखापरीक्षित शाखा कार्यालय के लेखांकन पर रिपोर्ट भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने उसका उचित अध्ययन किया है; और

डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह के विवरणों का लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अनुपालन किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - 2019-20 से एससीए के रिपोर्टिंग दायित्व" भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तदुपरान्त जारी 19 मई 2020 के पत्र के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की अपेक्षा अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

ए) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं;

बी) वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसे कोई अवलोकन या टिप्पणियां नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सी) जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

भारत में गठित सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अनुषंगियां, सहायक एवं संयुक्त उद्यम के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी, सहायक एवं संयुक्त उद्यमों के कोई भी निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं, 31 मार्च 2024 तक के अनुसार अयोग्य नहीं है।

डी) खातों के रखरखाव और उनसे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ई) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश" के पैरा 1.14 के अनुसार आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109574W

(डी. वी. बल्लाल)
साझेदार
एम. नं. : 013107
यूडीआईएन: 24013107BKDEYF4188

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105049W

(ऋषिकेश जोशी)
साझेदार
एम. नं. : 138738
यूडीआईएन: 24138738BKEXOA7167

कृते एस. वेंकटराम एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004656S/S200095

(एस सुंदररमन)
साझेदार
एम. नं. : 201028
यूडीआईएन: 24201028BKCTPR2199

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 101048W

(रमण हंगेकर)
साझेदार
एम. नं. : 030615
यूडीआईएन: 24030615BKCJCQ7102

कृते वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109208W

(जी शंकर)
साझेदार
एम. नं. : 46050
यूडीआईएन: 24046050BKCLLL5843

दिनांक: 10 मई, 2024
स्थान: मुंबई

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Bank of Baroda
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Bank of Baroda** ("the Parent"/ "the Bank") and its subsidiaries (the Parent and its subsidiaries together referred to as "the Group"), its associates and joint ventures, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "**the Consolidated financial statements**") which includes:

a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

b) Audited Financial Statements of 7 domestic Subsidiaries, 5 Foreign Subsidiaries, 1 domestic Joint Ventures and

c) Unaudited financial statements/financial information of 1 Domestic Subsidiary, 2 Foreign Subsidiaries, 1 Foreign Joint Venture, 3 Domestic Associate and 1 Foreign Associate.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates, the unaudited financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its joint ventures and associates and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2024;

b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its associates & joint ventures in accordance with the "Code of Ethics" issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standard, and provisions of section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time , and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We invite attention to following:

   Note No. 14.9 of Schedule 19 regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 1454.41 Crores. The Bank has charged an amount of ₹ 290.88 Crores to the Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2024 and the balance unamortized expense of ₹ 581.77 Crores has been carried forward in terms of RBI Circular no. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

4. **Key Audit Matters**

   Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report with reference to the Key Audit Matters identified by the Principal Auditors along with the Key Audit Matters reported by the respective component auditors which, in our opinion, are material.

(i) **Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances (Refer Schedule 9 read with Note 4 of Schedule 18 to the financial statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The net advances of the Bank constitute 65.81 percent of the total assets, which is the significant part of the financial statements. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRACP) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA) except in case of foreign offices in which case the classification of advances and provisioning thereof is made as per local regulations or RBI guidelines, whichever is more stringent. The Bank classifies these Advances based on IRACP norms as per its accounting policy followed. Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Besides following the prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning relating to Advances issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), the Bank also has certain policies for provisioning on non-performing assets. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRACP norms are not properly followed. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPA including advances to certain sectors and identified advances or group advances. Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities and calculation of provisions, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone Financial Statements. Further due to reliance placed on data submitted by the borrowers & lead bank for Drawing Power calculations, third party for security valuation, computation of provisions as per various guidelines issued by the RBI, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income including in non-performing advances, we determined the above area as a Key Audit Matter.	We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing including the following: a) We had obtained understanding from the Bank about the controls built in the system, checks and balances incorporated with respect to adherence to the RBI guidelines and related Bank's Policies for identification of non-performing assets, provisioning to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and had accordingly planned our audit procedures. b) The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non performing Advances and provisioning in accordance with the IRACP norms in respect of the top 20 branches allotted to us. In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined large advances/ stressed advances while other advances have been examined on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management. c) Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. d) Relied on the returns received from the branches not subject to audit and in that regard reviewed the internal monitoring mechanisms/systems of the Bank to satisfy the correctness of the sample data made available to us and ensured exceptions/deviations/errors noticed during our audit procedures were adequately considered by the Bank. e) Test checked the identification and provisioning of non-performing assets and corresponding reversal of income, in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. f) Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. g) Evaluated the effectiveness of automated IT based system of asset classification implemented by the Bank in accordance with the directives of RBI. h) We have also relied on the work done by the branch auditors for other domestic and foreign branches selected by the Bank. Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

(ii) **Information Technology (IT) architecture and system controls impacting financial Reporting:**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank's financial accounting and reporting systems given its complexity are highly dependent on the Bank's IT systems. The Bank's IT architecture supports the Bank's day-to-day business operations. Given the size of the Bank, enormous volume of transactions are being processed and recorded on multiple applications. The reliability and security of IT systems plays a very important role in the operations of the Bank. Hence controls in the system architecture are required to ensure that the applications process the data as expected and that changes are made in an appropriate manner. Given the complexity of the IT architecture, high level automation, simultaneous and significant use of IT systems, there is an inherent risk that automated accounting procedures, processes and related internal controls may not be accurately designed to ensure its operative effectiveness and its impact on the financial reporting. Hence IT system controls has been considered as a Key Audit Matter.	We obtained an understanding of IT systems used by the Bank and the applications implemented. For this purpose, we had discussions with the process owners on the defined policy/ process/procedures of the Bank's IT control environment that is relevant to the audit and reviewed the processes followed with regard to the major applications to understand the financial risks posed by people-process and technology. Our audit procedures to obtain audit evidence included (on a test check basis): a) verifying, testing and reviewing the operating effectiveness of the IT system on the basis of reports, generated from the system; b) review of the operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting; c) verifying the results obtained from the systems with the other information sources; and d) testing of logic used for extracting the data. We also placed reliance on the work performed by the statutory branch auditors, external vendor inspection reports, specialised audits undertaken by independent experts on the Bank's IT systems.

(iii) **Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 18 to the financial Statements)**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. Investments constitute 24.60 per cent of the Bank's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of unquoted investments and thinly traded investments is an area of inherent risk because of market volatility, unavailability of reliable prices and macroeconomic uncertainty. Valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments are critical functions. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIBIL rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. Our audit procedures with respect to audit of Treasury, focused on - a) We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments. b) For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample. c) Independently test-checked valuation of unquoted investments, based on the financial statements for the year ended March 31, 2024 or on the basis of other prescribed procedures in terms of the RBI guidelines.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Considering the complexities and extent of judgment involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, we determined the above area as a Key Audit Matter.	d) We assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.

(iv) **Assessment of Provisions and Contingent liabilities including in respect of certain litigations, various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Schedule 12 read with Note 15 of Schedule 18 to the financial statements):**

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
The Bank has disputed claims against it including matters pending at various levels in Tax and non-tax matters which are pending at various courts/forums and are at various stages in the judicial process. The management has exercised significant judgement in assessing the possible outflow of resources in such matters. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advice from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments/ interpretation of law involved.	a) We have evaluated the appropriateness of the design and tested the operating effectiveness of the management's controls over the tax litigation matters. b) We reviewed the management's underlying assumptions in estimating the possible outflow and the possible outcome of the disputes. The legal precedence and other rulings were considered in evaluating management's position on these uncertain tax /non tax positions. c) Further we have relied upon the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts of the Bank in relations to such disputed tax positions. d) Reviewed and verified other legal pronouncements wherever available in similar matters in the case of the Bank/other corporate. e) Read and analysed select key correspondences, internal/ external legal opinions / consultations by management for key disputed non tax matters. f) Discussed with appropriate senior management and evaluated management's underlying key assumptions in estimating the provisions. g) Assessed management's estimate of the possible outcome of the disputed non tax cases and relied on the management judgments in such cases. h) Reliance on the work performed by the statutory branch auditors and the rectification entries passed based on branch audits/additional information to the extent available at Head office.

5. **Other Matters**

a) We did not audit the Financial Statements/information of 12 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 68337.61 Crores as at 31st March, 2024, total revenue of ₹ 14980.24 Crores, and net cash inflow of ₹ 889.74 Crores for the year ended on 31st March, 2024, as considered in the consolidated Financial Statements.. These financial statements /financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint ventures and associates is based solely on the report of such auditors.

In the case of foreign subsidiaries, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in their respective countries and has been audited by the other auditors under generally accepted Auditing standards as applicable in their respective countries. The Company's management has converted the financial information of such subsidiaries from accounting principles generally accepted in their respective countries to accounting principles generally accepted in India and these conversion adjustments have been audited by the other auditors. Our opinion in so far as it relates to the balances of such subsidiaries located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Company and audited by the other auditors.

b) We did not audit the Financial Statements/ financial information of 3 subsidiaries and 1 joint venture whose Financial Statements/ financial information reflect total assets of ₹ 8937.89 Crores as at 31st March, 2024, total revenue of ₹ 943.47 Crores and net cash outflows of ₹ 1657.44 Crores for the year ended on 31st March, 2024, as considered in the consolidated Financial Statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net Profit of ₹ 459.23 crores for the year ended 31st March, 2024, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 4 associates whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements/ financial information are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, associates and joint ventures is based solely on such unaudited Financial Statements/financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these Financial Statements/ Financial information are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

c) In the case of India First Life Insurance Company Ltd., a subsidiary company, the auditors have vide their Audit report dated April 26, 2024 expressed an unmodified conclusion and have reported in the 'Other Matter' section that "the actuarial valuation of liabilities for life policies in force and policies where premium is discontinued is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists on financial statements of the Company as at March 31,2024 has been duly certified by the Appointed Actuary and in her opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied on the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the Financial Statements of the Company."

d) The consolidated Financial statements of the Bank for the previous year ended March 31,2023 were audited by the joint central Statutory auditors three of whom are predecessor audit firms and have expressed unmodified opinion on such Financial statements vide their report dated May 16, 2023.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon) which we obtained at the time of issue of this auditors' report and Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after that date.

   Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated

Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flow of the Group, its associates & joint ventures in accordance with the accounting principles generally accepted in India including the applicable Accounting Standards, provision of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associates & joint ventures and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimate that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for assessing the ability of the Group and its associates and joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and its associates and joint ventures are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and its associates and joint ventures.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and joint ventures to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint ventures to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates and joint ventures to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic

decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 5, 7 and 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that;

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

12. As required by the letter no. DOS.ARG. No.6270 /08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks-Reporting obligations for SCAs from 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As per par 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For Shah Gupta & Co
Chartered Accountants
FRN: 109574W

D. V. Ballal
Partner
M. No.: 013107
UDIN: 24013107BKDEYF4188

For Khandelwal Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 105049W

Rishikesh Joshi
Partner
M. No.: 138738
UDIN:24138738BKEXOA7167

For S Venkatram & Co LLP
Chartered Accountants
FRN: 004656S/S200095

S. Sundarraman
Partner
M. No.: 201028
UDIN:24201028BKCTPR2199

For Batliboi & Purohit
Chartered Accountants
FRN: 101048W

Raman Hangekar
Partner
M. No.: 030615
UDIN:24030615BKCJCQ7102

For V Sankar Aiyar & Co
Chartered Accountants
FRN: 109208W

G.Sankar
Partner
M. No.:46050
UDIN: 24046050BKCLLL5843

Date: May 10, 2024
Place: Mumbai

अपरिवर्तित अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा
Declaration of Audit Report with Unmodified Opinion

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अपरिवर्तित अभिमत शामिल हैं।

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Accounts of the Bank for Financial Year ended 31st March, 2024 contain unmodified opinion.

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

दिनांक: 10.05.2024
Date: 10.05.2024
स्थान: मुंबई
Place: Mumbai

समेकित सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ बड़ौदा,
मुंबई

प्रिय महोदय,

विषय : 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही/ संपूर्ण वर्ष के लिए सीईओ/ सीएफओ प्रमाणीकरण- समेकित

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के साथ पठित विनियमन 17(8) के अनुपालन स्वरूप हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:

ए. हमने वर्ष 2023-24 (समेकित) हेतु समेकित वित्तीय विवरणों एवं कैश फ्लो वित्तीय विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं है।

ii. ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा-मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर-कानूनी हो अथवा बैंक की नैतिक आचरण संहिता के विरुद्ध हो।

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण स्थापित रखने और बरकरार रखने का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/ आकलन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

डी. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है।

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणी की टिप्पणियों में कर दिया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी महत्वपूर्ण मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

इयान डिसूज़ा
मुख्य वित्त अधिकारी

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 10.05.2024
स्थान: मुंबई

Consolidated CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai
Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the quarter/full year ended 31st March 2024 - Consolidated

Pursuant to Regulation 17(8) read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statements for the year 2023-24 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Ian Desouza
Chief Financial Officer

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Date : 10.05.2024
Place : Mumbai

लाभांश संवितरण नीति

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम के रूप में संदर्भित] के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण 'जिसकी गणना प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को की जाती है' के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसे सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी दिया जाएगा। इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

हमारा बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा जारी लाभांश के संबंध में दिशानिर्देशों जिनको नीति में विधिवत शामिल किया गया है, का अनुपालन करना हमसे अपेक्षित है।

उद्देश्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक में शेयर-पूंजी में उनके निवेश पर दो तरीकों से प्रतिफल अर्जित करते हैं:

(1) शेयर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यवृद्धि, एवं

(2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद प्रतिफल।

बैंक मानता है कि शेयरधारकों को अपनी चलनिधि आवश्यकताओं संबंधी पूर्ति के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है। साथ ही, लाभांश का भुगतान बैंक की भावी संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। बैंक का यह प्रयास रहता है कि अतिरिक्त नकद राशि अपने शेयरधारकों में संवितरित की जाए।

सामान्यतया, बैंक लाभजनक वर्षों में लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। कितनी राशि लाभांश के रूप में संवितरित की जाए, इसका निर्णय निम्नलिखित सहित कई तथ्यों को ध्यान में लेते हुए किया जाता है:

(ए) बैंक का वर्तमान और भविष्य का वित्तीय कार्य-निष्पादन,

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएं

(सी) बैंक की निवेश एवं विस्तार की योजना, और

(डी) उसके शेयरधारकों की अपेक्षाएं।

चूंकि बैंक वैश्विक आधार पर परिचालन कर रहा है, उसके लाभांश संबंधी निर्णय घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों और नियामक-आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

लाभांश की घोषणा हेतु पात्रता मानदंड:

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं तथा अपने निवेश के वित्तपोषण एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्रतिधारित अर्जन अनपेक्षित घटनाओं के संबंध में कुशन भी उपलब्ध कराता है। बैंक निवेश की मांग के साथ उचित नकद प्रतिफल हेतु शेयरधारकों की आवश्यकता के साथ संतुलन का प्रयास करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी.नं. बीपी. बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई, 2005 के माध्यम से सभी बैंकों के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:

1) लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से ही किया जाएगा।

2) बैंक के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

ए) पूरे किए गए दो वर्षों के लिए तथा जिस वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है उस वर्ष के लिए कम से कम 9% का पूंजी से जोखिम वेटेड आस्ति अनुपात (सीआरएआर) तथा

बैंक के लिए 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है जो 9% क विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त है। जब भी बफर 2.5% से कम होता है, तो अर्जन के विवेकाधीन संवितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर बायबैक और विवेकाधीन स्टाफ बोनस भुगतान) पर स्वत: प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर/पूंजी स्तर को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए फिर से उपयुक्त किया जा सके।

और

बी) निवल एनपीए (अनर्जक आस्तियां) 7% से कम।

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु जिस लेखांकन वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया करता है, उस वर्ष के लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध) एवं 17 (लाभांश की घोषणा से पहले निधि आरक्षित करने हेतु लाभ के हिस्से का न्यूनतम 25% अंतरण) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।[1]

---

[1] ***धारा 15 - लाभांश के भुगतान के बारे में प्रतिबंध***

[(1)] कोई भी बैंककारी कंपनी अपने शेयरों पर तब तक किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक कि उसके सभी पूंजीगत व्यय (जिनके अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-विक्रय कमीशन, ब्रोकरेज, उपगत हानियों की राशि तथा व्यय की कोई ऐसी अन्य मद जिन्हें मूर्त आस्तियां द्वारा दर्शाया नहीं गया हैं) पूरी तरह से बट्टे खाते न डाल दिए गए हों।

[(2)] उपधारा (1) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी निम्नलिखित को बट्टे खाते डाले बिना अपने शेयरों पर लाभांश दे सकेगी।

(i) अनुमोदित प्रतिभूतियों में उसके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसा मूल्यह्रास वस्तुत: पूंजीकृत नहीं किया गया है या हानि के रूप अन्यथा लेखांकन में नहीं लिया गया है;

(ii) शेयरों, डिबेंचर या बॉण्ड (अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न) में उनके निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, उस दशा में जिसमें ऐसे मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरूप कर दिया गया है;

(iii) अशोध्य ऋण, यदि कोई हों, उस दशा में, जिसमें ऐसे ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान बैंककारी कंपनी के लेखापरीक्षक के संतोष के अनुरुप कर दिया गया है।"

धारा 17 - प्रारक्षित निधि

"(1) भारत में निगमित प्रत्येक बैंककारी कंपनी एक प्रारक्षित निधि सृजित करेगी तथा धारा 29 के अधीन तैयार किए गए लाभ-हानि खाते में प्रकट किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष में से तथा लाभांश घोषित किए जाने के पूर्व न्यूनतम, ऐसे लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित करेगी।"

वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 30 अगस्त 2021 (01.04.2024 को अद्यतन) के अनुरूप लेखा मानक-26 के अनुपालन में बैंकों के तुलन पत्र में मान्य और शामिल अमूर्त आस्तियां, बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों की ओर संकेत करती हैं, जिसके अनुरूप बैंकों को तब तक किसी भी लाभांश की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि तुलन पत्र में शामिल मूर्त आस्तियों में किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी अमूर्त आस्ति को अपनी बहियों में शामिल करते हुए लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट प्राप्त करनी होगी।

वित्तीय विवरणियां - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश - 30 अगस्त 2021 (01.04.2024 को अद्यतन) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.24/21.04.018/2000-2001 दिनांक 23.09.2000 के अनुरूप पूंजी में वृद्धि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) को विनियोजन से पूर्व 'निवल लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक है।

4) वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अनुसार, बैंक को अनिवार्य विनियोजन के बाद वर्ष के लिए निवल लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) और निवेश प्रारक्षित निधि के लिए विनियोजन करना चाहिए।

5) लाभांश की घोषणा से पूर्व, बैंक को मौजूदा वर्ष के लाभ से आस्तियों की क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रावधान करने, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ अंतरण, सांविधिक प्रारक्षित निधि, निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर), निवेश प्रारक्षित निधि, विशेष प्रारक्षित निधि, पूंजी प्रारक्षित निधि और अन्य विनियोजनों हेतु पर्याप्त प्रावधान करने सहित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

6) रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया होना चाहिए।

7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी प्रकार के निदेशों या पत्रों के अध्यधीन होगी।

8) लाभांश की घोषणा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु "त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021 द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अध्यधीन है।

9) लाभांश केवल प्रति शेयर के आधार पर घोषित किया जाना चाहिए।

10) इस नीति और मौजूदा विनियम के बीच अंतर की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे।

देय लाभांश का हिस्सा:

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देश:

ए1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश:

(ए) लाभांश भुगतान का अनुपात (अर्थात् कर पश्चात लाभ के सापेक्ष लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।

निवल एनपीए अनुपात						
श्रेणी	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम तक	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा					
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के सापेक्ष 'वर्ष के दौरान देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

(बी) यदि संबंधित अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल हो, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

(सी) वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियां जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी ऐसी योग्यता से मुक्त होनी चाहिए जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। उस प्रभाव के लिए किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

ए2. भारत सरकार के दिशानिर्देश:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18 जनवरी 2013 के माध्यम से सूचित किया है कि बैंक प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 20% अथवा निवल लाभ का 20% (जो भी अधिम हो) लाभांश के रुप में भुगतान करेगा।

यदि बैंक अंतरिम लाभांश भुगतान का निर्णय लेता है, बैंक द्वारा वार्षिक परिणामों के आधार पर कुल लाभांश का भुगतान उपर्युक्त दिशानिदेशों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा इन प्रावधानों में किसी भी छूट के मामले में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 04 जून 2021 के अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा, तदनुरुप विशेष पूर्वानुमति की आवश्यकता तभी होगी जब भुगतान दिशानिर्देशों और नियामक दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत अपेक्षित से कम लाभांश के भुगतान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

बी. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा।

सी. आंतरिक और बाह्य कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाह्य कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, सांविधिक और विनियामक प्रावधानों, कर विनियम पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं। उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, निदेशक मण्डल विभिन्न आंतरिक कारकों जैसे कि व्यवसाय विकास संबंधी योजनाओं, भावी पूंजीगत आवश्यकताओं, पूंजीगत आस्तियों के प्रतिस्थापन, प्रदत्त अंतरिम लाभांश, लेखा विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षक की समझ और एनपीए खातों के निर्धारण में विचलन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण संबंधी निष्कर्षों और प्रावधानीकरण में कमी आदि को भी ध्यान में रखेगा। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मण्डल को लाभांश के भुगतान हेतु सिफारिश करेंगे। लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में निदेशक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

ऐसी परिस्थितियां जिसमें शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं।

लाभांश का वितरण निम्नलिखित यथा लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

i) समीक्षाधीन वर्ष में लाभ

ii) सीआरएआर>=11.50% (सीईटी 1>=5.50% सहित) (न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात + पूंजी संरक्षण बफर [9%+2.50%=11.50%] आरबीआई/2022-23/12डीओआर.सीएपी.आरईसी 3/21-06-201/2022-23, दिनांक 1 अप्रैल, 2022) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार

iii) निवल एनपीए 7% से कम (आरबीआई पेआऊट मैट्रिक्स के अनुसार श्रेणी D के लिए 5 %)

iv) बासेल III अनुपालन

v) टियर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात> 3.50%

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

प्रतिधारित अर्जन का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणी के शेयरों हेतु लाभांश

वर्तमान में बैंक के पास शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है अर्थात इक्विटी शेयर। विभिन्न श्रेणी के शेयरों के अभाव में लाभांश की घोषणा/ वितरण हेतु मापदंडों का एकल सेट निर्धारित किया गया है।

लाभांश भुगतान का माध्यम:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करेगा।

जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे। यदि लाभांश के रूप में देय राशि एक हजार पांच सौ रुपये से अधिक है, तो 'सममूल्य पर देय' वारंट या चेक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।

कॉर्पोरेट लेखा विभाग के समन्वय में कंपनी सचिव विभाग, लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

वैधता:

यह पॉलिसी अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/ भारत सरकार और किसी भी अन्य सांविधिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का एक भाग बन जाएंगे और इसके नवीनीकरण के समय पॉलिसी दस्तावेज़ में शामिल किए जाएंगे।

यदि नियत तारीख को या उससे पूर्व पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जाती है, तो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।

अनुलग्नक - 'अनुपालन संबंधी अध्याय'

लाभांश संवितरण नीति हेतु नियामकों/ प्राधिकारियों के संक्षिप्त दिशानिर्देश/ आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परिपत्र/संप्रेषण संख्या	विषय
1	भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियमन (परिपत्र सं.: डीबीआर. सं.बीपी. बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 01.07.2015 जिसे परिपत्र सं. डीबीआर. बीपी. बीसी.सं.20/21.06.201/2018-19 दिनांक 10.01.2019, परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/42 डीओआर.बीपी.बीसी. सं.15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29.09.2020 एवं परिपत्र सं.: आरबीआई/2020-21/93 डीओआर.सीएपी. बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21 दिनांक 05.02.2021. के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पठित ''बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर'' भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र - परिपत्र सं.: डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005.	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
2	डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी. सं.4/11.01.005/2021-22 दिनांक 02 नवंबर, 2021.	अनूसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फेमवर्क
3	भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर. एसीसी आरईसी.सं. 45/21.04.018/2021- 22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (01.04.2024 को अद्यतन), यथा संशोधित	वित्तीय विवरण-प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश
4	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 15 (1) एवं (2) और धारा 17]	लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध और प्रारक्षित निधि का अनिवार्य विनियोजन
5	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 43ए	लाभांश संवितरण नीति
6	भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/3/2010-बीओए, दिनांक 18 जनवरी, 2013 एवं भारत सरकार के पत्र एफ सं. 10/4/2021, बीओए, दिनांक 4 जून, 2021 और भारत सरकार के पत्र एफ सं. 7/7/2022-बीओए 1, दिनांक 20 मई 2022	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
7	भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देश.	

Dividend Distribution Policy

As per Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [hereinafter referred to as SEBI (LODR) Regulations], the top 1000 listed entities based on market capitalization, calculated as on March 31 of every financial year are required to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports. This would enable the investors to take informed decisions while making investments in these high profile companies.

Our Bank is a Nationalized Bank constituted under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is also required to comply with the guidelines in respect of Dividend, issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India, which have been duly incorporated in the Policy.

Objective

Bank of Baroda's shareholders earn a return on their investment in the Bank's share capital in two ways:

(1) Capital appreciation resulting from increase in the share price, and

(2) Cash return in the form of a periodic dividend.

The Bank recognizes that its shareholders need periodic dividend to meet their liquidity needs. Also, payment of dividend is seen as a signal of the Bank's future prospects. The Bank endeavors to distribute surplus cash to its shareholders.

Normally, the Bank expects to pay dividend in profitable years. The decision on how much to distribute as dividend takes into consideration a number of factors including:

(a) The Bank's current and prospective financial performance,

(b) Capital adequacy requirements specified by Reserve Bank of India (RBI)

(c) The Bank's investment and expansion plans, and

(d) The expectations of its shareholder

Since the Bank has operations worldwide, its dividend decision is based on an assessment of domestic and international economic and financial conditions and regulatory requirements.

Eligibility Criteria for declaration of dividend:

Retained earnings are utilized to meet the Bank's capital requirements and finance its investment and expansion activities. Retained earnings also provide a cushion to tide over unexpected events. The Bank strives to balance the demands for investment with the shareholders' need for a fair cash return.

The RBI vide their Circular No. RBI/2004-05/451;DBOD. NO.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated May 04, 2005 has laid down the following eligibility conditions, among others, for payment of dividend by the bank:

1) Dividend will be paid only out of current year's profit.

2) A bank should have:

   (a) capital-to-risk weighted assets ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the year for which it proposes to declare dividend.

   Bank is required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. Whenever the buffer falls below 2.5%, automatic constraints on discretionary distributions of earnings (for example, dividends, share buybacks and discretionary staff bonus payments) will be imposed so that the buffer/capital level can be replenished to minimum requirements.

   and

   (b) Net NPA (non-performing assets) of less than 7%.

   In case bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

3) The bank should comply with the provisions of Sections 15 (Restrictions on Payment of Dividend) and 17 (Transfer of part of profit, not less than 25%, to reserve fund before declaration of dividend) of the Banking Regulation Act,1949.[1]

---

[1]***Section 15 - Restrictions as to payment of dividend***

"[(1)] No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisation expenses, share-selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

[(2)] Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or in the Companies Act, 1956(1 of 1956), a banking company may pay dividends on its shares without writing off-

(i) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for as a loss;

(ii) the depreciation, if any, in the value of its investments in shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company;

(iii) the bad debts, if any, in any case where adequate provision for such debts has been made to the satisfaction of the auditor of the banking company."

Section 17 - Reserve Fund

"(1) Every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall, out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared, transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than twenty percent of such profit.""

In terms of RBI Master Direction on Financial Statements Presentation and Disclosures dated 30.08.2021 (Updated as on 01.04.2024), the intangible assets recognized and carried in the Balance Sheet of Banks in compliance with Accounting standard-26 shall attract the provisions of Section 15 (1) of Banking Regulation (BR) Act, 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance sheet. Banks desirous of paying dividend while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

RBI circular no. BP.BC.24/21.04.018/2000-2001 dated 23.09.2000 read with RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures dated August 30, 2021(Updated as on 01.04.2024), In order to augment capital, Commercial Banks (excluding LABs and RRBs) are required to transfer not less than 25 per cent of the 'net profit' before appropriations to the Statutory Reserve.

4) As per RBI Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021 dated 25th August, 2021, the bank should appropriate for Investment Fluctuation Reserve (IFR) and Investment reserve from Net Profit for the year after mandatory appropriations.

5) Before dividend declaration, the bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets, staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, Investment Fluctuation Reserve (IFR), Investment Reserve, Special Reserves, Capital reserves and other appropriations from the current year profit.

6) The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.

7) The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/ Government of India/Ministry of Finance from time to time.

8) The declaration of dividend is subject to the any restriction imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC. No.4/11.01.005/2021-22 dated 2nd November, 2021 on 'Prompt Corrective Action Framework" (PCA) for scheduled commercial banks'.

9) The dividend should be declared on per share basis only.

10) In the event of conflict between this policy and extant regulations, the regulations shall prevail.

Quantum of Dividend Payable:

A. RBI / Govt. Of India Guidelines:

A1. RBI Guidelines:

(a) The dividend payout ratio (i.e. the ratio of dividend to profit after tax) shall not exceed 40 per cent and shall be as per the matrix furnished herein below.

Net NPA Ratio					
Category	CRAR	Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
Range of Dividend Payout Ratio					
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax, wherever applicable) to 'net profit during the year'.

(b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

(c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

A2. Government Of India Guidelines:

The Ministry of Finance, Govt. of India vide Letter dated 18th January, 2013 has adviced Bank to Pay a minimum of 20% of paid up capital or 20 % of Net Profit (Whichever is higher) as dividend.

In case, Bank decided to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results shall be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Ministry of Finance, Govt. of India.

The Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 04th June, 2021 has clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and, therefore, specific prior permission shall be sought only if the dividend proposed to be paid is

less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under the regulatory guidelines/ instructions.

B. Interim Dividend

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy/RBI guidelines.

C. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, interim dividend paid, auditor's qualifications pertaining to statement of accounts & annual financial inspection findings of the RBI with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc. The MD &CEO shall recommend the dividend payout to Board. The decision of the Board regarding proposal of dividend shall be final.

Circumstances under which the shareholders may or may not expect dividend

The distribution of dividend is subject to compliance of the following conditions, as applicable;

i) Profit in the year under consideration,

ii) CRAR>=11.50% (including CET 1 >=5.50%) (Minimum total capital ratio plus capital conservation buffer {9%+2.50%=11.50%} as per RBI Master Circular vide RBI/2022-23/12 DOR.CAP.REC3/21.06.201/2022-23 dated April 1, 2022)

iii) Net NPA less than 7% (5% for Category D as per RBI Payout Matrix)

iv) BASEL III Compliance

v) Tier 1 Leverage Coverage Ratio >3.50%

Utilization of Retained Earnings

The retailed earnings will be used for the Bank's long term growth plans, capital requirements or as per the decision of the bank's board, for the benefit of the bank and its stakeholders or for the compliance of instructions/guidelines received from RBI/ Government of India.

Dividend for Various class of Shares

At present, the bank has only one class of shares i.e. equity shares. In absence of varied class of shares, a single set of parameters has been prescribed for declaring/ distribution of dividend.

Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends.

Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand drafts will be issued to the eligible shareholders. If the amount payable as dividend exceeds one thousand and five hundred rupees, the 'payable-at-par' warrants or cheques shall be sent by speed post.

The Company Secretary Department in coordination with Corporate Accounts Department shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend.

Dividend shall be paid within 30 days from the date of declaration.

Validity:

This policy shall remain valid for three years from the date of approval. Guidelines received from RBI / SEBI/ Government of India and any other statutory bodies during the validity period of the policy will become part of the bank's existing guidelines and will be incorporated in the policy document at the time of its renewal.

The M.D.& CEO may allow continuation of the Policy for a maximum period of six months after the due date of review in case the Policy cannot be reviewed on or before the due date.

Annexure – 'Chapter on Compliance'

Following are the brief guidelines/requirements of the regulators/authorities for Dividend Distribution Policy:

Sl No	Circular/Communication No	Subject
1	RBI Circular on 'Declaration of dividends by Banks' - Circular No.: DBOD.NO.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005 read with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulations (Circular No.: DBR.No.BP. BC.1/21.06.201/2015-16 dated 01.07.2015 as amended by Circular No.: DBR.BP.BC.No.20/21.06.201/2018-19 dated 10.01.2019, Circular No.: RBI / 2020-21/42 DOR.BP.BC.No15/21.06.201/2020-21 dated 29.09.2020 and Circular No.: RBI/2020-21/93 DOR. CAP. BC. No. 34/21.06.201/2020-21 dated 05.02.2021.)	Declaration of Dividends by Banks
2	DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 02, 2021	Prompt Corrective Action (PCA) framework for scheduled commercial banks
3	RBI circular RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021- 22 dated August 30, 2021(updated as on 01.04.2024), as amended	Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures
4	Banking Regulation Act, 1949 [Section 15 (1) & (2) and Section 17]	Restriction as to payment of dividend and Mandatory appropriation of Reserve Fund.
5	Regulation 43A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015	Dividend Distribution Policy
6	GOI Letter F. No. 10/3/2010-BOA dated 18th January, 2013 and GOI letter F. No. 10/4/2021-BOA dated 4th June 2021 and GOI Letter F. No. 7/7/2022-BOA 1 dated 20th May, 2022.	Declaration of Dividend by Public Sector Banks
7	Other relevant guidelines issued by RBI, SEBI and Government of India from time to time.	

28वीं वार्षिक आम बैठक हेतु नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
कॉर्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
(वेबसाइट:www.bankofbaroda.in)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 28वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से शुक्रवार, दिनांक 05 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किया जाएगा:

सामान्य कार्यवाही:

मद संख्या 1:

बैंक के 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना, अनुमोदन प्रदान करना व इन्हें स्वीकार करना।

मद सं. 2:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश को अनुमोदित और घोषित करना।

विशेष कार्यवाही:

मद संख्या 3:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन - अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख "विनियमन" के रूप में किया गया है) यथा संशोधित सेबी(सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 यथा संशोधित, (इसके बाद इसका उल्लेख सेबी लिस्टिंग विनियम के साथ में किया गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसका उल्लेख "भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के रूप में किया गया है) तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं. 9/29.67.001/2019-20 एवं अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 (इसका उल्लेख "भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश" के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

ए) **यह संकल्प पारित किया जाता है** कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जिन्हें केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक के रूप में चुना गया है, उन्हें एतद्द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2024 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और इनके द्वारा घोषणा के तत्काल बाद की तारीख जो कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेगी।

चुनाव पश्चात, उपरोक्त संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत भी पारित माना जाएगा।

मद सं. 4:

बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉ. एम.पी तन्गिराला की नियुक्ति को अनुमोदित करना.

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं पारित करना :

यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई, 2024 को जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या 6/2/ (i) /2022-बीओ.I के अनुसार तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, बैंक के निदेशक मंडल मे गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉ. एम. पी. तन्गिराला (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग) की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 मई, 2024

नोट:

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक**

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या

02/2022 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 07 अक्तूबर, 2023 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।

- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है। **28वीं एजीएम के आयोजन का स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा माना जाएगा।**

2. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) की नियुक्ति:

चूंकि बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः इस एजीएम में शेयरधारकों के लिए बैठक में सहभागिता करने तथा वोट देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी/ संस्था के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर यह v-raju.sv@kfintech.com/ companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 01 जुलाई, 2024 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

3. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण मद क्रमांक 3 एवं 4 इसके साथ संलग्न है।

4. एजीएम प्रतिभागिता

बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा एजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स हेतु नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सी) निकाय कॉर्पोरेट्स वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।

- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

- एजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट evoting@nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक एक्सेस के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम संबंधी "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत VC/OAVM Link का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि Join Meeting मेनू के अंतर्गत दिए गए VC/OAVM Link पर क्लिक करें। VC/OAVM का लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।
3. साथ ही, ऐसे शेयरधारक जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. इसके अलावा सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने हेतु कैमरे की अनुमति के साथ अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से शामिल सदस्यों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/ रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

7. वार्षिक आम बैठक में बोलने और प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक सूचना के नोट में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्पीकर के रूप मे चरण:1 एक्सेस टू NSDL ई-वोटिंग सिस्टम में भारतीय समय के अनुसार 2 जुलाई, 2024 को प्रात: 9 .00 बजे से लेकर 3 जुलाई, 2024 को सायं 5 बजे तक रजिस्टर कर सकते है। सफलता पूर्वक लॉगिन होने के पश्चात, शेयरधारक बैंक के लिंक EVEN में उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर स्वयं को रजिस्टर कर सकते है।

8. एजीएम से पहले/ उस दौरान लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 02248867000 पर कॉल कर सकते हैं।

9. वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने वाले सदस्यों को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

10. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर-वैयक्तिक शेयरधारक, जो कंपनी का शेयर अर्जन करता है एवं कंपनी का सदस्य बन जाता हैं, ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर धारक बना रहता है, ऐसे सभी शेयरधारक evoting@nsdl.com /जारीकर्ता/ आरटीए को अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई वोटिंग हेतु पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट" के द्वारा या 022-48867000 पर कॉल करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर अर्जन करके कंपनी का सदस्य बन जाते हैं तथा कट-अप-तारिख तक शेयरधारक बने रहते है, ऐसे सभी शेयरधारक एजीएस के नोटिस में उल्लेखित चरणों का पालन करके बैठक में भाग ले सकते हैं.

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार से इतर प्रतिनिधि नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में **बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत** से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठकें) विनियमन,1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम अंकित व्यक्ति ही एजीएम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा।

7. वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग की विनिर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 42 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 29 जून, 2024 से शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 तक (दोनों दिन सहित) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 28वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेगा। तदनुसार, वे शेयरधारक जिनके पास शुक्रवार, 28 जून, 2024 (विनिर्दिष्ट तारीख) कार्यसूची मद 1, 2 एवं 4 के लिए और शुक्रवार, 31 मई, 2024 कार्यसूची मद 3 के लिए, को बैंक के शेयर हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से भाग लेने एवं बैठक की कार्यसूची पर मतदान करने में सक्षम होंगे तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 10 मई, 2024 को संपन्न अपनी बैठक में दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए पूर्णतः प्रदत्त प्रति रु.2/- के इक्विटी शेयर पर @ रु.7.60 (सात रुपये साठ पैसे मात्र) की दर से लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित और 28वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

ए) दिनांक 28 जून, 2024 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामी को उपलब्ध होगा।

बी) दिनांक 28 जून, 2024 को व्यावसायिक कार्यसमय की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक/ बैंक के आरटीए के पास दर्ज किए गए ट्रांसफर अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसफर को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को इस लाभांश का भुगतान सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

सी) ये लाभांश 28वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किए जाएंगे।

डी) आयकर दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान पर लागू कर की कटौती की जाएगी।

9. **रिमोट ई-वोटिंग**

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए. बैंक ने ई- वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को रिमोट ई- वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है।

बी. **रिमोट ई- वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 को सुबह 9.00 बजे से बृहस्पतिवार, 04 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे तक पूरे समय खुला रहेगा (दोनों दिन सहित)।**

सी. **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।**

इस **निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, 28 जून, 2024, कार्यसूची मद 1 एवं 2 के लिए और 31 मई, 2024, कार्यसूची मद 1, 2 एवं 4 के लिए;** को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक का शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली हेतु एक्सेस

ए) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतू ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए लॉगिन विधि उपलब्ध है. 09 दिसंबर, 2020 को सेबी द्वारा जारी परिपत्र के संदर्भ, में सूचीबद्ध कंपनियों को प्रदत ई-वोटिंग सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत शेयरधारकों जिनकेपास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	**लॉगिन प्रक्रिया**
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक।	1. मौजूदा IDeAS उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर NSDL की ई-सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.nsdl.com अर्थात् पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर **IDeAS** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध **"Login"** के अंतर्गत **"Beneficial owner"** आइकन पर क्लिक करें, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के संकेत देगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **"Acess to e-Voting"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् **एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प http://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"Register Online for Portal IDeAS"** चुनें या http://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg:jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन लॉगिन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए निम्नानुसार क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **'एनएसडीएल स्पीड'** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन प्रक्रिया
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी/इज़ीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अन्य सत्यापन के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इज़/इज़ीएस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन तथा नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपने मौजूदा Myeasi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद इज़ी/इज़ीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं मतदान में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर पहुंच सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता इज़ी/इज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन एवं न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक के माध्यम से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर दर्ज करके सीधे ई-वोटिंग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान करेगा। सफल सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होंगे।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते है	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के संबंध में सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या सीडीएसएल हेल्पडेस्क या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड़ में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड़ में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मिटींग में शामिल होने की लॉगिन विधि

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाईट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलने के बाद, आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, को दर्ज करना होगा वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https:/eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने हेतु आगे बढ़ सकते हैं ।
4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जिनके पास एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	8 वर्ण की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है, तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है, तो आपकी यूजरआईडी 12************** है।
सी) उन सदस्यों के लिए जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. वैयक्तिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और वोट करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको संप्रेषित किया गया था। एक बार जब आप अपना प्रारंभिक पासवर्डट पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

सी) अपना प्रारंभिक पासवर्ड कैसे पुनः प्राप्त करें ?

i. यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाता में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका प्रारंभिक पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पर संप्रेषित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल को खोलें और संलग्नक यानी .pdf फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है और सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

ii. यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके डीमैट खाते में एनएसडीएल या सीडीएसएल के शेयर हैं)।

बी) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Physical User Reset Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं)।

सी) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए ईमेल evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स में "नियम और शर्ते" टैब का चयन करके सहमत हूं पर टिक करें।

8. अब, आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।

9. लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से जुड़ें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे करें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक से कैसे जुड़ें ?

1. चरण-1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" को देख पाएंगे जिनके आप शेयर धारक हैं एवं जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको Join General Meeting के तहत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट करें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट करना चाहते हैं और सबमिट पर क्लिक करें एवं संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।

5. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके भी अपने द्वारा किए गए वोटों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप रिसोल्यूशन पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यैक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल द्वारा और एक प्रति evoting@nsdl.com पर संवीक्षक को मार्क करके प्रेषित करनी होगी।

2. यह सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए ?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड ?" विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

3. किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते है ।

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) v-raju.sv@kfintech.com पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंक DPID + CLID या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरणी की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी) v-raju.sv@kfintech.com पर प्रेषित करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ई-वोटिंग के लिए लॉगिन प्रक्रिया और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए **चरण 1 (ए)** में बताई गई लॉगिन प्रक्रिया देखें ।

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग संबंधी सुविधा पर डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ मेनटेंड अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अद्यतन करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन, सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों के समान है।

2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं किया है एवं अन्यथा जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान करने के पश्चात् उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।

5. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

10. **वार्षिक आम बैठक में मतदान प्रक्रिया**

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो रिमोट ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को एजीएम में आयोजित की जाने वाली वोटिंग में अपना वोट देने हेतु पात्र होंगे।

11. **रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग के संवीक्षक**

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

12. **रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में वोटिंग के परिणाम**

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

13. **पते में परिवर्तन/ लाभांश अधिदेश**

ए) बैंक नोटिस भेजने/ पत्राचार के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए पते के विवरणों का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनका पता संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि उसे तत्काल अद्यतन किया जा सके। बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट पते में किसी भी बदलाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित किया जाना चाहिए।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी भी प्रकार के बदलाव को केवल **संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास रजिस्टर करना चाहिए न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास।**

सी) शेयरधारकों से **अनुरोध** है कि वे बैंक **अथवा** बैंक के रजिस्ट्रार **और** शेयर **ट्रांसफर एजेंट** के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में **अपने** संबंधित फोलियो **नंबर** (**उनके** लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) **और अपना** संबंधित **डीपी आईडी**/ग्राहक **आईडी नंबर** (**उनके** लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का **उल्लेख अवश्य** करें।

14. **भौतिक शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाना**

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/ 2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना दी है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

2. दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उसे आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

3. जिन प्रतिभूति धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे (1) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे। (2) दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।

4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 एवं/ अथवा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

15. **शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण**

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश संबंधी किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 **ई-मेल:** einward.ris@kfintech.com **टोल फ्री/फोन नंबर:** 1800-309-4001 **व्हाट्सएप नंबर:** (91) 9100094099 **केप्रिज्म (मोबाइल एप्लिकेशन):** https://kprism.kfintech.com/ **केफिनटेक कॉर्पोरेट वेबसाइट:** https://www.kfintech.com **आरटीए वेबसाइट:** https://ris.kfintech.com/ **निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक):** https://kfintech.com/clientservices/isc	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा,** निवेशक सेवाएं विभाग, 7 वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई - 400 051 **टेलीफोन :** 022 - 66985731/ 5743, **सामान्य नंबर :** 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) **ई-मेल:** investorservices@bankofbaroda.com **बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का खंड -** https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

16. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डिमैट रूप में न हों, अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।

2. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।

3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/ सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

   उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम बैंक के उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से अभौतिक रूप में परिवर्तन करा लें।

शेयरों को डीमैट रूप में रखने के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;

ii. शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है;

iii. अभौतिकीकरण शेयरों की पेपरलेस ट्रेडिंग की सुगम और आसान सुविधा प्रदान करता है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं।

17. **भौतिक रूप में शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया:**

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्र के विवरणों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में अभौतिकीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की नजदीकी शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिसमें शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक (कों) को डीपी को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और सही पाये जाने पर शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा कर दिए जाएंगे।

बी. शेयरधारकों के लिए जिन के पास पहले से ही डीमैट खाता है:

शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचने की आवश्यकता होगी कि क्या मौजूदा डीमैट खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता के अनुरूप उसी नाम और स्वरूप में है। यदि हां, तो शेयरधारक (कों) को मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, डीपी को प्रस्तुत करना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/ सत्यापन करेगा और, यदि सही क्रम में पाया जाता है, तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाते में तदनुरूप नाम नहीं है, तो शेयरधारक (कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना चाहिए।

मौजूदा शेयर प्रमाणपत्रों के विवरणों में परिवर्तन की स्थिति में, कृपया बिंदु संख्या 14 में उल्लिखित पते पर हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क करें।

18. आईईपीएफ को अदावी लाभांश/ शेयरों का अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और उसके अनुवर्ती संशोधन (नियमावली) के अनुसार, सभी अदावी लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ सं.13/2/2015-बीओ.II दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार ऐसे सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावी रहा है और आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए पात्र हैं।

इसके अनुपालन में बैंक को ऐसे शेयरधारक (कों), जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है, अदावी शेयरों को आईईपीएफ को ट्रांसफर करना होगा। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2015-16 तक के अदावी लाभांश को आईईपीएफ को ट्रांसफर कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावी लाभांश के विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और KFin https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर उपलब्ध हैं।

हम उन शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें। यदि बैंक को 31 जुलाई, 2024 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो इन शेयरों को बिना किसी सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को ट्रांसफर की गई अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबधित किसी भी दावे के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।

19. आईईपीएफ को ट्रांसफर किए गए अदावी लाभांश/ शेयरों का दावा करना:

अदावी लाभांश के संबंध में जो पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं या ऐसे शेयर जिन्हें आईईपीएफ को ट्रांसफर किया जाना है, कृपया नोट करें कि आप आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ -5- में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

20. पिछले वर्ष के अदावी/ अदत्त लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि यह ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

उक्त अदत्त लाभांश खाते में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में शेष अदावी/ अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु भविष्य की नियत तारीख निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2016-2017	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
2	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
3	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
4	2019-2020	लागू नहीं		
5	2020-2021	लागू नहीं		
6	2021-2022	27 जुलाई, 2029		
7	2022-2023	07 अगस्त, 2030		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2016-17 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण नहीं कराया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	**निवेशक सेवाएं विभाग**
(यूनिट बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाचीबोवली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 ई-मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com **टोल** फ्री **नं.** - 1-800-309-4001	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7वां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

21. ऐसे शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते डिपोजीटरी के पास या भौतिक फोलियो आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया:

एमसीए और सेबी के परिपत्रों के अनुसार बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश को शेयर धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रोनिक रूप में भेजा है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत करें.

- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ईमेल पते और पते एवं बैंक के विवरण सहित मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया /नहीं किया है वे ईलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित होने पर डिपोजीटरी साझेदार से और भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से संपर्क करें और अपने विवरणों को वैध /अद्यतन कराएं।
- शेयरधारक अस्थायी रूप से अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को उपलब्ध कराकर इस लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि ईमेल पते और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया का पालन करें ताकि नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों की सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जा सके। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- शेयर धारकों से यह अनुरोध भी है कि वे वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की नोटिस को डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट को विजिट करें।
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पते, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और क्लाईंट मास्टर प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति को ईमेल अनुरोध के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर भेज सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3:

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा निम्नलिखित तीन निदेशक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. श्री आलोक वाजपेयी (दिनांक 09.07.2021 से 08.07.2024 तक प्रभावी)

ii. श्रीमती नीना नागपाल (दिनांक 24.12.2023 से 23.12.2026 तक प्रभावी)

iii. श्री रवीन्द्रन मेनन (दिनांक 16.05.2024 से 15.05.2027 तक प्रभावी)

मौजूदा शेयरधारक निदेशक श्री आलोक वाजपेयी का कार्यकाल

दिनांक 08.07.2024 को समाप्त हो रहा है। तदनुसार, उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। (शेयरधारक निदेशक)

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के पात्र हैं।

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव, बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल द्वारा उन्हें "उपयुक्त एंव समुचित" पाए जाने पर तथा तत्पश्चात् एजीएम में चुनाव के बाद होगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 09 जुलाई, 2024 से अपना कार्य संभालेंगे और अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

मद संख्या 4:

बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) के रूप में डॉ. एम.पी तन्गिराला की नियुक्ति को अनुमोदित करना। (डीआईएन:03609968)

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (बी) के प्रावधान द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 6/2/(i)/ 2022 बी.ओ.I दिनांक 13 मई, 2024 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार बंसल के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में डॉ. एम. पी. तन्गिराला (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को नामित किया है।

सेबी के (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (सी) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति कि नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, डॉ. एम.पी तन्गिराला को बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए एजीएम की बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन लेना आवश्यक है.

संक्षिप्त परिचय

डॉ. एम.पी तन्गिराला भारतीय डाक एवं ई संचार लेखा और वित्त सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी है। आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, आईआईएम कोलकता, उसमानिया विश्वविद्यालय, आईआईपीए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां से आपने विधि और गवर्नेस में पीएचडी की, के पूर्व छात्र है ।

भारत सरकार में अपने कॅरियर के दौरान आपने दूरसंचार नीति, विधि और विनियमन, प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण, बीमा विनियमन और वित्तीय सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। अपने मूल विभाग दूरसंचार के अलावा डॉ. एम.पी तन्गिराला ने बीएसएनएल, ट्राई, यूपीएससी और आईआरडीएआई में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आप वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में अपर सचिव है।

डॉ. तन्गिराला को बैंक द्वारा कोई पारिश्रमिक/मुआवजा देय नहीं होगा।

बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक डॉ. एम.पी तन्गिराला और उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदारों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को साधारण और एजीएम में संलग्न मद संख्या 4 में उल्लिखित सामान्य संकल्प में कोई दिलचस्पी या हित नहीं है।

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

ए. विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	➢ महत्वपूर्ण लाभ ➢ सामान्य निदेशकों का निषेध ➢ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	➢ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➢ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/ होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जात। ➢ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार ➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी बाध्यता

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं ➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना ➢ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना ➢ निदेशकों के हितों वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➢ सामान्य बैठकों में वोट देना ➢ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➢ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. मास्टर निदेश	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड
दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ.न.16/51/2012-बीओ. आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश, यदि है तो..		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक का चुनाव करते समय उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण हेतु निदेशक मंडल के नामांकन एवं परिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।
दिनांक 1 जुलाई, 2015: भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र		निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् **20 जून, 2024** को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास उनके ई-मेल companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पपर अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, 31 मई, 2024** को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव से संबंधित कार्यसूची (कार्यसूची मद संख्या 3) में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं।

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को:

ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो। (भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन

बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे **"उपयुक्त एंव समुचित"** हैसियत वाला होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, उपयुक्त एवं सुमुचित स्टेटस् का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं, को ध्यान में रखें।

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

डी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

ए) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा

बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है। इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है।

(बी) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन

दिनांक 03 सितंबर, 2013 के मानदंडों के अनुसार "उपयुक्त एंव समुचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

ई. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रह सकेगा।

एफ. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

"उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) **प्राधिकार :**

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक "नामांकन एवं पारिश्रमिक" (इसके बाद से समिति कहा जाएगा) का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा) से तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एंव समुचित" स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और न्यूनतम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए।

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :

बैंकों को चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सी) मानदंड :

नामांकन एवं परिश्रमिक समिति को प्रस्तावित प्रत्याशियों की **"उपयुक्त एंव समुचित"** हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

(i) **आयु:** निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु प्रत्याशी की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता:** प्रत्याशी को कम से कम स्नातक होना चाहिए।

(iii) **अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र:** प्रत्याशी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए)/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए)(ए), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(iv) **अयोग्यता:** एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित "निदेशकों की अयोग्यता" के अतिरिक्त;

ए) प्रत्याशी को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उदेश्य से **"बैंक"** से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है।

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो।

सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय पर किसी भी श्रेणी में 6 वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता।

डी) प्रत्याशी को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए।

ई) प्रत्याशी को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित

क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद् आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।

एफ) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समर्वती लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

जी) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो जिस बैंक के चुनाव के लिए नामांकन किया गया है उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(v) **कार्यकाल** - निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह लगातार या अलग-अलग समय पर 6 वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध

ए) प्रत्याशी का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए।

बी) प्रत्याशी का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय प्रत्याशी का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत अपेक्षा को पूरा करता है, प्रत्याशी समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है तो बैंक के साथ ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा।

(vii) ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा प्रत्याशी को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

बैंक, निर्वाचित निदेशक से निम्न प्राप्त करें:

ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;

बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक सामान्य घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो।

सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो।

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है। साथ ही,

ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबन्धित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं। निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें।

बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट/ निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें।

सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस व्यक्ति को, जिसे उस बैंक का निदेशक चुना गया है, कोई व्यावसायिक कार्य आबंटित नहीं किए जाएं।

जहां निर्वाचित निदेशक:

(ए) निम्नलिखित संबंध में विफल रहते हैं

(i) प्रतिज्ञा या घोषणा पत्र का विलेख प्रस्तुत करने में; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या

(iii) जिसमें उसकी रूचि है ऐसे क्रेडिट / निवेश निर्णयों में सहभागिता करने से बचने में

अथवा

(बी) अधूरा या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार उपयुक्त और समुचित नहीं बनाते हैं।

ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए की उपधारा (2)/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा तथा इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

जी. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश

भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की "**उपयुक्त तथा समुचित**" स्थिति का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्दशों को भी ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई, 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसके सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

बी) अनुभव

1. सामान्यत: कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी।

2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, की किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के निदेशक मण्डल में अशासकीय निदेशक(एनओडी) के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।

5. हालांकि, मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है।

6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को किसी भी वर्ग में विशेषत: व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/ शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यत: 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता

i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में उसके नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. किराया खरीद, वित्त पोषण निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक(एनओडी) की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं हैं।

iii. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या 6 वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है।

iv. कोई सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

v. कोई सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

जी) कार्यकाल

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में 6 वर्षों के लिए लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक-निदेशक रह चुके हैं।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के कार्यालय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामलों का अलग से परीक्षण किया जा सकता है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छ: क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एच) शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 में **शुक्रवार, 07 जून, 2024 से शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 तक** सभी कार्य दिवसों (दूसरे एवं चौथे शनिवार, रविवार, बैंक अवकाश के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे से सायं 4:00** बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/ अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके प्रति भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान प्रदान किया जाएगा।

आई. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियमन 64 में दिया गया है, यथासंशोधित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय बड़ौदा/ कार्पोरेट कार्यालय में, **शुक्रवार, 07 जून, 2024** से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करने पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को उक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को इस वचन-पत्र के साथ देना होगा कि इस सूची का उपयोग केवल चुनाव में प्रचार के लिए ही किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा।

जे. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट / अंतिम तारीख शुक्रवार, 31 मई, 2024** को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके कार्यकाल के बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए।

बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे वास्तविक प्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नही है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि

वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2024** तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब "विनियम" के रूप में संदर्भित होगा) के अंतर्गत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर नियुक्ति सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा "उपयुक्त एंव समुचित" पाया गया हो।

ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए है। (यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर भी उपलब्ध है।)

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जिस पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशक का चयन- **जुलाई 2024** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा-390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को वार्षिक आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2024 को सायं 4:00 बजे** तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म

सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र **अर्थात् स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो।**

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2024** को बैंक द्वारा नामांकनों की स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा जांच किए जाने के अधीन होगी। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अत: बैंक अभ्यर्थियों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक कठिन हों, उस पर विचार किया जा सकता है।

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी का नाम एजीएम में बैंककारी कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित संकल्प सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 25(2ए) के अनुसार संकल्प के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा। जहां केंद्र सरकार के अलावा केवल एक शेयरधारक मतदान करने का हकदार होगा। यदि और केवल तभी, उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा जब उक्त संकल्प बहुमत से पारित हो जाता है। **नए चुने गये निदेशक बुधवार, 09 जुलाई, 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।**

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा एवं चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग को मिलाकर, प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम बैठक में घोषित किया जाएगा तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

एम. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **शनिवार, 29 जून, 2024 को बैंक के कार्यदिवस की समाप्ति से पहले, अर्थात शाम 4.00 बजे तक या उससे पूर्व** किसी भी समय, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी**

सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998, यथा संशोधित, के विनियमन 67 के अनुसार उसका निपटान करेगा।

ओ. सारांश

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के सारांश शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए गए हैं। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पी. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, का कार्यवाही की उक्त मदों से उनकी शेयरधारिता की सीमा तक सरोकार या उसमें उनका हित समझा जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 मई, 2024

क्र.

नामांकन फार्म

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक .... 2024 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री .... बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार, 31 मई, 2024** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के .... इक्वटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... निवासी .... को **शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं।

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. **(यदि अभौतिक तिर्थरूप में नही)**	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. **(यदि अभौतिक रूप में हो.)**	
स्थान	
तारीख	

नोट :

ए) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।

बी) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।

सी) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती ....

...............................निवासी.. एतदद्वारा पुष्टि करता / करती हूं कि :-

ए) मैं शुक्रवार, **31 मई, 2024** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के ₹ 2/- प्रति शेयर वाले .... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता/ करती हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता/ जाती हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रखूंगा/रखूंगी.

बी) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/ करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं, और

(***जो लागू न हो उसे काट दें**)

सी) मैं नामांकन क्रमांक .... स्वीकार करता / करती हूं; और

डी) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/ चाहती हूं; और

ई) मैं, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा

जी) मैं न किसी कार्यालय में लाभ का पद धारण करता / करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/ की कर्मचारी हूं।

साथ ही मैं घोषणा करता/ करती हूं:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंनें कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा/ करूंगी तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता/ देती हूं।

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफएचसी धारक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूं।

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूं;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा/ रही हूं।

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ।

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के पद पर कार्यरत नहीं हूं।

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं।

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है।

एस) मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफएचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन लेता/ लेती हूं।

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूं।

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं;

डब्ल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, के सूचित करने और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं; तथा

एक्स)मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा/ करूंगी।

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं।

जेड) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा/ रही हूं:

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

एए. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

नोट: उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/ संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है।

....

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/ अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर ।

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

(**उपयुक्त अनुलग्नकों सहित**)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

दिनांक ....2024 को उपयुक्त अनुलग्नकों सहित प्रत्याशी द्वारा दिया जाने वाला घोषणा एवं वचनपत्र					
I		**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**			
	ए	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	बी	वर्तमान पता			
	सी	राष्ट्रीयता			
	डी	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन		
	ई	शैक्षणिक योग्यताएं			
	एफ	निर्देशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
	जी	आधार संख्या			
	एच	(i) स्थायी खाता संख्या (पैन): (ii) आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल की जाती है : (iii) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण	**फाईल करने की तारीख**	**भुकतान की गई कर राशि (रूपए में)**	
	आई	स्थायी पता			
	जे	ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:			
	के	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव संदर्भ • बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), • बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए) • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए), बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित, जैसा भी मामला हो, का संदर्भ लें।			

<table>
<tr><td></td><td>एल</td><td>वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एम</td><td>जहां कार्य किया है उस संगठन(नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को सम्मिलित करते हुए पिछला व्यवसाय।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एन</td><td>सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें:
(i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या
(ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) साथ पंजीकरण की तारीख
(iii) पंजीकृत फर्म/र्मों का नाम और पता
(iv) फर्म/र्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण /परीक्षणों के विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ओ</td><td>शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है।
डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें)</td><td><table><tr><td>बैंक का नाम</td><td>शाखा</td><td>खाते का प्रकार</td><td>खाता संख्या</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>पी</td><td>सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>क्यू</td><td>कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td></td><td>प्रस्तावित निदेशक के संबंधित रिश्तेदार</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>बी</td><td>(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें)। बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए।
(ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों (कंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें)
(iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो।</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>सी</td><td>प्रस्तावित और मौजूदा प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)* के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो।
"पर्याप्त हित" (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो;
(ii) एक फ़र्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फ़र्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;</td><td><table>
<tr><td>कंपनी/ फर्म का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>निगमन का क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>प्रत्येक शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>कुल पीयुसी की % शेयर धारीता</td><td></td></tr>
<tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ - साथ % में)</td><td></td></tr>
<tr><td>क्या संस्थान कंपनी अधीनीयम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>डी</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ई</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/ किया गया था)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एफ</td><td>निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>जी</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षो में चूक हो चुकी हो।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एच</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता हैं या किसी बैंक/ एनबीएएफसी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है।</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td></td><td>व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td></td><td>प्रत्याशी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो तो</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्व पहले दोष सिध्द हो। यदि कोई हो या क्या उसे किसी भी स्थान पर प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया।</td><td></td></tr>
</table>

	बी	पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्व आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्वि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो।	
	सी	उनके विरूद्व पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिध्दि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	डी	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है ?	
	ई	क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेषण के अध्यधीन रखा गया है ?	
	एफ	क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
	जी	क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं ? (हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नही होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)	
V		**मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और "उपयुक्त एवं समुचित" पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना।**	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/ करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है। मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं। मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूं में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूं।

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं।

स्थान:

दिनांक : प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:
नोट : जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें।
प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

स्थान:		**अध्यक्ष के हस्ताक्षर**
दिनांक:		

समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक:

NOTICE OF 28th AGM

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda-390 007

Corporate Office: Baroda Corporate Center, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
(Website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio - Visual Means (OAVM) on Friday, 05th July 2024 at 11.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item Number 1:

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2024, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item Number 2:

To approve and declare dividend for the Financial Year 2023-24.

SPECIAL BUSINESS:

Item Number 3:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and RBI Master Direction Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 and Notification Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Master Directions" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments thereto, if any, and pass the following resolution:-

a) "RESOLVED THAT One Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from 09th July 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item Number 4:

To approve appointment of Dr. M P Tangirala a Non-Executive Director of the Bank:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Dr. M P Tangirala, (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) a Non- Executive Director on the Board of Bank of Baroda, under Section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref No. 6/2/(i)/2022-BO.I dated 13th May 2024 issued by Government of India, with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved."

FOR BANK OF BARODA

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 28th May, 2024

NOTES:

1. **ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25th September, permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 07th October 2023.
- In compliance with the above guidelines, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the 28th AGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

2. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

   As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this AGM.

However, No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com/companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on 01st July 2024.

3. **Explanatory Statement:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of meeting at item no 3 & 4 is annexed hereto.

4. **AGM Participation**

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the AGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of AGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the AGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the AGM.
- There will be no restrictions on account of FIFO entry into AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the AGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.
- The Notice calling the AGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of NSDL , the e-voting agency at the website address evoting@nsdl.com.

5. **INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:**

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Facility of joining the AGM through VC / OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for AGM and will be available for Members on first come first served basis.
3. Further, Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
5. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Member who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker, by following the steps mentioned in the note of the notice " Step 1: Access to NSDL e-voting system" between 9.00 a.m. IST on 02nd July 2024 to 5.00 p. m. ISD on 03rd July 2024. After sucessfull login, members will be able to register themselves as a speaker shareholder by clicking on the link available against the EVEN of the Bank.
8. Members facing any technical issue in login before / during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000
9. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

10. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholder, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or Issuer/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM.

6. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

7. **Cut-Off Date for remote e-voting and voting at the AGM - Closure of Register of Shareholders:**

Pursuant to Regulation 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008, read with Regulations 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 29th June 2024 to Friday, 05th July 2024 (both days inclusive)** for the purpose of 28th Annual General Meeting and payment of dividend for the Financial Year 2023-24. Accordingly, the Shareholders holding Bank's Shares as on **Friday, 28th June 2024 (Cut-off Date) for agenda item 1, 2 & 4 and Friday 31st May 2024 for agenda item 3** will be able to attend and vote on the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the AGM and would also be entitled to receive dividends, if any for FY2023-24.

8. **Payment of Dividend**

The Board of Directors of the Bank at its meeting held on 10th May 2024 has recommended dividend @ Rs. 7.60 (Seven Rupees Sixty Paise only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2024. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 28th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 28th June 2024;

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's RTA on or before the close of business hours on 28th June 2024; This Dividend will be paid as per SEBI guidelines.

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 28th Annual General Meeting.

d) Applicable Tax will be deducted on Dividend Payment as per Income Tax guidelines.

9. **Remote E-Voting**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **National Securities Depository Limited (NSDL) as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Tuesday, 02th July 2024 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Thursday, 04th July 2024 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 28th June 2024, for agenda item 1, 2 & 4 and 31st May 2024 for agenda item 3** may cast their vote electronically.

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner**" icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	**Helpdesk details**
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call on 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. *Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) "Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to v-raju.sv@kfintech.com.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to v-raju.sv@kfintech.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A**) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not

casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.

5 The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

10. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the AGM on the date of the meeting.

11. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

14. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

2. The folios wherein any one of the above cited document/ details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.

4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

15. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. **Email :** einward.ris@kfintech.com **Toll Free/ Phone Number :** 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099 **KPRISM (Mobile Application) :** https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website :** https://www.kfintech.com **RTA Website :** https://ris.kfintech.com **Investor Support Centre (DIY Link) :** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**Bank of Baroda** Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 **Tel.** : 022-6698 5731 / 5743 **General Number** : 022-6698 5000-04 (PBX) **E-Mail:**investorservices@bankofbaroda.com **Shareholder's corner section on Bank's Website:** https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

16. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

   In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

   Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. **PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :**

    Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

   The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

   After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

   The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

   The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

   The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

   If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

   In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned in point 14.

18. **TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF**

    In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016

read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated 29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend upto FY2015-16 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents. In case Bank does not receive any claim by 31st July 2024, these shares will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF..

19. **CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:**

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

20. **UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2015-16 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2016-17 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2016-2017	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
2	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
3	2018-2019	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
4	2019-2020	Not Applicable		
5	2020-2021	Not Applicable		
6	2021-2022	27th July 2029		
7	2022-2023	07th August 2030		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2016-17 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	**Investors' Services Department** Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

21. **PROCEDURE FOR OBTAINING THE ANNUAL REPORT, AGM NOTICE AND E-VOTING INSTRUCTIONS BY THE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES OR WITH RTA ON PHYSICAL FOLIOS:**

    In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Bank has sent the Annual Report, Notice of AGM and e-Voting instructions in electronic form to the registered email addresses of the shareholders. Shareholders holding shares in Physical form are requested to register their email address by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile nos including address and bank details may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares held in physical form.
- Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.
- Shareholders are also requested to visit the website of the Bank at www.bankofbaroda.in or the website of the Registrar and Transfer Agent for downloading the Annual Report and Notice of the AGM.
- Alternatively, Shareholder may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

EXPLANATORY STATEMENT:

Item Number 3:

Election of ONE Shareholder Director of the Bank

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Shri Alok Vajpeyi (w.e.f. 09.07.2021 to 08.07.2024)

ii. Smt. Nina Nagpal (w.e.f. 24.12.2023 to 23-12-2026)

iii. Shri Ravindran Menon (w.e.f. 16.05.2024 to 15.05.2027)

The term of existing Shareholder Director i.e., Shri Alok Vajpeyi ends on 08.07.2024. Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the AGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 09th July 2024 and shall hold office for a period of three years.

Item Number 4:

To approve appointment of Dr. M P Tangirala, Non-Executive Director (Government of India's Nominee Director) (DIN: 03609968)

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification No.6/2(i)/2022-BO.I dated 13.05.2024 has nominated Dr. M P Tangirala (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Bank of Baroda, with immediate effect and until further orders, vice Shri Mukesh Kumar Bansal.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Dr. M P Tangirala, as a Non-Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Dr M P Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian P&T Accounts and Finance Service. He is an alumnus of College of Engineering, Guindy, IIM Calcutta, Osmania University, IIPA, and Jawaharlal Nehru University, where he obtained his PhD in law and governance.

In his career in government, he has worked in different functional areas of telecom policy, law, and regulation, administration, personnel management and training, insurance regulation, and financial services. Apart from his parent department of telecommunications, Dr Tangirala has worked in various capacities in BSNL, TRAI, UPSC, and IRDAI. He is at present Additional Secretary in the Department of Financial Services, Government of India.

No Remuneration / Compensation is payable to Dr M P Tangirala by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Dr M P Tangirala or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Directors ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Master Directions	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of Public Sector Banks
Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.bankofbaroda.in. which can be viewed/ downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **20th June 2024**

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 31st May 2024** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the agenda pertaining to (agenda no 3) election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

i. agriculture and rural economy

ii. banking

iii. co-operation

iv. economics

v. finance

vi. law

vii. small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b) represents the interest of depositors; or

c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

E. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

F. RBI'S 'Master Directions

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the **"Fit and Proper"** status etc., are as under:

a) **Authority:**

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) **Manner and procedure:**

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) **Criteria**

The Nomination and Remuneration committee should determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.

(iii) **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) **Professional Restrictions –**

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) **Track record and integrity -** The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

As advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining **"Fit**

and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) **General**

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) **Experience**

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) **Education**

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) **Age**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) **Work Experience**

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) **Disqualifications**

i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) **Tenure**

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) **Professional Restriction**

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) **Regional Representation**

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Bank of Baroda, KYC AML Dept., 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 on all working days from **Friday, 07th June 2024 to Friday, 05th July 2024** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e.,

Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **Friday, 07th June 2024** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/ Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used only for canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 31st May 2024** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / Corporate Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda**, **7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **Thursday,20th June 2024** , being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Director – July 2024"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before **4.00 p.m., on Thursday 20th June 2024:**

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested**

copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on **Friday, 21st June 2024**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only ONE valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the name of the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the AGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. **The newly elected director will assume office from Tuesday, 09th July 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.**

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time i.e. **on or before 4.00 p.m. on Saturday 29th June 2024** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors

For BANK OF BARODA

Place: Mumbai
Date: 28th May, 2024

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your AGM Notice dated _______ 2024, I, …………………………………… a Shareholder of Bank of Baroda holding …………… equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 31st May 2024** i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ……………………………………… son / daughter / wife of ……………………………….residing at ………………………………………………………. …… ………… …. for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Friday, 05th July 2024**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. **(if not dematerialized)**	
DP ID No. & Client ID No. **(If dematerialized)**	
Place	
Date	

Notes:

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

DECLARATIONS

I, ……………………………………… son/daughter/wife of Shri/Smt………………………… resident of……………………………
……
……………………hereby confirm that :

a. I am a Shareholder holding …………….. equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on Friday, **31st May 2024**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering ……………………..; and

d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaging in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.

t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

Name of Bank: Bank of Baroda

Declaration and Undertaking by a Proposed Director

(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on __________2024					
I		**Personal details of Candidate**			
	a	Name	First Name	Middle Name	Last Name
	b	Present Address			
	c	Nationality			
	d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - - days		
	e	Educational Qualifications			
	f	Director Identification Number (DIN)			
	g	Aadhaar Number			
	h	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of tax paid (INR)	
	i	Permanent Address			
	j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
	k	Relevant Knowledge and Experience [Refer • Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949, • Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 • Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]			
	l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)			
	m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.			

<table>
<tr><td></td><td>n</td><td>In case of a Chartered Accountant, indicate the following:
(i) Membership Number of ICAI
(ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
(iii) Name and Address of the registered firm/s
(iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>o</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder.
Details of Demat account(s) held if any (attach copy)</td><td><table><tr><th>Name of the Bank</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>P</td><td>Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>q</td><td>Any other information relevant to Directorship of the Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td></td><td>Relevant Relationships of proposed director</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a</td><td>List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>b</td><td>(i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately.
(ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]
(iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>c</td><td>List of entities, existing and proposed, in which he/ she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.
"substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</td><td><table><tr><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr><tr><td>County of incorporation</td><td></td></tr><tr><td>Number of shares</td><td></td></tr><tr><td>Face value of each shares</td><td></td></tr><tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr><tr><td>Shareholding as % of total PUC</td><td></td></tr><tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr><tr><td>Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>d</td><td>Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India</td><td></td></tr>
</table>

	e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)	
	f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank	
	g	Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/any other bank/ NBFC/any other lending institution.	
	h	Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/ NBFC/any other lending institution.	
III		**Records of professional achievements**	
	A	Professional achievements relevant for the directorship	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
	d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
	e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. ***(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).***	

V		**Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'**	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/ investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

Place:		**Signature of the Chair**
Date:		

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा भवन, आर.सी. दत्त रोड,
अलकापुरी, बड़ौदा - 390007
फ़ोन: (0265) 2316010

HEAD OFFICE
Baroda Bhavan, R C Dutt Road,
Alkapuri, Baroda - 390007
Ph : (0265) 2316010

कॉर्पोरेट सेंटर
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर. सी-26, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
फ़ोन: (022) 6698 5000-04 (पीबीएक्स)

CORPORATE CENTRE
Baroda Corporate Centre, Plot No. C-26, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Ph : (022) 6698 5000-04 (PBX)

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें (24x7): 1800 5700 | www.bankofbaroda.in | हमें फॉलो करें

Call Toll Free No. (24x7): 1800 5700 | www.bankofbaroda.in | Follow us on